ekuuh; Mhñ ,uñ iVy ,o vkuUn lu] U;k;efrx.k

राजेश कुमार

cuke

श्रीमती इंदु देवी

F.A. No. 236 of 2012. Decided on 28th April, 2016.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 9 नियम 13—परिसीमा अधिनियम, 1963—धारा 3 (1)—एकपक्षीय डिक्री अपास्त किया जाना–परिसीमा–विलंब की माफी के लिए किसी आवेदन के बिना प्रधान न्यायाधीश ने एकपक्षीय डिक्री अपास्त करने के लिए आवेदन अनुज्ञात किया–आवेदन दाखिल करने में दो वर्षों का विलंब हुआ था–विलंब माफ किए बिना विविध मामला गुणागुण पर विनिश्चित नहीं किया जा सकता था–आक्षेपित आदेश अभिखंडित। (पॅराएँ 8 से 11)

निर्णयज विधि.–(2000) 7 SCC 372—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Pankaj Kumar, For the Appellant; Mr. Suraj Kumar, For the Respondent.

डी॰ एन॰ पटेल, न्यायमूर्ति.–यह प्रथम अपील विविध मामला सं॰ 57 वर्ष 2009 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राँची द्वारा पारित दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 के आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल विलंब की माफी के लिए किसी आवेदन के बिना और दो वर्षों का विलंब माफ किए बिना विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राँची द्वारा पारित दिनांक 24 अगस्त, 2007 के एकपक्षीय डिक्री को अभिखंडित एवं अपास्त करवाने के लिए प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल आवेदन अनुज्ञात किया गया था। अभिलेख को देखते ही प्रकट गलती है जिसे अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा इस प्रथम अपील को अनुज्ञात करने के लिए इंगित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन भी किया गया है कि विद्वान प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, राँची द्वारा वैवाहिक अभिधान वाद सं॰ 218 वर्ष 2006 में पारित दिनांक 24 अगस्त, 2007 के आदेश के बाद, वस्तुतः तत्पश्चात 17 माह बाद इस अपीलार्थी ने एक अन्य महिला से विवाह किया है। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन भी किया गया है कि विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राँची द्वारा वैवाहिक अभिधान वाद सं॰ 218 वर्ष 2006 में पारित निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय कभी नहीं था क्योंकि प्रासंगिक समय पर प्रत्यर्थी पत्नी पर पहले ही नोटिस का तामील निष्पादित किया गया था और समाचार पत्र में भी नोटिस प्रकाशित किया गया था, किंतु, प्रत्यर्थी पत्नी विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राँची के समक्ष उपस्थित नहीं हुई थी। इस प्रकार, यदि कोई पक्ष सक्षम विचारण न्यायालय द्वारा नोटिस के तामीले के बाद न्यायालय में उपस्थित होने से बच रहा है और यदि विचारण न्यायालय द्वारा डिक्री पारित किया जाता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह एकपक्षीय डिक्री थी। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने गुणागुण पर भी मामले पर तर्क किया है और निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा दाखिल विलंब जो लगभग दो वर्ष का था की माफी के लिए किसी आवेदन के बिना विचारण न्यायालय द्वारा तथाकथित एकपक्षीय डिक्री को अभिखंडित एवं अपास्त करने के लिए उसका आवेदन अनुज्ञात किया गया था और इसलिए, विविध मामला सं॰ 57 वर्ष 2009 में मूल प्रत्यर्थी द्वारा इस प्रथम अपील को दाखिल किया गया है।

2. प्रत्यर्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वस्तुतः इस अपीलार्थी द्वारा दाखिल तलाक आवेदन एम॰ टी॰ एस॰ सं॰ 218 वर्ष 2006 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय,

राँची द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 2007 को एकपक्षीय डिक्री पारित की गयी थी। प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा विविध मामला सं॰ 57 वर्ष 2009 में इस तथ्य को इंगित किया गया था और इसलिए, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 17 अगस्त, 2012 के आदेश के तहत उक्त एकपक्षीय डिक्री अभिखंडित एवं अपास्त की गयी है और इस प्रकार विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राँची द्वारा एम॰ टी॰ एस॰ सं॰ 218 वर्ष 2006 में पारित दिनांक 24 अगस्त, 2007 की एकपक्षीय डिक्री अभिखंडित एवं अपास्त करने में गलती नहीं की गयी है। अतः, इस न्यायालय को यह प्रथम अपील ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन भी किया गया है कि वैवाहिक वाद सं॰ 115 वर्ष 2003 में अंतरिम भरण-पोषण के रूप में 3000/- रुपया प्रतिमाह का भुगतान करने के लिए 2006 में आदेश पारित किया गया था और वर्ष 2011 में अंतिम आदेश भी पारित किया गया है जिसके विरुद्ध इस अपीलार्थी द्वारा पटना उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दाखिल की गयी है जिसे भी खारिज किया गया है और इस तथ्य के बावजूद इस अपीलार्थी ने भरण-पोषण हेतु राशि का भुगतान नहीं किया है।

3. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने पर एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के बीच विवाह हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार दिनांक 19.5.1997 को संपन्न किया गया था। ये अभिकथन भी है कि दोनों पक्ष दिनांक 19.2.1998 से अलग रह रहे हैं। यह प्रतीत होता है कि तत्पश्चात इस अपीलार्थी द्वारा कुटुंब न्यायालय, राँची के समक्ष दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए वैवाहिक अभिधान वाद सं॰ 47 वर्ष 2000 दाखिल किया गया था और इसके प्रत्युत्तर में प्रत्यर्थी पत्नी ने विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, पटना में तलाक वाद एम॰ टी॰ एस॰ सं॰ 195 वर्ष 2001 दाखिल किया।

4. तत्पश्चात, पत्नी ने दिनांक 20.1.2004 को तलाक वाद वापस ले लिया था और पति ने भी दिनांक 25.7.2006 को दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए अपना आवेदन वापस ले लिया है।

5. अब, प्रथम अपील के पक्षों के बीच वाद का नया चक्र शुरु हुआ है। दिनांक 4.12.2006 को इस अपीलार्थी द्वारा विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राँची के समक्ष तलाक वाद वैवाहिक अभिधान वाद सं॰ 218 वर्ष 2006 दाखिल किया गया था जिसमें प्रत्यर्थी पत्नी को नोटिस जारी किया गया था और उस पर तामील किया गया था। तत्पश्चात, नोटिस समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया गया था और अंततः विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राँची द्वारा वैवाहिक अभिधान वाद सं॰ 218 वर्ष 2006 में दिनांक 24 अगस्त, 2007 का तलाक डिक्री परित किया गया था।

6. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों से आगे प्रतीत होता है कि तलाक की डिक्री की तिथि से लगभग 17 माह बाद इस अपीलार्थी ने 21 फरवरी, 2009 को एक अन्य महिला से विवाह किया है।

7. दिनांक 18 मई, 2009 को प्रत्यर्थी ने वैवाहिक अभिधान वाद सं॰ 218 वर्ष 2006 में विविध मामला सं॰ 57 वर्ष 2009 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय डिक्री अभिखंडित एवं अपास्त करने के लिए आवेदन दाखिल किया।

8. वर्तमान मामले के तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल विविध मामला सं॰ 57 वर्ष 2009 वैवाहिक अभिधान वाद सं॰ 218 वर्ष 2006 में पारित दिनांक 24 अगस्त, 2007 का एक पक्षीय डिक्री अपास्त करने के लिए 30 दिनों के परिसीमा अवधि के परे था और लगभग दो वर्षों का विलंब हुआ था। विविध मामला सं॰ 57 वर्ष 2009 के साथ प्रत्यर्थी द्वारा विलंब की माफी के लिए आवेदन दाखिल

<u>नहीं किया गया था।</u> विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राँची ने विलंब की माफी के लिए किसी आवेदन के बिना और विलंब माफ करने के लिए कोई आदेश पारित किए बिना प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल विविध मामला सं॰ 57 वर्ष 2009 अनुज्ञात किया है, जिसके द्वारा उन्होंने विविध मामला सं॰ 218 वर्ष 2006 में पारित दिनांक 24 अगस्त, 2007 का एकपक्षीय डिक्री अभिखंडित एवं अपास्त कर दिया। यह अभिलेख को देखते ही प्रकट गलती है कि विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय द्वारा विलंब की माफी के लिए किसी आवेदन के बिना और विलंब माफ किए बिना विविध मामला सं॰ 57 वर्ष 2009 अनुज्ञात किया जा सकता था।

9. परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की दृष्टि में विविध मामला सं॰ 57 वर्ष 2009 विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अनुज्ञात नहीं किया जा सकता था। त्वरित निर्देश के लिए परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (1) को यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

*^^(1) èkkjk 4 l 24 rd ¼ftld vUrxr ; nkuk èkkjk, vkrh g½] vUrfo"V micèkk d vè;èkhu ;g g fd fofgr dky d i'pkr gj lfLFkr okn] dh xb vihy vkj fd;k x;k vkonu [kkfjt dj fn;k tk,xk ; |fi ifrj{kk d rkj ij ifjlhek dh ckr mBkb u xb gkA**

10. मध्य प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप कुमार, (2000)7 SCC 372, में विशेषत: उसके पैराओं 17, 18 एवं 19 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

"17. djy mPp U;k;ky; dh [kM U;k;ihB u ckn e mDr ekey e (ek;k noh cuke ,e0 d0 Ñ".kk HkfVVfFkjh d rgr) ,dy U;k;kèkh'k }kjk vfèkdfFkr lfDr myV fn;k gA ;gh gJ dukVd mPp U;k;ky; d ,dy U;k;kèkh'k }kjk eèkdj ekey e fy, x, nf"Vdk.k dk gvk g tc [kM U;k;ihB u ckn e bl (dukVd jkT; cuke uxlik) e myV fn;kA ,uO odVpYy;k ,o ,lO ,O gkdhe] U;k;efrx.k (tl o rc Fk) u lfgrk d vkn'k 41 e fu;e 3A ij%LFkkfir dju dh i"BHkfe ij fopkj fd;k vkj ppk d ckn vfHkfuèkkfjr fd;k fd fu;e 3A dk mifu;e (1) vkKkid gA fdr] fo}ku U;k;kèkh'kk u bfxr fd;k fd ,lk u;k fu;e ij%LFkkfir dju dk ç;ktu çdk'keku dju d fy, foèkkueMy }kjk mifu;e (2) ,o (3) ç;Dr fd;k x;k gA ***bl lnHk e dukVd mPp U;k;ky; d [kM U;k;ihB d fu.k; l fuEufyf[kr m)j.k ykHknk;h :i l m)r fd;k tk ldrk g%***

^^fu;e 3A d mifu;ek (1) ,o (2) dk l;Dr iBu ;g Li"V djrk g fd le; oftr vihy d lkFk mifu;e (1) d vèkhu foyc dh ekQh d fy, vkonu dh nkf[kyh vko';d cuku dk ç;ktu bl vFk e vkKkid g fd vihykFkh ,lk vkonu fofuf'pr fd, x, fcuk viuk le; oftr vihy luu d fy, U;k;ky; ij tkj ugh Mky ldrk gA ;gh fu;e 3A d mifu;ek (1) ,o (2) d vr%LFkkiu }kjk çklr fd, tku d fy, bflLr ç;ktu Fkk] u, fu;e 3A d foèkk;h bfrgkl *l Li"V cu tkrk g ftldk mYy[k geu igy gh fd;k gA***

18. ge ;g Hkh bfxr dj ldr g fd iVuk mPp U;k;ky; dh [kMihB u igy Hkh fcgkj jkT; cuke jk; pMh ukFk lgk; e ;gh nf"Vdk.k viuk;k gA

lfgrk d vkn'k 41 e fu;e 3A vfèkfu;fer dju dk mí'; nkgjk gA çFker%] Lo; vihykFkh ftlu le; oftr vihy nkf[ky fd;k g dk

*lfpr dju d fy, fd bl xg.k ugh fd;k tk,xk tc rd foyc Li"V dju okyk vkonu bld lkFk lyXu ugh gA f}rh;r] çR;Fkh dk ;g ln'k lfpr dju d fy, fd vihy d Kkiu e fy, x, vkèkkjk dk pukrh nu d fy, r;kj gkuk mld fy, vko';d ugh gk ldrk g D;kfd U;k;ky; dk ijkHkko; 'kr d :i e foyc dh ekQh d fy, vkonu ij fopkj djuk gh gA mDr mí';k dk NkMdj ge fu;e l ;g ugh ik ldr g fd ;g vihykFkh d fo#) mipkjghu :i l vFkok vlèkkj; :i l çofrr gku d fy, vk'kf;r g ;fn Kkiu d lkFk igyh ckj e gh ,lk dkb vkonu lyXu ugh gA gekj nf"Vdk.k e] ;g deh lèkkj ;kX; deh g] vkj ;fn ckn e vko';d vkonu nkf[ky fd;k tkrk g] vihy lfgrk d vkn'k 41 fu;e 3A e vrfo"V vko';drk d vu:i çLrr fd;k x;k ekuk tk ldrk gA***

इस प्रकार, वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, विविध मामला सं॰ 57 वर्ष 2009 के साथ विलंब जो लगभग दो वर्ष का था की माफी के लिए आवेदन होना चाहिए था और विलंब माफ किए बिना विविध मामला सं॰ 57 वर्ष 2009 गुणागुण पर विनिश्चित नहीं किया जा सकता था।

11. पूर्वोक्त तथ्यों, कारणों एवं न्यायिक उद्घोषणाओं के समेकित प्रभाव के कारण हम एतद् द्वारा विविध मामला सं॰ 57 वर्ष 2009 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राँची द्वारा पारित दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 का आदेश अभिखंडित एवं अपास्त करते हैं।

12. यह प्रथम अपील अनुज्ञात की जाती है एवं निपटायी जाती है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k; ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

पप्पू मंडल उर्फ हीरालाल मंडल (587 में)

हेमकांत मंडल (590 में)

cuke

झारखंड राज्य (दोनों में)

Cr. Appeal (D.B.) No. 587 with 590 of 2005. Decided on 10th May, 2016.

एस॰ सी॰ सं॰ 37 वर्ष 2004/38 वर्ष 2004 के सम्बन्ध में सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ IV, गोड्डा द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 18.3.2005 एवं दिनांक 21.3.2005 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/34—आयुध अधिनियम, 1959—धारा 27—हत्या—सामान्य आशय—दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील—ऐसे मामले में जहाँ चश्मदीद गवाह उपलब्ध हैं और उन्होंने घटनास्थल वर्णित किया है और उन चश्मदीद गवाहों का साक्ष्य विश्वसनीय तथा भरोसेमंद है, आई॰ ओ॰ का गैर परीक्षण घटनास्थल पर अविश्वास करने के लिए पर्याप्त नहीं है—अ॰ सा॰ का संगत साक्ष्य है कि अपीलार्थी ने मृतक पर गोली चलाया था—दोषसिद्धि एवं दंडादेश अंशतः अभिपुष्ट किया गया। (पैराएँ 6 एवं 7)

अधिवक्तागण.—M/s A.K. Kashyap, Anurag Kashyap, Supriya Dayal, For the Appellants; A.P.P, For the State.

डी॰ एन॰ उपाध्याय, न्यायमूर्ति.—ये दांडिक अपीलें पाथरगामा पी॰ एस॰ केस सं॰ 94/2003 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ सं॰ 674/2003 के तत्सम एस॰ सी॰ सं॰ 37 वर्ष 2004/38 वर्ष 2004 के संबंध में सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश एफ॰ टी॰ सी॰, गोड्डा द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 18.3.2005 एवं दिनांक 21.3.2005 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दंडनीय अपराधों का दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन आजीवन कठोर कारावास भुगतने तथा प्रत्येक को 5000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने और जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में प्रत्येक अपीलार्थी को तीन माह का कठोर कारावास भुगतने और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपराध के लिए एक वर्ष का कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। इस प्रकार पारित दंडादेश को समवर्ती रूप से चलने का निर्देश दिया गया है।

2. रेखा देवी के फर्दबयान से सामने आने वाले तथ्य ये हैं कि दिनांक 1/2 जुलाई, 2003 की मध्यक्षेपी रात्रि को पूर्वाह्न लगभग 2 बजे सूचक कुछ हल्ला सुनकर जाग गयी। उसने घर में 6-7 दुष्टों को मौजूद देखा और वे बंदूक, पिस्तौल, लाठी आदि से लैस थे। सूचक ने खतरा भाँपकर अपने पति को जगाया किंतु तब तक अपीलार्थी पप्पू मंडल उर्फ हीरा लाल मंडल एवं अभियुक्त मुकेश मंडल ने सूचक के पति जुगल मंडल को उपहति कारित करते हुए अपने बंदूक से गोली चलाया। यह प्रकट किया गया है कि जुगल मंडल स्वयं को बचाने के लिए भागने के लिए घर के उत्तरी दरवाजा की ओर दौड़ा किंतु दुष्टों जिन्हें प्राथमिकी में नामित किया गया है ने उसका पीछा किया। आगे घटना घर के बाहर सिलचर चौधरी के खेत में हुई और सूचक के पति की हत्या की गयी थी। सूचक ने अपने पति को बचाने का प्रयास किया किंतु अभियुक्त जलधर मंडल द्वारा बंदूक के कुंदा से उस पर प्रहार किया गया था। 'हल्ला' होने पर मुहल्ला के लोग जमा हुए, जिन्हें प्राथमिकी में नामित किया गया है। उस समय, जब सूचक अपने पति को बचाने घर के बाहर जा रही थी, उसने उषा देवी एवं जीरा देवी सहित अन्य अभियुक्तों की उपस्थिति ध्यान में लिया था। इन दो महिलाओं ने सूचक का साड़ी खींचा था जिसके परिणामस्वरुप वह गिर गयी। गाँववालों को घटनास्थल की ओर आता देखकर अभियुक्तगण भाग गए। घटना के पीछे का कारण गाँव के रास्ता से संबंधित पुराना विवाद था। दिनांक 2.7.2003 को प्रात: 9.40 बजे उसके निवास स्थान पर दर्ज रेखा देवी के फर्दबयान के आधार पर अपीलार्थियों एवं उनके सहयोगियों, जिन्हें प्राथमिकी में नामित किया गया है के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 एवं आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन पाथरगामा पी॰ एस॰ केस सं॰ 94/2003 दर्ज किया गया था।

अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण के दौरान अपीलार्थियों एवं अभियुक्तगण अर्थात् परमेश्वर राय, लड्डू मंडल एवं सहायम मंडल की उपस्थिति सुनिश्चित की गयी थी। चूँकि शेष अभियुक्तगण फरार बने रहे, अपीलार्थियों एवं पूर्वोक्त तीन अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था। तद्नुसार संज्ञान लिया गया था और अपीलार्थियों का मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था और एस॰ सी॰ सं॰ 37 वर्ष 2004/38 वर्ष 2004 के रूप में दर्ज किया गया था।

अपीलार्थियों एवं उनके सहयोगियों के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे जिनके प्रति उन्होंने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

आरोपों को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन ने कुल 16 गवाहों का परीक्षण किया है जबकि अपीलार्थियों की ओर से संतोना हलदर का परीक्षण ब॰ सा॰ 1 के रूप में किया गया है। गुगल मंडल (अ॰ सा॰ 1) ने घटना का भाग देखा था। कुंदन मंडल (अ॰ सा॰ 12) मृतक का पुत्र है। रेखा देवी (अ॰ सा॰

14) सूचक और मृतक की पत्नी है और वे सब घटना के चश्मदीद गवाह हैं। जय प्रकाश मंडल (अ॰ सा॰ 2) गोली चलने की आवाज सुनने के बाद घटनास्थल पहुँचा था किंतु दुष्टों द्वारा उसे धमकाया गया था जिसके बाद वह वापस लौट गया। फोटो मंडल (अ॰ सा॰ 3) ने अपीलार्थियों एवं उनके सहयोगियों को घटनास्थल से भागते देखा था। उसने घर के सामने हैंडपंप के निकट पड़ा जुगल मंडल का मृत शरीर देखा था। पप्पू मंडल (अ॰ सा॰ 4) अनुश्रुत गवाह है। दिनेश मंडल (अ॰ सा॰ 5) भी गोली चलने की आवाज सुनने के बाद घटनास्थल पहुँचा था। उसने भी अपीलार्थियों एवं उनके सहयोगियों को खेत में उपस्थित देखा था। उसने जुगल मंडल को चारपाई पर पड़ा देखा था। अजय मंडल (अ॰ सा॰ 6), भैरो मंडल (अ॰ सा॰ 7) एवं मगन यादव (अ॰ सा॰ 8) वे गवाह हैं जो प्रहार समाप्त हो जाने के बाद घटनास्थल पर पहुँचे थे। विकास मंडल (अ॰ सा॰ 9) एवं सुनील मंडल (अ॰ सा॰ 10) अभिग्रहण सूची के गवाह हैं और उन्होंने क्रमश: प्रदर्श 1 से 1/b तक अपना हस्ताक्षर सिद्ध किया है। अशोक कुमार मंडल (अ॰ सा॰ 11) एवं मीना देवी (अ॰ सा॰ 13) पक्षद्रोही हो गए हैं और उन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। कुंदन मंडल (अ॰ सा॰ 12) मृतक का पुत्र है और उसने अभियोजन मामले का समर्थन किया है। रेखा देवी (अ॰ सा॰ 14) सूचक है और उसने फर्दबयान में किए गए अपने प्रतिवाद का समर्थन किया है। डॉ॰ शोभन मुर्मू (अ॰ सा॰ 15) ने जुगल मंडल के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था और उन्होंने शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 3) सिद्ध किया है। विष्णु कुमार यादव (अ॰ सा॰ 16) औपचारिक गवाह है और उसने फर्दबयान (प्रदर्श 4) औपचारिक प्राथमिकी (प्रदर्श 5) और अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 6 एवं 6/A) पर पाथरगामा पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी का हस्ताक्षर सिद्ध किया है।

3. अपीलार्थियों ने आक्षेपित निर्णय का विरोध इस आधार पर किया है कि अ॰ सा॰ 12 एक बाल गवाह है। वह सो रहा था और उसने घटना नहीं देखा था। अ॰ सा॰ 14 जो सूचक एवं मृतक की पत्नी है ने स्वयं को चश्मदीद गवाह के रूप में प्रक्षेपित करने का प्रयास किया है। वस्तुत: अ॰ सा॰ 14 पूर्णत: विश्वसनीय गवाह नहीं है। वह संपूर्ण प्रसंग का वर्णन करने में विफल रही है, मृतक के घर के अंदर घटना नहीं हुई थी। अभिलेख पर उपलब्ध स्वीकृत साक्ष्य यह है कि मृतक का आपराधिक पूर्ववृत्त था, वह डकैती के मामले एवं आयुध अधिनियम के अधीन अभियुक्त था। गवाह जो गोली चलने की आवाज सुनने के बाद घटनास्थल पर आए थे ने मृतक को सिलधर चौधरी के खेत में पड़ा देखा था। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ अपराधियों द्वारा घर के बाहर मृतक की हत्या की गयी होगी क्योंकि उसे सिलधर चौधरी के खेत में पाया गया था और वहाँ से मृतक शरीर उठाया गया था और सूचक के घर लाया गया था। अ॰ सा॰ 12 एवं अ॰ सा॰ 14 के बयान में महत्वपूर्ण विरोधाभास है। अ॰ सा॰ 12 कहता है कि मृतक पर गोली चलाए जाने के बाद वह अपनी माता (अ॰ सा॰ 14) के साथ गाँववालों एवं संबंधियों को सूचित करने घर से बाहर गया किंतु अ॰ सा॰ 12 का यह प्रतिवाद अ॰ सा॰ 14 के साक्ष्य से समर्थन नहीं पाता है। आई॰ ओ॰ का गैर परीक्षण अभियोजन के प्रति घातक है क्योंकि गवाहों द्वारा घटनास्थल सिद्ध नहीं किया गया है। सूचक ने कथन किया है कि उसके पति के शरीर पर गोली लगने से उपहति हुई थी किंतु शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 3) उपदर्शित करता है कि मृतक के शरीर पर कटने का जख्म भी था। किस प्रकार मृतक ने कटने का जख्म पाया, तथाकथित चश्मदीद गवाहों अ॰ सा॰ 12 तथा अ॰ सा॰ 14 सहित किसी गवाह द्वारा स्पष्ट नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, सूचक ने कथन किया है कि मृतक के मुख पर दागा गया बुलेट खोपड़ी में निकास जख्म सृजित करने के बाद गायब हो गया किंतु शव परीक्षण के दौरान डॉक्टर द्वारा ऐसी उपहति ध्यान में नहीं ली गयी थी। अत: अ॰ सा॰ 12 द्वारा वर्णित घटना का तरीका शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 3) से समर्थन नहीं पाता है।

अपीलार्थी पप्पू मंडल उर्फ हीरालाल मंडल ने अन्यत्रता का अभिवचन किया है और उसने ब॰ सा॰ 1 का परीक्षण किया है और प्रदर्श D के रूप में प्रमाण पत्र तथा उपस्थिति रजिस्टर (प्रदर्श E) सिद्ध किया है। ब॰ सा॰ 1 ने स्पष्टत: कथन किया है कि पप्पू मंडल विद्यालय में रात्रि प्रहरी के रूप में कार्यरत था और वह दिनांक 1.7.2003 से दिनांक 25.8.2003 तक रात्रि शिफ्ट में अपने कर्तव्य पर हर समय मौजूद था। विचारण न्यायालय का निष्कर्ष एवं ब॰ सा॰ 1 पर अविश्वास करने का कारण मान्य नहीं है। गलत निष्कर्ष दिए गए हैं। वस्तुत:, अपीलार्थी पप्पू मंडल पूरे समय दिनांक 25.8.2003 तक अपने कर्तव्य पर था और यह तथ्य जानने के बाद कि उसकी उपस्थिति की आवश्यकता है, उसने दिनांक 29.8.2003 को आत्मसमर्पण किया और कारा अभिरक्षा में भेजा गया। मामला यह नहीं है कि पप्पू मंडल को दिनांक 10 जुलाई, 2003 को कारा अभिरक्षा में भेजा गया था और पुन: आई॰ ओ॰ का गैर परीक्षण घातक बन गया है क्योंकि यह पूछा नहीं जा सका था कि अपीलार्थी पप्पू मंडल द्वारा किए गए अन्यत्रता के अभिवचन पर क्या अन्वेषण किया गया था। पक्षों के बीच चली आ रही दुश्मनी स्वीकार की गयी है। वर्तमान मामले के संस्थापन के पहले, अपीलार्थी पप्पू मंडल की माता ने मामला दर्ज किया था जिसमें मृतक अभियुक्त था। पुरानी दुश्मनी के ऐसे मामले में अन्य पक्ष के अधिकाधिक व्यक्तियों को आलिप्त करने की उम्मीद सदैव की जाती है और वर्तमान मामले में यही किया गया है। सूचक ने अपीलार्थी पप्पू मंडल सहित अनेक लोगों को नामित किया है जो घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थे।

अन्य गवाहों के बयान में भी महत्वपूर्ण विरोधाभास है। गवाह जो दावा कर रहे हैं कि वे गोली चलने की आवाज सुनने के बाद घटनास्थल पहुँचे थे ने घटना स्थल, स्थान जहाँ मृतक पड़ा था, स्थान जहाँ अपीलार्थीगण खड़े थे का विरोधाभासी वर्णन दिया है और घटनास्थल पर उपस्थित अभियुक्तों के नामों में भी विरोधाभास सामने आ रहा है। किसी ने कथन किया है कि उन्होंने मृतक को सिलधर चौधरी के खेत में पड़ा देखा था, किसी ने कथन किया है कि उसने 'चापाकल' के निकट अपने घर के सामने पड़े जुगल मंडल का मृत शरीर देखा था जबकि कुछ गवाहों ने कथन किया है कि उन्होंने जुगल मंडल का मृत शरीर घर के अंदर चारपाई पर देखा था। अन्यत्रता के बिंदु पर विद्वान अधिवक्ता ने भैरो मंडल (अ॰ सा॰ 7) के बयान को निर्दिष्ट किया है जिसने कथन किया है कि पप्पू मंडल उर्फ हीरालाल मंडल पश्चिम बंगाल में कार्यरत था और अ॰ सा॰ 7 का वह प्रतिवाद ब॰ सा॰ 1 के साक्ष्य, दस्तावेजों प्रदर्श D तथा प्रदर्श E से समर्थन पाता है। भैरो मंडल (अ॰ सा॰ 7) स्वतंत्र गवाह है और उसे पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है।

अंत में, यह निवेदन किया गया है कि अपीलार्थियों सहित कुल पाँच अभियुक्तों को आरोप पत्रित किया गया था और उनका विचारण किया गया था किंतु उनमें से तीन को समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया गया है। शेष अभियुक्तों जिन्हें प्राथमिकी में नामित किया गया है को आज की तिथि तक आरोप-पत्रित नहीं किया गया है। उन अभियुक्तों का क्या हुआ, आई॰ ओ॰ के गैर-परीक्षण के कारण अज्ञात बना हुआ है। आक्षेपित निर्णय अत्यन्त गलत है, तथ्यों एवं साक्ष्य के कुअधिमूल्यन पर आधारित है और इसलिए अपास्त किए जाने का दायी है।

4. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने तर्क का विरोध किया है और निवेदन किया है कि आई॰ ओ॰ के गैर परीक्षण ने अपीलार्थियों पर प्रतिकूलता कारित नहीं किया है और केवल उस कारण से विचारण दूषित नहीं होगा। अ॰ सा॰ 12 कुंदन मंडल और अ॰ सा॰ 14 रेखा देवी (सूचक) सर्वाधिक स्वाभाविक गवाह हैं और उन्होंने घटना का सच्चा विवरण दिया है। घटना का समय पूर्वाह्न 2 बजे है, घटनास्थल मृतक का घर है, अ॰ सा॰ 12 एवं 14 क्रमश: मृतक के पुत्र एवं पत्नी हैं और उस पल घर में उनकी उपस्थिति

प्रत्याशित और बिल्कुल स्वाभाविक थी। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने निवेदन किया है कि सूचक घर के अंदर कुछ हल्ला सुनने के बाद जाग गयी और उसने 6-7 दुष्टों को देखा था जो अपने हाथ में आग्नेयास्त्र, लाठी आदि लिए थे। यह उम्मीद नहीं की जाती थी कि वह प्रत्येक अभियुक्त द्वारा लिए गए उनके परस्पर हथियारों का वर्णन देगी किंतु तब उसने कथन किया है कि दुष्ट लंबी नाल का बंदूक, छोटे आग्नेयास्त्र, लाठी एवं अन्य हथियार लिए थे। घटना मृतक के घर के अंदर आरंभ हुई जब पप्पू मंडल एवं मुकेश मंडल ने अपनी बंदूक से गोली चलाया और मृतक को उपहति कारित किया। जब मृतक ने घर का उत्तरी दरवाजा खोल कर भागने का प्रयास किया, उसका पीछा किया गया था और घटना का बाद वाला भाग सिलधर चौधरी के खेत में हुआ था और घटना का वह भाग अ॰ सा॰ 1, अ॰ सा॰ 2, अ॰ सा॰ 3 एवं अ॰ सा॰ 5 द्वारा देखा गया था। जब इन गवाहों ने मध्यक्षेप करने का प्रयास किया, उनका पीछा किया गया था और धमकी दी गयी थी और तत्पश्चात वे घटना स्थल से गायब हो गए जहाँ मृतक पर प्रहार जारी था। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने निवेदन किया है कि अपीलार्थियों ने काफी जोर दिया है कि घटना स्थल सिद्ध नहीं किया गया है क्योंकि आई॰ ओ॰ का परीक्षण नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थितियों के अधीन, केस डायरी में वर्णित घटनास्थल का परिशीलन सच्चाई का पता लगाने के लिए किया जा सकता है।

यह निवेदन किया गया है कि अभियोजन ने गवाहों जो गोली चलने की आवाज सुनने के बाद घटनास्थल पहुँचे थे का परीक्षण करके अपना मामला समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध किया है। अ॰ सा॰ 12 एवं अ॰ सा॰ 14 जो चश्मदीद गवाह हैं ने भी मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, अभिग्रहण सूची, फर्दबयान आदि सिद्ध किया है। इस अपील में गुणागुण नहीं है और यह खारिज किए जाने की दायी है।

5. हमने परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार किया है और हम पाते हैं कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अ॰ सा॰ 14 के एकमात्र परिसाक्ष्य पर दोषसिद्धि दर्ज की गयी है। सूचक द्वारा अभिलेख पर लाया गया अभियोजन मामला अ॰ सा॰ 12, अ॰ सा॰ 1 से 3, अ॰ सा॰ 5 तथा अ॰ सा॰ 15 (डॉ॰ शोभन मुर्मू) के साक्ष्य से समर्थन पाता है। गवाहों द्वारा संगत रूप से कथन किया गया है कि घटना दिनांक 1/2 जुलाई, 2003 की मध्यक्षेपी रात्रि में पूर्वाह्न लगभग 12 बजे हुई। अपीलार्थियों के अनुसार, घटना मृतक के घर के अंदर हुई किंतु अभियोजन गवाहों के अनुसार घटना घर के अंदर आरंभ हुई जब मृतक अपनी पत्नी के साथ चारपाई पर सोया हुआ था। अ॰ सा॰ 12 जो मृतक का पुत्र है, भी घर में सो रहा था। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि अभियोजन कहानी इस पर बिल्कुल मौन है कि किस प्रकार और कब और किस रास्ते से अपीलार्थीगण मृतक के घर में घुसे। परिस्थितियाँ जिनके अधीन सूचक दावा कर रही है कि वह जाग गयी, स्वीकार्य प्रतीत नहीं होता है और इसलिए फर्दबयान में किया गया उसका प्रतिवाद कि उसने घर में अभियुक्तों की उपस्थिति ध्यान में लिया था झूठा हो जाता है। उसने घर के अंदर अपने पति पर प्रहार कारित करते अपीलार्थियों को नहीं देखा था। इस सीमा तक निवेदन किया गया है कि घर के अंदर घटना नहीं हुई थी। उत्तर का पता लगाने के लिए हमने अ॰ सा॰ 12 एवं अ॰ सा॰ 14 के साक्ष्य का परीक्षण किया है। सूचक ने स्पष्टत: कथन किया है कि वह आंगन में कुछ शोर सुनकर जाग गयी और उसके पहले वह सो रही थी।

अत: यह उम्मीद नहीं की जाती है कि जब सूचक सो रही थी, वह कैसे जान सकती थी कि अपीलार्थीगण किस प्रकार और किस रास्ते से घर में घुसे। जब उसने अपीलार्थियों एवं उसके सहयोगियों

को पहचाना, उसने खतरा महसूस किया और अपने पति जुगल मंडल को जगाया। चूँकि वह गहरी नींद में था, वह स्थिति जागने के बाद समझ नहीं सका था किंतु तब तक अपीलार्थी पप्पू मंडल एवं मुकेश मंडल ने गोली चलायी और उसको उपहति कारित किया। उसने घर का उत्तरी दरवाजा खोल कर भागने का प्रयास किया किंतु अपीलार्थियों एवं उनके सहयोगियों द्वारा उसका पीछा किया गया था। घटना का बाद का भाग घर के बाहर सिलधर चौधरी के खेत में हुआ था, अत:, तथ्य बना रहता है कि अ॰ सा॰ 12 एवं अ॰ सा॰ 14 का साक्ष्य है कि पप्पू मंडल एवं मुकेश मंडल ने मृतक जुगल मंडल को उपहति कारित करते हुए अपने बंदूक से गोली चलाया था। हम नहीं पाते हैं कि अपीलार्थियों द्वारा उठाया गया विरोधाभास कि अ॰ सा॰ 12 ने कथन किया है कि वह अपनी माता (अ॰ सा॰ 14) के साथ संबंधियों एवं गाँववालों को सूचित करने घर से बाहर गया था किंतु अ॰ सा॰ 14 ने न्यायालय में अपने अभिसाक्ष्य में इस जैसा नहीं कहा है। इन दो गवाहों के बयानों में सामने आने वाला यह विरोधाभास अथवा लोप उनके द्वारा अभिलेख पर लाए गए उनके संपूर्ण साक्ष्य पर अविश्वास करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सूचक ने कथन किया है कि वह अपने पति के पीछे गयी तब अपीलार्थियों द्वारा उसका पीछा किया गया था किंतु उसे बीच रास्ते रोका गया था और अभियुक्तों में से एक हलदर मंडल द्वारा बंदूक के कुंदा से उस पर प्रहार किया गया था। यह भी प्रकट किया गया है कि दो महिलाओं अर्थात् उषा देवी एवं जीरा देवी जो घर के बाहर खड़ी थी ने उसकी साड़ी खींचा और उसको अवरुद्ध किया। सूचक ने स्पष्टत: कथन किया है कि उन दो महिलाओं ने घटना स्थल से भागते समय अपना चप्पल छोड़ दिया था और उन चप्पलों को पुलिस द्वारा अन्वेषण के क्रम में जब्त किया गया था। अभिग्रहण गवाहों ने कथन किया है कि चप्पलें घटनास्थल से जब्त की गयी थी। अत: हम पाते हैं कि सूचक द्वारा किया गया प्रतिवाद समर्थन पाता है कि उसे दरवाजा पर अवरुद्ध किया गया था और जाने की अनुमति नहीं दी गयी थी।

6. हमने अ॰ सा॰ 1 से 3 एवं अ॰ सा॰ 5 के साक्ष्य का परीक्षण किया है। इन गवाहों ने कथन किया है कि गोली चलने की आवाज सुनने के बाद वे घटनास्थल की ओर आकृष्ट हुए। जब वे जुगल मंडल के घर के निकट पहुँचे, उन्होंने जुगल मंडल को सिलधर चौधरी के खेत में पड़ा देखा था। अपीलार्थीगण एवं उसके सहयोगी उपस्थित थे। उन्होंने उसे चले जाने के लिए धमकाया था। अ॰ सा॰ 14 ने कथन किया है कि उसने अपीलार्थियों एवं उनके सहयोगियों को मृतक जुगल मंडल पर प्रहार कारित करते देखा था। जय प्रकाश मंडल (अ॰ सा॰ 2) ने भी अपीलार्थियों एवं उनके सहयोगियों को सिलधर चौधरी के खेत में उपस्थित देखा था। उन्होंने उसको घटनास्थल से चले जाने की धमकी दी। अपीलार्थियों के घटनास्थल से भागने के बाद वह जुगल मंडल को सिलधर चौधरी के खेत से लाया और घर के सामने मृत शरीर रखा। अ॰ सा॰ 3 ने भी लगभग यही तथ्य न्यायालय में अपने अभिसाक्ष्य में दोहराया है। उसने कथन किया है कि उसके पास टॉर्च था और घटना के समय पर उसने अपीलार्थी को घटना स्थल से भागते देखा था। उसे अंतिम क्रियाकर्म करने की तैयारी करने के लिए भी कहा गया था। यह सत्य है कि घर के बाहर किस अभियुक्त द्वारा कौन सा प्रत्यक्ष कृत्य किया गया था, किसी भी गवाह द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है किंतु तथ्य बना रहता है कि गोली चलने की आवाज सुनने के बाद गवाह अर्थात् जय प्रकाश मंडल, फोटो मंडल एवं दिनेश मंडल सिलधर चौधरी के खेत पहुँचे और उन्होंने अपीलार्थियों को देखा था। उन्हें मृतक जुगल मंडल को भी अपने शरीर पर उपहति लिए सिलधर चौधरी के खेत में पड़ा देखा था।

ऐसे मामले में जहाँ चश्मदीद गवाह उपलब्ध हैं और उन्होंने घटनास्थल वर्णित किया है और उन चश्मदीद गवाहों का साक्ष्य विश्वसनीय है आई॰ ओ॰ का गैर-परीक्षण घटना स्थल पर अविश्वास करने

के लिए पर्याप्त नहीं है। स्वीकृत रूप से, आई॰ ओ॰ का परीक्षण नहीं किया गया है और अपीलार्थियों ने जोरदार रूप से चुनौती दिया है कि गवाहों द्वारा घटना स्थल सिद्ध नहीं किया गया है। यह प्रतिवाद किया गया है कि जुगल मंडल का मृत शरीर सिलधर चौधरी के खेत में देखा गया था और वहाँ से इस मृतक के घर लाया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि घर के अंदर घटना कभी नहीं हुई बल्कि संपूर्ण घटना सिलधर चौधरी के खेत में अथवा कहीं और हुई थी। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि दो घटनास्थल थे, दूसरा घटनास्थल सिलधर चौधरी का खेत था जहाँ गवाहों द्वारा मृतक पड़ा देखा गया था जो गोली चलने की आवाज सुनने के बाद घटनास्थल पर आए थे।

चूँकि हम अ॰ सा॰ 12, अ॰ सा॰ 14 अ॰ सा॰ 1, 2, 3 एवं 5 का साक्ष्य त्यक्त करने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि अ॰ सा॰ 1, अ॰ सा॰ 2, अ॰ सा॰ 3 एवं अ॰ सा॰ 5 का साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत होता है किंतु तब भी सत्य का पता लगाने के लिए और इसका समर्थन पाने के लिए वस्तुत: घटनास्थल कौन सा था, हम आई॰ ओ॰ द्वारा नोट किए गए घटना स्थल को देखने के सीमित प्रयोजन से केस डायरी का परिशीलन करने के इच्छुक हैं। हम पाते हैं कि आई॰ ओ॰ द्वारा केस डायरी के पैरा 6 में घटनास्थल वर्णित किया गया है।

यह प्रकट किया गया है कि घटनास्थल मृतक जुगल मंडल का पक्का घर है। घर के अंदरूनी भाग का भी वर्णन किया गया है। यह उपदर्शित किया गया है कि घर के अंदर के बरामदा में चारपाई पर मृतक अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। निरीक्षण के समय पर आई॰ ओ॰ ने बरामदा में और चारपाई के नीचे भी खून के धब्बों को ध्यान में लिया। आई॰ ओ॰ ने आगे वर्णित किया है कि घर के बाहर जाने के लिए उत्तरी भाग की ओर टिन का गेट लगा हुआ था।

अब अ॰ सा॰ 14 के साक्ष्य पर आते हुए। उसने कथन किया है कि घटना के समय पर, पूर्वाह्न लगभग 2 बजे वह घर के अंदर के बरामदा में चारपाई पर सो रही थी। घटना का प्रथम भाग घर के अंदर हुआ था जब अपीलार्थी पप्पू मंडल एवं मुकेश मंडल ने जुगल मंडल को उपहति कारित करते हुए गोली चलाया था। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य यह है कि जुगल मंडल ने उपहति पाने के बाद टिन का गेट खोल कर भागने का प्रयास किया। अपीलार्थियों एवं उनके सहयोगियों द्वारा उसका पीछा किया गया था और घटना का बाद वाला भाग घर के बाहर हुआ था। अत:, हम पाते हैं कि अ॰ सा॰ 12 एवं अ॰ सा॰ 14 द्वारा वर्णित घटनास्थल केस डायरी के पैरा 6 में आई॰ ओ॰ द्वारा ध्यान में लिए गए घटनास्थल के वर्णन से समर्थन पाता है। दूसरा घटनास्थल अ॰ सा॰ 1, अ॰ सा॰ 2, अ॰ सा॰ 3 एवं अ॰ सा॰ 5 के साक्ष्य से पूर्ण समर्थन पाता है। अत:, हम यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि घटनास्थल सिद्ध नहीं किया गया है और इस संबंध में आई॰ ओ॰ का गैर परीक्षण घातक है।

अब पप्पू मंडल उर्फ हीरालाल मंडल द्वारा किए गए अन्यत्रता के अभिवचन पर आते हुए हम पाते हैं कि अपीलार्थी ने ब॰ सा॰ 1 संतोना हलधर का परीक्षण किया है। उसने कथन किया है कि वह राधारानी नारी शिक्षा मंदिर, शांतिपुर (पश्चिम बंगाल) की प्राचार्या है। उसने कथन किया है कि हीरालाल मंडल रात्रि प्रहरी के रूप में नियोजित था और वह दिनांक 2.7.2003 से दिनांक 25.8.2003 तक लगातार अपने कर्तव्य पर था। उसने इस प्रभाव का प्रमाण पत्र जारी किया है और उस प्रमाण पत्र को प्रदर्श D के रूप में चिन्हित किया गया है। उपस्थिति रजिस्टर का एक पन्ना प्रदर्श E चिन्हित किया गया है।

7. हमने ब॰ सा॰ 1 के साक्ष्य का परिशीलन किया है जो उपदर्शित करता है कि अपीलार्थी पप्पू मंडल के पिता ने कहा कि उसका पुत्र गिरफ्तार किया गया है और उसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता है और तद्नुसार इस प्रभाव का प्रमाण पत्र दिनांक 10.7.2003 को जारी किया गया था। ब॰ सा॰ 1 के साक्ष्य

से यह स्पष्ट है कि जलधर मंडल (अपीलार्थी पप्पू मंडल का पिता) जो इस मामले में अभियुक्त है, दिनांक 10.7.2003 को प्रमाण पत्र संग्रहित करने गया था। यह तथ्य दर्शाता है कि वह वर्तमान मामले की स्थिति के बारे में सुअवगत था जिसमें वह स्वयं अभियुक्त था और उसका पुत्र पप्पू मंडल भी मुख्य हमलावर के रूप में आ रहा था। यह प्रकट है कि उसने प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ब॰ सा॰ 1 के समक्ष सच्चा तथ्य प्रकट नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी यह भी जान रहा था कि वह अ॰ सा॰ 14 द्वारा दर्ज मामले में अभियुक्त था किंतु आश्चर्यजनक रूप से वह लगातार दिनांक 25.8.2013 तक अपना कर्तव्य कर रहा था जो हत्या के मामले में अभियुक्त का स्वाभाविक आचरण प्रतीत नहीं होता है। हम आगे पाते हैं कि प्रदर्श E केवल जुलाई 2, 2003 से अगस्त 25, 2003 तक केवल अपीलार्थी हीरालाल का हस्ताक्षर धारण करता है। ब॰ सा॰ 1 ने कथन किया है कि विद्यालय में 25 स्टाफ हैं किंतु शेष कर्मचारियों के नाम उपस्थिति रजिस्टर के इस पन्ना में नहीं है।

पूर्वोक्त कारणों से, हम अन्यत्रता के इस अभिवचन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यह कथन कहीं नहीं किया गया है कि किसी अन्वेषण के लिए यह सूचना आई॰ ओ॰ को कभी दी गयी थी अथवा प्रमाण पत्र जिसे दिनांक 10.7.2003 को लाया गया था कभी भी आई॰ ओ॰ को सौंपा गया था। पूर्वोक्त कारणों से अपीलार्थी पप्पू मंडल उर्फ हीरालाल मंडल द्वारा किया गया अन्यत्रता का अभिवचन एतद् द्वारा अस्वीकार किया जाता है।

अब पुनः साक्ष्य पर आते हुए, तथ्य बना रहता है कि अभिलेख पर उपलब्ध संगत साक्ष्य यह है कि पप्पू मंडल को अ॰ सा॰ 12 एवं अ॰ सा॰ 14 द्वारा देखा गया था कि उसने गोली चलाया और मृतक को उपहति कारित किया। हेमकांत मंडल के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष कृत्य अभ्यारोपित नहीं किया गया है सिवाए इसके कि उसे अ॰ सा॰ 12 एवं अ॰ सा॰ 14 द्वारा पहचाना गया था। घर के बाहर किस अभियुक्त द्वारा कौन सा प्रत्यक्ष कृत्य किया गया था, अभियोजन गवाहों द्वारा अभिलेख पर नहीं लाया गया है।

मामले के इन समस्त पहलुओं पर विचार करते हुए, हम अपीलार्थी हेमकांत मंडल को संदेह का लाभ देने के इच्छुक हैं और तद्नुसार हेमकांत मंडल के विरुद्ध एस॰ सी॰ सं॰ 37 वर्ष 2004/38 वर्ष 2004 के संबंध में सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ IV, गोड्डा द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 18.3.2005 तथा दिनांक 21.3.2005 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 590/2005 अनुज्ञात किया जाता है।

जहाँ तक दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 587/2005 जिसे अपीलार्थी पप्पू मंडल उर्फ हीरालाल मंडल द्वारा दाखिल किया गया है, का संबंध है, इसे एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

अपीलार्थी हेमकांत मंडल (दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 590/2005 में) जो कारा में है को तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है। यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है और उसके लिए दोष सिद्ध करने वाला/ उत्तरवर्ती न्यायालय समुचित निर्देश जारी करेगा यदि आवश्यक हो।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

अनन्त कुमार पांडे

cuke

मो॰ अतहर हुसैन एवं अन्य

W.P. (C) No. 617 of 2013. Decided on 19th July, 2016.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 8 नियम 1—लिखित कथन की दाखिली—परिसीमा—प्रक्रियात्मक नुस्खे न्याय के सहयोगी हैं और न कि अनुचर—आदेश 8 के

नियम 1 के अधीन प्रावधानित समय तालिका निदेशात्मक प्रकृति की हैं–यह केवल आपवादिक मामलों में प्रदान किए जाने के लिए समय के विस्तारण के लिए न्यायालय की शक्ति पर वर्जना अधिरोपित नहीं करते हैं–आक्षेपित आदेश अपास्त–अवर न्यायालय को व्यय के भुगतान पर लिखित कथन स्वीकार करने का निर्देश दिया गया। (पैराएँ 6 एवं 7)

निर्णयज विधि.–(2005) 4 SCC 480—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Sandeep Verma, For the Petitioners; Mr. Bharat Kumar, For the Respondents.

आदेश

प्रतिवादी सं॰ 1 ने यह रिट आवेदन अभिधान वाद सं॰ 1 वर्ष 2012 में सिविल न्यायाधीश (सिनियर डिविजन) I, कोडरमा द्वारा पारित दिनांक 10.10.2012 के आदेश के विरुद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा उसे लिखित कथन दाखिल करने से वर्जित किया गया है किंतु उसे वादी के गवाहों का प्रति परीक्षण करने की अनुमति दी गयी थी।

2. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थियों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

3. पक्षों के अभिवचनों के विवरणों में जाना आवश्यक नहीं है। उपस्थिति के बाद, प्रतिवादी सं॰ 1 द्वारा उसके द्वारा दाखिल लिखित कथन स्वीकार करने की प्रार्थना के साथ दिनांक 23.8.2012 को माफी याचिका के साथ याचिका दाखिल की गयी थी किंतु पक्षों को सुनने के बाद, अवर न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दिया और प्रतिवादी सं॰ 1 याची को लिखित कथन दाखिल करने से अपवर्जित किया। अत: यह रिट आवेदन दाखिल किया गया है।

4. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का विधि में दोषपूर्ण के रूप में विरोध करते हुए प्रतिवाद किया कि अवर न्यायालय यह अधिमूल्यन करने में विफल रहा कि परिशिष्ट 4 के रूप में पूरक शपथ पत्र के साथ संलग्न दिनांक 8.6.2012 के अवर न्यायालय के ऑर्डरशीट से यह प्रतीत होगा कि लिखित कथन दाखिल करने के लिए दिनांक 23.8.2012 नियत किया गया था, तद्नुसार, अगली तिथि पर लिखित कथन दाखिल किया गया था, अवर न्यायालय ने इसे अभिलेख पर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था किंतु बाद में आक्षेपित आदेश द्वारा प्रतिवादी सं॰ 1 को लिखित कथन दाखिल करने से अपवर्जित किया गया था। यह निवेदन भी किया गया था कि प्रक्रियात्मक विधि का अर्थ सामान्यत: आज्ञापक के रूप में नहीं लगाया जाना चाहिए बल्कि प्रक्रियात्मक विधि सदैव न्याय की सेवा एवं सहायता के लिए है और आगे निवेदन किया कि सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश VIII नियम 1 के साथ संलग्न परन्तुक शब्दों ''नब्बे दिनों के बाद नहीं होगा'' द्वारा परिसीमित किया गया है किंतु समय के गैर-विस्तारण से प्रवाहित परिणाम विनिर्दिष्टत: प्रावधानित नहीं किए गए हैं।

5. प्रत्यर्थियों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यद्यपि प्रार्थना का विरोध किया किंतु निष्पक्षत: निवेदन किया कि उन्हें आपत्ति नहीं है यदि प्रतिवादी सं॰ 1 याची की प्रेरणा पर दाखिल लिखित कथन कुछ व्यय के साथ स्वीकार किया जाता है और आगे निवेदन किया कि अवर न्यायालय को मामला शीघ्रातिशीघ्र निपटाने का निर्देश दिया जा सकता है।

6. मैं याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के निवेदन में बल पाता हूँ कि दिनांक 8.6.2012 के आदेश के तहत मामला दिनांक 23.8.2012 के लिए नियत किया गया था और प्रतिवादी सं॰ 1 को लिखित कथन दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। तद्नुसार, इसे अगली तिथि को दाखिल किया गया था। यह सत्य है कि 90 दिन पूरा होने के बाद भी लिखित कथन दाखिल नहीं किया गया था किंतु लिखित

कथन की गैर-दाखिली के लिए कुछ आधार का कथन किया गया था। वर्तमान मामले में, विचारण न्यायालय इस आधार पर अग्रसर हुआ कि जब तक संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है, लिखित कथन 90 दिनों के बाद स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मैंने विलंबित रूप से दाखिल लिखित कथन का स्वीकरण इप्सित करते हुए याची द्वारा उपदर्शित आधारों पर विचार किया है। उन्हें तुच्छ अथवा सारहीन नहीं माना जा सकता है क्योंकि वादी प्रत्यर्थियों द्वारा इससे इनकार नहीं किया गया है। यह सुनिश्चित है कि प्रक्रियात्मक विधि को निरंकुश नहीं बल्कि सेवक होना है, न्याय के लिए रूकावट नहीं बल्कि मदद होना है। प्रक्रियात्मक नुस्खें निरंकुश नहीं है तथा सेवक है, चिकनाई वाला तेल है न कि न्याय प्रशासन में अवरोधक। **कैलाश बनाम नन्खू एवं अन्य, (2005)4 SCC 480,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश VIII नियम 1 के अधीन प्रावधानित समय अनुसूची निदेशात्मक प्रकृति की है किंतु, यह समय के विस्तारण के लिए न्यायालय की शक्ति पर वर्जना अधिरोपित नहीं करती है किंतु केवल आपवादिक मामलों में प्रदान किए जाने के लिए।

7. उक्त परिस्थितियों में, आक्षेपित आदेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है और अवर न्यायालय को प्रतिवादी सं॰ 1 की प्रेरणा पर दाखिल लिखित कथन वादी प्रत्यर्थियों को 1,000/- रुपयों का भुगतान करने पर स्वीकार करने का निर्देश दिया जाता है। विचारण न्यायालय को शीघ्रातिशीघ्र विचारण करने का निर्देश आगे दिया जाता है।

8. तद्नुसार, यह रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

केदार अग्रवाल उर्फ केदार मल अग्रवाल (3500 में)

निर्मल पंसारी उर्फ निर्मल कुमार पंसारी (1918 में)

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य (दोनों में)

Cr.M.P. Nos. 3500 with 1918 of 2013. Decided on 29th June, 2016.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 420/34—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—छल—संज्ञान—विवाद याचियों द्वारा परिवादी को कोयला की आपूर्त्ति/गैर-आपूर्त्ति के संबंध में है—परिवाद याचिका प्रकट नहीं करती है कि 8,70,000/- रुपयों की राशि लेने के बावजूद कोयला परिदाय करने के लिए याची की ओर से कोई आशय था—आरंभ से ही बेईमान आशय था—छल के अवयव स्पष्टतः याचियों के विरुद्ध बनते हैं—अभिखंडन आवेदन खारिज।

(पैराएँ 6 एवं 7)

अधिवक्तागण.—M/s. Sanjay Prasad (in 3500), Anil Kumar & Ms. Chandana Kumari, (in 1918), For the Petitioner; APP, For the State; M/s Rajesh Kumar & Prateek Sen, For the O.P. No.2.

आदेश

दांडिक विविध याचिका सं॰ 1918 वर्ष 2013 में याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री अनिल कुमार, दांडिक विविध याचिका सं॰ 3500 वर्ष 2013 में याची के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय प्रसाद, दांडिक विविध याचिका सं॰ 1918 वर्ष 2013 में विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार एवं राज्य के विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ सुने गए।

2. इस आवेदन में याचियों ने सी॰ पी॰ केस सं॰ 508 वर्ष 2011 में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 11.2.2013 के आदेश को अभिखंडित करने के लिए प्रार्थना किया है जिसके

द्वारा एवं जिसके अधीन भारतीय दंड संहिता (भा॰ दं॰ सं॰) की धारा 420/34 के अधीन दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया है।

3. विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा परिवाद मामला संस्थित किया गया था जिसमें यह कथित किया गया था कि याचियों ने परिवादी को बताया था कि वे अनेक कंपनियों के नाम में व्यवसाय कर रहे हैं और आगे कथन किया था कि यदि उन्हें 5-10 लाख रुपयों की अग्रिम राशि दी जाती है, तब वे अक्टूबर, 2009 से तय कीमत पर उस भुगतान के विरुद्ध कोयला की आपूर्ति करेंगे। आगे यह अभिकथित किया गया है कि दो चेकों के माध्यम से 8,70,000/- रुपयों की राशि का भुगतान किया गया था। किंतु बाद में कोयला की आपूर्ति कभी नहीं की गयी थी और यह कहा गया है कि अनेक ऑर्डर लंबित थे और एक या दूसरे बहाने परिदाय नहीं किया गया था। यह भी अभिकथित किया गया है कि अभियुक्तों ने एक दूसरे तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ षड्यंत्र करके बेईमान आशय के साथ अनेक व्यक्तियों से धन की विपुल राशि संग्रहित किया था।

4. दांडिक विविध याचिका सं॰ 1918 वर्ष 2013 में याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री अनिल कुमार द्वारा निवेदन किया गया है कि परिवादी स्वयं परिवाद याचिका में अपने प्रकथन के मुताबिक कोक एवं कोयला का व्यवसाय कर रहा है और वह अनेक स्रोतों से कोयला प्राप्त करता है। आगे यह निवेदन किया गया है कि याचियों के पास अनेक ऑर्डर लंबित रहने के कारण कोयला की आपूर्ति नहीं की जा सकी थी। विद्वान वरीय अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 415 के अधीन अपराध गठित करने के लिए अवयव नहीं बनते हैं क्योंकि याचियों की ओर से कपटपूर्ण अथवा बेईमान आशय नहीं था। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 415 को निर्दिष्ट किया है और निवेदन किया है कि यदि कोई व्यक्ति राशि प्राप्त करता है और मालों की डिलीवरी करने का आशय रखता है किंतु बाद में अपनी संविदा तोड़ता है और मालों की डिलीवरी नहीं करता है, यह छल के अपराध के तुल्य नहीं होगा। अत: यह निवेदन किया गया है कि याची के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 420 के अधीन मामला नहीं बनता है और यदि परिवादी व्यथित है, वह सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष उपचार का लाभ ले सकता है।

5. दांडिक विविध याचिका सं॰ 3500 वर्ष 2013 में याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संजय प्रसाद ने दांडिक विविध याचिका सं॰ 1918 वर्ष 2013 में याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता का तर्क अपनाया है। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि जहाँ तक दांडिक विविध याचिका सं॰ 3500 वर्ष 2013 में याची का संबंध है, उसके विरुद्ध धन की कोई राशि पाने का अभिकथन नहीं है और उक्त तथ्य आगे संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने के लिए उसका मामला ठोस बनाएगा।

6. विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता ने याचियों की प्रार्थना का विरोध किया है और परिवाद याचिका के कतिपय पैराग्राफों को निर्दिष्ट किया है और निवेदन किया है कि इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संविदा के आरंभ से ही याचियों की ओर से बेईमान आशय था। यह निवेदन भी किया गया है कि 8,70,000/- रुपया की अग्रिम राशि लेने के बावजूद कोयला की डिलीवरी कभी नहीं की गयी थी। वह आगे निवेदन करते हैं कि परिवाद और एस॰ ए॰ में दिए गए बयान की दृष्टि में याचियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है और इसलिए विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 420/34 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के अपने अधिकार के अंतर्गत थे।

7. विवाद जैसा प्रतीत होता है, याचियों द्वारा परिवादी को कोयला की आपूर्ति/गैर आपूर्ति के संबंध में है। यह प्रतीत होता है कि 8,70,000/- रुपयों की राशि दो किस्तों में परिवादी द्वारा दी गयी थी, किंतु बार-बार आश्वासन के बावजूद, एक या दूसरे बहाने कोयला की डिलीवरी नहीं की जा सकी थी। परिवाद

याचिका प्रकट नहीं करती है कि 8,70,000/- रुपयों की राशि लेने के बावजूद कोयला डिलीवर करने का याचियों की ओर से कोई आशय था। चूँकि यह प्रतीत होता है कि आरंभ से ही बेईमान आशय था, याचियों के विरुद्ध छल के अवयव स्पष्टत: बनाए गए हैं। उनको अभियोजित करने के लिए याचियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान होने के कारण आक्षेपित आदेश में कोई गलती अथवा अवैधता, प्रतीत नहीं होती है जिसमें इस न्यायालय के किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस आवेदन में गुणागुण नहीं होने के कारण इसे तद्नुसार खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o Jh pn'k[kj] U;k;efr

मीरु मरांडी

cuke

इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड एवं अन्य

L.P.A. No. 573 of 2015. Decided on 21st June, 2016.

(क) श्रम एवं औद्योगिक विधि–मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति देय–नाम निर्देशिती का अधिकार–नाम निर्देशिती केवल नामांकन के फलस्वरुप मृतक की संपत्ति अथवा संपदा पर कोई अधिकार अथवा अभिधान नहीं पाता है–नाम निर्देशिती केवल राशि प्राप्त करने का अधिकार पाएगा और वह उत्तराधिकारियों के लाभ के लिए राशि रखता है। (पैरा 9)

(ख) श्रम एवं औद्योगिक विधि–पारिवारिक पेंशन–पारिवारिक पेंशन का प्रदान विद्यमान नियमों द्वारा शासित होता है–मृतक कर्मचारी की माता पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने की हकदार नहीं है–मृतक कर्मचारी अपने जीवन काल के दौरान अपनी माता को पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए नाम निर्देशिती के रूप में मनोनीत नहीं कर सकता था–कर्मचारी का पारिवारिक पेंशन के उपर दावा इस कारण से नहीं कर सकता है कि यह केवल कर्मचारी की मृत्यु के बाद प्रोद्भूत होता है–इसे वसीयती व्ययन के माध्यम से किसी व्यक्ति को विरासत में नहीं दिया जा सकता है–याची मृतक कर्मचारी की विधिवत ब्याहता पत्नी होने के नाते मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभों को प्राप्त करने की हकदार अभिनिर्धारित की गयी। (पैराएँ 11, 13, 14 एवं 15)

निर्णयज विधि.–AIR 1924 Sind 57; AIR 1928 Lahore 773; AIR 1957 Mad. 115; (1980)4 SCC 306; (1991)1 SCC 725—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Saibal Mitra, For the Appellant; M/s Rajesh Lala, Arpit Kumar, For the ECL; Mr. Prasant Vidyarthi, For the CMPF; Mr. K.P.Deo, For the Resp. No.6.

विरेन्दर सिंह, मुख्य न्यायाधीश.–यह मृतक कर्मचारी की मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति देयों के लिए लड़ रही दो महिलाओं, स्वर्गीय जय प्रकाश कुमार बेसरा की माता एवं पत्नी की कथा है। अपीलार्थी रिट याची (इसमें इसके बाद ''याची'' के रूप में निर्दिष्ट) उसको मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति देयों का भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थी मेसर्स इस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड को निर्देश इप्सित करते हुए डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 3145 वर्ष 2008 में इस न्यायालय के पास आयी जिसे रिट न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए अस्वीकार किया गया था कि याची को स्व॰ जयप्रकाश कुमार बेसरा के मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति देयों का दावा करने का विधिक अधिकार नहीं है। इससे व्यथित होकर, याची ने वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील दाखिल किया है।

2. मामले के अभिलेख से सामने आने वाले अविवादित तथ्य ये हैं कि स्व॰ जयप्रकाश कुमार बेसरा प्रत्यर्थी मेसर्स इस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में फिटर के रूप में नियोजित था और दिनांक 31.5.2006 को उसकी मृत्यु हो गयी। उपदान एवं जीवन आच्छादन के भुगतान के लिए याची द्वारा आवेदन एवं पश्चातवर्ती अभ्यावेदन देने पर क्षेत्रीय आयुक्त, कोयला खान भविष्य निधि (सी॰ एम॰ पी॰ एफ॰), देवघर ने दिनांक 6.7.2007 का सं॰ 931565 वाला चेक जारी किया किंतु उक्त चेक याची को सौंपा नहीं गया था। मजबूर होकर, याची पी॰ एल॰ ए॰ केस सं॰ 133 वर्ष 2007 में स्थायी लोक अदालत के पास आयी जिसे वापस लेने की अनुमति दी गयी थी और तत्पश्चात, याची रिट न्यायालय के पास आयी।

3. रिट कार्यवाही में, याची को अपने मृतक पति की माता अर्थात् मोस्मात तालामाई मरांडी को प्रत्यर्थी सं॰ 6 के रूप में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया गया था। प्रत्यर्थी सं॰ 6 स्वयं पर नोटिस की तामीला के बाद उपस्थित हुई किंतु, उसने रिट याचिका का विरोध करते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं किया था।

4. रिट न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी मेसर्स इस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने दृष्टिकोण लिया कि मृतक कर्मचारी ने याची को तलाक दिया था और उसने सेवा अभिलेख से अपने नाम निर्देशिती के रूप में याची के नाम के विलोपन के लिए प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल किया था और याची के स्थान में उसकी माता का नाम उसके नाम निर्देशिती के रूप में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। परिणामस्वरुप, मेसर्स इस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने याची को मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति देय निर्मुक्त करने से इनकार कर दिया।

5. दोनों पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए एवं अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि कर्मचारी अपने जीवन काल के दौरान ''पारिवारिक पेंशन'' के लिए किसी व्यक्ति को मनोनीत नहीं कर सकता है और कर्मचारी की मृत्यु पर केवल पत्नी एवं अवयस्क संतानें पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं। मृतक कर्मचारी की तलाकशुदा पत्नी के रूप में याची को मानने के लिए प्रत्यर्थी मेसर्स इस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की अधिकारिता को चुनौती देते हुए याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची के स्थान में नाम निर्देशिती के रूप में अपनी माता का नाम प्रतिस्थापित करने के लिए मृतक कर्मचारी द्वारा दाखिल आवेदन कोई अंतर नहीं बनाएगा और मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभों पर याची के दावा से उसकी सास द्वारा उठाए गए तुच्छ विवाद पर प्रकटत: इनकार नहीं किया जा सकता है।

7. प्रत्यर्थी मेसर्स इस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश लाला रिट न्यायालय के समक्ष लिया गया दृष्टिकोण दोहराते हैं।

8. प्रत्यर्थी सं॰ 6 के विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश प्रसाद देव निवेदन करते हैं कि याची जिसने अपने पति का साथ काफी पहले छोड़ दिया और जिसे रुढ़िजन्य विधि के अनुसार उसके पति द्वारा तलाक दिया गया था, वापस नहीं आ सकती है और मृतक कर्मचारी की मृत्यु के कारण प्रोद्भूत होने वाले मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभों का दावा नहीं कर सकती है। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि जब तक विधि का सक्षम न्यायालय याची को मृतक कर्मचारी का उत्तराधिकारी घोषित नहीं करता है, वह मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभों का दावा नहीं कर सकती है।

9. ''नामांकन के विवाद्यक'' पर विधि अब सुनिश्चित है। **''आइमाई बनाम अवाबाई धनजी शॉ जमशेदजी एवं अन्य,'' AIR 1924 Sind 57,** तथा **''हरदयाल देवी दित्ता बनाम जानकी दास एवं एक अन्य,'' AIR 1928 Lahore 773,** में अधिकथित विधि अभी भी बरकरार है। नाम-निर्देशिती केवल नामांकन के फलस्वरुप मृतक की संपत्ति अथवा संपदा पर कोई अधिकार अथवा अभिधान नहीं

पाता है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि नामनिर्देशिती केवल राशि प्राप्त करने का अधिकार पाएगा और वह उत्तराधिकारियों के लाभों के लिए राशि रखता है। **''डी॰ मोहनवेलू मुदलियार एवं एक अन्य बनाम इंडियन इंश्योरेंस एन्ड बैंकिंग कॉरपोरेशन लि॰, सालेम एवं एक अन्य, AIR 1957 Mad 115,** में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

*^^tgk rd ukekdu dk lcèk g] ge ,d vkj bfXy'k ,o vejhdh fofèk;k vkj nljh vkj tk gekj n'k dh fofèk d chp dkb vfèkd fHkUurk ugh n[kr gA bfXy'k fofèk d vulkj] iku okyk vFkok uke funf'krh èku çkIr dju oky ,tUV l vfèkd dN Hkh ugh g tk èku chekÑr dh lifÙk d :i e vkj mld thoudky d nkjku mld 0;;u ij cuk jgrk g vkj mldh eR; ij link dk Hkkx fufer djrk gA ifj.kkeLo#i] iku okyk vFkok ukefunf'krh ble ykHknk;h fgr ugh yrk gA***

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि की पूर्वोक्त घोषणा अनुमोदित की गयी है। अब, जब सेवा अभिलेख में अपने नाम निर्देशिती के रूप में याची के स्थान में अपनी माता का प्रति स्थापन इप्सित करते हुए मृतक कर्मचारी द्वारा दाखिल आवेदन की विवक्षा का परीक्षण नामांकन के विवाद्यक को शासित करने वाली विधि के संदर्भ में किया जाता है, यह प्रकट हो जाता है कि इसका विधिक परिणाम नहीं था और सेवा अभिलेख में प्रत्यर्थी सं॰ 6 के प्रतिस्थापन के बाद भी याची मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति लाभों के उपर विधित: दावा कर सकती थी।

11. जहाँ तक पारिवारिक पेंशन जो मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति लाभों का भाग निर्मित करता है के उपर मृतक कर्मचारी की माता के दावा का संबंध है, विधि इसकी अनुमति नहीं देती है। पारिवारिक पेंशन का प्रदान विद्यमान नियमों द्वारा शासित होता है और यह स्वीकृत अवस्था है कि मृतक कर्मचारी की माता पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने की हकदार नहीं है। वस्तुत:, मृतक कर्मचारी अपने जीवन काल के दौरान अपनी माता को पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए नाम निर्देशिती के रूप में मनोनीत नहीं कर सकता था। कर्मचारी का पारिवारिक पेंशन के उपर दावा इस कारण से नहीं हो सकता है कि यह केवल कर्मचारी की मृत्यु के बाद प्रोद्भूत होता है और इसलिए वसीयती व्ययन के माध्यम से किसी व्यक्ति को विरासत में दिया भी नहीं जा सकता है। **''जोध सिंह बनाम भारत संघ'', (1980)4 SCC 306,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

*^^tgk ntk vkj ntk ftl dfri; ?kVuk ?kVu ij vFkkr ifr dh eR; ij foèkok cuu ij vftr fd;k tkrk g d dkj.k dfri; ykHk xká g] ,lk i'ku dYiuk d fdlh foLrkj rd dHkh Hkh erd dh link dk Hkkx fufer ugh dj ldrk FkkA ;fn blu erd dh link dk Hkkx fufer ugh fd;k FkkA ;g olh;rh 0;;u dk fo"k;oLr dHkh ugh gk ldrk FkkA***

12. ''श्रीमती वॉयलेट इसाक एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य,'' (1991)1 SCC 725, में जब विधवा ने पारिवारिक पेंशन के प्रदान के लिए आवेदन दिया यद्यपि अपने पति के साथ कटु संबंध के कारण उसके पति ने अपने भाई को सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने के लिए मनोनीत किया था और उसने अपनी समस्त संपत्ति उसको विरासत में देते हुए अपने भाई के पक्ष में वसीयत भी निष्पादित किया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मृतक कर्मचारी का इसके प्रति अभिधान नहीं था और इसलिए उसे वसीयती व्ययन द्वारा अपने भाई को मनोनीत करके इसे व्यनित नहीं करना चाहिए था।

13. याची का मृतक कर्मचारी अर्थात् जय प्रकाश कुमार बेसरा के साथ विवाह स्वयं मृतक कर्मचारी द्वारा उसके नामांकन की दृष्टि में स्वीकार्य होता है। आगे, प्रत्यर्थियों द्वारा किया गया अभिवचन कि स्वयं

मृतक कर्मचारी ने सेवा अभिलेख में नामांकन के परिवर्तन के लिए अपने नियोक्ता को इस सूचना कि उसने याची को तलाक दिया है, के साथ आवेदन दिया था दर्शाता है कि याची मृतक कर्मचारी की विधिवत ब्याहता पत्नी थी। यह प्रश्न कि क्या मृतक कर्मचारी ने याची को तलाक दिया था या नहीं, वह विवाद्यक नहीं है जिसे प्रत्यर्थी मेसर्स इस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा न्याय निर्णीत किया जाना चाहिए था। एक ओर, अभिलेख प्रकट करते हैं कि याची ने टी॰ आर॰ सं॰ 30 वर्ष 2006 के तहत दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 के अधीन कार्यवाही संस्थित किया जिसमें दिनांक 17.3.2006 को उसके पति को उसके भरण-पोषण के लिए 800/- रुपया प्रतिमाह भुगतान करने का निर्देश देते हुए आदेश पारित किया गया था। टी॰ आर॰ सं॰ 30 वर्ष 2006 में पारित आदेश प्रकट करता है कि विद्वान दंडाधिकारी ने प्रथम दृष्टया निष्कर्ष दर्ज किया है कि याची मृतक कर्मचारी की विधिवत् ब्याहता पत्नी है। याची के पति द्वारा उक्त आदेश को चुनौती नहीं दिया गया था। यद्यपि प्रत्यर्थी सं॰ 6 रिट कार्यवाही में उपस्थित हुई, उसने कोई साक्ष्य प्राप्त करना नहीं चुना था जो निश्चयात्मक रूप से टी॰ आर॰ सं॰ 30 वर्ष 2006 में दर्ज प्रथम दृष्टया निष्कर्ष को विस्थापित करेगा।

14. प्रकटत:, विद्वान रिट न्यायालय ने तलाक के अभिकथित दस्तावेज और तलाक के निश्चयात्मक प्रमाण के रूप में मृतक कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर विचार करते हुए याचीगण का दावा अस्वीकार करने में गलती किया। याची ने स्पष्ट रूप से अपने तलाक से इनकार किया है। इसके अतिरिक्त, अपना दावा कि उसके पुत्र ने रुढ़िजन्य विधि के अनुरुप याची को तलाक दिया था, सिद्ध करने के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 6 ने दस्तावेज या पाठ्य प्रस्तुत नहीं किया है।

15. उपर की गयी चर्चा से अनुसरित निष्कर्ष यह है कि दिनांक 2.9.2015 के आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता है। परिणामस्वरुप, वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपील अनुज्ञात किया जाता है। प्रत्यर्थी सं॰ 3 को आठ सप्ताह की अवधि के भीतर याची को मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

एरस्टस एक्का (3322 में)

फुलेश्वर मालाकार (579 में)

cuke

झारखंड राज्य (दोनों में)

Cr. M.P. Nos. 3322 of 2013 with 579 of 2014. Decided on 29th July, 2016.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 419/420/467/468/166/218/34—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988— धाराएँ 8, 9 एवं 13 (2)—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 197—अभियोजन के लिए मंजूरी–पुलिसकर्मियों द्वारा छल एवं उद्दापन का अपराध–दोनों याचीगण पुलिस विभाग में कॉंस्टेबल हैं और उनका नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी आरक्षी अधीक्षक है–याचीगण को अभियोजित करने के पहले मंजूरी आवश्यक नहीं है–याचीगण के विरुद्ध अभिकथन किसी तरीके से उनके पदीय कर्तव्य से संबंधित नहीं हैं–संज्ञान आदेश में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं है–याचिकाएँ खारिज की गयी। (पैराएँ 7 से 9)

निर्णयज विधि.–2009 (4) JLJR 160—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Prabhat Kumar Singh, For the Petitioner; Mr. Shailesh Kumar Singh, For the Vigilance.

आदेश

दिनांक 15.6.2013 के एक ही आदेश से उद्भूत होने वाली दोनों दांडिक विविध याचिकाएँ साथ सुनी जा रही हैं और इसे एक ही आदेश द्वारा निपटायी जा रही है।

2. दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 482 के अधीन इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का अवलंब लेते हुए दोनों याचियों ने विशेष केस सं॰ 3 वर्ष 2013 में विद्वान विशेष न्यायाधीश, निगरानी, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 15.6.2013 के आदेश की वैधता को चुनौती दिया है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन दोनों याचियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 419/420/467/468/166/218/34 के अधीन और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं 8, 9 एवं 13 (2) के अधीन भी दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया गया है।

3. अभियोजन मामला, जो इस मामले में अंतर्ग्रस्त विवाद्यक के समुचित न्याय निर्णयन के लिए प्रासंगिक है, संक्षेप में, यह है कि प्रखंड विकास अधिकारी, रामगढ़ प्रमेश कुशवाहा की प्रेरणा पर पूर्वोक्त मामला इस अभिकथन के साथ संस्थित किया गया था कि दिनांक 11.4.2013 को प्रातः 9 बजे उसने सब डिविजनल अधिकारी, रामगढ़ से टेलीफोन पर सूचना पाया कि पुलिस वर्दी में कुछ व्यक्तियों ने एन॰ एच॰ 33 पर बिजुलिया पुल के निकट ट्रक चालकों को बीच रास्ते में रोक लिया है और उनसे धन उद्दापित कर रहे हैं। उक्त सूचना पाने के बाद वह अपने चालक एवं कृषि प्रभारी अधिकारी, रामगढ़ के साथ बिजुलिया पुल के निकट पहुँचा और सड़क के पूर्व दिशा के निकट खड़ा रजिस्ट्रेशन सं॰ HP 12D 5661 वाला ट्रक पाया और पुलिस के निशान के साथ टाटा सूमो गोल्ड भी वहाँ खड़ा था। जब सूचक टाटा सूमो के निकट पहुँचा, उसने ट्रक को घेरे हुए खाकी पोशाक में कुछ व्यक्तियों को पाया और उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने पाँच व्यक्तियों का नाम बताया और यह भी प्रकट किया कि वे ट्रक पकड़ने के लिए आर॰ टी॰ ओ॰ इंस्पेक्टर के साथ हैं। टाटा सूमो में बैठे चार व्यक्तियों में से पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी पहने व्यक्ति ने अपना नाम कमल किशोर, प्रवर्तन अधिकारी प्रकट किया और अन्य व्यक्ति जो खाकी पोशाक में वाहन में बैठे हुए थे फुलेश्वर मालाकार, एरस्टस एक्का उड़नदस्ता के मोबाइल इंस्पेक्टर के रूप में दोनों याचीगण थे। उक्त ट्रक के चालक ने प्रकट किया कि वह हिमाचल से आ रहा था और अभियुक्तों ने ओवरलोडिंग के आरोप पर ट्रक रोका और 5000/- रुपया मांग रहे थे किंतु मामला 3500/- रुपया पर तय किया गया था। इस बीच, सब-डिविजनल अधिकारी, रामगढ़ भी घटनास्थल पर आए और पुलिसकर्मियों तथा अन्य व्यक्तियों एवं वाहनों की तलाशी पर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, मनी रसीद आदि सहित अनेक वस्तुएँ बरामद की गयी थी। टाटा सूमो से भी कुछ दस्तावेज बरामद किए गए थे। अभियुक्तों के कब्जा से नगद, मोबाइल फोन, ए॰ टी॰ एम॰ कार्ड भी जब्त किए गए थे। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था और अभिग्रहण सूची तैयार की गयी थी।

4. आरक्षी उप-अधीक्षक-सह-अन्वेषण अधिकारी द्वारा आरोप पत्र की प्रस्तुती पर विशेष न्यायाधीश, निगरानी के न्यायालय ने उक्त उपदर्शित साक्ष्यों एवं अभिकथनों से प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर यह दर्ज करने के बाद कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8 एवं 9 में संज्ञान लेने के लिए अभियोजन के

लिए मंजूरी आवश्यक नहीं है, दोनों दांडिक विविध याचिकाओं के याचियों सहित अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया।

5. दोनों याचियों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पी॰ के॰ सिन्हा ने संज्ञान लेने वाले आदेश का विधि में दोषपूर्ण के रूप में विरोध करते हुए गंभीरतापूर्वक प्रतिवाद किया कि याचियों को इस मामले में झूठा आलिप्त किया गया है जो स्वयं प्राथमिकी के परिशीलन मात्र से प्रतीत होगा कि याचियों को टाटा सूमो वाहन में बैठा पाया गया था, अत: उनके द्वारा अपराध नहीं किया गया था और कि याचीगण घटना की अभिकथित तिथि पर उड़नदस्ता में मोबाइल कॉंस्टेबल के रूप में पदस्थापित थे, अत: संहिता की धारा 197 के अधीन उनको संरक्षण उपलब्ध है और चूँकि राज्य सरकार की मंजूरी प्राप्त किए बिना संज्ञान लिया गया है, संज्ञान लेने वाला आक्षेपित आदेश अवैध है और विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि लोक सेवक के सफल अभियोजन के लिए मंजूरी पुरोभाव्य शर्त है जब प्रावधान आकृष्ट होता है और यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि दोनों याचीगण वाहनों के चालक अथवा स्वामी से अवैध धन संग्रहित करने अथवा धन उद्दापित करने में अंतर्ग्रस्त थे।

6. दूसरी ओर, निगरानी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेष ने निवेदन किया कि संहिता की धारा 197 वर्तमान मामले पर प्रयोज्य नहीं है क्योंकि याचीगण पुलिस दल के सदस्य थे जो वाहन के चालक एवं स्वामी से धन उद्दापित कर रहे थे जो याचियों के पदीय कर्तव्य का भाग नहीं है और उक्त प्रावधान के अधीन संरक्षण उन लोक सेवकों को दिया गया है जो अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कृत्य करते हुए अथवा कृत्य करने का तात्पर्य रखते हुए सरकार की मंजूरी के बिना अपने पद से हटाए जाने योग्य नहीं है।

7. विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर विचार करने के पहले, विवाद्यक के समुचित न्याय निर्णयन के लिए संहिता की धारा 197 की उपधारा 1 का निर्देश आवश्यक है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> *^^tc fdlh 0;fDr ij] tk U;k;kèkh'k ;k eftLVV ;k ,lk ykd lod g ;k Fkk ftl ljdkj }kjk ;k mldh etjh lgh mld in lgVk;k tk ldrk g@Fkk vU;Fkk ugh] fdlh ,l vijkèk dk vfHk;kx g ftld ckj e ;g vfHkdfFkr g fd og mld }kjk rc fd;k x;k Fkk tc og viu inh; dr0; d fuogu e dk; dj jgk Fkk tc mldk ,lk dk; djuk rkRif;r Fkk] rc dkb Hkh U;k;ky; ,l vijkèk dk lKku&*
>
> *(a) ,l 0;fDr dh n'kk e] tk l?k d dk;dyki d lcèk e] ;FkkfLFkfr] fu;kftr g ;k vfHkdfFkr vijkèk fd, tku d le; fu;kftr Fkk] dUnh; ljdkj dh(*
>
> *(b) ,l 0;fDr dh n'kk e] tk fdlh jkT; d dk;dyki d lcèk e] ;FkkfLFkfr] fu;kftr g ;k vfHkdfFkr vijkèk fd, tku d le; fu;kftr Fkk] ml jkT; ljdkj dh] io etjh lgh djxk] vU;Fkk ugh(***

पूर्वोक्त प्रावधान के कोरे परिशीलन से यह स्पष्ट होगा कि सरकार की मंजूरी केवल उन लोक सेवकों को अभियोजित करने के लिए आवश्यक है जो केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के आदेश द्वारा सेवा से हटाए जाने योग्य है। अत: लोक सेवक जो केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा हटाए जाने योग्य है और दूसरी ओर, लोकसेवक जो लोक सेवक को हटाने के लिए सशक्त न्यूनतर प्राधिकारी द्वारा

हटाए जाने योग्य है के बीच सुभिन्नता की स्पष्ट पंक्ति है और जब राज्य सरकार से कोई अनुमोदन लिए बिना अपने उच्चतर प्राधिकारी के आदेश द्वारा कर्मचारी हटाए जाने योग्य है, उन मामलों में उस कर्मचारी को अभियोजित करने के लिए मंजूरी आवश्यक नहीं है। स्पष्टत: दोनों याचीगण पुलिस विभाग में कॉंस्टेबल हैं और उनकी नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी जिला का आरक्षी अधीक्षक है, अत: याचियों को अभियोजित करने के पहले मंजूरी आवश्यक नहीं है।

8. प्रकटत:, याचीगण के विरुद्ध किए गए अभिकथन किसी रूप में उनके पदीय कर्तव्य से संबंधित नहीं है क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता है कि इसे अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किया गया था। **बिरेन्दर प्रसाद सिंह एवं एक अन्य बनाम झारखंड राज्य,** 2009 (4) JLJR 160, में इस न्यायालय ने उस मामले के याची की मंजूरी के प्रश्न पर विचार करते हुए, जो पुलिस सब-इंस्पेक्टर था, अभिनिर्धारित किया कि पुलिस सब-इंस्पेक्टर को अभियोजित करने के लिए संहिता की धारा 197 के अधीन मंजूरी आवश्यक नहीं है। पुलिस निर्देशिका का नियम 825 उपनियम (C) एवं परिशिष्ट 84 स्पष्टत: पुलिस उपमहानिरीक्षक को पुलिस सब-इंस्पेक्टर पर दंड अधिरोपित करने के लिए स्पष्टत: सशक्त बनाता है और पुलिस सब इंस्पेक्टर आरक्षी उपमहानिरीक्षक के आदेश द्वारा सेवा से हटाए जाने योग्य था और राज्य सरकार का अनुमोदन आवश्यक नहीं था। इस आरंभिक चरण पर संज्ञान के आदेश में हस्तक्षेप करने का आधार प्रतीत नहीं होता है किंतु याचीगण अवर न्यायालय में समुचित चरण पर समस्त प्रश्नों को उठाने के लिए स्वतंत्र हैं।

9. उपर की गयी चर्चा की दृष्टि में, मैं दोनों दांडिक विविध याचिकाओं में गुणागुण नहीं पाता हूँ। दोनों दांडिक विविध याचिकाएँ गुणागुणरहित होने के कारण एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

---

ekuuh; jRukdj Hkxjk] U;k;efr

राजेन्द्र प्रसाद

cuke

झारखंड राज्य

Cr. App. No. 628 of 2003. Decided on 8th July, 2016.

सत्र विचारण सं॰ 242 वर्ष 1999 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सरायकेला द्वारा पारित दिनांक 10.4.2003 के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 323 एवं 354—घोर उपहति एवं स्त्री की लज्जा भंग करने का प्रयास—दोषसिद्धि एवं दंडादेश—अभियुक्त अपीलार्थी सूचक का छोटा देवर है—पीड़िता (सूचक) घटनाओं का विश्वसनीय विवरण प्रस्तुत करती है और वह अविश्वसनीय नहीं है—भारतीय समाज में, स्त्रियाँ अपनी प्रतिष्ठा एवं लज्जा लोक उपभोग के लिए दाँव पर नहीं लगाएँगी—अभियोजन मामला चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट किया गया—मामला दर्ज करने में वास्तविक विलंब नहीं हुआ है—ऐसे अपराध प्राय: गवाहों की अनुपस्थिति में किए जाते हैं और चश्मदीद गवाह नहीं हो सकता है—परिस्थितियों की श्रृंखला की दृष्टि में अपीलार्थी का दोष निष्कर्षित होता है—दोषसिद्धि पोषित की गयी—लगभग 18 वर्ष बीत जाने की दृष्टि में दंडादेश घटाया गया और 5000/- रुपयों का जुर्माना अक्षुण्ण छोड़ा गया। (पैराएँ 11, 12 एवं 13)

निर्णयज विधि.–(1995)6 SCC 194—Relied; (2004)4 SCC 379—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Navnit Sahay, For the Appellant; Mr. Arun Kumar Pandey, For the State.

न्यायालय द्वारा.–यह दांडिक अपील सत्र विचारण सं॰ 242 वर्ष 1999 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सरायकेला द्वारा पारित दिनांक 10.4.2003 के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 354 एवं 323 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अधीन छह माह का सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अधीन एक वर्ष का सामान्य कारावास भुगतने और 5000/- रुपयों के जुर्माना और जुर्माना के व्यतिक्रम में 15 दिनों का सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। किंतु, दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का निर्देश दिया गया है।

2. सूचक नीलू देवी के लिखित रिपोर्ट के मुताबिक अभियोजन मामला यह है कि दिनांक 11.8.1998 (मंगलवार) को उसका पति संतोष प्रसाद वर्मा काम पर गया था और वह घर में अकेली थी। अपराह्न लगभग 8 बजे उसका छोटा देवर राजेन्द्र प्रसाद, पुत्र स्व॰ सरजू प्रसाद (वर्तमान अपीलार्थी) घर में घुसा और उसे छेड़ा और उसका बलात्कार करने का प्रयास किया। उसने उसका विरोध किया जिस पर उसने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसकी गर्दन दबाने लगा जिस कारण उसे चोट आयी थी। उसने मदद के लिए शोर किया। उसके शोर करने पर उसका पड़ोसी दातू मांझी आया जिस पर राजेन्द्र प्रसाद ने उसे छोड़ दिया और भाग गया। तब उसने अन्य व्यक्तियों जो उसके पड़ोसी थे को घटना के बारे में बताया। जब उसका पति आया, उसने उसको भी संपूर्ण घटना बताया। चूँकि रात हो गयी थी, वह पुलिस थाना नहीं गयी थी।

3. तत्पश्चात्, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341/323/376/511 के अधीन सरायकेला पी॰ एस॰ केस सं॰ 78/1998, जी॰ आर॰ सं॰ 492/1998 के तत्सम, के रूप में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने अन्वेषण के बाद आरोप-पत्र दाखिल किया, तद्नुसार, संज्ञान लिया गया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था और सत्र विचारण सं॰ 242 वर्ष 1999 के रूप में दर्ज किया गया था। अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376/511 एवं 323 के अधीन आरोप विरचित किया गया था और उसका विचारण किया गया था।

4. अभियोजन ने अपना मामला सिद्ध करने के लिए कुल छह गवाहों का परीक्षण किया है और विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं दस्तावेजों पर विश्वास करके अपीलार्थी को दोषी अभिनिर्धारित किया और पूर्वोक्तानुसार दंडादेश दिया। अतः, यह अपील की गयी है।

5. अ॰ सा॰ 4 नीलू देवी सूचक है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना दिनांक 11.8.1998 (मंगलवार) की अपराह्न 7.30-8 बजे के बीच की है। उस समय, वह अपने घर में अकेली थी और उसका पति काम पर गया था। उस समय, उसका छोटा देवर राजेन्द्र प्रसाद घर में आया और उससे बात करने लगा। तब वह उसे छेड़ने लगा, उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचा। जब उसने जाने से इनकार किया, तब उसने उसका गर्दन पकड़ लिया और उसको जमीन पर गिरा दिया और उसके पैरों को भी पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। जब उसने शोर किया, अभियुक्त ने उसको छोड़ दिया और भाग गया। वह बाहर आयी और दातू मांझी को घटना के बारे में बताया। उसका पति रात्रि 9.30 बजे आया और उसने उसको घटना के बारे में बताया। रात में वे पुलिस थाना नहीं गए थे। अगले दिन वे पुलिस थाना गए। उसके कहने पर पति ने रिपोर्ट लिखा जिसे उसे पढ़कर सुनाया गया था। इसे सही पाने पर, उसने इस पर अपना हस्ताक्षर

किया। उसका हस्ताक्षर प्रदर्श 1/1 के रूप में चिन्हित किया गया है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि पुलिस ने उसे इलाज के लिए डॉक्टर के पास भेजा और डॉक्टर ने उसका इलाज किया। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि सरायकेला सरकारी अस्पताल में उसका इलाज किया गया था। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त न्यायालय में था और उसने उसको पहचाना था। प्रति परीक्षण में, उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि उसके पति के कुल पाँच भाई हैं। सभी भाई अलग रहते हैं। उसकी सास जीवित है। घटना के समय पर उसकी सास उनके साथ रह रही थी। वर्तमान में, वह अभियुक्त के साथ रह रही है। क्योंकि उसकी सास उसके साथ रह रही थी, अभियुक्त ने उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था। घटना के बाद, अभियुक्त से वार्तालाप हुआ है। अभी भी संबंध अच्छे हैं। कोई समस्या नहीं होती थी। अब उसकी पत्नी एवं संतानें घर नहीं आते हैं। अभियुक्त उसके घर आया करता था किंतु वह घर में प्रवेश नहीं करता है। वह घर के बाहर से ही बात करता है। वह आता है और उसकी संतानों से बात करता है। घटना के बाद, उसका और उसके पति का अभियुक्त के साथ वार्तालाप नहीं है। घटना के दौरान अभियुक्त गाँव में कहीं रहता था बल्कि उषा मोड़ पर रहता था। घटना के दौरान उसकी सास नहीं थी। वह पड़ोस में कहीं गयी थी किंतु तुरन्त वापस लौटी थी। जब उसकी सास आयी, उसने उसको तुरन्त घटना के बारे में बताया। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना के दौरान राजेन्द्र प्रसाद लगभग 20 मिनट के लिए घर में था। इन 20 मिनटों में अभियुक्त के अलावा उसके साथ कमरा में कोई और नहीं था। उस समय, दिया जल रहा था। घटना कमरा के बाहर अर्थात् खुले आंगन में हुई। जब वह बैठी थी, अभियुक्त ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचा। आंगन में, रोशनी नहीं थी। अभियुक्त ने उसे 8-10 हाथ खींचा। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि वह उसे खींच रहा था जब वह उसका प्रतिरोध कर रही थी। वह उसके साथ मजाक कर रहा था और उसको अभद्र बातें बोल रहा था। उसने कहा घर के अंदर चलो। जब वह प्रतिरोध कर रही थी, उसने चोट नहीं पाया था। जब उसने शोर किया, राजेन्द्र उसे पीटने लगा। वह उसकी गर्दन दबा रहा था और वह जमीन पर गिर गयी। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि जब वह उसकी गर्दन दबा रहा था, वह शोर नहीं कर सकी थी। गर्दन दबाने के बाद, उसने उसे फेंक दिया और भाग गया। कितने समय बाद वह भागा, वह नहीं कह सकती थी। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना के दौरान उसकी साड़ी नहीं फटी थी। वह चूड़ी पहने थी और उसकी चूड़ी टूट गयी थी और कि उसे गर्दन पर उपहति आयी और वहाँ सूजन था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि उसे बाएँ जांघ पर भी उपहति आयी और वहाँ सूजन था लेकिन खून नहीं बह रहा था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त घर के अंदर गया और लेट गया। वह 10-15 मिनट तक लेटा रहा। जब वह घर में लेटा था, उसने शोर किया, अभियुक्त दातू मांझी के आने के पहले भाग गया। अभियुक्त के जाने के बाद उसका पति आया। जब अभियुक्त घर में लेटा हुआ था, उसकी सास भी आयी थी। उस समय, वह घर के अंदर नहीं थी। भय के कारण, वह बाहर थी। वह उसकी सास से बात कर रहा था। तब वह टियो गयी जहाँ उसके पति का बड़ा भाई रहता है और उसकी पत्नी को घटना के बारे में बताया। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि टियो उसके घर से लगभग 16-17 कि॰ मी॰ दूर है और वह 407 वाहन में गयी थी और वहाँ जाने में लगभग 40-45 मिनट लगता है। वह रात्रि 9-9.15 बजे लौटी। तब तक उसका पति नहीं लौटा था। घटना के बारे में उसने अपने पति, अपनी जेठानी और गाँव के कुछ लोगों को बताया था।

6. अ॰ सा॰ 1 संतोष प्रसाद वर्मा है। वह सूचक का पति है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना दिनांक 11.8.1998 की है और उस दिन पर वह काम पर गया था और रात्रि 9.30 बजे लौटा था। उसने

अभिसाक्ष्य दिया है कि उसकी पत्नी ने उसको सूचित किया कि राजेन्द्र प्रसाद उसकी अनुपस्थिति में आया था, घर में घुसा था और अभद्र कृत्य किया था और आगे अभद्र कृत्य करने के लिए उसने उसकी पत्नी को जमीन पर गिरा दिया और जब उसकी पत्नी ने उसका विरोध किया, तब उसने उसका गर्दन दबाया था और जमीन पर उसको खींचा था। चूँकि उसकी पत्नी ने उसका विरोध किया और शोर किया, वह भाग गया। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि वह रात में पुलिस थाना नहीं गया था किंतु अगले दिन वह अपनी पत्नी की प्रेरणा पर पुलिस थाना गया था। उसने घटना के बारे में लिखा था। उसने लिखित रिपोर्ट पहचाना है जो उसने कहा कि उसके लेखन में है। उसने इसे अपनी पत्नी को पढ़कर सुनाया था और तब उसकी पत्नी ने इस पर हस्ताक्षर किया। उसने लिखित रिपोर्ट प्रदर्श 1 के रूप में सिद्ध किया है। उसने यह अभिसाक्ष्य भी दिया है कि पुलिस ने उसको इस पर लेखन के साथ कागज दिया और अपनी पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने का अनुदेश दिया और तद्नुसार, वह अपनी पत्नी को सरायकेला सरकारी अस्पताल ले गया जहाँ उसकी पत्नी का इलाज किया गया था। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि वह अभियुक्त को पहचानने में सक्षम होगा।

7. अ॰ सा॰ 5 डॉ॰ विभा शरण हैं। उन्होंने सूचक का परीक्षण किया है। उन्होंने कथन किया है कि उन्होंने सूचक पर दो उपहतियाँ पायी थी: (i) गर्दन के दोनों भाग पर 1/2" x 1/4" का सूजन एवं खरोंच और (ii) बायीं जाँघ के पिछले भाग पर सूजन। डॉक्टर ने अपना उपहति रिपोर्ट प्रदर्श 2 सिद्ध किया है।

8. अ॰ सा॰ 6 आई॰ ओ॰ है तथा उसने तत्कालीन प्रभारी पदाधिकारी, पी॰ एस॰ सरायकेला के हस्तलेखन में वर्तमान पी॰ एस॰ मामले के दर्जकरण का पृष्ठांकन प्रदर्श 3 सिद्ध किया है। उसने औपचारिक प्राथमिकी प्रदर्श 4 सिद्ध किया है। आई॰ ओ॰ ने पैरा 2 के तहत कथन किया है कि उसने अ॰ सा॰ 4 के शरीर पर उपहति का दृष्टव्य निशान देखा था और उसने तलब पत्र जो प्रदर्श 5 है के तहत चिकित्सीय परीक्षण के लिए महिला को भेजा था और प्रदर्श 2 अ॰ सा॰ 5 डॉक्टर द्वारा महिला की उपहति की चिकित्सीय रिपोर्ट है। आई॰ ओ॰ ने आगे पैरा 3 के तहत घटनास्थल अ॰ सा॰ 1 के घर के आंगन के रूप में संपुष्ट किया है। जैसा पहले कथन किया गया है, अ॰ सा॰ 4 पीड़िता महिला ने स्वयं पैरा 12 के तहत कथन किया है कि घटना घर के आंगन में हुई थी। इस प्रकार, यह पाया गया है कि महिला द्वारा यथा कथित संपूर्ण अभियोजन मामला उसके संगत अनधिक्षेपणीय साक्ष्य द्वारा अच्छी तरह सिद्ध एवं संपुष्ट होता है।

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 का पठन किया है और अवयवों को इंगित किया है कि दांडिक बल होना होगा; लज्जा भंग करने का आशय होना होगा; छेड़ी गयी महिला होनी होगी किंतु प्रश्न बना रहता है कि क्या संबंधित महिला की लज्जा वास्तविक रूप से भंग की गयी थी। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि भारतीय दंड संहिता 'लज्जा' परिभाषित नहीं करती है किंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **''रुपन देवल बजाज (श्रीमती) एवं एक अन्य बनाम कुँवर पाल सिंह गिल एवं एक अन्य, (1995)6 Supreme Court Cases 194,** में 'लज्जा' वर्णित किया है। पैरा 14 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:–

> *"14. pfd Hkkjrh; nM lfgrk e 'kCn ^yTtk* ifjHkkf"kr ugh fd;k x;k g] ge ykHknk;h :i l bld 'kCndk"kh; vFk ij fopkj dj ldr gA 'kkVj vkDlQkM bxfy'k fMD'kujh (rrh; lLdj.k) d vulkj] yTtk yTtk'khy gku dk x.k g vkj L=h d lcèk e bldk vFk g% ^^fL=;kfpr 0;ogkj dk vkfpR;(fopkj] ok.kh ,o vkpj.k dh bekunkj ifo=rk**A mDr 'kCndk"k e] L=h d lcèk e 'kCn ^yTtk* dk pky&pyu ,o vkpj.k e f'k"Vrk] cvnc vFkok dked ugh yTtk'khy d :i e ifjHkkf"kr fd;k x;k gA oC lVj dh vxth Hkk"kk dh rrh; u;h vrjk"Vh; 'kCndk"k yTtk ^^?kfV;kiu] vf'k"Vrk vFkok èk"Vrk l Lor=rk(ik'kkd] ok.kh vFkok vkpj.k e vkfpR;rk d çfr lEeku** d :i e ifjHkkf"kr djrk gA vkDlQkM bxfy'k*

fMD'kujh (1933 dk lLdj.k) e 'kCn ^yTtk dk vFk 0;ogkj dh fL=;kfpr vkfpR;((i#"k ,o L=h e) fopkj] ok.kh ,o vkpj.k dh bekunkj ifo=rk(vifo= vFkok ?kfV;k l>kok d çfr lgt ofr l vxlj gku okyk yTtk ckèk** d :i e fn;k x;k gA***

विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि यौन संभोग के लिए सुझाव नहीं दिया गया था और न ही गंदा मजाक किया गया था क्योंकि बिल्कुल ऐसा सुझाव अथवा मजाक उल्लिखित नहीं किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन भी किया है कि पक्षों के बीच भूमि विवाद था, अत:, यह अभिकथन किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि घटना का चश्मदीद गवाह नहीं था, अत: यह संदेहपूर्ण है कि यथा अभिकथित इस प्रकार की कोई चीज वस्तुत: हुई थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि व्यक्ति जो विश्वसनीय गवाह हो सकते थे, पक्षद्रोही हो गए हैं और अ॰ सा॰ 2 नूना राम महतो तथा अ॰ सा॰ 3 राजेश कुमार को निर्दिष्ट किया जो दोनों पक्षद्रोही गवाह हैं। विद्वान अधिवक्ता ने लज्जा के अवयवों को इंगित करने के लिए **अमन कुमार एवं एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य, (2004) 4 Supreme Court Cases 379,** पैरा 13 से भी पठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया:–

*"13........bl èkkjk e yTtk ,d ox d :i e fL=;k d lkFk tMh ,d [kch gA ;g ,d lnx.k g tk mld fyx d dkj.k L=h l lc) gkrk gA ;ku lHkkx d vujkèk d lkFk L=h dk [khpu] mldk fuoL= dju dk ÑR; ,lk g tk L=h dh yTtk Hkx djxk] vkj ;g tkudkjh] fd yTtk Hkx gku dh lHkkouk g] doy bl mí'; d fy, ,l Hkx oky tkuc>dj fdlh vk'k; d fcuk vijkèk xfBr dju d fy, i;kIr gA tlk mij minf'kr fd;k x;k g] 'kCn ^^yTtk** HkkO nO lO e ifjHkkf"kr ugh fd;k x;k gA 'kkVj vkDlQkM fMD'kujh (rrh; lLdj.k) L=h d lcèk e 'kCn ^^yTtk** dk fuEufyf[kr :i l ifjHkkf"kr djrk g%*

*^^pky&pyu ,o vkpj.k e 'kkHkuh;(cvnc vFkok yiV ugh(yTtk'khy] bekunkjh l ifo=A***

विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन भी किया है कि पीड़िता ने अभिकथित किया है कि उसकी लज्जा भंग करने के बाद अभियुक्त घर के अंदर गया और 10-15 मिनट पड़ा रहा जो सामान्य आचरण नहीं है क्योंकि उसे भागना चाहिए था लेकिन वह आराम करने घर के अंदर चला गया। पीड़िता ने आगे कथन किया है कि उसकी सास आयी और वह अभियुक्त से बात कर रही थी, जब वह घर के बाहर थी जो भी उपदर्शित करेगा कि इस प्रकार का कुछ भी नहीं हुआ था जैसा उसके द्वारा अभिकथित किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि तथाकथित पीड़िता ने कथन किया है कि वह टियो गयी जो लगभग 16-17 कि॰ मी॰ की दूरी पर है जहाँ उसने अपने पति के बड़े भाई की पत्नी को घटना के बारे में बताया और उसने कथन किया है कि वहाँ जाने में लगभग 45 मिनट लगता है। अत: आने–जाने में डेढ़ घंटा लगा होगा और उस समय रात थी और पति ने बाद में स्वयं कहा कि चूँकि रात हो गयी थी, वे पुलिस थाना नहीं गए थे। अत: यह संभव नहीं है कि उसने रात में ऐसी मानसिक दशा में इतनी दूरी यात्रा किया और वापस आयी और अपने पति को घटना के बारे में बताया। अत: ये समस्त अधिसंभाव्यत: भूमि विवाद के कारण मनगढ़ंत है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि साड़ी भी फटी नहीं थी जो फटी होती यदि अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई प्रयास किया गया था। अत: अंत में विद्वान अधिवक्ता ने पुन: निवेदन किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अधीन अपराध नहीं बनता है। अधिकाधिक, भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अधीन अपराध बन सकता है जिसके लिए उसने विचारण की लंबी अवधि के दौरान काफी कुछ सहा है।

10. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 354 एवं 350 का पठन किया है और निवेदन किया है कि धारा 354 के समस्त अवयव पूरे किए गए थे। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने आगे निवेदन किया है कि इस प्रकार के अपराध का कोई गवाह नहीं होता है और यह स्त्री के निजता एवं शरीर के विरुद्ध है। पीड़िता का अभिसाक्ष्य अथवा साक्ष्य काफी वजन रखता है। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने आगे निवेदन किया है कि इस मामले में पीड़िता अपने साक्ष्य में संगत है जिसका कथन उसने लिखित रिपोर्ट में किया है और अपने अभिसाक्ष्य में दोहराया है। अत: उसने अपने आरंभिक मामले का समर्थन किया है और अपने साक्ष्य में भी स्पष्ट किया है कि वस्तुत: हुआ क्या था। लिखित रिपोर्ट में उसने कथन किया है कि उसे छेड़ा जा रहा था और बलात्कार का प्रयास भी किया गया था और कि अभियुक्त ने उसका हाथ पकड़ा था, उसकी गर्दन दबाया था और जमीन पर खींचा था। अपने साक्ष्य में भी उसने कथन किया है कि उसे छेड़ा गया था और बलात्कार का प्रयास किया गया था और अभियुक्त ने उसका हाथ पकड़ा था, उसका गर्दन दबाया था और जमीन पर भी उसको खींचा था। इस प्रकार, वह स्वयं पर प्रहार के मुख्य पहलू के बारे में संगत है। उसने आगे स्पष्ट किया है कि अभियुक्त उसके साथ अभद्र मजाक कर रहा था और अभद्र प्रस्ताव दे रहा था। उसने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा 13 में अपने गर्दन पर उपहतियों के बारे में कथन किया है और वहाँ सूजन था और उसने अपनी जाँघ के पृष्ठ भाग पर उपहतियों के बारे में भी कथन किया है और इसे डॉक्टर द्वारा अपने साक्ष्य अथवा उपहति रिपोर्ट में संपुष्ट किया गया है। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने आगे आग्रह किया है कि जाँघ के पृष्ठ भाग पर उपहति सुझाती है कि छेड़ा गया था। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने आगे निवेदन किया है कि स्त्री पर प्रहार किया गया था जो दांडिक बल के तुल्य होगा। पीड़िता के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उसकी लज्जा भंग करने के आशय से अथवा इस जानकारी के साथ कि यह उसकी लज्जा भंग करेगा, प्रहार किया गया था। अत:, समस्त अवयवों को पूरा किया गया है और इसलिए, अपीलार्थी अभियुक्त के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश को मान्य ठहराने की आवश्यकता है।

11. मैंने मामले के अभिलेखों का परिशीलन किया है और दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना है और उनके आधार पर सर्वप्रथम यह देखा जाता है कि पीड़िता अ॰ सा॰ 4 जो सूचक है घटनाओं का विश्वसनीय विवरण प्रस्तुत करती है और अविश्वसनीय नहीं है। भारतीय समाज में, स्त्रियाँ लोक उपभोग के लिए अपनी प्रतिष्ठा एवं लज्जा दाँव पर नहीं लगाएँगी, खास कर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली स्त्रियाँ। पीड़िता सूचक ने अभिकथन किया है कि जब वह उस रात घर में अकेली थी, उसका छोटा देवर आया, उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ छेड़खानी भी किया। इस प्रयास में, उसकी गर्दन पकड़ी गयी थी और जमीन पर घसीटा गया था जिसके परिणामस्वरुप उसके गर्दन के दोनों भागों पर एवं जाँघ पर उपहति आयी। डॉक्टर जिन्होंने अगले दिन उसका परीक्षण आई॰ ओ॰ की प्रेरणा पर किया ने इन उपहतियों को ध्यान में लिया था अर्थात् (i) गर्दन के दोनों ओर 1/2" x 1/4" का खरोंच एवं सूजन और (ii) बाएँ जांघ के पिछले भाग पर सूजन। ये उपहतियाँ जो उसने कथन किया है उसके साथ संगत हैं और डॉक्टर ने इन उपहतियों को संपुष्ट किया है। यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने अपना आशय परिपूर्ण करने के लिए काफी बल लगाया था। उसने अपने पति को घटना के बारे में बताया और चूँकि देर रात हो गयी थी, वह अगले दिन उसे पुलिस थाना ले गया। अत: वास्तविक विलंब नहीं हुआ है, जैसा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बनाया जाना इप्सित किया गया है, क्योंकि अगले दिन ही रिपोर्ट किया गया था और डॉक्टर ने भी कहा है कि उपहतियाँ 24 घंटे से अधिक पुरानी नहीं हैं। पति ने लिखित रिपोर्ट तथा अपनी पत्नी का हस्ताक्षर सिद्ध किया है। आई॰ ओ॰ ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने पीड़िता के शरीर

पर उपहति देखा है और तद्नुसार, महिला को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा था। उपहतियाँ, जिसे डॉक्टर ने बाद में संपुष्ट किया, उपदर्शित करती हैं कि अपीलार्थी द्वारा प्रकटत: कुछ दांडिक बल का उपयोग किया गया था। आई॰ ओ॰ ने आगे घटनास्थल का परीक्षण किया है जो आंगन है जैसा अ॰ सा॰ 4 द्वारा भी कहा गया है। अत: आंगन का अस्तित्व भी सिद्ध किया गया है। दिया गया तर्क कि अपीलार्थी 15-20 मिनट रुका रहा और आराम किया, अविश्वसनीय नहीं है क्योंकि अगर व्यक्ति के पास लड़की/स्त्री की लज्जा भंग करने की मंशा तथा ईच्छा है, तब स्वयं घर में थोड़ी देर और रुकना उसके लिए संभव हो सकता है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया तर्क कि घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है, अस्वीकार्य है क्योंकि अपराध विशेषत: जघन्य प्रकृति के अपराध अथवा स्त्री के शरीर के विरुद्ध अपराध, प्राय: गवाहों की अनुपस्थिति में किया जाता है। भद्दे मजाक और अभद्र आचरण या प्रस्ताव के बारे में सामान्य अभिकथन का उत्तर इस तथ्य द्वारा दिया जाता है और कि ऐसे मामलों में प्राय: छेड़छाड़ का विवरण नहीं दिया जाता है, अत:, शरीर पर पायी गयी उपहतियों के साथ स्त्री अथवा पीड़िता का अभिकथन, मामला तुरन्त अगले दिन रिपोर्ट किया जाना, आई॰ ओ॰ द्वारा उपहति का समर्थन, डॉक्टर द्वारा उपहतियों की संपुष्टि और परिस्थितियों की श्रृंखला अपीलार्थी का दोष सिद्ध करता है।

12. तद्नुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 323 तथा 354 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि मान्य ठहरायी जाती है। किंतु, यह विचार करते हुए कि मामला वर्ष 1998 का है जब घटना हुई थी अर्थात् लगभग 18 वर्ष पहले और चूँकि अपीलार्थी ने संघर्षों, कठिनाइयों एवं विचारण की कठोरता का सामना किया होगा और कि वह लंबे समय से अभिरक्षा में नहीं है, और इन समस्त परिस्थितियों को विचार में लेते हुए अपीलार्थी का दंडादेश भुगत ली गयी अवधि के बिना तीन माह के सामान्य कारावास तक घटाया जाता है। पाँच हजार रुपयों का जुर्माना बना हुआ है जिसके व्यतिक्रम में उसे 15 दिनों का सामान्य कारावास भुगतने का आगे निर्देश दिया गया है। दोष सिद्ध करने वाले/उत्तरवर्ती न्यायालय को अपीलार्थी की गिरफ्तारी के लिए आदेशिका जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

13. तद्नुसार, दंडादेश में उक्त उपांतरण के साथ यह अपील खारिज की जाती है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

जे॰ के॰ सर्फेस कोटिंग्स प्रा॰ लि॰ कंपनी

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. M.P. No. 2588 of 2015. Decided on 13th July, 2016.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 305—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948—धारा 22 (A)—प्रतिनिधित्व का अधिकार–कंपनी को अपने विरुद्ध आरंभ की गयी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व किए जाने का अधिकार है–दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 305 के अधीन अपने प्रतिनिधि को मनोनीत करने के कंपनी के विशेषाधिकार का अर्थ विचारण न्यायालय द्वारा समुचित रूप से नहीं लगाया गया है–आक्षेपित आदेश अभिखंडित किया गया और मामला नए आदेश के लिए विचारण न्यायालय को वापस भेजा गया। (पैराएँ 7 से 9)

निर्णयज विधि.–1986 PLJR 270; 1996 (1) East Cr.C. 333 (Pat.)—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Pratiush Lala, For the Petitioner; None, For the O.P. No. 2.

आदेश

याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए। नोटिस के वैध तामीले के बावजूद विरोधी पक्षकार सं॰ 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ था।

2. यह आवेदन जी॰ केस॰ सं॰ 70 वर्ष 2014 के संबंध में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 5.8.2015 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन याची द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 305 के अधीन दाखिल आवेदन अस्वीकार किया गया है।

3. विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा इस अभिकथन पर परिवाद दर्ज किया गया था कि मजदूरी की न्यूनतम दर के संबंध में कतिपय अनियमितताएँ पायी गयी थी जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 22 (A) के अधीन कार्यवाही आरंभ किए जाने की ओर ले गया।

4. विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, हजारीबाग द्वारा दिनांक 30.5.2014 के आदेश के तहत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 22 (A) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त अजय सागर के विरुद्ध संज्ञान लिया गया था।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि कंपनी के प्रतिनिधि को नामित करने का विशेषाधिकार परिवादी को नहीं है यदि कंपनी को अभियुक्त बनाया जाता है क्योंकि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 305 के निबंधनानुसार, अभियोजित किए जाने के लिए कंपनी को अपना प्रतिनिधि मनोनीत करने की स्वतंत्रता है। यह निवेदन किया गया है कि अजय सागर जिसका नाम परिवाद याचिका में आता है कंपनी का निदेशक है और वस्तुतः कंपनी ने किसी अमिताभ सेन को अपने प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया था किंतु दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 305 के विषय वस्तु एवं तात्पर्य पर विचार किए बिना ऐसा आवेदन विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 5.8.2015 के आदेश के तहत अस्वीकार कर दिया गया है। अधिवक्ता ने अपने प्रतिवाद के समर्थन में **इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी बनाम बिहार राज्य एवं एक अन्य,** 1986 PLJR 270 तथा **ए॰ के॰ दास एवं एक अन्य बनाम बिहार राज्य एवं एक अन्य, 1996 (1) East Cr. C. 333 (Pat) (RB)** मामलों में पारित निर्णयों को निर्दिष्ट किया है।

6. दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 305 का पठन निम्नलिखित है:–

*305. **çfØ;k] tc fuxe ;k jftLVhÑr lkslkbVh vfHk;Dr g-**&(1) bl èkkjk e] ^^fuxe** l dkb fuxfer dEiuh ;k vU; fuxfer fudk; vfHkçr g] vkj bld vrxr lkslkbVh jftLVhdj.k vfèkfu;e] 1860 (1860 dk 21) d vèkhu jftLVhÑr lkslkbVh Hkh gA*

(2) tgk dkb fuxe fdlh tkp ;k fopkj.k e vfHk;Dr 0;fDr ;k vfHk;Dr 0;fDr;k e l ,d g og ,lh tkp ;k fopkj.k d ç;ktukFk ,d çfrfufèk fu;Dr dj ldrk g vkj ,lh fu;fDr fuxe dh enk d vèkhu djuk vko';d ugh gkxkA

(3) tgk fuxe dk dkb çfrfufèk gkftj gkrk g] ogk bl lfgrk dh bl vi{kk dk fd dkb ckr vfHk;Dr dh gkftjh e dh tk,xh ;k vfHk;Dr dk i<dj lukb tk,xh ;k crkb ;k le>kb tk,xh] bl vi{kk d :i e vFk yxk;k tk,xk fd og ckr çfrfufèk dh gkftjh e dh tk,xh] çfrfufèk dk i<dj lukb tk,xh ;k le>k;h tk,xh vkj fdlh ,lh vi{kk dk fd vfHk;Dr dh ijh{kk dh tk,xh] bl mi{kk d :i e vFk yxk;k tk,xk fd çfrfufèk dh ijh{kk dh tk,xhA

(4) tgk fuxe dk dkb çfrfufèk gkftj ugh gkrk g] ogk dkb ,lk vi{kk] tk mièkkjk (3) e fufn"V g] ykx ugh gkxhA

(5) tgk fuxe d çcèk fun'kd }kjk ;k fdlh ,l 0;fDr }kjk (og pkg ftl uke l idkjk tkrk gk) tk fuxe d dk;dyki dk çcèk djrk g ;k çcèk dju oky 0;fDr;k e l ,d g] gLrk{kj fd;k x;k rkRif;r bl Hkko dk fyf[kr dFku Qkby fd;k tkrk g] fd dFku e ukfer 0;fDr dk bl èkkjk d i;ktuk d fy, fuxe d ifrfufèk d :i e fu;Dr fd;k x;k g] ogk U;k;ky; tc rd bld çfrdy lkfcr ugh fd;k tkrk g] ;g mièkkjk djxk fd ,lk 0;fDr bl çdkj fu;Dr fd;k x;k gA

(6) ;fn ;g ç'u mBrk g fd U;k;ky; d le{k fdlh tkp ;k fopkj.k e fuxe çfrfufèk d :i e gkftj gku okyk dkb 0;fDr ,lk çfrfufèk g ;k ugh] rk ml ç'u dk vOèkkj.k U;k;ky; }kjk fd;k tk,xkA

दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 305 की उपधारा 2 स्पष्टत: अधिकथित करती है कि यदि निगम अभियुक्त है, यह जाँच अथवा विचारण के प्रयोजन से प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है। उपधारा 5 भी कथन करती है कि निगम के प्रतिनिधि को निगम के किसी व्यक्ति द्वारा लिखित में दिए गए बयान में नामित किया जा सकता है और जब तक विपरीत सिद्ध नहीं किया जाता है, न्यायालय उपधारित करेगा कि ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया गया है। इस प्रकार, यह प्रतीत होता है कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 305 के निबंधनानुसार कंपनी ने श्री अमिताभ सेन को कंपनी का प्रतिनिधि बनाते हुए आवेदन दिया था।

7. इंडियन आयरन एन्ड स्टील कंपनी बनाम बिहार राज्य (ऊपर) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संहिता की धारा 305 के अधीन अपना प्रतिनिधि मनोनीत करने का विकल्प कंपनी के पास है और वह कंपनी का प्रतिनिधित्व करेगा। **ए॰ के॰ दास बनाम बिहार राज्य (ऊपर)** में भी यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कंपनी को अपने विरुद्ध आरंभ की गयी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व किए जाने का अधिकार है।

8. दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 305 के अधीन अपना प्रतिनिधि मनोनीत करने के कंपनी के विशेषाधिकार का अर्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा श्री अमिताभ सेन के माध्यम से प्रतिनिधित्व किए जाने के लिए याची द्वारा दाखिल आवेदन अस्वीकार करते हुए समुचित रूप से नहीं लगाया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 305 के अधीन समुचित अधिमूल्यन नहीं किए जाने पर, जी॰ केस सं॰ 70 वर्ष 2014 में पारित दिनांक 5.8.2015 का आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

9. तद्नुसार, इस आवेदन में गुणागुण पाने पर इसे अनुज्ञात किया जाता है और विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, हजारीबाग द्वारा जी॰ केस सं॰ 70 वर्ष 2014 में पारित दिनांक 5.8.2015 का आक्षेपित आदेश एतद् द्वारा अभिखंडित किया जाता है और मामला विधि के अनुरुप नया आदेश पारित करने के लिए विद्वान विचारण न्यायालय को वापस भेजा जाता है।

यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

जनक सिंह मुंडा एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 4563 of 2014. Decided on 1st August, 2016.

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894—धाराएँ 11(A) एवं 12(2)—भूमि का अर्जन–मुआवजा राशि पर ब्याज का अधिनिर्णय–याची ने कहीं नहीं कथन किया है कि यह अत्यावश्यक अर्जन था जहाँ अधिनिर्णय तैयार करने के पहले कब्जा लिया गया था–अधिनिर्णीत राशि पर ब्याज का याची का दावा विधितः मान्य नहीं है–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 3 से 5)

अधिवक्तागण.–Mr. Bhaiya V. Kumar, For the Petitioners; Mr. Atanu Banerjee, For the Respondents.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याचियों ने 1987 के प्रभाव से 20.90 एकड़ क्षेत्रफल मापवाले विभिन्न खेसरा के अधीन ग्राम सपदा के खाता सं॰ 256 के अधीन अर्जित भूमि के संबंध में 1987 के प्रभाव से भुगतान की वास्तविक तिथि तक 12% की दर पर ब्याज प्रदान करने के लिए प्रार्थना किया है क्योंकि यह अभिकथित किया गया है कि प्रत्यर्थियों ने दिनांक 29 जनवरी, 2003 से दिनांक 1 जनवरी, 2005 तक कुल 23 माह के लिए ब्याज का भुगतान किया है यद्यपि प्रश्नगत भूमि का कब्जा वर्ष 1987-88 में लिया गया था। प्रत्यर्थी सं॰ 4, विशेष भूमि अर्जन अधिकारी सं॰ 3, स्वर्ण रेखा परियोजना, मानगो द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2014 के पत्र सं॰ 81, रिट याचिका का परिशिष्ट 11 द्वारा याचियों की आपत्ति उनके विरुद्ध विनिश्चित की गयी थी।

3. मामले के प्रासंगिक मैट्रिक्स दर्शाते हैं कि याची को दिनांक 12 जून, 2006 को 15,47,780/- रुपयों की अधिनिर्णीत राशि स्वीकार करने के लिए कहते हुए प्रश्नगत भूमि के संबंध में दिनांक 24 मई, 2006 को अधिनिर्णय (परिशिष्ट–2) पारित किया गया था और आगे एल॰ ए॰ केस सं॰ 39/2001-02 में कतिपय अन्य संपत्तियों के संबंध में परिशिष्ट 2/1 द्वारा अर्जन के लिए तीन अधिसूचनाएँ थी; अर्जन की प्रथम अधिसूचना दिनांक 10 दिसम्बर, 1987 की थी जो घोषणा की तिथि से दो वर्षों के भीतर अधिनिर्णय तैयार नहीं किए जाने के कारण बीत गया जैसा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 11 (A) के अधीन प्रावधानित है। तत्पश्चात, द्वितीय अधिसूचना भी थी जिसे भी प्रतिशपथपत्र के पैराग्राफ 12 में दिए गए बयान के मुताबिक अधिनिर्णय तैयार नहीं किए जाने के कारण बीत गया कथित किया गया है। दिनांक 29 जनवरी, 2003 को प्रकाशित तृतीय अधिसूचना के अनुसरण में विशेष भूमि अर्जन अधिकारी–II, स्वर्ण रेखा परियोजना, जमशेदपुर के दिनांक 10 जुलाई, 2002 के परिशिष्ट–A अधिसूचना के अनुसरण में प्रश्नगत भूमि के संबंध में अधिनिर्णय तैयार किया गया है। याची ने कहीं नहीं कथन किया है कि यह आपात्कालीन अर्जन था जिसका अधिनिर्णय तैयार किए जाने के पहले ही कब्जा ले लिया गया था। अधिनियम वर्ष 1894 की योजना के मुताबिक कब्जा लेने की शक्ति धारा 16 के अधीन प्रदत्त की गयी है जब समाहर्ता धारा 11 के अधीन अधिनिर्णय पारित करने के बाद कब्जा ले सकता है जिस पर भूमि समस्त विल्लंगमों से मुक्त होकर सरकार में निहित होगी।

4. विधिक अवस्था तथा प्रासंगिक आनुषंगिक तथ्यों की दृष्टि में कि परिशिष्ट–2 श्रृंखला (अधिनियम वर्ष 1894 की धारा 12 (2) के अधीन नोटिस) पर प्रश्नगत अधिनिर्णय दिनांक 10 जुलाई, 2002 की अधिसूचना के अनुसरण में था, वर्ष 1987 अथवा 1988 से अधिनिर्णीत राशि के उपर ब्याज के लिए याची का दावा विधितः मान्य नहीं है। प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में लेने के बाद परिशिष्ट 11 पर आक्षेपित आदेश द्वारा इसे सही प्रकार से अस्वीकार किया गया है।

5. अतः, संक्षेप में, याची 1987 से अधिनिर्णीत राशि पर ब्याज के प्रदान का मामला बनाने में विफल रहा है। तद्नुसार रिट याचिका गुणागुण रहित होने के कारण खारिज की जाती है।

ekuuh; çnhi dekj ekgUrh ,o Mhñ ,uñ mikè;k;] U;k;efrx.k

मधुमति देवी (1161 में)

गांधी साहू (1162 में)

cuke

झारखंड राज्य (दोनों में)

Cr. App. (DB) Nos. 1161, 1162 of 2008. Decided on 22nd June, 2016.

एस॰ टी॰ सं॰ 377 वर्ष 2004 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं॰ II, घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम द्वारा पारित दिनांक 15.7.2008 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 18.7.2008 के दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/376/120B/201—बलात्कार, हत्या, षड्यन्त्र एवं साक्ष्य गायब करना–दोषसिद्धि–चश्मदीद गवाहों ने अपीलार्थियों को मृतक के साथ नहीं देखा था–अ॰ सा॰ विश्वसनीय गवाह नहीं हैं–उन्होंने घटना नहीं देखा था और वे परिस्थिति स्पष्ट करने की अवस्था में नहीं हैं–गवाहों के परीक्षण में अनुचित विलंब हुआ है–अभियोजन युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ है–दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त। (पैराएँ 21 से 25)

अधिवक्तागण.–Mr. Pankaj Kumar (in both), For the Appellants; Mr. Amaresh Kumar, (in 1161); Mr. Binod Singh. (in 1162), For the State.

न्यायालय द्वारा.–चूँकि दोनों दांडिक अपीलें एस॰ टी॰ सं॰ 377 वर्ष 2004 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं॰ II, घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम द्वारा पारित एक ही निर्णय से उद्भूत होती हैं, उन्हें साथ सुना गया है और इस एक ही निर्णय द्वारा निपटाया जा रहा है। ये अपीलें एस॰ टी॰ सं॰ 377 वर्ष 2004 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं॰ II, घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम द्वारा पारित दिनांक 15.7.2008 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 18.7.2008 के दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित हैं जिसके द्वारा दोनों अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/120B/201 के अधीन आरोपों का दोषी पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 एवं 120B के अधीन आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है और आगे भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन पाँच वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। आगे, दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 1162 वर्ष 2008 में अपीलार्थी गांधी साहू को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन आरोप का दोषी पाए जाने पर आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। समस्त दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का निर्देश दिया गया है।

2. संक्षेप में, अभियोजन मामला यह है कि सूचक उध्वजी (अ॰ सा॰ 16) ने अपनी लगभग छह वर्षीया मृतका पुत्री खुशबु कुमारी का अपने घर जहाँ वह खेल रही थी से अपहरण करने में चार अभियुक्तों का हाथ होने पर संदेह किया। सूचक ने अभिकथित किया कि दिनांक 6.2.1995 को वह पदीय काम के लिए जमशेदपुर गया था और जब वह अपराह्न लगभग 8.15 बजे वापस अपने घर आया, उसे उसकी पत्नी द्वारा उसके संतान के गायब होने के बारे में बताया गया था। तब वह अपनी पुत्री की तलाश करने लगा किंतु उसका पता नहीं लगाया जा सका था। तत्पश्चात् उसने उसी दिन अर्थात् दिनांक 6.2.1995 को गायब होने का रिपोर्ट दर्ज किया। सूचक ने आगे अभिकथित किया कि दिनांक 7.2.1995 को पूर्वाह्न लगभग 11.45 बजे उसकी पुत्री खुशबू का मृत शरीर उसके घर के उत्तरी हिस्से की ओर झाड़ी के भीतर पड़ा हुआ पाया गया था।

3. पूर्वोक्त फर्दबयान के आधार पर, अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 364/376/302/201/120B के अधीन अपराध के लिए डालभूमगढ़ पी॰ एस॰ केस सं॰ 8 वर्ष 1995 दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले का अन्वेषण करने के बाद, गवाहों का परीक्षण किया और चार अभियुक्तों के विरुद्ध फाइनल फॉर्म दाखिल किया। तत्पश्चात् अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, घाटशिला ने सी॰ आई॰ डी॰ को मामले का पुनर्अन्वेषण करने का निर्देश दिया। तत्पश्चात् 5.7.1996 को, यह मामला सी॰ आई॰ डी॰ को अंतरित किया गया था। दिनांक 6.11.1996 को सी॰ आई॰ डी॰ ने अन्वेषण शुरु किया और अंततः दिनांक 7.7.2004 को दो अभियुक्तों अर्थात् मधुमती देवी एवं गांधी साहू के विरुद्ध खुशबू कुमारी की हत्या करने के लिए आरोप-पत्र दाखिल किया और तत्पश्चात्, अपीलार्थियों के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया गया था।

4. अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने कुल 20 गवाहों तथा एक न्यायालय गवाह सी॰ डब्ल्यू॰ 1 सहित डॉक्टर एवं अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण किया और विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का परिशीलन करने के बाद और अभियोजन गवाहों के साक्ष्य पर विचार करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सिद्ध किया गया पाया है और तत्पश्चात पूर्वोक्तानुसार दंडादेश दिया।

5. गवाहों के परिस्थितिजन्य साक्ष्य, मुख्यतः अ॰ सा॰ 19 कन्हैया उपाध्याय (आई॰ ओ॰) एवं एक न्यायालय गवाह अर्थात् सी॰ डब्ल्यू॰ 1 गोपाल चंद्र मिश्रा के साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार ने विद्वान अवर न्यायालय के निर्णय का विरोध मुख्यतः निम्नलिखित आधारों पर किया है:-

(I) fdlh Hkh vihykFkh d fo#) çR;{k lk{; ugh gA

(II) v0 lk0 6 tk fufonZk xokg g d flok, v0 lk0 4 l v0 lk0 13 i{knkgh gk x, gA

(III) oreku ekey l vihykfFk;k dk tkMu d fy, mud fo#) lkexh ugh gA

(IV) vihykfFk;k dk nk"k LFkkfir dju d fy, ifjfLFkfr;k dh J[kyk ugh gA

(V) n0 ç0 l0 dh ekkjk 161 d vèkhu vkb0 vk0 }kjk vkj n0 ç0 l0 dh ekkjk 164 d vèkhu U;k;ky; e xokgk dk ijh{k.k dju e vufpr foyc gvk g vkj vfHk;ktu }kjk ml çHkko dk Li"Vhdj.k ugh fn;k x;k FkkA

6. दूसरी ओर, विद्वान अपर पी॰ पी॰ श्री अमरेश कुमार ने अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए प्रतिवादों का जोरदार विरोध किया है और निवेदन किया है कि वर्तमान अपीलार्थियों के विरुद्ध पर्याप्त सामग्री है। विद्वान अपर पी॰ पी॰ ने निवेदन किया है कि अ॰ सा॰ 14 श्यामलाल साह ने अभिसाक्ष्य दिया है कि हल्ला हुआ था कि लड़की का मृत शरीर सूचक के घर की झाड़ियों में पड़ा हुआ था जिस पर वह झाड़ियों के निकट पहुँचा और लड़की का मृत शरीर देखा प्रति परीक्षण में, उसने स्वीकार किया कि उसने न्यायालय में अपना बयान (प्रदर्श 5) दिया है और अपना हस्ताक्षर (प्रदर्श 1) भी किया है। मामले के अन्वेषण अधिकारी अ॰ सा॰ 19 कन्हैया उपाध्याय और एक न्यायालय गवाह अर्थात् सी॰ डब्ल्यू॰ 1 गोपाल चंद्र मिश्रा का परीक्षण अभियोजन द्वारा किया गया है और उन्होंने वर्तमान अपीलार्थियों को आलिप्त करते हुए घटना का विवरण दिया है। विद्वान अपर पी॰ पी॰ ने आगे निवेदन किया कि अ॰ सा॰ 19 के साक्ष्य से भी, कोई विलंब अथवा उपेक्षा नहीं हुआ है क्योंकि मूलतः पुलिस द्वारा मामले का अन्वेषण किया गया था और आरोप-पत्र दाखिल किया गया था और तत्पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश ने मामला सी॰ आई॰ डी॰ को अंतरित किया। पूर्वोक्त निवेदन के आधार पर, विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया

कि दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश में अवैधता अथवा दुर्बलता नहीं होने के कारण विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्राप्त निष्कर्ष मान्य ठहराने योग्य है।

7. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का परिशीलन भी किया है। अभियुक्त अपीलार्थियों का परीक्षण दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन भी किया गया था जिसमें उन्होंने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

8. अ॰ सा॰ 1, सूचक की सेविका, ने केवल यह कथन किया है कि मृतका का पता नहीं लगा था। वह भी अन्य के साथ पीड़िता की तलाश करने लगी। किंतु, उसने घटना के बारे में कुछ भी नहीं कहा है।

9. अ॰ सा॰ 2 बीर सिंह ने अभिसाक्ष्य दिया है कि वह घटना के बारे में जान नहीं सका था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि उसे सी॰ आई॰ डी॰ जाँच के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सी॰ आई॰ डी॰ ने घटना के बारे में जाँच नहीं किया था।

10. अ॰ सा॰ 3 राजू साह ने भी कथन किया है कि उसे घटना के बारे में जानकारी नहीं है और वह मृतका को नहीं जानता था।

11. अ॰ सा॰ 6 जो निविदत्त गवाह है के सिवाए अ॰ सा॰ 4 से अ॰ सा॰ 13 पक्षद्रोही हो गए।

12. अ॰ सा॰ 14 श्यामलाल साह ने कथन किया है कि उसने हल्ला सुना कि सूचक की पुत्री गायब है। तत्पश्चात, वह घटनास्थल पर गया और मृतका को वहाँ पड़ा पाया। उसने मुख्य परीक्षण में आगे कथन किया कि हल्ला सुनने के बाद वह घटनास्थल पर गया और मृतका का मृत शरीर झाड़ियों के निकट पड़ा पाया। उसने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दिया गया अपना बयान भी सिद्ध किया। उसने न्यायालय में दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन अपना बयान एवं हस्ताक्षर भी स्वीकार किया।

13. अ॰ सा॰ 15 फकीर चंद्र अग्रवाल वह गवाह है जिसने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर सिद्ध किया।

14. अ॰ सा॰ 16 उध्वजी सूचक एवं मृतका का पिता है जिसने मुख्य परीक्षण में विनिर्दिष्टत: कथन किया है कि उसने रेलवे के लोगों से सुना कि उसकी पुत्री गायब है। उसकी पत्नी ने भी उसे बताया कि उसकी पुत्री खुशबु कुमारी गायब है। उसने विनिर्दिष्टत: कथन किया है कि उसने अपनी पत्नी के साथ पुत्री का तलाश करने का प्रयास किया किंतु सफल नहीं हो सका था। अगले दिन, खुशबु कुमारी का मृत शरीर सूचक के घर की झाड़ियों के निकट पड़ा पाया गया था। अ॰ सा॰ 16 उध्वजी अपीलार्थी मधुमति देवी का पति है।

15. अ॰ सा॰ 17 डॉ॰ रंजन सिन्हा हैं जिन्होंने मृतका के मृत शरीर का शव परीक्षण किया और निम्नलिखित उपहतियों को पाया:,–

(I) pgjk d tLVM] nkuk ukfld l Qu] e[k d ck, dk.k ij ykj dk fu'kku ,o gkB ij [kjkpA

(II) xky d efMC;yj Hkkx ,o efMcy d fupy Hkkx ij pgj d nk, vkj 1/2' x 1/2' d [kjkpA

MkDVj u erdk d er 'kjhj d foPNnu ij Ropk d uhp ,fpekfl l ektn ik;k tk eR;io çÑfr dk Fkk vkj dMh vfLFk lgh lyker ik;h x;h FkhA

(III) nk, tk?k] ij ,o ck, ij ij èkèky [kjkp] vfu;fer vkdkj dk vud t[e tk 'ko i'pkr çÑfr d FkA

(IV) gejt d lkFk ck, Hkkx ij tk?k d Hkhrjh igy ij [kjkp (1/4' x 1/4') vkj [kjkp (1/4' x 1/4') tk eR; io çÑfr dk FkkA

(V) Hkx ,o ;kfu d ijh{k.k ij

(a) ;kfu ,o ey}kj d bn&fxn l[kk [ku ik;k x;k FkkA ;kfu l Hkh [ku cg jgk FkkA ;kfu d vnj uhy dky jx dk FkDdk Fkk(

(b) gk;eu dN le; igy gh fonh.k gvk Fkk vkj dkQh [ku cg jgk Fkk(

(c) l[kk oh; dk èkCck ;kfu ,o Hkx d bn&fxn ekt n FkkA

(d) ;kfu d Lokc ijh{k.k ij] ekbØkLdki d uhp jDr d èkCc d vkl ikl dN er oh; FkkA ; eR; io çÑfr d FkA

MkDVj d vulkj] eR; ;ku lHkkx (cykRdkj) dju d ckn eg ncku l vR; fèkd gejt ,o ne ?kVu d dkj.k gbA mUgku 'ko ijh{k.k fjkV (ç n'k 4 ,o 4/1) Hkh fl) fd;kA

16. अ॰ सा॰ 18 अजित कुमार सिंह, जे॰ एम॰ प्रथम श्रेणी हैं। उन्होंने अ॰ सा॰ 14 श्यामलाल साह का और न्यायालय गवाह अर्थात् सी॰ डब्ल्यू॰ 1 गोपाल चंद्र मिश्रा का दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 161 के अधीन बयान दर्ज किया था।

17. अ॰ सा॰ 19 कन्हैया उपाध्याय अन्वेषण अधिकारी है, जिसने दिनांक 6.11.1996 को स्थानांतरित होने पर मामला प्राप्त किया और मामले का अन्वेषण किया और अंततः वर्तमान अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया।

18. अ॰ सा॰ 20 अशोक रंजन सिन्हा एडवोकेट क्लर्क है और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तथा औपचारिक प्राथमिकी भी सिद्ध किया है।

19. बचाव का अभिवचन अभिकथन से पूरे इनकार का है।

20. अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने **रणबीर बनाम पंजाब राज्य, AIR 1973 SC 1409, कृष्ण पाल (डॉ॰) बनाम उ॰ प्र॰ राज्य, (1996)7 SCC 194** और **बिजेन्दर सिंह बनाम हरियाणा राज्य एवं एक अन्य, (2005)3 Supreme Court Cases 685** में निर्णयों सहित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों पर विश्वास किया है।

21. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अपीलार्थियों द्वारा उद्धृत निर्णयों पर विचार किया है। दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दर्ज अ॰ सा॰ 14 श्यामलाल साह के बयान और साक्ष्य के परिशीलन पर यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उसने वर्तमान अपीलार्थियों को मृतका के साथ नहीं देखा था। यह कथन किया गया है कि जब उसने ड्रम का कवर खोलना चाहा, समय के उस बिंदु पर एक वृद्ध महिला (गोरी) ने उसको ड्रम खोलने की अनुमति नहीं दी थी और उक्त ड्रम खोलने के विरुद्ध उस महिला द्वारा उसे रोका भी गया था। अ॰ सा॰ 14 ने अपीलार्थी मधुमति देवी को पहचाना जिसने उसको ड्रम का कवर खोलने से रोका था। सी॰ डब्ल्यू॰ 1 गोपाल चंद्र मिश्रा ने ड्रम के तथ्य का कथन किया है जिसे वर्तमान अपीलार्थी मधुमति देवी द्वारा ढंका तथा घेरा गया था। ड्रम घर के बाहर था। उसने विनिर्दिष्टतः कथन किया कि अगली तिथि को मृत शरीर बरामद किया गया था किंतु बक्सा सूचक (अपीलार्थी मधुमति देवी के पति के घर) के आंगन में पड़ा हुआ था। उसने यह कथन भी किया कि अ॰ सा॰ 13 नूरजहाँ ने ड्रम खोलने का प्रयास किया किंतु अपीलार्थी मधुमति देवी ने उसको अनुमति नहीं दिया था। किंतु, अ॰ सा॰ 13 नूरजहाँ ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि उसने ड्रम खोलने अथवा वर्तमान अपीलार्थी मधुमति देवी द्वारा ड्रम खोलने से रोकने के बारे में कुछ भी कथन नहीं किया है।

22. अ॰ सा॰ 14 एवं न्यायालय गवाह अर्थात् सी॰ डब्ल्यू॰ 1 के साक्ष्य पर विचार करते हुए इस न्यायालय का दृष्टिकोण है कि ये गवाह विश्वसनीय गवाह नहीं हैं क्योंकि उन्होंने घटना नहीं देखा था और वे परिस्थितियों को स्पष्ट करने की अवस्था में नहीं थे। आगे, अन्वेषण अधिकारी द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 161 के अधीन और न्यायालय में दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन गवाहों का परीक्षण करने में अनुचित विलंब हुआ है और अभियोजन द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। आगे, अभिलेख पर विचार करते हुए यह प्रतीत होता है कि वर्तमान अपीलार्थियों के विरुद्ध सामग्री नहीं है। अ॰ सा॰ 14 जिसका परीक्षण दिनांक 10.6.2004 को अर्थात् घटना की तिथि से 9 वर्ष बाद और तिथि जब अन्वेषण अधिकारी ने अन्वेषण शुरू किया के बाद किया गया था और दिनांक 29.6.2004 को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन उसका बयान दर्ज किया गया था। न्यायालय गवाह अर्थात् सी॰ डब्ल्यू॰ 1 का परीक्षण पुलिस द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 161 के अधीन दिनांक 13.6.2004 को किया गया था और दिनांक 6.7.2004 को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन बयान दर्ज किया गया था। दिनांक 10.6.2004 को अपीलार्थी गांधी साहू को गिरफ्तार किया गया था जबकि दिनांक 13.6.2004 को अपीलार्थी मधुमति देवी को गिरफ्तार किया गया था।

23. उक्त से यह प्रकट होता है कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद इन तीन गवाहों अर्थात् अ॰ सा॰ 14, अ॰ सा॰ 13 एवं न्यायालय गवाह अर्थात् सी॰ डब्ल्यू॰ 1 का परीक्षण अभियोजन द्वारा किया गया था और सामग्री बिल्कुल नहीं है कि अपीलार्थीगण अपराधी हैं।

24. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर विचार करने के बाद इस न्यायालय का दृष्टिकोण है कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ है। विचारण न्यायालय ने मामले के समस्त तात्विक पहलूओं को विचार में नहीं लिया था और तद्द्वारा इसने अपीलार्थियों के विरुद्ध दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज करने में अवैधता किया।

25. इस दशा में, दोनों दांडिक अपीलें अनुज्ञात की जाती हैं और एस॰ टी॰ सं॰ 377 वर्ष 2004 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ II, घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम द्वारा पारित दिनांक 15.7.2008 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं दिनांक 18.7.2008 का दंडादेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 1161 वर्ष 2008 में अपीलार्थी मधुमति देवी अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों का दोषी नहीं पाए जाने पर दोषमुक्त की जाती है। अतः, दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 1161 वर्ष 2008 में अपीलार्थी मधुमति देवी जो कारा में है तुरन्त निर्मुक्त की जाएगी यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है।

26. दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 1162 वर्ष 2008 में अपीलार्थी गांधी साहू को दोषमुक्त किया जाता है। चूँकि गांधी साहू जमानत पर है, उसे जमानत बंधपत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

रबिन्द्र नाथ (26 में)

शिवांगी प्रिया (27 में)

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य (दोनों में)

Civil Review Nos. 26 and 27 of 2013. Decided on 15th July, 2016.

सेवा विधि–सेवानिवृत्ति लाभ–विद्यमान नियमावली/परिपत्रों के निबंधनानुसार सेवानिवृत्ति पश्चात लाभों का भुगतान करना राज्य की संवैधानिक बाध्यता है–मृतक कर्मचारी के पिता एवं पुत्री के बीच किसी विवाद की अनुपस्थिति में आवेदकों को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है–मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभों को तुरन्त निर्मुक्त करना होगा।

(पैराएँ 7 से 9)

निर्णयज विधि.–(1971)2 SCC 330; (2000)6 SCC 224—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Vishal Kumar Tiwary, Subodh Kumar Dubey, For the Petitioners; Mr. Sumir Prasad, For the State.

आदेश

सिविल पुनर्विलोकन सं॰ 26 वर्ष 2013 में आवेदक मूल रिट याची है जिसने अवमान मामला (सी॰) सं॰ 1158 वर्ष 2012 दाखिल किया था। वह मृतक कर्मचारी अर्थात् आशा किरण का पति है। सिविल पुनर्विलोकन सं॰ 27 वर्ष 2013 में आवेदक रबिन्द्र नाथ आवेदक की पुत्री है।

2. आरंभ में, दोनों सिविल पुनर्विलोकन याचिकाओं में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विशाल कुमार तिवारी निवेदन करते हैं कि आवेदक वस्तुतः अवमान मामला (सी॰) सं॰ 1158 वर्ष 2012 एवं अवमान मामला (सी॰) सं॰ 1166 वर्ष 2012 में पारित दिनांक 14.3.2013 के आदेश का स्पष्टीकरण इप्सित कर रहे हैं।

3. पुनर्विलोकन याचिकाओं का विरोध करते हुए विद्वान राज्य अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि निदेशक ने पहले ही निर्णय लिया है और यदि आवेदक उक्त निर्णय से व्यथित हैं, वे उक्त आदेश को चुनौती दे सकते हैं, किंतु किसी भी स्थिति में अवमान मामलों में पारित आदेशों का पुनर्विलोकन उपचार नहीं है।

4. अभिलेख पर लायी गयी सामग्री प्रकट करती है कि मृतक कर्मचारी अर्थात् आशा किरण ने दिनांक 7.3.1986 को जिला जनसंपर्क अधिकारी का पद ग्रहण किया। उसका विवाह रिट याची अर्थात् रबिन्द्र नाथ से हुआ था और विवाह संबंध से उनकी पुत्री शिवांगी प्रिया एवं पुत्र अनिमेष प्रियदर्शन का जन्म हुआ था। दिनांक 6.6.2004 को आशा किरण की मृत्यु दुर्घटना में हो गयी और उसके पुत्र अनिमेष प्रियदर्शन की मृत्यु भी दिनांक 21.1.2009 को हो गयी। जब मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभों को निर्मुक्त नहीं किया गया था, आवेदक रबिन्द्र नाथ ने विभाग के समक्ष अभ्यावेदन दिया, जिसने उसको दिनांक 13.11.2004 के पत्र के तहत सूचित किया कि स्वर्गीय आशा किरण की माता ने अपनी मृतक पुत्री के मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभों के उपर दावा किया था। मजबूर होकर, रबिन्द्र नाथ डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 3987 वर्ष 2011 में इस न्यायालय के पास आया। रिट याचिका निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, झारखंड सरकार को चार सप्ताह के भीतर रबिन्द्र नाथ का अभ्यावेदन निपटाने का निर्देश देते हुए दिनांक 10.8.2011 के आदेश के तहत निपटाया गया था। यह प्रतीत होता है कि आवेदक-रिट याची का अभ्यावेदन लम्बे समय तक विनिश्चित नहीं किया गया था और मजबूर होकर उसने अपनी उत्तरजीवी अवयस्क पुत्री के साथ अवमान मामलों को दाखिल किया जिन्हें दिनांक 14.3.2013 को निपटाया गया था।

5. अवमान मामलों में पारित आदेश प्रकट करते हैं कि दिनांक 14.3.2013 का आदेश आवेदकों के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में पारित किया गया था और राज्य के विद्वान अधिवक्ता के बयान पर कि आवेदन के परिशिष्ट 1 के तहत अर्थात् दिनांक 10.9.2012 के आदेश द्वारा निर्णय पहले ही ले लिया गया था, अवमान याचिकाएँ निपटायी गयी थी। निदेशक द्वारा पारित आदेश परिलक्षित करता है कि जो कोई भी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, वह स्वर्गीय आशा किरण के मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभों का हकदार होगा।

6. यह विवादित नहीं है कि केवल स्व॰ आशा किरण की माता ने मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति लाभों, पर अपना दावा किया था किंतु, दिनांक 15.3.2011 को उसकी भी मृत्यु हो गयी। आवेदक रबिन्द्र नाथ की सास की मृत्यु का तथ्य डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 3987 वर्ष 2011 में पारित दिनांक 10.8.2011 के आदेश में ध्यान में लिया गया है। निदेशक द्वारा पारित दिनांक 10.9.2012 का आदेश उपदर्शित करता है कि पुत्री शिवांगी प्रिया के साथ आवेदक रबिन्द्र नाथ द्वारा किया गया दावा निदेशक द्वारा इस प्रकार लिया गया है मानो, दोनों पक्ष के बीच विवाद है, अत:, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। जबकि, दोनों आवेदकों ने अवमान याचिकाओं को दाखिल किया था और शिवांगी प्रिया की ओर से दाखिल अवमान याचिका उसके पिता के माध्यम से थी। शिवांगी प्रिया द्वारा दाखिल वर्तमान सिविल पुनर्विलोकन आवेदन भी पुन: उसके पिता रबिन्द्र नाथ के माध्यम से हैं। पूर्वोक्त याचिकाएँ शपथ पत्र से समर्थित हैं।

7. विद्यमान नियमावली/परिपत्र के निबंधनानुसार सेवानिवृत्ति पश्चात लाभों का भुगतान करना राज्य की संवैधानिक बाध्यता है। **''देवकी नंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य, (1971)2 SCC 330,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पेंशन की प्रकृति पर वाद–विवाद कि क्या यह शुद्धत: आनुग्रहिक है अथवा विगत सेवा के लिए पुरस्कार, अंतिम रूप से सुनिश्चित किया गया था जिसे निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, द्वारा अनदेखा किया गया है।

8. यह अभिवचन कि निदेशक द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी जानी चाहिए, केवल तकनीकी अभिवचन है जो वर्तमान मामले के तथ्यों में अस्वीकार किए जाने का दायी है। रिट न्यायालय का निर्देश रिट याची के अभ्यावेदन पर आदेश पारित करने का था। उस समय तक, याची की सास की मृत्यु पहले ही हो गयी थी और पिता पुत्री के बीच विवाद नहीं है। अवमान मामलों में न्यायालय का संप्रेक्षण निदेशक द्वारा पारित आदेश की प्रस्तुति मात्र है। **लिलि थॉमस एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2000)6 SCC 224,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया है कि:–

> *^^-----bl l budkj ugh fd;k tk ldrk g fd U;k; ,d lnx.k g tk leLr vojks/kksa d ij tkrk g vkj fu;e ;k çfØ;k,a ;k fofèk dh rduhfd;k U;k; ç'kklu d jkLr e ugh vk ldrh gA fofèk dk U;k; d le{k >duk gkxkA***

9. पूर्वोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए मेरा मत है कि पिता–पुत्री के बीच स्व॰ आशा किरण के मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति लाभों के लिए दावा के प्रति किसी विवाद की अनुपस्थिति में अवमान मामला (सी॰) सं॰ 1158 वर्ष 2012 एवं अवमान मामला (सी॰) सं॰ 1166 वर्ष 2012 में पारित आदेश को उस सीमा तक स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि आवेदकों को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। स्व॰ आशा किरण के मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान दोनों आवेदकों द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित एवं सत्यापित शपथपत्र की प्रस्तुति पर किया जाएगा। यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति लाभों को तुरन्त निर्मुक्त करना होगा।

10. पूर्वोक्त निबंधनों में वर्तमान सिविल पुनर्विलोकन याचिकाएँ अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k;] U;k;efr

बलराम प्रसाद साहू एवं अन्य

cuke

रामेश्वर साहू एवं अन्य

M.A. No. 323 of 2006. Decided on 22nd July, 2016.

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925—धारा 63—भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872—धारा 68—वसीयत का प्रमाण–वसीयत की प्रामाणिकता इसके निष्पादन को घेरने वाली परिस्थितियों एवं साक्ष्य जिसे इसकी वास्तविकता के संबंध में दिया गया है की गुणवत्ता पर निर्भर करती है–यह विनिश्चित करने के लिए गणितीय समीकरण नहीं है कि वसीयत वास्तविक है या नहीं–न्यायालय को परिस्थितियों की कल्पना करनी होगी जिनके अधीन वसीयत निष्पादित किया गया था–यदि परिस्थितियाँ संदेह से मुक्त नहीं हैं, प्रतिपादक को तर्कपूर्ण एवं विश्वासोत्पादक स्पष्टीकरण के साथ उन संदेहास्पद परिस्थितियों को हटाने के लिए बुलाया जाएगा। (पैरा 9)

निर्णयज विधि.–2014 (3) JBCJ 1—Relied; AIR 2006 SC 786; (2015) SCCR 457; (2010)5 SCC 770—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. H.C. Prasad, For the Appellants; Mr. S.N. Das, For the Respondents.

डी॰ एन॰ उपाध्याय, न्यायमूर्ति.–वर्तमान अपील प्रोबेट केस सं॰ 57/1997 से उद्भूत होने वाले प्रोबेट अभिधान वाद सं॰ 5/2004 के संबंध में अपर न्यायिक आयुक्त सं॰ VI राँची द्वारा पारित दिनांक 22.6.2006 के निर्णय के विरुद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा अपीलार्थियों के दादा कमल साहू द्वारा निष्पादित दिनांक 9.11.1983 की वसीयत के विरुद्ध प्रशासन-पत्र के प्रदान के लिए अपीलार्थियों द्वारा लाया गया वाद खारिज कर दिया गया है।

2. संक्षेप में, अपीलार्थियों का मामला यह है कि अपीलार्थियों के दादा कमल साहू, पुत्र स्व॰ सीता साव, निवासी ग्राम हेसालाँग, पी॰ एस॰ खेलारी, जिला राँची ने दिनांक 9.11.1983 का अपना अंतिम वसीयत निष्पादित किया और अनुसूची संपत्ति विरासत में अपीलार्थियों के पक्ष में दिया। कमल साहू की मृत्यु दिनांक 30.10.1993 को अपने पीछे छह पुत्रों एवं दो विवाहित पुत्रियों को छोड़ते हुए हो गयी जिन्हें मूल आवेदन में विरोधी पक्षकार सं॰ 1 से 8 के रूप में कतारबद्ध किया गया है। कमल साहू द्वारा निष्पादित वसीयत दो गवाहों अर्थात् राम कुमार साहू एवं हीराकांत झा तथा वसीयत के लेखक लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुप्रमाणित किया गया था। प्रशासन पत्र के प्रदान के लिए वसीयत में उल्लिखित अनुसूची संपत्ति 45000/- रुपयों पर मूल्यांकित की गयी है।

3. विरोधी पक्षकार नोटिस की प्राप्ति के बाद विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त के समक्ष उपस्थित हुए। विरोधी पक्षकार सं॰ 1 रामेश्वर साहू तथा तथा विरोधी पक्षकार सं॰ 4 से 6–कृष्णा साहू, किशोरी साहू एवं परमानंद साहू ने अपना पृथक लिखित कथन दाखिल किया है। विरोधी पक्षकार सं॰ 2 नागेश्वर साहू तथा विरोधी पक्षकार सं॰ 7 श्रीमती सावित्री देवी एवं विरोधी पक्षकार सं॰ 8 श्रीमती सुनीता देवी ने अपना लिखित कथन दाखिल नहीं किया था किंतु अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से याचिका दाखिल करके अपीलार्थियों के मामले का समर्थन किया है। चूँकि विरोधी पक्षकार सं॰ 1 एवं 4 से 6 ने अपीलार्थियों के पक्ष में प्रोबेट के प्रदान के विरुद्ध आपत्ति किया है, विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 14.1.2004 के आदेश के तहत अभिधान वाद दर्ज करने के लिए मामला न्यायिक आयुक्त को निर्दिष्ट किया। तद्नुसार, अपीलार्थियों द्वारा दाखिल प्रोबेट के प्रदान के लिए आवेदन अभिधान वाद सं॰ 5/2004 में संपरिवर्तित किया गया था।

4. विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त ने पक्षों की उपस्थिति सुरक्षित करने तथा उनके अभिवचनों के समापन के बाद निम्नलिखित विवाद्यकों को विरचित किया:–

(1) D;k çkcV ekeyk ik"k.kh; g

(2) D;k Lo0 dey lkg u okfn;k d i{k e fnukd 9.11.1983 dh vfre olh;r d :i e okLrfod ,o oèk olh;r fu"ikfnr fd;k Fkk

(3) D;k LoO dey lkg dh vfre olh;r d :i e olh;r LoPNkiod çihMu] diV ,o vufpr çHkko d fcuk fu"ikfnr dh x;h Fkh

(4) D;k oknhx.k nkok fd, x, vurk"kk d gdnkj g

5. अपीलार्थियों ने कुल पाँच गवाहों का परीक्षण किया और अपने दावा एवं प्रतिवाद के समर्थन में प्रदर्श सूची के मुताबिक दस्तावेजों को सिद्ध किया।

दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों/विरोधी पक्षकारों ने भी अपने अभिवचनों में अपने प्रकथनों को सिद्ध करने के लिए गवाहों का परीक्षण किया था।

विरोधी पक्षकार सं॰ 1 एवं 2 ने स्वयं का गवाहों के रूप में परीक्षण करवाया है जबकि विरोधी पक्षकार सं॰ 4, 5 एवं 6 की ओर से चार गवाहों का परीक्षण किया गया है।

राम कुमार साहू (ए॰ डब्ल्यू॰ 1) कमल साहू द्वारा निष्पादित वसीयत का अनुप्रमाणक साक्षी है। उसने कथन किया है कि कमल साहू ने इस गवाह और हीराकान्त झा की उपस्थिति में बलराम साहू, अशोक साहू एवं मनोज साहू (अपीलार्थीगण) के पक्ष में अपना वसीयत निष्पादित किया था और वसीयत लक्ष्मण सिंह द्वारा लिखा गया था। वसीयतकर्ता ने इस गवाह एवं हीराकान्त झा की उपस्थिति में उक्त वसीयत पर अपने बाएँ अंगूठे का निशान दिया था। उसने वसीयत पर किए गए इस हस्ताक्षर तथा हीराकान्त झा के हस्ताक्षर को प्रदर्श 1 एवं 1/1 के रूप में सिद्ध किया है। उसने आगे कथन किया है कि वसीयत लक्ष्मण सिंह द्वारा लिखा गया था जिसने भी इस पर हस्ताक्षर किया था और वसीयत प्रदर्श 2 के रूप में सिद्ध एवं चिन्हित किया गया है। इस गवाह द्वारा संपत्ति, जिसके लिए वसीयत निष्पादित किया गया था, का वर्णन किया गया है। उसने कथन किया है कि संपत्ति जिसके विरुद्ध वसीयत निष्पादित किया गया था, कमल साहू की स्वअर्जित संपत्ति थी। वसीयत के निष्पादन के समय पर वसीयतकर्ता का स्वास्थ्य अच्छा था। पैरा 5 में वह कहता है कि कमल साहू ने अपीलार्थियों द्वारा उसको दी गयी सेवा से संतुष्ट होने पर दिनांक 7.11.1983 का वसीयत निष्पादित करने का निर्णय किया था और उसकी उपस्थिति तथा हीराकांत झा की उपस्थिति में वसीयत तैयार किया था। वसीयत तैयार करने के बाद, उसने इसे सही पाया और अपने बायें अंगूठे का निशान लगाया। हीराकान्त झा कमल साहू का पुरोहित था जिसकी मृत्यु 3-4 वर्ष पहले हो गयी। अपने प्रति परीक्षण में वह कहता है कि कमल साहू की मृत्यु 90 वर्ष की आयु में हुई। अपीलार्थीगण विरोधी पक्षकार सं॰ 2 नागेश्वर साहू के पुत्र हैं। वह कहता है कि बलराम अब अर्थात् इस गवाह के अभिसाक्ष्य की तिथि पर लगभग 35 वर्ष का है। शेष दो अपीलार्थीगण अर्थात् अशोक प्रसाद साहू एवं मनोज साहू क्रमशः लगभग 30-32 वर्ष तथा 29 वर्ष के हैं। वह आगे कहता है कि वसीयतकर्ता ने अपीलार्थियों के पक्ष में वसीयत निष्पादित करने का निर्णय इसलिए किया था क्योंकि वह उनके द्वारा दी गयी सेवा से संतुष्ट था। इस गवाह ने संपुष्ट किया है कि परिवार के स्वामित्व वाली संपत्तियों का बँटवारा पहले ही कमल साहू एवं उसके पुत्रों के बीच हो गया था किंतु वह नहीं कह सकता था कि बँटवारा किस तिथि को हुआ था। वह नहीं कह सकता था कि क्या कमल साहू ने उक्त वसीयत के निष्पादन के बारे में अपीलार्थियों को प्रकट किया था या नहीं। इस गवाह को दिए गए सुझावों से इनकार किया गया है।

शंभु दास (ए॰ डब्ल्यू॰ 2) औपचारिक गवाह है और उसने कहा है कि लक्ष्मण सिंह अधिवक्ता लिपिक के रूप में कार्यरत था और उसकी मृत्यु दस वर्ष पहले हो गयी। उससे आगे लक्ष्मण सिंह के निवास स्थान के संबंध में अन्य विवरणों के बारे में पूछा गया था।

बलराम प्रसाद साहू (अपीलार्थी सं॰ 1) का परीक्षण ए॰ डब्ल्यू॰ 3 के रूप में किया गया था। उसने प्रोबेट के प्रदान के लिए दाखिल आवेदन में अपने द्वारा किए गए प्रतिवाद का समर्थन किया है। वह कहता है कि उसके दादा कमल साहू की मृत्यु दिनांक 20.11.1993 को उसके निवास पर हो गयी और वह

अपने पीछे छह पुत्र एवं दो पुत्रियाँ छोड़ गया था। मौजा महुलिया के अंतर्गत आने वाली संपत्तियाँ उसके दादा कमल साहू के नाम में अभिलिखित की गयी थीं। कमल साहू एवं उसके पुत्रों के बीच संपत्तियों का बँटवारा वर्ष 1978 में हुआ था। मौजा महुलिया के अंतर्गत पड़ी संपत्तियाँ कमल साहू द्वारा स्वयं अपने उपयोग एवं अधिभोग के लिए रखी गयी थी। यह प्रकट किया गया है कि संपत्तियों के बँटवारा के बाद कमल साहू के पुत्रों ने उसकी देखभाल करना छोड़ दिया था, अतः, उसका दादा कमल साहू उसके एवं उसके भाईयों के साथ रहने लगा था। उनके द्वारा दी गयी सेवा से संतुष्ट होकर कमल साहू ने दिनांक 9.11.1983 का अपीलार्थियों के पक्ष में 9 एकड़ 43 डिसमिल मापवाली मौजा महुलिया के अंतर्गत पड़ी अचल संपत्तियों के लिए वसीयत निष्पादित करने का निर्णय किया था। वसीयत गवाहों राम कुमार साहू एवं हीराकांत झा की उपस्थिति में तैयार किया गया था और लिखने वाला लक्षमण सिंह, अधिवक्ता लिपिक था। कमल साहू ने गवाहों राम कुमार साहू तथा हीराकांत झा की उपस्थिति में उक्त वसीयत पर अपने बायें अंगूठे का निशान दिया था। उक्त वसीयत के निष्पादन के बाद, इसे विरोधी पक्षकारों सहित परिवार के सदस्यों के ध्यान में लाया गया था। उक्त वसीयत के निष्पादन के बाद कमल साहू आगे दस वर्षों तक जीवित रहा और वर्ष 1993 में उसकी मृत्यु हो गयी। उसने अपने दादा कमल साहू की अलमारी से वसीयत पाया और प्रोबेट/प्रशासन पत्र के प्रदान के लिए आवेदन दाखिल किया। वह कहता है कि उसकी चाची विरोधी पक्षकार सं० 7 एवं 8 ने शपथपत्र से समर्थित याचिका दाखिल करके अनापत्ति किया है। वसीयत में उल्लिखित संपत्तियों के संबंध में उसका प्रति परीक्षण किया गया है। उसने कथन किया है कि वसीयतकर्ता द्वारा विरासत में दी गयी संपत्तियाँ कमल साहू की स्वअर्जित संपत्ति थी। वह पैराग्राफों 23 एवं 24 में कहता है कि कमल साहू एवं उसके पुत्रों के बीच मौखिक रूप से एवं लिखित दोनों में संपत्तियों का बँटवारा हुआ था किंतु वह बँटवारा से संबंधित दस्तावेज से अवगत नहीं था। इस गवाह का ध्यान उन बयानों की ओर खींचा गया था जो अभिवचनों में नहीं थे।

दिलेश्वर साहू (ए० डब्ल्यू० 4) ने मृत्यु प्रमाण पत्र सिद्ध किया है। उसने मृत्यु प्रमाण पत्र पर किया गया अपना हस्ताक्षर स्वीकार किया है और इसे प्रदर्श 3 चिन्हित किया गया है।

विन्देश्वर यादव (ए० डब्ल्यू० 6) भी औपचारिक गवाह है और उसने विरासत में दी गयी संपत्तियों से संबंधित कतिपय रसीदों एवं दस्तावेजों को सिद्ध किया है।

6. विरोधी पक्षकार सं० 1 रामेश्वर साहू ने कथन किया है कि वह अपीलार्थी द्वारा दाखिल प्रोबेट मामले के संबंध में जारी नोटिस पाने के पहले कमल साहू द्वारा निष्पादित किसी वसीयत से अवगत नहीं था। वह कहता है कि वह गवाह हीराकांत झा से मिला जिसने उसको बताया कि उसकी उपस्थिति में ऐसा कोई वसीयत तैयार नहीं किया गया था और उसने वसीयत पर हस्ताक्षर नहीं किया था। इस गवाह के अनुसार, हीराकांत झा जीवित है और वह जिला राँची में खेलारी में निवास करता है। वर्ष 1983 में अपीलार्थीगण मुश्किल से 14-15 वर्ष की आयु के थे। परिवार की संपत्तियों के संबंध में पूछे जाने पर वह कहता है कि वह संपूर्ण संपत्तियों से अवगत नहीं है। वह नहीं कह सकता था कि कौन सी संपत्ति कमल साहू की स्वअर्जित संपत्ति थी और कौन सी संपत्ति पैतृक संपत्ति थी।

विरोधी पक्षकार सं० 2 नागेश्वर साहू अपीलार्थियों का पिता है। उसने अपीलार्थियों के मामले का समर्थन करते हुए कारण बताओ दाखिल किया है किंतु उसने कोई लिखित कथन दाखिल नहीं किया था। इस गवाह ने न केवल अपीलार्थियों के पक्ष में निष्पादित वसीयत का निष्पादन न्यायोचित ठहराया है बल्कि कमल साहू और परिवार द्वारा अर्जित संपत्तियों का विवरण देने की सीमा तक गया है। उसने विनिर्दिष्टतः

कथन किया है कि मौजा महुलिया के अंतर्गत पड़ी संपत्तियाँ उसके पिता स्व॰ कमल साहू द्वारा अर्जित की गयी थी और इस पर उसका स्वामित्व एवं अधिभोग था। वह कहता है कि भाईयों एवं उसके पिता कमल साहू के बीच मौखिक बँटवारा वर्ष 1981 में हुआ था। उक्त बँटवारा के बाद उसका पिता कमल साहू उसके साथ रहने लगा था। विरोधी पक्षकार सं॰ 1, 3, 4 से 6 ने अपने पिता की उपेक्षा किया था और उन्होंने कमल साहू का देखभाल करना छोड़ दिया था। उसके बाद, उसके तीन पुत्र जो मामले में अपीलार्थीगण हैं ने भोजन, औषधि एवं अन्य सुविधा प्रदान करके कमल साहू की देखभाल करने लगे थे। उसके पिता की मृत्यु उसके निवास स्थान पर दिनांक 30.10.1993 को हो गयी। अंतिम क्रियाकर्म के लिए उपगत व्यय अपीलार्थियों द्वारा वहन किया गया था।

अपने प्रतिपरीक्षण में वह कहता है कि वसीयतकर्ता द्वारा विरासत में दी गयी संपत्ति अपीलार्थियों के कब्जा एवं अधिभोग के अधीन है और वे इस पर खेती कर रहे हैं।

नेवस कुजुर (विरोधी पक्षकार सं॰ 4, 5 एवं 6 के लिए ए॰ डब्ल्यू॰ 1) ने कहा है कि कमल साहू एवं उसके पुत्रों की समस्त संपत्तियाँ संयुक्त संपत्ति है और उनका इसके उपर संयुक्त कब्जा है। अपीलार्थियों के पक्ष में कमल साहू द्वारा कोई वसीयत कभी नहीं निष्पादित किया गया था।

बीरबल साहू (विरोधी पक्षकार सं॰ 4, 5 एवं 6 के लिए ए॰ डब्ल्यू॰ 2), शिवनंदन साहू (विरोधी पक्षकार सं॰ 4, 5 एवं 6 के लिए ए॰ डब्ल्यू॰ 3) और किशोरी साहू (वर्तमान ओ॰ पी॰ सं॰ 2 और विरोधी पक्षकार सं॰ 4, 5 एवं 6 के लिए ए॰ डब्ल्यू॰ 3) ने लगभग वही तथ्य दोहराया है कि प्रशासन पत्र के प्रदान के लिए अपीलार्थियों द्वारा लाया गया वसीयत झूठा एवं मनगढ़ंत है। कमल साहू द्वारा छोड़ी गयी संपत्ति हड़पने के लिए दस्तावेज सृजित किए गए थे। वस्तुतः, विरोधी पक्षकार सं॰ 2 नागेश्वर साहू जो अपीलार्थीगण का पिता है ने कमल साहू द्वारा वसीयत के निष्पादन की कहानी गढ़ा है और कूटरचित वसीयत तैयार करने में अपीलार्थियों का मदद किया है ताकि कमल साहू द्वारा छोड़ी गयी अविभाजित संपत्तियाँ केवल उसके द्वारा अर्जित की जा सके।

7. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त ने साक्ष्य का कुअधिमूल्यन किया है और उत्तराधिकार अधिनियम से संबंधित विधि का गलत अर्थ लगाया है। न्यायालय से वसीयत की वास्तविकता देखने की उम्मीद की जाती है और विधि के अनुरुप वसीयत का निष्पादन सिद्ध करना प्रतिपादक का दायित्व है। अभिलेख पर लाया गया वसीयत सिद्ध किया गया है जैसा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अधीन आवश्यक है। अनुप्रमाणक साक्षियों में से एक रामकुमार साहू (ए॰ डब्ल्यू॰ 1) ने स्पष्टतः कथन किया है कि वसीयतकर्ता कमल साहू ने अपीलार्थियों द्वारा दी गयी सेवा से संतुष्ट होकर अपना वसीयत निष्पादित करने का निर्णय किया था। वह राँची सिविल न्यायालय आया और लिपिक लक्ष्मण सिंह से वसीयत तैयार करने का अनुरोध किया। तद्नुसार, लक्ष्मण सिंह के लेखन में वसीयत तैयार किया गया था और इसे कमल साहू को पढ़ कर सुनाया गया था जिसके बाद उसने ए॰ डब्ल्यू॰ 1 राम कुमार साहू एवं एक अन्य अनुप्रमाणक गवाह हीराकांत झा की उपस्थिति में अपने बायें हाथ के अंगूठे का निशान लगाया था। कमल साहू द्वारा निष्पादित वसीयत प्रदर्श 2 के रूप में अपना हस्ताक्षर और प्रदर्श 1/1 के रूप में हीराकांत झा का हस्ताक्षर सिद्ध किया है। चूँकि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 की आवश्यकता परिपूर्ण की गयी है, विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त को अपीलार्थियों के पक्ष में प्रशासन पत्र प्रदान करना चाहिए था। विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त संपत्तियों के विस्तृत विवरण पर चर्चा करने की सीमा तक गए जो अनावश्यक था। वसीयत अस्वीकार करने का कारण,

जैसा दिया गया है, मान्य नहीं है और प्रोबेट केस सं॰ 57/1997 से उद्भूत होने वाले प्रोबेट अभिधान वाद सं॰ 5/2004 के संबंध में अपर न्यायिक आयुक्त सं॰ VI, राँची द्वारा पारित दिनांक 22.6.2006 का आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने का दायी है और स्व॰ कमल साहू द्वारा निष्पादित वसीयत के विरुद्ध अपीलार्थियों के पक्ष में प्रशासन पत्र प्रदान किए जाने का निर्देश दिया जा सकता है।

अपीलार्थियों ने **मैथ्यू ऊमन बनाम सुशीला मैथ्यू, AIR 2006 SC 786** और **जगदीश चंद्र शर्मा, (2015)5 SCCR 457** में निर्णयों पर विश्वास किया है।

8. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्कों का विरोध किया है और निवेदन किया है कि वसीयत कूटरचित है। वसीयत का निष्पादन एवं न्यायालय के समक्ष इसकी प्रस्तुति संदेह से घिरे हैं। अपीलार्थीगण अभिकथित वसीयत के निष्पादन के समय पर अवयस्क थे, अत: उनके कमल साहू को उसकी वृद्धावस्था में सेवा देने का प्रश्न बिल्कुल उद्भूत नहीं होता है। विरोधी पक्षकार सं॰ 2 अभिकथित वसीयत की प्रस्तुति के पीछे का योजना निर्माता है और उसने कमल साहू द्वारा छोड़ी गयी संपत्ति को हड़पने के लिए प्रसंग रचा और उपाय निकाला है। चूँकि वसीयत का निष्पादन संदेहास्पद परिस्थितियों से घिरा है, विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त ने इसे सही प्रकार से अस्वीकार किया है।

प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने **बालाथन डयूथम एवं एक अन्य बनाम एझिलारासन, (2010)5 SCC 770,** मामले में निर्णय तथा **सुश्री चित्रा उर्फ तुलु मित्रा एवं अन्य बनाम श्रीमती वंदना मित्रा एवं अन्य, 2014 (3) JBCJ 1 (Jharkhand High Court),** मामले में निर्णय पर विश्वास किया है और इंगित किया है कि **सुश्री चित्रा (ऊपर)** मामले में इस न्यायालय ने निर्णय के विरुद्ध दाखिल एस॰ एल॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 8274/2015 दिनांक 11.5.2015 के आदेश के तहत खारिज कर दी गयी।

9. मैंने आक्षेपित निर्णय तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों का परिशीलन किया है। यह सुनिश्चित विधि है कि वसीयत उसी तरह सिद्ध की जानी है जैसे अन्य दस्तावेजों को विधि के अनुसार सिद्ध किया जाता है और न्यायालय समान तरीके से जाँच करेगा। प्रतिपादक को संतोषजनक साक्ष्य द्वारा दर्शाने के लिए बुलाया जाएगा कि वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत पर हस्ताक्षर किया गया था, कि वसीयतकर्ता प्रासंगिक समय पर स्वस्थ मानसिक दशा में था, कि उसने व्ययन की प्रकृति एवं प्रभाव को समझा और स्वेच्छापूर्वक वसीयत पर हस्ताक्षर किया था। अत:, वसीयत के प्रतिपादक को संदेहास्पद परिस्थितियाँ समाप्त करके इसके सम्यक एवं वैध निष्पादन को सिद्ध करना होगा। यदि वसीयत के निष्पादन को घेरने वाली संदेहास्पद परिस्थितियाँ हैं, प्रतिपादक को तर्कपूर्ण एवं संतोषजनक साक्ष्य द्वारा इसे हटाना होगा। वसीयत वास्तविक है या नहीं, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर विनिश्चित किया जाना होगा। यह विनिश्चित करने के लिए गणितीय समीकरण नहीं है कि वसीयत वास्तविक है या नहीं। वसीयत की प्रामाणिकता इसके निष्पादन को घेरने वाली परिस्थितियों तथा साक्ष्य जिसे इसकी वास्तविकता के संबंध में दिया गया है की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा। मानव का स्वाभाविक आचरण अपना जीवन सुगमतापूर्वक चलाने तथा अपना भावी जीवन सुरक्षित बनाने के लिए संपत्ति अर्जित करना है। वे अपने संतानों, संबंधियों एवं मित्रों की तुलना में संपत्ति से अधिक जुड़ जाते हैं। इस प्रकार अर्जित संपत्ति को संरक्षित करने के लिए, वह न केवल अपने जीवनकाल के दौरान समस्त सर्वोत्तम प्रयास करता है बल्कि यह व्यवस्था करने का प्रयास भी करता है कि उसकी मृत्यु के बाद संपत्ति का दुरुपयोग न हो। मेरे कहने का अर्थ है कि यदि संतति संपत्ति विरासत में पाने में सक्षम नहीं है, वह वसीयत निष्पादित करके अथवा सही हाथ में संपत्ति दान के रूप में अंतरित करके विशेष व्यवस्था करता है। वसीयत एक प्रकार का दस्तावेज है जिसके द्वारा वसीयतकर्ता अपनी संपत्ति विरासत में देने की अपनी अंतिम इच्छा अभिव्यक्त करता है, अत: न्यायालय को अधिक सतर्क, सावधान

एवं जिम्मेदार होना चाहिए जब ऐसा वसीयत प्रोबेट अथवा प्रशासन पत्र के प्रदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। न्यायालय को उन परिस्थितियों की कल्पना करनी होगी जिसमें वसीयत निष्पादित किया गया था और यदि परिस्थितियाँ संदेहमुक्त नहीं हैं, प्रतिपादक को तर्कपूर्ण एवं विश्वासोत्पादक स्पष्टीकरण के साथ उन संदेहास्पद परिस्थितियों को दूर करने के लिए बुलाया जाएगा।

10. अब तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर आते हुए, यह प्रतीत होता है कि अभिकथित वसीयत दिनांक 9.11.1983 को निष्पादित की गयी थी और वसीयतकर्ता उक्त वसीयत के निष्पादन के बाद आगे दस वर्षों तक जीवित रहा। ए० डब्ल्यू० 1 ने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा 1 में कथन किया है कि वसीयतकर्ता ने अपीलार्थियों द्वारा दी गयी सेवा से संतुष्ट होने पर दिनांक 7.11.1983 को वसीयत तैयार करने का निर्णय किया था और इसे ए० डब्ल्यू० 1 एवं हीराकान्त झा की उपस्थिति में तैयार किया गया था। किंतु पैराग्राफ 11 में वह कहता है कि कमल साहू ने अपना पहला और अंतिम वसीयत दिनांक 9.11.1983 को निष्पादित किया था। इस गवाह ने पुनः पैराग्राफ 19 में अभिसाक्ष्य दिया है कि दिनांक 9.11.1983 को कमल साहू इस गवाह एवं हीराकांत झा के साथ वसीयत निष्पादित करने राँची सिविल न्यायालय आया था और वे बस में सुबह राँची आए थे। लक्ष्मण सिंह द्वारा वसीयत तैयार की गयी थी। अपने मुख्य परीक्षण में इस गवाह द्वारा दिया गया बयान स्वयं विरोधाभासी है। समय के एक बिंदु पर वह कहता है कि इसे दिनांक 7.11.1983 को तैयार किया गया था, पुनः वह कहता है कि इसे दिनांक 9.11.1983 को तैयार किया गया था। वह एकमात्र गवाह है जिसने प्रदर्श 2 का निष्पादन सिद्ध किया है। लेखक का परीक्षण नहीं किया गया है और यह अभिसाक्ष्य दिया गया था कि इस गवाह के परीक्षण की तिथि के दस वर्ष पहले उसकी मृत्यु हो गयी। जहाँ तक एक अन्य अनुप्रमाणक साक्षी हीराकांत झा का संबंध है, वह कहता है कि उसकी मृत्यु लगभग 3-4 वर्ष पहले हुई थी। ए० डब्ल्यू० 2 का परीक्षण इस बिन्दु पर भी किया गया है कि वह लेखक लक्ष्मण सिंह को जानता था और वे दोनों सिविल न्यायालय, राँची में अधिवक्ता लिपिक के रूप में कार्यरत थे और उनका सरिस्ता भी अगल-बगल था। आश्चर्यजनक रूप से, उसका ध्यान वसीयत में अभिकथित रूप से आने वाले लक्ष्मण सिंह के लेखन तथा हस्ताक्षर की ओर आकृष्ट नहीं किया गया था। ए० डब्ल्यू० 2 का परीक्षण केवल यह सिद्ध करने के लिए किया गया है कि लक्ष्मण सिंह के रूप में ज्ञात व्यक्ति सिविल न्यायालय, राँची में अधिवक्ता लिपिक के रूप में कार्यरत था। जहाँ तक एक अन्य अनुप्रमाणक साक्षी हीराकांत झा का संबंध है, विरोधी पक्षकारों की ओर से परीक्षण किए गए इस गवाह ने स्पष्टतः कथन किया है कि वह जीवित है और खेलारी में निवास कर रहा है किंतु उसे ए० डब्ल्यू० 1 के साक्ष्य को संपुष्ट करने के लिए समन नहीं किया गया है। यह उल्लेख करना अनावश्यक है कि लक्ष्मण सिंह अथवा हीराकांत झा की मृत्यु के संबंध के संबंध में प्रमाण पत्र प्रतिपादक द्वारा प्रतिवाद न्यायोचित ठहराने के लिए नहीं लाया गया है।

11. अब एक अन्य संदेहास्पद परिस्थिति यह है कि अपीलार्थीगण, न्यायालय में अपने अभिसाक्ष्य के अनुसार, वर्ष 1983 जब इसे निष्पादित किया गया था से वसीयत के निष्पादन के बारे में अवगत थे। अपीलार्थी-बलराम साहू के साक्ष्य के अनुसार, विरोधी पक्षकारों सहित परिवार के समस्त सदस्यों को वसीयत का निष्पादन ज्ञात था। प्रतिवाद कर रहे विरोधी पक्षकारों ने संपत्तियों के उत्तराधिकार से वंचित किए जाने के बाद भी समय के उस बिन्दु पर अपनी आवाज नहीं उठायी थी। अभिलेख पर लायी गयी कहानी पूर्णतः मौन है कि उस वसीयत का क्या हुआ जिसे अभिकथित रूप से वर्ष 1983 में निष्पादित किया गया था। स्वीकृत रूप से, कमल साहू की मृत्यु वर्ष 1993 में हुई। किंतु उसकी मृत्यु के तुरन्त बाद, अपीलार्थियों द्वारा प्रोबेट अथवा प्रशासन पत्र के प्रदान के लिए आवेदन दाखिल नहीं किया गया था। यह सत्य है कि वसीयत के विरुद्ध प्रोबेट अथवा प्रशासन पत्र के प्रदान के लिए परिसीमा नहीं है किंतु तब युक्तियुक्त समय के भीतर प्रशासन पत्र के प्रदान के लिए वसीयत की प्रस्तुति निश्चय ही इसकी वास्तविकता का समर्थन करेगी। अचानक एक सुबह अपीलार्थीगण कहते हैं कि उन्होंने अपने दादा कमल

साहू की अलमारी से वसीयत पाया है और तब प्रोबेट/प्रशासन पत्र के प्रदान के लिए आवेदन दाखिल किया है। उन्होंने यह नहीं कहा था कि उन्होंने कब अलमारी से वसीयत पाया, किंतु तथ्य बना रहता है कि आवेदन फरवरी, 1997 में अर्थात् कमल साहू की मृत्यु के चार वर्ष बाद दाखिल किया गया था। इस संबंध में, यह स्मरण करना आवश्यक है कि पक्षों के बीच बँटवारा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के मुताबिक वर्ष 1978 एवं वर्ष 1981 में हुआ था किंतु किसी भी पक्ष द्वारा संपत्तियों के बँटवारा के संबंध में दस्तावेज अभिलेख पर नहीं लाया गया है। विरोधी पक्षकार सं॰ 2 और अपीलार्थियों ने कथन किया है कि मौजा महुलिया के अंतर्गत पड़ी संपत्तियाँ, जो वसीयत की विषय वस्तु हैं, बँटवारा के बाद स्व॰ कमल साहू द्वारा स्वयं अपनी जीविका के लिए रखी गयी थी, किंतु यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर साक्ष्य नहीं लाया गया है कि किस बँटवारा के अधीन कमल साहू ने अपने उपयोग एवं अधिभोग के लिए मौजा महुलिया के अंतर्गत पड़ी संपत्तियों को रखा था। यह कहा गया है कि बँटवारा के बाद, विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के सिवाए कमल साहू के अन्य पुत्रों ने उसकी देखभाल करना छोड़ दिया था और तत्पश्चात, वह अपने पौत्रों (अपीलार्थीगण) के साथ रहने लगा था। यह प्रतिवाद भी किया गया था कि उन्होंने अपने दादा की सेवा और उसकी पूरी देखभाल किया था। तुरन्त एक-दो साल के भीतर कमल साहू ने दी गयी सेवा से संतुष्ट होकर अपीलार्थियों के पक्ष में वसीयत निष्पादित करने का निर्णय किया और इसे वर्ष 1983 में किया गया था। अपीलार्थियों का मामला यह नहीं है कि कमल साहू अपना जीवन असुरक्षित महसूस कर रहा था अथवा उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था और इसलिए उसने वसीयत के रूप में अपनी अंतिम इच्छा घोषित करने का निर्णय किया था। आगे दस वर्षों तक कमल साहू का जीवित रहना सुझाता है कि उसका स्वास्थ्य अच्छा था और उसके पास अपने जीवन यापन के लिए पर्याप्त संपत्ति थी और, इसलिए, उसके अपीलार्थियों पर निर्भर होने के प्रश्न का उत्तर दिया जाना है। यदि अपीलार्थी बलराम साहू की आयु उस तिथि से संगणित की जाती है जिस पर ए॰ डब्ल्यू॰ 1 का परीक्षण किया गया था, यह पता चलेगा कि वर्ष 1983 में वह शायद ही 17-18 वर्ष का था। उसके दो भाई उससे छोटे थे, अत: वे 14-16 वर्ष की आयु के बीच रहे होंगे। यदि वर्ष 1983 में अपीलार्थियों की आयु वह थी, आगे प्रश्न कि उन्होंने सेवा दिया था; अपने दादा कमल साहू को भोजन औषधि दिया, भी संदेहास्पद परिस्थितियाँ हैं। यह आगे प्रकट करता है कि अपीलार्थी बलराम साहू ने न्यायालय में अपने अभिसाक्ष्य में अभिवचनों के परे कतिपय तथ्य दिया है जिन पर विचार नहीं किया जा सकता था।

12. समाप्त करने के पहले, एक अन्य संदेहास्पद परिस्थिति जो सामने आ रही है, यह है कि वसीयतकर्ता ने विरोधी पक्षकारों सहित परिवार के सदस्यों से अभिकथित वसीयत का निष्पादन नहीं छुपाया था। यदि ऐसा होता, उससे उक्त वसीयत के निष्पादन के समय पर किसी भी अपीलार्थी को साथ रखने की उम्मीद की जाती थी। अपीलार्थीगण यह नहीं कहते थे कि कमल साहू ने उक्त वसीयत के निष्पादन के पहले उनको कभी भी उनके पक्ष में वसीयत निष्पादित करने की अपनी इच्छा के बारे में बताया था।

विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त ने इन समस्त पहलूओं और इर्द-गिर्द की संदेहास्पद परिस्थितियों पर चर्चा किया है और सही प्रकार से प्रशासन पत्र के प्रदान के लिए दाखिल आवेदन खारिज कर दिया, **सुश्री चित्रा उर्फ टुलु मित्रा एवं अन्य (ऊपर)** मामले में दिए गए इस न्यायालय के निष्कर्षों पर विश्वास करते हुए और वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मैं इस अपील में गुणागुण नहीं पाता हूँ। तद्नुसार, इसे खारिज किया जाता है।

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o vur fct; flg] U;k;efr

मनोज प्रसाद गुप्ता

cuke

झारखंड राज्य

I.A. Nos. 1663 of 2016 in Cr. Appeal (D.B.) No. 286 of 2015. Decided on 27th May, 2016.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 376—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 357A—बलात्कार–दंडादेश का निलंबन–अपीलार्थी ने पहले ही मुख्य दंडादेश का लगभग आधा भुगत लिया है–भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 376 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थी को दंडादेशित करते हुए न्यायालय ने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 357A के प्रावधानों का खयाल नहीं किया है–अपीलार्थी को पीड़िता को मुआवजा के रूप में 50,000/- रुपया जमा करने के अध्यधीन जमानत पर निर्मुक्त किया जाए। (पैराएँ 2 एवं 3)

अधिवक्तागण.–Mr. Avishek Prasad, For the Appellant; Ms. Rashmi Kumari, For the State.

विरेन्दर सिंह, मुख्य न्यायाधीश.–

आई॰ ए॰ सं॰ 1663 वर्ष 2016

रजिस्ट्री को वर्तमान अपील के साथ दांडिक अपील (एस॰ जे॰) सं॰ 231 वर्ष 2015 के अभिलेख को संलग्न करने का निर्देश दिया जाता है ताकि किसी असुविधा से बचने के लिए खंड न्यायपीठ द्वारा दोनों अपीलों को अंतिम रूप से सुना जाय।

2. आवेदक–अपीलार्थी विगत 4 वर्ष 7 माह से अभिरक्षा में है, तद्द्वारा उसने अपने मुख्य दंडादेश का लगभग आधा भाग भुगत लिया है। गुणागुण पर, आवेदक–अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने हमें चिकित्सीय साक्ष्य सहित समस्त तात्विक साक्ष्य से अवगत कराया है। तब उन्होंने निवेदन किया कि परिस्थितियों के वर्तमान संवर्ग में, उसके द्वारा पहले ही भुगत ली गयी अवधि पर मुख्य अपील के लंबित रहने के दौरान जमानत पर उसको निर्मुक्त करने के प्रयोजन से भी विचार किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि आवेदक–अपीलार्थी के सहदोषसिद्ध को पहले ही दांडिक अपील (एस॰ जे॰) सं॰ 231 वर्ष 2015 में जमानत का रियायत प्रदान किया गया है।

3. इन समस्त कारकों को ध्यान में रखते हुए, विशेषत: यह कि आवेदक अपीलार्थी पहले ही दंडादेश का लगभग आधा भुगत चुका है, वह दंडादेश के निलंबन की रियायत के योग्य है किंतु, हम आक्षेपित निर्णय में पाते हैं कि आवेदक अपीलार्थी को दोषसिद्ध करते हुए और उसको भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 376 के अधीन आरोप के लिए दंडादेशित करते हुए, न्यायालय ने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 357A के प्रावधान का ख्याल नहीं किया है, अत:, हम इस चरण पर दंडादेश के निलंबन के लिए आवेदक अपीलार्थी के आवेदन पर विचार करते हुए विचार में लेते हैं कि आवेदक अपीलार्थी पीड़िता को मुआवजा के रूप में 50,000/- (पचास हजार) रुपया जमा करने के अध्यधीन अपील के लंबित रहने के दौरान जमानत पर निर्मुक्त किए जाने योग्य है।

4. परिणामस्वरुप, वर्तमान आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

5. आवेदक–अपीलार्थी अर्थात् मनोज प्रसाद गुप्ता को सत्र विचारण सं॰ 569 वर्ष 2011 के संबंध में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰, हजारीबाग की संतुष्टि हेतु प्रत्येक समान राशि के दो प्रतिभूतियों के साथ 10,000/- (दस हजार) रुपयों का जमानत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर वर्तमान अपील

के लंबित रहने के दौरान जमानत पर इस शर्त के अध्यधीन निर्मुक्त किया जाए कि आवेदक–अपीलार्थी दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 357A के प्रावधान के मुताबिक पीड़िता को मुआवजा के रूप में 50,000/- (पचास हजार) रुपया अवर न्यायालय के समक्ष जमा करेगा जिसका भुगतान पीड़िता को नोटिस एवं समुचित पहचान पर विचारण न्यायालय द्वारा तुरन्त किया जाएगा।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

मो॰ नसीमुल होदा

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

Cr. M.P. No. 325 of 2016. Decided on 19th May, 2016.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—दांडिक कार्यवाही का अभिखंडन–सुलह संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने का आधार नहीं हो सकता है–दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन कार्यवाही में उच्च न्यायालय को अनेक दस्तावेजों जिन्हें अभिलेख पर लाया गया है का अतिगामी जाँच नहीं करना है–जब अन्वेषण इस हाल के चरण पर है; इसे रोकना जब याची के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला है, विधि की दृष्टि में अनुज्ञेय नहीं होगा–संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के संबंध में प्रार्थना नकारी गयी। (पैरा 7)

अधिवक्तागण.–Mr. A.K. Chaturvedi, For the Petitioner; Mr. Gouri Shankar Prasad, For the State; Mr. M.S. Anwar, For the O.P. Nos. 2 & 3.

आदेश

पक्षों को सुना गया।

2. इस आवेदन में याची ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406, 420, 464, 466, 467, 468 एवं 471 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज लोअर बाजार पी॰ एस॰ केस सं॰ 211 वर्ष 2013 के संबंध में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है। विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, राँची द्वारा पारित दिनांक 27.6.2015 के आदेश जिसके द्वारा याची के विरुद्ध गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 216 वर्ष 2015 में विद्वान न्यायिक आयुक्त, राँची द्वारा पारित दिनांक 19.12.2015 के आदेश जिसके द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी किया जाना अभिपुष्ट किया गया है के अभिखंडन के लिए आगे प्रार्थना की गयी है। उक्त प्रार्थनाओं के अतिरिक्त, याची ने विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, राँची द्वारा पारित दिनांक 26.10.2015 का आदेश जिसके द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 83 के अधीन आदेशिका जारी की गयी है के अभिखंडन के लिए भी प्रार्थना किया है।

3. आरंभ में, विरोधी पक्षकार सं॰ 2 एवं 3 द्वारा परिवाद मामला सं॰ 1915 वर्ष 2013 संस्थित किया गया था जिसे पुलिस को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 156 (3) के अधीन प्राथमिकी संस्थित करने के लिए निर्दिष्ट किया गया था, जिसके अनुसरण में, लोअर बाजार पी॰ एस॰ केस सं॰ 211 वर्ष 2013 संस्थित किया गया था। प्राथमिकी में किया गया अभिकथन यह है कि याची ने स्वयं का आयकर पेशेवर होने का दावा करते हुए परिवादियों से आयकर का भुगतान करने के लिए 40-50 लाख रुपयों की राशि लिया था किंतु उसने

आयकर विभाग के समक्ष दाखिल किसी चालान अथवा रिटर्न को प्रस्तुत नहीं किया था। यह भी अभिकथित किया गया था कि परिवादियों ने बाद में अग्रिम कर के भुगतान के लिए 10 लाख रुपयों का एक अन्य भुगतान किया था। परिवादियों को बाद में जानकारी हो सकी थी कि याची ने उनके साथ छल किया था और आयकर जमा करने की ओर राशि का कुल 10% दिया गया था। यह अभिकथित किया गया है कि जब परिवादियों ने याची को नगद राशि की प्रतिपूर्ति करने के लिए कहा, जिसे विगत 6-7 वर्षों से वसूला गया था, इससे इनकार किया गया था और अंततः परिवाद मामला संस्थित किया गया था।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री ए॰ के॰ चतुर्वेदी ने निवेदन किया है कि स्वयं प्राथमिकी अस्पष्ट है क्योंकि परिवादियों के आयकर के संबंध में और आय जिसके लिए याची द्वारा कर संग्रहित किया गया था के संबंध में भी विनिर्दिष्ट विवरण नहीं दिए गए हैं। यह निवेदन किया गया है कि 2013 तक निर्धारिती को फॉर्म पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता थी और परिवादीगण कर जमा करने के संबंध में प्रक्रिया से अवगत रहे होंगे, विशेषतः जब वे पेशेवर डॉक्टर हैं। आगे यह निवेदन किया गया है कि प्राथमिकी के संस्थापन के पहले करार किया गया था और करार का विषयवस्तु एवं प्राथमिकी में किए गए अभिकथन एक ही और समरुप हैं और जब एक बार अभिकथनों के उसी संवर्ग के लिए सुलह किया गया है, दांडिक अभियोजन अग्रसर नहीं हो सकता है। यह निवेदन भी किया गया है कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन उद्घोषणा और दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 83 के अधीन आदेशिका का जारी किया जाना दोनों ही विधि में दोषपूर्ण हैं क्योंकि उक्त आदेशों में से कोई भी विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी की व्यक्तिनिष्ठ संतुष्टि परिलक्षित नहीं करता है। विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि पुनरीक्षण न्यायालय ने पुनरीक्षण खारिज करते हुए और आदेश जिसके द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन उद्घोषणा अभिपुष्ट की गयी है अभिपुष्ट करते हुए मामले के इस पहलू पर समुचित रूप से विचार नहीं किया था।

5. वि॰ प॰ सं॰ 2 एवं 3 के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री एम॰ एस॰ अनवर ने निवेदन किया है कि इस चरण पर जब प्राथमिकी मात्र संस्थित की गयी है, संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित नहीं की जा सकती है। यह निवेदन किया गया है कि याची द्वारा जो भी दृष्टिकोण लिया गया है उसके बचाव के रूप में है और अधिकाधिक इसे विचारण न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया जा सकता है। यह निवेदन किया गया है कि संक्षिप्त कार्यवाही में साक्ष्य का अधिमूल्यन अनुज्ञेय नहीं है और वस्तुतः विरल एवं बाध्यकारी परिस्थितियों के सिवाए दांडिक कार्यवाही का दम घोंटा नहीं जा सकता है। आगे यह निवेदन किया गया है कि सुलह जिसे प्राथमिकी के संस्थापन के पहले किया गया था के संबंध में याची के विद्वान अधिवक्ता का प्रतिवाद इस चरण पर विनिश्चित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यही याची का बचाव है। दं॰ प्र॰ सं॰ की धाराओं 82 एवं 83 के अधीन क्रमशः उद्घोषणा एवं आदेशिका जारी किए जाने के संबंध में भी यह कथन करते हुए निवेदन किया गया है कि पुनरीक्षण न्यायालय ने दिनांक 19.12.2015 के अपने आदेश में मामले पर विचार किया है और जब एक बार दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी किया जाना पुनरीक्षण न्यायालय तक अभिपुष्ट किया जाता है, याची ने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन आवेदन के आवरण में अपना दावा पुनः उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि द्वितीय पुनरीक्षण पोषणीय नहीं है। विद्वान वरीय अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची ने दो अन्य डॉक्टरों को भी धोखा दिया है जिसके लिए पृथक प्राथमिकी संस्थित की गयी है। इस प्रकार, विद्वान वरीय अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि वर्तमान आवेदन खारिज किए जाने का दायी है।

6. इस आवेदन में, याची ने दो प्रार्थनाएँ की है। प्रथम प्रार्थना संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के संबंध में है जबकि द्वितीय प्रार्थना दं॰ प्र॰ सं॰ की धाराओं 82 एवं 83 के अधीन गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट एवं उद्घोषणा और आदेशिका जारी किए जाने के विरुद्ध है।

7. जहाँ तक याची की प्रथम प्रार्थना का संबंध है, स्वयं परिवाद याचिका अभिकथित करती है कि आयकर विभाग के समक्ष जमा करने के बहाना पर याची द्वारा विपुल राशि ली गयी थी और परिवादियों के साथ विगत 6-7 वर्षों से निरन्तर धोखा किया गया था। दृष्टिकोण जिसे याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए सुलह के संबंध में लिया गया है संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने का आधार नहीं हो सकता है क्योंकि इस न्यायालय को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन कार्यवाही में अनेक दस्तावेजों जिन्हें अभिलेख पर लाया गया है में अतिगामी जाँच नहीं करना है। इसके अतिरिक्त, जब अन्वेषण हाल के इस चरण पर है, इसे रोकना जब याची के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनाया जा रहा है विधि की दृष्टि में अनुज्ञेय नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियों में, संपूर्ण दांडिक कार्यवाही को अभिखंडित करने के संबंध में प्रार्थना नकारी जाती है।

8. जहाँ तक याची द्वारा की गयी अन्य प्रार्थना का संबंध है, दिनांक 7.7.2015 एवं दिनांक 26.10.2015 के आक्षेपित आदेश अन्वेषण अधिकारी द्वारा दाखिल तलब मात्र पर यंत्रवत पारित किए गए प्रतीत होते हैं। आदेशों में से कोई विद्वान दंडाधिकारी की व्यक्तिनिष्ठ संतुष्टि उपदर्शित नहीं करता है। जहाँ तक पुनरीक्षण आदेश का संबंध है जो भी दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 216 वर्ष 2015 में चुनौती के अधीन है, यद्यपि इसने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आदेशिका जारी करने का निर्देश देने वाले विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा पारित आदेश अभिपुष्ट किया है, किंतु यह भी मूल त्रुटियों से पीड़ित है क्योंकि न्यायिक विवेक का गैर-इस्तेमाल तथा तर्कपूर्ण कारणों की अनुपस्थिति दर्शाने वाले विद्वान दंडाधिकारी के आदेशों को पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा विचार में नहीं लिया गया है। यद्यपि वि॰ प॰ सं॰ 2 एवं 3 के विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा जोरदार तर्क किया गया है कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन यह आवेदन द्वितीय पुनरीक्षण के आवरण में है, किंतु जहाँ तक दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 216 वर्ष 2015 में पारित आदेश को दी गयी चुनौती का संबंध है, जब इसमें ज्वलंत गलती है, यह न्यायालय दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

9. उक्त कथित तथ्यों एवं परिस्थितियों की संपूर्णता में, याची के विरुद्ध प्रारंभ की गयी संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने के संबंध में याची की प्रार्थना अस्वीकार करते हुए, जी॰ आर॰ केस सं॰ 5215 वर्ष 2013 में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, राँची द्वारा पारित दिनांक 7.7.2015 तथा दिनांक 26.10.2015 के आदेशों को और विद्वान न्यायिक आयुक्त, राँची द्वारा पुनरीक्षण में पारित दिनांक 19.12.2015 के पश्चातवर्ती आदेश को अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है और विद्वान दंडाधिकारी को विधि के अनुरुप अग्रसर होने की स्वतंत्रता दी जाती है।

10. यह आवेदन अंशत: अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; vkuUn lu] U;k;efr

सुधीर राम उर्फ सुधीर कुमार

cuke

सेंट्रल कोल फील्ड्स लि॰ एवं अन्य

W.P. (S) No. 4485 of 2014. Decided on 20th May, 2016.

श्रम एवं औद्योगिक विधि–अनुकंपा पर नियुक्ति–अवयस्क दावेदार–एन॰ सी॰ डब्ल्यू॰ ए॰ के खंड 9.5.0 (iii) के मुताबिक, याची जीवित रोस्टर पर रखे जाने का हकदार था–अवयस्क

द्वारा जीवित रोस्टर पर अपने को रखने के लिए प्रबंधन को सूचित करने के लिए परिसीमा नहीं है–यह सूचना समय के किसी बिन्दु पर, दावेदार के वयस्कता प्राप्त करने के एक दिन पहले भी, दी जा सकती है–सी॰ सी॰ एल॰ को उसे जीवित रोस्टर में रखना चाहिए था और उसके वयस्कता प्राप्त करने के बाद उसको नियुक्ति का प्रस्ताव देना चाहिए था–आक्षेपित आदेश अपास्त–गुणागुण पर विचार के लिए मामला परियोजना अधिकारी को वापस भेजा गया। (पैराएँ 9 एवं 10)

अधिवक्तागण.–M/s Deen Bandhu, Om Prakash Prasad & Abhijeet Kumar Singh, For the Petitioner; Mr. A.K. Das, For the C.C.L.

आदेश

सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि॰ के विद्वान अधिवक्ता को न्यायालय में प्रति शपथ पत्र दाखिल करने की अनुमति दी जाती है और इसे स्वीकार किया जाता है।

2. याची अर्थात् सुधीर राम उर्फ सुधीर कुमार ने दिनांक 23.2.2013 के आदेश, जिसके द्वारा अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए उसका आवेदन सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि॰ द्वारा इस आधार पर अस्वीकार किया गया है कि दावा विलंबित है, को चुनौती देते हुए इस रिट आवेदन को दाखिल किया है।

3. याची का पिता अर्थात् बिंदेश्वर मोची सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि॰ का कर्मचारी था। वह सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि॰ के झारखंड ओपेन कास्ट परियोजना, हजारीबाग में पंप खलासी था। बिंदेश्वरी मोची की सेवा में रहते 18.1.1995 को मृत्यु हुई थी। याची स्व॰ बिन्देश्वरी मोची का ज्येष्ठ पुत्र है। याची की जन्मतिथि दिनांक 10.4.1979 होने के कारण वह अपने पिता की मृत्यु के समय पर अवयस्क था। यद्यपि वह अवयस्क था किंतु वह 15 वर्ष से अधिक की आयु का था और इस दशा में, वयस्कता प्राप्त करने पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए जीवित रोस्टर में रखे जाने का दायी था। याची की माता ने याची का नाम जीवित रोस्टर में रखने के लिए और उसके वयस्कता प्राप्त करने पर नियोजन प्रस्तावित करने के लिए दिनांक 12.4.1995 के पत्र के तहत सूचित एवं प्रार्थना किया। सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि॰ द्वारा इस पत्र का अस्तित्व विवादित किया गया है।

4. वयस्कता प्राप्त करने के ठीक पहले, दिनांक 16.2.1997 को एन॰ सी॰ डब्ल्यू॰ ए॰ के मुताबिक अनुकंपा नियुक्ति इप्सित करते हुए याची द्वारा सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि॰ के समक्ष आवेदन दाखिल किया गया था। उक्त आवेदन समुचित फॉर्मेट में था। सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि॰ द्वारा अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए इस आवेदन पर विचार किया गया था और अंतत: दिनांक 23.2.2013 के आदेश के तहत याची का दावा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि आवेदन अपने पिता की मृत्यु की तिथि से डेढ़ वर्षों से अधिक समय बाद दाखिल किया गया है, इस प्रकार दावा समय वर्जित है। इस अस्वीकरण ने वर्तमान रिट आवेदन उद्भूत किया।

5. सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि॰ ने अपना प्रतिशपथपत्र दाखिल किया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि इस याची के पिता की मृत्यु दिनांक 18.1.1995 को हुई। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि याची मृतक का पुत्र है क्योंकि उसका नाम कर्मचारी की सेवापुस्तिका में आता है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिनांक 16.2.1997 को दाखिल किया गया था और उक्त आवेदन अभिलेख पर लाया गया है। यह विवादित नहीं है कि आवेदन समुचित फॉर्मेट में है। सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि॰ द्वारा याची की आयु भी विवादित नहीं की गयी है जिसका अर्थ है कि याची अवयस्क था यद्यपि अपने पिता की मृत्यु के समय पर अर्थात् दिनांक 18.1.1995 को 15 वर्षों से अधिक आयु का था।

6. पक्षों के बीच विवाद की वजह यह है कि आवेदन अपने पिता की मृत्यु की तिथि से डेढ़ वर्ष से अधिक समय बाद दाखिल किया गया है। ऐसा होने के नाते, दावा समय वर्जित है।

7. राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार (एन॰ सी॰ डब्ल्यू॰ ए॰) 15 वर्ष के आयु से अधिक के अवयस्क आश्रित को नियुक्ति का प्रस्ताव देने के लिए, जब उक्त अवयस्क वयस्कता प्राप्त करता है, जीवित रोस्टर में रखना प्रावधानित करता है। यह स्वीकृत मामला है कि याची अपने पिता की मृत्यु के समय पर अवयस्क था और 15 वर्ष से अधिक आयु का था। इस प्रकार, खंड 9.5.0 (iii) के मुताबिक जीवित रोस्टर पर रखे जाने का हकदार था और केवल उसके वयस्कता प्राप्त करने पर सेंट्रल कोल फील्ड्स लि॰ उसे नियोजन का प्रस्ताव देने के लिए बाध्य था।

8. सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि॰ के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि चूँकि अनुकंपा नियुक्ति इप्सित करने वाला आवेदन केवल दिनांक 16.2.1997 को अर्थात् अपने पिता की मृत्यु के डेढ़ वर्ष से अधिक बाद दाखिल किया गया था, इस पर विचार नहीं किया जा सकता था।

9. मैं उक्त निवेदन में बल नहीं पाता हूँ। याची अपने पिता की मृत्यु की तिथि पर अवयस्क होने के नाते अनुकंपा पर नियुक्ति इप्सित करते हुए आवेदन दाखिल नहीं कर सकता था। अधिकाधिक, वह सेन्ट्रल कोल फील्ड्स के प्राधिकारियों से स्वयं को जीवित रोस्टर में रखने का अनुरोध कर सकता था। यद्यपि, याची की माता द्वारा उस प्रभाव का आवेदन दाखिल किया गया था, किंतु सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि॰ द्वारा इसका अस्तित्व विवादित किया गया है। अगर उक्त दस्तावेज विवादित भी किया जाता है, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि॰ द्वारा दिनांक 16.2.1997 का आवेदन विवादित नहीं किया गया है। दिनांक 16.2.1997 का यह आवेदन भी तब दाखिल किया गया था जब याची अवयस्क था। स्वयं को जीवित रोस्टर पर रखने के लिए अवयस्क द्वारा प्रबंधन को सूचित करने के लिए परिसीमा नहीं है। समय के किसी बिंदु पर, दावेदार के वयस्कता प्राप्त करने के एक दिन पहले भी, यह सूचना दी जा सकती है। मामले के तथ्यों में, मैं पाता हूँ कि आवेदन व्यस्कता प्राप्त करने के पहले दाखिल किया गया था। चूँकि आवेदन की तिथि पर याची ने वयस्कता प्राप्त नहीं किया था, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि॰ को उसे जीवित रोस्टर में रखना चाहिए था और उसके वयस्कता प्राप्त करने पर उसे नियुक्ति का प्रस्ताव देना चाहिए था। सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि॰ द्वारा ऐसा नहीं किए जाने के कारण उन्होंने घोर अवैधता किया है। सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि॰ ने दिनांक 23.2.2013 को याची का दावा इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह समय वर्जित है। सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि॰ द्वारा प्राप्त निष्कर्ष भी इस सरल कारण से दोषपूर्ण है कि यद्यपि याची अपने पिता की मृत्यु की तिथि से डेढ़ वर्षों के भीतर आवेदन दे सकता था, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि॰ उसको नियुक्त नहीं कर सकता था क्योंकि उस तिथि पर भी वह अवयस्क था। केवल दिनांक 10.4.1997 के बाद (तिथि जब याची ने वयस्कता प्राप्त किया) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि॰ उसको नियुक्ति पत्र का प्रस्ताव दे सकता था। चूँकि स्वीकृत रूप से याची का आवेदन दिनांक 16.2.1997 का है अर्थात् वयस्कता प्राप्त करने की तिथि के पहले का है, उसका आवेदन इस आधार पर फेंका नहीं जा सकता था कि यह विलंबित है। इस प्रकार, आक्षेपित आदेश बिल्कुल दोषपूर्ण है और अपास्त किए जाने का दायी है।

10. मामले के पूर्वोक्त तथ्यों एवं उपर किए गए संप्रेक्षणों पर, रिट आवेदन के परिशिष्ट 8 में अंतर्विष्ट दिनांक 23.2.2013 का आदेश, जिसके द्वारा अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए याची का आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है, अपास्त किया जाता है। इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुती की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर गुणागुण पर याची के मामले पर विचार करने के लिए मामला प्रत्यर्थी सं॰ 5, परियोजना अधिकारी, झारखंड ओपेन कास्ट परियोजना, हजारीबाग, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि॰ के

पास वापस भेजा जाता है। यदि प्राधिकारी गुणागुण पर पाता है कि याची अनुकंपा पर नियुक्ति पाने का हकदार है, तत्पश्चात एक माह के भीतर आवश्यक नियुक्ति पत्र जारी किया जाना चाहिए।

11. इस मामले से अलग होने के पहले, इस तथ्य को प्रकाशमान करना आवश्यक है कि सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि॰ के मुताबिक, अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिनांक 16.2.1997 को दाखिल किया गया था। सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि॰ मामले पर बैठा रहा और अंतत: दिनांक 23.2.2013 को अर्थात् 16 वर्षों से अधिक समय बाद याची का दावा अस्वीकार कर दिया। यह सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि॰ की ओर से घोर उपेक्षा दर्शाता है। सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि॰ के प्राधिकारियों को समुचित खयाल रखना चाहिए कि अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए आवेदन छह माह की अवधि के भीतर, और न कि उससे अधिक, निपटाया जाता है। सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि॰ की ओर से इस घोर उपेक्षा को ध्यान में रखते हुए सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि॰ पर 50,000/- (पचास हजार) रुपयों का व्यय याची को एक माह के भीतर भुगतान किए जाने के लिए अधिरोपित किया जाता है।

12. पूर्वोक्त निर्देशों एवं संप्रेक्षणों के साथ यह रिट आवेदन निपटाया जाता है।

13. इस आदेश की प्रति सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि॰ को संसूचित की जाए।

---

ekuuh; çeFk iVuk;d] U;k;efr

शोभा देवी

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 6634 of 2013. Decided on 17th May, 2016.

सेवा विधि–वसूली–अभिकथित अधिक भुगतान की वसूली मृतक कर्मचारी के विधिक प्रतिनिधियों से नहीं की जा सकती है–उपदान राशि की वसूली का आदेश विधित: संपोषणीय नहीं है। (पैराएँ 3 से 5)

निर्णयज विधि.–(2007) 4 SCC 502; 2008 (1) JLJR 486—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Arbind Kumar Choudhary, For the Petitioner; M/s Rishikesh Giri, Richa Sanchita, For the Respondents.

आदेश

वर्तमान रिट आवेदन में याची ने प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 4 को याची के पक्ष में मंजूर उपदान राशि से 4,30,670/- रुपया रोकने का निर्देश देते हुए जारी दिनांक 14.6.2013 के पत्र के अभिखंडन एवं सांविधिक तथा शास्तिक ब्याज के साथ उपदान, पेंशन, पेंशन बकाया एवं अन्य स्वीकृत सेवानिवृत्ति देयों के भुगतान के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देश के लिए प्रार्थना किया है।

2. जैसा रिट आवेदन में वर्णित किया गया है, याची के पति की मृत्यु सेवारत रहते हुए, लघु सिंचाई डिविजन, जामतारा के कार्यालय में टंकक के रूप में 33 वर्षों से अधिक की सेवा देने के बाद दिनांक 4.3.2012 को हो गयी। याची के पति की मृत्यु के बाद, उसने सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष सेवानिवृत्ति पश्चात लाभों के लिए आवेदन दिया था। याची ने सामान्य भविष्य निधि राशि, सामूहिक बीमा राशि एवं अवकाश नगदकरण राशि प्राप्त किया था। यद्यपि, याची का पेंशन एवं उपदान राशि पहले ही क्रमश:

दिनांक 14.3.2013 एवं दिनांक 15.3.2013 को महालेखाकार के कार्यालय द्वारा मंजूर किया गया है, जैसा रिट आवेदन के परिशिष्ट–2 से स्पष्ट है, याची को इसका भुगतान नहीं किया गया है जिसके लिए याची ने प्रत्यर्थी सं॰ 2 के समक्ष अभ्यावेदन दिया और अभ्यावेदनों के अनुसरण में उन्होंने प्रत्यर्थी सं॰ 3 को याची को समस्त आवश्यक भुगतान करने का निर्देश दिया। किंतु आश्चर्यजनक रूप से, प्रत्यर्थी सं॰ 3 ने दिनांक 14.6.2013 के आक्षेपित आदेश पत्र द्वारा कोषाधिकारी, देवघर (प्रत्यर्थी सं॰ 4) को उपदान राशि से 4,30,670/- रुपयों का भुगतान रोकने का निर्देश दिया है। आक्षेपित पत्र से व्यथित होकर, याची अपनी शिकायत दूर करवाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन असाधारण अधिकारिता का अवलंब लेते हुए इस न्यायालय के पास आयी।

3. याची के अधिवक्ता श्री अरबिन्द कुमार चौधरी ने जोरदार आग्रह किया है कि प्रत्यर्थीगण अधिकारितारहित हैं और उपदान एवं पेंशन रोका है जब पति की मृत्यु पर याची के मृतक पति के विरुद्ध विभागीय अथवा दांडिक कार्यवाही लंबित नहीं है। याची के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थी प्राधिकारी को राशि रोकने का प्राधिकार नहीं था जब इसे पहले ही रिट आवेदन के परिशिष्ट 2 के तहत महालेखाकार द्वारा याची के पक्ष में मंजूर किया गया है। अपना बिंदु पुख्ता करने के लिए याची ने **मोस्मात सुमित्रा देवी बनाम झारखंड राज्य, मुख्य अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग के माध्यम से एवं अन्य,** 2008 (1) JLJR 486 में पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय को निर्दिष्ट किया है जिसमें यह न्यायालय **(2007)4 SCC 502** में प्रकाशित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अनुसरण करके संप्रेक्षित किया है कि मृतक कर्मचारी के विधिक प्रतिनिधियों से अभिकथित अधिक राशि की वसूली नहीं की जा सकती है।

4. जी॰ पी॰ II के कनीय अधिवक्ता श्री ऋषिकेश गिरी एवं प्रत्यर्थी सं॰ 5 के अधिवक्ता सुश्री ऋचा संचिता ने अपने–अपने प्रतिशपथ पत्रों में किए गए निवेदनों को दोहराया है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची ने अपनी सेवावधि में अधिक भुगतान पाया है। महालेखाकार, झारखंड, राँची द्वारा मंजूर उपदान राशि का भुगतान सश्रम प्राधिकारी के राशि आधिक्य रोकने के अंतिम निर्णय के अध्यधीन किया गया है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा दाखिल दिनांक 10.3.2015 के प्रति शपथपत्र को निर्दिष्ट करके निवेदन किया कि याची के पति ने विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बिना ए॰ सी॰ पी॰ का लाभ प्राप्त किया जबकि यह विभाग का सन्नियम एवं नियम है कि केवल वे कर्मचारी इस लाभ को पा सकते हैं जो विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इस प्रकार, याची के पति ने आधिक्य/अतिरिक्त राशि अर्थात् 4,30,670/- रुपया प्राप्त किया है और इसे याची को सूचित किया गया है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि याची ने पहले ही जी॰ पी॰ एफ॰ का 4,65,359/- रुपया, सामूहिक बीमा का 2,13,344/- रुपया और अवकाश नगदकरण का 2,87,100/- रुपया प्राप्त किया है।

5. परस्पर पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद एवं अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों के परिशीलन पर मेरा सुविचारित दृष्टिकोण है कि उपदान राशि से 4,30,670/- रुपया वापस रोकने का प्रत्यर्थी सं॰ 4 को निर्देश देते हुए प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा जारी दिनांक 14.6.2013 का आक्षेपित पत्र पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय (उपर) की दृष्टि में विधित: संपोषणीय नहीं है। तद्नुसार, परिशिष्ट–5 के तहत दिनांक 14.6.2013 का आक्षेपित पत्र एतद् द्वारा अभिखंडित किया जाता है और प्रत्यर्थी सं॰ 4 को रिट आवेदन

के परिशिष्ट–2 के मुताबिक स्वीकार्य सांविधिक ब्याज के साथ पेंशन एवं उपदान का भुगतान तुरन्त करने का निर्देश दिया जाता है।

तद्नुसार, रिट याचिका निपटायी जाती है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k; ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

पी॰ पापा राव

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (D.B.) No. 424 of 2007. Decided on 22nd February, 2016.

एस॰ टी॰ सं॰ 58 वर्ष 2004 के संबंध में अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ I, बोकारो द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 12.2.2007 तथा दिनांक 15.2.2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 364A एवं 120B—फिरौती के लिए अपहरण एवं षड्यन्त्र–दोषसिद्धि–अवयस्क पीड़ित–अपीलार्थी द्वारा ट्रेन के डब्बा से फिरौती राशि उठायी गयी थी–अभियोजन ने फर्दबयान, लिखित रिपोर्ट, औपचारिक प्राथमिकी, अभिग्रहण सूची आदि सिद्ध किया है–फिरौती राशि वसूली गयी थी किंतु लड़का निर्मुक्त नहीं किया गया था और यह ज्ञात नहीं है कि पीड़ित बालक का क्या हुआ–अ॰ सा॰ के साक्ष्य ने अभियोजन मामले का पूर्ण समर्थन किया–अपील खारिज। (पैराएँ 8 से 10)

अधिवक्तागण.–Mr. Sanjay Kumar, For the Appellant; Mr. Hardeo Pd. Singh, For the State.

न्यायालय द्वारा.–यह दांडिक अपील बोकारो (सदर) चंदन क्यारी (भोजूडीह) पी॰ एस॰ केस सं॰ 136/2002 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ सं॰ 1189/2002 के तत्सम एस॰ टी॰ सं॰ 58/2004 के संबंध में अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ I, बोकारो द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 12.2.2007 तथा दिनांक 15.2.2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 364A सहपठित धारा 120B के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और आजीवन कठोर कारावास भुगतने तथा 5000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने का दंडादेश दिया गया है।

2. संक्षेप में, अभियोजन मामला यह है कि दिनांक 3.12.2002 को अपराह्न लगभग 6.30 बजे सूचक का चार वर्षीय पुत्र राहुल कुमार घर के बाहर खेलने गया था। इस बीच, बिजली आपूर्ति बाधित हो गयी थी जिसके बाद राहुल कुमार की माता राहुल को खोजने घर के बाहर आयी किंतु उसे नहीं पाया गया था। जब सूचक एवं उसके परिवार के सदस्य राहुल कुमार का पता लगाने में विफल रहे, मामला पुलिस चौकी को रिपोर्ट किया गया था। अंतत: दिनांक 8.12.2002 को राहुल के पिता अशोक कुमार अग्रवाल द्वारा लिखित रिपोर्ट दर्ज किया गया था और लिखित रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 364 (A) के अधीन दिनांक 8.12.2002 का भोजुडीह पी॰ एस॰ केस सं॰ 136/2002 दर्ज किया गया था। अन्वेषण के क्रम में, अपीलार्थी की अपराधिता का पता चला था और तब उसे गिरफ्तार किया गया था तथा कारा अभिरक्षा में भेजा गया था।

अन्वेषण अधिकारी ने सम्यक अन्वेषण के बाद आरोप-पत्र दाखिल किया और तद्नुसार संज्ञान लिया गया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था और एस॰ टी॰ सं॰ 58/2004 के रूप में दर्ज किया गया था।

अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 364A/120B/34 के अधीन आरोप विरचित किया गया था जिसके प्रति उसने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

अभियोजन ने आरोप सिद्ध करने के लिए आई॰ ओ॰ सहित कुल 10 गवाहों का परीक्षण किया। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों पर विचार करते हुए अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 364A/120B के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया और पूर्वोक्तानुसार दंडादेश दिया।

3. अपीलार्थी ने आक्षेपित निर्णय को इस आधार पर चुनौती दिया है कि घटना का चश्मदीद गवाह नहीं था। अनुज साव उर्फ अमरजीत साव (अ॰ सा॰ 7) को घटना के डेढ़ माह बाद चश्मदीद गवाह के रूप में प्रक्षेपित किया गया है। अ॰ सा॰ 7 का बयान विश्वसनीय अथवा विश्वासोत्पादक नहीं है। वह कहता है कि उसने अपीलार्थी को घटनास्थल से राहुल कुमार को उठाते और 'मारुति' वैन में जाते देखा था। उसने कहा है कि 'मारुति' वैन पर सवार होने के पहले अपीलार्थी ने उसको घटना प्रकट नहीं करने की धमकी दी थी अन्यथा उसकी हत्या कर दी जाएगी। अ॰ सा॰ 7 का आचरण स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है क्योंकि उसने किसी को घटना के बारे में नहीं बताया था। दो-तीन दिन बाद उसने अपनी माता को घटना प्रकट किया था किंतु उसकी माता ने किसी को सूचित नहीं किया था। किन परिस्थितियों के अधीन अन्वेषण अधिकारी को इस गवाह के बारे में जानकारी हुई, आई॰ ओ॰ द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है।

सूचक का परीक्षण नहीं किया गया है, अतः, लिखित रिपोर्ट में किया गया प्रतिवाद सिद्ध नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा विनिर्दिष्ट बचाव लिया गया है कि उसे मामले में झूठे अभिकथन के साथ आलिप्त किया गया है क्योंकि वह सूचक की दूसरी पत्नी के घर आता-जाता था। इस तथ्य को भी पर्यवेक्षण प्राधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण नोट में अभिलेख पर लाया गया है किंतु आई॰ ओ॰ ने उस दिशा में अन्वेषण नहीं किया था। अमर राजगढ़िया (अ॰ सा॰ 1) एवं प्रकाश शर्मा (अ॰ सा॰ 6) सूचक के आदमी हैं और उन्होंने वही अभिसाक्ष्य दिया है जो उन्हें देने के लिए कहा गया था। उनका परिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। अन्वेषण अधिकारी ने समुचित रूप से अन्वेषण नहीं किया है और सत्य का पता लगाने का प्रयास नहीं किया था। आई॰ ओ॰ ने कथन किया है कि वह वर्तमान मामले के अन्वेषण के संबंध में पूरी गया था और उसने कतिपय वस्तुओं को देखा था और वह जान सका था कि अपीलार्थी ने नाव खरीदा था जिसे नाविक को पट्टा पर दिया गया था किंतु उसने उस व्यक्ति का परीक्षण नहीं किया था जिसको पट्टा पर नाव दिया गया था। आई॰ ओ॰ ने कथन किया है कि अपीलार्थी ने अपने द्वारा वसूल की गयी फिरौती राशि से टी॰ वी॰, वाशिंग मशीन आदि खरीदा था किंतु यह पता लगाने के लिए अन्वेषण नहीं किया गया था कि कहाँ से और किस तिथि पर उन वस्तुओं को खरीदा गया था। स्वीकृत तथ्य यह है कि अपीलार्थी भारतीय रेलवे का कर्मचारी था और वह अच्छा वेतन पा रहा था और वह उसके एवं उसके परिवार के सदस्यों के लिए संतोषजनक रूप से रहने के लिए पर्याप्त था। अपीलार्थी के लिए ऐसा अपराध करने का कारण नहीं था। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन गवाहों के बयान पर विश्वास करके गलत रूप से अपीलार्थी को दोषी अभिनिर्धारित किया। दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश अपास्त किए जाने का दायी है।

4. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने तर्क का विरोध किया है और निवेदन किया है कि अभियोजन ने अपना मामला सिद्ध करने के लिए अभिलेख पर निर्णायक साक्ष्य लाया है। अ॰ सा॰ 7 चश्मदीद गवाह है जिसने अपीलार्थी को पीड़ित बालक को उठाते और अपने सहयोगियों के साथ 'मारुति' वैन में जाते देखा था। जब अ॰ सा॰ 7 ने आपत्ति किया, उसे धमकी दी गयी थी। अ॰ सा॰ 7 ने न्यायालय में अपने अभिसाक्ष्य में पूर्वोक्त तथ्य का समर्थन किया है। अमर राजगढ़िया (अ॰ सा॰ 1) ने अपीलार्थी को ट्रेन से फिरौती राशि

ले जाते देखा था। अ॰ सा॰ 1 ने संपूर्ण विवरण वर्णित किया है जिसके अधीन अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों द्वारा फिरौती राशि लेने का निर्देश दिया गया था। अपहरणकर्ताओं के निर्देश के मुताबिक, अ॰ सा॰ 6 तलगढ़िया स्टेशन पर उतरा और उस दिशा की ओर गया किंतु उसने पीड़ित बालक को वहाँ उपस्थित नहीं पाया था। अ॰ सा॰ 1 ट्रेन में बैठा रहा और वह सीट सं॰ 89 के उपरी शय्या पर रखी फिरौती राशि पर निगाह रखे था। चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन पर जब समस्त यात्री उतर गए, अपीलार्थी ने बैग में रखी फिरौती राशि लिया और अपने तीन सहयोगियों के साथ नीचे उतरा। अ॰ सा॰ 1 ने आगे अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों को हरे रंग की 'मारुति' वैन पर सवार होते देखा था और तत्पश्चात वे अपने गंतव्य की ओर चले गए। अत:, अभियोजन गवाहों ने स्पष्टत: कथन किया है कि किस प्रकार पीड़ित बालक उठाया गया था और किस प्रकार अपीलार्थी एवं उसके सहयोगियों द्वारा फिरौती राशि वसूली गयी थी।

अन्वेषण अधिकारी द्वारा बिल्कुल सही रूप से अन्वेषण किया गया था। आरंभ में, अपहृत बालक की सुरक्षा पर विचार करते हुए परिवार के सदस्यों ने फिरौती राशि की मांग के बारे में प्रकट नहीं किया था किंतु आई॰ ओ॰ उनको विश्वास में लेने के बाद यह बयान निकलवाने में सक्षम हो सका था कि अपहरणकर्ता फिरौती के लिए फोन कर रहे थे। आई॰ ओ॰ अपीलार्थी के विरुद्ध सामग्रियाँ संग्रहित करने की सीमा तक गया था और अपीलार्थी के साला/बहनोई के घर पुरी तक गया था। वह उस नाविक का पता लगाने में सक्षम हो सका था जिसको अपीलार्थी ने नाव पट्टा पर दिया था और नाव घटना के तुरन्त बाद 60,000/- रुपयों में खरीदी गयी थी। अपीलार्थी के साला/बहनोई से पट्टा करार की प्रति भी प्राप्त की गयी थी। आई॰ ओ॰ ने उस नाविक काशी राव का बयान लिया था। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने सही प्रकार से अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य, विशेषत:, अ॰ सा॰ 1, अ॰ सा॰ 6, अ॰ सा॰ 7 एवं अ॰ सा॰ 10 के साक्ष्य, तथा दस्तावेजों के आधार पर अपीलार्थी को दोषी अभिनिर्धारित किया है। इस अपील में गुणागुण नहीं है और यह खारिज किए जाने की दायी है।

5. परस्पर विरोधी निवेदनों को सुनने के बाद हमने अभिलेख का परिशीलन किया है, उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेज का परीक्षण किया है और दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश का भी परिशीलन किया है। सर्वप्रथम, हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि राहुल कुमार (सूचक के पुत्र) के गायब होने के संबंध में पुलिस को सूचना देने में विलंब नहीं हुआ था। बालक को दिनांक 3.12.2002 से गायब पाया गया था जब वह शाम में 6.30 बजे खेलने के लिए घर से बाहर गया था। जब बालक का पता नहीं लगाया जा सका था, पुलिस चौकी को सूचना दी गयी थी जिसके लिए दिनांक 3.12.2002 को थाना डायरी प्रविष्टि सं॰ 55/2002 की गयी थी। सूचक और उसके परिवार के सदस्य बालक को लगातार खोज रहे थे। जब उन्हें कोई निशान नहीं मिला, दिनांक 8.12.2002 को पीड़ित बालक के पिता अशोक कुमार अग्रवाल द्वारा राहुल कुमार के अपहरण के विरुद्ध लिखित रिपोर्ट दर्ज किया गया था। लिखित रिपोर्ट के आधार पर, अज्ञात के विरुद्ध भोजुडीह पी॰ एस॰ केस सं॰ 136/2002 दर्ज किया गया था। अ॰ सा॰ 5 गोपाल अग्रवाल उर्फ राम गोपाल द्वारा लिखित रिपोर्ट प्रदर्श 2 के रूप में सिद्ध की गयी है। उसने प्रदर्श 1 के रूप में थाना डायरी प्रविष्टि सं॰ 55/2002 भी सिद्ध किया है। अपने अभिसाक्ष्य के पैरा 3 में उसने कथन किया है कि लिखित रिपोर्ट अशोक कुमार अग्रवाल (सूचक) द्वारा दिए गए बयान पर तैयार की गयी थी और उसने लिखित रिपोर्ट सिद्ध किया है। अ॰ सा॰ 5 ने पूर्णत: अभियोजन मामले का समर्थन किया है कि सूचक का पुत्र राहुल कुमार दिनांक 3.12.2002 से गायब पाया गया था। उसने पैरा 4 में आगे कथन किया है कि दिनांक 13.12.2002 को अपहरणकर्ता ने अशोक कुमार अग्रवाल को फोन किया था और कहा था कि राहुल उसकी अभिरक्षा में है और उसे 5,00,000/- रुपयों के भुगतान पर निर्मुक्त किया जाएगा। फोन करने वाले ने 'आद्रा' आने का आगे निर्देश दिया है और आगे निर्देश बाद में दिया जाएगा। जब इस गवाह ने उसको राहुल कुमार से उसकी बात कराने के लिए कहा, फोन करने वाले ने कहा कि राहुल अभी उसके साथ नहीं है। दुष्टों द्वारा आगे निर्देश दिया गया था कि किस प्रकार वे राहुल को प्राप्त करने आएँगे और किस प्रकार फिरौती राशि लायी जाएगी।

6. अमर राजगढ़िया (अ॰ सा॰ 1) ने अभियोजन मामले का समर्थन किया है और वह अ॰ सा॰ 6 प्रकाश शर्मा के साथ गया था जब वे दुष्टों को फिरौती राशि सौंपने गए थे। अपने अभिसाक्ष्य के पैरा 2 में अ॰ सा॰ 1 ने कहा है कि दुष्टों ने निर्देश दिया था कि किस प्रकार वे फिरौती राशि के साथ आएँगे। उनके लिए निर्देश ट्रेन में सवार होने का था जो भोजूडीह से चंद्रपुरा स्टेशन जाती है। इंजिन से दूसरी बॉगी में सीट पर बैठने का निर्देश दिया गया था। यह निर्देश दिया गया था कि 4,00,000/- रुपयों की फिरौती राशि बैग में सीट सं॰ 89 के उपर रैक में रखी जाएगी। दुष्टों द्वारा बॉगी सं॰ 6407 भी बतायी गयी थी। आगे तलगढ़िया स्टेशन पर उतरने का निर्देश दिया गया था जहाँ वे बालक को लाल रंग की 'मारुति' कार में बैठा पाएँगे। प्रकाश शर्मा (अ॰ सा॰ 6) तलगढ़िया रेलवे स्टेशन पर बालक को लेने के लिए ट्रेन से उतरा किंतु परिणाम शून्य था। पीड़ित बालक वहाँ नहीं पाया गया था। अमर राजगढ़िया ने उसी ट्रेन से चंद्रपुरा तक अपनी यात्रा जारी रखा और वह उस बैग पर निगाह रखे था जिसमें फिरौती राशि रखी गयी थी। चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन पर जब समस्त यात्रीगण उतर गए, अपीलार्थी ने 4,00,000/- रुपयों की फिरौती राशि अंतर्विष्ट करता बैग लिया और अपने तीन सहयोगियों के साथ उतर गया और हरे रंग की 'मारुति' वैन में अपने गंतव्य की ओर चला गया। यह तथ्य अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 6 के बयान से पूर्ण समर्थन पाता है। यह तथ्य अ॰ सा॰ 5 गोपाल अग्रवाल उर्फ राम गोपाल से भी समर्थन पाता है। शांति देवी (अ॰ सा॰ 3) राहुल कुमार की दादी है। उसने अभियोजन मामले का समर्थन किया है कि राहुल दिनांक 3.12.2002 से गायब पाया गया था और तलाश की गयी थी जो निरर्थक रही। उसने कथन किया है कि घटना के 10 दिन बाद अनुज साव उर्फ अमरजीत साव (अ॰ सा॰ 7) ने उसको बताया था कि अपीलार्थी राहुल को अपने साथ ले गया था। उसने इस तथ्य का भी समर्थन किया कि दुष्टों द्वारा 5,00,000/- रुपयों की फिरौती मांगी गयी थी और उसके लिए सूचक, गोपाल एवं अमर ने फोन कॉल पाया था।

7. अब अ॰ सा॰ 7 अनुज साव उर्फ अमरजीत साव जो चश्मदीद गवाह है के साक्ष्य पर आते हुए। उसने अपीलार्थी को ''मारुति'' वैन में अपने साथ राहुल को ले जाते देखा था और अपीलार्थी के दो साथी भी वहाँ उपस्थित थे।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अनेक बार तर्क दोहराया है कि अ॰ सा॰ 7 विश्वसनीय गवाह नहीं है और उसका परिसाक्ष्य किसी विचार से त्यक्त किए जाने का दायी है। घटना के बाद, उसने किसी को घटना नहीं बताया था यद्यपि उसका घर उसी क्षेत्र में है जहाँ सूचक रहता था। राहुल का गायब होना मुहल्ला में सबको ज्ञात था किंतु बालक मौन रहा। कुछ दिन बाद, उसने अपनी माता को घटना के बारे में प्रकट किया किंतु उसने भी पुलिस अथवा राहुल के माता-पिता को सूचित करने का परवाह नहीं किया था। घटना के डेढ़ माह बाद आई॰ ओ॰ द्वारा उसका बयान दर्ज किया गया था किंतु आई॰ ओ॰ भी मौन था कि वह किस प्रकार इस गवाह के बारे में जान सका था। अनुज साव उर्फ अमरजीत साव घटना के समय पर सातवीं कक्षा का छात्र था और वह शायद ही 15 वर्ष का था। जब अपीलार्थी द्वारा राहुल को उठाया गया था, उसके द्वारा उसे धमकाया गया था और किसी को घटना नहीं बताने के लिए कहा गया था अन्यथा उसकी हत्या कर दी जाएगी और उसके घर पर बम फेंका जाएगा। हम उस बालक की मानसिक दशा की कल्पना कर सकते हैं जिसे अपहरण के अपराध के अभियुक्त द्वारा धमकाया गया था। मामले के संस्थापन के पहले, अपीलार्थी क्षेत्र में घूम रहा था और एक अवसर पर इस गवाह अ॰ सा॰ 7 को पुनः अपीलार्थी द्वारा घटना प्रकट नहीं करने की धमकी दी गयी थी। यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि किस प्रकार आई॰ ओ॰ इस गवाह के बारे में जान सका था बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि क्या ऐसे गवाह के परिसाक्ष्य को विश्वसनीय एवं विश्वासोत्पादक माना जा सकता है? हमने सावधानीपूर्वक अ॰ सा॰ 7 के

अभिसाक्ष्य का परीक्षण किया है और हम उसके बयान में कोई अतिशयोक्ति नहीं पाते हैं। उसने स्पष्टत: कथन किया है कि वह दी गयी धमकी से भयभीत था। जब उसे आई॰ ओ॰ द्वारा पुलिस थाना से भिन्न अपने क्वार्टर में बुलाया गया था, उसने घटना के बारे में अपना बयान दिया था। साक्ष्य में यह भी आया है कि आई॰ ओ॰ द्वारा उसी क्वार्टर में बालक को अकेले बुलाया गया था। साक्ष्य एवं परिस्थिति से उपधारणा अच्छी तरह की जा सकती है कि जब अ॰ सा॰ 7 ने स्वयं को सुरक्षित समझा, उसने पुलिस के समक्ष बयान दिया था। उसके आचरण में कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। इसके अतिरिक्त, हम नहीं पाते हैं कि केवल अ॰ सा॰ 7 के बयान पर दोषसिद्धि दर्ज की गयी है बल्कि अ॰ सा॰ 1, अ॰ सा॰ 5 एवं अ॰ सा॰ 6 के अभियोजन साक्ष्य भी इस बिंदु पर संगत हैं कि अपहरणकर्ताओं द्वारा फिरौती के लिए फोन किया गया था और उनको निर्देश दिया गया था कि किस प्रकार फिरौती राशि का भुगतान किया जाना है। अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 6 के बयान अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे ही फिरौती राशि का भुगतान करने गए थे। अ॰ सा॰ 1 ने स्पष्टत: कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा ट्रेन के डब्बा से फिरौती राशि उठायी गयी थी जिसके साथ तीन सहयोगी भी थे और वे सब 'मारुति' वैन से उस स्थान से चले गए; अत: अ॰ सा॰ 7 द्वारा दिया गया विवरण कि फिरौती के लिए राहुल का अपहरण किया गया था, अ॰ सा॰ 7 एवं अ॰ सा॰ 1 के बयान से समर्थन पाता है और उन दोनों ने अभिकथित अपहरण एवं फिरौती राशि की वसूली में अपीलार्थी द्वारा निभायी गयी भूमिका का वर्णन किया है।

9. हम पाते हैं कि अभियोजन ने फर्दबयान, लिखित रिपोर्ट, औपचारिक प्राथमिकी, अभिग्रहण सूची, आदि सिद्ध किया है। तथ्य बना रहा कि फिरौती राशि वसूली गयी थी किंतु बालक निर्मुक्त नहीं किया गया था और यह ज्ञात नहीं है कि चार वर्षीय पीड़ित बालक राहुल का क्या हुआ।

10. इन समस्त पहलूओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करते हुए हम इस अपील में गुणागुण नहीं पाते हैं और इसे खारिज किया जाता है। एस॰ टी॰ सं॰ 58/2004 के संबंध में अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ I बोकारो द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 12.2.2007 तथा दिनांक 15.2.2007 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश एतद् द्वारा मान्य ठहराया जाता है।

---

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o vuUr fct ; flg] U;k;efr

अशरफ अंसारी एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य

I.A. Nos. 3424 of 2016 In Cr. Appeal (D.B.) No. 443 of 2007. Decided on 27th May, 2016.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 389—दंडादेश का निलंबन–चिकित्सीय कारण–अपीलार्थी की चिकित्सीय दशा कारा में बिगड़ रही है क्योंकि उसे आवश्यक चिकित्सीय सुविधा प्रदान नहीं किया जा रहा है–अपीलार्थी विगत 11 वर्षों से अधिक समय से कारा में है और न्यायालय के विनिर्दिष्ट आदेश के बावजूद आज की तिथि तक अपील नहीं सुनी गयी है–अपीलार्थी के सह-दोषसिद्ध को पहले ही जमानत पर रिहा किया गया है–अपीलार्थी अपील लंबित रहने के दौरान दंडादेश के निलंबन की रियायत के योग्य है–आवेदन अनुज्ञात। (पैराएँ 5 से 8)

अधिवक्तागण.–Ms Rashmi Kumar, For the Appellant; Mr. Shekhar Sinha, For the State.

विरेन्दर सिंह, मुख्य न्यायाधीश.–

आई॰ ए॰ सं॰ 3424 वर्ष 2016

अपीलार्थी अशरफ अंसारी का सगा भतीजा कोई मो॰ वारिस हमारे समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ है और (स्थानीय भाषा में) हमारे समक्ष हस्तलिखित आवेदन दिया है। इस प्रकार, हम अपीलार्थी के भतीजा मो॰ वारिस के वर्तमान हस्तलिखित आवेदन को दंडादेश के निलंबन के लिए अंतर्वर्ती आवेदन के रूप में मानते हैं।

2. रजिस्ट्री को इसे अंतर्वर्ती आवेदन संख्या आवंटित करके प्रविष्ट करने का निर्देश दिया जाता है और इसे आई॰ ए॰ सं॰ 3424 वर्ष 2016 के रूप में संख्यांकित किया गया है।

3. वर्तमान अंतर्वर्ती आवेदन में यह कथन किया गया है कि उसका चाचा अशरफ अंसारी जो वर्तमान में जिला कारा, हजारीबाग में बंद है गंभीर रूप से गहन किडनी समस्या के कारण बीमार है। आवेदन में की गयी प्रार्थना यह है कि अपने चाचा का इलाज करवाने के लिए उसे सक्षम बनाते हुए जमानत प्रदान किया जाय। विद्वान अधिवक्ता सुश्री रश्मि कुमारी जिन्होंने सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर अपीलार्थी की ओर से अपना हाजिरी दिया था जब वर्तमान अपील सुना गया था, संयोगवश किसी अन्य मामले में न्यायालय में उपस्थित थी। वह दिनांक 24.8.2015 के आदेश जब अपीलार्थी को अपने किडनी समस्या एवं आँख की समस्या का इलाज करवाने के लिए उसको सक्षम बनाते हुए कुछ समय के लिए अर्नंतिम जमानत प्रदान किया गया था सहित इस न्यायालय द्वारा पारित अनेक आदेशों के बारे में न्यायालय को अवगत कराने में सक्षम हुई थी। हमने रजिस्ट्री से अभिलेख मंगाया। फाइल मूलरूप में हमारे समक्ष है और हमने समस्त आदेशों का परिशीलन किया है।

4. नि:संदेह, वर्तमान अपीलार्थी के मुख्य दंडादेश के निलंबन की प्रार्थना विभिन्न चरणों पर अस्वीकार की गयी थी, इसके प्रति निर्देश दिनांक 4.5.2016 के विगत आदेश में भी किया गया, किसी भी स्थिति में, उसे दिनांक 24.8.2015 के आदेश के तहत दंडादेश का अर्नंतिम निलंबन उसको इस निर्देश के साथ प्रदान किया गया था कि वह दिनांक 9.10.2015 को अवर न्यायालय में आत्मसमर्पण करेगा। उक्त आदेश के अनुपालन में उसने दिनांक 8.10.2015 को आत्मसमर्पण किया जैसा दिनांक 13.10.2015 के आदेश से पाया जाता है जिस तिथि पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी की अभिरक्षा की अवधि जो लगभग 11 वर्षों की है को देखते हुए मुख्य अपील सुनने का अनुरोध भी किया और इस कारण से अपील को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया था। किंतु, अपील अंतिम रूप से नहीं सुनी गयी थी जैसा अभिलेख से सिद्ध होता है। तत्पश्चात उसकी गंभीर बीमारी के कारण सीमित अवधि के लिए दंडादेश के निलंबन के लिए अपीलार्थी की ओर से एक अन्य अंतर्वर्ती आवेदन दाखिल किया गया था। न्यायालय ने उक्त आवेदन खारिज करते हुए राज्य को वर्तमान अपीलार्थी को समुचित चिकित्सीय सुविधा एवं औषधि प्रदान करने का निर्देश दिया।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्रीमती रश्मि मो॰ वारिस से अनुदेश पाने के बाद कथन करती है कि अपीलार्थी की चिकित्सीय दशा कारा में बिगड़ रही है क्योंकि उसे आवश्यक चिकित्सीय सुविधा प्रदान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कथन किया कि पहले भी 8-9 अवसरों पर उसकी गंभीर किडनी समस्या के लिए अपीलार्थी को आर॰ आई॰ एम॰ एस॰ में डायलेसिस पर रखा गया था किंतु समय बीतने के साथ किडनी ने गड़बड़ी करना शुरू कर दिया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि आँख की समस्या के कारण भी अपीलार्थी अपने बाएँ आँख की रोशनी लगभग खो दिया है और दूसरी आँख की दशा भी बिगड़ रही है।

6. हमने मुख्य अपील को अंतिम विचार के लिए सुना होता यदि दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय की सहायता करने के लिए तैयार होते। वे कथन करते हैं कि केवल एक सप्ताह के लिए

अवकाश के दौरान गठित विशेष न्यायपीठ द्वारा लिए जाने के लिए साप्ताहिक सूची में इस पर अंतिम विचार के लिए वर्तमान मामला सूचीबद्ध नहीं किया गया था और आज का दिन मुख्य अपीलों जिसमें अपीलार्थीगण/दोषसिद्ध लंबी अवधि से कारा में है को सुनने का अंतिम दिन होने के नाते वे किसी भी स्थिति में न्यायालय को समुचित सहायता देने की अवस्था में नहीं होंगे। विद्वान अधिवक्ता ऐसा कहने में न्यायोचित हैं।

7. वर्तमान मामले में अवस्था ऐसी होने के नाते, किसी भी स्थिति में अपीलार्थी जो विगत 11 वर्षों से अधिक से कारा में है और इस तथ्य कि अपीलार्थी गंभीर किडनी समस्या से पीड़ित है जिसके लिए अनेक अवसरों पर उसे डायलेसिस पर पहले ही रखा गया है के साथ दिनांक 13.10.2015 को न्यायालय द्वारा पारित इस संबंध में विनिर्दिष्ट आदेश होने के बावजूद आज की तिथि तक अपील सुनी नहीं गयी है, अपीलार्थी अपील के लंबित रहने के दौरान दंडादेश के निलंबन की रियायत के योग्य है।

8. यहाँ यह उल्लिखित करने की आवश्यकता है कि अपीलार्थी के सह-दोषसिद्ध को पहले ही जमानत पर रिहा किया गया है।

9. परिणामस्वरुप, आई॰ ए॰ सं॰ 3424 वर्ष 2016 अनुज्ञात किया जाता है।

10. अपीलार्थी सं॰ 1 अर्थात् अशरफ अंसारी को सत्र विचारण सं॰ 343 वर्ष 2005 के संबंध में विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ I, गिरीडीह की संतुष्टि के हेतु प्रत्येक समान राशि की दो प्रतिभूतियों के साथ 25000/- (पच्चीस हजार) रुपयों का जमानत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान जमानत पर निर्मुक्त किया जाए।

11. रजिस्ट्री द्वारा फैक्स/ई॰ मेल अथवा किसी अन्य ढंग से आज के दिन ही विद्वान विचारण न्यायालय को आदेश प्रेषित किया जाए।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

डॉ॰ रजनी कांत तिर्के

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 1479 of 2016. Decided on 9th May, 2016.

सेवा विधि–चयन–निदेशक, पशुपालन का पद–तदर्थ अथवा अस्थायी कर्मचारी को एक अन्य तदर्थ अथवा अस्थायी कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए–उसे केवल नियमित रूप से चयनित कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थापित करना होगा–यह विवादित नहीं है कि याची प्रभारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार था क्योंकि प्रत्यर्थी की नियुक्ति के पहले याची प्रभारी निदेशक के रूप में कार्यरत था–आवेदन अनुज्ञात।

(पैराएँ 9 से 11)

निर्णयज विधि.–(1992) 4 SCC 118; (1994) 2 SCC 24; (2007) 13 SCC 242—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Rajender Krishna, For the Petitioner; Mr. D.K. Dubey, For the Res. Nos. 1 to 4; Mr. Shristidar Mahato, For the Res. No.5.

आदेश

याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कृष्ण, प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 4 के लिए उपस्थित विद्वान वरीय एस॰ सी॰ I, श्री डी॰ के॰ दूबे और प्रत्यर्थी सं॰ 5 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सृष्टिदार महतो सुने गए।

2. इस आवेदन में, याची ने प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा जारी दिनांक 9.3.2016 की अधिसूचना सं॰ 1/ P-103/2015 Ka-2128 के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है जिसके द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 5 को मछली पालन के निदेशक के उसके पद के अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन के पद का प्रभार दिया गया है। निदेशक पशुपालन के पद पर काम करने के लिए याची को अनुमति देने के लिए प्रत्यर्थियों पर निर्देश के लिए आगे प्रार्थना की गयी है क्योंकि उक्त पद पशुपालन विभाग के कैडर में कार्यरत अधिकारी का कैडर पद है जबकि प्रत्यर्थी सं॰ 5 बिल्कुल भिन्न कैडर से आता है। रिट याची आगे इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याची वरीयतम अधिकारी है और उक्त पद पर अधिष्ठायी रूप से प्रोन्नत किए जाने के लिए हर प्रकार से सक्षम हैं, निदेशक, पशुपालन के पद पर याची को अधिष्ठायी प्रोन्नति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करता है।

3. रिट आवेदन में किए गए प्रकथन प्रकट करते हैं कि याची को वर्ष 1981 में पशुपालन विभाग में टूरिंग पशु चिकित्सा अधिकारी (ग्रेड II) के रूप में नियुक्त किया गया था। याची को उसके सेवा करिअर के क्रम में प्रोन्नति दी गयी थी और अंततः उसे स्वयं विभाग के आदेश द्वारा दिनांक 22.10.2014 की अधिसूचना सं॰ 1177 द्वारा प्रभारी निदेशक, पशुपालन के रूप में पदस्थापित किया गया था। याची ने शब्द ''प्रभारी'' के विलोपन द्वारा दिनांक 22.10.2014 की अधिसूचना सं॰ 1177 में आवश्यक संशोधन करने के लिए प्राधिकारियों को अभ्यावेदन दिया था क्योंकि याची दावा करता है कि वह अधिष्ठायी रूप से निदेशक, पशुपालन के पद पर प्रोन्नत किए जाने के लिए हर प्रकार से पात्र था। निदेशक, पशुपालन के रूप में स्थायी रूप से पदस्थापित किए जाने की याची की प्रत्याशा दिनांक 9.3.2016 की अधिसूचना के फलस्वरुप व्यथा में बदल गयी जिसमें प्रत्यर्थी सं॰ 5 को निदेशक, मछली पालन के विद्यमान पद के अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन का अतिरिक्त प्रभार संभालने का निर्देश दिया गया था। याची ने दिनांक 9.3.2016 की अधिसूचना से व्यथित होकर वर्तमान रिट आवेदन दाखिल किया है।

4. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कृष्ण ने निवेदन किया है कि दिनांक 9.3.2016 का आक्षेपित आदेश आधारहीन है और विधि के प्रावधानों से असंबद्ध है। यह निवेदन किया गया है कि याची को अपने कैडर में वरीयतम अधिकारी होने के कारण पहले प्रभारी निदेशक, पशुपालन के रूप में पदस्थापित किया गया था और प्रत्यर्थियों को वस्तुतः याची को निदेशक, पशुपालन के पद पर अधिष्ठायी रूप से प्रोन्नत करना चाहिए था। विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि पशुपालन विभाग के कैडर के मुताबिक निदेशक का पद प्रोन्नति द्वारा भरा जाना है। यह निवेदन भी किया गया है कि नियम प्रावधानित नहीं करते हैं कि ऐसे कैडर के प्रति व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति के संबंध में किसी प्रावधान की अनुपस्थिति में कैडर से बाहर के किसी व्यक्ति को प्रभारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यह निवेदन भी किया गया है कि स्वयं प्रोन्नति नियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि समस्त पदों को वरीयता-सह-मेधा के आधार पर विभागीय प्रोन्नति कमिटी द्वारा भरा जाना है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रभारी निदेशक के रूप में प्रत्यर्थी सं॰ 5 को नियुक्त करने में कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की शक्ति को चुनौती दिया है क्योंकि ऐसे पदों को भरने वाला एकमात्र प्राधिकारी पशुपालन विभाग है। अपना तर्क जारी रखते हुए, याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि तदर्थ व्यवस्था एक अन्य तदर्थ व्यवस्था द्वारा प्रति स्थापित नहीं की जा सकती है और चूँकि याची पशुपालन विभाग में वरीयतम अधिकारी होने

के कारण निदेशक, पशुपालन के पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त किए जाने के लिए हर प्रकार से पात्र है, आक्षेपित आदेश उक्त पद के प्रति याची की प्रोन्नति पर विचार करने के लिए प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को आगे निर्देश के साथ अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने योग्य हैं।

5. श्री डी॰ के॰ दूबे, विद्वान वरीय एस॰ सी॰ I, ने कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र को निर्दिष्ट किया है और कथन किया है कि निदेशक, पशुपालन के पद के प्रति प्रोन्नति के माध्यम से नियमित नियुक्ति कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा की जानी होगी।

6. प्रत्यर्थी सं॰ 5 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सृष्टिदार महतो ने विद्वान राज्य अधिवक्ता द्वारा किया गया निवेदन दोहराया है।

7. प्रत्यर्थी सं॰ 5 को प्रभारी निदेशक, पशुपालन विभाग के रूप में नियुक्त करने वाला दिनांक 9.3.2016 का आदेश कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा जारी किया गया है। यह तब किया गया था जब याची पहले से ही दिनांक 22.10.2014 के आदेश के अनुसरण में प्रभारी निदेशक के रूप में कार्य कर रहा था। नियम जिन्हें दिनांक 30.11.2013 की अधिसूचना द्वारा विरचित किया गया है प्रकट करते हैं कि पशुपालन एवं मछली पालन विभाग में पदों को वरीयता-सह-मेधा के आधार पर विभागीय प्रोन्नति कमिटी की अनुशंसा के आधार पर भरा जाना है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने अपने प्रतिशपथ पत्र में इस तथ्य को विवादित नहीं किया है कि निदेशक पशुपालन के पद की नियमित नियुक्ति स्वयं पशुपालन विभाग द्वारा किया जाना होगा। उक्त कथन निश्चयात्मक रूप से याची के विद्वान अधिवक्ता के प्राख्यान का समर्थन करता है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी अथवा प्रभारी निदेशक के रूप में प्रत्यर्थी सं॰ 5 को नियुक्त करने के लिए प्राधिकारी नहीं है। अगर यह मान भी लिया जाता है कि प्रत्यर्थी सं॰ 5 को प्रतिनियुक्ति पर प्रभारी निदेशक बनाया गया था किंतु नियम प्रावधानित नहीं करता है कि कैडर के बाहर के किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जाए।

8. याची के विद्वान अधिवक्ता ने अपने प्रतिवाद के समर्थन में कि प्रत्यर्थी सं॰ 5 को कैडर जिससे याची आता है से बाहर होने के कारण प्रभारी निदेशक नहीं बनाया जा सकता था, **गुजरात हाऊसिंग बोर्ड इंजीनियर्स एसोसिएशन एवं एक अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य, (1994)2 SCC 24,** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट किया है जिसमें अभिनिर्धारित किया गया था:-

> *^^vr%] ge lng ugh g fd [kM (3) mDr in Hkju dk vfrjDr pkFkk <x of.kr ugh djrk g cfYd doy ,d çkoèkku g tk of.kr djrk g fd fdl çdkj vkj dc jkT; ljdkj d Hkou ,o llpuk foHkkx l dk; ikyd vfHk;Urk d :i e çfrfu;fDr ij mDr in ij fu;Dr fd;k tk ldrk gA ;g çkoèkkfur djrk g fd jkT; ljdkj Hkou ,o llpuk foHkkx l dk; ikyd vfHk;Urk dh fu;fDr çfrfu;fDr ij mDr in ij dh tk ldrh g doy ;fn gkÅfIx ckM d dk; ikyd vfHk;Urkvk e l çkUufr }kjk fu;fDr d fy, mi;Dr ik= mEehnokj miyCèk ugh gA***

9. प्रत्यर्थियों ने विवादित नहीं किया है कि याची प्रभारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार अथवा पात्र उम्मीदवार नहीं था क्योंकि प्रत्यर्थी सं॰ 5 की नियुक्ति के पहले याची

प्रभारी निदेशक के रूप में कार्यरत था। एक अन्य तदर्थ व्यवस्था द्वारा प्रतिस्थापित किए जा रहे तदर्थ व्यवस्था के संबंध में याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए निवेदन के संबंध में **हरगर प्रताप सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, (2007)13 SCC 292,** मामला निर्दिष्ट किया गया है जिसमें अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया रास्ता एक तदर्थ व्यवस्था को दूसरे तदर्थ व्यवस्था द्वारा विस्थापित करना है जो अनुभव प्राप्त व्यक्तियों के लिए समुचित नहीं है।

10. याची के विद्वान अधिवक्ता ने **हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम पियारा सिंह एवं अन्य, (1992)4 SCC 118,** पर भी विश्वास किया है जिसमें अभिनिर्धारित किया गया था कि तदर्थ अथवा अस्थायी कर्मचारी को एक अन्य तदर्थ अथवा अस्थायी कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए; उसे केवल नियमित रूप से चयनित कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थापित करना होगा। प्रत्यर्थियों ने याची की उम्मीदवारी अनदेखा करके प्रभारी निदेशक के रूप में प्रत्यर्थी सं॰ 5 को नियुक्त करने में विधि के विपरीत कृत्य करने के अतिरिक्त एक अन्य तदर्थ व्यवस्था द्वारा तदर्थ व्यवस्था प्रतिस्थापित करके आगे अवैधता किया है। किसी भी रूप में प्रत्यर्थियों का कृत्य मनमाना, अयुक्तियुक्त एवं विधि के सुनिश्चित सिद्धांतों के विरुद्ध प्रतीत होता है।

11. यहाँ उपर की गयी चर्चा के परिणामस्वरुप, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है और प्रत्यर्थी सं॰ 5 को प्रभारी निदेशक, पशुपालन के रूप में नियुक्त करते हुए प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा जारी दिनांक 9.3.2016 की अधिसूचना सं॰ 1/P-103/2015 Ka-2128 एतद् द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है और प्रत्यर्थी सं॰ 4 को तदर्थ व्यवस्था की प्रथा जारी रखने के बजाए निदेशक, पशुपालन विभाग का पद भरने के लिए आवश्यक एवं शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है।

12. यह रिट याचिका निपटायी जाती है।

---

ekuuh; çnhi dekj ekgUrh] U;k;efr

मेसर्स फिलिप्स इंडिया लि॰ एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr.M.P. No. 1206 of 2003. Decided on 24th June, 2016.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 287, 304A, 417, 418 एवं 420—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना एवं छल–अभियुक्त का उन्मोचन–जहाँ अन्वेषण प्रगति में है, अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन द्वारा किए गए अभिकथनों की सत्यता अथवा अन्यथा मूल्यांकित करने का चरण नहीं है–इसी प्रकार से, यह ये विनिश्चित करने का चरण नहीं है कि अभियुक्तों की ओर से किया गया बचाव कितना वजनदार है–अगर अभियुक्तगण अभियोजन द्वारा किए गए अभिकथनों में संदेह दर्शाने में सफल भी होते हैं; विचारण के पहले अभियुक्तों को उन्मोचित करना अननुज्ञेय होगा–आवेदन खारिज।

(पैराएँ 10 एवं 11)

अधिवक्तागण.–Mr. Indrajeet Sinha, For the Petitioner; Mr. Krishna Shankar, For the State; M/s Dr. Ashok Kumar Singh, Vishal Kr. Singh, For the O.P. No. 2.

न्यायालय द्वारा.–दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन यह आवेदन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ के न्यायालय में लंबित भारतीय दंड संहिता की धाराओं 287, 304A, 417, 418 एवं 420 के अधीन अपराधों के लिए आदित्यपुर पुलिस थाना मामला सं॰ 165 वर्ष 2003 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ सं॰ 460 वर्ष 2003 के संबंध में याचीगण के विरुद्ध आरंभ की गयी संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए है।

2. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि विरोधी पक्षकार सं॰ 2 ने आरंभ में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय, सरायकेला में परिवाद मामला सी॰–1 केस सं॰ 55 वर्ष 2003 यह अभिकथित करते हुए दाखिल किया कि अभियुक्तों ने घटिया गुणवत्ता की सामग्री की आपूर्ति की और आदित्यपुर–कांद्रा रोड के क्षेत्र में बीस मीटर ऊँचे मास्ट लाइट्स (नौ की संख्या में) खड़ा करने, स्थापित एवं चालू करने में बुरी कारीगरी दिखायी यद्यपि उन्हें संविदा के मुताबिक 43,55,100/- रुपयों की सहमत कीमत का भुगतान किया गया था। परिवादी द्वारा त्रुटियों को ध्यान में लेने पर त्रुटियों को हटाने के लिए अभियुक्तों को दिनांक 9.5.2003 को पत्र भी भेजा गया था। आगे यह अभिकथित किया गया है कि दिनांक 22 मई, 2003 को एक हाई–मास्ट लाइट जिसे आदित्यपुर टैक्सी–मैक्सी अड्डा के निकट अभियुक्तों द्वारा सृजित स्थापित एवं चालू किया गया था, ढह गया और किसी एम्बेसडर कार जो पार्किंग स्थान पर खड़ी थी पर गिर गया और उस कार में बैठे दो व्यक्ति घायल हो गए और उनमें से एक अर्थात् अनूप कुमार दास ने दिनांक 23.5.2003 को उक्त उपहतियों के कारण दम तोड़ दिया। आगे यह अभिकथित किया गया है कि अभियुक्तों के उक्त कृत्य द्वारा परिवादी को 43,55,100/- रुपयों की सीमा तक छला गया था। यह भी अभिकथित किया गया है कि अनूप कुमार दास की मृत्यु और एक अन्य व्यक्ति को उपहति हाई–मास्ट लाइट खड़ा करने, स्थापित करने एवं चालू करने में उपेक्षा के कारण हुई थी।

3. उक्त परिवाद दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 156 (3) के अधीन नियमित पुलिस मामला संस्थित करने के लिए और इसके आगे अन्वेषण के लिए पुलिस थाना भेजा गया था जहाँ इसे आदित्यपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 165 वर्ष 2003 के रूप में संख्यांकित किया गया था।

4. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री इंद्रजीत सिन्हा एवं विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्रीकृष्णा शंकर तथा विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता डॉ॰ अशोक कुमार सिंह सुने गए।

5. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचीगण को वर्तमान मामले में झूठा आलिप्त किया गया है क्योंकि उक्त अपराध के लिए उनका विचारण करने के लिए उनके विरुद्ध पर्याप्त सामग्री नहीं है।

6. दूसरी ओर, विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस चरण पर इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं हैं, क्योंकि इस मामले में फाइनल फॉर्म अभी तक पुलिस द्वारा दाखिल नहीं किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि केवल गवाहों का बयान लेने और दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद अन्वेषण अधिकारी अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है और कोई एक फाइनल फॉर्म दाखिल कर सकता है। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों की दृष्टि में इस चरण पर इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

7. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के लिए उपस्थित अधिवक्ता द्वारा किए गए निवेदनों को दोहराते हुए निवेदन करते हैं कि इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और यह आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

8. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय में निहित शक्ति का अवलंब लेते हुए अभियुक्त द्वारा की गयी अभिखंडन के लिए प्रार्थना की सत्यता विनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने **राजीव थापर बनाम मदन लाल कपूर, (2013)3 SCC 330** में निम्नलिखित कदमों को प्रतिपादित किया:–

(i) dne ,d]D;k vfHk;Dr }kjk fo'okl dh x;h lkexh rdi.k] ;fDr;Dr ,o lng d ij g vFkkr lkexh mRÑ"V ,o fo'k) x.koÙkk dh g

(ii) dne nk] D;k vfHk;Dr }kjk fo'okl dh x;h lkexh vfHk;Dr d fo#) yxk, x, vkjkik e vrfo"V çk[;kuk dk [kfMr djxh vFkkr lkexh ifjokn e vrfo"V rkfF;d çk[;kuk dk Lohdkj dju ,o myVu d fy, i;kIr g vFkkr lkexh ,Ih g tk fdlh ;fDr;Dr 0;fDr dk vfHk;kx d rkfF;d vkèkkj dk xyr :i e [kkfjt dju ,o HkRluk dju d fy, vk'oLr djxh

(iii) dne rhu] D;k vfHk;Dr }kjk fo'okl dh x;h lkexh ifjoknh vfHk;ktu }kjk [kfMr ugh dh x;h g(vkj@vFkok lkexh ,Ih g fd bl vfHk;ktu@ifjoknh }kjk U;k;kfpr :i l [kfMr ugh fd;k tk ldrk g

(iv) dne pkj] D;k fopkj.k dh dk;okgh dju dk ifj.kke U;k;ky; dh çfØ;k d n#i;kx e gkxk vkj U;k; dk fgr ijk ugh djxk

यदि पूर्वोल्लिखित कदमों का उत्तर सकारात्मक है, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय में निहित शक्ति का प्रयोग अभियुक्त के पक्ष में किया जा सकता है।

9. इसके अतिरिक्त, विधिक अवस्था घोषित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की अंतहीन सूची है कि अंतर्निहित शक्ति आपवादिक प्रकृति की है और धारा में कथित प्रयोजन प्राप्त करने के लिए आपवादिक मामलों में इसका प्रयोग किया जाना है। यदि अभिकथन में सार है और अभियुक्त की अपराधिता सिद्ध करने के लिए सामग्री विद्यमान है, मामले का परीक्षण इसके पूर्ण दिग्दर्शन में किया जाना है और कार्यवाही केवल इस आधार पर अभिखंडित नहीं की जानी चाहिए कि इसे प्रतिशोध लेने के लिए अथवा अंतरस्थ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए असद्भावपूर्वक आरंभ किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित भी किया गया है कि ऐसे मामले में जहाँ अभियोजन/परिवादी ने लगाए गए आरोपों के समस्त अवयवों को सामने लाते हुए अभिकथन किया है और न्यायालय के समक्ष लगाए गए अभिकथनों की सत्यपूर्णता प्रथम दृष्टया साक्ष्यित करने वाली सामग्री प्रस्तुत किया है, विचारण करना होगा।

10. वर्तमान मामले पर आते हुए, जहाँ अन्वेषण प्रकटत: प्रगति में है, यह अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन द्वारा लगाए गए अभिकथनों की सत्यता अथवा अन्यथा मूल्यांकित करने का चरण नहीं है। इसी प्रकार से, यह ये विनिश्चित करने का चरण नहीं है कि अभियुक्तों की ओर से किया गया बचाव कितना वजनदार है। अगर अभियुक्तगण अभियोजन द्वारा किए गए अभिकथनों में कुछ संदेह दर्शाने में सफल भी होते हैं; विचारण के पहले अभियुक्तों को छोड़ना अनुमान्य नहीं होगा। ऐसा इसलिए है कि यह परिवादी को इसको सिद्ध करने के लिए साक्ष्य देने की अनुमति दिए बिना अभियोजन द्वारा लगाये गये आरोपों को अंतिमता प्रदान करने में परिणत होगा।

11. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अधिकारिता के प्रयोग से सम्बन्धित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए तथा पूर्वगामी परिचर्चाओं की दृष्टि में, यह न्यायालय आदित्यपुर पुलिस थाना केस सं॰ 0165 वर्ष 2003 से उद्भूत जी॰ आर॰ सं॰ 460 वर्ष 2003 के सम्बन्ध में सम्पूर्ण दाण्डिक कार्यवाहियों

को अभिखंडित करने हेतु याची द्वारा की गयी प्रार्थना अनुज्ञात करने का इच्छुक नहीं है। तद्नुसार आवेदन खारिज किया जाता है।

12. चूँकि यह 2003 का मामला है, यह न्यायालय याची सं॰ 2 (सुब्रत सेन) जो याची सं॰ 1 का सम्यक रूप से नियत एटॉर्नी है, के दिनांक 31 जुलाई, 2016 को अथवा इसके पहले विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ के समक्ष आत्मसमर्पण करने और जमानत आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। अवर न्यायालय में ऐसा आवेदन दाखिल करने की स्थिति में, उसे ऐसे शर्तों एवं निबंधनों पर जमानत उसी दिन दिया जाएगा, जैसा विद्वान अवर न्यायालय सुयोग्य समझता है। यह न्यायालय आगे प्राथमिकत: तीन माह की अवधि के भीतर यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र आदित्यपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 0165 वर्ष 2003 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ सं॰ 460 वर्ष 2003 का अन्वेषण पूरा करने और उक्त अवधि के भीतर फाइनल फॉर्म दाखिल करने का निर्देश राज्य को देता है। ऐसा फाइनल फॉर्म दाखिल किए जाने की स्थिति में, विद्वान अवर न्यायालय/मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सरायकेला खरसावाँ तत्पश्चात यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र तथा प्राथमिकत: चार सप्ताह की अवधि के भीतर विचारण समाप्त करेंगे।

13. इस न्यायालय की रजिस्ट्री को इस आदेश की प्रति विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सरायकेला खरसावाँ को केस डायरी के साथ भेजने का निर्देश दिया जाता है।

14. संबंधित आरक्षी अधीक्षक को संसूचना के लिए इस आदेश की प्रति विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री कृष्णा शंकर को भी दी जाए।

---

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o Jh pn'k[kj] U;k;efr

अभय कुमार

cuke

झारखंड राज्य

L.P.A. No. 627 of 2015. Decied on 27th June, 2016.

भारत का संविधान–अनुच्छेद 311—विभागीय कार्यवाही–जब तक सक्षम प्राधिकारी आरोप ज्ञापन अनुमोदित नहीं करता है, अपचारी अधिकारी के विरुद्ध विरचित आरोपों में जाँच करने के लिए विभागीय कार्यवाही आरंभ नहीं हो सकती है–याची पर तामील आरोप-ज्ञापन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था यद्यपि यह नियमावली के अधीन आवश्यक था–आरोप-पत्र अभिखंडित किया गया–राज्य को विधि के अनुरुप याची को नया आरोप-पत्र जारी करने की स्वतंत्रता दी गयी। (पैराएँ 3 से 6)

निर्णयज विधि.–(2014) 1 SCC 351—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Anil Kr. Sinha, Chaitali C. Sinha, Kumar Harsh, For the Appellant; Mr. Vikash Kumar, For the State.

विरेन्दर सिंह, मुख्य न्यायाधीश.–यह रिट याची (इसमें इसके बाद ''याची'' के रूप में निर्दिष्ट) डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 317 वर्ष 2015 में पारित दिनांक 23.9.2015 के आदेश से व्यथित है, जिसके द्वारा विभागीय कार्यवाही के आरंभ को उसकी चुनौती तथा आरोप-पत्र का अभिखंडन इप्सित करने वाली प्रार्थना अस्वीकार कर दी गयी है।

2. आरंभ में ही, याची के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सिन्हा निवेदन करते हैं कि वह अपना तर्क केवल याची को जारी आरोप-पत्र की वैधता तक सीमित रखेंगे और ऐसी चुनौती मुख्यत: आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ सं॰ 9 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज तथ्य के गलत निष्कर्ष पर आधारित है।

संक्षेप में, प्रतिवाद यह है कि आरोप-पत्र, जिसे याची पर तामील किया गया था जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता है, को उनके द्वारा अनुमोदित कभी नहीं किया गया था किंतु, विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त अभिवचन इस आधार पर खारिज कर दिया है कि 'ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री ने आरोप-पत्र पर आधारित दिनांक 23.11.2011 को विभागीय कार्यवाही के आरंभ से संबंधित प्रस्ताव अनुमोदित किया।

3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के अधीन प्रत्याभूत संरक्षण अत्यधिक महत्व का है और उक्त संवैधानिक प्रत्याभूति का कोई उल्लंघन शास्ति आदेश अवैध बनाएगा। वर्तमान अपील में अंतर्ग्रस्त सटीक विवाद्यक यह है कि क्या आरोप ज्ञापन जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था में अंतर्विष्ट आरोपों की जाँच करने के लिए विभागीय कार्यवाही आरंभ की जा सकती है। **''भारत संघ एवं अन्य बनाम बी॰ वी॰ गोपीनाथ, (2014)1 SCC 351,** में निर्णय पर विश्वास करते हुए याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री अनिल सिन्हा ने निवेदन किया कि जब तक सक्षम प्राधिकारी आरोप ज्ञापन अनुमोदित नहीं करता है, अपचारी अधिकारी के विरुद्ध विरचित आरोपों की जाँच करने के लिए विभागीय कार्यवाही आरंभ नहीं की जा सकती है।

4. **''बी॰ वी॰ गोपीनाथ मामले''** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ की ओर से किया गया प्रतिवाद अस्वीकार कर दिया कि जब एक बार अनुशासनिक प्राधिकारी विभागीय कार्यवाही का आरंभ अनुमोदित करता है, अनुशासनिक प्राधिकारी से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा आरोप-पत्र दाखिल किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि विभागीय कार्यवाही के आरंभ के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के पश्चात आरोप-ज्ञापन का अनुमोदन इप्सित करता प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेदों 311 (1) एवं (2) के अधीन अंतर्विष्ट आज्ञा के अनुकूल है।

5. दिनांक 7.12.2015 के आदेश के तहत मूल फाइल मंगाया गया था और आज प्रत्यर्थी झारखंड राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने मामले का मूल अभिलेख प्रस्तुत किया है। मूल अभिलेखों के परिशीलन पर, जो कि प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता एवं याची के विद्वान अधिवक्ता दोनों द्वारा किया है, वे सहमत हैं कि दिनांक 11.11.2011 को ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री से विभागीय कार्यवाही आरंभ के लिए अनुमोदन लेने के बाद फाइल आरोप ज्ञापन में अंतर्विष्ट आरोपों का उनका अनुमोदन इप्सित करते हुए सक्षम अधिकारी अर्थात् मंत्री के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी थी। अभिलेख के प्रासंगिक उद्धरण की छाया प्रतिलिपि, जिसे याची द्वारा आर॰ टी॰ आई॰ के माध्यम से प्राप्त किया गया था, भी पूरक शपथ पत्र के रूप में अभिलेख पर प्रस्तुत की गयी है। हमने हमारी संतुष्टि के लिए मूल अभिलेखों का परिशीलन भी किया है औरा हम पाते हैं कि याची पर तामील आरोप ज्ञापन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था यद्यपि यह नियमावली के अधीन आवश्यक है।

6. अब **''बी॰ वी॰ गोपीनाथ''** मामले में निर्णय की दृष्टि में आरोप-पत्र अवैध और अक्षम बन जाता है और परिणामस्वरुप अभिखंडित किया जाता है। ऐसे आरोप-पत्र के आधार पर याची के विरुद्ध आरंभ की गयी कार्यवाही एतद् द्वारा अभिखंडित की जाती है। किंतु विधि के अनुरुप याची को नया आरोप-पत्र जारी करने तथा विभागीय कार्यवाही जारी रखने की स्वतंत्रता प्रत्यर्थी झारखंड राज्य को दी जाती है।

7. वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपील पूर्वोक्त निबंधनों में अनुज्ञात किया जाता है।

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k;] U;k;efr

श्रीमती पूनम सिन्हा एवं अन्य

cuke

श्रीमती उर्मिला सिन्हा एवं एक अन्य

S.A. No. 210 of 2007. Decided on 22nd July, 2016.

अभिधान अपील सं॰ 2 वर्ष 2005 में जिला न्यायाधीश, सरायकेला-खरसावाँ द्वारा पारित दिनांक 31 जुलाई 2007 के निर्णय एवं दिनांक 16 अगस्त 2007 की डिक्री के विरुद्ध।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 8 नियम 6A—प्रतिदावा–व्यादेश के लिए वाद–प्रतिवादियों को अपना हित संरक्षित करने का अधिकार था–पृथक वाद दाखिल करने के बजाए वाद की बहुलता से बचने के लिए प्रति दावा दाखिल किया गया था और सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 8 नियम 6A के मुताबिक इसे सही अनुमति दी गयी थी–अवर न्यायालयों ने प्रति दावा डिक्री करने में गलती नहीं किया है और विधि की आज्ञापक आवश्यकता का उल्लंघन नहीं किया गया है–अपील खारिज की गयी। (पैराएँ 14 से 18)

निर्णयज विधि.–AIR 2005 SC 439—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s L.K. Lal & A.K. Sahani, For the Appellants; Mr. Rajiv Ranjan, For the Respondents.

डी॰ एन॰ उपाध्याय, न्यायमूर्ति.–यह अपील वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा अभिधान अपील सं॰ 2 वर्ष 2005 के संबंध में विद्वान जिला न्यायाधीश, सरायकेला-खरसावाँ द्वारा पारित एवं हस्ताक्षरित क्रमशः दिनांक 31 जुलाई, 2007 के निर्णय एवं दिनांक 16 अगस्त, 2007 की डिक्री के विरुद्ध दाखिल की गयी है, जिसके द्वारा अभिधान वाद सं॰ 8 वर्ष 1999 में विद्वान उप-न्यायाधीश, सरायकेला द्वारा पारित एवं हस्ताक्षरित दिनांक 21 जुलाई, 2005 का निर्णय एवं दिनांक 1 अगस्त, 2005 की डिक्री अभिपुष्ट की गयी है और अपीलार्थियों द्वारा दाखिल अपील खारिज कर दी गयी।

2. सुविधा के लिए अपीलार्थियों को वादीगण के रूप में और प्रत्यर्थियों को प्रतिवादीगण के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा।

3. यह द्वितीय अपील विधि के निम्नलिखित सारवान प्रश्नों को विनिश्चित करने के लिए दिनांक 9 फरवरी, 2009 को ग्रहण की गयी थी:–

(a) D;k nkuk voj U;k;ky;k u fofèk dh vkKkid vko';drkvk dk vuikyu fd, fcuk çfrnkok fMØh dju e fofèk e xHkhj xyrh fd;k g

(b) D;k 0;kn'k d fy, okn d fo#) çfr nkok e ikfjr dCtk dh okilh d fy, fMØh U;k;kfpr g

4. संक्षेप में तथ्य यह है कि किसी सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा ने प्रतिवादियों के विरुद्ध वाद संपत्ति के विरुद्ध वादी के अधिभोग में हस्तक्षेप करने से उनको अवरुद्ध करने वाले व्यादेश की डिक्री, वाद के व्यय तथा किसी अन्य अनुतोष अथवा अनुतोषों जिनका वादी हकदार पाया गया है के लिए अभिधान वाद सं॰ 8 वर्ष 1999 दाखिल किया।

वाद के लंबित रहने के दौरान सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा की मृत्यु हो गयी। तत्पश्चात्, वाद का अनुसरण करने के लिए वर्तमान वादीगण/अपीलार्थीगण को उसके विधिक प्रतिनिधियों के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था।

5. वादपत्र में लिए गए प्रकथनों के अनुसार, वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं और वे सासाराम जिला के स्थायी निवासी हैं, जहाँ उनकी संयुक्त पैतृक संपत्ति है। यह प्रकट किया गया है कि सासाराम में बँटवारा वाद पक्षों के बीच विगत 25 वर्षों से लंबित है। वाद संपत्ति, जो अभिधान वाद सं॰ 8 वर्ष 1999 का विषयवस्तु है, संयुक्त परिवार निधि से अर्जित की गयी थी, किंतु प्रतिवादी सं॰ 2 ने चालाकी से हाउसिंग बोर्ड से प्रतिवादी सं॰ 1 के नाम में संपत्ति आवंटित करवाने में सफल हुआ। यह प्रकथन किया गया है कि वादीगण अपने पिता के समय से वाद संपत्ति के अधिभोगी और इस पर शांतिपूर्ण अबाधित काबिज रहे हैं। वे उक्त संपत्ति के विरुद्ध हाउसिंग बोर्ड को नियमित रूप से किस्तों का भुगतान कर रहे हैं। आगे यह कथन किया गया है कि प्रतिवादी सं॰ 2 जो प्रतिवादी सं॰ 1 का पति है अभियन्ता है और अमेरिका में बस गया है। चूँकि प्रतिवादीगण वादीगण को वाद परिसर से बेदखल करने की धमकी देने लगे, वादी ने प्रतिवादियों को वादी के शांतिपूर्ण अधिभोग एवं कब्जा में हस्तक्षेप करने से अवरुद्ध करने के लिए व्यादेश के लिए उक्त अभिधान वाद दाखिल किया। आगे यह कथन किया गया है कि वाद संपत्ति सासाराम में दाखिल बँटवारा वाद में सम्मिलित नहीं की गयी थी।

6. दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने अपने विधिपूर्ण एटॉर्नी के माध्यम से प्रतिदावा के साथ अपना लिखित कथन दाखिल किया है। प्रतिवादीगण का विनिर्दिष्ट अभिवचन यह है कि वाद संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार निधि से नहीं खरीदी गयी थी। अरसे से पक्षगण अपनी स्वतंत्र आय के साथ पृथक रूप से रह रहे हैं और पक्षों के बीच संयुक्तता नहीं थी। यह सत्य है कि पक्षगण सासाराम के निवासी हैं जहाँ उनकी अपनी पैतृक संपत्तियाँ हैं जहाँ सह-अंशधारी भी रहे हैं। आगे यह प्रकथित किया गया है कि पैतृक संपत्तियों के संबंध में सासाराम में दाखिल बँटवारा वाद निपटाया गया है और प्रतिवादी सं॰ 1 उस वाद की पक्ष कभी नहीं थी। यह प्रतिवाद किया गया है कि वाद संपत्ति स्वतंत्रतापूर्वक प्रतिवादी सं॰ 1 द्वारा अर्जित की गयी है और यह उसकी स्वअर्जित संपत्ति है। यह कहना गलत है कि प्रतिवादियों ने वाद संपत्ति के विरुद्ध हाउसिंग बोर्ड को किस्तों का भुगतान कभी नहीं किया था। उनके नाम में दस्तावेज नहीं है। वस्तुतः, प्रतिवादीगण बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड के अधीन अभिधारी के रूप में मई, 1969 में वाद संपत्ति पर काबिज हुए, किंतु बाद में हाउसिंग बोर्ड ने संबंधित संपत्ति के लिए नियत प्रतिफल राशि के भुगतान पर परस्पर अधिभोगियों/अभिधारियों को स्वामित्व आधार पर परिसर बंदोबस्त/आवंटित करने का निर्णय किया। हाउसिंग बोर्ड द्वारा विनिश्चित सिद्धांत पर, प्रतिवादियों ने बोर्ड से अनुरोध किया और वाद संपत्ति के विरुद्ध आवश्यक प्रतिफल राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हुए और तद्नुसार, बोर्ड 57,400/- रुपयों की प्रतिफल राशि पर प्रतिवादी सं॰ 1 के नाम में वाद संपत्ति बंदोबस्त करने के लिए सहमत हुआ। यह फैसला भी किया गया था कि राशि जिसका भुगतान अधिभोगी ने पहले ही किराया के रूप में किया था, प्रतिफल राशि में समायोजित की जाएगी और इस प्रकार, प्रतिवादियों को 31,162/- रुपयों की राशि का भुगतान करना था और उस प्रभाव का दिनांक 12 जून, 1981 का पत्र सं॰ 4524 जारी किया गया था और बाद में दिनांक 22 जून, 1981 को उक्त वाद संपत्ति अर्थात् क्वार्टर सं॰ M/27, आदित्यपुर, ओल्ड हाउसिंग कॉलोनी, डाकघर एवं थाना आदित्यपुर, जिला सिंहभूम पश्चिम के संबंध में प्रतिवादी सं॰ 1 के पक्ष में हाउसिंग बोर्ड द्वारा अवक्रय करार सं॰ 02632 निष्पादित किया गया था। आगे यह प्रतिवाद किया गया है कि मूल वादी को प्रतिवादियों का निकट संबंधी होने के नाते प्रतिवादी सं॰ 1 के अधीन लाइसेंसी-सह-केयर टेकर के रूप में वाद परिसर का अधिभोग करने की अनुमति दी गयी थी। वादी का वाद संपत्ति के उपर अधिकार, अभिधान, हित एवं कब्जा नहीं है और उसके द्वारा लाया गया वाद न तो पोषणीय है और न ही वादी इप्सित किए गए अनुतोष का हकदार है।

7. जब पक्षों के बीच विवाद उद्‌भूत हुआ और दांडिक मामले संस्थित किए गए थे, मूल वादी को वाद परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया था, किंतु उसने संपत्ति हड़पने के लिए व्यादेश इप्सित करते हुए झूठे प्रकथनों के साथ अभिधान वाद दाखिल किया था। प्रतिवादियों ने न केवल वादी द्वारा लाए गए वाद के विरुद्ध लिखित कथन दाखिल किया बल्कि उन्होंने उसी वाद में अपना प्रतिदावा भी किया है। वादी ने प्रतिवादियों द्वारा किए गए प्रति दावा के विरुद्ध अपना प्रति लिखित कथन भी दाखिल किया है। प्रति लिखित कथन में, वादी ने बाद में प्राख्यानित किया कि प्रति दावा न तो विधि की दृष्टि में पोषणीय है और न ही इसे सम्यक रूप से सत्यापित किया गया है। प्रतिवादियों द्वारा अपने विधिपूर्ण एटॉर्नी अर्थात् बालेश्वर प्रसाद सिन्हा के माध्यम से दाखिल प्रति दावा विधिक एवं स्वीकार्य नहीं है। यह प्रतिवाद किया गया है कि प्रतिवादियों ने अमरीकी नागरिकता अर्जित किया है और वे 12 वर्षों से अधिक समय से लगातार वहाँ रह रहे हैं और, इसलिए, वाद संपत्ति पर काबिज नहीं है। प्रतिफल राशि के मुख्य भाग का भुगतान स्व॰ सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा द्वारा किस्तों के माध्यम से किया गया था और उक्त सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा वाद संपत्ति पर काबिज था और वह वादीगण सहित अपने परिवार के साथ उसमें रह रहा था। प्रतिवादी सं॰ 1 वाद की दाखिली के पहले 12 वर्षों तक लगातार काबिज नहीं था और न ही काबिज हुआ, अतः वादी ने प्रतिवादी सं॰ 1 के विरुद्ध खुले रूप से एवं प्रतिकूलतापूर्वक लंबे कब्जा अर्थात् 12 वर्षों से अधिक समय से कब्जा के रूप में अभिधान अर्जित किया है। वाद संपत्ति का बाजार मूल्य 5 लाख रुपयों से कम नहीं है और चूँकि यह वादी द्वारा लाया गया व्यादेश के लिए वाद है, कब्जा की वापसी के लिए प्रतिवादियों द्वारा इप्सित अनुतोष का दावा नहीं किया जा सकता है।

8. पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए गए थे:–

(i) D;k okn ik"k.kh; g

(ii) D;k çfrokfn;k d fo#) bl okn d fy, dkb okn grd g

(iii) D;k okn l ifÙk i{kk dh l ;Dr ikfjokfjd l ifÙk g vFkok çfrokfn;k }kjk Lovftr l ifÙk

(iv) D;k oknhx.k LFkk;h 0;kn'k d gdnkj g

(v) D;k çfroknhx.k okn ifj l j d dCtk dh okil h d gdnkj g

(vi) fdl vU; vurk"k d i{kx.k gdnkj g

अपने दावा एवं प्रतिवाद के समर्थन में, वादीगण ने तीन गवाहों का परीक्षण किया है जबकि प्रतिवादियों ने सात गवाहों का परीक्षण किया है और प्रदर्श सूची के मुताबिक दस्तावेजों को सिद्ध किया है।

9. अपीलार्थीगण/वादीगण ने अपने प्रतिवाद के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों पर विश्वास किया है:–

(i) ***(2012)5 SCC 370;***

(ii) ***AIR 2006 Karnataka 231;***

(iii) ***AIR 1981 SC 2235;***

(iv) ***(2006)5 SCC 545.***

प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपने मामले के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों पर विश्वास किया है:–

(i) ***AIR 1950 Allahabad 201;***

(ii) ***AIR 1971 Madras 215;***

(iii) ***AIR 1996 (2) SC 2222;***

(iv) ***AIR 2005 SC 439;***

(v) ***AIR 2004 SC 1478;***

(vi) ***AIR 1997 SC 53***

10. इस न्यायालय द्वारा विरचित विधि के सारवान प्रश्नों पर अंतिम निर्णय देने के पहले, मैं सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VIII नियम 6A को निर्दिष्ट करना वांछनीय महसूस करता हूँ जिसे अधिनियम 104 वर्ष 1976 द्वारा अंत:स्थापित किया गया है। आदेश VIII नियम 6A का पठन निम्नलिखित है:–

> "6A- **çfroknh }kjk çfrnkok-**&(1) okn e çfroknh fu;e 6 d vèkhu e tjk d vfHkopu d viu vfèkdkj d vfrfjDr oknh d nko d fo#) çfrnko d :i e fdlh ,l vfèkdkj ;k nko dk] tk oknh d fo#) çfroknh dk] okn Qkby fd, tku d io ;k i'pkr fdUr çfroknh }kjk viuh çfrj{kk ifjnÙk fd, tku d io ;k viuh çfrj{kk ifjnÙk fd, tku d fy, ifjlhfer le; dk volku gk tku d io] fdlh okn&grd d ckj e çknHkr gvk gk] mBk ldxk pkg ,lk çfrnkok udlkuh d nko d :i e gk ;k ugh%
>
> ijUr ,lk çfrnkok U;k;ky; dh vfèkdkfjrk dh èku&lcèkh lhekvk l vfèkd ugh gkA
>
> (2) ,l çfrnko dk çHkko çrh&okn d çHkko d leku l gh gkxk ftlls U;k;ky; ,d gh okn e ey nko vkj çfrnko nkuk d lEcUèk e vfUre fu.k; luku d fy, leFk gk tk,A
>
> (3) oknh dk bl ckr dh Lor=rk gkxh fd çfroknh d çfrnko d mÙkj e fyf[kr dFku ,lh vofèk d Hkhrj tk U;k;ky; }kjk fu;r dh tk,] Qkby djA
>
> (4) çfrnko dk okn i= d :i e ekuk tk,xk vkj ml ogh fu;e ykx gkx tk okni=k dk ykx gkr gA**

11. अब अवर न्यायालयों के तथ्यों, साक्ष्यों एवं निष्कर्षों पर आते हुए, मैं पाता हूँ कि विचारण न्यायालय ने विवाद्यक सं॰ 3 विरचित किया है अर्थात् ''क्या वाद संपत्ति पक्षों की संयुक्त संपत्ति है अथवा प्रतिवादियों की स्वअर्जित संपत्ति है?

वादीगण ने मौखिक साक्ष्य दिया है कि वे 12 वर्षों से अधिक समय से वाद परिसर का अधिभोग कर रहे हैं और संपत्ति संयुक्त हिन्दु पारिवारिक निधि से खरीदी गयी थी। यह प्रतिवाद किया गया था कि वादी ने संपत्ति के मूल्य के विरुद्ध हाउसिंग बोर्ड को किस्तों का भुगतान किया था किंतु ऐसा अभिलेख दस्तावेज पर नहीं लाया गया था। यह प्रतिवाद भी किया गया था कि वादीगण ने 12 वर्षों से अधिक समय तक परिसर का अधिभोग करके अपना अभिधान पुख्ता किया था। प्रतिवादीगण अभिवचन में किए गए अपने दावा एवं प्रतिवाद के समर्थन में कटघरा में नहीं आए थे। प्रतिवादियों की ओर से अभिसाक्ष्य देने की शक्ति एटॉर्नी को नहीं दी गयी है और **जानकी वासदेव भोजवानी एवं एक अन्य बनाम इंडसइंड बैंक लि॰ एवं अन्य, AIR 2005 SC 439,** में निर्णय की दृष्टि में उसके द्वारा दिया गया अभिसाक्ष्य स्वीकार्य नहीं है। वाद में जिसमें वादी ने प्रतिवादियों के विरुद्ध व्यादेश इप्सित किया है, डिक्री प्रतिवादियों के पक्ष में उनको वादी के विरुद्ध कब्जा की वापसी का अधिकार देकर पारित की गयी है। अवर न्यायालयों ने वादीगण द्वारा उठाए गए बिंदुओं को विनिश्चित नहीं करके गंभीर गलती किया है और वाद एकपक्षीय रूप से प्रतिवादियों के पक्ष में विनिश्चित किया गया है।

12. मैंने मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है जिससे यह प्रतीत होता है कि पक्षगण एक-दूसरे से संबंधित हैं। प्रतिवादी सं॰ 2 वर्तमान अपीलार्थी सं॰ 1 पूनम सिन्हा का चाचा-ससुर है। प्रतिवादियों ने इससे भी इनकार नहीं किया है कि सासाराम में उनकी पैतृक संपत्ति है। जहाँ तक इस वाद का संबंध है, लिखित कथन में यह अत्यन्त विनिर्दिष्ट है कि वाद संपत्ति प्रतिवादियों द्वारा बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड के अधीन अभिधारी के रूप में अर्जित की गयी थी। बाद में, बोर्ड द्वारा लायी गयी योजना के अधीन, संपत्ति संबंधित संपत्ति के लिए नियत प्रतिफल राशि के भुगतान पर प्रतिवादी सं॰ 1 के पक्ष में बंदोबस्त की गयी थी।

प्रकथनों का समर्थन करने के लिए प्रतिवादियों ने निम्नलिखित दस्तावेजों को सिद्ध किया है जिन्हें प्रदर्शों के रूप में चिन्हित किया गया है:-

(i)	*çn'k X –*	*vkoVu i=*
(ii)	*çn'k B J[kyk & èku j lhn*	
(iii)	*çn'k Y –*	*i= l0 4714 fnukfdr 19.6.1981*
(iv)	*çn'k C –*	*cdk;k ugh gku dk çek.k i=*
(v)	*çn'k C/1 –*	*çfroknh l0 1 d i{k e dk; ikyd vfHk;Urk }kjk tkjh fnukd 31.10.1994 dk i= l0 3246*
(vi)	*çn'k C/2 –*	*çfroknh l0 1 d i{k e tkjh fnukd 12.6.1989 dk i= l0 4524*
(vii)	*çn'k C/3 –*	*i= l0 4714 fnukfdr 19.6.1989*
(viii)	*çn'k D –*	*dj j lhn fnukfdr 8.9.1982*
(ix)	*çn'k D/1 –*	*dj j lhn fnukfdr 8.8.1982*

ये समस्त दस्तावेज दर्शाते हैं कि क्वार्टर सं॰ M/27, आदित्यपुर ओल्ड हाउसिंग कॉलोनी, आदित्यपुर प्रतिवादी सं॰ 1 के पक्ष में आवंटित एवं बंदोबस्त किया गया था। उसके विपरीत न तो मूल वादी और न ही वादीगण जिन्हें प्रतिस्थापित किया गया है ने यह दर्शाने के लिए कभी कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया कि पूर्वोक्त क्वार्टर सं॰ M/27 उनके नाम में आवंटित अथवा बंदोबस्त किया गया था। वादीगण के प्रतिवाद के समर्थन में कि पूर्वोक्त संपत्ति संयुक्त हिंदू पारिवारिक निधि से खरीदी गयी थी, कागज का टुकड़ा तक सिद्ध नहीं किया गया है। वादी ने केवल प्रतिवादियों के विरुद्ध व्यादेश इप्सित करने के लिए वाद दाखिल किया है और प्रति दावा दाखिल करने के बाद भी जिसे प्रतिवाद समझा जाता है जैसा सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश VIII नियम 6A के अधीन उपदर्शित किया गया है, उसने प्रति लिखित कथन दाखिल किया है किंतु अपना वाद पत्र किसी सीमा तक संशोधित नहीं किया था।

समय के एक बिंदु पर, यह प्रतिवाद किया गया था कि वादीगण ने शांतिपूर्ण कब्जा का उपभोग करके इसके उपर अपना अभिधान पुख्ता किया है, किंतु यह अभिवचन किसी साक्ष्य द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वाद संपत्ति के उपर वादीगण का कब्जा अनुज्ञेय था और यह मूल भूस्वामी का विरोधी नहीं था। मैं नहीं पाता हूँ कि विचारण न्यायालय ने अथवा प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह विनिश्चित करने में कोई गलती किया है कि वाद संपत्ति प्रतिवादी सं॰ 1 की स्वअर्जित संपत्ति है और वादी यह सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ है कि संपत्ति संयुक्त हिन्दू पारिवारिक निधि से खरीदी गयी थी अथवा वादी ने उक्त संपत्ति के विरुद्ध हाउसिंग बोर्ड को किसी राशि का भुगतान किया था।

13. आगे प्रश्न जिसे विद्वान अधिवक्ता ने यह उठाया है कि प्रतिवादीगण लिखित कथन में अथवा प्रति दावा में किए गए प्रतिवाद के समर्थन में कटघरा में नहीं आए हैं। एटॉर्नी बालेश्वर प्रसाद सिन्हा जिसका परीक्षण गवाह सं॰ 4 के रूप में किया गया था ने प्रतिवादियों की ओर से अभिवचनों को सिद्ध किया था। एटॉर्नी द्वारा दिया गया साक्ष्य स्वीकार्य नहीं है किंतु अवर न्यायालयों ने इस पर विश्वास करके घोर गलती किया है। इस संदर्भ में, **जानकी वासदेव भोजवानी (ऊपर)** में निर्णय निर्दिष्ट किया गया था। उसके उत्तर में, प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने **भीमप्पा एवं अन्य बनाम अल्लीसाब एवं अन्य, AIR 2006 Karnataka 231,** में दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट किया है और निवेदन किया है कि **जानकी वासदेव भोजवानी (ऊपर)** में सामने आने वाले तथ्यों पर चर्चा की गयी है और इन्हें सुभिन्न किया गया है। उक्त निर्णय में, तथ्य भिन्न था और इस पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अभिलेख पर लाए गए तथ्यों को स्वयं पक्ष द्वारा लाए जाने की आवश्यकता थी क्योंकि इसका संबंधित पक्ष द्वारा निजी जानकारी से पालन किए जाने की उम्मीद की जाती थी। ऐसी स्थिति में, संबंधित पक्ष की ओर से एटॉर्नी द्वारा दिया गया अभिसाक्ष्य स्वीकार नहीं किया गया था। साक्ष्य अधिनियम का प्रासंगिक प्रावधान अर्थात् धारा 118 और सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश III नियम 1, मुख्तारनामा अधिनियम, 1882 धारा 18A पर **भीमप्पा (ऊपर)** मामले में दिए गए निर्णय पर चर्चा की गयी है। मैं कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय में माननीय न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हूँ। वादी अथवा प्रतिवादी की ओर से एटॉर्नी का परीक्षण करने में रूकावट नहीं है यदि उसके पक्ष में वैध मुख्तारनामा निष्पादित किया गया है। साथ-साथ, मैं सहमत हूँ कि मुख्तारनामा का निष्पादक पीड़ित होगा यदि एटॉर्नी उसको न्यस्त अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल होता है अथवा वह अभिलेख पर आवश्यक तथ्यों को लाने में अक्षम है। यहाँ वर्तमान मामले में मैं पाता हूँ कि बालेश्वर प्रसाद सिन्हा गवाह सं॰ 4 के पक्ष में सामान्य मुख्तारनामा निष्पादित किया गया था और वह प्रतिवादियों की ओर से लिखित कथन, प्रति दावा दाखिल करने वाला व्यक्ति था और इस प्रकार निष्पादित किया गया, मुख्तारनामा प्रदर्श A के रूप में सिद्ध किया गया है।

बालेश्वर प्रसाद सिन्हा के अभिवचनों एवं साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि वह वर्तमान मामले के तथ्यों से पूर्णत: अवगत था और वह अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान उससे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम था।

मामले के पूर्वोक्त पहलू पर विचार करते हुए मेरा दृढ़ मत है कि प्रतिवादीगण की ओर से एटॉर्नी द्वारा अभिलेख पर लाया गया साक्ष्य त्यक्त नहीं किया जा सकता है। यह प्रतिवाद किया गया था कि एटॉर्नी प्रतिवादियों की ओर से अभिसाक्ष्य देने के लिए प्राधिकृत नहीं था, किंतु मैं पाता हूँ कि एटॉर्नी वादों, शपथपत्रों को दाखिल करने के लिए, अधिवक्ताओं को काम पर लगाने के लिए और समस्त कृत्यों एवं चीजों को करने के लिए, जिन्हें वाद संपत्ति के संबंध में प्रतिवादियों का हित संरक्षित करने के लिए किए जाने की आवश्यकता थी, अच्छी तरह प्राधिकृत था। उसका अभिसाक्ष्य शपथपत्र पर था और उसे उसके प्रति परीक्षण के लिए कटघरा में बुलाया गया था और उसने वादी के अधिवक्ता द्वारा उससे पूछे गए समस्त प्रश्नों का उत्तर दिया है। मैं अवर न्यायालयों के निर्णयों से पाता हूँ कि विवाद्यक सं॰ 3 विनिश्चित करते हुए इन समस्त बिंदुओं पर अच्छी तरह चर्चा की गयी है।

14. वादी ने वाद संपत्ति के संबंध में प्रतिवादियों के विरुद्ध व्यादेश के लिए वाद दाखिल किया था। वाद पत्र में किए गए प्रकथन स्पष्टत: उपदर्शित करते हैं कि वह वाद संपत्ति से अपनी बेदखली की आशंका कर रहा था और वह वाद लाने के लिए वाद हेतुक था। नोटिस दिए जाने पर प्रतिवादियों ने एटॉर्नी के माध्यम से उपस्थिति दर्ज किया। चूँकि वादी द्वारा इस प्रकार अभिकथित वाद हेतुक प्रतिवादियों की दिलचस्पी आकृष्ट कर रहा था, उन्होंने वाद परिसर से वादी की बेदखली की प्रार्थना उसमें करते हुए

प्रतिदावा किया क्योंकि प्रतिवादी सं॰ 1 का वाद संपत्ति के उपर अपना अधिकार, अभिधान, हित तथा कब्जा था। पूर्ववर्ती पैराग्राफों में दिए गए निष्कर्षों और अवर न्यायालयों के निष्कर्षों की दृष्टि में, यह कहना अनावश्यक है कि प्रतिवादी सं॰ 1 ने वाद संपत्ति के उपर अपना अधिकार, अभिधान एवं हित सिद्ध किया है। यह प्रकथन किया गया था कि परिवार का सदस्य होने के नाते मूल वादी और उसके परिवार के सदस्यों को वाद परिसर का अधिभोग करने की अनुमति दी गयी थी और उनके पास अनुज्ञेय कब्जा था। जब उन्होंने रूकावट डालना शुरू किया और प्रतिवादियों के विरुद्ध व्यादेश के लिए वाद दाखिल किया, प्रतिवादियों को अपना हित संरक्षित करने का अधिकार था और पृथक वाद दाखिल करने के बजाए वादों की बहुलता से बचने के लिए प्रतिदावा दाखिल किया था और यह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VIII नियम 6A के मुताबिक सुअनुज्ञेय था।

चूँकि प्रतिवादी सं॰ 1 द्वारा दाखिल प्रतिदावा सिद्ध हुआ, दोनों अवर न्यायालयों ने उसके पक्ष में निष्कर्ष दिया है, प्रति दावा सही प्रकार से वादी द्वारा लाए गए उसी वाद में डिक्री किया गया है और यह बिल्कुल अवैध नहीं है।

15. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने बिंदु उठाया है कि न्यायालय शुल्क दाखिल किए बिना प्रतिदावा ग्रहण किया गया था और प्रतिवादियों को साक्ष्य देने की अनुमति दी गयी थी। मैं ऐसा तर्क स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि न्यायालय शुल्क की दाखिली न्यायालय एवं पक्ष के बीच का मामला है। मैं अभिलेख से पाता हूँ कि आवश्यक न्यायालय शुल्क दाखिल करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया था और वैसा किया गया था। अत:, आवश्यक न्यायालय शुल्क दाखिल किया गया था और यह विवाद्यक नहीं था। न्यायालय शुल्क बाद में दाखिल करने की अनुमति देना न्यायालय का स्वविवेक है। यह उल्लेख करना अनावश्यक है कि डिक्री तैयार करने के पहले न्यायालय शुल्क स्वीकार किया जा सकता है।

16. उपर की गयी चर्चा की दृष्टि में मैं इस निष्कर्ष पर आया हूँ कि अवर न्यायालयों ने प्रतिदावा डिक्री करने में गलती नहीं किया है और विधि की आज्ञापक आवश्यकता का उल्लंघन नहीं किया गया है। वादी ने व्यादेश के लिए वाद लाया है, किंतु उपदर्शित किया गया वाद हेतुक और वाद पत्र में किया गया दावा प्रतिवादियों का हित आकृष्ट कर रहा था, अत: उन्होंने कब्जा की वापसी इप्सित करते हुए प्रतिदावा लाया। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VIII नियम 6A की दृष्टि में, मैं यह नहीं पाता हूँ कि अवर न्यायालयों द्वारा कोई अवैधता की गयी है। वादी को प्रतिवादियों द्वारा लाए गए प्रतिदावा के विरुद्ध प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने का अवसर दिया गया था और उसने प्रति लिखित कथन दाखिल करके अवसर का उपयोग किया। पक्षों का हित एक ही वाद में अंतर्ग्रस्त था, अत:, प्रति दावा के रूप में प्रतिवादियों द्वारा इप्सित अनुतोष सही प्रकार से अनुज्ञात किया गया है।

17. तथ्य एवं परिस्थितियाँ जिन पर अपीलार्थियों द्वारा उद्धृत निर्णयों में माननीय न्यायाधीशों द्वारा विचार किया गया है बिल्कुल भिन्न हैं। वर्तमान मामले में वादीगण को वे तथ्य उपलब्ध नहीं हैं। यह दोहराया जाता है कि वादी ने केवल व्यादेश के लिए वाद लाया था और उसने अपने दावा और वाद पत्र में अथवा प्रति लिखित कथन में किए गए प्रतिवाद के समर्थन के लिए मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया था। दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों/प्रतिवादियों द्वारा लिया गया बिन्दु प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णयों में माननीय न्यायाधीशों द्वारा विनिश्चित निर्णयाधार से समर्थन पाता है।

18. उपर की गयी चर्चा की दृष्टि में, मैं इस अपील में गुणागुण नहीं पाता हूँ। विद्वान अवर न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री एतद् द्वारा मान्य ठहराया जाता है और तद्नुसार अपील खारिज की जाती है।

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

संजय ओराँव (दोनों में)

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य (दोनों में)

W.P. (C) Nos. 3709, 3710 of 2003. Decided on 21st July, 2016.

छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908—धारा 71—भूमि का पुनर्स्थापन–भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अधीन सी॰ सी॰ एल॰ द्वारा भूमि अर्जित की जा रही थी और प्रत्यर्थियों को मुआवजा के भुगतान पर राज्य/सी॰ सी॰ एल॰ के पक्ष में संपत्ति विल्लंगम मुक्त संक्रांत हुई–याची द्वारा आपत्ति नहीं की गयी थी–पचास वर्ष की अवधि के बाद याची द्वारा पुनर्स्थापन का दावा काफी विलंबित है–रिट याचिकाएँ खारिज की गयी। (पैराएँ 7 से 10)

अधिवक्तागण.–Mr. R.R. Tiwari, For the Petitioner; Mr. Vineet Prakash, Mr. Sahil, For the State; M/s. Satish Kumar Ughal, Tapas Kabira, For the Private Respondents.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. दोनों रिट याचिकाओं में भूमि पुनर्स्थापन पुनरीक्षण सं॰ 62 वर्ष 2002 एवं 63 वर्ष 2002 में आयुक्त, उत्तर छोटानागपुर डिविजन, हजारीबाग, द्वारा पारित दिनांक 5.5.2003 का एक ही आदेश चुनौती के अधीन है जिसके अधीन उन्होंने भूमि पुनर्स्थापन अपील सं॰ 98 वर्ष 2002 एवं 99 वर्ष 2002 में अपर समाहर्त्ता, चतरा द्वारा पारित दिनांक 25.6.2002 का आदेश अपास्त कर दिया है और भूमि पुनर्स्थापन केस सं॰ 2/1994-95 एवं 1/1994-95 में सब डिविजनल अधिकारी (एस॰ डी॰ ओ॰), चतरा द्वारा पारित दिनांक 8.5.2002 का आदेश भी अपास्त कर दिया है। दोनों रिट याचिकाओं में याची एक ही है जबकि प्राईवेट प्रत्यर्थीगण भिन्न हैं। भूमि पुनरीक्षण केस सं॰ 62/02 में ग्राम मांगरदाहा पी॰ एस॰ पिपरवार, जिला चतरा खाता सं॰ 7 के 9.80 एकड़ अंतर्ग्रस्त करने वाले भूखंड सं॰ 27, 32, 61, 77, 78, 98, 99, 105, 106, 116, 118, 188 एवं 189 का पुनर्स्थापन और 9.46 एकड़ मापवाले खाता सं॰ 12 के भूखंड सं॰ 18, 29, 30, 63, 82, 90, 185, 180, 242, 195, 204, 205, 302, 307, 350 का पुनर्स्थापन प्रश्नगत था। याची ने आदिवासी अभिधारी होने का दावा किया जिसका नाम कैडेस्ट्रल सर्वे अभिलेख में दर्ज किया गया था और वह प्राईवेट प्रत्यर्थियों द्वारा वर्ष 1982-83 में किसी समय बेदखल किए जाने तक भूमि के पूर्वोक्त टुकड़े पर काबिज बना रहा जो वर्ष 1984-85 में भूमि पुनर्स्थापन मामलों के संस्थापन की ओर ले गया।

3. यहाँ इसमें यह कथन करना आनुषंगिक है कि भूमि पुनर्स्थापन अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 8.5.2002 का आदेश अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग द्वारा रिमांड पर है। यहाँ यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि प्रश्नगत भूमि सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा वर्ष 1985 में किसी समय अर्जित की गयी थी और प्राईवेट प्रत्यर्थियों को मुआवजा तथा नियोजन दिया गया था। प्राईवेट प्रत्यर्थियों ने अवर प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन किया कि आदिवासी अभिधारी जमीन्दार के पास लगान जमा करने में विफल रहा और अपनी भूमि समर्पित कर दिया जिसके बाद दिनांक 10.5.1937 को हुकुमनामा के रूप में भूमि प्राईवेट प्रत्यर्थियों के पूर्वजों के पक्ष में बंदोबस्त की गयी थी जिन्होंने भूमि को खेती योग्य बनाया और जमीन्दार

को लगान का भुगतान किया। जमीन्दार ने निहित किए जाने के बाद अपना रिटर्न दाखिल किया जो प्राईवेट प्रत्यर्थियों के पूर्वजों को बंदोबस्ती में दी गयी भूमि निर्दिष्ट करता है। यह उनका मामला है कि केवल 1984 में याची ने अर्जन पूरा होने के बाद सी॰ सी॰ एल॰ के अधीन पिपरवार परियोजना में नौकरी का दावा करने के लिए प्रश्नगत भूमि के पुनर्स्थापन के लिए याचिका दाखिल किया। पुनर्स्थापन मामला उप समाहर्त्ता, भूसुधार के समक्ष 16/1985-86 एवं 27/1986-87 के रूप में दर्ज की गयी थी जिन्होंने याची का दावा खारिज कर दिया। तत्पश्चात, अपर समाहर्ता, चतरा ने मामला एस॰ डी॰ ओ॰ चतरा के पास भेजा जिन्होंने सुनवाई किया और आदिवासी आवेदक अर्थात् वर्तमान याची के पक्ष में पुनर्स्थापन अनुज्ञात करते हुए दिनांक 8.5.2002 का आदेश पारित किया। अपर समाहर्ता, चतरा ने ग्रहण के चरण पर अपील खारिज कर दिया और तत्पश्चात प्राईवेट प्रत्यर्थियों ने आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर डिविजन, हजारीबाग के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दाखिल किया जिनके आदेश से वर्तमान रिट याचिका उद्भूत होती है।

4. एस॰ डी॰ ओ॰, चतरा तथा पुनरीक्षण प्राधिकारी, आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर डिविजन, हजारीबाग द्वारा पारित प्रासंगिक आदेशों का परिशीलन प्रकट करता है कि प्राईवेट प्रत्यर्थियों का दावा दिनांक 10.5.1937 को उनके पक्ष में निष्पादित हुकुमनामा के आधार पर आधारित है और जमीन्दारी निहित किए जाने के बाद जमीन्दार द्वारा दाखिल रिटर्न द्वारा समर्थित है। उसके अनुसरण में, उनके नाम भी रजिस्टर II में प्रविष्ट किए गए थे और वे निरन्तर चल रहे थे। यह भी स्पष्ट है कि भूमि सी॰ सी॰ एल॰ के लिए अर्जित की गयी थी जिसमें प्राइवेट प्रत्यर्थियों ने भाग लिया था और मुआवजा पाया था। वर्तमान याची प्रश्नगत ग्राम का अधिभोगी रैयत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हुआ था। दावा अंतिम रूप से आयुक्त द्वारा निम्नलिखित निष्कर्ष पर एस॰ डी॰ ओ॰, चतरा के आदेश को अपास्त करके प्राइवेट प्रत्यर्थियों के पक्ष में विनिश्चित किया गया:

(i) कि वर्तमान आवेदक/प्राइवेट प्रत्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत बंदोबस्ती के वैध दस्तावेज द्वारा समर्थित राजस्व दस्तावेज एवं जमाबंदी अभिलेख पर एस॰ डी॰ ओ॰, चतरा द्वारा किसी आधार के बिना संदेह किया गया था।

(ii) कि 1953 में निहित किए जाने के समय पर भूमि के संबंध में विवाद नहीं था और उस तथ्य द्वारा यदि वर्तमान याची/आदिवासी में से किसी की बेदखली हुई थी, 31 वर्ष से अधिक परे थी।

(iii) विद्वान आयुक्त ने यह भी विचार में लिया कि सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम में 1947 में समर्पण की अनुमति जोड़ी गयी थी जहाँ समर्पण 1937 के पहले किया गया था।

आक्षेपित आदेशों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एस॰ डी॰ ओ॰, चतरा के पास प्राइवेट प्रत्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत मूल राजस्व दस्तावेजों को विवादित एवं अनदेखा करने का कारण नहीं था जो भूमि के उक्त टुकड़ा के संबंध में 50 वर्ष से अधिक समय से उनके अभिधान एवं कब्जा का निर्णयकारी थे।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता ने एस॰ डी॰ ओ॰, चतरा द्वारा पारित आदेश पर विश्वास किया और निम्नलिखित निवेदन किया:

(i) कि वर्तमान प्राइवेट प्रत्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर II एवं जमीन्दारी निहित किए जाने के दस्तावेजों का सत्यापन राजस्व प्राधिकारी के कार्यालय में मूल दस्तावेजों की अनुपस्थिति में सत्यापित नहीं किया जा सका था।

(ii) कि एस॰ डी॰ ओ॰, चतरा के समक्ष याची द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य ने 1982 तक भूमि के पूर्वोक्त टुकड़ा पर याची के कब्जा की निरंतरता दर्शाया।

(iii) कि पुनर्स्थापन का दावा परिसीमा अवधि के परे नहीं था जैसा सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम, 1908 की धारा 71 के अधीन विहित किया गया है।

अत:, एस॰ डी॰ ओ॰, चतरा ने सही प्रकार से उनके द्वारा दावा की गयी अवधि के लिए भूमि पर निरंतर काबिज रहने का वर्तमान प्राइवेट प्रत्यर्थियों के दावा पर अविश्वास किया और याची के पक्ष में भूमि के पुनर्स्थापन का निर्देश दिया क्योंकि वह बेदखल किया गया आदिवासी था जिसे ऐसे किसी अवैध बेदखली से सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम के प्रावधानों के निबंधनानुसार संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है।

6. किंतु याची के विद्वान अधिवक्ता इस विवाद्यक का स्पष्ट उत्तर देने में सक्षम नहीं हुए हैं कि जब भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अधीन सी॰ सी॰ एल॰ द्वारा भूमि अर्जित की जा रही थी और प्रश्नगत संपत्ति प्राइवेट प्रत्यर्थियों को मुआवजा के भुगतान पर राज्य/सी॰ सी॰ एल॰ के पक्ष में विल्लंगम मुक्त संक्रांत हुई थी, क्या वर्तमान याची ने समय के किसी बिंदु पर भूमि अर्जन कार्यवाही में ऐसे अर्जन के प्रति आपत्ति किया था।

7. भूमि सी॰ सी॰ एल॰ के पक्ष में अर्जित की गयी थी जैसा एस॰ डी॰ ओ॰, चतरा द्वारा दिनांक 8.5.2002 के आदेश में भी ध्यान में लिया गया है। किंतु, वह यह अभिनिर्धारित करने के लिए अग्रसर हुए हैं कि वर्तमान प्राइवेट प्रत्यर्थियों द्वारा प्राप्त की गयी मुआवजा आदि की राशि अब याची के पक्ष में निविदत्त की जानी चाहिए। इस प्रकार, उन्होंने याची के पक्ष में मामला विनिश्चित किया है।

8. प्राइवेट प्रत्यर्थियों ने अनेक आधारों पर आक्षेपित आदेश का बचाव किया है। यह निवेदन किया गया है कि प्राइवेट प्रत्यर्थियों के पूर्वजों के पक्ष में भूमि की बंदोबस्ती का साक्ष्य, निहित किए जाने के समय पर जमीन्दार द्वारा दाखिल रिटर्न दर्शाने वाला दस्तावेज और रजिस्टर II में प्राइवेट प्रत्यर्थियों के पूर्वजों के नाम में जमाबंदी खोला जाना ऐसे दस्तावेज हैं, जो अनधिक्षेपणीय प्रकृति के हैं जिन पर याची के पक्ष में आदेश पारित करने के लिए एस॰ डी॰ ओ॰, चतरा द्वारा अविश्वास नहीं किया जाना चाहिए था जब भूमि स्वयं सी॰ सी॰ एल॰ द्वारा अर्जित की गयी थी और प्राइवेट प्रत्यर्थियों द्वारा मुआवजा भी प्राप्त किया गया था। अत: 50 वर्ष की अवधि के बाद याची द्वारा पुनर्स्थापन का दावा अत्यन्त विलंबित है क्योंकि इसे काफी पहले जमीन्दारी निहित किए जाने के 31 वर्ष से अधिक पहले प्राइवेट प्रत्यर्थियों के पूर्वजों के पक्ष में बंदोबस्त किया गया था।

9. मैंने पक्षों के परस्पर विरोधी अभिवचनों पर विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध प्रासंगिक सामग्रियों तथा आक्षेपित आदेशों एवं एस॰ डी॰ ओ॰, चतरा द्वारा पारित आदेश का परिशीलन किया है। हुकुमनामा के माध्यम से बंदोबस्ती से संबंधित अवर राजस्व प्राधिकारियों के समक्ष प्राइवेट प्रत्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमीन्दारी निहित किए जाने के समय पर जमीन्दार द्वारा दाखिल रिटर्न द्वारा समर्थित प्रतीत होते हैं और उनके अनुसरण में प्राइवेट प्रत्यर्थियों के पूर्वजों के नाम भी रजिस्टर II में जमाबंदी में खोले गए थे। इन दस्तावेजों पर एस॰ डी॰ ओ॰, चतरा द्वारा मात्र इस कारण से अविश्वास किया गया है कि मूल राजस्व प्राधिकारियों के कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे। किंतु एस॰ डी॰ ओ॰, चतरा ने इस तथ्य को विचार में लेने से इनकार किया है कि याची गाँव के किसी अधिभोग प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने में विफल रहा था जिसके संबंध में उसने भूमि के टुकड़े के पुनर्स्थापन का दावा किया था। आयुक्त, उत्तर छोटानागपुर डिविजन, हजारीबाग ने आक्षेपित आदेशों में मामले के समस्त पहलूओं और पक्षों के परस्पर विरोधी अभिवचनों पर विचार किया और सही प्रकार से निष्कर्ष पर आया कि वर्तमान याची सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धारा 71 के अधीन भूमि के पूर्वोक्त टुकड़े के पुनर्स्थापन का कोई आधार स्थापित करने

में विफल रहा था। पुनर्स्थापन के लिए आवेदन की दाखिली के पहले सी॰ सी॰ एल॰ द्वारा भूमि का अर्जन एक अन्य तथ्य है जो पुनर्स्थापन के ऐसे किसी दावा में याची के विरुद्ध जाता है क्योंकि वह समय के प्रासंगिक बिंदु पर ऐसे अर्जन और प्राइवेट प्रत्यर्थियों के पक्ष में मुआवजा के प्रति कोई आपत्ति करता प्रतीत नहीं होता है। विद्वान आयुक्त, उत्तर छोटानागपुर डिविजन, हजारीबाग द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई वैध अथवा ताथ्यिक दुर्बलता नहीं प्रतीत होती है। अतः, हस्तक्षेप का आधार नहीं बनता है।

10. तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o Jh pn'k[kj] U;k;efr

रंजीत सिंह

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (D.B.) No. 452 of 2011 with I.A. No. 3404 of 2016. Decided on 22nd July, 2016.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 389—दंडादेश का निलंबन–हत्या के लिए दोषसिद्धि–मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर टिका है–अपीलार्थी विगत सात वर्ष से कारा में है और निकट भविष्य में अपील की सुनवाई की संभावना नहीं है–अपीलार्थी दंडादेश के निलंबन की रियायत योग्य है–अपील लंबित रहने के दौरान जमानत प्रदान किया गया। (पैराएँ 6 से 8)

अधिवक्तागण.–Mr. K.P. Deo, For the Appellant; Mr. S.K. Srivastava, For the State.

विरेन्दर सिंह, मुख्य न्यायाधीश.–

आई॰ ए॰ संख्या 3404 वर्ष 2016

आरंभ में ही आवेदक अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री के॰ पी॰ देव कथन करते हैं कि अनवधानीपूर्वक आवेदक–अपीलार्थी की कारा की तिथि दिनांक 20.10.2010 के रूप में उल्लिखित की गयी है जबकि यह दिनांक 18.10.2009 है और यह एक वर्ष का अंतर बनाता है। विद्वान राज्य अधिवक्ता द्वारा आवेदक अपीलार्थी की कारावधि खंडित नहीं की गयी है।

2. यह अपील के लंबित रहने के दौरान दंडादेश के निलंबन के लिए दोषसिद्ध रंजीत सिंह द्वारा किया गया तीसरा प्रयास है।

3. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

4. कुल मिलाकर आवेदक अपीलार्थी सहित आठ अभियुक्तों को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302/34 सहपठित 201 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आक्षेपित निर्णय के तहत दोषसिद्ध किया गया है और समस्त आठों अभियुक्तों द्वारा कुल पाँच अपीलें दाखिल की गयी है।

5. आरंभ में ही, आवेदक अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री के॰ पी॰ देव कथन करते हैं कि यद्यपि यह मुख्य अपील के लंबित रहने के दौरान दंडादेश के निलंबन के लिए आवेदक अपीलार्थी द्वारा किया गया तीसरा प्रयास है, किंतु आवेदक अपीलार्थी के अनुकूल कतिपय परिवर्तित परिस्थितियाँ हैं अर्थात् आवेदक अपीलार्थी के द्वितीय जमानत आवेदन के अस्वीकरण के बाद उसी आरोप के लिए एक अन्य सह–दोषसिद्ध को दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 395 वर्ष 2011 में दिनांक 4.12.2015 के आदेश के तहत न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान किया गया है। उन्होंने तब निवेदन किया कि आवेदक अपीलार्थी अब

तक अपने मुख्य दंडादेश का लगभग 7 वर्ष भुगत चुका है; बिल्कुल सटीक अवधि 6 वर्ष 8 माह कुछ दिन है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और इस तथ्य के सिवाए कि उसने मृतक को उसके घर से बुलाया था, वर्तमान आवेदक अपीलार्थी के दोष की ओर इंगित करने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला अभियोजन द्वारा संग्रहित सामग्री से सिद्ध नहीं होती है। उन्होंने तब निवेदन किया कि वर्तमान अपील वर्ष 2011 की होने के कारण इस न्यायालय में लंबित और इससे काफी पहले दाखिल अन्य अपीलों की लंबी कतार के कारण निकट भविष्य में इसके सुने जाने की संभावना नहीं है।

6. यद्यपि, विद्वान राज्य अधिवक्ता द्वारा आवेदक अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी प्रार्थना का विरोध किया गया है, फिर भी मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों की संपूर्णता को दृष्टि में रखते हुए और यह तथ्य कि वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर टिका है और यह तथ्य कि आवेदक अपीलार्थी विगत 7 वर्षों से कारा में है और निकट भविष्य में अपील की सुनवाई की संभावना प्रतीत नहीं होती है को ध्यान में रखते हुए वह दंडादेश के निलंबन की रियायत का हकदार है।

7. परिणामस्वरुप, वर्तमान आवेदन प्रार्थनानुसार अनुज्ञात किया जाता है।

8. आवेदक अपीलार्थी अर्थात् रंजीत सिंह को बाघमारा (बरोरा) पी॰ एस॰ केस सं॰ 261 वर्ष 2009 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ सं॰ 3395 वर्ष 2009 के तत्सम सत्र विचारण सं॰ 102/2010 के संबंध में विद्वान सत्र न्यायाधीश, धनबाद की संतुष्टि हेतु प्रत्येक समान राशि की दो प्रतिभूतियों के साथ 10,000/- (दस हजार) रुपयों का जमानत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान जमानत पर निर्मुक्त किया जाए।

तद्नुसार, आई॰ ए॰ सं॰ 3404 वर्ष 2016 निपटायी जाती है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

रेहाना बानो एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 3992 of 2006. Decided on 28th July, 2016.

बिहार सरकारी संपदा (खास महल) निर्देशिका, 1953—नियम 18, अध्याय II—पट्टा के शर्तों एवं निबंधनों का उल्लंघन–उपायुक्त किसी पक्ष द्वारा पट्टाधृत क्षेत्र के उपर किसी अधिक्रमण को अभिनिश्चित करने के लिए ऐसी मापी किए जाने का निर्देश दे सकता है–इस प्रश्न कि खास महल भूमि सरकारी भूमि की कोटि में नहीं है पर चुनौती दिए जा रहे आक्षेपित आदेश में जारी निर्देश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। (पैराएँ 6, 7 एवं 9)

निर्णयज विधि.–2000 (2) PLJR 221—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Bhaiya V. Kumar, For the Petitioners; J.C. to S.C. (L & C), For the State.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. मूल याची एवं प्राइवेट प्रत्यर्थी, जिन दोनों को अब प्रतिस्थापित किया गया है, प्राइवेट प्रत्यर्थी की पट्टाधृत भूमि की याची की ओर से 332 वर्ग फीट भूमि के अभिकथित अधिक्रमण से संबंधित विवाद्यक पर लड़ाई कर रहे हैं। उस संबंध में केस सं॰ 01/1985-86 में बी॰ पी॰ एल॰ ई॰ कार्यवाही विद्वान भू–सुधार उपसमाहर्त्ता, चाईबासा सदर के समक्ष आरंभ की गयी थी जिन्होंने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिनांक 29 अप्रिल, 1986 को यह अभिनिर्धारित करते हुए मामला विनिश्चित किया कि होल्डिंग सं॰ 579, भूखंड सं॰ 925, चाईबासा टाउन के वर्तमान याची पट्टाधारी के पूर्वजों ने यदि पट्टाधृत क्षेत्र के परे अधिक्रमण किया है, वे इसे हटाने के लिए बाध्य हैं। अंचलाधिकारी को प्रश्नगत पट्टाधृत क्षेत्र की मापी करने का निर्देश दिया गया था। बी॰ पी॰ एल॰ ई॰ केस सं॰ 01/1985-86 में मूल आवेदक अपनी दादी के माध्यम से भूखंड सं॰ 925 पर पट्टाधृत अधिकार का दावा कर रहा था। प्राइवेट प्रत्यर्थी के पूर्वज विरोधी पक्षकार जुलुआ खातुन के नाम में भूखंड सं॰ 923-924 के उपर पट्टाधृत अधिकार का दावा कर रहे थे। भूसुधार उपसमाहर्ता के दिनांक 29 अप्रिल, 1986 के आदेश (परिशिष्ट–1) को मो॰ मनीरुद्दीन द्वारा उपायुक्त, चाईबासा, पश्चिम सिंहभूम के समक्ष बी॰ पी॰ एल॰ ई॰ अपील सं॰ 44/1986-87 में चुनौती का विषय वस्तु बनाया गया था जिन्होंने पुनः दोनों पक्षों के परस्पर विरोधी अभिवचनों पर विचार करने पर आदेश मान्य ठहराया और तिथि विशेष तक अधिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। अपीलीय आदेश एवं अंचलाधिकारी का दिनांक 18 मई, 2006 के नोटिस को याची द्वारा आक्षेपित किया गया है।

3. प्रत्यर्थी राज्य ने आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए अपना प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जबकि प्राइवेट प्रत्यर्थीगण अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए हैं और आक्षेपित आदेश का बचाव किया है।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता ने **अश्वनी कुमार गुप्ता बनाम बिहार राज्य एवं अन्य,** 2000 (2) PLJR 221, में पटना उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय पर यह निवेदन करने के लिए विश्वास किया है कि बी॰ पी॰ एल॰ ई॰ कार्यवाही पोषणीय नहीं है क्योंकि उसके संबंध में खास महल निर्देशिका के अधीन पृथक प्रावधान है।

5. प्राइवेट प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि कार्यवाही याची द्वारा विश्वास किए गए निर्णय में निर्दिष्ट खास महल निर्देशिका के मुताबिक पट्टाधृत भूमि के पुनरारंभ के संबंध में नहीं है। केवल प्राइवेट प्रत्यर्थी के पट्टाधृत क्षेत्र पर याची द्वारा अधिक्रमण के प्रश्न पर, इसको सीमांकित करने तथा किसी अधिक्रमण को हटाने का निर्देश पारित किया गया था। अतः याची को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए यदि पक्षों की उपस्थिति में अंचल अमीन के माध्यम से उचित मापी पर यह पाया जाता है कि उसने अपने पट्टाधृत क्षेत्र के परे और प्राइवेट प्रत्यर्थी अथवा किसी अन्य व्यक्ति के क्षेत्र पर अधिक्रमण किया है। यह निवेदन किया गया है कि याची किसी रूप में अपनी पट्टाधृत संपत्ति के परे किसी क्षेत्र पर किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। अतः, मामले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पूर्वोक्त कार्यवाही में प्राधिकारियों द्वारा पारित निर्देश किसी पक्ष के साथ अन्याय नहीं करता है।

6. मैंने पक्षों के निवेदनों पर विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद प्रासंगिक सामग्री तथा आक्षेपित आदेश का परिशीलन किया है। आक्षेपित आदेश के गुणागुणों पर विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि एकमात्र अंतर्ग्रस्त विवाद्यक यह था कि क्या याची ने अपनी पट्टाधृत भूमि से अधिक क्षेत्र पर अधिक्रमण किया था। याची का मामला यह नहीं है कि वह अपने पट्टाधृत क्षेत्र से अधिक क्षेत्र का दावा करने का हकदार है। ऐसी खासमहल संपत्तियों का पट्टा उपायुक्त अथवा उसके प्रतिनिधि के माध्यम

से राज्य के भूसुधार एवं राजस्व विभाग के पर्यवेक्षण के अधीन निष्पादित किया जाता है। उस हैसियत में भी उपायुक्त पट्टा के निबंधनों एवं शर्तों के उल्लंघन से अवगत कराए जाने पर खास महल निर्देशिका के अधीन प्राधिकारी के रूप में अपनी शक्ति के प्रयोग में किसी पक्ष द्वारा पट्टाधृत क्षेत्र के उपर किसी अधिक्रमण को अभिनिश्चित करने के लिए ऐसी मापी करने का निर्देश दे सकता है।

7. मामले के उस दृष्टिकोण में, यह प्रश्न कि खास महल भूमि सरकारी भूमि की कोटि में नहीं है, पर चुनौती दिए जा रहे आक्षेपित आदेश में जारी निर्देश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उपायुक्त द्वारा प्रश्नगत पट्टाधृत भूमि के संबंध में ऐसा कार्य किया जा सकता है। बिहार सरकारी संपदा (खास महल) निर्देशिका, 1953 के नियम 18, अध्याय II का पठन निम्नलिखित है:–

> *"18.* ***vifjfuèkkfjr Hkfe ij vfèkØe.k-****&ftyk vfèkdkjh d LVkQ d dN lnL; vFkok lnL;k dk ;g n[ku d fy, fo'k"kr% ftEenkj cuk;k vkj ekuk tkuk pkfg, fd , l {k=k e vifjfuèkkfjr Hkfe ij dkb vfèkØe.k ugh fd;k tk; vkj fd ftyk vfèkdkjh }kjk nh x;h etjh d mYy?ku e vuefr d fcuk dkb Hkou [kMk ugh fd;k tk;A ftyk vfèkdkjh dk [kkl egy d çHkkjh mi lekgrk }kjk okf"kd çek.ki= ikIr djuk gkxk fd [kkl egy dh leLr èkfr;k dk fujh{k.k fofgr vfèkdkfj;k }kjk fd;k x;k g vkj fd mlu Lo; futh :i l rFkk lekgrk }kjk fofgr dh tku okyh vfHkèkfr;k d çfr'kr dh pkgíh ,o n'kk dk fujh{k.k fd;k gA***

8. यह दूसरा मामला है कि पट्टाधृत क्षेत्र के ऐसे सीमांकन और तत्पश्चात कोई अधिक्रमण पाए जाने पर लिए जाने वाले उपलब्ध विधिक उपचारों को विधि के अनुरुप निकालना होगा।

9. अत:, यह न्यायालय संतुष्ट है कि आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। किंतु, उपायुक्त, पश्चिम सिंहभूम यहाँ उपर किए गए संप्रेक्षणों की दृष्टि में विधि के अनुरुप कृत्य करेंगे। पक्षगण ऐसे किसी कार्य में सहयोग करेंगे। तद्नुसार, रिट याचिका निपटायी जाती है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

लक्ष्मण मिस्त्री एवं अन्य

cuke

गोविन्द देव शर्मा एवं अन्य

W.P. (C) No. 2040 of 2005. Decided on 26th July, 2016.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 8, नियम 1—लिखित कथन–परिसीमा–नब्बे दिनों की सांविधिक अवधि आज्ञापक नहीं है–न्यायालय को सांविधिक अवधि के परे दाखिल लिखित कथन को स्वीकार करने की प्रत्येक अधिकारिता है यदि कुछ युक्तियुक्त स्पष्टीकरण दिया गया है–अवर न्यायालय को 10,000/- रुपयों के व्यय के भुगतान पर लिखित कथन स्वीकार करने का निर्देश दिया गया। (पैराएँ 6 एवं 7)

अधिवक्तागण.–Mr. Amar Kumar Sinha, For the Petitioners; Mr. Ramawatar Sharma, For the Respondent.

आदेश

प्रतिवादियों ने यह रिट अभिधान वाद सं॰ 193 वर्ष 2003 में विद्वान मुंसिफ, गिरीडीह द्वारा पारित दिनांक 4.1.2005 के आदेश, जिसके द्वारा अवर न्यायालय ने अन्य प्रतिवादियों के साथ दाखिल प्रतिवादियों द्वारा दाखिल लिखित कथन स्वीकार करने से इनकार किया है, के विरुद्ध दाखिल किया है और प्रतिवादियों द्वारा दाखिल लिखित कथन स्वीकार करने के लिए प्रार्थना किया है।

2. वादी के अभिवचनों का वर्णन करना आवश्यक नहीं है क्योंकि प्रतिवादियों द्वारा दाखिल लिखित कथन अवर न्यायालय द्वारा स्वीकार किए जाने से इनकार किया गया है।

3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रतिवादी सं॰ 2, 10, 19, 20, 25, 28, 29, 33, 42, 43 एवं 44 पर समन तामील न किये जाने के कारण अवर न्यायालय ने वादी को नोटिस के प्रतिस्थापित तामील के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया था और तत्पश्चात दिनांक 9.6.2004 को स्थानीय समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित किया गया था और नोटिस में प्रतिवादियों को दिनांक 14.6.2004 को अवर न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था, किंतु कुछ अपरिहार्य कारणों से उक्त प्रतिवादीगण दिनांक 4.10.2004 को न्यायालय में उपस्थित हुए और अपना लिखित कथन दाखिल किया जिसे न्यायालय के आदेश द्वारा अभिलेख पर रखा गया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश VIII नियम 1 में अंतर्विष्ट प्रावधान आज्ञापक नहीं बल्कि निदेशात्मक प्रकृति के हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही सुनिश्चित किया है कि न्यायालय विलंब माफ करने के लिए वर्जित नहीं है यदि 90 दिनों की सांविधिक अवधि के परे लिखित कथन दाखिल करने के लिए कुछ युक्तियुक्त कारण दर्शाया गया है। अत:, लिखित कथन को स्वीकार न करने का आदेश विधि में दोषपूर्ण है तथा अपास्त किये जाने योग्य है।

4. दूसरी ओर, वादी–विरोधी पक्षकार के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध इस आधार पर किया है कि अवर न्यायालय ने सही प्रकार से प्रतिवादियों की प्रार्थना अस्वीकार किया है क्योंकि इसे 90 दिनों की सांविधिक अवधि के परे दाखिल किया गया था।

5. अभिलेख और इस याचिका के साथ संलग्न आवश्यक परिशिष्टों के परिशीलन पर, यह प्रतीत होता है कि नोटिस दिनांक 9.6.2004 को समाचार पत्र दैनिक जागरण में प्रकाशित की गयी थी और इसमें प्रतिवादियों को दिनांक 14.6.2004 को न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था और तत्पश्चात प्रतिवादीगण लिखित कथन के साथ दिनांक 4.10.2004 को न्यायालय में उपस्थित हुए और इसे स्वीकार करने के लिए याचिका दाखिल किया।

6. प्रकटत: याचीगण की ओर से दाखिल लिखित कथन 90 दिनों की सांविधिक अवधि के अंतर्गत दाखिल नहीं किया गया था बल्कि इसे उस अवधि के परे दाखिल किया गया था किंतु अवर न्यायालय यह विचार करने में विफल रहा कि उक्त सांविधिक अवधि आज्ञापक नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित है कि न्यायालय को सांविधिक अवधि के परे भी दाखिल लिखित कथन को स्वीकार करने की प्रत्येक अधिकारिता है यदि कुछ युक्तियुक्त स्पष्टीकरण दिया गया है।

7. उपर की गयी चर्चा की दृष्टि में, अभिधान वाद सं॰ 193 वर्ष 2003 में विद्वान मुंसिफ, गिरीडीह द्वारा पारित दिनांक 4.1.2005 का आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है। अवर न्यायालय को प्रतिवादियों–याचियों द्वारा वादी को 1000/- (एक हजार) रुपयों के व्यय के भुगतान पर दाखिल लिखित कथन स्वीकार करने का निर्देश दिया जाता है।

8. यह प्रतीत होता है कि वाद वर्ष 2003 में दाखिल किया गया था। अत:, अवर न्यायालय को वाद की सुनवायी में तेजी लाने का निर्देश दिया जाता है।

9. इस निर्देश के साथ यह रिट आवेदन एतद् द्वारा अनुज्ञात किया जाता है।

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

cuke

संतोष कुमार सिंह उर्फ संतोष कुमार बाधेल एवं अन्य

Civil Review No. 03 of 2016. Decided on 22nd July, 2016.

श्रम एवं औद्योगिक विधि–अनुकंपा पर नियुक्ति–मृतक कर्मचारी को सेवारत रहते हुए अवचार के आरोप के परिणामस्वरुप दंडित कभी नहीं किया गया था अथवा सेवा से हटाया कभी नहीं गया था–सेवारत रहते हुए उसकी मृत्यु के पहले दोष पर कभी नहीं पहुँचा गया था–उसकी मृत्यु सेवारत रहते हुई–उन आधारों पर अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के ऐसे कर्मचारी के आश्रित के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है–आक्षेपित निर्णय के पुनर्विलोकन की आवश्यकता नहीं है–पुनर्विलोकन याचिका खारिज। (पैराएँ 8 एवं 9)

अधिवक्तागण.–Mr. Amit Kumar Das, For the Petitioner; M/s Ratnesh Kumar, Om Prakash Prasad, For the O.P. No. 1.

आदेश

डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 2530 वर्ष 2014 में प्रत्यर्थी उसमें पारित दिनांक 17 दिसंबर, 2014 के निर्णय को आक्षेपित करने वाला इप्सित करता पुनर्विलोकन याची है जिसका पठन निम्नलिखित है:-

^^i{kk d fo}ku vfèkoDrk lu x,A

2. पुनरावृत्ति से बचने के लिए याची के मामले का सार जैसा दिनांक 1 जुलाई, 2014 के आदेश में दर्ज किया गया है, यहाँ नीचे उद्धृत किय जाता है:–

^^;kph d firk dh eR; çR;Fkh lUVy dky QhYM l fy0 d vèkhu fyfid d :i e lokjr jgr g, fnukd 25 tykb] 2013 dk gk x;hA mlu fnukd 17 fnlcj] 2013 dk vudik ij fu;fDr d fy, vkonu fn;k ftl fnukd 14 vfçy] 2014 d vk{kfir vkn'k] ifjf'k"V 12, }kjk bl vkèkkj ij vLohdkj dj fn;k x;k g fd og 35 o"k l vfèkd vk; dk gA ;kph u çkpk;] ifCyd gkb Ldy] dt] jkex< }kjk fnukd 29 uocj] 2013 dk tkjh LFkkukrj.k çek.ki=] ifjf'k"V&8, ij fo'okl fd;k g ftld erkfcd mldh tUefrfFk fnukd 25 tuojh] 1981 gA mlu efVdy'ku ØkfyLV] ifjf'k"V&6, Hkh lyXu fd;k g tk ogh tUefrfFk minf'kr djrh gA ;kph d fo}ku vfèkoDrk u fuonu fd;k g fd vudik ij fu;fDr d vLohdj.k dk dkj.k 'kk;n mld firk }kjk u;k ukekdu Qke] ifjf'k"V&2, dh nkf[kyh gk ldrk g ftle vuoèkkuhiod ;kph dh vk; fnukd 28 vxLr] 2008 dk 35 o"k d :i e minf'kr dh x;h gA fdr] ifjf'k"V 10 ij dk;kUo;u vun'k l0 76 d vulkj] çR;fFk;k dk ;kph dh tUefrfFk fuèkkfjr dju d fy, fo|ky; ifjR;kx çek.ki= dk ekinM d :i e ekU;rk nuk pkfg, Fkk tlk [kM A (ii) e vfèkdfFkr fd;k x;k g ftl ugh fd;k x;k gA

fdr] çR;Fkh lhO lhO ,y0 d fo}ku vfèkoDrk vun'k çkIr dju d fy, vkj çfr'kiFk i= nkf[ky dju d fy, Ng llrkg dk le; bfllr djr g vkj mUg vuefr nh tkrh gA

*rRi'pkr bl ekey dk lefpr 'kh"kd d vèkhu lphc) djA***

3. प्रत्यर्थीगण उपस्थित हुए हैं और अपना प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया है। प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, याची के पिता द्वारा सेवा के दौरान तीन दस्तावेज दिए गए थे। पहला परिशिष्ट–C पर है जो सितंबर, 1992 का है और परिवार के सदस्यों की सूची है जहाँ याची की आयु 19 वर्ष दर्शायी गयी है। परिशिष्ट–D अन्य दस्तावेज है, जो एल॰ टी॰ सी॰ प्रपत्र–A है तथा 2 जनवरी, 1991 का है, जहाँ याची की आयु 18 वर्ष दर्शायी गयी है। दूसरा दस्तावेज परिशिष्ट–E है जो उपदान के प्रयोजन से नया नामांकन फॉर्म G है जिसे दिनांक 28 अगस्त, 2008 तक भरा गया है जिसमें याची की आयु 35 वर्ष दर्शायी गयी है। प्रत्यर्थी के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि दस्तावेजों, जिन्हें नियोक्ता कार्यालय में रखा जाता है और स्वयं नियोक्ता द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किया जाता है, को अनुकंपा पर नियुक्ति इप्सित करने वाले आश्रित का आवेदन निर्णीत करने के लिए सामग्री के रूप में लिया जाना है। अत:, याची का दावा अस्वीकार किया गया है क्योंकि वह दिनांक 25 जुलाई, 2013 को अपने पिता की मृत्यु के समय 35 वर्ष की आयु पार कर चुका था।

4. दूसरी ओर, याची द्वारा विश्वास किया गया दस्तावेज दिनांक 29 नवंबर, 2013 का स्थानांतरण प्रमाण पत्र, परिशिष्ट 8, है जहाँ उसकी जन्मतिथि दिनांक 25 जनवरी, 1981 दर्शायी गयी है और विद्यालय परित्याग की तिथि दिनांक 25 सितंबर, 1995 है। परिशिष्ट–6 उम्मीदवारों जो के॰ एच॰ एस॰ कुजु राजकीय विद्यालय से मैट्रिकुलेशन परीक्षा में उपस्थित हुए थे का क्रॉस लिस्ट है। उस दस्तावेज में, याची की जन्मतिथि दिनांक 25 जनवरी, 1981 दर्शायी गयी है और उसका नाम क्रमांक 282 पर है। क्रियान्वयन अनुदेश सं॰ 76 के मुताबिक, जो कर्मचारियों की आयु के विनिश्चयकरण एवं सत्यापन की प्रक्रिया अधिकथित करती है, मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र पर विश्वास किया जाना है। गैर मैट्रिकुलेट किंतु शिक्षित के मामले में, विद्यालय निर्गम प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि को सही जन्मतिथि के रूप में मानना होगा।

याची द्वारा और प्रत्यर्थियों द्वारा भी विश्वास किए गए सामग्रियों से निष्कर्ष जिसे निकाला जा सकता है यह है कि यद्यपि प्रत्यर्थियों की अभिरक्षा में तात्विक दस्तावेजों को याची के पिता द्वारा विभिन्न वर्षों अर्थात् 1991, 1992 एवं 2008 में भरा गया था, किंतु वे याची की सटीक जन्मतिथि प्रकट नहीं करते हैं बल्कि वे याची की आयु का निर्धारण हैं। यदि परिशिष्ट–C पर दस्तावेज द्वारा याची की आयु वर्ष 1992 में 19 वर्ष थी, दस्तावेजों जिन पर याची द्वारा विश्वास किया गया है के अंक पत्र (परिशिष्ट–7), विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र (परिशिष्ट–8) और प्रति सूची (परिशिष्ट–6) होने के कारण निश्चित जन्मतिथि अर्थात् दिनांक 25 जनवरी, 1981 दर्शाते हैं और कि वह वर्ष 1995 में ही मैट्रिकुलेशन परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ था। यह निश्चय ही संबंधित विद्यालय से सत्यापन के अध्यधीन है। याची की जन्मतिथि दर्शाने वाला एक अधिक सही दस्तावेज अर्थात् विद्यालय परित्याग प्रमाणपत्र को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थियों को विद्यालय में प्रवेश और क्या उसने वस्तुत: अध्ययन किया था या नहीं और क्या इस निर्णय कि क्या याची ने नियोजन की आयु अर्थात् 35 वर्ष पार कर लिया था पर आने के पहले ऐसी प्रविष्टियों को प्रवेश रजिस्टर से संपुष्ट किया गया है के प्रति संबंधित विद्यालय से मामला सत्यापित करवाना चाहिए था।

ऐसी परिस्थितियों में, यह प्रतीत होता है कि मामले पर प्रत्यर्थी के स्तर पर पुन: विचार किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि अनुकंपा पर नियुक्ति का दावा प्रत्यर्थियों द्वारा याची की आयु के निर्धारण पर सेवा के दौरान कर्मचारी द्वारा पहले प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अस्वीकार किया गया है। अत:, परिशिष्ट 12 में अंतर्विष्ट दिनांक 14 अप्रिल, 2014 का आक्षेपित आदेश अभिखंडित किया जाता है और संबंधित

कार्यालय से सम्यक् सत्यापन के बाद 12 सप्ताह की अवधि के भीतर विधि के अनुरुप नए निर्णय के लिए मामला प्रत्यर्थी को वापस भेजा जाता है।

तद्नुसार, रिट याचिका यहाँ उपर उपदर्शित तरीके से एवं सीमा तक अनुज्ञात की जाती है।''

5. पुनर्विलोकन याची के विद्वान अधिवक्ता ने निर्णय का पुनर्विलोकन इस आधार पर इप्सित किया है कि रिट याचिका में दाखिल प्रति शपथ पत्र में अंतर्विष्ट मृतक कर्मचारी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य रिट न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए ध्यान से बच निकला था।

6. वस्तुत: मृतक कर्मचारी को स्वयं रेलीगारा कोलियरी के भूतपूर्व कर्मचारी स्व॰ तिलका मांझी के दामाद होने का गलत प्रकार से दावा करके कंपनी के नियोजन में कपटपूर्ण प्रवेश का अवचार अभिकथित करते हुए दिनांक 28 दिसंबर, 2012 को आरोप-पत्रित किया गया था। किंतु आरोप पत्र लंबित रहने के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो गयी। पुनर्विलोकन याची के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रभाव डालने का प्रयास किया है कि आरोप पत्रित कर्मचारी का आश्रित अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।

7. रिट याची/वर्तमान विरोधी पक्षकार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस आधार पर इसका विरोध किया गया है कि उक्त आधार का आग्रह कभी नहीं किया गया था और न ही यह परस्पर पक्षों द्वारा अभिवचन किए गए समस्त प्रासंगिक निवेदनों एवं तथ्यों पर सम्यक विचार के बाद पारित निर्णय का पुनर्विलोकन इप्सित करने का वैध आधार है।

8. चाहे जो भी हो, पूर्वोक्त आधार निर्णय को पुनर्विलोकन योग्य इस कारण से नहीं बनाएगा कि मृतक कर्मचारी को उसकी सेवा के दौरान उसके विरुद्ध अभिकथित अवचार के पूर्वोक्त आरोपों के परिणामस्वरुप दंडित कभी नहीं किया गया था अथवा सेवा से हटाया कभी नहीं गया था। उस अर्थ में सेवारत रहते हुए उसकी मृत्यु के पहले दोष पर कभी नहीं पहुँचा गया था। ऐसे कर्मचारी के आश्रित, जिससे अन्नदाता छीन लिया गया है को उन आधारों पर अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह न्यायालय आक्षेपित निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए कोई आधार नहीं पाता है।

तद्नुसार, पुनर्विलोकन याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k; ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

मीनू ओराँव उर्फ चुमा ओराँव

cuke

झारखंड राज्य

Criminal (Jail) Appeal (DB) No. 163 of 2005. Decided on 9th March, 2016.

घाघरा पी॰ एस॰ केस सं॰ 31/02, जी॰ आर॰ सं॰ 231 वर्ष 2002 से उद्भूत होने वाले सत्र विचारण सं॰ 175 वर्ष 2002 में विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट-III, गुमला द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 30.10.2002 तथा दिनांक 31.10.2002 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302 एवं 324—डायन प्रथा निवारण अधिनियम, 1999—धारा 4—हत्या एवं घोर उपहति—दोषसिद्धि—जादू टोना का संदेह—प्रहार के दो चश्मदीद

गवाह हैं–अभियोजन मामला चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा सम्पोषित–रक्त रंजित मिट्टी एफ॰ एस॰ एल॰ नहीं भेजा जाना चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य को भंजित नहीं करता है–घटनाओं का क्रम एवं साक्ष्य मृतक की हत्या में अपीलार्थी की अंतर्ग्रस्तता उपदर्शित करते हैं–दोषसिद्धि एवं दंडादेश मान्य ठहराया गया–अपील खारिज। (पैराएँ 19 से 26, 29, 30 एवं 31)

अधिवक्तागण.–Mr. Pramod Kumar, For the Appellant; Mr. Kaushik Sarkhel, For the State.

रत्नाकर भेंगरा, न्यायमूर्ति.–यह अपील घाघरा पी॰ एस॰ केस सं॰ 31/02, जी॰ आर॰ केस सं॰ 231 वर्ष 2002 के संबंध में सत्र विचारण सं॰ 175 वर्ष 2002 में विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट III, गुमला द्वारा पारित क्रमशः दिनांक-30.10.2002 तथा दिनांक 31.10.2002 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश से उद्भूत होती है, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302 एवं 324 तथा डायन प्रथा निवारण अधिनियम की धारा 4 के अधीन दोषसिद्धि किया है और उसको भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन आजीवन कठोर कारावास भुगतने तथा 2000/- (दो हजार) रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने और जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में तीन माह का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया है। आगे भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 324 के अधीन एक वर्ष के कठोर कारावास और डायन प्रथा निवारण अधिनियम की धारा 4 के अधीन तीन माह के कठोर कारावास का दंडादेश दिया है। इस प्रकार पारित दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का निर्देश दिया गया था।

2. संक्षेप में, फर्दबयान के मुताबिक अभियोजन मामला यह है कि दिनांक 22.4.2002 को पूर्वाह्न लगभग 11.30 बजे ग्राम इच्छा डाँका टोली, पुलिस थाना घाघरा, जिला गुमला में सूचक नुनुआ देवी, उसका पति सुकरा ओराँव (मृतक) और बिहार ओराँव सूचक के घर में बात कर रहे थे। इस बीच मीनू ओराँव उर्फ चुमा ओराँव (अपीलार्थी) तलवार से लैस होकर वहाँ आया और तलवार से सुकरा ओराँव के चेहरे, मस्तक, गर्दन एवं शरीर के अन्य भाग पर प्रहार किया। बिहार ओराँव ने सुकरा ओराँव को बचाने का प्रयास किया किंतु अपीलार्थी ने बिहार ओराँव पर भी भौंह के उपर उसके अग्रमस्तक पर प्रहार किया। आगे यह कथन किया गया है कि बिहार ओराँव सूचक के घर आया और पानी मांगा और पानी पीने के बाद वह घटना के समय पर उसके पति के साथ बात कर रहा था। बिहार ओराँव उपहति पाने पर सूचक के घर से भाग गया। सुकरा ओराँव ने उपहतियों के कारण दम तोड़ दिया। घटना के पीछे का हेतु यह था कि अपीलार्थी को संदेह था कि सुकरा ओराँव के जादू-टोना के कारण अपीलार्थी के पुत्र की मृत्यु हुई थी। सूचक ने दिनांक 22.4.2002 को अपराह्न 3 बजे अपने निवास स्थान पर घाघरा पी॰ एस॰ के एस॰ आई॰ अशोक कुमार को फर्दबयान दिया।

3. फर्दबयान के आधार पर, औपचारिक प्राथमिकी लिखी गयी थी घाघरा पी॰ एस॰ के॰ एस॰ आई॰ अशोक कुमार ने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श 6) तैयार किया और सूचक नुनुआ देवी का फर्दबयान दर्ज किया। तत्पश्चात, एस॰ आई॰ मुश्ताक अली ने अंशतः मामले का अन्वेषण किया। पुलिस ने सम्यक अन्वेषण के बाद, अपीलार्थी के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302 एवं 324 के अधीन और पी॰ डब्ल्यू॰ पी॰ अधिनियम की धारा 4 के अधीन आरोप-पत्र सी॰ जे॰ एम॰, गुमला के न्यायालय में दाखिल किया और संज्ञान के बाद मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था।

4. अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए थे जिससे उसने इनकार किया तथा विचारण का दावा किया।

5. अभियोजन ने अपने मामले के समर्थन में सात गवाहों का परीक्षण किया अर्थात् अ॰ सा॰ 1 नुनुआ देवी जो अभियोजन मामले की सूचक है; अ॰ सा॰ 2 बिहार ओराँव जो घायल गवाह है; अ॰ सा॰ 3 महानंद भगत मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट का गवाह है; अ॰ सा॰ 4 हरि ओराँव जो भी मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट का गवाह है; अ॰ सा॰ 5 डॉ॰ सुरेन्द्र सिंह जिसने घायल बिहार ओराँव का परीक्षण किया था; अ॰ सा॰ 6 अशोक कुमार पुलिस एस॰ आई॰ जो अन्वेषण अधिकारी है; अ॰ सा॰ 7 डॉ॰ कृष्णा प्रसाद जिन्होंने मृतक सुकरा ओराँव के मृत शरीर का शव परीक्षण किया। विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य पर विचार करते हुए अपीलार्थी को दोषी अभिनिर्धारित किया। अतः, अपील की गयी है।

6. अ॰ सा॰ 1 नुनुआ देवी ने अभिसाक्ष्य दिया है कि लगभग पाँच माह पहले पूर्वाह्न लगभग 11 बजे वह अपने पति के साथ अपने घर के बरामदा में बैठी थी, उस समय अ॰ सा॰ 2 बिहार ओराँव पानी पीने उसके घर आया। उसको पानी देने के बाद वे सब बरामदा में बात कर रहे थे। अभियुक्त मीनू ओराँव तलवार से लैस होकर वहाँ आया। उसने तलवार से सूचक के पति सुकरा ओराँव (मृतक) पर प्रहार किया। उसके मस्तक, चेहरा, गर्दन एवं शरीर के अन्य भागों पर उपहति आयी। घटनास्थल पर उसकी मृत्यु हो गयी। बिहार ओराँव ने उसे बचाने का प्रयास किया किंतु अभियुक्त मीनू ओराँव ने उस पर भी उसके भवों के उपर अग्रमस्तक पर प्रहार किया। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त को संदेह था कि मृतक सुकरा ओराँव डायन है और उसके जादू टोना से कुछ समय पहले उसके पुत्र की मृत्यु हो गयी थी। उसने आगे कथन किया कि एस॰ आई॰ उसके घर आया और उसका बयान दर्ज किया और कथन किया कि उसने फर्दबयान पर अपने बायें हाथ के अंगूठे का निशान दिया था जिसे एस॰ आई॰ द्वारा उसके समक्ष दर्ज किया गया था। उसने अभियुक्त को कटघरा में पहचाना। अपने प्रति परीक्षण में, उसने आगे कथन किया है कि घटना के पहले अभियुक्त एवं उसके पति के बीच दुश्मनी नहीं थी। उसने आगे कहा कि जब अभियुक्त घटनास्थल से भाग गया, गाँववाले उसके घर आए।

7. अ॰ सा॰ 2 बिहार ओराँव ने भी अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना पाँच माह पहले की है। वह कथन करता है कि उस तिथि पर पूर्वाह्न लगभग 11 बजे वह पानी पीने सूचक नुनुआ देवी के घर गया। सुकरा ओराँव एवं सूचक घर पर थे। वह आगे कथन करता है कि उसने पानी पिया और सूचक एवं उसके पति से उनके घर में बात कर रहा था। उस समय अभियुक्त मीनू ओराँव उर्फ चूमा ओराँव तलवार से लैस होकर वहाँ आया। उसने सुकरा ओराँव पर तलवार से तीन–चार प्रहार किया जिस कारण सुकरा ओराँव को गर्दन एवं चेहरे पर उपहति आयी। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि उसने मृतक को बचाने का प्रयास किया किंतु स्वयं उसे भी अपनी भौंह के निकट तलवार से उपहति आयी। डॉक्टर द्वारा घाघरा अस्पताल में उसका परीक्षण किया गया था। वह आगे कथन करता है कि नुनुआ देवी ने एस॰ आई॰ को अपना फर्दबयान दिया और उसने फर्दबयान पर अपने बायें हाथ के अंगूठे का निशान लगाया और उसने भी इस पर हस्ताक्षर किया। उसने अपना हस्ताक्षर प्रदर्श 1 के रूप में सिद्ध किया है। उसने रक्तरंजित मिट्टी की अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 2) पर अपना हस्ताक्षर सिद्ध किया है। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि उपहति पाने पर वह भय के कारण घटनास्थल से भाग गया। वह आगे कथन करता है कि पुलिस उसके घर गयी। वह पुलिस के साथ जीप में थाना गया। वह आगे कथन करता है कि सूचक नुनुआ देवी ने अपने घर में अपने बायें हाथ के अंगूठे का निशान लगाया था।

8. अ॰ सा॰ 3 महानंद भगत अपने अभिसाक्ष्य में सहमत हुआ कि घटना दिनांक 22.4.2002 की है। वह आगे कथन करता है कि वह घर पर था। सुकरा ओराँव की पत्नी नुनुआ देवी उसके घर आयी और प्रकट किया कि मीनू ओराँव ने सुकरा ओराँव की हत्या कर दी। वह आगे कथन करता है कि वह घटनास्थल पर गया और बरामदा में मृत शरीर पड़ा देखा। वह आगे कथन करता है कि उसने मीनू ओराँव

को हरि ओराँव के घर के निकट देखा। वह आगे कथन करता है कि बिहार ओराँव ने उसको प्रकट किया कि मीनू ओराँव ने उस पर भी प्रहार किया था। उसने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर (प्रदर्श 3) सिद्ध किया है। वह कथन करता है कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट एस॰ आई॰ द्वारा उसके समक्ष तैयार की गयी थी। यह गवाह प्रहार का अनुश्रुत गवाह है।

9. अ॰ सा॰ 4 हरि ओराँव को तलवार के साथ सूचक के घर के दरवाजा के निकट देखा। वह आगे कथन करता है कि वह घर के अंदर गया और सुकरा ओराँव का मृत शरीर देखा। वह आगे कथन करता है कि सूचक नुनुआ देवी ने उसको घटना के बारे में प्रकट किया और बताया कि मीनू ओराँव ने सुकरा ओराँव की हत्या की है। उसने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर (प्रदर्श 3/1) सिद्ध किया है। यह गवाह भी प्रहार का अनुश्रुत गवाह है।

10. अ॰ सा॰ 5 डॉ॰ सुरेन्द्र सिंह कथन करते हैं कि दिनांक 22.4.2002 को उन्होंने बिहार ओराँव का परीक्षण किया था। वह आगे कथन करते हैं कि उसने दायीं भौंह पर ½" x ½" x ¼" आकार का दायीं आँख पर विदीर्ण जख्म पाया था। उन्होंने मत दिया कि उपहति सरल प्रकृति की थी और कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित की गयी थी। उन्होंने उपहति रिपोर्ट (प्रदर्श 4) सिद्ध किया है।

11. अ॰ सा॰ 7 डॉ॰ कृष्णा प्रसाद कथन करते हैं कि दिनांक 23.4.2002 को उन्होंने 52 वर्षीय पुरुष सुकरा ओराँव के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था। मृत शरीर चौकीदार 4/8 फेकन ओराँव एवं चौकीदार 5/6 सुखनाथ ओराँव द्वारा पहचाना गया था। वह कथन करते हैं कि उन्होंने मृत शरीर पर निम्नलिखित उपहतियों को पाया:–

(i) lkeu dh vfLFk dkVr g, 4" x 1/2" x 1½" vkdkj dk vxeLrd ij dVu dk t[e(

(ii) lkeu dh vfLFk dkVr g, migfr lO 1 d 1/2" uhp 4" x 1/2" x 1½" vkdkj dk dVu dk t[e(

(iii) tkxk efVd ,o fiUuk dkVr g, frjN :i l LFkkfir pgj d ck, Hkkx d mij 4" x 1/2" x 1½" vkdkj dk dVk t[e(

(iv) djkVjh èkeuh dkVr g, e[k d ck, Hkkx ij 4" x 1/2" x 1" dVu dk t[e(

(v) ijkbVy vfLFk dkVr g, ck, ijkbVy vfLFk d mij 4" x 1/2" x 2" dk dVu dk t[e] cu eVu ckgj vk x;k g(

(vi) ck, tcM d uhp 4" x 1/2" x 1" vkdkj dk dVu dk t[eA

(vii) BMMh d uhp 4" x 1/2" x 1" dk dVu dk t[e(

(viii) dèk dh gMMh dkVr g, 1/2" vyx rhu dh l[;k e yxHkx 3" x 1" x 1½" eki okyk ck, dèkk d mij dVu dk t[e(

(ix) nk, gkFk d fiNy Hkkx ij 3" x 1/2" x 1½" vkdkj dk dVu dk t[e(

(x) ijk dk dkVr g, yxHkx 1/2" vyx lkr dh l[;k e yxHkx 1" x 1/2" x 2" eki okyk ihB d nk, Hkkx ij dVu dk t[eA

उन्होंने मत दिया कि समस्त उपहतियाँ मृत्यु पूर्व प्रकृति की थीं और समस्त गंभीर है। उन्होंने यह भी मत दिया कि समस्त उपहतियाँ तलवार जैसे तेज धार वाले हथियार द्वारा कारित की गयी थी। इस गवाह के अनुसार, मृत्यु आघात एवं हेमरेज के कारण कारित हुई थी। उन्होंने शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 8) सिद्ध किया है।

12. अ॰ सा॰ 6 अशोक कुमार मामले का आई॰ ओ॰ है। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि दिनांक 22.4.2002 को उसे सूचित किया गया था कि ग्राम इचा ढाका टोली में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी है। उसने इसे थाना डायरी में क्रमांक सं॰ 479 पर प्रविष्ट किया। वह आगे कथन करता है कि वह घटना स्थल गाँव पहुँचा और पाया कि सुकरा ओराँव की हत्या कर दी गयी थी। वह आगे कथन करता है कि उसने मृतक की पत्नी नुनुआ देवी का फर्दबयान दर्ज किया। उसने फर्दबयान (प्रदर्श 5) सिद्ध किया है। वह आगे कथन करता है कि उसने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया था। उसने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रर्दश 6) सिद्ध किया है। वह आगे कथन करता है कि उसने एस॰ आई॰ मुश्ताक अली को अन्वेषण का प्रभार दिया था और एस॰ आई॰ माशूक अली ने रक्तरंजित मिट्टी जब्त किया है और इसका अभिग्रहण सूची तैयार किया है। उसने अभिग्रहण सूची पर माशूक अली का हस्ताक्षर पहचाना है। उसने अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 7) सिद्ध किया है। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि उसने मृत शरीर शव परीक्षण के लिए सदर अस्पताल, गुमला भेजा था। वह आगे कथन करता है कि दिनांक 3.5.2002 को उसने एस॰ आई॰ माशूक अली के स्थानांतरण के कारण इस मामले के अन्वेषण का प्रभार लिया था। उसने आगे कथन किया कि उसने भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302/324 तथा डब्ल्यू॰ सी॰ पी॰ अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन आरोप पत्र दाखिल किया।

13. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने गवाहों के अभिसाक्ष्य अथवा साक्ष्य में कतिपय असंगति पाकर अभियोजन मामला कमजोर अथवा विनष्ट करने का प्रयास किया है। विद्वान अधिवक्ता कहते हैं कि अ॰ सा॰ 2 ने पैरा 10 में कथन किया है कि गाँव से कोई नहीं आया, जबकि सूचक पैरा 17 में कथन करती है कि 100 लोग आए थे अत: यह महत्वपूर्ण विरोधाभास है और यदि 100 व्यक्ति आए थे, तब कहीं अधिक को साक्ष्य देना चाहिए था।

14. उन्होंने अ॰ सा॰ 2 के पैरा 19 को निर्दिष्ट करके यह निवेदन भी किया है कि वह घायल होने के बाद भाग गया था जिसके बाद वह नहीं कह सकता था कि क्या हुआ। अत: अधिवक्ता तर्क करते हैं कि वह घटनाओं के संपूर्ण क्रम अथवा हत्या का गवाह नहीं है।

15. उन्होंने यह भी तर्क किया है कि अपने अभिसाक्ष्य में अ॰ सा॰ 1 ने कहा है कि वह बैठी हुई थी किंतु तब वह यह भी कहती है कि वह भाग गयी जब प्रहार शुरु हुआ। अत: वह घटनास्थल पर बैठी थी या नहीं। इसके अतिरिक्त, जब वह भाग गयी, वह भी हत्या की गवाह नहीं है। अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि आई॰ ओ॰ के साक्ष्य के पैरा 9 में, यद्यपि रक्त रंजित मिट्टी ली गयी थी, किंतु इसे एफ॰ एस॰ एल॰ नहीं भेजा गया था, ऐसी परिस्थितियों में किसका रक्त लिया गया था, सिद्ध नहीं किया गया है अथवा क्या यह मानव रक्त था या जानवर का, उत्तर दिया जाने वाला प्रश्न है।

16. अपीलार्थी की ओर से दिया गया एक अन्य तर्क यह है कि अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 2 के बीच अवैध संबंध था और क्यों अ॰ सा॰ 2 पानी पीने आधा किलोमीटर चला होगा। उन्होंने सुझाया है कि हत्या अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 2 का षडयन्त्र था।

17. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि यह खुला एवं बंद मामला है। दो चश्मदीद गवाह हैं, एक जो घायल है और दूसरा स्वयं पत्नी है, अत: जब गवाह विश्वसनीय हैं, मामला पूर्णत: बनता है।

18. अधिवक्ता ने कहा है कि तर्क कि अ॰ सा॰ 2 अवैध संबंध में है, मनगढ़ंत है और ऐसा तर्क वस्तुत: अपीलार्थी के विरुद्ध जाएगा। इसके अतिरिक्त, वह स्वयं पर उपहति क्यों कारित करेगा और उन्होंने आगे निवेदन किया है कि अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कथन नहीं किया है कि क्या किसी अन्य गवाह ने ऐसे अवैध संबंध के बारे में उपदर्शित किया है। अत: ऐसा अभिकथन अपीलार्थी के विरुद्ध जाता है और चूँकि अपराध के दो चश्मदीद गवाह हैं, दोषसिद्धि सफल होगी। अपीलार्थी किसी आधार के बिना निर्णायक गवाहों को भंजित करने का प्रयास कर रहा है।

19. मामले के अभिलेख, अभिसाक्ष्य एवं साक्ष्य तथा मामले के तर्कों (यद्यपि हेतु अभ्यारोपित किया गया प्रतीत नहीं होता है) के परिशीलन पर अभी तक उपदर्शित तथ्य अपीलार्थी के दोष की ओर इंगित करते हैं।

20. सर्वप्रथम, प्रहार अथवा आरंभिक प्रहार के दो चश्मदीद गवाह हैं। अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 2 उपस्थित थे जब अपीलार्थी ने मृतक पर हमला किया। अ॰ सा॰ 2 स्वयं बुरी तरह घायल होने के बाद भाग गया। भूतलक्षी रूप से, मृतक के शरीर पर अनेक उपहतियों की दृष्टि में, घटनास्थल पर बने रहने के लिए काफी साहस की आवश्यकता होगी। चूँकि अ॰ सा॰ 2 घायल गवाह है, वह विश्वसनीय गवाह है और घटनाओं का उसका विवरण अत्यन्त विश्वसनीय है।

21. अ॰ सा॰ 1 ने फर्दबयान सिद्ध किया है यद्यपि यह सर्वांगपूर्ण दस्तावेज नहीं है। उसके साक्ष्य में मुख्य विरोधाभास नहीं हैं। मृतक की पत्नी होने के नाते और इसके अलावा शव स्वयं घर में पाया गया था, वह स्वाभाविक एवं विश्वसनीय गवाह है।

22. अवैध संबंध का अभिकथन दो सर्वाधिक विश्वसनीय गवाहों अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 2 को अविश्वसनीय बनाने के लिए है। किंतु, अ॰ सा॰ 2 द्वारा पाए गए जख्मों के आलोक में यह अत्यन्त अतिशयोक्तिपूर्ण, दूर की कौड़ी तथा बेतुका प्रतीत होता है।

23. अ॰ सा॰ 5 डॉ॰ सुरेन्द्र सिंह ने अ॰ सा॰ 2 बिहार ओराँव द्वारा पाए गए जख्मों को वर्णित किया है। वह आगे कथन करते हैं कि उन्होंने दाएँ भौंह पर 1/2" x 1/2" x 1/4" आकार का एक विदीर्ण जख्म पाया था। उन्होंने मत दिया कि उपहति की प्रकृति सामान्य है और कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित की गयी है। उन्होंने उपहति रिपोर्ट (प्रदर्श 4) सिद्ध किया है।

24. जख्म दाएँ भौंह पर है जो स्वयं चेहरा पर है, वह एक आँख से अंधा हो सकता था। वह क्यों अवैध संबंध बनाने अथवा हत्या अग्रसर करने में इस सीमा तक जाएगा। आगे, जैसा राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया, किसी अन्य गवाह ने ऐसा अवैध संबंध उपदर्शित नहीं किया है।

25. अ॰ सा॰ 4 हरि ओराँव हल्ला सुनने पर तुरन्त आने वाला गवाह था जो घटना स्थल पर गया और अपीलार्थी मीनू ओराँव को सूचक के घर के सामने तलवार के साथ देखा। यद्यपि इस गवाह ने स्वयं प्रहार नहीं देखा होगा, उसने अपीलार्थी को सूचक के दरवाजा पर प्रहार के तुरन्त बाद हत्या के अभिकथित हथियार के साथ देखा था, यह प्रहार के ठीक बाद का प्रतीत होता है। अ॰ सा॰ 3 महानंद भगत ने भी अपीलार्थी को सूचक के घर के निकट देखा था। अतः अ॰ सा॰ 3 तथा अ॰ सा॰ 4 दोनों ने अभियुक्त को मृतक के घर के निकट देखा था और उनमें से एक ने उसे तलवार के साथ देखा था, अतः ये बिन्दु अ॰ सा॰ 1 तथा अ॰ सा॰ 2 की सत्यपूर्णता को इंगित करते हैं।

26. रक्तरंजित मिट्टी एफ॰ एस॰ एल॰ नहीं भेजा जाना दोनों चश्मदीद गवाहों अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 2 का साक्ष्य भंजित नहीं करता है जिसे अ॰ सा॰ 3 द्वारा संपुष्ट किया गया है जो कहता है कि उसने अपीलार्थी को सूचक के घर के निकट देखा था और अ॰ सा॰ 4 यह भी कहता है कि उसने अपीलार्थी को तलवार के साथ देखा था।

27. अ॰ सा॰ 6 आई॰ ओ॰ अशोक कुमार है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि वह घटना स्थल, सूचक का घर, गया और मृत शरीर देखा। अ॰ सा॰ 1 का फर्दबयान, उसने कहा, उसके हस्तलेखन में है और उसका हस्ताक्षर भी है। उसने प्रदर्श 5 के रूप में फर्दबयान सिद्ध किया है। उसने अ॰ सा॰ 2 बिहार ओराँव का बयान लिया।

28. उसने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया और अ॰ सा॰ 3 तथा अ॰ सा॰ 4 जिनकी भूमिका पहले ही उपदर्शित की गयी है, ने इस पर अपना हस्ताक्षर किया। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श 6 के रूप में सिद्ध की गयी है।

29. घटनाओं के उक्त समस्त क्रम एवं साक्ष्य मृतक की हत्या में अपीलार्थी की अंतर्ग्रस्तता उपदर्शित करेंगे।

30. अंत में, अपराध की गंभीरता उपदर्शित करने के लिए अ॰ सा॰ 7 डॉ॰ कृष्णा प्रसाद जिन्होंने मृतक सुकरा ओराँव के मृत शरीर का शव परीक्षण किया, के रिपोर्ट को यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:

(i) lkeu dh vfLFk dkVr g, 4" x 1/2" x 1½" vkdkj dk vxeLrd ij dVu dk t[e(

(ii) lkeu dh vfLFk dkVr g, migfr l0 1 d 1/2" uhp 4" x 1/2" x 1½" vkdkj dk dVu dk t[e(

(iii) tkxkefVd ,o fiUuk dkVr g, frjN :i l LFkkfir pgj d ck, Hkkx d mij 4" x 1/2" x 1½" vkdkj dk dVu dk t[e(

(iv) djkVjh èkeuh dkVr g, e[k d ck, Hkkx ij 4" x 1/2" x 1" vkdkj dk dVu dk t[e(

(v) ijkbVy vfLFk dkVr g, ck, ijkbVy vfLFk d mij 4" x 1/2" x 2" dk dVu dk t[e] cu eVu ckgj vk x;k g(

(vi) ck, tcM d uhp 4" x 1/2" x 1" vkdkj dk dVu dk t[e(

(vii) BMMh d uhp 4" x 1/2" x 1" dk dVu dk t[e(

(viii) dèk dh gMMh dkVr g, 1/2" vyx rhu dh l[;k e yxHkx 3" x 1" x 1½" eki okyk ck, dèkk d mij dVu dk t[e(

(ix) nk, gkFk d fiNy Hkkx ij 3" x 1/2" x 1½" vkdkj dk dVu dk t[e(

(x) ijk dk dkVr g, yxHkx 1/2" vyx lkr dh l[;k e yxHkx 1" x 1/2" x 2" eki okyk ihB d nk, Hkkx ij dVu dk t[eA

उन्होंने मत दिया कि सभी उपहतियाँ तलवार जैसे तेज धारदार हथियार से कारित की गयी थी तथा गम्भीर उपहति थी। इस गवाह के अनुसार, मृतक की मृत्यु सदमें तथा रक्तस्राव के कारण कारित हुई थी। उन्होंने शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 8) सिद्ध किया है।

31. अत: अभिलेख, अभिसाक्ष्य, तर्क एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों का परिशीलन करने के बाद, घाघरा पी॰ एस॰ केस सं॰ 31/02 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ केस सं॰ 231 वर्ष 2002 के तत्सम सत्र विचारण सं॰ 175 वर्ष 2002 के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज अपीलार्थी की दोषसिद्धि एवं दंडादेश मान्य ठहरायी जाती है।

32. तद्नुसार, यह अपील खारिज की जाती है।

---

ekuuh; çnhi dekj ekgUrh ,o Mhñ ,uñ mikè;k;] U;k;efrx.k

बोदी महतो (1807 में)

बिनोद महतो एवं एक अन्य (273 में)

बरमू महतो (273 में)

बनाम

झारखंड राज्य (सभी में)

Cr. App (DB). Nos. 1807 of 2003 with 244, 273 of 2004. Decided on 27th July, 2016.

एस॰ सी॰ सं॰ 225 वर्ष 1992 में अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ IV, देवघर द्वारा पारित दिनांक 25.11.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 29.11.2003 के दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—हत्या–आजीवन कारावास–यह स्थापित नहीं किया गया है कि किस दोषसिद्ध द्वारा कारित कौन सी उपहति घातक थी–ऐसे मामले में जहाँ भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/149 के अधीन विरचित आरोप किसी कारण से विफल होते हैं और दोषसिद्धों की संख्या एक से अधिक है और यह विनिर्दिष्ट नहीं है कि किस दोषसिद्ध द्वारा कारित कौन सी उपहति घातक थी, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 34 की मदद लेना सुरक्षित होगा यदि न्यायालय एक से अधिक अभियुक्तों को दोषी अभिनिर्धारित करना चाहता है–विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध करने में न्यायोचित नहीं था–दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त। (पैराएँ 6 एवं 7)

निर्णयज विधि.–2006 (1) East Cr. Cases 293 (SC)—Relied; 2006 (3) East Cr. Cases 219 (Jhr.) Referred.

अधिवक्तागण.–M/s Nityanand Prasad Choudhary, Mr. Arvind Kumar Choudhary, For the Appellants; Mr. Sanjay Kumar Pandey, For the State.

न्यायालय द्वारा–पक्षों को सुना गया।

2. ये दांडिक अपीलें एस॰ सी॰ सं॰ 225 वर्ष 1992 में अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ IV, देवघर द्वारा पारित दिनांक 25.11.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 29.11.2003 के दंडादेश के विरुद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा अपीलार्थियों का भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और कठोर आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

3. संक्षेप में तथ्य जैसा दिनांक 9.7.1992 को अपराह्न 1 बजे करोन पुलिस थाना में दर्ज मृतक लिलू महतो के भाई फोगन महतो के फर्दबयान से प्रतीत होते हैं, ये हैं कि दिनांक 8.7.1992 को उसका भाई पशुओं का चारा खरीदने के बाद घर लौट रहा था और सूचक शशि महतो के साथ अपने धान के खेत से लौट रहा था। सूचक का भाई लिलू महतो (मृतक) उनके आगे जा रहा था। जब लिलू महतो बोदी महतो (दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 1807 वर्ष 2003 में अपीलार्थी) के घर के निकट पहुँचा, अचानक अपीलार्थीगण अपने हाथों में फरसा, तलवार, टांगी एवं लाठी जैसे घातक हथियारों के साथ आंगन से प्रकट हुए और मृतक पर प्रहार किया। अपीलार्थी बोदी महतो ने टांगी से लिलू महतो के मस्तक पर प्रहार किया। जब मृतक ने वहाँ से भागने का प्रयास किया, अपीलार्थी जनम महतो ने कुल्हाड़ी से उसके पैरों पर प्रहार किया जिसके परिणामस्वरुप वह गिर गया और छटपटाने लगा। तत्पश्चात्, समस्त अपीलार्थीगण उसकी मृत्यु तक उस पर प्रहार करते रहे।

(मृतक लिलू महतो का भाई) फोगन महतो के फर्दबयान के आधार पर दिनांक 9.7.1992 को अपराह्न 1 बजे कोरन पुलिस थाना में करोन पी॰ एस॰ केस सं॰ 78 वर्ष 1992 दर्ज किया गया था।

अन्वेषण किया गया था। अपीलार्थियों की उपस्थिति सुरक्षित की गयी थी। पुलिस ने सम्यक अन्वेषण के बाद भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 149 एवं 302 के अधीन आरोप पत्र दाखिल किया। तद्नुसार, संज्ञान लिया गया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था और एस॰ सी॰ सं॰ 225 वर्ष 1992 के रूप में दर्ज किया गया था।

आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने चश्मदीद गवाहों सहित कुल 12 गवाहों का परीक्षण किया है।

विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ IV, देवघर ने एस॰ सी॰ सं॰ 225 वर्ष 1992 में दिनांक 25.11.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 29.11.2003 के दंडादेश के तहत अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया और पूर्वोक्तानुसार दंडादेश दिया और उनको भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148 एवं 149 के अधीन आरोपों से इस निष्कर्ष के साथ दोषमुक्त कर दिया कि अ॰ सा॰ 2 और 5 अत्यन्त स्पष्ट, तर्कपूर्ण एवं विश्वसनीय है और दोनों ने एक दूसरे को संपुष्ट किया है।

4. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित आधारों पर निर्णय का विरोध किया है:

(i) अन्वेषण अधिकारी का गैर परीक्षण अभियोजन मामले के प्रति घातक है क्योंकि अपीलार्थीगण घटनास्थल के संबंध में उसका परीक्षण नहीं कर सके थे।

(ii) न्यायालय को शव परीक्षण रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करना चाहिए था क्योंकि यह विधि के अधीन अग्राह्य था क्योंकि शव परीक्षण करने वाले डॉक्टर का परीक्षण नहीं किया गया है।

(iii) भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि दोषपूर्ण है चूँकि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148 एवं 302/149 के अधीन दोषमुक्त किया है और आगे छह अभियुक्तों को दोषमुक्त किया है।

अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने **संगम लाल बनाम उ॰ प्र॰ राज्य, 2006 (1) East Cr. Cases 293 (SC)** और **चमपई हंसदा बनाम बिहार राज्य (अब झारखंड), 2006 (3) East Cr. Cases 219 (Jhr.)** में निर्णय पर विश्वास किया है।

5. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने तर्कों का विरोध किया है एवं तर्क किया है कि अ॰ सा॰ 2 से 6 के साक्ष्य तर्कपूर्ण एवं अक्षुण्ण हैं। अ॰ सा॰ 2 ने विनिर्दिष्टत: कथन किया है कि समस्त अपीलार्थीगण अपने हाथों में तेज धार वाले घातक हथियारों से लैस थे और उन्होंने मृतक पर प्रहार किया। बरमू टांगी से लैस था, जनन फरसा से लैस था और अन्य अभियुक्तगण अपने हाथों में लाठी लिए थे। बोदी महतो ने मृतक के अग्रमसतक पर टांगी से प्रहार किया और इस कारण मृतक को अपने अग्रमस्तक पर उपहति आयी और खून बहने लगा। बरमू महतो ने भी टांगी से मृतक पर प्रहार किया और जनम महतो तथा बुलु महतो ने फरसा से मृतक पर प्रहार किया। मृतक गिर गया और छटपटाने के बाद घटनास्थल पर मर गया। अ॰ सा॰ 3 एवं 4 गाँववाले हैं। अ॰ सा॰ 5 भाई एवं मामले का सूचक है और पुलिस के समक्ष दिए गए फर्दबयान का समर्थन किया है। अ॰ सा॰ 6 ने भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थियों द्वारा टांगी, फरसा एवं लाठी से मृतक पर प्रहार किया गया था और घटनास्थल पर मृतक की मृत्यु हो गयी। अ॰ सा॰ 7 ने अभिसाक्ष्य दिया कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट उसकी उपस्थिति में तैयार की गयी थी जिसे प्रदर्श 2/3 चिन्हित किया गया है। अ॰ सा॰ 8 ने अभिसाक्ष्य दिया कि उसकी उपस्थिति में रक्तरंजित मिट्टी जब्त की गयी थी और उसने प्रदर्श 2/1 सिद्ध किया। अ॰ सा॰ 9 ने अभिसाक्ष्य दिया कि उसने अपीलार्थियों को घटना के बाद घटनास्थल से जाते देखा और कि अपीलार्थीगण अपने हाथों में फरसा, टांगी एवं लाठी लिए थे। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थियों को दोषसिद्ध एवं दंडादेशित करने में अवैधता और दुर्बलता नहीं है।

6. अवर न्यायालय अभिलेख तथा अपीलार्थियों द्वारा उद्धृत निर्णय का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया गया। अभिलेखों के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि समस्त गवाहों ने अभिसाक्ष्य दिया है कि

अपीलार्थीगण अपने हाथों में तेज धार वाले घातक हथियार एवं लाठी लिए थे और अभियोजन गवाहों के साक्ष्य पर अविश्वास करने के लिए सामग्री नहीं है कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन दोषमुक्त किया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन उनको आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया है।

मूलत: भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे और समस्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन पृथक आरोप विरचित किया गया था। इस न्यायालय ने अपीलार्थियों द्वारा उद्धृत निर्णयों के आलोक में मामले का परीक्षण किया है। शव परीक्षण रिपोर्ट डॉक्टर जिन्होंने शव परीक्षण किया, द्वारा अथवा किसी अन्य डॉक्टर अथवा तकनीकी व्यक्ति द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। इसे अधिवक्ता लिपिक द्वारा सिद्ध किया गया था। विचारण न्यायालय ने शव परीक्षण रिपोर्ट पर विश्वास किया है और अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किया है। वर्तमान मामले में, अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण भी नहीं किया गया है और जिम्मेदारी किसी अन्य पर डाली गयी थी। उस स्थिति में, अपीलार्थियों/अभियुक्तों के पास अन्वेषण अधिकारी अथवा डॉक्टर का परीक्षण करने का अवसर नहीं था। विचारण न्यायालय के समक्ष इस प्रभाव की सामग्री नहीं है कि किसके द्वारा घातक वार किया गया था और मृतक को कारित कौन सी उपहति घातक सिद्ध हुई। चूँकि डॉक्टर जिन्होंने शव परीक्षण किया, द्वारा शव परीक्षण रिपोर्ट सिद्ध नहीं किया गया है और कोई सक्षम चिकित्सा अधिकारी शव परीक्षण रिपोर्ट सिद्ध करने आगे नहीं आया है, न्यायालय के समक्ष सामग्री नहीं है कि मृत्यु उपहतियों के कारण हुई और उपहतियाँ मृत्युपूर्व थीं।

विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों सहित समस्त अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन विरचित आरोप से दोषमुक्त किया है। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने केवल अपीलार्थियों सहित समस्त अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किया है किंतु उनमें से छह को दोषमुक्त किया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की मदद इप्सित किए बिना केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थियों को दोषी अभिनिर्धारित किया है। पूर्ववर्ती पैराग्राफों में यह भी उपदर्शित किया गया है कि डॉक्टर जिन्होंने शव परीक्षण किया का परीक्षण नहीं किया गया है और शव परीक्षण रिपोर्ट औपचारिक रूप से अधिवक्ता लिपिक द्वारा सिद्ध किया गया है। यह स्थापित नहीं किया गया है कि किस अपीलार्थी द्वारा कौन सा वार किया गया था। यह भी उपदर्शित नहीं किया गया है कि पायी गयी उपहतियों में से कौन सी उपहति मृत्यु के पीछे का कारण थी।

ऐसे मामले में जहाँ भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन विरचित किए गए आरोप किसी कारण से विफल होता है और दोषसिद्धों की संख्या एक से अधिक है और यह विनिर्दिष्ट नहीं है कि किस दोषसिद्ध द्वारा कारित कौन सी उपहति घातक थी, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की मदद लेना सुरक्षित होगा यदि न्यायालय एक से अधिक अभियुक्त को दोषी अभिनिर्धारित करना चाहता है।

वर्तमान मामले में, अपीलार्थियों की संख्या चार है, उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किया गया था किंतु कमी है कि शव-परीक्षण रिपोर्ट सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा समुचित रूप से सिद्ध नहीं की गयी है, डॉक्टर जिसने शव परीक्षण किया कटघरा में नहीं आया था, मृतक के शरीर पर एक से अधिक उपहति थी, अभियोजन यह विनिर्दिष्ट करने में विफल रहा है कि किस अभियुक्त द्वारा किया गया कौन सा वार घातक था और, इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 का सहारा लिए बिना केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों

की दोषसिद्धि और दंडादेश संपोषित नहीं की जा सकती है। अत:, इस न्यायालय का दृष्टिकोण है कि अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध नहीं किया जाना चाहिए था और विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए उनको दोषी अभिनिर्धारित करने में न्यायोचित नहीं था।

वह निर्णयाधार जिसका हमने अनुसरण किया है, **संगम लाल बनाम उ॰ प्र॰ राज्य, 2006 (1) East Cr. Cases 293 (SC)** में दिए गए निर्णय से स्पष्ट होगा।

7. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय का दृष्टिकोण है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करने में न्यायोचित नहीं है। इस दशा में, समस्त तीनों दांडिक अपीलें अनुज्ञात की जाती हैं और एस॰ सी॰ सं॰ 225 वर्ष 1992 में अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ IV देवघर द्वारा पारित दिनांक 25.11.2003 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं दिनांक 29.11.2003 का दंडादेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी बोदी महतो (दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 1807/03 में) जो कारा में हैं को तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थीगण बिनोद महतो और जनम महतो (दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 244/04) तथा अपीलार्थी बरमू महतो (दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 273/04) जो जमानत पर हैं को उनके जमानत बंधपत्रों से उन्मोचित किया जाता है।

विचारण न्यायालय को वर्तमान अपील का परिणाम सूचित किया जाएगा।

---

ekuuh; çnhi dekj ekgUrh ,o Mhñ ,uñ mikè;k;] U;k;efrx.k

मुंशी महतो उर्फ मुंशी कुमार महतो

बनाम

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (D.B.) No. 672 of 2007. Decided on 27th June, 2016.

सत्र विचारण सं॰ 71 वर्ष 2001 में अपर सत्र न्यायाधीश (एफ॰ टी॰ सी॰), कोडरमा द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 5.5.2007 एवं दिनांक 7.5.2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—आयुध अधिनियम, 1959—धारा 27—हत्या—दोषसिद्धि—अ॰ सा॰ के साक्ष्य अत्यन्त स्पष्ट हैं और चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट किए गए हैं—मृतक की पत्नी का साक्ष्य भंजित करने के लिए प्रतिपरीक्षण में कुछ नहीं निकाला गया है—परिस्थितियाँ पूर्णत: आरोप सिद्ध करती हैं और स्पष्टत: उपदर्शित करती हैं कि केवल अपीलार्थी ने मृतक की हत्या की थी—दोषसिद्धि एवं दंडादेश अभिपुष्ट। (पैराएँ 20 से 22)

अधिवक्तागण.—Mr. Manoj Kumar Mishra, For the Appellant Mr. Ram Prakash Singh, For the State.

न्यायालय द्वारा.—यह अपील सत्र विचारण सं॰ 71 वर्ष 2001 में अपर सत्र न्यायाधीश (एफ॰ टी॰ सी॰), कोडरमा द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 5.5.2007 तथा दिनांक 7.5.2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन न्यायालय ने अपीलार्थी को हत्या करने का दोषी पाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए उसको दोषसिद्ध

किया और आजीवन कठोर कारावास भुगतने तथा 15000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने तथा जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया और आगे उसे आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दोषसिद्ध किया और सात वर्षों का कठोर कारावास भुगतने तथा 5000/- रुपयों के जुर्माना और जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में छह माह का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया। दोनों दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का निर्देश दिया गया था।

2. अभियोजन का मामला यह है कि दिनांक 23.8.2000 को अपराह्न लगभग 7 बजे जब सूचक 'कृष्ण अष्टमी पूजा' करने के बाद घर लौट रही थी, उसने अपने पति बिरेन्द्र महतो (मृतक) द्वारा किया गया शोर सुना जो कह रहा था कि मुंशी महतो (अपीलार्थी) ने उस पर गोली चलाया था और मुंशी द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था। सूचक ने अपने पति के शरीर पर खून बहने की उपहति पाया और उसने कहा कि मुंशी ने टांड़ पर उस पर गोली चलायी और वह उसके पीछे आ रहा था। तत्पश्चात, सूचक अपने पति के साथ घर के अंदर आयी और दरवाजा बंद कर लिया। इस बीच, मुंशी महतो (अपीलार्थी) भी घटनास्थल पर आया और दरवाजा के पीछे छुप गया। बाद में, सूचक ने अपने पति के अनुरोध पर दरवाजा खोला। ज्योंही उसने दरवाजा खोला, मुंशी महतो (अपीलार्थी) अचानक से सामने आया और जबरन घर के अंदर घुस गया और उसके पति (मृतक) की छाती पर निशाना लगाते हुए गोली चलाया। गोली लगने पर उसका पति गिर गया और बेहोश हो गया।

ऐसी सूचना पाने पर पुलिस सब-इंस्पेक्टर, कोडरमा, अशोक कुमार सिंह आया और सब डिविजनल अस्पताल, कोडरमा में सूचक का फर्दबयान दर्ज किया जिसमें उसने घटना का विवरण दिया जैसा कथन उपर किया गया है।

3. पूर्वोक्त फर्दबयान के आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन एवं आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन भी दंडनीय अपराध के लिए कोडरमा पी॰ एस॰ केस सं॰ 304 वर्ष 2000 दर्ज किया गया था।

4. मामला दर्ज करने के बाद, अन्वेषण किया गया था और मृतक की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के बाद मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा गया था और डॉ॰ सिराजुद्दीन जिन्होंने मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया, निम्नलिखित मृत्युपूर्व उपहति पाया:-

"(i) nk,a vkj d efMcy d dk.k d Bhd uhp xnu e fudkl t[e dkfjr djr g, ihN dh vkj ,o uhp dh vkj tkrk nk;h ukfld d uhp xkyh yxu l t[eA

(ii) cyV }kjk dkfjr Nkrh d nk,a Hkkx ij ço'k t[eA"

डॉक्टर ने इस मत के साथ शव परीक्षण रिपोर्ट जारी किया कि मृत्यु गोली लगने की उपहतियों के कारण हुई थी।

5. अन्वेषण के समापन पर अपीलार्थी और उसकी माता मोस्मात बलिया के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था और अपराध का संज्ञान लिया गया था। सम्यक क्रम में, जब मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था, अपीलार्थी एवं उसकी माता मोस्मात बलिया का विचारण किया गया था।

6. अभियोजन ने अपना मामला सिद्ध करने के लिए अन्वेषण अधिकारी (अ॰ सा॰ 7) एवं कंपाउंडर (अ॰ सा॰ 8) सहित कुल 11 गवाहों का परीक्षण किया है। उनमें से अ॰ सा॰ 1 मोहन महतो है; अ॰ सा॰ 2 जिरिया देवी है; अ॰ सा॰ 3 कौशली देवी है जो मामले की सूचक एवं मृतक की पत्नी है; अ॰ सा॰ 4 मोहिनी देवी है; अ॰ सा॰ 5 विजय कुमार है; अ॰ सा॰ 6 अजय कुमार है; अ॰ सा॰ 7 अशोक कुमार सिंह अन्वेषण अधिकारी है; अ॰ सा॰ 8 कौशलेन्द्र कुमार कम्पाउन्डर है; अ॰ सा॰ 9 बासुदेव महतो

है; अ॰ सा॰ 10 बासो महतो है; अ॰ सा॰ 11 द्वारिका महतो है। अ॰ सा॰ 3 सूचक मृतक की पत्नी है जिसने संपूर्ण घटना बताया है और अभिकथित किया है कि अपीलार्थी ने मृतक पर गोली चलाकर उपहति कारित किया जिसके परिणामस्वरुप उसकी मृत्यु हो गयी।

7. बचाव ने दो गवाहों अर्थात् ब॰ सा॰ 1 एवं ब॰ सा॰ 2 का परीक्षण किया है जो अपीलार्थी के मास्टर थे और तीन दस्तावेजों को प्रदर्शित किया है।

8. विचारण न्यायालय ने अभियोजन गवाहों के साक्ष्य और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अधिमूल्यन करने के बाद अपीलार्थी को मृतक की हत्या करने का दोषी पाया और तद्नुसार अपीलार्थी एवं उसकी माता मोस्मात बलिया के विरुद्ध दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज किया जो चुनौती के अधीन है।

9. सूचक के साक्ष्य पर आधारित, अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री मनोज कुमार मिश्रा ने निम्नलिखित आधारों पर विद्वान अवर न्यायालय के निर्णय का विरोध किया है:

(a) fopkj.k U;k;ky; u v0 lk0 2 rFkk lkFk gh v0 lk0 4 ,o v0 lk0 5 (ekey d p'enhn xokg½ d lk{; ij vkj ekf[kd eR;dkfyd dFku ij fo'okl djr g, oreku vihykFkh dk Hkkjrh; nM lfgrk dh èkkjk vk 302/34 rFkk 120B d vèkhu vkj vk;èk vfèkfu;e dh èkkjk 27 d vèkhu nk"kfl) dju dk ç;kl fd;k vkj iokDrkulkj vihykFkh dk nk"kfl) fd;k vkj vihykFkh dh ekrk ekLekr cfy;k dk nk"keDr dj fn;kA

(b) leLr xokg fgrc) xokg g vkj fo'oluh; xokg ugh g D;kfd v0 lk0 1, 4 ,o 5 d lk{; e e[; fojkèkkHkk l gA

(c) MkDVj ftUgku erd dk 'ko ijh{k.k fd;k dk ijh{k.k ugh fd;k x;k g vkj vkx bl ekey e çkFkfedh Hkh fl) ugh dh x;h gA oreku vihykFkh dk fpfdRlh; lk{; ij xokg dk çfr ijh{k.k dju dk volj ugh feyk Fkk vkj bld vfrfjDr] fpfdRlh; lk{; ekf[kd lk{; dk leFku ugh djrk g] vr% vk{kfir fu.k; ,o nMkn'k vikLr dju d fy, l;kX; ekeyk gA

10. समानांतर स्तंभ में, विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री राम प्रकाश सिंह ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए प्रतिवादों का जोरदार विरोध किया है और निवेदन किया है कि अ॰ सा॰ 2 (चश्मदीद गवाह) मृतक की भाभी और अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 4 की बहु है जिसका साक्ष्य वर्तमान अपीलार्थी को हमलावर के रूप में विनिर्दिष्टत: आलिप्त करते हुए अत्यन्त स्पष्ट एवं तर्कपूर्ण है और उसने देखा कि वर्तमान अपीलार्थी पिस्तौल से लैस था और मृतक की छाती पर गोली चलाया और मृतक चिल्ला रहा था कि वर्तमान अपीलार्थी मुंशी ने उस पर गोली चलाया था। उसके बाद मृतक को सब डिविजनल अस्पताल, कोडरमा लाया गया था जहाँ उसकी मृत्यु हो गयी। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने आगे निवेदन किया कि अ॰ सा॰ 4 एवं 5 के साक्ष्य अ॰ सा॰ 2 के साक्ष्य को संपुष्ट करते हैं। प्रदर्श 2 शव परीक्षण रिपोर्ट है जिसे संबंधित कम्पाउन्डर (अ॰ सा॰ 8)द्वारा सिद्ध किया गया है। उक्त साक्ष्य पर अविश्वास करने के लिए सामग्री नहीं है और इस दशा में दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश में दुर्बलता नहीं होने के कारण विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्राप्त निष्कर्षों में इस न्यायालय के किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

11. अवर न्यायालय के अभिलेखों एवं गवाहों के अभिसाक्ष्यों का परिशीलन किया गया। अ॰ सा॰ 1 मृतक का पिता है। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि अभिकथित घटना के समय पर वह अपनी 'मकई बारी' में उपस्थित था जहाँ उसने गोली चलने की आवाज सुनी और तत्पश्चात वह अपने घर आया और पाया कि उसका पुत्र बिरेन्द्र महतो जमीन पर पड़ा था और उसका मृत शरीर खून से सना था। उसे सूचित किया गया था कि मुंशी महतो ने उस पर गोली चलाया था। तत्पश्चात घायल को ''कोडरमा अस्पताल'' लाया गया था जहाँ उपहतियों के फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गयी।

12. अ॰ सा॰ 2 जिरिया देवी अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 4 की बहु है और मृतक के बड़े भाई की पत्नी है। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि अभिकथित घटना के समय पर वह घर में उपस्थित थी और उसने मृतक बिरेन्द्र महतो की चीख सुनी थी और पाया था कि वर्तमान अपीलार्थी ने उसके घर की दीवार के पीछे आश्रय लिया था और वह पिस्तौल से लैस था और विनिर्दिष्टत: अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी ने मृतक की छाती पर गोली चलाया। अपने मुख्य परीक्षण में, उसने आगे कथन किया कि मृतक विरेन्द्र महतो चिल्ला रहा था कि इस अपीलार्थी ने उस पर गोली चलाया था। तत्पश्चात् उसे कोडरमा सब-डिविजनल अस्पताल ले जाया गया था जहाँ उसे मृत घोषित किया गया था। उसने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है और अभिसाक्ष्य दिया है कि अभिकथित घटनास्थल की मिट्टी एवं दीवार रक्त रंजित थी और मृतक की छाती से खून बह रहा था। साक्ष्य भंजित करने के लिए बचाव द्वारा अ॰ सा॰ 1 एवं 2 के साक्ष्य से कुछ भी निकाला नहीं गया था।

13. अ॰ सा॰ 3 मृतक की माता है। अपने मुख्य परीक्षण में उसने कथन किया है कि घटना के समय एवं तिथि पर वह बाजार में थी और 'जन्माष्टमी पूजा' के लिए सामग्री खरीद रही थी जहाँ वर्तमान अपीलार्थी बाजार में उससे मिला और उसको सबक सिखाने की धमकी दी। जब वह घर लौटी, उसने अपने पुत्र को बचाओ, बचाओ चिल्लाते पाया। उसके पुत्र ने कहा कि मुंशी ने उस पर गोली चलायी थी।

14. अ॰ सा॰ 4 मृतक की विधवा और इस मामले की सूचक है। उसने अपने मुख्य परीक्षण में विनिर्दिष्टत: कथन किया है कि घटना की अभिकथित तिथि पर वह 'जन्माष्टमी पूजा' करने के बाद लौटी और इसी समय पर उसका पति चिल्लाते आया कि मुंशी (अपीलार्थी) ने उस पर गोली चलाया था और विनिर्दिष्टत: कथन किया कि उसके पति के बाएँ गाल से खून बह रहा था और उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि उसके पति ने बताया कि मुंशी (अपीलार्थी) उसका पीछा कर रहा था। तत्पश्चात, वर्तमान अपीलार्थी घर में आया और पति की छाती पर गोली चलाया और भाग गया। तत्पश्चात, गाँववाले जमा हुए और तब मृतक को कोडरमा सब-डिविजनल अस्पताल ले जाया गया था जहाँ उसके पति की उपहतियों के फलस्वरूप मृत्यु हो गयी। अपने प्रति परीक्षण में उसने स्वीकार किया कि गोली से उपहति पाने के बाद खून बह रहा था। उसका साक्ष्य भंजित करने के लिए प्रति परीक्षण में कुछ नहीं निकाला गया है।

15. अ॰ सा॰ 5 एवं अ॰ सा॰ 6 मृतक के भाई एवं भतीजा हैं। दोनों गवाहों ने विनिर्दिष्टत: कथन किया कि उन्होंने मृतक का चिल्लाना सुना और मृतक चिल्ला रहा था कि मुंशी (अपीलार्थी) ने उस पर गोली चलाया था। हल्ला सुनने के बाद वे घटना स्थल पर गए और पाया कि मुंशी (अपीलार्थी) पिस्तौल से लैस था। और भयभीत होकर दोनों गवाह भाग गए। बचाव मामला के समर्थन में उनके प्रति परीक्षाण से कुछ भी नहीं निकाला गया है।

16. अ॰ सा॰ 7 अशोक कुमार सिंह अन्वेषण अधिकारी है, जिसने सूचना पाया और तद्नुसार मामला दर्ज किया। उसने मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा और शव परीक्षण के बाद अपीलार्थी तथा उसकी माता मोस्मात बलिया के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया।

17. अ॰ सा॰ 8 कौशलेन्द्र कुमार कोडरमा सरकारी अस्पताल का कम्पाउन्डर है जिसने शव परीक्षण के समय पर डॉक्टर की सहायता की थी और उसकी उपस्थिति में शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 2) तैयार किया गया था और अ॰ सा॰ 9 बासुदेव अभिग्रहण गवाह है, जिसने रक्त रंजित मिट्टी की जब्ती सिद्ध किया है।

18. अ॰ सा॰ 11 एक अन्य ग्रामीण है और उसने प्रदर्श 3/1 के रूप में 'चिन्हित रक्तरंजित मिट्टी के अभिग्रहण सूची पर अपना हस्ताक्षर सिद्ध किया है।

19. ब॰ सा॰ 1 सह-ग्रामीण है जिसे पक्षद्रोही गवाह घोषित किया गया था, जबकि ब॰ सा॰ 2 अपीलार्थी का मास्टर है जिसने विनिर्दिष्टत: कथन किया कि प्रासंगिक समय पर अपीलार्थी उसके साथ नौकर के रूप में कार्यरत था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि वह पूरे समय चाईबासा में उसके साथ था। अपने प्रति परीक्षण में उसने विनिर्दिष्टत: अभिसाक्ष्य दिया कि उसके नियोजन का दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है।

20. अभियोजन गवाहों के संपूर्ण साक्ष्य की बारीकी से छानबीन करने के बाद यह सुस्पष्ट है कि अ॰ सा॰ 2 चश्मदीद गवाह है और उसने घटना का द्वितीय भाग देखा था जब अपीलार्थी ने अपनी पिस्तौल से गोली चलाया। उसने घटना का प्रथम भाग नहीं देखा था, किंतु कथन किया है कि हल्ला सुनने के बाद जब वह कमरा से आयी और पाया कि मुंशी (वर्तमान अपीलार्थी) ने उसके घर की दीवार के पीछे आश्रय लिया था और वह पिस्तौल से लैस था। मुंशी ने विरेन्द्र महतो पर गोली चलाया। तत्पश्चात उसे सरकारी अस्पताल कोडरमा ले जाया गया था। अ॰ सा॰ 4 एक अन्य चश्मदीद गवाह है जो भी उक्त प्रभाव का साक्ष्य संपुष्ट करता है। अ॰ सा॰ 5 एवं 6 ने भी मृतक की चीख सुनी और घर के बाहर आए। अ॰ सा॰ 3 मृतक विरेन्द्र महतो की माता है और प्रासंगिक समय पर वह जन्माष्टमी पूजा की सामग्री खरीदने बाजार गयी थी और उसने भी इस अपीलार्थी को देखा था जिसने उस पर गोली चलाया।

21. यह न्यायालय उपहति सं॰ 2 पर अविश्वास नहीं कर सकता है जिसे अभियोजन के मुताबिक सूचक के घर में घुसने के तुरन्त बाद पाया गया था। यह न्यायालय मृतक द्वारा अपनी पत्नी (अ॰ सा॰ 4) के समक्ष उपहति सं॰ 1 के संबंध में दिए गए तथाकथित मृत्युकालिक कथन पर अविश्वास नहीं कर सकता है। यह न्यायालय अ॰ सा॰ 2 एवं अ॰ सा॰ 4 के साक्ष्य का परिशीलन करने पर इस निष्कर्ष पर आया कि वर्तमान अपीलार्थी ही अपराधी था।

22. इस प्रकार, जैसा उपर कथन किया गया है, परिस्थितियाँ पूर्णत: आरोप सिद्ध करती हैं और स्पष्टत: उपदर्शित करती हैं कि अपीलार्थी ने ही मृतक की हत्या की थी और इन परिस्थितियों के अधीन हम पाते हैं कि विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज किया और इसलिए, दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश एतद् द्वारा अभिपुष्ट किया जाता है।

23. परिणामस्वरुप, यह अपील खारिज की जाती है।

---

ekuuh; vkuUn lu] U;k;efr

डॉ॰ अमरेश नारायण सिन्हा

बनाम

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

W.P.(S) No. 5581 of 2015. Decide on 18th July, 2016.

झारखंड सेवा संहिता, 2001—नियम 97—वेतन–दांडिक कार्यवाही का जारी रहना याची को अवधि, जिसके लिए उसे निलंबन के अधीन रखा गया था किंतु जिसे बाद में प्रतिसंहृत कर दिया गया था, वेतन से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है–नियम 97 प्रवर्तित होता है जब विभागीय कार्यवाही आरंभ की जाती है और विभागीय कार्यवाही के समापन के बाद अपचारी कर्मचारी विमुक्त किया जाता है। (पैरा 10)

अधिवक्तागण.–Mr. Ram Kishore Prasad, For the Petitioner Mr. Dhanajay Kr. Dubey, For the Respondents.

आदेश

इस रिट आवेदन में याची ने मेमो सं॰ 865 में यथा अंतर्विष्ट दिनांक 6.7.2015 के आदेश के भाग को चुनौती दिया है जिसके द्वारा यह विनिश्चित किया गया है कि क्या याची उस अवधि जिसके लिए उसे निलंबनाधीन रखा गया था का पूर्ण वेतन पाने का हकदार है, याची के विरुद्ध संस्थित दांडिक मामले के समापन के बाद विनिश्चित किया जाएगा। वह आगे ए॰ सी॰ पी॰ के प्रदान के लिए अपने मामले पर विचार करने की प्रार्थना करता है क्योंकि उसने पहले ही सेवा का 10 वर्ष से अधिक पूरा कर लिया है।

2. याची पशु चिकित्सा अधिकारी है। उसे भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120B, 420, 467, 468 एवं 471 सहपठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं 13 (2), 13 (1) (d) के अधीन अभिकथित रूप से दंडनीय अपराध करने के लिए दांडिक मामले आर॰ सी॰ केस सं॰ 5A/2005 में आलिप्त किया गया था।

3. उक्त दांडिक मामले के अनुसरण में याची को दिनांक 14.3.2012 के प्रभाव से निलंबन के अधीन किया गया था। निलंबन आदेश अंतत: अधिसूचना के तहत दिनांक 6.7.2015 के आदेश के तहत प्रतिसंहृत किया गया था जो इस रिट आवेदन के परिशिष्ट 3 पर है। निलंबन प्रतिसंहृत करते हुए, यह विनिश्चित किया गया था कि याची दिनांक 14.3.2012 से दिनांक 28.5.2013 तक 50% की दर पर और दिनांक 29.5.2013 से दिनांक 5.7.2015 तक 75% की दर पर निर्वहन भत्ता पाने का हकदार है। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इस निलंबनाधीन अवधि के लिए याची की वेतन की हकदारी प्राधिकारी द्वारा दांडिक मामले में निर्णय दिए जाने के बाद विनिश्चित किया जाएगा। उक्त अधिसूचना में आगे उल्लेख किया गया है कि दिनांक 6.7.2015 से याची पूर्ण वेतन पाने का हकदार है।

4. अधिसूचना के भाग जिसके द्वारा यह विनिश्चित किया गया था कि निलंबनाधीन अवधि के लिए उसके वेतन एवं अन्य लाभों को दांडिक विचारण में निर्णय दिए जाने के बाद विनिश्चित किया जाएगा, से व्यथित होकर याची इस न्यायालय के पास आया है।

5. याची के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची के विरूद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित नहीं है तथा वस्तुत: उसके विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही प्रारंभ भी नहीं की गयी है। वह आगे निवेदन करते हैं कि याची को दांडिक विचारण के समापन तक अनिश्चित अवधि के लिए प्रतीक्षारत नहीं रखा जा सकता है और उसे निलंबनाधीन अवधि के लिए उसके वेतन से वंचित नहीं किया जा सकता था। वह आगे निवेदन करते हैं कि उसे ए॰ सी॰ पी॰ का लाभ प्रदान नहीं किया गया है और ए॰ सी॰ पी॰ के प्रदान के लिए उसके मामले पर विचार करना भी आवश्यक है क्योंकि वह पहले ही सेवा का दस वर्ष पूरा कर चुका है।

6. राज्य के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि चूँकि दांडिक मामला आर॰ सी॰ केस सं॰ 5A/2005 लंबित है, याची की हकदारी के संबंध में अभी तक निर्णय नहीं किया गया है, जहाँ तक निलंबनाधीन

अवधि के दौरान उसके वेतन एवं अन्य लाभों का संबंध है। वह आगे निवेदन करते हैं कि जब एक बार दांडिक विचारण समाप्त हो जाता है, उस संबंध में समुचित निर्णय लिया जाएगा। वह प्राधिकारी द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के समर्थन में झारखंड सेवा संहिता के नियम 97 (2) पर विश्वास करते हैं। जहाँ तक ए॰ सी॰ पी॰ का संबंध है, राज्य के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि चूँकि दिनांक 6.7.2015 के प्रभाव से निलंबन प्रतिसंहृत कर दिया गया है, ए॰ सी॰ पी॰ के लिए उसके दावा पर विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी की अगली बैठक में विचार किया जाएगा और समुचित आदेश पारित किया जाएगा।

7. मैं पाता हूँ कि अवधि जिसके लिए उसको निलंबन के अधीन रखा गया था के लिए याची के वेतन के संबंध में निर्णय पर केवल इस दांडिक मामले के लंबित रहने के कारण विचार नहीं किया गया था।

8. राज्य के अधिवक्ता ने झारखंड सेवा संहिता के नियम 97 (2) पर विश्वास किया है। नियम जिस पर विश्वास किया गया है उद्धृत करना आवश्यक है:–

> *^^97 (1) ^^tc ljdkjh lod ftl c[kkLr fd;k x;k g] gVk;k x;k g vFkok fuyfcr fd;k x;k g] dk iucgky fd;k tkrk g] iucgkyh dk vkn'k nu oky l{ke çkfèkdkjh dk&*
>
> *(a) dr0; l mldh vuifLFkfr dh vofèk d fy, ljdkjh lod dk Hkxrku fd, tku oky oru rFkk HkÙkk d lEcUèk e] rFkk*
>
> *(b) D;k mDr vofèk dk dÙk0; ij fcrk;h x;h vofèk ekuh tk,xh ;k ugh bld lcèk e fopkj djuk gkxk vkj fofufn"V vkn'k ikfjr djuk gkxkA*
>
> *(2) tgk mifu;e (1) e mfYyf[kr çkfèkdkjh dk er g fd ljdkjh lod dk i.kr% foeDr dj fn;k x;k g] vFkok fuycu dh fLFkfr e] fd ;g i.kr% vU;k;kfpr Fkk] ljdkjh lod dk ijk oru vkj HkÙkk ftldk og gdnkj gkxk ;fn ml ;FkkfLFkfr c[kkLr ugh fd;k tkrk] gVk;k ugh tkrk vFkok fuyfcr ugh fd;k tkrk] nuk gkxkA***

9. उक्त प्रावधान के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी इस मत का है कि सरकारी सेवक पूर्णत: विमुक्त किया गया है, अथवा निलंबन के मामले में, कि यह पूर्णत: अन्यायोचित था, सरकारी सेवक को पूर्ण वेतन एवं भत्ता दिया जाएगा जिसका वह हकदार होता यदि उसे बर्खास्त, हटाया अथवा निलंबित नहीं किया गया होता।

10. राज्य के विद्वान अधिवक्ता इस खंड पर विश्वास करते हैं और निवेदन करते हैं कि केवल दांडिक मामले के समापन के बाद, और न कि इसके पहले, यह विनिश्चित किया जा सकता है कि क्या याची निलंबनाधीन अवधि के लिए वेतन का हकदार है या नहीं। राज्य के अधिवक्ता का यह निवेदन स्वीकार नहीं किया गया है। यह स्वीकार किया गया है कि वर्तमान मामले में याची को बर्खास्त नहीं किया गया है अथवा हटाया नहीं गया है। सरकार द्वारा उसका निलंबन पहले ही प्रतिसंहृत कर दिया गया है। यह भी स्वीकार किया गया है कि याची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ नहीं की गयी है। मेरे दृष्टिकोण में, खंड 97 प्रवर्तित होता है जब विभागीय कार्यवाही आरंभ की जाती है और विभागीय कार्यवाही के समापन के बाद अपचारी कर्मचारी विमुक्त किया जाता है। खंड 97 (2) का अवलंब लेने के लिए विभागीय कार्यवाही लंबित अथवा निष्कर्षित होना होगा। इस मामले में, चूँकि विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है अथवा आरंभ नहीं की गयी है, सरकार नियम 97 (2) का आश्रय नहीं ले सकती है। इस न्यायालय के मत में, नियम 97 के उपखंड (2) में शब्द ''विमुक्त करता है'', विभागीय कार्यवाही में विमुक्ति से संबंधित है और दांडिक मामले में ''दोषमुक्ति'' के समतुल्य नहीं बनाया जा सकता है। दांडिक कार्यवाही जारी रहना उस अवधि जिसके लिए उसे निलंबन के अधीन रखा गया था और जिसे बाद में प्रतिसंहृत किया

गया था के लिए याची को वेतन से इनकार का आधार नहीं हो सकता है। इस प्रकार, राज्य के अधिवक्ता का निवेदन है कि केवल दांडिक कार्यवाही के समापन अथवा दोषमुक्ति के बाद निर्णय लिया जाएगा, इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है।

11. जहाँ तक ए॰ सी॰ पी॰ का संबंध है, राज्य ने पहले ही दृष्टिकोण लिया है कि चूँकि निलंबन पहले ही प्रतिसंहृत कर दिया गया है, उसका मामला अगली विभागीय प्रोन्नति कमिटी के समक्ष रखा जाएगा।

12. उपर जो अभिनिर्धारित किया गया है, उसकी दृष्टि में मैं प्रत्यर्थी सं॰ 2 को दांडिक मामले का लंबित रहना ध्यान में लिए बिना अवधि जिसके लिए उसे निलंबन के अधीन रखा गया था के लिए याची को पूर्ण वेतन के भुगतान के संबंध में निर्णय इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर लेने का निर्देश देता है। आगे ए॰ सी॰ पी॰ के प्रदान के लिए याची का दावा उक्त अवधि के भीतर संबंधित कमिटी के समक्ष रखा जाएगा ताकि समुचित निर्णय पर आया जा सके।

13. तद्नुसार, यह रिट आवेदन निपटाया जाता है।

ekuuh; çeFk iVuk;d] U;k;efr

राजा राम महतो

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 3555 of 2012 Decided on 3rd August, 2016.

सेवा विधि–दंड–जाँच रिपोर्ट की प्रति की आपूर्ति याची को नहीं की गयी थी जिसने याची पर प्रतिकूलता कारित किया है और कार्यवाही के समापन को तात्विक रूप से प्रभावित किया है–जाँच रिपोर्ट की आपूर्ति निष्पक्ष जाँच के लिए अनिवार्य है–दंड का आक्षेपित आदेश मुख्य आदेश है और द्वितीय कारण बताओ जारी नहीं किया गया है जिसका परिणाम प्रक्रियात्मक अनियमितता में हुआ–दंड का आक्षेपित आदेश अभिखंडित किया गया और मामला नयी कार्यवाही शुरु करने के लिए प्राधिकारियों के पास वापस भेजा गया। (पैराएँ 6 एवं 7)

निर्णयज विधि.–1991 Supp. (1) SCC 504—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Harendra Kumar Mahato & Ahalya Mahto, For the Petitioner; Mr. Anup Kr. Agarwal, For the Respondents.

आदेश

संलग्न रिट आवेदन में याची ने अन्य बातों के साथ प्रधान सचिव, खाद्य जन वितरण एवं उपभोक्ता संबंधित विभाग, झारखंड सरकार, राँची द्वारा मेमो सं॰ 3356 में पारित दिनांक 1.12.2011 के आदेश के अभिखंडन एवं अपास्त करने की प्रार्थना की है।

2. अनावश्यक विवरणों से रहित तथ्य जैसा रिट आवेदन में प्रकट किया गया है संक्षेप में ये हैं कि जब याची प्रखंड आपूर्ति अधिकारी (बी॰ एस॰ ओ॰)–सह–विपणन अधिकारी (एम॰ ओ॰) के रूप में पदस्थापित था, पी॰ डी॰ एस॰ लाइसेंस प्रदान करने के लिए याची द्वारा अनुचित मांग के संबंध में प्रतापपुर प्रखंड के अधीन महिला स्व–सहायता समूह (संक्षेप में 'एस॰ एच॰ जी॰) द्वारा दर्ज परिवाद के आधार पर याची को दिनांक 23.11.2010 के कार्यालय आदेश द्वारा निलंबन के अधीन रखा गया था और

तत्पश्चात याची के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए थे और याची ने अपना लिखित स्पष्टीकरण दाखिल किया। जाँच अधिकारी द्वारा मामले की जाँच की गयी थी और जाँच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर दो दंड अंतर्विष्ट करने वाला दिनांक 1.12.2011 का दंड का आक्षेपित आदेश पारित किया गया है:-

(i) lefdr çHkko l rhu okf"kd oru of) jkd nh x;h gA

*(ii) fuogu HkÙkk ftldk Hkxrku fd;k x;k g d flok, fuycu vofèk dk vkx Hkxrku ugh fd;k tk,xk] fdr mld lokfuofÙk ykHkk d fy, lok e vojkèk ugh gkxkA***

दिनांक 1.12.2011 का दंड का आदेश रिट आवेदन के परिशिष्ट 9 के रूप में संलग्न है।

3. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरेन्द्र कुमार महतो ने जोरदार निवेदन किया कि दंड का आक्षेपित आदेश दुर्बलताओं से भंगुर है। चूँकि दंड के अधिरोपण के साथ जाँच रिपोर्ट की प्रति की आपूर्ति नहीं की गयी है, जिसने जाँच रिपोर्ट की गैर आपूर्ति के कारण अनुशासनिक कार्यवाही को तात्विक रूप से प्रभावित किया है, याची को जाँच अधिकारी के निष्कर्ष के विरुद्ध अपना बचाव करने से वंचित किया गया था। किंतु वर्तमान मामले में जाँच रिपोर्ट की प्रति की आपूर्ति नहीं की गयी है जिसने संपूर्ण कार्यवाही दूषित किया है। याची के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि दंड जिसे रिट आवेदन के परिशिष्ट-9 के तहत पारित किया गया है मुख्य दंड है, अत: द्वितीय कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए था, किंतु वर्तमान मामले में इसे याची को जारी नहीं किया गया है जो एक अन्य दुर्बलता है जिसने अनुशासनिक कार्यवाही को तात्विक रूप से प्रभावित किया है। याची के विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन भी करते हैं कि याची के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं किए गए हैं, किंतु केवल अनुमानों एवं अटकलों के आधार पर और स्वयं अपनी धारणा पर दंड अधिरोपित किया गया है और यह विधि की दृष्टि में संपोषणीय नहीं है। रिट आवेदन के लंबित रहने के दौरान याची अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गया है।

4. समानांतर स्तंभ में, रिट आवेदन में किए गए प्रकथनों का खंडन करते हुए प्रत्यर्थी सं॰ 2 से 4 की ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है। एस॰ सी॰ V के जे॰ सी॰ श्री अनूप अग्रवाल ने प्रतिशपथ पत्र में किए गए निवेदनों को दोहराया है। सुनवाई के दौरान, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान प्रतिशपथ पत्र के पैराग्राफ 10 की ओर आकृष्ट किया है, जहाँ यह निवेदन किया गया है कि प्राधिकारी ने सही प्रकार से याची को प्रखंड आपूर्ति अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अनियमितता करने के लिए दंड दिया है। वस्तुत:, कुछ महिला स्व-सहायता समूहों (एस॰ एच॰ जी॰) ने जिला आपूर्ति अधिकारी, चतरा के समक्ष याची द्वारा पी॰ डी॰ एस॰ दुकानों के लिए पी॰ डी॰ एस॰ लाइसेंस जारी करने के बदले घूस के रूप में धन की अवैध मांग के बारे में परिवाद किया है। जिसके द्वारा मामला उपायुक्त, चतरा के समक्ष रखा गया था जिन्होंने मामले के बारे में जाँच करने के लिए डी॰ डी॰ सी॰, चतरा की अध्यक्षता में कमिटी गठित किया। महिला स्व-सहायता समूहों के सचिव एवं सदस्य जाँच कमिटी के समक्ष उपस्थित हुए और पी॰ डी॰ एस॰ दुकानों का लाइसेंस जारी करने के लिए याची द्वारा अवैध परितोषण लेने के मामले को स्पष्ट किया। उन्होंने अपने द्वारा शपथ पर शपथ पत्र भी दाखिल किया जिसमें कथन किया गया कि याची ने पी॰ डी॰ एस॰ दुकानों का लाइसेंस जारी करने के लिए अवैध परितोषण लिया है। संयुक्त सचिव, झारखंड सरकार के दिनांक 23.11.2010 के आदेश द्वारा याची को निलंबनाधीन रखा गया था; एस॰ एच॰ जी॰ के सचिवों एवं सदस्यों द्वारा शपथ पर दिए गए शपथ पत्र प्रतिशपथ पत्र

के परिशिष्ट A श्रृंखला के रूप में संलग्न लिए गए हैं। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि यद्यपि याची को जाँच रिपोर्ट की आपूर्ति नहीं की गयी है, उस संबंध में याची द्वारा प्रतिकूलता दर्शाया नहीं गया है, अत: जाँच रिपोर्ट की गैर-आपूर्ति तथ्यत: अनुशासनिक कार्यवाही दूषित नहीं करेगी। अनुशासनिक प्राधिकारी जाँच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद अंतिम निष्कर्ष पर आया है और दंड का आदेश न्यायोचित, समुचित तथा आरोपों जैसा जाँच के क्रम में सिद्ध किया गया है के अनुकूल है।

5. दूसरी ओर, याची के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिशपथपत्र के प्रति दाखिल प्रत्युत्तर के पैराग्राफ 3 की ओर ध्यान खींचा है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि शपथ पत्र, जिन्हें प्रतिशपथपत्र के परिशिष्ट A श्रृंखला के रूप में संलग्न किया गया है, केवल याची को दंड देने की दृष्टि से उन पीड़ितों का हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद छल साधित किए गए हैं।

6. परस्पर विरोधी निवेदनों पर गंभीर विचार करने के बाद एवं अभिलेख के परिशीलन पर मेरा सुविचारित दृष्टिकोण है कि याची निम्नलिखित तथ्यों एवं कारणों से हस्तक्षेप का मामला बनाने में सक्षम हुआ है:—

> *(i) LohÑr :i l] oreku fjV vkonu e] tkp dju d ckn ;kph dk tkp fjikV dh çfr dh vkifr ugh dh x;h Fkh ft lu ;kph ij çfrdyrk dkfjr fd;k g ft lu dk;okgh d lekiu dk rkfRod :i l çHkkfor fd;k gA fu"i{k tkp d fy, tkp dh vkifr vfuok; gA tkp fjikV dh xj vkifr u ;kph dk tkp fjikV d fu"d"k d fo#) viuk Li"Vhdj.k çLrr dju l jkdkA ml vkèkkj ij] nM dk vk{kfir vkn'k vfHk[kfMr fd, tku dk nk;h gA*
>
> *(ii) fjV vkonu d ifjf'k"V 9 d rgr vk{kfir vkn'k d ifj'khyu l ;g çrhr gkrk g fd nM dk vkn'k e[; nM g vFkkr lefdr çHkko l rhu okf"kd oruof) ;k dk jkdk tkuk tk dyor flg fxy cuke itkc jkT;] 1991 Supp (1) SCC 504, e ekuuh; lokPp U;k;ky; d fu.k; l i.kr% vkPNkfnr gA pfd nM dk vk{kfir vkn'k e[; vkn'k g] f}rh; dkj.k crkvk ukfVl tkjh ugh (sic) fd;k tkuk pkfg, FkkA bldk tkjh ugh fd, tku dk ifj.kke lokxh.k vu'kkIfud dk;okgh dk lpkyu vk{kfir dju oky çfØ;kRed vfu;ferrk e gvk gA ekey d ml nf"Vdk.k e] nM dk vk{kfir vkn'k fofèkr% lik"k.kh; ugh gA*

7. तथ्यों, कारणों के समेकित प्रभाव पर, परिशिष्ट 9 के तहत दिनांक 1.12.2011 का दंड का आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में संपोषणीय नहीं होने के कारण एतद् द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है। युक्तियुक्त अवसर प्रदान करके जाँच रिपोर्ट के साथ द्वितीय कारण बताओ नोटिस की आपूर्ति के चरण से नयी कार्यवाही शुरु करने एवं प्राथमिकत: चार सप्ताह की अवधि के भीतर इसे शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने के लिए मामला प्रत्यर्थी प्राधिकारियों के पास वापस भेजा जाता है।

8. पूर्वोक्त निर्देश के साथ रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

ईश्वर दत्ता उपाध्याय (6564 में)

जे॰ शर्मा (कर्मचारी सं॰ 243858) एवं अन्य (3433 में)

एन॰ एन॰ सिंह (कर्मचारी सं॰ 425612) एवं अन्य (3439 में)

शिव शंकर झा (कर्मचारी सं॰ 082727) एवं अन्य (4729 में)

वैद्यनाथ झा एवं अन्य (204 में)

शम्भु प्रसाद सिंह (कर्मचारी सं॰ 205981) एवं अन्य (1681 में)

अरूण कांति सिरकर एवं एक अन्य (2905 में)

रामायण चौधरी (4429 में)

राधे श्याम शॉव (कर्मचारी सं॰ 272998) एवं अन्य (4436 में)

शिव नाथ प्रसाद (5381 में)

बनाम

सचिव, इस्पात मंत्रालय के माध्यम से भारत संघ एवं अन्य (WPC 5381 के सिवाय भी मामलों में)

अपने अध्यक्ष के माध्यम से भारतीय इस्पात प्राधिकरण एवं अन्य (5381 में)

W.P. (C) Nos. 6564, 3433, 3439, 4729 of 2011 with 204, 1681, 2905, 4429, 4436 and 5381 of 2012. Decided on 28th July, 2016.

श्रम एवं औद्योगिक विधि–उपदान–सेवानिवृत्ति के बाद क्वार्टर का अधिभोग करने के लिए शास्तिक किराया की कटौती–सेवानिवृत्ति के बाद क्वार्टरों के अधिभोग के लिए प्रतिभूति जमा के रूप में उपदान के समतुल्य राशि के प्रतिधारण के लिए व्यक्तिगत याचियों द्वारा दिए गए वचन पर उनके व्यक्तिगत तथ्यों पर परीक्षण करने की आवश्यकता है–अनेक पहलूओं पर मामले में शीघ्रातिशीघ्र निर्णय के लिए निर्देश जारी किए गए। (पैराएँ 4 से 7)

निर्णयज विधि.–2014 (1) JLJR 490—Applied.

अधिवक्तागण.–M/s Kumar Sundaram, Rajeev Ranjan Tiwari, Krishna Murari, Shiv Shankar Kumar, Santosh Kumar, B.N. Ojha, For the Petitioners; M/s Rajiv Ranjan, Indrajit Sinha, Bibhash Sinha, For the Respondents

आदेश

पक्षों के अधिवक्ता सुने गए।

2. इन समस्त रिट याचिकाओं में याचीगण भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की इकाई बोकारो इस्पात संयंत्र के भूतपूर्व कर्मचारी हैं। अलग-अलग शब्दों में की गयी किंतु उनकी ओर से वर्तमान रिट याचिकाओं में प्रार्थना का सार निम्नलिखित है:

(i) उन्हें उनके उपदान के प्रतिधारण पर बोकारो स्टील लिमिटेड (बी॰ एस॰ एल॰) द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद क्वार्टरों में रहने की अनुमति दी गयी है। वे उपदान राशि निर्मुक्त करने की मांग करते हैं। याचीगण ने यह प्रतिवाद भी किया है कि वे अपनी सेवानिवृत्ति से अधिभोग के अधीन क्वार्टरों के किसी शास्तिक किराया की कटौती के बिना उपदान का भुगतान किए जाने के हकदार हैं।

(ii) उन्होंने यह प्राख्यान करते हुए कि उक्त नीति के अधीन क्वार्टरों के आवंटन के मामले में याचीगण के साथ भेदभाव किया जा रहा है, बोकारो स्टील सिटी:-फेज I–2009 में सेक्टरों 1, 5, 6, 8,

9, 11 एवं 12 में E/F/EF प्रकार के घरों की लाइसेंसिंग के लिए योजना के आधार पर अपने-अपने क्वार्टरों के आवंटन के लिए भी प्रार्थना किया है।

3. प्रत्यर्थियों ने प्राख्यान किया है कि याचीगण ने चैतन्य रूप से प्रत्यर्थी बी॰ एस॰ एल॰ को उपदान राशि की समतुल्य राशि अपने पास रखने की अनुमति देकर क्वार्टरों को रखने के लिए वचन निष्पादित किया है। वे कुछ प्रति शपथ पत्रों में संलग्न विवरणों पर विश्वास करते हैं। वे यह प्रतिवाद भी करते हैं कि सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन बेदखली कार्यवाही संपदा अधिकारी, बोकारो स्टील लिमिटेड के न्यायालय के समक्ष आरंभ की गयी है किंतु जो वर्तमान मामलों में इस न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए अंतरिम संरक्षण के कारण व्यक्तिगत मामलों में लंबित हैं।

4. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने **एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 15/2013 (बोकारो स्टील लिमिटेड बनाम श्री राम नरेश सिंह एवं अन्य),** 2014 (1) JLJR 490, में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा दिए गए दिनांक 24.1.2014 के निर्णय पर विश्वास किया है जो स्वयं बी॰ एस॰ एल॰ के भूतपूर्व कर्मचारियों के सम्बन्ध में था जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी क्वार्टरों को रखने के लिए प्रतिभूति के रूप में उपदान प्रतिधारण करने की अनुमति नियोक्ता को देते हुए वचन दिया था। यह निवेदन किया गया है कि विद्वान खंड न्यायपीठ ने उक्त निर्णय द्वारा स्पष्टत: अभिनिर्धारित किया है कि उपदान शास्ति अथवा दंडात्मक उपाय के रूप में रोकी नहीं गयी है, बल्कि इसे भूतपूर्व कर्मचारी जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद क्वार्टर रखने के लिए प्रतिभूति जमा के रूप में उपदान राशि देने का प्रस्ताव दिया था, के स्वैच्छिक वचन के कारण रोका गया था। उपदान राशि जिसे प्रतिभूति के रूप में दिया गया था का भुगतान केवल क्वार्टर खाली करने पर और किराया, नुकसानी प्रभार, विद्युत आदि जैसे समस्त आवश्यक देयों की कटौती के बाद वापस किया जा सकता था। विद्वान खंड न्यायपीठ ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिभूति जमा के रूप में उपदान के समतुल्य राशि देने के लिए स्वेच्छापूर्वक सहमत होने पर भूतपूर्व कर्मचारी-उपदान भुगतान अधिनियम के प्रावधान पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में, इन समस्त याचियों, जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी क्वार्टर रखा है पर **बोकारो स्टील लिमिटेड (ऊपर)** के मामले में विद्वान खंड न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णयाधार के निबंधनानुसार विचार करना होगा। कंपनी को पात्र कर्मचारियों को वास-सुविधा प्रदान करने के लिए क्वार्टरों की गंभीर आवश्यकता है। आगे यह निवेदन किया गया है कि याचीगण अथवा कोई भूतपूर्व कर्मचारी स्वयं नीति के निबंधनों एवं शर्तों के मुताबिक सेवानिवृत्ति के बाद क्वार्टरों के आवंटन के लिए विचार किए जाने के हकदार होंगे। ये याचीगण उस कोटि में नहीं आते हैं क्योंकि वे विभिन्न सेक्टरों में विभिन्न प्रकार के क्वार्टरों का अधिभोग कर रहे हैं जो नीति के अधीन आच्छादित नहीं है। नीति भी बीत गयी है। अत:, विधि के अनुरुप व्यक्तिगत याचियों के अधिभोग के अधीन क्वार्टरों से बेदखली के लिए अग्रसर होने के लिए प्रत्यर्थी बी॰ एस॰ एल॰ को छोड़ते हुए वर्तमान मामले खारिज किए जा सकते हैं। निजी याचीगण को विधि तथा **बोकारो स्टील लिमिटेड मामले (ऊपर)** के मामले में विद्वान खंड न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णयाधार के अनुरुप सेवा निवृत्ति के बाद क्वार्टरों के अधिभोग की अनुमति देने के प्रयोजन से प्रतिधारित उपदान राशि ने समतुल्य राशि का भुगतान किया जाएगा।

5. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 15/2013 में दिया गया निर्णय विशेष अनुमति अपील (सिविल) सं॰ 30325/2014 में चुनौती का विषय वस्तु है। किंतु, याचीगण के विद्वान अधिवक्ता यह विवादित करने में सक्षम नहीं हुए हैं कि उक्त एस॰ एल॰ पी॰ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय का स्थगन प्रदान नहीं किया गया है।

6. मैंने **बोकारो स्टील लिमिटेड (ऊपर)** के मामले में विद्वान खंड न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णयाधार के आलोक में पक्षों के निवेदनों पर विचार किया है। जैसा अभिवचन किए गए और अभिलेख

पर मौजूद तथ्यों से प्रतीत होता है, याचीगण का वर्तमान मामला, जैसा प्रत्यर्थियों ने बताया है, सेवानिवृत्ति के बाद आधिकारिक क्वार्टरों को रखने के लिए प्रतिभूति के रूप में उपदान के प्रतिधारण के विवाद्यक पर है। **बोकारो स्टील लिमिटेड (ऊपर)** के मामले में विद्वान खंड न्यायपीठ द्वारा इसी विवाद्यक पर विचार किया गया है। यह इस प्रश्न पर प्राधिकारपूर्ण उद्घोषणा है कि क्या प्रत्यर्थी बी॰ एस॰ एल॰ याचीगण जैसे व्यक्तिगत भूतपूर्व कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी क्वार्टर के अधिभोग की अनुमति देने के लिए प्रतिभूति जमा के रूप में उपदान की समतुल्य राशि प्रति धारित करने का विधि में हकदार है। इसी विषय पर इस न्यायालय द्वारा विधि की अतिरिक्त घोषणा नहीं की जा सकती है। व्यक्तिगत याचीगण के मामलों पर प्रत्यर्थियों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा **बोकारो स्टील लिमिटेड (ऊपर)** के मामले में विद्वान खंड न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णयाधार के आलोक में विचार किया जाना है। यह कहना अनावश्यक है कि सेवानिवृत्ति के बाद क्वार्टर के अधिभोग के लिए प्रतिभूति जमा के रूप में उपदान के समतुल्य राशि के प्रतिधारण के लिए निजी याचीगण द्वारा दिए गए वचन पत्र जैसे समस्त संबद्ध विवाद्यकों का परीक्षण उनके व्यक्तिगत तथ्यों पर करने की आवश्कता है। ऐसे परीक्षण पर, परिणाम जो **बोकारो स्टील लिमिटेड (ऊपर)** के मामले में विद्वान खंड न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णयाधार के कारण प्रवाहित होता है, स्पष्टत: अनुसरित होगा। इसके अतिरिक्त, यदि निजी याचीगण के विरुद्ध सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन कार्यवाही लंबित है, वे उक्त कार्यवाही में अपना बचाव करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसे अधिनियम वर्ष 1971 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधि के अनुरुप निष्कर्षित किया जाएगा।

7. याचियों का विभिन्न सेक्टरों में क्वार्टरों के विभिन्न संवर्ग के प्रत्यर्थियों की नीति के निबंधनानुसार सरकारी क्वार्टरों के आवंटन के बारे में प्राख्यान ऐसा पहलू है जिसका भी याचीगण के व्यक्तिगत मामलों का संवीक्षण करते हुए परीक्षण किया जा सकता है। क्या उन्होंने उक्त नीति के मुताबिक आवेदन दिया है या नहीं और नीति प्रचलन में है या नहीं। यह कार्य इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाए। तद्नुसार, निजी मामलों में पारित अंतरिम आदेश रिक्त किए जाते हैं। पूर्वोक्त संप्रेक्षणों के साथ ये समस्त रिट याचिकाएँ निपटायी जाती है। लंबित आई॰ ए॰ भी बंद किए जाते हैं।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

राहुल ओराँव (2378 में)

सोमनाथ तिर्के (3169 में)

भादो ओराँव (2659 में)

काश्वीर महतो (2955 में)

बाबू टोप्पो (3211 में)

संजय लोहरा (3477 में)

रोशन ओराँव (3487 में)

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य (सभी में)

W.P. (C) Nos. 2378, 3169 of 2014, 2659, 2955, 3211, 3477 with 3487 of 2015. Decided on 1st August, 2016.

भूमि अर्जन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन का अधिकार अधिनियम, 2013—धारा 24 (2)—भूमि अर्जन कार्यवाही बीत जाना–रिट याचिकाओं में प्रकथनों का समर्थन करने के लिए न तो अर्जन अधिसूचना अभिलेख पर है और न ही भूमि अर्जन मामलों की प्रासंगिक कार्यवाही अभिलेख पर है–इन मामलों में अभिवचनों की वर्तमान अवस्था में विवाद्यक विनिश्चित नहीं किया जा सकता है–रिट याचिकाएँ याचियों को समस्त प्रासंगिक तथ्यों एवं समर्थनकारी दस्तावेजों के साथ न्यायालय के पास जाने की स्वतंत्रता के साथ खारिज की गयीं। (पैराएँ 3 एवं 4)

अधिवक्तागण.–Mr. Jorong Jedan Sanga, For the Petitioners; M/s Atanu Banerjee, GA, Bhawesh Kumar, Suman Kr. Ghosh, Ravi Kumar, For the Resp- State; Mr. Rajiv Ranjan, For the Resp HEC; Mr. Binit Chandra, For the Resp- State of Bihar.

आदेश

मामला पहले छह बार स्थगित किया गया है, अधिकांश बार याचियों के कहने पर। अंतिम अवसर पर, यह याचीगण के अधिवक्ता को तर्कपूर्ण एवं विश्वासोत्पादक दस्तावेजों द्वारा रिट याचिकाओं में किए गए अपने प्रकथनों को पूरित करने के लिए पूरक शपथपत्र दाखिल करने के लिए सक्षम बनाने हेतु अंतिम अनुग्रह के रूप में था।

2. मुख्यत: याचीगण की शिकायत धुर्वा में राँची टाउनशिप के पड़ोस में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन स्थापित करने के लिए वर्ष 1960-61 की अर्जन कार्यवाही के संबंध में है। याचीगण अपने–अपने गाँवों में अवस्थित भूमि को अनधिसूचित करने की प्रार्थना के साथ वर्ष 2014 में इस न्यायालय के पास आए हैं।

3. इन समस्त मामलों में, याचीगण दावा करते हैं कि अभिवचनों में उल्लिखित भूमि हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन स्थापित करने के प्रयोजन से डब्ल्यू॰ पी॰ सी॰ सं॰ 2378/2014, 2659/2015, 2955/2015 तथा डब्ल्यू॰ पी॰ सी॰ 3477/2015 में भूमि अर्जन केस सं॰ 232/60-61 एवं 2/60-61 एवं डब्ल्यू॰ पी॰ सी॰ सं॰ 3169/2014 में भूमि अर्जन मामला सं॰ 61/59-60 एवं 71/59-60 और डब्ल्यू॰ पी॰ सी॰ सं॰ 3211/2015 तथा डब्ल्यू॰ पी॰ सी॰ सं॰ 3487/2015 में भूमि अर्जन मामला सं॰ 6/60-61 एवं 17/61-62, 20/58-59, 48/58-59 और 11/83-84 में विषय–वस्तु थी। उन्होंने यह मामला स्थापित करने का प्रयास किया है कि अर्जन प्रक्रिया काफी समय पहले पूरी कर लेने के बावजूद प्रश्नगत भूमि का भौतिक कब्जा कभी नहीं लिया गया है। उन्होंने अपनी भूमि की निर्मुक्ति इप्सित करने के लिए भूमि अर्जन में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों विशेषत: उपधारा 24 (2) पर विश्वास किया क्योंकि उसका अर्जन ऐसी परिस्थितियों में बीत गया माना जाना चाहिए।

4. वस्तुत: न तो अर्जन अधिसूचना अभिलेख पर मौजूद है और न ही पूर्वोक्त अनुतोष के लिए रिट याचिकाओं में प्रकथनों के समर्थन में अभिलेख पर भूमि अर्जन मामलों की प्रासंगिक कार्यवाही मौजूद है। यही तर्कपूर्ण एवं विश्वासोत्पादक दस्तावेजों द्वारा अपने प्रकथनों को पूरित करने के लिए स्थगन इप्सित करने का याचीगण का कारण था। पूर्व तिथि पर भी, अभिवचनों एवं समर्थनकारी तर्कपूर्ण एवं विश्वासोत्पादक दस्तावेजों की अपर्याप्तता ध्यान में लेते हुए अंतिम अनुग्रह के रूप में मामला स्थगित किया गया था। याचीगण समर्थनकारी दस्तावेजों के साथ ऐसा शपथ पत्र दाखिल करने में सक्षम नहीं हुए हैं। अत: इन मामलों में अभिवचनों की वर्तमान अवस्था में इस विवाद्यक का प्रभावकारी रूप से परीक्षण नहीं किया जा सकता है। अत:, रिट याचिकाएँ याचीगण को समर्थनकारी दस्तावेजों के साथ समस्त प्रासंगिक तथ्यों, अभिवचनों एवं तात्विक विशिष्टियों के साथ न्यायालय के पास जाने की स्वतंत्रता के साथ खारिज की जा रही है।

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o Jh pn'k[kj] U;k;efr

जयन्ती देवी एवं एक अन्य

बनाम

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (D.B.) No. 411 of 2015 with I.A. No. 4212 of 2016. Decided on 22nd July, 2016.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302 एवं 201—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 389—दंडादेश का निलंबन–आवेदक अपीलार्थी की बतायी गयी भूमिका उसका मामला भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 201 की रिष्टि के अधीन लाएगी और उसे भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के मुख्य आरोप के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है–वर्तमान अपील निकट भविष्य में सुने जाने की संभावना नहीं है–आवेदक दंडादेश के निलंबन की रियायत का हकदार है–आवेदन अनुज्ञात।

(पैराएँ 4 से 7)

अधिवक्तागण.–Mr. Ramesh Kumar Singh, For the Appellants; Mr. S.K. Srivastava, For the State.

विरेन्द्र सिंह, मुख्य न्यायाधीश.–

आई॰ ए॰ सं॰ 4212 वर्ष 2016

आवेदक अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि यद्यपि तर्क करने वाले अधिवक्ता ने उसको स्थगन का अनुरोध करने का अनुदेश दिया है किंतु उन्होंने मामले का परिशीलन किया है और न्यायालय की सहायता करने की अवस्था में हैं।

2. आरंभ में ही, आवेदक अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि अनवधानी से जयन्ती देवी को भी आई॰ ए॰ सं॰ 4212 वर्ष 2016 में आवेदकों में से एक के रूप में दर्शाया गया है जबकि उसे पहले ही दिनांक 17.12.2015 के आदेश के तहत न्यायालय द्वारा दंडादेश के निलंबन का रियायत प्रदान किया गया है। वह कथन करते है कि जयन्ती देवी का नाम उक्त आवेदन में आवेदकों में से एक के रूप में विलोपित किया जा सकता है।

मौखिक अनुरोध स्वीकार किया गया।

3. इस प्रकार, वर्तमान आवेदन बालेश्वर बेदिया जो अपनी गिरफ्तारी की आरंभिक तिथि से जेल में है के प्रति शेष रहता है।

4. विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियोजन मामला संपूर्ण रूप से लेते हुए, आवेदक अपीलार्थी की बतायी गयी भूमिका उसका मामला भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 201 के रिष्टि के अंतर्गत लाएगी और किसी भी स्थिति में उसे दूर से भी भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के मुख्य आरोप से जोड़ा नहीं जा सकता है। तब विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वर्तमान अपील के वर्ष 2015 की तिथि का होने के नाते जल्दी सुने जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है।

5. आवेदक अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों पर जो भी निवेदन किया गया है, उसे राज्य अधिवक्ता द्वारा खंडित नहीं किया गया है, किंतु जमानत प्रार्थना का विरोध किया गया है।

6. वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों की संपूर्णता को ध्यान में रखते हुए और गुणागुण पर टिप्पणी किए बिना, ताकि यह प्रासंगिक चरण पर किसी पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सके और इस तथ्य के साथ कि निकट भविष्य में अपील सुने जाने की संभावना नहीं है, आवेदक अर्थात् बालेश्वर बेदिया दंडादेश के निलंबन की रियायत का हकदार है।

7. परिणामस्वरुप, वर्तमान आवेदन प्रार्थनानुसार अनुज्ञात किया जाता है।

8. आवेदक अपीलार्थी बालेश्वर बेदिया को सत्र विचारण सं॰ 862/2012 के संबंध में विद्वान न्यायिक आयुक्त IV, राँची की संतुष्टि हेतु प्रत्येक समान राशि की दो प्रतिभूतियों के साथ 10,000/- (दस हजार) रुपयों का जमानत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान जमानत पर निर्मुक्त किया जाए।

9. तद्नुसार, आई॰ ए॰ सं॰ 4212 वर्ष 2016 निपटायी जाती है।

---

ekuuh; çeFk iVuk;d] U;k;efr

वी॰ हरनाथ राव एवं अन्य

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 4070 of 2016. Decided on 2nd August, 2016.

विद्यालय विधि–भत्ता–अवकाश नगदकरण राशि–गैर-सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षक अर्जित अवकाश नगदकरण राशि पाने के हकदार हैं–जिला शिक्षा अधिकारी को याचियों को उनके प्रासंगिक सेवा अभिलेख के सम्यक संवीक्षण के बाद अवकाश नगदकरण राशि के प्रदान के मामले में निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। (पैराएँ 6 एवं 7)

निर्णयज विधि.–2014 (1) JBCJ 465—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Harendra Kr. Mahto, For the Petitioner; J.C. to AAG, For the Respondents.

प्रमथ पटनायक, न्यायमूर्ति.–पक्षों के अधिवक्ता सुने गए।

2. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचीगण अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय के सेवानिवृत शिक्षक/प्राचार्य हैं जिनका निजी विवरण नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया जा रहा है:

क्रमांक	याचियों/शिक्षकों का नाम	विद्यालय का नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	वी॰ हरनाथ राव	संत जोसेफ उच्च विद्यालय, गोलमुरी, जमशेदपुर	31.3.2015
2.	सुशीला किसपोत्ता	संत जोसेफ उच्च विद्यालय, गोलमुरी, जमशेदपुर	31.1.2011
3.	मिलिश टिग्गा	संत जोसेफ उच्च विद्यालय, गोलमुरी, जमशेदपुर	31.3.2008
4.	बेनेडिक्ट सोरेंग (कुजूर)	संत जोसेफ उच्च विद्यालय, गोलमुरी, जमशेदपुर	30.9.2010
5.	प्रभावती नीलिमा लकरा (मिंज)	संत जोसेफ उच्च विद्यालय, गोलमुरी, जमशेदपुर	31.3.2009
6.	लिल्ली सुशीला	संत जोसेफ उच्च विद्यालय, गोलमुरी, जमशेदपुर	31.3.2001

7.	ब्रह्मदत्त शर्मा	गुरुनानक उच्च विद्यालय, मानगो, जमशेदपुर	31.8.2001

3. याचीगण का प्रतिवाद है कि प्रश्नगत विद्यालय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय हैं और विद्यालय कर्मचारियों के वेतन एवं सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान हेतु समस्त व्ययों को राजकीय कोष से राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। याचीगण महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी पेंशन भुगतान आदेश के आधार पर पेंशन भी पा रहे हैं।

4. वर्तमान रिट आवेदन में याचीगण की शिकायत उनके विरुद्ध अर्जित अवकाश बकाया पर अवकाश नगदकरण राशि के गैर भुगतान के संबंध में है। उन्होंने यह कथन भी किया है कि अन्य सेवानिवृत्ति पश्चात देयों का भुगतान पहले ही कर दिया गया है और कि वेतन एवं सेवानिवृत्ति पश्चात लाभों का भुगतान राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए सहायता अनुदान में से किया जाता है।

5. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री हरेन्द्र कुमार निवेदन करते हैं कि यद्यपि प्रत्यर्थी राज्य सरकार द्वारा पहले याचीगण के दावा का विरोध किया गया था, किंतु विवाद्यक अब **डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 506 वर्ष 2013** एवं सदृश मामलों में **मरियम तिर्के बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य** मामले में इस न्यायालय की विद्वान खंड न्यायपीठ द्वारा दिए गए दिनांक 3 जनवरी, 2014 के निर्णय जिसे **2014 (1) JBCJ 465** में प्रकाशित किया गया है की दृष्टि में सुनिश्चित किया गया है और विशेष अनुमति अपील (सी॰) सं॰ 20606-20607/2014 में पारित दिनांक 15.12.2014 के निर्णय के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक मान्य ठहराया गया है। याचीगण के अनुसार, रिट याचिका विद्वान खंड न्यायपीठ द्वारा दिए गए एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक अभिपुष्ट किए गए निर्णय की दृष्टि में प्रत्यर्थियों को याचियों को अवकाश नगदकरण राशि का भुगतान करने का निर्देश देकर निपटायी जा सकती है।

6. प्रत्यर्थी राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता विवाद नहीं करते हैं कि गैर-सरकारी/सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों को अर्जित अवकाश नगदकरण राशि की ग्राह्यता से संबंधित पूर्वोक्त विवाद्यक अब **मरियम तिर्के मामले (ऊपर)** के मामले में दिए गए एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक अभिपुष्ट किए गए निर्णय की दृष्टि में विनिश्चित किया गया है।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने पर, ऐसी परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी सं॰ 2 अभ्यावेदन के साथ इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से दस सप्ताह की अवधि के भीतर **मरियम तिर्के मामले (ऊपर)** में दिए गए निर्णय की दृष्टि में और याचीगण को उनके प्रासंगिक सेवा अभिलेखों के सम्यक संवीक्षण के बाद अवकाश नगदकरण राशि के प्रदान के मामले में निर्णय लेने का निर्देश देते हुए रिट याचिका निपटायी जाती है।

8. तद्नुसार रिट याचिका निपटायी जाती है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

अरुण कुमार सिंह

cuke

झारखंड राज्य, सी॰ बी॰ आई॰ के माध्यम से

W.P.(Cr.) No. 62 of 2016. Decided on 22nd August, 2016.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धाराएँ 173 (6) एवं 207—अभियुक्त को दस्तावेजों की आपूर्ति—यद्यपि अभियुक्त का अधिकार सीमित है किंतु यह संहिताबद्ध है—कतिपय दस्तावेजों का गैर-प्रकटीकरण दांडिक न्याय प्रशासन को और अभियुक्त के बचाव को प्रभावित करेगा—कम पड़ गए दस्तावेजों की गैर-आपूर्ति याची के निष्पक्ष विचारण के अधिकार को कम करेगी—याची को दस्तावेजों तक उसकी पहुँच से मात्र इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता है कि सी॰ बी॰ आई॰ ने उन दस्तावेजों पर विश्वास नहीं करने का निर्णय किया था अथवा सी॰ बी॰ आई॰ उन दस्तावेजों को प्रासंगिक नहीं समझता है—यह सुनिश्चित करना न्यायालय का कर्तव्य है कि अभियुक्त को न्यायोचित, निष्पक्ष एवं पारदर्शी विचारण से वंचित नहीं किया जाना चाहिए—संबंधित न्यायालय को याची को समस्त कम पड़ गए दस्तावेजों की आपूर्ति करने के निर्देश के साथ रिट आवेदन अनुज्ञात किया गया। (पैराएँ 12 से 14)

निर्णयज विधि.—(2012) 9 SCC 771; (2010) 6 SCC 1—Relied.

अधिवक्तागण.—M/s Rajeev Ranjan, Krishna Murari, For the Appellants; Mr. K.P. Deo, For the C.B.I.

रवि नाथ वर्मा, न्यायमूर्ति.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस न्यायालय की असाधारण अधिकारिता का अवलंब लेते हुए याची ने आर॰ सी॰ 20(A)/2009-R में अपर न्यायिक आयुक्त XVII-सह-विशेष न्यायाधीश, सी॰ बी॰ आई॰, राँची द्वारा पारित दिनांक 19.3.2016 के आदेश की वैधता को चुनौती दिया है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन समस्त कम पड़ गए दस्तावेजों अर्थात् D2 से D17 तथा अ॰ सा॰ 1, 2 एवं 12 के बयानों जो पठनीय नहीं हैं की आपूर्ति के लिए सी॰ बी॰ आई॰ को निर्देश देने की प्रार्थना के साथ विभिन्न तिथियों पर याची द्वारा दाखिल आवेदन अस्वीकार किया गया है।

2. अनावश्यक विवरणों से रहित, प्रासंगिक तथ्य जो पक्षों के बीच विवाद के न्यायनिर्णयण के लिए प्रासंगिक हैं, संक्षेप में ये हैं कि केंद्रीय जाँच ब्यूरो (संक्षेप में 'सी॰ बी॰ आई॰') की प्रेरणा पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120B, 420, 467, 468 एवं 417 के अधीन और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) सहपठित धारा 13 (1) (D) के अधीन भी प्राथमिकी इस अभिकथन के साथ दर्ज की गयी थी कि किसी वासुदेव तिवारी एवं तीन अन्य कार्यपालक अभियन्ताओं, पथ निर्माण विभाग, चाईबासा ने मेसर्स नवनिर्माण बिल्डर्स, जमशेदपुर में, उक्त फर्म ने अपने पक्ष में पंचाट संविदात्मक काम के निष्पादन के लिए बिटुमन की उगाही दर्शाते हुए झूठा/बोगस बीजक, प्रस्तुत किया जिसने संविदाकार को दोषपूर्ण लाभ तथा झारखंड सरकार को 89,68,966/- रुपयों का दोषपूर्ण हानि कारित किया।

3. अन्वेषण के बाद, सी॰ बी॰ आई॰ ने केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 120B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) सहपठित धारा 13 (1) (d) के अधीन आरोप-पत्र दाखिल किया और अन्य धाराएँ जिनमें प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, छोड़ दी गयी थी। आरोप-पत्र में यह याची जो पथ निर्माण विभाग, डिविजन, सरायकेला, खारावन में सहायक अभियन्ता था को भी अभियुक्त के रूप में दर्शाया गया था। आरोप-पत्र के साथ गवाहों की सूची और दस्तावेजों की लंबी सूची साक्ष्य के मेमो के रूप में संलग्न की गयी थी जिन्हें धारा 173 (6) के अधीन यथा अनुध्यात कोई अपवाद हुए बिना दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में ''संहिता'') की धारा 173 (5) के अर्थ के अंतर्गत संग्रहित किया गया था और विशेष न्यायाधीश को अग्रसर किया गया था जिसके लिए न्यायालय के समक्ष अन्वेषण अधिकारी द्वारा कोई आवेदन दाखिल नहीं किया गया था।

4. रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि दिनांक 8.8.2013, 5.5.2014, 4.8.2014, 14.7.2015, 7.9.2015, 14.9.2015, 16.10.2015 एवं 5.1.2016 जैसी विभिन्न तिथियों पर याची की ओर से उन

दस्तावेजों जो संहिता की धारा 173 के अधीन यथा प्रावधानित पुलिस कागजातों के भाग थे की आपूर्ति करने की प्रार्थना के साथ याचिकाएँ एवं आपत्तियाँ दाखिल की गयी थी और सी॰ बी॰ आई॰ ने उक्त याचिकाओं के प्रति प्रत्युत्तर दाखिल करके न्यायालय से अभियुक्त-याची को उन समस्त दस्तावेजों को दस्तावेजों के गायब/अस्पष्ट कागजातों की पहचान के लिए वापस लौटाने का निर्देश देने की प्रार्थना किया। तद्नुसार, निर्देश दिए गए थे और याची ने उन समस्त दस्तावेजों को लौटा दिया किंतु जब याची को उन दस्तावेजों की आपूर्ति की गयी थी, पुनः आपत्ति दाखिल की गयी थी। जिसके बाद सी॰ बी॰ आई॰ ने प्रत्युत्तर भी दाखिल किया और अभिवचन किया कि अभियुक्त याची द्वारा मांगे गए कम पड़ गए दस्तावेज याची की मददगार नहीं है क्योंकि सी॰ बी॰ आई॰ उन दस्तावेजों पर विश्वास नहीं करेगी। सी॰ बी॰ आई॰ ने यह अभिवचन भी किया कि कतिपय दस्तावेज धुंधले मुद्रित/प्रतिलिपि/हस्तलिखित हैं, अतः उन दस्तावेजों की छाया प्रतिलिपियों की आपूर्ति करना मुश्किल है और गैर-आपूर्ति द्वारा याची-अभियुक्त पर प्रतिकूलता कारित नहीं होगी। सी॰ बी॰ आई॰ द्वारा अपने प्रत्युत्तर में यह कथन भी किया गया है कि दस्तावेज जिन्हें अभियुक्त को नहीं दिया गया है वे दस्तावेज हैं जिन पर सी॰ बी॰ आई॰ विश्वास नहीं करेगी, अतः सी॰ बी॰ आई॰ उन दस्तावेजों की प्रतियों की आपूर्ति करने के लिए बाध्य नहीं है। आगे यह प्रतीत होता है कि दिनांक 7.9.2015 को याची ने तालिकाबद्ध चार्ट (दस्तावेजवार) दाखिल किया और दस्तावेजों के उन अपूर्ण चुनिंदा भाग की आपूर्ति के लिए प्रार्थना किया। किंतु सी॰ बी॰ आई॰ ने अपने प्रत्युत्तर में कथन किया कि अभियुक्त-याची विगत दो वर्षों से मामलों का विचारण जानबूझकर विलंबित कर रहा है और इसलिए विश्वास नहीं किए गए दस्तावेजों की आपूर्ति याची को नहीं की जा सकती है।

5. अवर न्यायालय ने दिनांक 19.3.2016 के आक्षेपित आदेश द्वारा कम पड़ गए दस्तावेजों की आपूर्ति के लिए अभियुक्त-याची की प्रार्थना यह अभिनिर्धारित करते हुए अस्वीकार कर दिया कि याची द्वारा मांगे गए अधिकांश दस्तावेजों की आपूर्ति उसको पहले ही कर दी गयी है किंतु याची को दी गयी कुछ छाया प्रतिलिपियाँ धुंधली पड़ गयी हैं जो इन दस्तावेजों के मूल के परिशीलन पर प्रतीत होता है और चूँकि मूल वस्तुतः अत्यन्त धुंधले हैं, अतः छाया प्रतिलिपियाँ भी धुंधली पड़ गयी हैं। अवर न्यायालय ने आगे संप्रेक्षित किया कि ऐसी याचिकाओं की दाखिली की बचाव की विलंबित करने वाली युक्ति होने की संभावना है और इसे बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। बचाव अधिवक्ता सी॰ बी॰ आई॰ अधिवक्ता की उपस्थिति में ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं। अतः यह रिट याचिका दाखिल की गयी है।

6. याची के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री राजीव रंजन ने आक्षेपित आदेश का विधि में दोषपूर्ण के रूप में और **''वी॰ के॰ शशिकला बनाम राज्य, आरक्षी अधीक्षक के प्रतिनिधित्व में, (2012)9 SCC 771** में विनिश्चित निर्णयाधार का उल्लंघनकारी के रूप में विरोध करते हुए गंभीर रूप से प्रतिवाद किया कि चूँकि दस्तावेज, जिन्हें याची को नहीं दिया गया है, अभियोजन द्वारा विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पुलिस कागजातों के भाग थे, उन कम पड़ गए दस्तावेजों की आपूर्ति से इस आधार कि सी॰ बी॰ आई॰ उन दस्तावेजों पर विश्वास करने नहीं जा रहा है पर इनकार विधि की दृष्टि में संपोषणीय नहीं है और यह निष्पक्ष विचारण के बहुमूल्य अधिकार से इनकार के तुल्य होगा। आगे यह प्रतिवाद किया गया था कि यह दर्शाने के लिए कि सी॰ बी॰ आई॰ उन दस्तावेजों पर विश्वास नहीं करेगी, संहिता की धारा 173 (6) के अधीन कोई याचिका दाखिल नहीं की गयी थी अथवा आरोप-पत्र की दाखिली के समय पर सी॰ बी॰ आई॰ की प्रेरणा पर पृष्ठांकन नहीं किया गया था और कि उन दस्तावेजों की आपूर्ति नहीं करने में अभियोजन का आचरण केवल यह उपदर्शित करता है कि ये अभियोजन मामले का समर्थन नहीं करते हैं किंतु वे दस्तावेज अभियुक्त के बचाव में सहायता कर सकते हैं।

7. पूर्वोक्त निवेदनों के विपरीत, सी॰ बी॰ आई॰ के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री के॰ पी॰ देव ने आक्षेपित आदेश के समर्थन में प्रतिवाद किया कि जब दस्तावेजों जिन्हें इप्सित किया गया है पर

अभियोजन द्वारा विश्वास नहीं किया जा रहा है, यह किसी भी तरीके से ऐसे दसतावेजों की प्रतियाँ पाने के लिए याची का कोई अधिकार सृजित नहीं करता है, किंतु याची को उन दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए अनेक अवसर प्रदान किए जाने के बाद भी उन्होंने दस्तावेजों का निरीक्षण नहीं किया था। आगे यह प्रतिवाद किया गया है कि आरोप विरचित करने के लिए प्रासंगिक दस्तावेजों को पहले ही कार्यवाही के समुचित चरण पर संहिता की धारा 207 के अधीन याची को दिया गया है और जहाँ तक दस्तावेजों जिन्हें याची को नहीं दिया गया है का संबंध है, सी॰ बी॰ आई॰ उन पर विश्वास करने नहीं जा रहा है और कि पुलिस कागजात सहित आरोप पत्र की दाखिली के समय पर कोई आवेदन दाखिल करने का अवसर सी॰ बी॰ आई॰ के पास नहीं था और अभियुक्त-याची का प्रतिवाद कि अपना बचाव करने के लिए उसे सक्षम बनाने के लिए उन दस्तावेजों की उसे आवश्यकता है, पूर्णत: अमान्य हैं।

8. विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों पर विचार करने के पहले इस रिट आवेदन में अंतर्ग्रस्त विवाद्यक के समुचित न्यायनिर्णयण के लिए संहिता की धारा 173 को निर्दिष्ट करना उपयुक्त है। संहिता की धारा 173 का पठन निम्नलिखित है:

*173. **vUo"k.k d lekIr gk tku ij ifyl vfèkdkjh dh fjikV-**&(1) bl vè;k; d vèkhu fd;k tkuokyk iR;d vUo"k.k vuko';d foyEc d fcuk ijk fd;k tk,xkA*

(2) (i) t l gh og ijk gkrk g] ol gh ifyl Fkku dk Hkkj lkèkd vfèkdkjh] ifyl fjikV ij ml vijkèk dk lKku dju d fy, l'kDr eftLVV dk jkT; ljdkj }kjk fofgr çk:i e ,d fjikV Hktxk] ft le fuEufyf[kr ckr dfFkr gkxh&

(a) i{kdkjk d uke(

(b) bfÙkyk dk Lo:i(

(c) ekey dh ifjfLFkfr;k l ifjfpr çrhr gku oky 0;fDr;k d uke(

(d) D;k dkb vijkèk fd;k x;k çrhr gkrk g vkj ;fn fd;k x;k çrhr gkrk g] rk fdld }kjk(

(e) D;k vfHk;Dr fxj¶rkj dj fy;k x;k g(

(f) D;k og viu cèki= ij NkM fn;k x;k g vkj ;fn NkM fn;k x;k g rk og cèki= çfrHkvk lfgr ;k çfrHkvk jfgr(

(g) D;k og èkkjk 170 d vèkhu vfHkj{kk e Hktk tk pdk gA

(ii) og vfèkdkjh viu }kjk dh xb dk;okgh dh llpuk] ml 0;fDr dk] ;fn dkb gk] ft lu vijkèk fd, tku d lEcUèk e loçFke bfÙkyk nh ml jhfr l nxk] tk jkT; ljdkj }kjk fofgr dh tk,A

(3) tgk èkkjk 158 d vèkhu dkb ofj"B ifyl vfèkdkjh fu;Dr fd;k x;k g ogk ,l fdlh ekey e] ft le jkT; ljdkj lkèkkj.k ;k fo'k"k vkn'k }kjk ,lk fun'k nrh g] og fjikV ml vfèkdkjh d ekè;e l nh tk,xh vkj og] eftLVV dk vkn'k gku rd d fy,] ifyl Fkku d Hkkj lkèkd vfèkdkjh dk ;g fun'k n ldrk g fd og vkx vkj vUo"k.k djA

(4) tc dHkh bl èkkjk d vèkhu Hkth xb fjikV l ;g irhr gkrk g fd vfHk;Dr dk ml d cUèki= ij NkM fn;k x;k g rc eftLVV ml cèki= d mUekpu d fy, ;k vU;Fkk ,lk vkn'k djxk t lk og Bhd le>A

(5) tc ,lh fjikV dk lEcUèk ,l ekey l g ft ldk èkkjk 170 ykx gkrh g] tc ifyl vfèkdkjh eftLVV dh fjikV d lkFk&lkFk fuEufyf[kr Hkh Hktxkk&

(a) o lc nLrkot ;k mud llxr m)j.k] ftu ij fuHkj dju dk vfHk;ktu dk fopkj g vkj tk mul fHkUu g ftUg vUo"k.k d nkjku eftLVV dk igy Hkh Hkt fn;k x;k g(

(b) mu lc 0;fDr;k d] ftudh lkf{k;k d :i e ijh{kk dju dk vfHk;ktu dk fopkj g] èkkjk 161 d vèkhu vfHkfyf[kr dFkuA

(6) ;fn ifyl vfèkdkjh dh ;g jk; g fd ,l fdlh dFku dk dkb Hkkx dk;okgh dh fo"k;oLr l llxr ugh g ;k ml vfHk;Dr dk idV djuk U;k; d fgr e vko';d ugh g vkj ykdfgr d fy, vlehphu g rk og dFku d ml Hkkx dk minf'kr djxk vkj vfHk;Dr dk nh tkuokyh ifrfyfi e l ml Hkkx dk fudky nu d fy, fuonu djr g, vkj ,lk fuonu dju d viu dkj.kk dk dFku djr g, ,d ukV eftLVV dk Hkt tkA

(7) tgk ekey dk vUo"k.k djuokyk ifyl vfèkdkjh ,lk djuk lfoèkki.k le>rk g ogk og mièkkjk (5) e fufn"V lHkh ;k fdUgh nLrkotk dh ifr;k vfHk;Dr dk n ldrk gA

*(8) bl èkkjk dh dkb ckr fdlh vijkèk d ckj e mi&èkkjk (2) d vèkhu eftLVV dk fjikV Hkt nh tku d i'pkr vkx vkj vUo"k.k dh iofjr dju okyh ugh le>h tk,xh rFkk tgk ,l vUo"k.k ij ifyl Fkku d Hkkjlkèkd vfèkdkjh dk dkb vfrfjDr ekf[kd ;k nLrkoth lk{; fey ogk ,l lk{; d lcèk e vfrfjDr fjikV ;k fjikV eftLVV dk fofgr :i l Hktxk] vkj mi&èkkjk (2) l (6) rd d micUèk ,lh fjikV ;k fjikVk d ckj e] tgk rd gk ld] ,l ykx gkx] tl o mi&èkkjk (2) d vèkhu Hkth x;h fjikV d lEcUèk e ykx gkr gA***

पूर्वोक्त प्रावधान के कोरे परिशीलन पर, यह स्पष्ट होगा कि दैनिक आधार पर प्रत्येक अन्वेषण का केस डायरी रखने के लिए अन्वेषण एजेन्सी पर आज्ञापक कर्तव्य डाला गया है जैसा उक्त धारा की उप धारा (2) के अधीन प्रावधानित किया गया है। अन्वेषण के समापन के तुरन्त बाद, पुलिस रिपोर्ट अपराध का संज्ञान लिए जाने के लिए सशक्त बनाए गए संबंधित न्यायालय को अग्रसर करना होगा। इसी प्रकार से, उक्त धारा की उपधारा (5) ऐसी स्थिति पर विचार करती है कि अन्वेषण के दौरान दंडाधिकारी को पहले ही भेजी गयी सामग्री से भिन्न समस्त दस्तावेजों अथवा उनका प्रासंगिक उद्धरणों जिन पर अभियोजन विश्वास करने का प्रस्ताव देता है और उन समस्त व्यक्तियों जिनका अभियोजन अपने गवाहों के रूप में परीक्षण करने का प्रस्ताव देता है के संहिता के धारा 161 के अधीन दर्ज किए गए बयानों को भी संबंधित न्यायालय को अग्रसर करना होगा। किंतु यदि अन्वेषण अधिकारी इस निष्कर्ष पर आता है कि ऐसे दस्तावेज अथवा बयान का कोई भाग कार्यवाही के विषयवस्तु के प्रति प्रासंगिक नहीं है अथवा अभियुक्त को इसका प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है, वह बयान के उस भाग को उपदर्शित करेगा और ऐसा अनुरोध करने का अपना कारण प्रकट करते हुए अभियुक्त को प्रदान की जाने वाली प्रतियों से उस भाग को अपवर्जित करने के लिए संबंधित न्यायालय से अनुरोध करते हुए नोट संलग्न करेगा। संहिता की धारा 173 की उपधारा (5) के अनुपालन में, अन्वेषण अधिकारी संहिता की धारा 173 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट समस्त अथवा किसी दस्तावेज की प्रतियाँ अभियुक्त को दे सकता है। आरोप-पत्र एवं समस्त प्रासंगिक दस्तावेजों सहित

पुलिस कागजात की प्रस्तुति के बाद यदि न्यायालय अपराध का संज्ञान लेना महसूस करता है, यह अभियुक्त की उपस्थिति के लिए समन जारी करेगा और अभियुक्त की उपस्थिति पर संबंधित न्यायालय को अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट की प्रतियाँ, प्राथमिकी, संहिता की धारा 161 के अधीन अन्वेषण के दौरान परीक्षण किए गए गवाहों के बयानों और संहिता की धारा 207 के अधीन पुलिस रिपोर्ट के साथ न्यायालय को अग्रसर किए गए किसी अन्य दस्तावेज अथवा प्रासंगिक उद्धरण को देने की आवश्यकता है। बेहतर अधिमूल्यन के लिए संहिता की धारा 207 को निर्दिष्ट करना भी आवश्यक है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> *"207. **vfHk;Dr dk ifyl fjiksV ;k vU; nLrkotk dh ifrfyfi nuk-**&fdlh ,l ekey e tgk dk;okgh ifyl fjiksV d vkèkkj ij lfLFkr dh xb g[eftLVV fuEufyf[kr e l iR;d dh ,d ifrfyfi vfHk;Dr dk vfoyEc fu%'kYd nxk%&*
>
> *(i) ifyl fjiksV(*
>
> *(ii) èkkjk 154 d vèkhu y[kc) dh xb iFke bfÙkyk fjiksV(*
>
> *(iii) èkkjk 161 dh mi&èkkjk (3) d vèkhu vfHkfyf[kr mu lHkh 0;fDr;k d dFku] ftudh viu lkf{k;k d :i e ijh{kk dju dk vfHk;ktu dk fopkj g] mue l fdlh ,l Hkkx dk NkMdj ftudh ,l NkMu d fy, vkonu èkkjk 173 dh mi&èkkjk (6) d vèkhu ifyl vfèkdkjh }kjk fd;k x;k g(*
>
> *(iv) èkkjk 164 d vèkhu y[kc) dh xb lLohÑfr;k ;k dFku] ;fn dkb gk(*
>
> *(v) dkb vU; nLrkot ;k mldk lIxr m)j.k] tk èkkjk 173 dh mi&èkkjk (5) d vèkhu ifyl fjiksV d lkFk eftLVV dk Hkkth x;h g%*
>
> *ijUr eftLVV [k.M (iii) e fufn"V dFku d fdlh ,l Hkkx dk ifj'khyu dju vkj ,l fuonu d fy, ifyl vfèkdkjh }kjk fn, x, dkj.kk ij fopkj dju d i'pkr ;g fun'k n ldrk g fd dFku d ml Hkkx dh ;k mld ,l iHkko dh] tk eftLVV Bhd le>] ,d ifrfyfi vfHk;Dr dk nh tk;%*
>
> *ijUr ;g vkj fd ;fn eftLVV dk lekèkku gk tkrk g fd [k.M (v) e fufn"V dkb nLrkot fo'kkydk; g rk og vfHk;Dr dk mldh ifrfyfi nu d ctk; ;g fun'k nxk fd ml Lo;a ;k lyhMj }kjk U;k;ky; e mldk fujh{k.k gh dju fn;k tk,xkA***

पूर्वोक्त प्रावधान के परिशीलन पर, यह स्पष्ट है कि प्रथम परन्तुक न्यायालय को उन दस्तावेजों जिनको अपवर्जित करने का अनुरोध अन्वेषण अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 173 की उपधारा (6) के अधीन किया गया है की आपूर्ति नहीं करने के लिए सशक्त बनाता है। द्वितीय परन्तुक न्यायालय को उन दस्तावेजों जो अत्यन्त भारी–भरकम है को प्रतियों को अभियुक्त को देने के बजाय अभियुक्त को उन दस्तावेजों का निरीक्षण करने का निर्देश देने के लिए सशक्त बनाता है। अत: यह उन स्थितियों तक सीमित है जहाँ दस्तावेज अत्यन्त अधिक हैं।

9. स्वीकृत रूप से, अभियुक्त–याची की संबंधित न्यायालय में उपस्थिति के बाद, न्यायालय ने अन्वेषण अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 173 के अधीन दाखिल दस्तावेजों की विशाल संख्या दिया था, किंतु तत्पश्चात अभियुक्त याची ने कम पड़ गए दस्तावेजों (विशेषत: दस्तावेज D1 से D 19) की प्रतियाँ

उनके संलग्नकों और कुछ गवाहों के बयानों जो पठनीय नहीं हैं के साथ आपूर्ति करने का निर्देश सी॰ बी॰ आई॰ को देने की प्रार्थना के साथ विशेष न्यायाधीश के समक्ष विभिन्न याचिकाओं को दाखिल किया।

10. प्रकटत:, पुलिस द्वारा दस्तावेजों की विशाल संख्या जब्त की गयी थी और चूँकि समस्त दस्तावेज पुलिस पेपर के साथ संलग्न थे, यह केवल आवश्यकता नहीं है बल्कि संहिता की धारा 207 के अधीन न्यायालय को अभियुक्त याची को समस्त दस्तावेजों की आपूर्ति करने की आज्ञा दी गयी है, चाहे सी॰ बी॰ आई॰ द्वारा उन पर विश्वास किया गया है या नहीं, यदि ऐसा पृष्ठांकन नहीं था जैसा संहिता की धारा 173 की उपधारा (6) में परिकल्पित किया गया है।

11. ''मनु शर्मा बनाम राज्य (दिल्ली का एन॰ सी॰ टी॰), (2010)6 SCC 1, में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समरुप विवाद्यक पर विचार किया गया था और निम्नलिखित पैराग्राफों में निम्नलिखित रूप से निर्णयाधार विनिश्चित किया गया था:–

*"218. fofèk dh lE;d çfØ;k d flok; vfHk;Dr dh Lor=rk e gLr{ki ugh fd;k tk ldrk gA vfHk0;fDr ^^fofèk dh lE;d çfØ;k** fopkj.k e fu"i{krk lfEefyr djrh le>h tk,xhA U;k;ky; (sic lfgrk) vfHk;Dr dk leLr nLrkotk ,o vkonuk dk çkIr dju rFkk viu ekey d leFku e fdlh vfHky[k vFkok xokg dh çLrrh d fy, vkonu] nu dk vfèkdkj nrk gA vfHk;Dr dk nh x;h ;g loèkkfud vkKk ,o lkfofèkd vfèkdkj vfHk;ktu (vfHk;ktu ,o vfHk;ktd) ij fu"i{k çdVhdj.k dju dh foof{kr ckè;rk vkjkfir djrk gA fu"i{k çdVhdj.k dh èkkj.kk viuh ifjfèk e ml nLrkot dk yxh ftl ij vfHk;ktu fo'okl djuk pkgrk g] pkg bl U;k;ky; e nkf[ky fd;k x;k g ;k ughA og nLrkot vko';dr% vfHk;Dr dk fn;k tkuk pkfg, vkj ,l ekeyk e Hkh tgk vUo"k.k d nkjku vUo"k.k , tUlh }kjk nLrkot lnHkkoiod çkIr fd;k tkrk g vkj vfHk;ktd d er e çkIfxd g vkj lR; ij igpu e enn djxk] og nLrkot Hkh vfHk;Dr dk çdV fd;k tkuk pkfg,A*

*219. vfHk;ktd dh Hkfedk ,o ckè;rk] fo'k"kr% çdVhdj.k d lcèk e] dk gekjh fofèk d vèkhu mld lerY; ugh cuk;k tk ldrk g tk bfXy'k ç.kkyh d vèkhu çpfyr g tlk igy fufn"V fd;k x;k gA fdr blh le; ij] fu"i{k fopkj.k dh ekx dk vun[kk ugh fd;k tk ldrk gA ;g fHkUu ifj.kkek okyk gk ldrk g tgk nLrkot lngkLin :i l vFkok diViod vFkok vfHk;Dr dk vufpr ykHk dkfjr djd vUo"k.k d nkjku çkIr fd;k x;k g] ,l nLrkot dk vfHk;ktd d Lofood e vfHk;Dr dk nu l budkj fd;k tk ldrk Fkk] pkg vfHk;ktu ,l nLrkotk ij fo'okl djrk g ;k ugh] fdr vU; ekeyk e çdV dju dh ckè;rk vfèkd fuf'pr gkxhA tlk igy gh è;ku e fy;k x;k g] èkkjk 207 d çkoèkkuk dk bl fo"k; ij rkfkod çHkko g vkj bldk iBu fnypLi gA ;g çkoèkku u doy vko';d cukrk g vFkok vkKk nrk g fd U;k;ky; dk foyc d fcuk vkj fu%'kYd vfHk;Dr dk ifyl fjikV] çkFkfedh] èkkjk 161 d vèkhu nt 0;fDr;k ftudk ijh{k.k vfHk;ktu xokg d :i e djuk pkgrk g d c;kuk] bdckfy;k c;kuk] fu'p; gh] c;ku vFkok nLrkot d fdlh Hkkx dk vioftr djr g, tlk lfgrk dh èkkjk 173(6) d vèkhu vuè;kr fd;k x;k g] dkb vU; nLrkot vFkok mldk çkIfxd m)j.k ftl ifyl }kjk èkkjk 173 dh mièkkjk (5) d vèkhu nMkfèkdkjh d le{k nkf[ky fd;k x;k g] dh çfr;k nuh pkfg,A èkkjk 173 d çkoèkkuk tgk foèkkueMy u vfHk0;fDr ^^nLrkot ftu ij vfHk;ktu fo'okl djuk pkgrk g** dk mi;kx fd;k g] d çfr fojkèk e lfgrk dh èkkjk 207 d vèkhu*

mi;kx ugh fd;k x;k gA vr%] lfgrk dh èkkjk 207 d çkoèkkuk dk mnkj ,o çkIfxd vFk nuk gkxk rkfd bldk mí'; çkIr fd;k tk ldA doy ;gh ugh] èkkjk 173(5) d vèkhu fjikV d lkFk nMkfèkdkjh dk çLrr fd, x, nLrkotk dk mu nLrkotk dk lfEefyr djrk le>k tk,xkA ftl lfgrk dh èkkjk 170(2) dh vko';drk d erkfcd vUo"k.k d nkjku nMkfèkdkjh dk Hktk tkuk gkxkA

220. nLrkotk d çdVhdj.k d lcèk e vfHk;Dr dk vfèkdkj lhfer vfèkdkj g fdr ;g lfgrkc) g vkj fu"i{k vUo"k.k ,o fopkj.k dh ey vkèkkjf'kyk gA ,l ekeyk ij] vfHk;Dr ifyl Qkby d çR;d nLrkot vFkok Hkkxk ftUg U;k;ky; d vkn'k d erkfcd èkkjk 173(2) d vèkhu fjikV d lkFk lyXu nLrkotk l vioftr dju dh vuefr nh x;h g dk nkok dju d fy, vijkt; fofèkd vfèkdkj gku dk nkok ugh dj ldrk gA fdr vfHk;Dr d dfri; vfèkdkj lfgrkc) fofèk l vkj ,lh loèkkfud vfèkdkfjrk dh lkE;ki.k èkkj.kk l nkuk l çokfgr gkr g D;kfd ,lh çfØ;k dk lkjoku ifjoru fu"i{k fopkj.k dk vkèkkj gh foQy dj nxkA èkkjkvk 207, 243 lg&ifBr èkkjk 173 d çkoèkku d foLrkj d dk;{k= d vrxr nLrkotk dk nkok djuk vkj lfgrk dh èkkjk 91 d vèkhu nLrkot leu dju dh U;k;ky; dh 'kfDr fl)krk dk 0;Dr ,o çkoèkkfur djrh g tk c;kuk ,o nLrkotk ftUg vfHk;ktu u vUo"k.k d nkjku lxfgr fd;k g vkj ftu ij o fo'okl djr g dh çfr;k dk nkok dju dk vfHk;Dr dk vfèkdkj 'kkfIr djxA

*221. ;g dguk U;k;ky; d fy, ef'dy gkxk fd vfHk;Dr dk nLrkotk dh çfr;k dk nkok dju vFkok U;k;ky; l nLrkot tk tujy Mk;jh d Hkkx g dk mle dfFkr fofèk d ey vo;ok dk lr"V dju d vè;èkhu çLrr dju dk vujkèk dju dk vfèkdkj ugh gA nLrkot ftl lnHkkoiod çkIr fd;k x;k g vkj ftl dk vfHk;ktu d ekey ij çHkko g vkj ykd vfHk;ktd d er e bl U;k; ,o fu"i{k vUo"k.k ,o fopkj.k d fgr e vfHk;Dr dk çdV ,o çLrr fd;k tkuk pkfg,] rc ml nLrkot dk vfHk;Dr dk fu"i{k cpko dk volj ml nu d fy, çdV fd;k tkuk pkfg,] fo'k"kr% tc ,l nLrkot dh xj çLrrh vFkok çdVhdj.k nkfMd U;k; ç'kklu dk vkj vfHk;Dr d cpko dk çfrdy :i l çHkkfor djxhA***

12. एक अन्य निर्णय **''वी॰ के॰ शशिकला'' (ऊपर)** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **''मनु शर्मा'' (ऊपर)** के पूर्वोक्त मामले पर विचार करते हुए पैराग्राफ सं॰ 18 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

15. eu 'kek cuke jkT; (fnYyh dk ,u0 lh0 Vh0) e gky dh mn?kk"k.kk e] ftl dk gee l ,d (lFkkf'koe] U;k;efr) i{k Fk] ykd vfHk;ktd dh Hkfedk vkj çdVhdj.k d ml dr0;k ij bl U;k;ky; }kjk 0;kid :i l ,o xgjkb l fopkj fd;k x;k gA bl U;k;ky; u vfHkfuèkkfjr fd;k g fd ;|fi ykd vfHk;ktd dk e[; dUk0; ;g lfuf'pr djuk g fd vfHk;Dr nfMr fd;k tk;] ml dk dr0; dk;okgh e fu"i{krk lfuf'pr dju rd vkj ;g Hkh lfuf'pr dju rd foLrkfjr gkrk g fd lR; d U;k;kfpr fofu'p;dj.k d fy, leLr çkIfxd rF;k ,o ifjfLFkfr;k dk U;k;ky; d è;ku e yk;k tk; rkfd lE;d U;k; vfHkHkkoh gk ldA vuPNnk 19 ,o 21 d vèkhu ukxfjdk dk vfèkdkj ikf"kr dju d fy, vUo"k.kh; çfØ;k dh fu"i{krk ,o nkfMd fopkj.k e U;k;ky; dh lfØ; Hkfedk ij bl U;k;ky; }kjk lex :i l fopkj fd;k x;k gA vr%] ;g vfHkfuèkkfjr fd;k x;k Fkk fd ;g lfuf'pr djuk vUo"k.k ,tUlh dk vkj U;k;ky;k dh Hkh

ftEenkjh g fd çR;d vUo"k.k fu"i{k g vkj flok, fofèk d vu#i fdlh 0;fDr dh Lor=rk tM l ugh dkVrk gA ;g Hkh vfHkfuèkkfjr fd;k x;k Fkk fd U;k;kfpr] fu"i{k ,o ikjn'kh vUo"k.k LFkkfir igyvk e l ,d vfHk;Dr dk ,l leLr nLrkotk dk ekxu dk vfèkdkj g ftudk og nM çfØ;k lfgrk d }kjk vuè;kr ;ktuk d vèkhu gdnkj gk ldrk gA mDr ;ktuk ij bl U;k;ky; }kjk bl fjikV d fofHkUu ijkxkQk e lE;d :i l fopkj fd;k x;k FkkA

दांडिक विविध 79/2014: आशुतोष वर्मा बनाम सी॰ बी॰ आई॰ ने दिनांक 4.12.2014 को पारित दिल्ली उच्च न्यायालय के अप्रकाशित निर्णय में माननीय न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों पर विचार करने के बाद पैराग्राफों 27 एवं 28 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

"27. ;fn vfHk;ktu dk ml pht dk jkdu dh vuefr nh tkrh g tk vfHk;Dr d fy, viuk ekeyk LFkkfir dju d fy, egRoi.k lk{; gk ldrk Fkk] cbeku vUo"k.k ,tUlh ijh vklkuh l U;k;ky; dk vèkdkj e j[ku e l{ke gkxhA pfd lh0 ch0 vkb0 }kjk fojfpr vkjki nkfMd çÑfr d g] ;kph dk ,lh ifjfLFkfr;k d vèkhu viuk cpko dju dk i.k vfèkdkj g ftl ç;ktu l leLr vko';d çdVhdj.kk dk n0 ç0 l0 d vèkhu vfèkdfFkr çfØ;kvk d vu#i lE;d :i l fd;k tkuk gkxkA vfHk;Dr mu nLrkotk dh ekx dj ldrk g tk mldk cpko jkdr g vkj ml Lo; dk lefpr :i l cpko dju l jkdk tk,xk tc rd vUo"k.k d nkjku lxfgr fd;k x;k leLr lk{; vfHk;Dr dk ugh fn;k tkrk gA cpko dh r;kjh igy fnu l djuh gkxh vkj u fd rnFk vkèkkj ij ftl budkj Hkkjr d lfoèkku e ;Fkk çfr"Bkfir vfHk;Dr d vfèkdkjk dk çfrdy :i l çHkkfor djxkA

*28. iokfYyf[kr fu.k;k e lfDr dh nf"V e] bl U;k;ky; dk er g fd ;kph dk mu nLrkotk ftud lcèk e ;kfpdk e çkFkuk, dh x;h g rd igp l ek= blfy, budkj ugh fd;k tk ldrk g fd lh0 ch0 vkb0 bl çklfxd ugh le>rk gA ;fn ,lh ifjfLFkfr g tk mnHkkr gkrh g ftle vfHk;Dr nLrkotk dk bfllr djrk g tk ml d ekeyk dk leFku djr g vkj vfHk;ktu ekeyk dk leFku ugh djr g vkj vUo"k.k vfèkdkjh bu nLrkotk dk vun[kk djrk g vkj doy mu nLrkotk dk vxlj djrk g tk vfHk;ktu d i{k e g] ,l ifjn';e] vfHk;Dr dk ,lk nLrkot miyCèk djkuk vUo"k.k vfèkdkjh dk dr0; gkxkA***

उक्त निर्णयों के परिशीलन पर, यह प्रतीत होगा कि **''वी॰ के॰ शशिकला'' (ऊपर)** के मामले में, संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त याची का बयान दर्ज किए जाने के समय पर अभियुक्त याची की ओर से कतिपय दस्तावेजों की आपूर्ति के लिए प्रार्थना की गयी थी और सर्वोच्च न्यायालय ने अभियोजन को उन दस्तावेजों की आपूर्ति करने की अनुमति दिया था, यद्यपि यह विचारण के अंतिम छोर पर था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णयों में निर्णयाधार यह अभिनिर्धारित करते हुए विनिश्चित किया है कि पुलिस रिपोर्ट तथा अन्य समस्त दस्तावेजों जो पुलिस रिपोर्ट के भाग हैं एवं अन्य दस्तावेज अथवा उनके उद्धरण जिन्हें पहले ही अन्वेषण के क्रम के दौरान संहिता की धारा 173 की उपधारा (5) के अधीन न्यायालय को प्रस्तुत किया गया है की प्रतियों को विलंब के बिना तथा निःशुल्क अभियुक्त को आपूर्ति अथवा प्रस्तुत करना संहिता की धारा 207 के प्रावधान के अधीन न्यायालय को दी गयी आज्ञा है। अभियुक्त का अधिकार यद्यपि सीमित है किंतु संहिताबद्ध है। कतिपय दस्तावेजों का गैर प्रकटीकरण दांडिक न्याय प्रशासन एवं अभियुक्त का बचाव प्रभावित करेगा।

13. वर्तमान मामले में, याची द्वारा कार्यवाही के अत्यन्त आरंभिक चरण पर विशेष न्यायालय के समक्ष कम पड़ गए दस्तावेजों की आपूर्ति के लिए प्रार्थना की गयी है और आरोप भी विरचित नहीं किए गए हैं। जैसी प्रार्थना बचाव द्वारा की गयी है, कम पड़ गए दस्तावेजों की गैर आपूर्ति याची के निष्पक्ष विचारण का अधिकार निश्चय ही कम करेंगे जैसा भारत के संविधान के अनुच्छेदों 19 एवं 21 में प्रतिष्ठापित किया गया है। मामला यह नहीं है कि सी॰ बी॰ आई॰ ने उन आवश्यक दस्तावेजों को पुलिस पेपर के साथ दाखिल नहीं किया है बल्कि याची कतिपय दस्तावेजों की मांग कर रहा है जो पुलिस पेपर के भाग हैं। याची को मात्र इसलिए उन दस्तावेजों तक उसकी पहुँच से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि सी॰ बी॰ आई॰ ने उन दस्तावेजों पर विश्वास नहीं करने का निर्णय किया है अथवा सी॰ बी॰ आई॰ उन दस्तावेजों को प्रासंगिक नहीं मानता है। यह अतात्विक है कि क्या सी॰ बी॰ आई॰ द्वारा उन दस्तावेजों पर विश्वास किया जाएगा या नहीं, निष्पक्ष न्याय एवं विचारण के हित में, ऐसे दस्तावेजों को अभियुक्त को उसे अपने निष्पक्ष बचाव का अवसर देते हुए प्रकट किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना न्यायालय का कर्तव्य है कि अभियुक्त को न्यायोचित, निष्पक्ष एवं पारदर्शी विचारण से वंचित नहीं किया जाय।

14. उपर की गयी चर्चा की दृष्टि में, अपर न्यायिक आयुक्त XVII–सह–विशेष न्यायाधीश, सी॰ बी॰ आई॰, राँची द्वारा पारित आक्षेपित आदेश एतद्द्वारा अभिखंडित किया जाता है। परिणामस्वरुप, यह आवेदन संबंधित न्यायालय को अभियुक्त याची को उन समस्त कम पड़ गए दस्तावेजों जिनके लिए विभिन्न आवेदनों में उसके द्वारा प्रार्थना की गयी है की आपूर्ति करने के निर्देश के साथ अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk] U;k;efr

नागेन्द्र ठाकुर

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 5909 of 2015. Decided on 9th August, 2016.

झारखंड पेंशन नियमावली, 2001—नियम 43 (b)—सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय कार्यवाही आरंभ किया जाना–आरोप ज्ञापन विभागीय कार्यवाही के आरंभ होने से चार वर्ष पहले की अवधि से संबंधित है–इस दशा में, इसे विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है–याची के विरुद्ध आरंभ की गयी संपूर्ण विभागीय कार्यवाही बिल्कुल दूषित है और इसी आधार पर इसे खारिज करना होगा–रिट आवेदन अनुज्ञात किया गया। (पैराएँ 13 से 15)

निर्णयज विधि.–1995 Supp. (3) SCC 56—Relied. WP (s) No. 6515 of 2013 in 2014 (2) JBCJ 358—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s Manoj Tandon, Shiv Shankar Kumar, Kumari Rashmi, Ashok Kumar Singh, Navin Kr. Singh & Micky Kumari, For the Petitioner; Mr. Md. Shamim Akhtar, For the Resp.-State.

न्यायालय द्वारा.–याची के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. रिट याचिका के परिशिष्ट 12 में यथा अंतर्विष्ट याची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ करते हुए राज्य सरकार के संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विभाग, झारखंड, राँची द्वारा जारी दिनांक 5.8.2014 के मेमो सं॰ 298 में अंतर्विष्ट संकल्प से व्यथित होकर याची ने इसके अभिखंडन के लिए और उसके विरुद्ध आरंभ की गयी संपूर्ण विभागीय कार्यवाही के अभिखंडन के लिए भी यह रिट आवेदन दाखिल किया है।

3. अनावश्यक विवरणों से रहित, इस मामले के तथ्य संक्षिप्त हैं। याची को वर्ष 1984 में तत्कालीन बिहार के एकीकृत राज्य में बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-II कैडर में नियुक्त किया गया था। वह दिनांक 31.1.2014 को सेवा से अधिवर्षित हुआ जब वह क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, कोलहन डिविजन, चाईबासा का पद धारण कर रहा था। वर्ष 2006 में, याची को क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, उत्तर छोटानागपुर डिविजन, हजारीबाग में पदस्थापित किया गया था जहाँ हजारीबाग में उसकी पदस्थापना के दौरान उसके विरुद्ध कुछ अभिकथनों के कारण याची को निलंबनाधीन किया गया था और रिट आवेदन ने परिशिष्ट 8 के रूप में अभिलेख पर लाए गए दिनांक 15.10.2013 के मेमो सं॰ 170 में यथा अंतर्विष्ट राज्य सरकार के संकल्प द्वारा उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ की गयी थी। उक्त संकल्प के साथ आरोप ज्ञापन भी याची पर परिशिष्ट 'क' के रूप में तामील किया गया था जो याची द्वारा वर्ष 2006 में किए गए अभिकथित अपचार से संबंधित था।

4. याची ने उक्त आदेश, जिसके द्वारा उसे निलंबनाधीन किया गया था, को डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 6515 वर्ष 2013* में इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दिया। यह पाने पर कि आदेश राज्यपाल के नाम में जारी नहीं किया गया था और राज्यपाल द्वारा बनायी गयी नियमावली में विनिर्दिष्ट तरीके से अभिप्रमाणित नहीं किया गया था, इस न्यायालय ने रिट आवेदन के परिशिष्ट 9 में यथा अंतर्विष्ट डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 6515 वर्ष 2013* में पारित दिनांक 30.1.2014 के आदेश द्वारा दिनांक 15.10.2013 का उक्त मेमो अभिखंडित कर दिया और रिट याचिका अनुज्ञात किया। अगले दिन अर्थात्, दिनांक 31.1.2014 को याची सेवा से अधिवर्षित हुआ।

5. सेवा से याची की अधिवर्षिता के बाद दिनांक 5.8.2014 के मेमो सं॰ 298 में यथा अंतर्विष्ट आक्षेपित संकल्प मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड, राँची में राज्य सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा जारी किया गया था जो रिट आवेदन के परिशिष्ट-12 में अंतर्विष्ट है। नए संकल्प में, त्रुटि जिसके लिए पूर्व आदेश इस न्यायालय द्वारा अभिखंडित किया गया था, सुधारी गयी थी। चूँकि याची पहले ही अधिवर्षित हो चुका था, याची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ करने वाले झारखंड पेंशन नियमावली की धारा 43 (b) के प्रावधान के अधीन दिनांक 5.8.2014 का आक्षेपित आदेश जारी किया गया था। इस संकल्प के साथ भी, परिशिष्ट-'क' के रूप में आरोप ज्ञापन संलग्न किया गया था जो दिनांक 15.10.2013 के पूर्व संकल्प में यथा अंतर्विष्ट दिनांक 15.10.2013 का वही आरोप ज्ञापन है। इस आदेश के अनुसरण में, विभागीय कार्यवाही जारी रही और दिनांक 10.9.2014 को जाँच रिपोर्ट भी दाखिल की गयी है जो रिट आवेदन के परिशिष्ट 15 में अंतर्विष्ट है और याची को द्वितीय कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है। याची ने परिशिष्ट-12 में यथा अंतर्विष्ट दिनांक-5.8.2014 के संकल्प जिसके द्वारा उसके उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ किया गया है को चुनौती देते हुए इस रिट आवेदन को दाखिल किया है।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि नयी विभागीय कार्यवाही आरंभ करने वाला आदेश बिल्कुल अवैध है और विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि स्वीकृत रूप से परिशिष्ट-12 में यथा अंतर्विष्ट आक्षेपित संकल्प के साथ संलग्न आरोप ज्ञापन स्पष्टत: दर्शाता है कि वे वर्ष 2006 की अवधि के हैं अर्थात् उसकी सेवा निवृत्ति के दिन के चार वर्ष से काफी पहले के हैं। विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन करते हुए कि नियम 43 (b) का परन्तुक (a) (i) (ii) स्पष्टत: किसी घटना जो ऐसी कार्यवाही के संस्थापन के चार वर्ष से अधिक पहले हुई थी के लिए कोई विभागीय कार्यवाही आरंभ किया जाना प्रतिषिद्ध करती है, झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) पर भी विश्वास किया

---

* JBCJ 2014(2) पृष्ठ 358 में प्रकाशित।

है। इस परन्तुक पर विश्वास करते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उसकी सेवानिवृत्ति के बाद वर्ष 2006 से संबंधित अभिकथित आरोपों के लिए याची के विरुद्ध नयी विभागीय कार्यवाही आरंभ करने वाला दिनांक 5.8.2014 का आक्षेपित संकल्प विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि रिट आवेदन के परिशिष्ट–9 में अंतर्विष्ट आदेश द्वारा इस न्यायालय ने दिनांक 15.10.2013 के मेमो सं॰ 170 में यथा अंतर्विष्ट संपूर्ण संकल्प अभिखंडित कर दिया था, जिसके द्वारा याची को निलंबन के अधीन किया गया था और विभागीय कार्यवाही आरंभ की गयी थी यद्यपि याची ने उक्त रिट आवेदन में केवल अपने निलंबन को चुनौती दिया था। यह निवेदन किया गया है कि संपूर्ण आदेश उसी दुर्गुण से पीड़ित है और तद्नुसार, इसे इस न्यायालय द्वारा डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 6515 वर्ष 2013 में पारित दिनांक 30.1.2014 के आदेश द्वारा अभिखंडित किया गया था जैसा रिट आवेदन के परिशिष्ट–9 में अंतर्विष्ट है। यह निवेदन किया गया है कि दिनांक 30.1.2014 के उक्त आदेश में यह कथन कहीं नहीं किया गया है कि आक्षेपित आदेश, जहाँ तक यह केवल याची के निलंबन से संबंधित है, अभिखंडित किया गया था, बल्कि राज्य सरकार द्वारा जारी संपूर्ण मेमो अभिखंडित किया गया था और नयी विभागीय कार्यवाही आरंभ करने के लिए राज्य सरकार को स्वतंत्रता नहीं दी गयी थी। इस दशा में, रिट याचिका के परिशिष्ट–12 में यथा अंतर्विष्ट दिनांक 5.8.2014 का आक्षेपित संकल्प भी रिट आवेदन के परिशिष्ट–9 में यथा अंतर्विष्ट डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 6515 वर्ष 2013 में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 30.1.2014 के आदेश के विरोध में है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि यदि दिनांक 5.8.2014 के नए संकल्प के साथ दिनांक 15.10.2013 का वही आरोप ज्ञापन तामील किया गया है, यह कथन कहीं नहीं किया गया है कि पूर्व विभागीय कार्यवाही याची के विरुद्ध पुन: चालू की गयी थी बल्कि आक्षेपित संकल्प स्पष्टत: उपदर्शित करता है कि याची के विरुद्ध नयी विभागीय कार्यवाही आरंभ की गयी है।

7. अपने प्रतिवाद के समर्थन में, याची के विद्वान अधिवक्ता ने **बिहार राज्य एवं अन्य बनाम मो॰ इदरीस अंसारी, 1995 Supp (3) SCC 56,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है जिसमें प्रत्यर्थी को विभागीय कार्यवाही में अधिनिर्णीत दंड उच्च न्यायालय द्वारा अभिखंडित कर दिया गया था, और तत्पश्चात प्रत्यर्थी सेवा से सेवानिवृत हुआ था। उसकी सेवा निवृत्ति के बाद, प्रत्यर्थी पर पुन: नोटिस तामील किया गया था कि चूँकि वह पहले ही सेवा से सेवानिवृत हो चुका था और आरोपों की अवधि चार वर्ष से पहले की थी, नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती थी और तद्नुसार, उसे यह कारण बताने के लिए नोटिस दिया गया था कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के अधीन उसके पेंशन की 70% कटौती क्यों नहीं की जानी चाहिए। बाद में, उसके पेंशन का 70% रोकते हुए आदेश भी पारित किया गया था। उन तथ्यों की पृष्ठभूमि में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप से विधि अधिकथित किया:

> *"7. bu çkoèkkuk ij nf"V ek= n'kkrk g fd lokfuoÙk ljdkjh lod d vfHkdfFkr vopkj d lcèk e fu;e 43 (b) d vèkhu 'kfDr dk ç;kx dju d igy ;g n'kkuk gh gkxk fd foHkkxh; dk;okgh e vFkok U;kf;d dk;okgh e lcfèkr ljdkjh lod dk xHkhj vopkj dk nk"kh ik;k x;k gA ;g bl mifjdk d vè;èkhu Hkh g fd ,lh foHkkxh; dk;okgh ml vopkj d lcèk e gkxh tk ,lh dk;okgh d vkjHk fd, tku d igy pkj o"k l vfèkd ijkuh ugh gkA -------------- fnukd 17.10.1987 d ifod ukfVl ij fo'okl djuk çkfèkdkfj;k d fy, leku :i l lHko ugh g D;kfd bld vulj.k e dh x;h dk;okgh dk fjV ;kfpdk lO 6696 o"k 1991 e mPp U;k;ky; }kjk vfHk[kfMr dj fn;k x;k Fkk vkj çR;Fkh d fy,*

*doy u;h dk;okgh 'k: dju dh Lor=rk nh x;h FkhA mPp U;k;ky; u çR;Fkh dk fnukd 17.10.1987 d ukfVl d vulj.k e io foHkkxh; dk;okgh dk ml pj.k l] ft l pj.k ij ;g nf"kr gk x;h Fkh] iu% vkjHk dju dh vuefr ugh nh FkhA ----------***

8. पूर्वोक्त निर्णय पर विश्वास करते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस मामले के तथ्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विनिश्चित मामले के तथ्यों के लगभग समरुप हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस तथ्य को ध्यान में लिया था कि उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी को उस चरण जिस पर यह दूषित हो गया से पूर्व विभागीय कार्यवाही पुनः चालू करने की अनुमति नहीं दिया था। वर्तमान मामले में भी वही परिस्थितियाँ हैं। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रिट आवेदन के परिशिष्ट 12 में यथा अंतर्विष्ट दिनांक 5.8.2014 के मेमो सं॰ 298 में अंतर्विष्ट संकल्प और पश्चातवर्ती कार्रवाई विधि में संपोषित नहीं की जा सकती हैं तथा अभिखंडन योग्य है।

9. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन करते हुए प्रार्थना का विरोध किया है कि पूर्व रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 6515 वर्ष 2013 में याची ने अपने विरुद्ध आरंभ की गयी विभागीय कार्यवाही को चुनौती नहीं दिया था। उसने केवल आदेश के उस भाग को चुनौती दिया था जिसके द्वारा याची को निलंबनाधीन किया गया था और दिनांक 15.10.2013 का संकल्प अभिखंडित करके उच्च न्यायालय ने केवल याची का निलंबन, और न कि विभागीय कार्यवाही, अभिखंडित करने का आशय रखा था यद्यपि इसे इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में इतने सारे शब्दों में कथित नहीं किया गया है जैसा रिट आवेदन के परिशिष्ट 9 में अंतर्विष्ट है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि चूँकि पूर्व आदेश के अभिखंडन के बाद याची अधिवर्षित हुआ था, राज्य सरकार के पास झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन याची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ करने के अलावा विकल्प नहीं था किंतु तथ्य बना रहता है कि जब याची सेवा में था, याची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही पहले ही आरंभ की गयी थी और झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन जारी नए आदेश के साथ दिनांक 15.10.2013 का वही आरोप ज्ञापन संलग्न था जैसा रिट याचिका के परिशिष्ट 12 में अंतर्विष्ट है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची की सेवा निवृत्ति के बाद यद्यपि झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) को ध्यान में रखकर नया आदेश पारित किया गया है, किंतु वस्तुतः यह पूर्व विभागीय कार्यवाही है जिसे याची के विरुद्ध उसकी सेवा निवृत्ति के पहले आरंभ किया गया था और दिनांक 5.8.2014 के संकल्प के साथ संलग्न आरोप ज्ञापन भी वही आरोप ज्ञापन है जिसे दिनांक 15.10.2013 के पूर्व संकल्प के साथ संलग्न किया गया था। तद्नुसार, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आक्षेपित आदेश में अवैधता नहीं है और वर्तमान मामले में जाँच पहले ही समाप्त हो गयी है, जाँच रिपोर्ट दाखिल किया गया है और याची को द्वितीय कारण बताओ नोटिस पहले ही जारी किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस चरण पर इस न्यायालय द्वारा याची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही में किसी हस्तक्षेप का मामला नहीं बनाया गया है जो पहले से ही अपनी निर्णायक चरण पर आ गया है।

10. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर और अभिलेख का परिशीलन करने पर मैं पाता हूँ कि यद्यपि दिनांक 15.10.2013 के पूर्व संकल्प में और दिनांक 5.8.2014 के वर्तमान आक्षेपित संकल्प में आरोप ज्ञापन एक ही हैं किंतु तथ्य बना रहता है कि रिट आवेदन के परिशिष्ट–12 में यथा अंतर्विष्ट दिनांक 5.8.2014 का संकल्प स्पष्टतः कथन करता है कि राज्य सरकार ने झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन याची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का निर्णय किया है। इस प्रकार, राज्य के विद्वान अधिवक्ता का प्रतिवाद कि यह पूर्व विभागीय कार्यवाही जारी रखना था, राज्य सरकार के संकल्प द्वारा बिल्कुल समर्थित नहीं है जैसा रिट आवेदन के परिशिष्ट–12 में अंतर्विष्ट है और

इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः, याची को दिनांक 5.8.2014 के संकल्प द्वारा झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन नए सिरे से विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया है और यह कहीं नहीं कथन करता है कि यह उस चरण जहाँ यह दूषित हुआ से पूर्व विभागीय कार्यवाही जारी रखना होगा।

11. झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) का पठन निम्नलिखित है:–

^^43(a) .....

(b) jkT; ljdkj viu ikl i'ku ;k bld fdlh fgLl dk jkd j[ku ;k okil yu d vfèkdkj dk Hkh ljf{kr j[krh g] pkg LFkk;h :i l ;k ,d fofufn"V vofèk d fy,] rFkk ljdkj dk dkfjr fdlh vkfFkd {kfr d dkj.k leph i'ku ;k mld fdlh fgLl l oly dju dk vkn'k dju dk vfèkdkj ljf{kr j[krh g vxj ;kph dk foHkkxh; ;k U;kf;d dk;okgh e xHkhj dnkpkj dk nk"kh ik;k tkrk g(;k dnkpkj ;k ykijokgh d dkj.k lokfuofÙk d mijkUr iufu;ktu ij inÙk lok ler mldh lok d nkjku ljdkj dk vkfFkd {kfr dkfjr dju okyk ik;k tkrk gA

ijUr ;g fd

(a) ,lh foHkkxh; dk;okgh] vxj ljdkjh lod d lokfuofÙk d igy lokjr jgr ;k iufu;ktu d }kjk lfLFkr ugh dh x;h gk(

(i) jkT; ljdkj dh etjh d fcuk lfLFkr ugh dh tk;xh(

(ii) ,d ,lh ?kVuk d lcèk e gkxh tk ,lh dk;okgh d lfLFkr fd; tku d pkj o"k l vfèkd le; igy ?kfVr ugh gb Fkh(rFkk

(iii) .....;

(b) .....(rFkk

(c) .....;

***Li"Vhdj.k-**&fu;e d i;ktuk d fy,&*

(a) foHkkxh; dk;okgh lfLFkr ekuh tk;xh tc i'ku iku oky d fo:) fojfpr vkjki ml fuxr fd; tkr g] ;k] vxj ljdkjh lod dk ,d fiNyh frFk l] ,lh frFk ij fuycu d vèkhu dj fn;k x;k g(rFkk

(b) xxx xxx xxx xxx."

12. नियम 43 (b) के परन्तुक (a) (i) (ii) का सादा पठन स्पष्टतः दर्शाता है कि यदि विभागीय कार्यवाही आरंभ नहीं की गयी है। जब सरकारी सेवक कर्तव्य पर था, सेवानिवृत्ति के पहले अथवा सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियोजन के दौरान, उस घटना जो ऐसी कार्यवाही के संस्थापन के चार वर्ष से अधिक समय पहले हुई थी के संबंध में इसे आरंभ नहीं किया जा सकता है। नियम 43 (b) का स्पष्टीकरण स्पष्टतः अधिकथित करता है कि विभागीय कार्यवाही आरंभ की गयी समझी जाएगी जब याची के विरुद्ध विरचित आरोप उसको जारी किए जाते हैं।

13. वर्तमान मामले में, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.10.2013 का पूर्व मेमो सं॰ 170 के अभिखंडन के बाद याची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ करते हुए दिनांक 5.8.2014 के मेमो सं॰ 298 द्वारा नया संकल्प जारी किया गया है और आरोपों का ज्ञापन नए सिरे से तामील किया गया है। यद्यपि

आरोप ज्ञापन दिनांक 15.10.2013 का है किंतु तथ्य बना रहता है कि दिनांक 5.8.2014 को याची पर यह आरोप ज्ञापन पुनः तामील किया गया है और 43 (b) के स्पष्टीकरण (a) के अनुसार, विभागीय कार्यवाही उस तिथि जिस पर नया संकल्प जारी किया गया था अर्थात् दिनांक 5.8.2014 को आरंभ की गयी समझी जाएगी। मैं याची के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन में बल पाता हूँ कि नए सिरे से विभागीय कार्यवाही आरंभ करने के लिए अथवा उस चरण जहाँ यह दूषित हो गया से पूर्व विभागीय जाँच पुनः चालू करने के लिए इस न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को स्वतंत्रता नहीं दी गयी थी और इस न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को ऐसी स्वतंत्रता दिए बिना डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 6515 वर्ष 2013 में दिनांक 30.1.2014 के आदेश द्वारा इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.10.2013 का संपूर्ण मेमो सं॰ 170 अभिखंडित किया गया था। झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन जारी दिनांक 5.8.2014 का नया मेमो स्पष्टतः नियम 43 (b) के परन्तुक (a) (i) (ii) के विरोध में है क्योंकि आरोप ज्ञापन वर्ष 2006 से संबंधित है अर्थात् विभागीय कार्यवाही के संस्थापन के चार वर्ष से पहले की अवधि के साथ। इस दशा में, इसे विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है और याची के विरुद्ध आरंभ की गयी संपूर्ण विभागीय कार्यवाही बिल्कुल दूषित है और इसे इसी आधार पर अभिखंडित करना होगा।

14. पूर्वोक्त चर्चा की दृष्टि में, रिट आवेदन के परिशिष्ट–12 के रूप में अभिलेख पर लाया गया मानव संसाधन विकास विभाग अब विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के रूप में ज्ञात) में राज्य सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा जारी दिनांक 5.8.2014 के मेमो सं॰ 298 में अंतर्विष्ट आक्षेपित संकल्प एतद् द्वारा अभिखंडित किया जाता है। परिणामस्वरुप, जाँच रिपोर्ट और याची को जारी द्वितीय कारण बताओ नोटिस सहित याची के विरुद्ध संपूर्ण विभागीय कार्यवाही भी अभिखंडित की जाती है।

15. तद्नुसार, यह रिट आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ iVy ,o vferkHk dekj xlrk] U;k;efrx.k

नित्या नन्द शर्मा

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

L.P.A. No. 483 of 2014. Decided on 1st August, 2016.

झारखंड पेंशन नियमावली, 2001—नियम 43 (b)—अवचार–विभागीय कार्यवाही आरंभ किया जाना–राशि की वसूली–अवचार अभिकथित रूप से वर्ष 1998 में किया गया–यदि अभिकथित अवचार विभागीय कार्यवाही आरंभ किए जाने के चार वर्ष पहले किया गया है, सेवानिवृत्त कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ नहीं की जा सकती है–प्राधिकारी विभागीय जाँच नहीं कर सकते हैं–आक्षेपित निर्देश अपास्त। (पैराएँ 5 एवं 6)

निर्णयज विधि.–(1995) Supp. (3) SCC 56; 1990 (Supp.) 738; (1998) 4 SCC 154; (2005) 6 SCC 636—Relied. 2004 (2) JLJR 426—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s Manoj Tandon, Kumari Rashmi, For the Appellant; M/s LCN Shahdeo, Pratiyush Lal, For the Respondents.

डी॰ एन॰ पटेल, न्यायमूर्ति.–यह लेटर्स पेटेन्ट अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 7166 वर्ष 2012 में दिए गए दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा इस अपीलार्थी द्वारा दाखिल याचिका अंशत: अनुज्ञात की गयी थी और प्रत्यर्थी राज्य द्वारा पारित वसूली का आदेश अभिखंडित एवं अपास्त किया गया है, फिर भी, साथ-साथ, वर्ष 1998 के अभिकथित अवचार के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ करने की स्वतंत्रता राज्य को दी गयी थी।

2. प्रत्यर्थी राज्य द्वारा अभिकथित किया गया है कि जब यह अपीलार्थी आंध्रथारी के दक्षिण कोशी नहर डिविजन में कनीय अभियंता के रूप में सेवारत था, भंडारों में वस्तुओं के रख-रखाव में कुछ वित्तीय अनियमितता हुई थी। इस प्रयोजन से, दिनांक 31.10.2012, 17.11.2012 एवं 28.2.2013 को 14,42,300/- रुपयों की राशि के लिए वसूली के आदेश जारी किए गए थे। अपीलार्थी द्वारा डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 7166 वर्ष 2012 में इन आदेशों को चुनौती दी गयी थी और उन्हें इस अपीलार्थी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई आरंभ करने की स्वतंत्रता प्रत्यर्थी राज्य को देते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त किया गया है जिसके लिए अपीलार्थी ने मुख्यत: इस आधार पर कि अभिकथित अवचार वर्ष 1998 का है, यह लेटर्स पेटेन्ट अपील दाखिल किया है। यह अपीलार्थी (मूल याची) दिनांक 31 अगस्त, 2009 को सेवानिवृत्त हुआ है और इसलिए, झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के मुताबिक, यदि अभिकथित अवचार विभागीय कार्यवाही आरंभ किए जाने के चार वर्ष पहले किया गया है, सेवानिवृत्त कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ नहीं की जा सकती है।

3. अपीलार्थी (मूल याची) के अधिवक्ता ने **1995 Supp (3) SCC 56** के पैराग्राफ 7 एवं 10) में प्रकाशित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है। उक्त निर्णय के आधार पर, अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि रिट याचिका आंशिक रूप से अनुज्ञात करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आरक्षित स्वतंत्रता भी अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने योग्य है क्योंकि वर्ष 1998 के अभिकथित अवचार के लिए वर्ष 2016 में अर्थात् लगभग 18 वर्ष बाद जाँच नहीं की जा सकती है। अन्यथा भी, बासी अवचार के लिए जाँच नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी (मूल याची) के अधिवक्ता ने पूर्वोक्त विधिक प्रतिवाद को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित निर्णय पर विश्वास किया है और मामले के इन समस्त पहलूओं की दृष्टि में, डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 7166 वर्ष 2012 में दिए गए निर्णय के अंतिम पूर्व पैराग्राफ में विभागीय कार्यवाही करने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 के निर्णय एवं आदेश द्वारा दिया गया निर्देश भी अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने योग्य है।

4. प्रत्यर्थी राज्य के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि जब यह अपीलार्थी प्रत्यर्थियों के भंडारों में कनीय अभियन्ता था, उसने गंभीर अवचार किया और 14,42,300/- रुपया मूल्य की अनेक वस्तुओं में त्रुटि थी और, इसलिए, वर्ष 2010 में नोटिस दिया गया था और अंतत:, वसूली आदेश पारित किए गए थे। विद्वान एकल न्यायाधीश ने वसूली के आदेशों को अभिखंडित एवं अपास्त कर दिया है और प्रत्यर्थियों को इस अपीलार्थी के विरुद्ध जाँच करने के बाद नया निर्णय लेने का निर्देश दिया है। जब इस अपीलार्थी ने ऐसी विपुल राशि का दुर्विनियोग किया है, राज्य जाँच करने के बाद राशि वसूल करने के लिए बाध्य है। प्रत्यर्थी प्राधिकारियों के अधिवक्ता ने भी 2004 (2) JLJR 426 में प्रकाशित इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, विशेषत: उसके पैराग्राफों 5 एवं 6 पर विश्वास किया है। पूर्वोक्त निर्णय के आधार पर प्रत्यर्थी राज्य के

विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि यदि राज्य के किसी कर्मचारी ने गलत रूप से लाभ लिया है, उक्त लाभ जिसे गलत रूप से राज्य के कर्मचारी को दिया गया है सदैव वसूला जा सकता है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रत्यर्थियों को जाँच करने और राशि वसूल करने के लिए निर्देश देते हुए मामले के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन किया गया है, अत: यह न्यायालय इस लेटर्स पेटेन्ट अपील को ग्रहण नहीं कर सकता है।

कारण

5. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर और मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, हम एतद् द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्देश अभिखंडित एवं अपास्त करते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग आंध्रथारी में दक्षिण कोशी नहर डिविजन के भंडारों में अभिकथित रूप से कम पायी गयी राशि की वसूली के संबंध में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के सम्यक अनुपालन के बाद अर्थात् उसको समुचित कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद नया निर्णय लेंगे। यह निर्देश एतद् द्वारा मुख्यत: निम्नलिखित कारणों एवं तथ्यों से अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है:–

(i) यह अपीलार्थी (मूल याची) कनीय अभियन्ता के रूप में लघु सिंचाई डिविजन, राँची में सेवारत था।

(ii) यह अपीलार्थी (मूल याची) दिनांक अगस्त 31, 2009 को सेवानिवृत्त हुआ।

(iii) झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) का पठन निम्नलिखित है:–

^^43(a) xxx xxx xx

(b) jkT; ljdkj viu ikl i'ku ;k bl fdlh fgLl dk jkd j[ku ;k okil yu d vfèkdkj dk Hkh ljf{kr j[krh g] pkg LFkk;h :i l ;k ,d fofufn"V vofèk d fy,] rFkk ljdkj dk dkfjr fdlh vkfFkd {kfr d dkj.k leph i'ku ;k mld fdlh fgLl l oly dju dk vkn'k dju dk vfèkdkj ljf{kr j[krh g vxj ;kph dk foHkkxh; ;k U;kf;d dk;okgh e xHkhj dnkpkj dk nk"kh ik;k tkrk g(;k dnkpkj ;k yki jokgh d dkj.k lokfuofÙk d mijkUr iufu;ktu ij inÙk lok ler mld lok d nkjku ljdkj dk vkfFkd {kfr dkfjr dju okyk ik;k tkrk g%

ijUr ;g fd

(a) ,lh foHkkxh; dk;okgh] vxj ljdkjh lod d lokfuofÙk d igy lokjr jgr ;k iufu;ktu d }kjk lfLFkr ugh dh x;h gk(

(i) ***jkT; ljdkj dh etjh d fcuk lfLFkr ugh dh tk;xh(***

(ii) ***,d ,lh ?kVuk d lcèk e gkxh tk ,lh dk;okgh d lfLFkr fd; tku d pkj o"k l vfèkd le; igy ?kfVr ugh gb Fkh(*** *rFkk*

(iii) ,l ikfèkdkj }kjk ,o ,l LFkku ;k LFkkuk ij] tl fd jkT; ljdkj fun'k dj rFkk mu dk;okfg;k ij ykx ifØ;k d vulkj lpkfyr dh tk;xh ftuij lok l c[kkLrxh dk dkb vkn'k fd;k tk ldrk g(

(b) U;kf;d dk;okgh] vxj lokfuofÙk d igy ljdkjh lod d lokjr jgr ;k iufu;ktu d nkjku lfLFkr ugh dh x;h gk] [kM (a) d mi[kM (ii) d vulkj lfLFkr dh tk;xh(rFkk

(c) ***vfre vkn'kk d ikfjr fd; tku d igy fcgkj ykd lok vk;kx l e=.kk fd;k tk;xkA***

Li"Vhdj.k-&fu;e d i;ktuk d fy,&

*(a) **foHkkxh; dk;okgh lfLFkr ekuh tk;xh tc i'ku iku oky d fo:) fojfpr vkjki ml fuxr fd; tkr g] ;k** vxj ljdkjh lod dk ,d fiNyh frfFk l] ,lh frfFk ij fuycu d vèkhu dj fn;k x;k g(rFkk*

(b) U;kf;d dk;okgh lfLFkr ekuh tk,xh(

(i) nkfMd dk;okgh d ekey e] ml frfFk dk tc ,d nkfMd U;k;ky; e ,d ifjokn fd;k tkrk g ;k ,d vkjki i= nkf[ky fd;k tkrk g(rFkk

*(ii) flfoy dk;okfg;k d ekey e] ml frfFk dk tc ,d flfoy U;k;ky; d le{k ,d ifjokn iLrr fd;k tkrk g] ;k ,d vkonu fd;k tkrk g] tk Hkh fLFkfr gk** ¼tkj Mkyk x;k½*

(iv) पूर्वोक्त नियमावली की दृष्टि में, यह प्रतीत होता है कि यदि राज्य विभागीय जाँच करना चाहता है, तब यह सदैव ऐसी जाँच कर सकता है परन्तु यह कि अपचारी कर्मचारी द्वारा विभागीय कार्यवाही आरंभ किए जाने से चार वर्ष पहले अवचार किया गया है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, अभिकथित अवचार वर्ष 1998 का है। यह अपीलार्थी भी दिनांक 31 अगस्त, 2009 को सेवानिवृत्त हुआ। अतः पूर्वोक्त नियमावली की दृष्टि में प्रत्यर्थी प्राधिकारी विभागीय जाँच नहीं कर सकते हैं।

(v) **बिहार राज्य एवं अन्य बनाम मो॰ इदरीस अंसारी, (1995)Supp (3) SCC 56** में पैराग्राफों 6 एवं 7 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है:

*"7. bu çkoèkkuk ij nf"V ek= n'kkrk g fd lok fuoÙk ljdkjh lod d vfHkdfFkr vopkj d lcèk e **fu;e 43(b) d vèkhu 'kfDr dk ç;ksx dju d igy** ;g n'kkuk gh gkxk fd foHkkxh; dk;okgh e vFkok U;kf;d dk;okgh e lcfèkr ljdkjh lod dk xHkhj vopkj dk nk"kh ik;k x;k gA ;g bl mifjdk d vè;èkhu Hkh g fd ,lh foHkkxh; dk;okgh **ml vopkj d lcèk e gkxh tk ,lh dk;okgh d vkjHk fd, tkus d igy pkj o"k l vfèkd ijkuh ugh gkA** vr%] ;g çdV g fd vfHkdfFkr vopkj d lcèk e fu;e 43(a) vkj (b) d vèkhu çR;Fkh d fo#) o"k 1993 e dkb foHkkxh; dk;okgh vkjHk ugh dh tk ldrh Fkh D;kfd bl o"k 1986-87 e fd;k x;k vfHkdfFkr fd;k x;k gA **pfd vfHkdfFkr vopkj o"k 1993 rd de l de Ng o"k ijkuk Fkk]** fu;e 43(b) ifjfèk l ckgj FkkA çR;Fkh çkfèkdkfj;k u Hkh bl fofèkd voLFkk dk Lohdkj fd;k tc mUgku fnukd 27.9.1993 dk ukfVl tkjh fd;kA mle Li"V :i l ;g dFku fd;k x;k Fkk fd fu;ekoyh d fu;e 43(b) d vèkhu dkjokb ugh dh tk ldrh g D;kfd vkjkik dh vofèk pkj o"k l vfèkd ijkuh gk x;h gA fnukd 17.10.1987 d ifod ukfVl ij fo'okl djuk çkfèkdkfj;k d fy, leku :i l lHko ugh g D;kfd bld vulj.k e dh x;h dk;okgh dk fjV ;kfpdk lO 6696 o"k 1991 e mPp U;k;ky; }kjk vfHk[kfMr dj fn;k x;k Fkk vkj çR;Fkh d fy, doy u;h dk;okgh 'k: dju dh Lor=rk nh x;h FkhA **mPp U;k;ky; u çR;Fkh dk** fnukd 17.10.1987 d ukfVl d vulj.k e **io foHkkxh; tkp** dk ml pj.k l] ftl pj.k ij ;g nf"kr gk x;h Fkh] iu% vkjHk dju dh vuefr ugh nh FkhA** vr%] çR;Fkh u Hkh fnukd 17.10.1987 dh mDr ukfVl ij fo'okl ugh fd;k Fkk cfYd fnukd 27.9.1993 d vk{kfir ukfVl }kjk u;k foHkkxh; tkp vkjHk fd;kA ifj.kkeLo#i] vihykFkh d fo}ku vfèkoDrk dk fnukd 17.10.1987 dh io mDr ukfVl ij fo'okl dju dh NV ugh gA*

10. tgk rd f}rh; çdkj d ekeyk dk lcèk g] viuh lokofèk d nkjku lcfèkr ljdkjh depkjh dh vkj l xHkhj vopkj dk çek.k iujh{k.k çkfèkdkjh }kjk foHkkxh; dk;okgh vFkok U;kf;d dk;okgh l tk mldh lokofèk d nkjku dh x;h gk vFkok foHkkxh; dk;okgh l ftl bl çdkj d ekeyk e mldh lokfuofÙk d ckn Hkh vkjHk fd;k tk ldrk g] dk<dj fudkyk tkuk gkxkA fdr ,lh foHkkxh; dk;okgh dk fu;e 43(b) dh vko';drkvk dk vuikyu djuk gkxkA ifj.kkeLo#i] fdlh lokfuoÙk ljdkjh lod dk mldh lokfuofÙk d ckn Hkh mld fo#) lpkfyr foHkkxh; dk;okgh d vulj.k e mld lok dfjvj d nkjku xHkhj vopkj dk nk"kh ik;k tk ldrk g fdr ,lh dk;okgh **doy ,l vopkj tk mld fo#) ,l foHkkxh; dk;okgh d vkjHk d pkj o"kZ d Hkhrj fd;k x;k gk]** d lcèk e vkjHk dh tk ldrh FkhA oreku ekey e] çR;Fkh fnukd 31.1.1993 dk lokfuoÙk gvk vkj dkj.k crkvk ukfVl fnukd 27.9.1993 dk xHkhj vopkj d vkèkkj ij tkjh fd;k x;k Fkk vkj u fd bl vkèkkj ij fd ;kph dk lok vfHky[k ijh rjg l lrk"k tud ugh FkkA bl jkT; ljdkj }kjk etjh nu oky çkfèkdkjh d :i e tkjh fd;k x;k FkkA vr% bldk iBu fu;e 43(b) d lkFk djuk FkkA vr%] ,l ukfVl dkb vopkj vkPNkfnr dj ldrk Fkk ;fn bl fnukd 27.9.1993 d pkj o"k d Hkhrj fd;k x;k Fkk] rn}kjk ftldk vFk g fd bl fnukd 26.9.1989 l fnukd 31.1.1993 tc çR;Fkh lokfuoÙk gvk dh vofèk d nkjku fd;k tkuk pkfg, FkkA doy ,l vopkj d ekey e] çR;Fkh d fo#) fu;e 43(b) d vèkhu foHkkxh; dk;okgh vkjHk dh tk ldrh FkhA ,lh dk;okgh e] ;fn ml vopkj dk nk"kh ik;k x;k Fkk] mld fo#) fu;e 139(a) ,o (b) d vèkhu lefpr :i l vxlj gvk tk ldrk FkkA oreku ekey d rF;k ij mPp U;k;ky; l lger gkr g, ;g vfHkfuèkkfjr djuk gh gkxk fd fu;e 139(a) ,o (b) d vèkhu 'kfDr;k dk voyc yr g, fnukd 27.9.1993 dk ukfVl i.kr% vfHkdfFkr foxr vopkj d vkèkkj ij tkjh fd;k x;k Fkk vkj bl vkèkkj ij vkèkkfjr ugh Fkk fd çR;Fkh dk lok vfHky[k ijh rjg l lrk"k tud ugh FkkA tgk rd ml vkèkkj dk lcèk Fkk] fu;e 43(b) ,o fu;e 139(a) d l;Dr iBu ij bl fu"d"k l cpk ugh tk ldrk g fd pfd vfHkdfFkr vopkj çR;Fkh }kjk frfFk ftl ij fnukd 27.9.1993 dk dkj.k crkvk ukfVl tkjh fd;k x;k Fkk l pkj o"k igy fd;k x;k Fkk] vihykFkh çkfèkdkjh dk fl) vopkj d vkèkkj ij çR;Fkh d fo#) fu;e 139(a) ,o (b) dk voyc yu dh 'kfDr ugh FkhA ifj.kkeLo#i] ;g vfHkfuèkkfjr djuk iMk Fkk fd fu;e 139 d vèkhu dk;okgh i.kr% v{ke FkhA mPp U;k;ky; fnukd 13.12.1993 dk vfre vkn'k vfHk[kfMr dju e leku :i l U;k;kfpr Fkk D;kfd ,l vopkj dk çek.k ugh gA fu;e 139(a) ,o (b) d vèkhu dk;okgh okil Hktu dk ç'u 'k"k ugh jgxk D;kfd vfHkdfFkr xHkhj vopkj o"k 1986-87 l pkj o"kZ d volku d ckn fdlh foHkkxh; dk;okgh e LFkkfir ugh fd;k tk ldk Fkk] bl n'kk e] dk;okgh Li"Vr% fu;e 43(b) ijUrd (a) (ii) }kjk oftr gkxhA ifj.kkeLo#i] fnukd 27.9.1993 d dkj.k crkvk ukfVl dk vkjHk l gh enk ink f'k'k ,o çHkkoghu d :i e ekuuk gkxkA fjekUM d :i e fdlh u;h dk;okgh dk leFku dju d fy, ,l ukfVl dk lgkjk ugh fy;k tk ldrk gA bu leLr dkj.kk l] bl vihy e gekj gLr{ki d fy, ekeyk ugh cuk;k x;k gA ifj.kkeLo#i] vihy foQy gkrh g vkj [kkfjt dh tkrh gA 0;; dk ydj vkn'k ugh gA

(tkj fn;k x;k)

(vi) निर्णय की दृष्टि में, यदि अपचारी द्वारा किया गया अभिकथित अवचार विभागीय कार्यवाही आरंभ होने की तिथि से चार वर्ष पहले का है, राज्य के अपचारी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ नहीं की जा सकती है। डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 7166 वर्ष 2012 में निर्णय के अनंतिम पैराग्राफों में निर्देश देते हुए दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 के निर्णय एवं आदेश में मामले के इन पहलूओं का विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है, अत:, ऐसा निर्देश अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने योग्य है।

(vii) अन्यथा भी, अभिकथित अवचार वर्ष 1998 का है और अगस्त, 2016 में अर्थात् 18 वर्ष बाद नयी जाँच करने की अनुमति दी गयी है। अत: नियमावली के नियम 43 (b) के मुताबिक अभिकथित अवचार के लिए जाँच नहीं किया जा सकता है। अन्यथा भी, अभिकथित अवचार बिल्कुल बासी है।

(viii) **मध्य प्रदेश राज्य बनाम बानी सिंह एवं एक अन्य, 1990 (Supp)738** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

*"4. fnukd fnlcj 16, 1987 d vkn'k d fo#) vihy bl vkèkkj ij nkf[ky dh x;h g fd vfèkdj.k dk ek= foyc vkj f<ykb d vkèkkj ij dk;okgh vfHk[kfMr ugh djuk pkfg, Fkk ge ekey dk x.kx.k ij fofuf'pr dju d fy, tkp d pyr jgu dh vuefr nuk pkfg, FkkA ge fo}ku vfèkoDrk d bl çfrokn l lger gku e v{ke gA vfu;ferrk,] tk tkp dh fo"k; oLr g] o"k 1975-77 d chp dh x;h crk;h tkrh gA foHkkx dk ekeyk ;g ugh g fd o mDr vfu;ferrkvk ;fn gk l voxr ugh Fk vkj mUg doy o"k 1987 e bldk irk pykA mud vulkj] vfçy] 1977 e gh mDr vfu;ferrkvk e vfèkdkjh dh vrxLrrk d ckj e lng Fkk vkj rc l vUo"k.k py jgk FkkA ;fn ,lk g] ;g lkpuk v;fDr;Dr g fd mUgku foHkkxh; dk;okgh vkjHk dju e ckjg o"k l vfèkd le; fy;k tk vfèkdj.k }kjk dFku fd;k x;k gA vkjki eek tkjh dju e vR;fèkd foyc d fy, dkb lrk"ktud Li"Vhdj.k ugh g vkj gekjk nf"Vdk.k ;g Hkh g fd bl pj.k ij foHkkxh; tkp dh vuefr nuk vufpr gkxkA fdlh Hkh fLFkfr e] vfèkdj.k d vkn'k e gLr{ki dju d fy, vkèkkj ugh g vkj rnulkj ge bl vihy dk [kkfjt djr gA*** ¼tkj Mkyk x;k½

(ix) **आंध्र प्रदेश राज्य बनाम एन॰ राधा कृष्णन, (1998)4 SCC 154** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

^^19. leLr ekeyk ij vkj leLr fLFkfr;k e] tgk vu'kklfud dk;okgh fu"df"kr dju e foyc gvk g] ç;kT; fdlh io fofuf'pr fl)kr dk vfèkdfFkr djuk lHko ugh gA D;k ml vkèkkj ij vu'kklfud dk;okgh lekIr dj nh tkuh pkfg,] ml ekey d rF;k vkj ifjfLFkfr;k ij çR;d ekey dk ijh{k.k djuk gkxkA ekey dk lkj ;g g fd U;k;ky; dk ;g fofuf'pr dju d fy, leLr çklfxd dkjdk dk fopkj e yuk gkxk vkj mudk lrfyr djuk ,o rkyuk gkxk fd D;k ;g LoPN ,o bekunkj ç'kklu d fgr e g fd foyc d ckn vu'kklfud dk;okgh dk lekIr dju dh vuefr nh tkuh pkfg, fo'k"krk tc foyc vlkekU; g vkj foyc d fy, Li"Vhdj.k ugh fn;k x;k gA vipkjh depkjh dk vfèkdkj g fd ml fo#) vu'kklfud dk;okgh 'kh?kkfr'kh?k fu"df"kr dh tk; vkj ml ekufld onuk Hkxru vkj èkuh; udlku lgu d fy, etcj ugh fd;k tk; tc dk;okgh foyfcr dju e mldh vkj l fdlh xyrh d fcuk bUg vuko';d :i

*l yck [kpk tkrk gA ;g fopkj djus e fd D;k foyc u vu'kklfud dk;okgh dk nf"kr fd;k g] U;k;ky; dk vkjki dh çÑfr] blds tfVyrk vkj fdl dkj.k foyc gvk g ij fopkj djuk gkxkA ;fn foyc dk Li"Vhdj.k ugh g vipkjh depkjh ij dkfjr çfrdyrk lLi"V gk tkrh gA ;g Hkh n[kk tk ldrk Fkk fd vu'kklfud çkfèkdkjh viu depkjh d fo#) vkjki dh tkp dju e fdl gn rd xHkhj gA ;g ç'kklfud U;k; dk ey fl)kr g fd fdlh dk; fo'k"k l U;Lr vfèkdkjh dk bekunkjhiod] n{krkiod vkj fu;ek d vu#i viu drO;k dk ikyu djuk gkxkA ;fn og bl iFk l fopfyr gkrk g] ml fofgr nM Hkxruk gA lkekU;r% vu'kklfud dk;okgh dk çklfxd fu;ek d erkfcd viuk jkLrk r; dju nh tkuh pkfg, fdr rc foyc U;k; dk foQy djrk gA foyc vkjkfir vfèkdkjh ij çfrdyrk dkfjr djrk g tc rd ;g ugh n'kk;k tkrk g fd og foyc dk nk"kh g vFkok tc vu'kklfud dk;okgh lpkfyr dju e foyc dk lefpr Li"Vhdj.k gA vrr% U;k;ky; dk bu nkuk fHkUu fopkjk dk lrfyr djuk gA***

*20. oreku ekey e] ge ikr g fd vfHky[kk d çfr fdlh fun'k d fcuk] ek= egkfun'kd] ,UVh&djl'ku C;jk dh fjikV ij] çR;Fkh ,o nl vU; d fo#) ekf[kd :i l vkj vkjkfir vfèkdkfj;k e l çR;d }kjk fuHkk;h x;h Hkfedk fof'k"VhÑr fd, fcuk vkjki fojfpr fd, x, FkA çR;Fkh d fo#) pkj vkjki FkA mue l rhu d lkFk mldk ljkdkj ugh FkkA mlu pkFk vkjki d lcèk e Li"Vhdj.k fn;k fdr vu'kklfud çkfèkdkjh u blds ijh{k.k djuk ugh puk Fkk vkj u gh blu ;g ekur g, Hkh fd 1991 fu;ekoyh d vèkhu dkjokb oèk :i l vkjHk dh tk jgh Fkh] fdlh tkp vfèkdkjh dk fu;Dr djuk ugh puk FkkA bu leLr o"kk rd tkp dk;okgh fu"df"kr dju e foyc d fy, dkb Hkh Li"Vhdj.k ugh gA ekeyk doy foHkkx d vfHky[kk ij fuHkj Fkk vkj egkfun'kd] ,UVh djl'ku C;jk u bfxr fd;k Fkk fd mld fjikV nu d igy fdlh xokg dk ijh{k.k ugh fd;k x;k FkkA ,d d ckn nlj fu;Dr fd, x, tkp vfèkdkfj;k dk doy ;g n[ku d fy, vfHky[kk dk ijh{k.k djuk Fkk fd D;k vfHkdfFkr foiFku ,o fuek.k voèk ,o vçkfèkÑr Fk vkj rc dku mifofèk;k d fo#) bl ekQ dju vFkok vuekfnr dju d fy, ftEenkj FkkA ;g fdlh dk ekeyk ugh g fd çR;Fkh u fdlh pj.k ij tkp dk;okgh e :dkoV Mkyu vFkok foyc dju dk ç;kl fd;k FkkA vfèkdj.k u lgh çdkj l jkT; dk Li"Vhdj.k Lohdkj ugh fd;k Fkk fd foyc D;k gvkA oLrr% fopkj ;kX; 'kk;n gh dkb Li"Vhdj.k FkkA ifjfLFkfr;k e] vfèkdj.k fnukd 31.7.1995 dk vkjki eek vfHk[kfMr dju vkj fnukd 27.10.1995 rFkk fnukd 1.6.1996 d Kkiuk dk vun[kk djr g, MhO ihO lhO dh vu'klk d erkfcd çR;Fkh dk çkUur dju d fy, jkT; dk fun'k nu e U;k;kfpr FkkA vfèkdj.k u lgh çdkj l bu nk ckn oky Kkiuk dk vfHk[kfMr ugh fd;k FkkA*** (tkj fn;k x;k)

(x) **पी० वी० महादेवन बनाम मो० टी० एन० हाउसिंग बोर्ड**, **(2005)6 SCC 636,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

"8. gekjk è;ku bl vihy e çR;Fkh ckM }kjk nkf[ky çfr'kiFk i= dh vkj [kpk x;k gA ;|fi dN Li"Vhdj.k fn;k x;k Fkk] fn;k x;k Li"Vhdj.k fcYdy fo'okluh;ikd ugh gA çfr'kiFk i= e igyh ckj ;g dFku fd;k x;k g fd o"k 1990 d nkjku vfu;ferrk] ftld

fy, vihykFkh d fo#) o"k 2000 e vu'kkfud dkjokb vkjHk dh x;h Fkh] 1994-95 d f}rh; Hkkx d fy, y[kk ijh{kk fjikV e çdk'k e vk;hA

9. rfeyukM jkT; gkmflx ckM vfèkfu;e] 1961 (rfeyukM vfèkfu;e 17 o"k 1961) dh èkkjkvk 118 ,o 119 dk iBu fuEufyf[kr gS%

"118. çR;d o"k d vr e] ckM ,l o"k d fy, viu çkfIr ,o 0;; d y[kk dk lkj ljdkj dk çLrr djxkA

119. ckM d [kkrk&cgh dk çR;d o"k e ,d ckj ,l y[kk ijh{kd tlk ljdkj bl fufeÙk fu;Dr dj ldrh g }kjk ijh{k.k ,o y[kk ijh{kk fd;k tk,xkA**

10. èkkjk 118 fofufn"V% çR;d o"k d vr ij [kkrk cgh d lkj dk çLrrhdj.k çkoèkkfur djrk g vkj èkkjk 119 y[kk d okf"kd y[kk&ijh{kk l lcfèkr gA bu nk lkfofèkd çkoèkkuk dk fcYdy vuikyu ugh fd;k x;k gA oreku ekey e l0;ogkj o"k 1990 e ?kfVr gvk FkkA 0;;k ij mÙkjorh o"k d y[kk e fopkj fd;k tkuk pkfg, FkkA oreku ekey e] y[kk ijh{kk fjikV vrr% o"k 1994-95 e fueDr dh x;h FkhA y[kk ijh{kk dk vfre :i nu e foyc d fy, fn;k x;k Li"Vhdj.k rfeyukM vfèkfu;e 17 o"k 1961 d mDr nk çkoèkkuk dh nf"V e loh{k.k ij fVdk ugh jg ldrk gA vc ;g dFku fd;k x;k g fd vihykFkh lok l lokfuoÙk gvkA foHkkxh; vu'kkfud dk;okgh vkjHk dju e vkR;fèkd foyc Li"V djrk gvk çR;Fkh dh vkj l Lohdk; Li"Vhdj.k ugh gA fo}ku ojh; vfèkoDrk Jh odVjef.k vihykFkh d fy, mifLFkr gk jg gA mudk fuonu fd vihykFkh }kjk vfu;ferrkvk dh dkfjrk dh frFk l ml frFk tc ;g gkmflx ckM dh tkudkjh e vk;k] rd dh vofèk dk ;g vfHkfuf'pr dju d ç;ktu l ugh fxuk tk ldrk g fd D;k vihykFkh d fo#) vu'kkfud dk;okgh vkjHk dju e ckM dh vkj l dkb foyc Fkk] e x.kkx.k ,o cy ugh gA vc çfr'kiFk i= e bl U;k;ky; e çR;Fkh }kjk fy;k x;k nf"Vdk.k fo'okl kRiknd ugh g vkj doy foyc d fy, dN Li"Vhdj.k nu d fy, ckn e lkpk x;k fopkj gA

11. bu ifjfLFkfr;k d vèkhu gekjk er g fd le; d bl njh ij çR;Fkh dk foHkkxh; dk;okgh e vkx vxlj gku dh vuefr nuk vihykFkh d çfr vR;Ur çfrdykRed gkxkA Hk"Vkpkj vkj fookfnr dr0; d ifr lei.k d vkjkik d vèkhu mPprj ljdkjh inèkkjh dk j[kuk lcfèkr vfèkdkjh dk vlguh; ekufld onuk vkj 0;Fkk dkfjr djxkA vr% ljdkjh depkjh d fo#) nh?kdkfyd vu'kkfud tkp l u doy ljdkjh depkjh d fgr e cfYd ykdfgr e vkj ljdkjh depkfj;k e fo'okl mRiUu dju dh nf"V l Hkh cpkuk pkfg,A bl pj.k ij] tkp dk lekIr djuk vko';d gA vihykFkh igy gh vu'kkfud dk;okgh d dkj.k i;kIr :i l vkj dkQh ihfMr gvk FkkA oLrr% nh?kdkfyd vu'kkfud dk;okgh d dkj.k vihykFkh dh ekufld onuk vkj ihMk nM dh ryuk dh x;h xyfr;k d fy, vihykFkh dk ihfMr gku d fy, etcj ugh djuk pkfg,A**

12. vr% ge vihykFkh d fo#) tkjh vkjki Kkiu vfHk[kfMr dju e ldkp ugh gA vihy vuKkr dh tkrh gA vihykFkh fofèk d

vu:i leLr lokfuofÙk ykHkk dk gdnkj gkxkA lokfuofÙk ykHk bl frfFk l rhu ekg d Hkhrj lforfjr fd;k tk,xkA 0;; dk ydj vkn'k ugh gA *(tkj fn;k x;k)*

(xi) प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने 2004 (2) JLJR 426 में प्रकाशित इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ के निर्णय विशेषत: उसके पैराग्राफों 5 एवं 6 पर विश्वास किया है।

(xii) यह प्रतीत होता है कि इस अपीलार्थी द्वारा दाखिल रिट याचिका में दो विवाद्यक उठाए गए थे,

(a) 14,42,300/- #i;k dh olyh d ckj e]

(b) tkp d ckj eA

यह प्रतीत होता है कि इस अपीलार्थी द्वारा दाखिल रिट याचिका विनिश्चित करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश ने वसूली के आदेशों को अभिखंडित एवं अपास्त कर दिया है और राज्य को विभागीय जाँच करने का निर्देश दिया है। इस प्रकार, रिट याचिका अंशत: अनुज्ञात की गयी थी, क्योंकि वसूली के आदेशों को अभिखंडित एवं अपास्त किया गया था।

(xiii) इस प्रकार, अब अपीलार्थी राज्य को विभागीय कार्यवाही करने के लिए दी गयी स्वतंत्रता से व्यथित है। इस प्रकार, वसूली नोटिसों के अभिखंडन के विरुद्ध प्रत्यर्थी राज्य द्वारा लेटर्स पेटेन्ट अपील दाखिल नहीं की गयी है। पूर्वोक्त निर्णय में, पैराग्राफ 5 एवं 6 में विनिश्चय-आधार वसूली के बारे में है, जबकि लेटर्स पेटेन्ट अपील मुख्यत: इस अपीलार्थी द्वारा दाखिल की गयी है क्योंकि वर्ष 1998 के अभिकथित अवचार के लिए 18 वर्ष बाद अब प्रत्यर्थी द्वारा विभागीय कार्यवाही आरंभ नहीं की जा सकती है, अत: पूर्वोक्त निर्णय प्रत्यर्थी राज्य के अधिवक्ता की मदद नहीं करता है।

6. पूर्वोक्त तथ्यों, कारणों एवं न्यायिक उद्‌घोषणाओं के समेकित प्रभाव के कारण हम एतद् द्वारा रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 7166 वर्ष 2012 विनिश्चित करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 के निर्णय के अनंतिम पैराग्राफों में इस अपीलार्थी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के लिए राज्य को दिया गया निर्देश अभिखंडित एवं अपास्त करते हैं।

7. इस प्रकार, यह लेटर्स पेटेन्ट अपील एतद् द्वारा अनुज्ञात की जाती है और निपटायी जाती है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

संजीव महतो (4241 में)

श्रीमती मानोषी रॉय (2269, 5321 में)

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य (दोनों में)

W.P.(C) Nos. 4241, 2269 with 5321 of 2014. Decided on 26th July, 2016.

झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011—धाराएँ 432 एवं 436—अप्राधिकृत निर्माण–क्या भूखंड जिस पर इसे मंजूर किया गया था पर निर्माण किया जा रहा है और क्या यह पुराने सर्वे नक्शा के अधीन पुराने भूखंड से सह-संबंधित एवं संपुष्ट होता है, ऐसा विवाद्यक है जिसका जे॰ एन॰ ए॰ सी॰ द्वारा सत्यापन किए जाने की आवश्यकता है–जे॰ एन॰ ए॰ सी॰ द्वारा ऐसी चीजों को

यह सुनिश्चित करने के लिए विनिश्चित किया जाना है कि भवन कठोरतापूर्वक विधि के अनुरुप एवं बिल्डिंग परमिट के मुताबिक निर्मित किया गया है–संप्रेक्षणों के साथ रिट याचिकाएँ निपटायी गयी। (पैराएँ 7 से 10)

अधिवक्तागण.–Mr. Indrajit Sinha, For the Petitioner; Mr. Amit Kr. Verma, For the State; M/s Rajiv Ranjan, Rohitashya Roy, Shray Mishra, For the Pvt. Resps, Mr. Amrendra Kumar, For the Resp-JNAC.

आदेश

प्रथम रिट याचिका में याची संजीव महतो ने अंचलाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा जारी दिनांक 11 जून, 2014 के पत्र सं॰ 856 का अभिखंडन इप्सित किया जो उसके अनुसार अंतिम रूप से प्रकाशित सर्वे नक्शा और उसी विषय वस्तु के संबंध में उसकी पूर्व रिपोर्ट के प्रति विरोधाभासी एक पक्षीय रिपोर्ट है। उसने दिनांक 11 जून, 2004 की उस रिपोर्ट पर आधारित प्रत्यर्थी सं॰ 3 विशेष अधिकारी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र कमिटी (संक्षेप में जे॰ एन॰ ए॰ सी॰) द्वारा दिनांक 3 जनवरी, 2014 को प्रदान किए गए यथास्थिति आदेश को रिक्त करते हुए जारी दिनांक 1 जुलाई, 2014 के पत्र सं॰ 1509 का अभिखंडन भी इप्सित किया। इसने अप्राधिकृत निर्माण और योजना मानक की उपविधियों, जे॰ एन॰ ए॰ सी॰ की उपविधियों और झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धाराओं 432 एवं 436 प्रावधानों के अधीन प्रत्यर्थी सं॰ 5 के संबंध में मंजूर योजना के रद्दकरण के लिए मामला के संस्थापन के लिए भी प्रार्थना भी किया है।

2. याची का मामला प्रभात कुमार गुप्ता के नाम में दर्ज नयी भूखंड सं॰ 685 के निर्माण योजना की मंजूरी से संबंधित है। वह भूखंड जो प्रभात कुमार गुप्ता के कब्जा में है, याची के अनुसार नयी भूखंड सं॰ 688 के उत्तर–पश्चिम में अवस्थित है। प्रत्यर्थी सं॰ 5 को दिनांक 2 मार्च, 2001 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के तहत प्रभात कुमार गुप्ता से उक्त नया भूखंड सं॰ 688 खरीदता हुआ बताया गया है जिसने इसे जे॰ एन॰ ए॰ सी॰ के अधीन नामांतरित करवाया। वह अभिकथित करता है कि प्रत्यर्थी सं॰ 5 ने निर्माण योजना के अनुमोदन के लिए आवश्यक प्रासंगिक विवरणों को छिपाकर और 'साधु पथ' नामक सात फीट चौड़ी गली में स्थित जे॰ एन॰ ए॰ सी॰ वार्ड सं॰ 2 के नए भूखंड सं॰ 685 के उपर बहुमंजिला इमारत निर्मित करने के लिए जे॰ एन॰ ए॰ सी॰ को गुमराह करके इसे मंजूर करवाया। दिनांक 21 जून, 2013 की निर्माण परमिट सं॰ 28291 (परिशिष्ट–4) के माध्यम से मंजूरी प्रदान की गयी थी। प्रत्यर्थी सं॰ 5 द्वारा निर्माण के क्रम के दौरान, यह अभिकथित किया गया है कि उसने नया भूखंड सं॰ 688 का भाग और नया भूखंड सं॰ 683 के पूरे भाग का अधिक्रमण किया। नया भूखंड सं॰ 688 वर्ष 1995 में अधिकार अभिलेख में प्रकाशित हरमोहन महतो, पुत्र घासीराम महतो एवं अन्य के नाम में दर्ज किया गया था। इस याची और उसकी पत्नी ने नया भूखंड सं॰ 688 का भाग होने के नाते 12,142 वर्गफीट भूमि उनमें से दो के संबंध में दिनांक 24 अक्टूबर, 2002 और शेष दो के संबंध में क्रमशः दिनांक 14 अक्टूबर, 2004 तथा दिनांक 31 अक्टूबर, 2006 के चार रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के माध्यम से खरीदा है। याची के अनुसार, नया भूखंड सं॰ 688 घासी राम महतो के नाम में दर्ज पुनरीक्षण सर्वेक्षण भूखंड सं॰ 1033 से अलग हुआ है तथा याची को नये भूखंड सं॰ 688 के शेष 4550 वर्ग फीट पर अधिकारपूर्ण उत्तराधिकार, अभिधान एवं हित है। प्रत्यर्थी सं॰ 5 द्वारा अभिकथित अधिक्रमण पर और याची द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर दिनांक 6 दिसंबर, 2013 के पत्र सं॰ 4033 (परिशिष्ट–6) के माध्यम से अंचलाधिकारी, जमशेदपुर से रिपोर्ट मांगी गयी थी। ऐसी जाँच के लम्बित रहते, अंचलाधिकारी ने अपने पत्र सं॰ 27 दिनांक 3 जनवरी, 2014 (परिशिष्ट 8) के तहत रिपोर्ट दिया कि प्रत्यर्थी सं॰ 5 द्वारा भूखंड सं॰ 688 (भाग) एवं नये भूखंड सं॰ 638 पर निर्माण कराया जा रहा है। अंचलाधिकारी को पुनः भौतिक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया

था जबकि प्रत्यर्थी सं॰ 5 को सीमांकन किए जाने तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। तत्पश्चात, अंचलाधिकारी ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया है जो जे॰ एन॰ ए॰ सी॰ वार्ड सं॰ 2 के अंतिम रूप से प्रकाशित सर्वे नक्शा के विपरीत उलियान मेन रोड के पार्श्व नया भूखंड सं॰ 685 के लोकेशनों को दर्शाता दिनांक 11 जून, 2014 के पत्र सं॰ 856 के माध्यम से एकपक्षीय है। इस रिपोर्ट के आधार पर यह प्रतिवाद किया गया है कि विशेष अधिकारी ने वर्तमान आक्षेपित दिनांक 1 जुलाई, 2014 के अपने पत्र सं॰ 1509 के माध्यम से पहले प्रदान किए गए यथास्थिति आदेश को उपांतरित किया है। यह याची को जे॰ एन॰ ए॰ सी॰ के प्रत्यर्थी प्राधिकारियों की कार्रवाई और प्रत्यर्थी सं॰ 5 द्वारा किए जा रहे निर्माण से व्यथित होने के कारण इस न्यायालय के पास लाया।

3. पूरक शपथपत्र के माध्यम से याची ने बताया है कि अंचल अमीन ने मापी किया और पाया कि प्रत्यर्थी सं॰ 5 ने याची की भूखंड सं॰ 688 पर अधिक्रमण किया है जिसे अंचलाधिकारी, जमशेदपुर की ओर अपर समाहर्ता, जमशेदपुर को दिनांक 12 अगस्त, 2015 के पत्र सं॰ 2131 के माध्यम से रिपोर्ट किया गया था। पूरक शपथ पत्र के परिशिष्ट–14 में अंतर्विष्ट अंचल अमीन की रिपोर्ट कथन करती है कि प्रत्यर्थी सं॰ 5 द्वारा निर्माणाधीन घर के निरीक्षण के दौरान वर्ष 1934-35 के नक्शा एवं वर्ष 1970-71 के वर्तमान सर्वे नक्शा की तुलना पर यह पाया गया है कि 01.4 डिसमिल क्षेत्रफल वाले भूखंड सं॰ 996 (3) नया सर्वे भूखंड सं॰ 683 भूखंड सं॰ 688 के भाग पर निर्माण किया जा रहा था।

4. तत्पश्चात, विशेष अधिकारी, जे॰ एन॰ ए॰ सी॰ ने दिनांक 19 मई, 2015 के पत्र सं॰ 1115 (परिशिष्ट–15) के माध्यम से पुनः प्रत्यर्थी सं॰ 5 (अन्य दो संबंधित मामलों में याची) को पुनर्जांच लंबित रहते हुए निर्माण के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।

5. डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 2269 वर्ष 2014 एवं 5321 वर्ष 2014 में याचीगण एक और वही हैं। डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 2269 वर्ष 2014 में याची मानोषि रॉय ने प्रत्यर्थी सं॰ 3, विशेष अधिकारी, जे॰ एन॰ ए॰ सी॰ द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 4 अंचलाधिकारी, जमशेदपुर को जारी दिनांक 3 जनवरी, 2014 का मेमो सं॰ 12 अपास्त करने के लिए इस न्यायालय के पास आयी है जिसके द्वारा याची को प्रश्नगत भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। इसने खाता सं॰ 8 (पुराना) 486 (नया), थाना सं॰ 1158, जमशेदपुर के अधीन पुराने भूखंड सं॰ 996 के तत्सम नये भूखंड संख्याओं, जो उसके अनुसार सर्वे नक्शा में भूखंड सं॰ 683 के रूप में प्रतीत होते हैं की प्रविष्टि परिशुद्ध करने के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देश भी इप्सित किया। इसने कुछ भू–माफिया के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देश के लिए भी प्रार्थना किया जो कपट करके प्रश्नगत संपत्ति के उपर याची के शांतिपूर्ण कब्जा को अस्त–व्यस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इसने मौजा उलियान, जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम में खाता सं॰ 8 (पुराना) 486 (नया) के अधीन भूखंड सं॰ 685 (भाग), पुराना भूखंड सं॰ 996 के सीमांकन आदेश के लिए भी प्रार्थना किया। इस याची के मामले के मुताबिक, वह मौजा उलियान, थाना सं॰ 1158, जमशेदपुर के खाता सं॰ 8 (नया) 486 (पुराना) के अधीन भूखंड सं॰ 685 (पुराने भूखंड सं॰ 996 का भाग) का प्रभात कुमार गुप्ता से दिनांक 2.3.2001 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के माध्यम से स्वामिनी है। उसने दिनांक 21 मई, 2011 के आदेश के तहत (परिशिष्ट 2) भूमि नामांतरित करवाया और सर्वे नक्शा वर्ष 1996 एवं परिशुद्धि पर्चा के मुताबिक तत्सम भूखंड संख्या 685 है। वह अभिकथित करती है कि प्रत्यर्थी सं॰ 6 संजीव महतो (प्रथम रिट याचिका में याची) अन्य बिल्डरों के साथ याची द्वारा भूमि पर अधिक्रमण अभिकथित करते हुए सब–डिविजनल अधिकारी, जमशेदपुर; प्रभारी अधिकारी, कदमा पुलिस थाना, विशेष अधिकारी, जे॰ एन॰ ए॰ सी॰ और अंचलाधिकारी, जमशेदपुर जैसे विभिन्न राज्य प्राधिकारियों के

समक्ष परिवाद दाखिल कर रहा है। यह परिवाद किए गए निर्माण के संबंध में जे॰ एन॰ ए॰ सी॰ द्वारा जाँच की ओर ले गया और अंतत: दिनांक 3 जनवरी, 2014 के आक्षेपित आदेश द्वारा इस याची के विरुद्ध यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया गया था जिससे व्यथित होकर वह इस न्यायालय के पास आयी। यह याची दोहराती है कि जे॰ एन॰ ए॰ सी॰ को पुराने भूखंड सं॰ 996 के तत्सम भूखंड सं॰ 685 के अधिकारपूर्ण स्वामी के संबंध में कोई संदेह दूर करने के लिए पुराने भूखंड संख्याओं के तत्सम नए नक्शा पर भूखंड संख्याओं की प्रविष्टि परिशुद्ध करना चाहिए।

6. इसी याची के द्वितीय रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 5321 वर्ष 2014 में वह विशेष अधिकारी, जे॰ एन॰ ए॰ सी॰ द्वारा जारी दिनांक 1 अगस्त, 2014 के पत्र (परिशिष्ट–14) से व्यथित है जिसके अधीन उसे प्रश्नगत भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। वर्तमान मामले में विवाद्यक पर अतिरिक्त प्रकथनों के साथ अधिकांश तथ्यों का क्रम भी वही है कि पूर्व रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान प्रत्यर्थी विशेष अधिकारी, जे॰ एन॰ ए॰ सी॰ द्वारा जारी दिनांक 1 जुलाई, 2014 के पत्र सं॰ 1509 द्वारा यथास्थिति आदेश प्रतिसंहृत किया गया था। किंतु, प्रतिसंहरण के एक माह के भीतर कतिपय व्यक्तियों द्वारा एक अन्य परिवाद दाखिल किया गया था और ऐसे आवेदन पर याची को पुन: दिनांक 1 अगस्त, 2014 के आदेश (परिशिष्ट–14) के तहत प्रश्नगत भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था जो वर्तमान रिट आवेदन में आक्षेपित है। तत्पश्चात् याची द्वारा यह कथन करते हुए पूरक शपथ पत्र पुन: दाखिल किया गया है कि प्रत्यर्थी विशेष अधिकारी, जे॰ एन॰ ए॰ सी॰ ने दिनांक 25 अप्रिल, 2015 के एक अन्य पत्र सं॰ 947 के माध्यम से अंचलाधिकारी, जमशेदपुर की रिपोर्ट पर कि वर्तमान याची की भूमि पर निर्माण किया जा रहा था, दिनांक 21 जून 2013 के परमिट सं॰ 28291 (याची का बिल्डिंग प्लान) के संबंध में नए भूखंड सं॰ 685 पुराने भूखंड सं॰ 996, खाता सं॰ 486, पुराना खाता सं॰ 8, मौजा उलियान, थाना सं॰ 1157, कदमा जमशेदपुर से संबंधित भूमि पर निर्माण पर प्रदान किया गया स्थगन रिक्त किया है।

7. प्रत्यर्थी जे॰ एन॰ ए॰ सी॰ ने अपने प्रतिशपथ पत्र में डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 2269 वर्ष 2014 एवं 5321 वर्ष 2014 में याची मानोषी रॉय के बिल्डिंग प्लान की मंजूरी और पार्श्व भूखंडों पर अभिकथित निर्माण के विषय पर अंचलाधिकारी, जमशेदपुर के माध्यम से की जा रही एक के बाद दूसरी जाँच के प्रति प्रासंगिक तथ्यों के क्रम से हमें अवगत कराने का प्रयास किया है। जे॰ एन॰ ए॰ सी॰ के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची मानोषी रॉय द्वारा भवन के निर्माण के संबंध में इन परिस्थितियों में यथास्थिति अथवा इसकी रिक्ति अथवा आगे स्थगन के आदेश पारित किए गए हैं। किंतु, प्रत्यर्थी जे॰ एन॰ ए॰ सी॰ के अधिवक्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि इसके प्रति विवाद्यक अंतिम रूप से विनिश्चित नहीं किया गया है कि क्या दिनांक 21 जून, 2013 के परमिट के अधीन याची मानोषी रॉय द्वारा किया गया निर्माण परस्पर भूखंडों जिसके लिए इसे प्रदान किया गया था पर बिल्डिंग प्लान के निबंधनों एवं शर्तों पर किया जा रहा है। वह रिट याचिकाओं में किए गए अभिवचनों के आधार पर यह कथन करने की अवस्था में नहीं हैं कि उक्त बिल्डिंग प्लान के संबंध में नए एवं पुराने भूखंड संख्या से संबंधित विवाद का अंतिम रूप से समाधान कर दिया गया है जो इन परस्पर रिट याचिकाओं में याची और प्राइवेट प्रत्यर्थी के बीच मुख्य विवाद है।

8. पक्षों द्वारा अभिवचनित प्रासंगिक तथ्यों का विवरण केवल इस प्रयोजन से ध्यान में लिया गया है कि दिनांक 21 जून, 2013 के बिल्डिंग परमिट के संबंध में निर्माण और/अथवा एक अन्य भूखंड के किसी अधिक्रमण से संबंधित प्रश्न मंजूरी देने वाले प्राधिकारी जे॰ एन॰ ए॰ सी॰ द्वारा अंतिम रूप से

विनिश्चित नहीं किया गया है। क्या निर्माण उस भूखंड जिस पर इसे मंजूर किया गया था पर किया जा रहा है और क्या यह पूर्व सर्वे नक्शा के अधीन पुराने भूखंड से सह-संबंधित है और संपुष्ट करता है, ऐसा विवाद्यक है जिसे प्रत्यर्थी जे॰ एन॰ ए॰ सी॰ द्वारा सत्यापित किए जाने की आवश्यकता है। क्या दिनांक 21 जून, 2013 के परमिट के मुताबिक याची मानोषि रॉय का निर्माण वस्तुत: याची संजीव महतो जैसे अन्य व्यक्तियों के किसी पार्श्व भूमि का अधिक्रमण कर रहा है, एक अन्य पहलू है। प्रत्यर्थी जे॰ एन॰ ए॰ सी॰ द्वारा ऐसी चीजों को यह सुनिश्चित करने के लिए विनिश्चित किया जाना है कि प्रश्नगत भवन का निर्माण कठोरतापूर्वक विधि के अनुरुप एवं बिल्डिंग परमिट के मुताबिक करना है। विभिन्न चरणों पर अंचलाधिकारी जमशेदपुर की रिपोर्ट हैं जो अब तक विवाद्यक सुनिश्चित करती प्रतीत नहीं होती हैं।

9. चाहे जो भी हो, प्रत्यर्थी जे॰ एन॰ ए॰ सी॰ को याची मानोषी रॉय द्वारा दिनांक 21 जून, 2013 के बिल्डिंग परमिट के संबंध में निर्माण से संबंधित विवाद को अंतिम रूप से शांत करने के लिए पूर्व सर्वे नक्शा के अधीन पुराने भूखंडों के तत्सम नए भूखंडों के संख्या एवं क्षेत्र के संबंध में समाधान पर आने के लिए परस्पर भूखंडों का नया निरीक्षण करने की छूट है। पूर्वोक्त कार्य में प्रत्यर्थी जे॰ एन॰ ए॰ सी॰ परस्पर रिट याचिकाओं में याचियों को सुनवाई का अवसर देना चाहिए समस्त वस्तुनिष्ठ तात्विक रिपोर्ट एवं सक्षम प्राधिकारियों के माध्यम से किए गए निरीक्षण के आधार पर विधि के अनुरुप सुविचारित निष्कर्ष पर आना चाहिए।

10. अत:, प्रत्यर्थी जे॰ एन॰ ए॰ सी॰ को इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुती की तिथि से प्राथमिकत: 12 सप्ताह की अवधि के भीतर शीघ्रातिशीघ्र इस कार्य को करने के लिए सक्षम बनाने के लिए पूर्वोक्त संप्रेक्षणों के साथ ये रिट याचिकाएँ निपटायी जाती हैं।

---

ekuuh; vfer kHk dekj xIrk] U;k;efr

अब्दुल हन्नन शेख

cuke

अब्दुल मन्नन शेख एवं अन्य

M.A. No. 209 of 2014. Decided on 30th June, 2016.

विद्वान सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिविजन) I, पाकुड़ द्वारा अभिधान (बँटवारा) वाद सं॰ 21 वर्ष 2013 में पारित दिनांक 22.5.2014 के आदेश के विरुद्ध।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 40 नियम 1—रीसिवर की नियुक्ति–बँटवारा वाद–रीसिवर के रूप में व्यक्ति विशेष जिसका नाम पक्षों द्वारा सुझाया गया है को नामित करना मात्र औपचारिकता है–रीसिवर की नियुक्ति के संबंध में प्रश्न ने अंतिमता प्राप्त कर लिया है–आदेश 41 नियम 1 के अधीन रीसिवर की नियुक्ति अनुज्ञात करने वाले आदेश के विरुद्ध आदेश 43 नियम 1 (S) के अधीन अपील की जा सकती है–आवेदन अस्वीकार किया गया।

(पैराएँ 13 एवं 14)

निर्णयज विधि.–(1974) 2 SCC 393; AIR 1981 SC 1786—Distinguished; 1917, 32 MLJ 304; AIR 1922 Patna 577—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s Rajeev Ranjan, T.K. Mishra, For the Appellant; M/s V. Shivnath & Sudhakar Pandey, For the Respondents; Mr. Rakesh Kumar, For the Caveater, For the Caveater.

आदेश

वर्तमान अपील अभिधान बँटवारा वाद सं॰ 21 वर्ष 2013 में विद्वान सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिविजन) I, पाकुड़ द्वारा पारित दिनांक 22.5.2014 के आदेश को आक्षेपित करते हुए दाखिल की गयी है जिसके द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 40 नियम 1 के अधीन रीसिवर की नियुक्ति के लिए वादी/प्रत्यर्थी की प्रार्थना अनुज्ञात की गयी है।

2. वादी–प्रत्यर्थी ने यह घोषणा कि वाद संपत्ति संयुक्त संपत्ति है और यह घोषणा कि प्रतिवादी सं॰ 2 का 1/8 वाँ हिस्सा अपवर्जित करने के बाद वादी एवं प्रतिवादी का प्रतिवादी सं॰ 3 एवं 4 हिस्सा का दोगुना होने के कारण वाद संपत्ति में समान हिस्सा है और प्रतिवादी सं॰ 2 के पक्ष में पृथक रूप से वाद संपत्ति में 1/8 वाँ हिस्सा काट कर निकालती और शेष संपत्ति में से 2/6 वाँ हिस्सा प्रत्येक वादी एवं प्रतिवादी सं॰ 1 को और 1/6 वाँ हिस्सा प्रतिवादी सं॰ 3 एवं 4 को आवंटित करती अंतिम डिक्री की तैयारी इप्सित करते हुए वाद संस्थित किया था। इस घोषणा के साथ कि वादी होटल व्यवसाय में लाभ में ब्याज के साथ राशि अथवा हिस्सा प्राप्त करने का हकदार है। होटल अर्थात् वाद संपत्ति का लेखा–बही एवं लाभ का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश प्रतिवादी सं॰ 1 को देने की प्रार्थना की गयी है।

3. अपीलार्थी/प्रतिवादी सं॰ 1 ने अपने लिखित कथन में इनकार किया कि वाद संपत्ति अर्थात् होटल सम्राट संयुक्त संपत्ति थी। यह प्रकथन किया गया है कि वाद संपत्ति अनन्य रूप से वादी की है और प्रतिवादी सं॰ 2 एवं 3 का वाद संपत्ति में कोई अधिकार, अभिधान अथवा हित नहीं है।

4. वाद लंबित रहने के दौरान, दिनांक 20.6.2013 को वादी ने यह अभिकथित करते हुए कि वाद संपत्ति (होटल) संयुक्त परिवार का व्यवसाय है किंतु प्रतिवादी होटल की पूरी आमदनी रख रहा है और संयुक्त परिवार संपत्ति से आमदनी का निवेश स्वयं अपने लाभ और स्वयं अपने नाम अथवा अपने पुत्र के नाम में संपत्ति अर्जित करने के लिए कर रहा है और होटल व्यवसाय का समुचित विवरण नहीं रख रहा है और न ही वह वादी को कोई हिस्सा दे रहा है। यह कि चूँकि बँटवारा वाद दाखिल किया गया है, वाद संपत्ति का प्रबंध करने के लिए रीसिवर नियुक्ति करना न्यायोचित एवं समुचित होगा ताकि व्यवसाय का विवरण समुचित रूप से रखा जा सके और वादी का हित सुरक्षित किया जा सके। कि यदि रीसिवर की नियुक्ति नहीं होती है, वादी को काफी नुकसान होगा।

5. अपीलार्थी/प्रतिवादी सं॰ 1 ने यह कथन करते हुए अपना प्रत्युत्तर दाखिल किया है कि होटल सम्राट के रूप में ज्ञात वाद संपत्ति उसकी अनन्य संपत्ति है जिसे उसके कठिन परिश्रम एवं आय से स्थापित एवं विकसित किया गया है। कि वादी अथवा प्रतिवादी सं॰ 2 से 4 की अभिधान की संयुक्तता नहीं है और न ही यह दर्शाने के लिए दस्तावेज है कि वाद संपत्ति संयुक्तता में है। कि वाद संपत्ति से संबंधित लाइसेंस, किराया रसीद, बैंक कर्ज, टेलीफोन एवं बिजली बिल और अन्य कागजात प्रतिवादी सं॰ 1 के नाम में हैं और वादी ने प्रतिवादी सं॰ 3 एवं 4 के साथ षड्यंत्र में उसको बेदखल करके संपत्ति हड़पने के लिए लालच से प्रच्छन्न हेतु के साथ वाद दाखिल किया है।

6. विद्वान अवर न्यायालय ने पक्षों के अभिवचनों एवं दस्तावेजों के आधार पर दिनांक 22.5.2014 के आदेश द्वारा रीसिवर की नियुक्ति के लिए आदेश 40 नियम 1 के अधीन आवेदन अनुज्ञात किया और पक्षों को रीसिवर का नाम सुझाने का निर्देश दिया।

7. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री वी॰ शिवनाथ ने प्रतिवाद किया है कि अपील पोषणीय नहीं है क्योंकि विद्वान अवर न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा किसी 'व्यक्ति विशेष' को रिसीवर के रूप में नियुक्त नहीं किया है बल्कि इसने केवल रिसीवर की नियुक्ति के लिए प्रार्थना अनुज्ञात किया है और रीसिवर की नियुक्ति के लिए अगली तिथि नियत की गयी है। विद्वान अधिवक्ता ने आदेश 40 नियम 1 के प्रावधान को निर्दिष्ट किया है और प्रतिवाद किया है कि चूँकि किसी व्यक्ति विशेष को रीसिवर के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है और न ही अपीलार्थी का कब्जा अस्त-व्यस्त किया गया है, अतः आदेश 40 नियम 1 (a) के प्रावधानों के निबंधनानुसार आदेश पारित नहीं किया गया है, परिणामस्वरुप आदेश 43 (i) (s) के अधीन आदेश अपील के अयोग्य है।

विद्वान अधिवक्ता ने **(1974)2 SCC 393** में प्रकाशित निर्णय पर विश्वास किया है और निवेदन किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि निष्कर्ष मात्र के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। यह आग्रह किया गया है कि वर्तमान मामले में विचारण न्यायालय ने केवल निष्कर्ष दिया है कि वादी ने रीसिवर की नियुक्ति के लिए मामला बनाया है किंतु आदेश ने अंतिमता प्राप्त नहीं किया है चूँकि रीसिवर के रूप में किसी व्यक्ति विशेष की नियुक्ति नहीं की गयी है, तद्नुसार, पूर्वोल्लिखित निर्णय के पैराओं 16 एवं 17 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए संप्रेक्षण की दृष्टि में अपील पोषणीय नहीं है।

यह प्रचारित किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने **AIR 1981 SC 1786** में प्रकाशित निर्णय में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में धारा 104 के अधिनियमन की ओर जाने वाले इतिहास का अनुरेखण करते हुए अभिनिर्धारित किया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता वर्ष 1877 में धारा 588 संहिता वर्ष 1908 के आदेश 43 नियम 1 की तत्सम धारा थी। कि संहिता वर्ष 1877 की धारा 591 ने स्पष्टतः प्रावधानित किया कि आदेशों जैसा धारा 588 खंड (a) से (t) के अधीन संगणित किया गया है के सिवाए किसी न्यायालय द्वारा अपने मूल अथवा अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में पारित किसी आदेश के विरुद्ध आगे अपील नहीं होगी। यह निवेदन किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 588 (पुरानी संहिता) की व्याख्या के संबंध में विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित अनेक निर्णयों का संज्ञान लेते हुए धारा 104 सहपठित आदेश 43 नियम 1 की प्रयोज्यता पर चर्चा किया है और अभिनिर्धारित किया है कि यह उच्च न्यायालय के विचारण न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही पर लागू होता है। यह तर्क किया गया है कि आदेश 43 नियम 1 (s) के अधीन अपील केवल तब की जा सकती है जब रीसिवर की नियुक्ति के लिए आदेश 40 नियम 1 के अधीन याचिका अस्वीकार की गयी है जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **AIR 1981 SC 1786** एवं **(1974)2 SCC 393** में प्रकाशित निर्णयों में अभिनिर्धारित किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि श्री टी॰ के॰ टेकवाणी रचित पुस्तक सिविल प्रक्रिया संहिता, सातवाँ संस्करण, में आदेश 40 नियम 1 के प्रावधान पर चर्चा करते हुए यह संप्रेक्षित किया गया है कि रीसिवर की नियुक्ति के लिए याचिका अनुज्ञात करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती है जब तक व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाता है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवाद किया गया है कि अपीलार्थी को उक्त आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण दाखिल करना चाहिए था किंतु यह परिसीमा द्वारा वर्जित है।

8. समानांतर स्तंभ में, अपीलार्थी की ओर से विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री राजीव रंजन ने प्रतिवाद किया है कि **पी॰ एल॰ एस॰ पलानीअप्पा चेट्टी बनाम पी॰ एल॰ पी॰ पी॰ एल॰ पलानीअप्पा चेट्टी, 1917, 32MLJ 304** में समरुप प्रश्न विचारार्थ आया था और मद्रास उच्च न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर विचार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि रीसिवर के रूप में किसी व्यक्ति विशेष को वस्तुतः नामित किए बिना रीसिवर नियुक्त करता आदेश सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 40 नियम 1 के अधीन पारित आदेश है और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 43 (i) (s) के अधीन अपील योग्य है। कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा **गोविन्द राम एवं अन्य बनाम गणेश राम एवं अन्य, AIR 1922 Patna 577** में उक्त निर्णय का अनुसरण किया गया था।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि **AIR 1981 SC 1786** और **1974 (2) SCC 393** में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की दृष्टि में **गोविन्द राम (ऊपर)** के मामले में निर्णय संपोषणीय नहीं है।

9. विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने पर एवं प्रत्यर्थी/वादी के अधिवक्ता द्वारा विश्वास किए गए **गंगा बाई बनाम विजय कुमार एवं अन्य** के मामले में **(1974)2 SCC 393** में प्रकाशित निर्णय के परिशीलन पर यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि निर्णय का निर्णयाधार वर्तमान मामले के तथ्यों के प्रति प्रयोज्य नहीं है। किंतु, यहाँ यह ध्यान में लेना प्रासंगिक है कि उक्त निर्णय, जैसा प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, के पैरा 16 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संहिता का आदेश 43 नियम 1 धारा 104 (1) के खंड (i) के कारणों से उस धारा का भाग निर्मित करता है जो आदेश 43 के खंडों (a) से (w) के अधीन पारित आदेशों के विरुद्ध अपील प्रावधानित करता है।

10. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विश्वास किए गए **शाह बाबूलाल खिमजी बनाम जयाबेन डी॰ कनिया, AIR 1981 SC 1786 (ऊपर)** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का परिशीलन करने पर यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि उक्त मामले में वादी/अपीलार्थी ने संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय के मूल पक्ष पर वाद संस्थित किया था और वाद संपत्ति के लिए रीसिवर नियुक्त करके अंतिम अनुतोष के लिए और प्रतिवादीगण को वाद लंबित रहने के दौरान वाद संपत्ति ठिकाने लगाने से रोकने के लिए प्रार्थना किया था।

विद्वान एकल न्यायाधीश ने रीसिवर की नियुक्ति के लिए और अंतरिम व्यादेश के लिए भी आवेदन खारिज कर दिया था जिसके बाद वादी/अपीलार्थी ने खंड न्यायपीठ के समक्ष अपील दाखिल किया था जिसने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश निर्णय नहीं था जैसा उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेन्ट के खंड 15 के अधीन अनुध्यात किया गया है अपील खारिज कर दिया जिसके परिणामस्वरुप विशेष अनुमति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल की गयी थी।

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया विधि का सारवान प्रश्न विस्तार एवं परिधि के बारे में था कि किस आदेश को लेटर्स पेटेन्ट के अधीन 'निर्णय' के रूप में कहा अथवा परिभाषित किया जा सकता है, विशेषत: उन उच्च न्यायालयों में जिनकी वाद के मूल्यांकन पर निर्भर करते हुए साधारण सिविल अधिकारिता है, चूँकि अनेक उच्च न्यायालयों के द्वारा दिए गए निर्णय यह व्याख्या करते हुए असंगत थे कि क्या पारित आदेश लेटर्स पेटेन्ट अपील के अधीन अपील योग्य निर्णय था।

यहाँ गौर करना प्रासंगिक है कि उक्त निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने लेटर्स पेटेन्ट अधिकारिता के अधीन और संहिता की धारा 104 सहपठित आदेश 43 नियम 1 के अधीन अपील के विस्तार एवं परिधि पर चर्चा करते हुए अभिनिर्धारित किया कि धारा 104 सहपठित आदेश 43 नियम 1 और लेटर्स पेटेन्ट के अधीन अपील के बीच असंगति नहीं है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह दर्शाने के लिए कुछ नहीं है कि लेटर्स पेटेन्ट किसी रूप में धारा 104 (1) को अपवर्जित करती है अथवा इस पर अध्यारोही होती है बल्कि धारा 104 (1) अभिव्यक्त रूप से लेटर्स पेटेन्ट अपील व्यावृत करती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह संप्रेक्षित किया गया था कि संहिता की धारा 117 एवं आदेश 49 नियम 3 के प्रावधान अनेक अन्य प्रावधानों को उच्च न्यायालय की अधिकारिता से अपवर्जित करते हैं किंतु सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 43 नियम 1 को अपवर्जित नहीं करते हैं और अभिनिर्धारित किया कि संहिता की धारा 104 सहपठित आदेश 43 नियम 1 अभिव्यक्त रूप से लेटर्स पेटेन्ट अधिकारिता पर अध्यारोही हुए बिना आदेश 43 नियम 1 के अनेक खंडों के अधीन पारित आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय की वृहत्तर न्यायपीठ को अपील के फोरम के रूप में प्राधिकृत करते हैं।

11. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का प्रतिवाद कि पूर्वोक्त निर्णय ने **गोविन्द राम एवं अन्य (ऊपर)** और **पी॰ एल॰ एस॰ पलानीअप्पा चेट्टी (ऊपर)** में निर्णय उलट दिया है, कुस्थापित और भ्रामक है। इसके विपरीत, **शाह बाबू लाल खिमजी (ऊपर);** में दिए गए निर्णय का निर्णयाधार, जिस पर प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विश्वास किया गया है, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का पूर्वोक्त प्रतिवाद सिद्ध अथवा समर्थित नहीं करता है। इसके विपरीत, यह अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रतिपादित तर्क सुदृढ़ बनाता है।

12. संहिता की धारा 104 (1) के सादे पठन से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रावधान उसमें संगणित आदेशों से अपील और संहिता अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अभिव्यक्त रूप से प्रावधानित अपील अनुध्यात करता है और जब अपील अभिव्यक्त रूप से धारा 104 (1) द्वारा व्यावृत की जाती है, तब उपधारा (2) ऐसे अपील के प्रति प्रयोज्य नहीं होगी। धारा 104 के पठन पर एकमात्र व्याख्या जिस पर आया जा सकता है यह है कि उपधारा (2) द्वारा प्रावधानित अंतिमता धारा 104 जो उसमें संगणित आदेशों से अपील प्रावधानित करती है के अधीन अपील में पारित आदेशों से संबद्ध होती है। संहिता का आदेश 43 खंडों को संगणित करता है जिनके अधीन अपील हो सकती है। आदेश 43 के खंड 1 (s) में अनुबंधित किया गया है कि आदेश 40 के नियम 1 के अधीन पारित आदेश अपील योग्य है।

आदेश 40 नियम 1 का पठन निम्नलिखित है:–

*40. **jhflojk dh fu;fDr-**&(1) tgk U;k;ky; dk U;k;kfpr rFkk lfoèkk tud irhr gk] U;k;ky; vkn'k }kjk&(a) ;k rk fMØh d igy ;k fMØh d ckn] fdlh lifUk dk jhfloj fu;Dr dj ldrk gA***

13. प्रावधान के सादे पठन पर यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि आदेश 40 नियम 1 के अधीन जो न्यायालय के विचारार्थ एवं विनिश्चयकरण के लिए आता है यह है कि क्या वाद में रीसिवर नियुक्त करना न्यायोचित एवं सुविधाजनक है। यहाँ उपर आक्षेपित किए गए आदेश के परिशीलन पर, अंतर्वर्ती आदेश पारित करते हुए प्रतिवादी द्वारा की गयी आपत्ति अस्वीकार करते हुए रीसिवर की नियुक्ति का प्रश्न विनिश्चित एवं न्यायनिर्णीत किया है जिसके द्वारा पक्ष का बहुमूल्य अधिकार प्रभावित हुआ है और यह निष्कर्ष देकर विवाद्यक का समाधान किया है कि रीसिवर नियुक्त करना न्यायोचित एवं सुविधाजनक है, इस प्रकार, आदेश की प्रकृति वाद जीवित रखते हुए पक्ष का अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। रीसिवर जिसका नाम पक्षों द्वारा सुझाया जाना है के रूप में व्यक्ति विशेष नामित करना मात्र औपचारिकता है। रीसिवर की नियुक्ति के संबंध में प्रश्न ने अंतिमता प्राप्त कर लिया है। यद्यपि वाद जीवित रखा गया है, फिर भी यह पक्ष का महत्वपूर्ण अधिकार प्रभावित करता है और ऐसा आदेश आदेश 43 नियम 1 (s) के प्रावधानों के निबंधनानुसार पारित किया गया है जो अपील योग्य है। यहां विद्वान अधिवक्ता के निवेदन को ध्यान में लेना अनावश्यक नहीं होगा जिसके द्वारा उन्होंने तर्क किया है कि केवल आदेश 41 नियम 1 के अधीन आवेदन के संबंध में आदेश अपील योग्य है। यदि यह तर्क स्वीकार किया जाता है, तर्क की समतुल्यता पर विपरीत अर्थात् आदेश 41 नियम 1 के अधीन रीसिवर की नियुक्ति अनुज्ञात करने वाला आदेश भी आदेश 43 नियम 1 (s) के अधीन अपील योग्य है।

14. इस प्रकार, उपर की गयी चर्चा की दृष्टि में यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अपील पोषणीय है। तद्नुसार, प्रत्यर्थी/वादी का आवेदन एतद् द्वारा अस्वीकार किया जाता है।

15. कार्यालय को समुचित न्यायपीठ के समक्ष में शीर्षक ''ग्रहण के लिए'' के अधीन अपील सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है।

ekuuh; Mhñ ,uñ iVy ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

मीना देवी

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

Civil Review No. 81 of 2010. Decided on 19th September, 2016.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 47, नियम 1 सह-पठित धारा 114–सिविल पुनर्विलोकन–कार्यक्षेत्र तथा परिधि–सिविल पुनर्विलोकन आवेदन के साथ छिपे रूप में एक अपील के तौर पर व्यवहार नहीं किया जा सकता है, चाहे मामले के गुणावगुणों पर कारण कितने ही उपयुक्त क्यों न हों–छूटे हुए तर्कों के लिए कोई सिविल पुनर्विलोकन आवेदन दाखिल नहीं किया जा सकता है–उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश के गुणावगुणों पर दोषपूर्ण होने पर भी, कोई सिविल पुनर्विलोकन आवेदन दाखिल नहीं किया जा सकता है–अभिलेख के पटल पर प्रकट त्रुटियों के सुधार के लिए ही सिविल पुनर्विलोकन आवेदन दाखिल किया जा सकता है–अगर विस्तृत तर्कों द्वारा दोष का पता चलता है, इन्हें अभिलेख के पटल पर प्रकट त्रुटि के रूप में नहीं माना जा सकता है। (पैराएँ 10 एवं 16)

निर्णयज विधि.–(1979)4 SCC 389; (1995)1 SCC 170; (1997)8 SCC 715; (2006)4 SCC 78; (2012)7 SCC 200—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. V. Shivnath, For the Petitioner; J.C. to G.P. II, For the State; Mr. Kundan Kumar Ambastha, For the O.P. Nos. (6A), (6B) & (6C); Mr. Satish Kumar Keshri, For the O.P. Nos. (7A), (7B) & (7C),

आदेश

डी॰ एन॰ पटेल, न्यायमूर्ति.–एल॰ पी॰ ए॰ संख्या 408 वर्ष 2009, दिनांक 22 मई, 2010 में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिए यह सिविल पुनर्विलोकन दाखिल किया गया है, जिसके द्वारा इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा इस आवेदक द्वारा दाखिल एल॰ पी॰ ए॰ खारिज कर दिया गया था।

2. आवेदिका के लिए उपस्थित होनेवाले अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रारंभ में दो घर थे जिन्हें पति एवं पत्नी द्वारा खरीदा गया था जिनके लिए बिहार भूमि सुधार (हदबंदी क्षेत्र नियतिकरण एवं अतिरेक भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 (इसमें इसके पश्चात् संक्षिप्तता की खातिर 'अधिनियम, 1961' के तौर पर निर्दिष्ट) की धारा 16(3) के अधीन दो आवेदन प्रत्यर्थी संख्या 6 द्वारा दाखिल किये गये थे, क्योंकि वहां दो संपत्तियां थीं, एक पति द्वारा तथा एक अन्य पत्नी द्वारा खरीदी गयी थीं। इन दोनों आवेदनों को भू-राजस्व उपायुक्त-एस॰ डी॰ एम॰, बेरमो, तेनुघाट के समक्ष दाखिल किया गया था। इन दोनों आवेदनों को दिनांक 1 फरवरी, 1986 के आदेश के तहत इस प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, जिसके विरूद्ध अधिनियम, 1961 की धारा 30 के अधीन प्रत्यर्थी सं॰ 6 द्वारा उपायुक्त, बोकारो के समक्ष अपील दाखिल किया गया था, उन्होंने भी दिनांक 29 अगस्त, 1997 के आदेश के तहत प्रत्यर्थी सं॰ 6 द्वारा दाखिल अपील खारिज कर दिया था। इस आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि व्यथित होने के कारण तथा उपायुक्त, बोकारो के पूर्वोक्त आदेश से असंतुष्ट अनुभव करते हुए, प्रत्यर्थी सं॰ 6 ने अधिनियम, 1961 की धारा 32 के अधीन सदस्य, राजस्व बोर्ड के समक्ष एक पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया था। राजस्व बोर्ड ने दिनांक 28 जुलाई, 1994 के आदेश के तहत मामला अपर समाहर्त्ता को प्रतिप्रेषित कर दिया था, यह भी अधिनियम, 1961 की धारा 30 के अधीन उपायुक्त के समान सहवर्ती

रूप से सशक्त होता है। आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि मामले के प्रतिप्रेषण के उपरान्त अपर समाहर्त्ता, बोकारो ने दिनांक 23, दिसम्बर, 1997 के आदेश के तहत इस आवेदिका के पक्ष में अपील का निर्णय किया था। इसके विरूद्ध, प्रत्यर्थी सं॰ 6 ने सदस्य, राजस्व बोर्ड के समक्ष अधिनियम, 1961 की धारा 32 के अधीन एक पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया था। इस राजस्व बोर्ड ने पुनरीक्षण आवेदन अनुज्ञात कर दिया था। इस प्रकार 10 जुलाई, 2002 के आदेश के तहत अधिनियम, 1961 की धारा 16(3) के अधीन प्रत्यर्थी सं॰ 6 द्वारा दावा किये गये अग्र क्रय के अधिकार को अनुज्ञात कर दिया गया था।

3. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि राजस्व बोर्ड द्वारा पारित आदेश से व्यथित एवं असंतुष्ट अनुभव करते हुए, पति एवं पत्नी दोनों ने दो पृथक रिट याचिकाएं–WPC संख्या 4673 वर्ष 2002 (पत्नी–इस आवेदिका द्वारा) तथा WPC संख्या 4672 वर्ष 2002 (पति द्वारा)–दाखिल किया था। WPC संख्या 4672 वर्ष 2002 (पति द्वारा) को व्यतिक्रम के कारण खारिज कर दिया गया था जिसके लिए प्रत्यास्थापन हेतु CMP संख्या 148 वर्ष 2007 दाखिल किया गया था जिसे दिनांक 11 अगस्त, 2008 के आदेश के तहत अनुज्ञात कर दिया गया था एवं WPC संख्या 4672 वर्ष 2002 को पति द्वारा दाखिल संख्या के ही साथ उसकी मूल संचिका में प्रत्यास्थापित कर दिया गया था। हमें इस मामले में इस रिट याचिका से कुछ लेना देना ही नहीं है। यह संदर्भ किया गया है क्योंकि WPC संख्या 4672 वर्ष 2002 वर्तमान याचिका के समरूप है, जिसे पत्नी द्वारा दाखिल किया गया है।

4. WPC संख्या 4673 वर्ष 2002 (पत्नी–वर्तमान आवेदिका द्वारा दाखिल) को वर्ष 2002 में व्यतिक्रम के कारण खारिज कर दिया गया था। अब पत्नी (वर्तमान आवेदिका) द्वारा CMP संख्या 304 वर्ष 2002 दाखिल किया गया था। इस CMP को भी 19 सितम्बर, 2003 के आदेश के तहत व्यतिक्रम के कारण खारिज कर दिया गया था। CMP संख्या 304 वर्ष 2002 के प्रत्यास्थापन के लिए, एक अन्य CMP संख्या 147 वर्ष 2007 संस्थित किया गया था (पत्नी–वर्तमान आवेदिका द्वारा), परन्तु विलम्ब की माफी के लिए किसी आवेदन के बिना। कार्यालय संबंधी दोष इस न्यायालय के रजिस्ट्री द्वारा निर्दिष्ट किया गया था तथा बाद में वर्ष 2009 में 1290 दिनों का विलम्ब होने पर विलम्ब की माफी के लिए एक अंतर्वर्ती आवेदन दाखिल किया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस विलम्ब को माफ नहीं किया गया था एवं इसे दिनांक 3 अगस्त, 2009 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था।

5. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित इस आदेश से व्यथित होकर, इस आवेदिका द्वारा एल॰ पी॰ ए॰ संख्या 408 वर्ष 2009 दाखिल किया गया था जिसे इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 22 मई, 2010 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था। एल॰ पी॰ ए॰ की पूर्वोक्त खारिजी के विरूद्ध, वर्तमान सिविल पुनर्विलोकन संख्या 81 वर्ष 2010 दाखिल किया गया है।

6. आवेदिका के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि समरूप स्थिति में विद्यमान WPC संख्या 4672 वर्ष 2002 को अंततः विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रत्यास्थापित कर दिया गया था एवं पत्नी (वर्तमान आवेदिका) द्वारा दाखिल WPC संख्या 4673 वर्ष 2002 को प्रत्यास्थापित न करने का कोई कारण विद्वान एकल न्यायाधीश के पास नहीं था।

7. रिट याचिका में अंतर्ग्रस्त विधि का बिन्दु यह है कि जब एक ऊपरी संरचना के साथ भूमि इस आवेदिका तथा उसके पति द्वारा वर्ष 1982 में खरीदी गयी थी तथा इन पति एवं पत्नी का प्रश्नाधीन संपत्ति पर कब्जा है, अधिनियम, 1961 की धारा 16(3) के अधीन प्रत्यर्थी संख्या 6 को अग्रक्रय का अधिकार है या नहीं? यह आवेदिका प्रत्यर्थी को मुनासिब खर्च देने के लिए भी तैयार है आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि WPC संख्या 4673 वर्ष 2002 को उसकी मूल संचिका में प्रत्यास्थापित किया जाये, ताकि गुणावगुणों पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मामले का निर्णय किया जा सके।

8. प्रत्यर्थी सं॰ 6 के लिए उपस्थित होनेवाले अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दिनांक 22 मई, 2010 के आदेश के तहत एल॰ पी॰ ए॰ की खारिजी में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा कोई त्रुटि कारित

नहीं की गयी है तथा अतएव, वर्तमान सिविल पुनर्विलोकन आवेदन गुणावगुणों पर इस न्यायालय द्वारा अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि सिविल पुनर्विलोकन में गुणावगुणों पर इस न्यायालय द्वारा इसे अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थी सं॰ 6 के अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि यह सिविल पुनर्विलोकन आवेदन छिपे तौर पर एक अपील नहीं है। वस्तुत: एल॰ पी॰ ए॰ में विलम्ब को गुणावगुणों पर माफ नहीं किया गया था। अगर गुणावगुणों पर इस आदेश को निष्प्रभावी बनाये जाने की भी आवश्यकता है, इसे सिविल पुनर्विलोकन में नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह विलम्ब की माफी के लिए आवेदन के अस्वीकरण के विरूद्ध एक अपील नहीं है।

कारण

9. दोनों पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनकर तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों का अवलोकन करने पर, यह प्रतीत होता है कि मूलत: पति एवं पत्नी दोनों ने वर्ष 1982 में एक उपरी संरचना के साथ संपत्तियां खरीदी थीं। वे कब्जा होने का भी दावा कर रहे हैं। प्रत्यर्थी सं॰ 6 एक पड़ोसी है जिसकी नजर प्रश्नाधीन संपत्तियों पर है। वह अधिनियम, 1961 की धारा 16(3) के अधीन संपत्ति खरीदने के लिए अग्रक्रय के अधिकार का दावा कर रहा है। प्रारंभ में एल॰ आर॰ डी॰ सी॰ के समक्ष प्रत्यर्थी सं॰ 6 द्वारा असफल प्रयास किये गये थे, जिन्होंने दिनांक 1 फरवरी, 1986 के आदेश के तहत प्रत्यर्थी सं॰ 6 द्वारा दाखिल आवेदन अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद, प्रत्यर्थी सं॰ 6 उपायुक्त, बोकारो के समक्ष भी अपील हार गया था, जिन्होंने भी दिनांक 29 अगस्त, 1997 के आदेश के तहत प्रत्यर्थी सं॰ 6 द्वारा दाखिल अपील खारिज कर दिया था। जिसके विरूद्ध, प्रत्यर्थी सं॰ 6 ने एक पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया था एवं मामला प्रतिप्रेषित कर दिया गया था। यह भी प्रतीत होता है कि जब अपील का फिर से निर्णय करने के लिए मामला अपर समाहर्त्ता को प्रतिप्रेषित किया गया था, उन्होंने दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के आदेश के तहत प्रत्यर्थी सं॰ 6 का दावा पुन: खारिज कर दिया था। अब प्रत्यर्थी सं॰ 6 ने राजस्व बोर्ड के समक्ष एक पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया था जिसे दिनांक 10 जुलाई, 2002 के आदेश के तहत अनुज्ञात कर दिया गया था। जिसके विरूद्ध, इस आवेदिका ने WP(C) संख्या 4673 वर्ष 2002 दाखिल किया था।

10. अब अड़चन प्रारंभ होती है। निर्धन आवेदिका रिट याचिका का समुचित रूप से प्रबंध नहीं कर सकी थी तथा इसे व्यतिक्रम के कारण खारिज कर दिया गया था। CMP संख्या 304 वर्ष 2002 तत्काल दाखिल किया गया था तथा दिनांक 19 सितम्बर, 2003 के आदेश के तहत इसे पुन: व्यतिक्रम के कारण खारिज कर दिया गया था। इस आवेदिका–महिला द्वारा अधिवक्ता की सेवा ली गयी थी। ज्यादा दोष अधिवक्ता पर है। पुन: CMP संख्या 304 वर्ष 2002 के प्रत्यास्थापन के लिए CMP संख्या 147 वर्ष 2007 संस्थित किया गया था। पुन: अधिवक्ता की सेवा ली गयी थी परन्तु वह विलम्ब की माफी के लिए आवेदन दाखिल नहीं कर सका था तथा अंतत:, इस उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा दोष निर्दिष्ट किया गया था तथा बाद में वर्ष 2009 में 1290 दिनों के विलम्ब के साथ विलम्ब की माफी के लिए अंतर्वर्ती आवेदन दाखिल किया गया था तथा इसे 3 अगस्त, 2009 के आदेश के तहत गुणावगुणों पर खारिज कर दिया गया था। इस आदेश के विरूद्ध, एल॰ पी॰ ए॰ संख्या 408 वर्ष 2009 दाखिल किया गया था, जिसे दिनांक 22 मई, 2010 के आदेश के तहत इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था। यह प्रतीत होता है कि इस न्यायालय की खंडपीठ ने पैरा 4 में सम्परीक्षित किया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिये गये दृष्टिकोणों से मतांतर रखने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है। इस प्रकार, गुणावगुणों पर इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा एल॰ पी॰ ए॰ खारिज कर दिया गया है। आवेदिका के लिए उपस्थित अधिवक्ता 50,000/– रुपये (पचास हजार रुपये) के खर्च का भुगतान करने के लिए तैयार हैं परन्तु यह आवेदिका के लिए मददगार नहीं है क्योंकि सिविल पुनर्विलोकन के साथ एक प्रच्छन्न अपील के तौर पर व्यवहार नहीं किया जा सकता है, चाहे मामले के गुणावगुणों पर कारण कितने ही उपयुक्त क्यों न हों। अब विलम्ब की माफी के लिए आवेदिका के पास उपलब्ध आधार का अवलोकन नहीं किया जा सकता है। छूटे हुए तर्कों के लिए, कोई सिविल पुनर्विलोकन आवेदन दाखिल नहीं किया जा सकता है। अगर इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश गुणावगुणों पर दोषपूर्ण भी है, कोई

सिविल पुनर्विलोकन आवेदन दाखिल नहीं किया जा सकता है। सिविल पुनर्विलोकन आवेदन अभिलेख के पटल पर प्रकट दोषों के सुधार के लिए ही दाखिल किया जा सकता है। सिविल पुनर्विलोकन आवेदन बुनियादी रूप से उन सिद्धांतों पर संचालित होगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XLVII में प्रगणित हैं।

11. (1979) 4 SCC 389 में रिपोर्ट किये गये **अरिबम तुलेश्वर शर्मा बनाम अईबम पिशाक शर्मा** के मामले में पैरा संख्या 3 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नवत् निर्णीत किया गया है:–

> ^^3. U;kf;d vk;Dr u viu iokfèkdkjh d vkn'k dk iufoykdu dju d fy, nk dkj.k fn; FkA igyk ;g Fkk fd mud iokfèkdkjh u nk egRoi.k nLrkotk in'kk A1 rFkk A3 dh vun[kh dj nh Fkh tk n'kkr Fk fd o"k 1948&49 e Hkh iR;Fkhx.k dk dk; LFkyk ij dCtk Fkk rFkk ;g fd vunku mI le; rd gh inku dj fn; x; gkxA nljk ;g Fkk fd ,dy fjV ;kfpdk e fofHkUu iR;Fkhx.k d i{k e fd; x; cUnkcLr ij i'u mBku dh vihykFkh dk vuefr nu e ,d idV voèkkfudrk FkhA ge lng g fd fo}ku U;kf;d vk;Dr }kjk mfYyf[kr dkj.kk e l dkb Hkh iufoykdu d fy, dkb vkèkkj cukrk gA **tlk fd f'kono flg cuke itkc jkT; e bl U;k;ky; }kjk lEijhf{kr fd;k x;k g] ;g lgh g fd lfoèkku d vuPNn 226 e iufoykdu dh 'kfDr dk bLreky dju l mPp U;k;ky; dk jkdu d fy, dN Hkh ugh g tk U;k; dk guu jkdu d fy, ;k mld }kjk dkfjr xHkhj ,o Li"V nk"kk dk nj dju d fy, vfre vfèkdkfjrk d iR;d U;k;ky; e fufgr gkrh gA ijUr iufoykdu dh 'kfDr d bLreky dh fu'pk;h lhek, gA u; rFkk egRoi.k ekey ;k lk{; d irk pyu ij iufoykdu dh 'kfDr dk bLreky fd;k tk ldrk g tk iufoykdu dh bllk djuoky O;fDr dh tkudkjh e lE;d rRijrk cjru d ckn Hkh ugh Fkk ;k ftl mld }kjk ml le; i'k ugh fd;k tk ldk Fkk tc vkn'k fd;k x;k Fkk % bldk bLreky fd;k tk ldrk g tgk vfHkys[k d iVy ij dN =fV ;k idV nk"k ik;k tkrk g(bldk blh ln'k vkèkkj ij Hkh bLreky fd;k tk ldrk gA ijUr] bldk bl vkèkkj ij bLreky ugh fd;k tk ldrk g fd fu.k; x.kkox.kk ij nk"ki.k FkkA ;g fdlh vihyh; U;k;ky; dk vfèkdkj {k= gkxkA iufoykdu dh 'kfDr dk Hkeo'k vihyh; 'kfDr;k tlk ugh le>k tkuk g tk vèkhuLFk U;k;ky; }kjk dkfjr lHkh idkj dh =fV;k dk n:Lr dju e vihyh; U;k;ky; dk l{ke cuk ldrh gA**** (cy inku fd;k x;k)

12. (1995) 1 SCC 170 में रिपोर्ट किये गये **मीरा भांजा बनाम निर्मला कुमारी चौधरी** के मामले, विशेषकर पैरा संख्याओं 8, 9 एवं 15 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निम्नवत् निर्णीत किया गया है:–

> "8. **;g lLFkkfir g fd iufoykdu dh dk;okfg;k ,d vihy d :i e ugh gkrh g rFkk bUg dBkjrkiod flO iO lO d vkn'k 47] fu;e 1 dh ifjfèk ,o dk;{k= rd lhfer jguk gkrk gA vkn'k 47] fu;e 1 d vèkhu U;k;ky; dh 'kfDr;k d ifjlhek d lcèk e] Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 226 d vèkhu vkn'kk dk iufoykdu dju dh bllk djr le; mPp U;k;ky; dk miyCèk le:i vfèkdkfjrk ij fopkj djr g,] U;k;efr fpulik jMMh d ekè;e l ckyr g, bl U;k;ky; u vfjce ry'oj 'kek cuke vfjce fi'kkd 'kek d ekey e fuEukfdr lehphu ijh{k.k fd; g%** (SCC i"B 390] ijk 3)
>
> ^^tlk fd f'kono flg cuke itkc jkT; e bl U;k;ky; }kjk lEijhf{kr fd;k x;k g] ;g lgh g fd lfoèkku d vuPNn 226 e iufoykdu dh 'kfDr dk bLreky dju l mPp U;k;ky; dk jkdu d fy, dN Hkh ugh g tk U;k; dk guu jkdu d fy, ;k mld }kjk dkfjr xHkhj ,o Li"V nk"kk dk nj dju d fy, vfre

vfèkdkfjrk d iR;d U;k;ky; e fufgr gkrh gA **ijUr iufoykdu dh 'kfDr d bLreky dh fu'pk;h lhek, gA u; rFkk egRoi.k ekey ;k lk{; d irk pyu ij iufoykdu dh 'kfDr dk bLreky fd;k tk ldrk g tk iufoykdu dh bllk djuoky 0;fDr dh tkudkjh e lE;d rRijrk cjru d ckn Hkh ugh Fkk ;k ftl mld }kjk ml le; i'k ugh fd;k tk ldk Fkk tc vkn'k fd;k x;k Fkk % bldk bLreky fd;k tk ldrk g tgk vfHky[k d iVy ij dN =fV ;k idV nk"k ik;k tkrk g(bldk blh ln'k vkèkkj ij Hkh bLreky fd;k tk ldrk gA ijUr] bldk bl vkèkkj ij bLreky ugh fd;k tk ldrk g fd fu.k; x.kkox.kk ij nk"ki.k FkkA ;g fdlh vihyh; U;k;ky; dk vfèkdkj {k= gkxkA iufoykdu dh 'kfDr dk Hkeo'k vihyh; 'kfDr;k tlk ugh le>k tkuk g tk vèkhuLFk U;k;ky; }kjk dkfjr lHkh idkj dh =fV;k dk n:Lr dju e vihyh; U;k;ky; dk l{ke cuk ldrh gA**"**

9. **vc bl Hkh nf"Vxr j[kk tkuk g fd vk{kfir fu.k; e] mPp U;k;ky; dh [kMihB u Li"Vr% lEijhf{kr fd;k g fd o vfHky[k d iVy ij idV nk"k d vkèkkj ij gh iufoykdu ;kfpdk xg.k dj jg Fk rFkk fdlh vU; vkèkkj ij ughA tgk rd bl igy dk lcèk g] bl è;ku e j[kk tkuk g fd vfHky[k d iVy ij idV dkb nk"k vfuok;r% ,lk nk"k gkuk g tk vfHky[k ij n[ku ek= l gh fdlh dk irk py tk; rFkk ftle mu fcUnvk ij rd ford dh fdlh yEch ifØ;k dh vko';drk ugh gk tgk nk er èkkj.k fd; tk ldr gA** ge lR;ukjk;.k y{ehukjk;.k gxM cuke efYydktu Hkkoulik rh:ey d ekey e bl U;k;ky; d lEijh{k.kk dk mi;kxh :i l fufn"V dj ldr g ftle U;k;ky; d fy, ckyr g, U;k;efr dO lhO nklxlrk u vfHky[k d iVy ij idV nk"k d lcèk e fuEufdr lEijh{k.k fd; g%&

fdlh ,l nk"k dk dfBukb l gh vfHky[k d iVy ij idV ,d nk"k dgk tk ldrk g ftl rd ford dh ,d yEch ifØ;k }kjk fl) fd;k tkuk g mu fcUnvk ij ftuij nk er èkkj.k fd; tk ldr gA tgk ,d vfHkdfFkr nk"k LoLi"V gku l dkQh nj g rFkk vxj bl fl) fd;k tk ldrk g] bl yEc rFkk tfVy rdk }kjk fl) fd;k tkuk g] ,lk fjV fuxr dju d fy, mPprj U;k;ky; dh 'kfDr;k dk lpkfyr djuoky fu;e d vulkj ,l nk"k dk mRi"k.k d fjV }kjk mipkj ugh fd;k tk ldrk gA

15. **gekjh jk; e] iufoykdu dk;okfg;k ij fopkj djr g, [kMihB dk iokDr jo;k Li"Vr% n'kkrk g fd ;g idV nk"k l ;Fkk xLr fiNyh [kMihB }kjk viuk; x; rd dk ek= <x cnydj flO iO lO d vkn'k 47] fu;e 1 d vèkhu viuh vfèkdkfjrk l vkx pyh x;h gA gekj }kjk io e bfxr LFkkfir fofèk dh fLFkfr dh nf"V e ;g ,d idV nk"k ;k idV =fV ugh cu tk;xhA rkfRod :i l] iufoykdu ihB u lep lk{; dk iueY;kdu fd;k g] yxHkx ,d vihyh; U;k;ky; d :i e cBd fd;k g rFkk fiNyh [kMihB }kjk ikIr fu"d"kk dk myV fn;k gA vxj lhO ,lO lykV l[;k 74 l lcfèkr [kMihB d fiNy fu"d"k nk"ki.k Hkh ik; x; Fk] ;g mud iufoykdu d fy, dkb vkèkkj ugh gkxk D;kfd ;g fdlh vihyh; U;k;ky; dk idk; gkxkA iR;Fkh d fo}ku vfèkoDrk bl fufn"V dju dh fLFkfr e ugh Fk fd flO iO lO vkn'k 47] fu;e 1 dh ldh.k ,o lhfer ifjfèk d Hkhrj iufoykdu ihB }kjk viuk; x; rd rFkk ikIr fu"d"k dk fdl idkj leFku fd;k tk ldrk gA lgh Fkk ;k xyr] fiNyh [kMihB dk fu.k; vfre cu pdk Fkk tgk rd mPp U;k;ky; dk lcèk FkkA iufoykdu dh 'kfDr;k dk voyc yu dk U;k;lxr Bgjku**

*d fy, vfHkdfFkr idV nk"k dk irk yxku dk è;ku e j[kdj lep lk{; ij iufopkj djd bldk iufoykdu ugh fd;k tk ldrk FkkA vr,o] doy bl NkV vkèkkj ij gh bl vihy dk vuKkr fd; tku dh vko';drk gA tgk rd lhO ,lO lykV l[;k 74 dk lcèk g] vihyh; fMØh l[;k 569 o"k 1973 l gkuokyh vihy dk [kkfjt djuoky [kMihB d fnukd 8.7.1986 d vfre fu.k; rFkk bl Hk&[kM] vFkkr] lhO ,lO lykV l[;k 74 d lcèk e fnukd 5.9.1984 d iufoykdu fu.k; vikLr fd; tkr g rFkk okn lykV l[;k 74 l lcfèkr nlh vihy dk vuKkr djuokyk mPp U;k;ky; dk fnukd 3.8.1978 dk fiNyk fu.k; iucgky fd;k tkrk gA rnulkj] vihy vuKkr dh tkrh gA ekey d rF;k rFkk ifjfLFkfr;k e] U;;k dk ydj dkb vkn'k ugh gkxkA*** *(cy inku fd;k x;k)*

13. (1997) 8 SCC 715 में रिपोर्ट किये गये **परसियोन देवी बनाम सुमीत्री देवी** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, विशेष रूप से पैरा संख्याओं 7 से 9 में यह भी निम्नवत् निर्णीत किया गया है:–

"7. ;g lLFkkfir g fd iufoykdu dk;okfg;k dk flO iO lO vkn'k 47] fu;e 1 d ifjfèk ,o dk;{k= d Hkhrj dBkjrkiod lhfer jguk gkrk gA rxHknk bMLVhV fyfeVM cuke vkèk in'k jkT; (SCR i"B 186 ij) e bl U;k;ky; u jk; fn;k Fkk

^^rFkkfi] vc ge ftll eryc g og ;g g fd D;k flrEcj] 1959 d vkn'k e ;g dFku fd ekey e fofèk dk dkb rkfRod i'u vrxLr ugh Fkk] vfHky[k d iVy ij ,d idV nk"k gA ;g rF; fd fiNy volj ij U;k;ky; u rF;k dh ,d ln'k fLFkfr ij fu.khr fd;k Fkk fd mnHkkr gkuoky fofèk dk dkb rkfRod i'u viu vki e fu'pk;h ugh gkxk] D;kfd fiNyk vkn'k gh nk"ki.k gk ldrk gA blh idkj] vxj ;g dFku nk"ki.k Hkh Fkk] bll ;g lkeu ugh vk;xk fd ;g vfHky[k d iVy ij idV ,d nk"k Fkk D;kfd ,d vrj g tk okLrfod g] ;]fi ,d nk"ki.k fu.k; ek= rFkk ,d ,l fu.k;] ftl idV nk"k }kjk nf"kr ,d fu.k; d :i e fpfUgr fd;k tk ldrk gk] d chp vrj djuk lno lHko ugh gk ldrk gA ***,d iufoykdu fdlh Hkh idkj l iPNUu :i l ,d vihy ugh g ftld }kjk ,d nk"ki.k fu.k; dh iuh luokb dh tkrh g rFkk bl n:Lr fd;k tkrk g] cfYd ;g doy idV nk"k d fy, gkrk gA*****

8. iuh] ehjk Hkktk cuke fueyk dekjh pkèkjh e vfjce ry'oj 'kek cuke vfjce fi'kkd 'kek l ,d vorj.k dk lgefr l mRdfFkr djr g, bl U;k;ky; u iuh fu.khr fd;k Fkk fd iufoykdu dh dk;okfg;k ,d vihy d rkj ij ugh gkrh g rFkk bUg dBkjkriod flO iO lO d vkn'k 47] fu;e 1 dh ifjfèk rFkk dk;{k= d Hkhrj lhfer jguk gkrk gA

9. flO iO lO d vkn'k 47] fu;e 1 d vèkhu dkb fu.k; vU; d lkFk&lkFk iufoykdu d fy, [kyk gk ldrk g vxj vfHky[k d iVy ij ,d =fV ;k nk"k idV gA dkb ,lk nk"k tk LoLi"V ugh g rFkk ftldk rd ford dh ifØ;k }kjk irk yxk;k tkuk gkrk g] flO iO lO d vkn'k 47] fu;e 1 d vèkhu iufoykdu dh viuh 'kfDr dk bLreky dju d fy, U;k;ky; d fy, vkfpR;i.k cukr g, vfHky[k d iVy ij ,d idV nk"k dnkfpr gh dgk tk ldrk gA ***flO iO lO d vkn'k 47] fu;e 1 d vèkhu vfèkdkfjrk d bLreky e] fdlh nk"ki.k fu.k; dh iuh luokb fd;k tkuk rFkk bl n:Lr fd;k tkuk vuK; ugh gA bl vko';d :i l Lej.k j[kuk g fd ,d iufoykdu ;kfpdk dk lhfer mí'; gkrk g rFkk bl iPNUu :i l ,d vihy gku ugh fn;k tk ldrk gA**** *(cy inku fd;k x;k)*

14. (2006) 4 SCC 78 में रिपोर्ट किये गये **हरिदास दास बनाम उषा रानी बानिक** के मामले में, विशेषकर पैरा संख्या 13 से 18 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नवत् यह भी निर्णीत किया गया है:–

"13. fdlh iufoykdu dh xtkb'k dk le>u d fy,] flO iO lO dh èkkjk 114 dk ifBr fd;k tkuk gkxk ijUr ;g èkkjk U;k;ky; l vif{kr gLr{ki dh ifjfèk dk Hkh dFkr ugh djrh g D;kfd ;g ek= ,lk dFku djrh g fd ;g mlij ,lk vkn'k dj ldrk g ftl og mi;Dr le>A flO iO lO d vkn'k 47 e ekin.M fofgr fd, x, g rFkk bl edne d i;ktukFk] ifroknh dk fdlh Hkky ;k vfHky[k d iVy ij idV fdlh nk"k d dkj.k ;k fdlh vU; i;kIr dkj.k d fy, iu% luokb djku gr tkj nu dh vuefr nr gA fu;e dk iFke Hkkx vkond l lçfèkr fd, tku ;kX; fdlh ifjfLFkfr l lcfèkr g] rFkk ckn okyk ,d U;kf;d ÑR; l tk idVr% nk"ki.k g ;k ftlij nk fu"d"k lEHko ugh gA mue l dkb Hkh fookn dh iu%] luokb vfHkdfFkr ugh djrk g D;kfd fdlh i{kdkj u ekey d bu lkj igyvk dk mtkxj ugh fd;k Fkk ;k dnkfpr muij vfèkd icy :i l ftjg dj ldrk Fkk rFkk@;k U;k;ky; d fy, ckè;dj mnkgj.k m)r dj ldrk Fkk ,o rn}kjk ,d vudy fu.k; ikIr dj ldrk FkkA ;g vkn'k 47 d fu;e 1 d Li"Vhdj.k l i;kIr :i l Li"V g tk dFkr djrk g fd ;g rF; fd fofèk d fdlh i'u ij fu.k;] ftlij U;k;ky; dk fu.k; vkèkkfjr g] fdlh vU; ekey e mPprj U;k;ky; d i'pkrh fu.k; }kjk iR;kofrr ;k mikUrfjr fd;k x;k g] ,l fu.k; d iufoykdu d fy, ,d vkèkkj ugh gkxkA **tgk i'ukèkhu vkn'k vihy ;kX; g] 0;fFkr i{k d ikl i;kIr rFkk iHkkoh mipkj g] rFkk U;k;ky; dk viu vkn'k dk iufoykdu dju d fy, 'kfDr dk bLreky vR;Ur l;e l djuk pkfg,A** rxHknk bMLVh tfyfeVM cuke vkèk in'k ljdkj e bl U;k;ky; u fuEuor fu.khr fd;k Fkk((SCR i"B 186)

^^;gk ek= ,d nk"ki.k fu.k; rFkk ,d ,l fu.k;] ftl idV =fV }kjk ;Fkk nf'kr fu.k; d :i e fpfUgr fd;k tk ldrk g] d chp ,d vUrj g tk okLrfod g ;|fi ;g lno idV fd, tku ;kX; ugh gk ldrk gA **dkb iufoykdu fdlh Hkh idkj l iPNUur% ,d vihy ugh gkrk g ftld }kjk ,d nk"ki.k fu.k; dh iu% luokb dh tkrh g rFkk ml n:Lr fd;k tkrk g] cfYd doy idV nk"k d fy, gkrk gA** -------- tgk fdlh fo'kn rd d fcuk dkb nk"k dk fufn"V dj ldrk g rFkk dg ldrk g fd ;gk fofèk dk ,d rkfRod fcUn g tk fdlh dk lkQ fn[kkb iM jgk g] rFkk bld ckj e ;fDr;Dr :i l dkb nk jk; ugh j[kh tk ldrh g] vfHky[k d iVy ij ,d idV nk"k dk ,d Li"V ekeyk cuxkA**

14. ehjk Hkk tk cuke fueyk dekjh pkèkjh e] ;g fuEuor fu.khr fd;k x;k Fkk fd%&

8. **;g lLFkkfir g fd iufoykdu dh dk;okfg;k ,d vihy d :i e ugh gkrh g rFkk bUg dBkjrkiod flO iO lO d vkn'k 47] fu;e 1 dh ifjfèk ,o dk;{k= rd lhfer jguk gkrk gA vkn'k 47] fu;e 1 d vèkhu U;k;ky; dh 'kfDr;k d ifjlhek d lcèk e] Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 226 d vèkhu vkn'kk dk iufoykdu dju dh blls djr le; mPp U;k;ky; dk miyCèk le:i vfèkdkfjrk ij fopkj djr g,] U;k;efr fpulik jMMh d ekè;e l ckyr g, bl U;k;ky; u vfjce ry'oj 'kek cuke vfjce fi'kkd 'kek d ekey e fuEukfdr lehpku ijh{k.k fd;s g%**

^;g lgh g fd lfoèkku d vuPNn 226 e iufoykdu dh 'kfDr dk bLreky dju l mPp U;k;ky; dk jkdu d fy, dN Hkh ugh g tk U;k; dk guu jkdu d fy, ;k mld }kjk dkfjr xHkhj ,o Li"V nk"kk dk nj dju d fy, vfre vfèkdkfjrk d iR;d U;k;ky; e fufgr gkrh gA ijUr iufoykdu dh 'kfDr d bLreky dh fu'pk;h lhek, gA u; rFkk egRoi.k ekey ;k lk{; d irk pyu ij iufoykdu dh 'kfDr dk bLreky fd;k tk ldrk g tk iufoykdu dh blls djuoky 0;fDr dh tkudkjh e lE;d rRijrk cjru d ckn Hkh ugh Fkk ;k ftl

mld }kjk ml le; i'k ugh fd;k tk ldk Fkk tc vkn'k fd;k x;k Fkk % bldk bLreky fd;k tk ldrk g tgk vfHky[k d iVy ij dN =fV ;k idV nk"k ik;k tkrk g(bldk blh ln'k vkèkkj ij Hkh bLreky fd;k tk ldrk gA ijUr] bldk bl vkèkkj ij bLreky ugh fd;k tk ldrk g fd fu.k; x.kkox.kk ij nk"ki.k FkkA ;g fdl vihyh; U;k;ky; dk vfèkdkj {k= gkxkA iufoykdu dh 'kfDr dk Hkeo'k vihyh; 'kfDr;k tl ugh le>k tkuk g tk vèkhuLFk U;k;ky; }kjk dkfjr lHkh idkj dh =fV;k dk n:Lr dju e vihyh; U;k;ky; dk l{ke cuk ldrh gA* *(SCC i"B 172&73 ijk 8)*

15. vkn'k 47 fu;e 1 dk ifj'khyu n'kkrk g fd fdl h fu.k; ;k vkn'k d iufoykdu dh bl k dh tk ldrh gA ^^(a) u, rFkk egRoi.k ekeyk ;k lk{; dk irk yxku l tk lE;d rRijrk cjr tku d ckn vkond d tkudkjh e ugh Fkk((b) , l egRoi.k ekey ;k lk{; dk vkond }kjk ml le; iLrr ugh fd;k tk ldrk Fkk tc fMØh ikfjr dh x;h Fkh ;k vkn'k fd;k x;k Fkk((c) vfHky[k d iVy ij idV fdl h pd ;k nk"k d dkj.k ;k fdl h vU; i;kIr dkj.k lA

16. ***vfjce ry'oj 'kek cuke vfjce fi'kkd 'kek e bl U;k;ky; u fu.khr fd;k Fkk fd iufoykdu dh 'kfDr d bLreky dh fu'pk;h lhek, gA*** *ml ekey e] lfgrk d vkn'k 47] fu;e 1 lg&ifBr èkkjk 151 d vèkhu ,d vkonu nkf[ky fd;k x;k Fkk ft l vuKkr dj fn;k x;k Fkk rFkk U;kf;d vk;Dr }kjk ikfjr vkn'k vikLr dj fn;k x;k Fkk ,o fjV ;kfpdk [kkfjt dj nh x;h FkhA bl U;k;ky; e ,d vihy gku ij fuEuor fu.khr fd;k x;k Fkk((SCC i"B 390] ijk 3)*

^^t l k fd f'kono fl g cuke itkc jkT; e bl U;k;ky; }kjk lEijhf{kr fd;k x;k g] ;g lgh g fd lfoèkku d vuPNn 226 e iufoykdu dh 'kfDr dk bLreky dju l mPp U;k;ky; dk jkdu d fy, dN Hkh ugh g tk U;k; dk guu jkdu d fy, ;k mld }kjk dkfjr xHkhj ,o Li"V nk"kk dk nj dju d fy, vfre vfèkdkfjrk d iR;d U;k;ky; e fufgr gkrh gA ijUr iufoykdu dh 'kfDr d bLreky dh fu'pk;h lhek, gA u; rFkk egRoi.k ekey ;k lk{; d irk pyu ij iufoykdu dh 'kfDr dk bLreky fd;k tk ldrk g tk iufoykdu dh bl k djuoky 0;fDr dh tkudkjh e lE;d rRijrk cjru d ckn Hkh ugh Fkk ;k ft l mld }kjk ml le; i'k ugh fd;k tk ldk Fkk tc vkn'k fd;k x;k Fkk % bldk bLreky fd;k tk ldrk g tgk vfHky[k d iVy ij dN =fV ;k idV nk"k ik;k tkrk g(bldk blh ln'k vkèkkj ij Hkh bLreky fd;k tk ldrk gA ijUr] bldk bl vkèkkj ij bLreky ugh fd;k tk ldrk g fd fu.k; x.kkox.kk ij nk"ki.k FkkA ;g fdl h vihyh; U;k;ky; dk vfèkdkj {k= gkxkA ***iufoykdu dh 'kfDr dk Hkeo'k vihyh; 'kfDr;k tl ugh le>k tkuk g tk vèkhuLFk U;k;ky; }kjk dkfjr lHkh idkj dh =fV;k dk n:Lr dju e vihyh; U;k;ky; dk l{ke cuk ldrh gA*****

17. ehjk Hkk tk e vfjce ekey dk vu'kj.k fd;k x;k gA ml ekey e bl nkgjk;k x;k g fd iufoykdu dh vfèkdkfjrk vftr dju d fy, vfHky[k d iVy ij idV =fV vko';d :i l , l h =fV gkuh g tk vfHky[k ij n[ku ek= l fdl h d è;ku e vk tk, rFkk ble rd ford dh pyu okyh yEch ifØ;k dh vko';drk u gkA lR;ukjk;.k y{ehukjk;.k gxM cuke feYyhdk tu Hkkoulik fr:ey e vfHky[k d iVy ij idV nk"k d lcèk e fuEukfdr lEijh{k.kk dk Hkh mfYyf[kr fd;k x;k Fkk % (AIR i"B 137)

^^fdl h , l nk"k dk dfBukb l gh vfHky[k d iVy ij idV , d nk"k dgk tk ldrk g ft l rd ford dh , d yEch ifØ;k }kjk fl) fd;k tkuk g mu

fcUnvk ij ftuij nk er èkkj.k fd; tk ldr gA tgk ,d vfHkdfFkr nk"k LoLi"V gku l dkQh nj g rFkk vxj bl fl) fd;k tk ldrk g] bl yEc rFkk tfVy rdk }kjk fl) fd;k tkuk g] ,d lk fjV fuxr dju d fy, mPprj U;k;ky; dh 'kfDr;k dk lpkfyr djuoky fu;e d vulkj ,l nk"k dk mRi"k.k d fjV }kjk mipkj ugh fd;k tk ldrk gA (SCR i"B 901&02)

18. ijfl;k noh cuke lfe=h noh e bl U;k;ky; d lEijh{k.kk dk mfYyf[kr djuk Hkh lehphu gA vfjce rFkk ehjk Hkk tk e g, fu.k;k ij Hkjk lk djr g, fuEuor lEijhf{kr fd;k x;k FkkA (SCC i"B 719] ijk 9)

"9. fl0 i0 l0 d vkn'k 47] fu;e 1 d vèkhu dkb fu.k; vU; d lkFk&lkFk iufoykdu d fy, [kyk gk ldrk g vxj vfHky[k d iVy ij ,d =fV ;k nk"k idV gA dkb ,l nk"k tk LoLi"V ugh g rFkk ft ldk rd ford dh ifØ;k }kjk irk yxk;k tkuk gkrk g] fl0 i0 l0 d vkn'k 47] fu;e 1 d vèkhu iufoykdu dh viuh 'kfDr dk bLreky dju d fy, U;k;ky; d fy, vkfpR;i.k cukr g, vfHky[k d iVy ij ,d idV nk"k dnkfpr gh dgk tk ldrk gA **fl0 i0 l0 d vkn'k 47] fu;e 1 d vèkhu vfèkdkfjrk d bLreky e] fdlh nk"ki.k fu.k; dh iuh luokb fd;k tkuk rFkk bl n:Lr fd;k tkuk vuK; ugh gA bl vko';d :i l Lej.k j[kuk g fd ,d iufoykdu ;kfpdk dk lhfer mí'; gkrk g rFkk bl iPNUu :i l ,d vihy gku ugh fn;k tk ldrk gA**** *(cy inku fd;k x;k)*

15. (2012) 7 SCC 200 में रिपोर्ट किये गये **हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड बनाम मवासी** के मामले में, हाल ही में विशेष रूप से पैरा संख्याओं 26 से 30 तथा 32 से 35 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नवत् निर्णीत किया है:–

*"26. **bl pj.k e ,lk lEijhf{kr djuk lehphu gkxk fd iufoykdu dh 'kfDr lfofèk dh mRifÙk g rFkk dkb U;k;ky; ;k v)U;kf;d fudk; ;k i'kkfud ikfèkdkj viu fu.k; ;k vkn'k ;k Qly dk iufoykdu dj ldrk g tcrd fd ;g ,lk dju e oèkkfud :i l l'kDr u gkA** vuPNn 137 bl U;k;ky; dk lln }kjk cuk; x; fdlh fofèk d ikoèkkuk ;k lfoèkku d vuPNn 145 d vèkhu cuk; x; fu;ek d vè;èkhu viu fu.k;k dk iufoykdu dju e l'kDr cukrk gA ml vuPNn d vèkhu bl U;k;ky; }kjk fojfpr fu;e vfèkdfFkr djr g fd flfoy ekeyk e] doy flfoy ifØ;k lfgrk] 1908 d vkn'k 47] fu;e 1 e fofufn"V vkèkkjk e l fdlh ij iufoykdu gkrk g] tk fuEuor ifBr g%&*

vkn'k 47 fu;e 1 %

*1. **fu.k; d iufoykdu d fy, vkonu-**&(1) tk dkb 0;fDr&*

(a) fdlh ,l fMØh ;k vkn'k l ft ldh vihy vuKkr g fdUr ft ldh dkb vihy ugh dh xb g]

(b) fdlh ,lh fMØh ;k vkn'k l] ft ldh vihy vuKkr ugh g] vFkok

(c) y?kokn U;k;ky; }kjk fd, x, fun'k ij fofu'p; l]

viu dk 0;fFkr le>rk g vkj tk ,lh ub vkj egRoi.k ckr ;k lk{; d irk pyu l tk lE;d rRijrk d i;kx d i'pkr ml le; tc fMØh ikfjr dh x;h Fkh ;k vkn'k fd;k x;k Fkk] ml d Kku e ugh Fkk ;k ml d }kjk i'k ugh fd;k tk ldrk Fkk] ;k fdlh ey ;k xyrh d dkj.k tk vfHky[k d n[ku l idV gkrh gk ;k fdlh vU; i;kIr dkj.k l og pkgrk g ml fo:) ikfjr fMØh ;k fd, x, vkn'k dk iufoykdu fd;k tk,] og ml U;k;ky; l fu.k; d iufoykdu d fy, vkonu dj ldxk ft lu og fMØh ikfjr dh Fkh ;k og vkn'k fd;k FkkA

(2) og i{kdkj tks fMØh ;k vkns'k dh vihy ugha dj jgk g] fu.k; d iufoyksdu d fy, vkonu bl ckr d gkr g, Hkh fd fdlh vU; i{kdkj }kjk dh xbZ vihy yfcr g ogk d flok; dj ldxk tgk ,lh vihy dk vk/kkj vkond vkj vihykFkh nkuk d chp lkekU; g ;k tgk iR;FkhZ gkr g, og vihy U;k;ky; e viuk ekeyk mifLFkr dj ldrk g ftld vk/kkj ij og iufoyksdu d fy, vkonu djrk gA

Li"Vhdj.k-*&;g rF; fd fdlh fof/k&i'u dk fofu'p; ftl ij U;k;ky; dk fu.k; vk/kkfjr g] fdlh vU; ekey e ofj"B U;k;ky; d i'pkrorhZ fofu'p; }kjk myV fn;k x;k g ;k mikUrfjr dj fn;k x;k g] ml fu.k; d iufoyksdu d fy, vk/kkj ugha gkxkA***

27\. *iokDr ikoèkkuk dh dbZ ekeyk e O;k[;k dh x;h gA ge mue l dN dk è;ku e yxA ,lO ukxjkt cuke dukVd jkT; e] bl U;k;ky; u jktk iFoh pn yky pkèkjh cuke l[kjkt jk; rFkk jktUn ukjk;.k jk; cuke fct; xkfoUn flg e g, fu.k;k dk fufn"V fd;k Fkk rFkk lEijhf{kr fd;k Fkk½ ,lO ukxjkt dk ekeyk] SCC i"B 619–20] ijk 19)*

^^19. ***iufoyksdu dk 'kfDr&nd :i l ,o U;kf;d :i l Hkh vFk iuijh{kk ;k iufopkj gkrk gA*** *ekuoh; ncyrk dk lkoHkkfed Lohdj.k ble vrfufgr cfu;knh n'ku gA fQj Hkh fofèk d {k= e U;k;ky;k rFkk lfofèk;k dk Hkh icy :i l ol fu.k; dh vfrerk d i{k e >dko g tks oèkkfud rFkk mi;Dr :i l fd; x; gA n?kVuko'k gbZ pdk ;k U;k; d guu dk n:Lr dju d fy, lkfofèkd rFkk U;kf;d nkuk idkj l vioknLo:i cuk; x; gA tgk ,lk dkbZ loèkkfud ikoèkku ugh Hkh Fkk rFkk mPpre U;k;ky; }kjk ,l dkbZ fu;e fojfpr ugh fd; x; Fk mu ifjfLFkfr;k dk bfxr djr g, ftue og viu vkns'k dk n:Lr dj ldrk Fkk] vknf'kdk d n:i;kx ;k U;k; d guu dk jkdu d fy, U;k;ky;k u ,lh 'kfDr ikIr dj yh FkhA* ***jktk iFoh pUn yky pkèkjh cuke l[kjkt jk; e U;k;ky; u lEijhf{kr fd;k Fkk fd ;|fi mPpre U;k;ky; dk viu vkns'k dk iufoyksdu dju dh vuefr nr g, dkbZ fu;e fojfpr ugh fd; x; Fk fQj Hkh ;g fiohZ dkmfUly rFkk gkml vkQ ykMl }kjk r;kj fd; x; lhfer ,o ldh.kZ vk/kkj ij miyCèk FkkA U;k;ky; u jktUn ukjk;.k jk; cuke fct; xkfoUn flg e fiohZ dkmfUly }kjk vfèkdfFkr fl)kr dk vuekfnr fd;k Fkk fd U;k;ky; }kjk fd;k x;k vkns'k vfre g rFkk ifjofrr ugh fd;k tk ldrk g%*** *(jktUn ukjk;.k jk; dk ekeyk] MIA i"B 216)*

*^^----fQj Hkh] vxj fu.k;k dk lekfo"V dju e O;frØe l nks"k vk x; g] ;g U;k;ky; lkekU; fofèk }kjk ogh 'kfDr viu ikl j[kr g tk mu nks"kk] tk vk x; g] dk n:Lr dju e vfHky[k d U;k;ky;k rFkk lfofèk;k d ikl gkrh gA ---- gkÅl vkQ ykMl viu gh fu.k;k dk r;kj dju e gbZ pdk dk n:Lr dju dh le:i 'kfDr dk bLreky djrk g] rFkk bl U;k;ky; d ikl vko';d :i l ;gh ikfèkdkj gkuk gA rFkkfi] U;k;kèkh'kx.k fMØh dk iofrr djku e l{ke cuku d fy, ,d dne vkj vkx py x; g] rFkk fu.k;k d fooj.kk e vuoèkkurk l vk x;h pdk dk n:Lr fd;k g(;k idV nks"kk dk lkeu j[kk g] ;k Li"Vhdj.k dju okyk ekeyk dk tkMk g] ;k vlxrrk vk dk lek;kftr fd;k gA**

bl 'kfDr d bLreky d fy, vk/kkj mlh fu.k; e fuEuor dfFkr fd;k x;k Fkk%

^blij lng djuk vlHko g fd vfre vkJ; d fdlh U;k;ky; }kjk fd; x; vuipkj.kh; vU;k; dk jkdu d fy, fo|eku LokHkkfod bPNk d dkj.k iѐkkurk ,l ekeyk e NV inku dh x;h g] tgk fdlh n?kVuko'k fdlh nks"k d

fcuk i{kdkj dk ugh luk x;k g rFkk ,d vkn'k vuoèkkurk l dj fn;k x;k g t l fd i{kdkj dk luk x;k FkkA**

bl idkj] fdlh vkn'k dh ifj'kf) bl ekfyd fl)kr l mRiUu gkrh g fd U;k; lokifj gA nk"k dk nj dju d fy, bldk bLreky fd;k tkrk g rFkk vfrerk d lkFk NMNkM dju d fy, ughA tc lfoèkku fojfpr fd;k x;k Fkk bl U;k;ky; }kjk ikfjr vkn'k dk n:Lr dju ;k okil yu dh rkfRod 'kfDr lfoèkku d vuPNn 137 }kjk fofufn"Vr% micfèkr dh x;h FkhA gekj lfoèkku fuekrkvk u] ftud ikl ,l ikoèkku dh iHkkfork dk n[ku dh 0;ogkfjd cf)eUkk Fkh] lfoèkku d vuPNn 137 }kjk fd;h fu.k; ;k vkn'k dh iufoykdu dju dh rkfRod 'kfDr Li"Vr% inku fd;k FkkA rFkk vuPNn 145 d [kM (c)u bl U;k;ky; dk fu;e fojfpr dju dh 'kfDr nh Fkh mu 'kUkk d lcèk e ftud vè;ènhu fdlh fu.k; ;k vkn'k dk iufoykdu fd;k tk ldrk gA bl 'kfDr d bLreky e flfoy ifØ;k lfgrk d vkn'k 47] fu;e 1 d ln'k vkèkkjk ij flfoy dk;okfg;k e fdlh vkn'k dk iufoykdu dju e bl U;k;ky; dk l'kDr cukr g, vkn'k 40 fojfpr fd;k x;k FkkA [kM e ^fdlh vU; i;kIr dkj.k l* vfHk0;fDr dk ,d foLrkfjr vFk inku fd;k x;k g rFkk fLFkfr;k dh okLrfod voLFkk dh nk"ki.k le> d vèkhu ikfjr fdlh fMØh ;k vkn'k dk bl 'kfDr dk bLreky dju d fy, i;kIr vkèkkj fu.khr fd;k x;k gA mPpre U;k;ky; dh fu;ekoyh d vkn'k 40] fu;e 1 d vykok] bl U;k;ky; d ikl ,l vkn'kk dk dju dh vrfufgr 'kfDr g tk U;k; d fgr e ;k U;k;ky; dh vknf'kdk d n:i;kx dk jkdu e vko';d gk ldr gA bl idkj] ;g U;k;ky; viu gh vkn'k dk okil yu ;k mldk iufoykdu dju l ckfèkr ugh g vxj bl lekèkku g fd U;k; dh [kkfrj ,lk djuk vko';d gA**

28. ekju ekj clfy;kl dFkkfydkt cuke ekLV fjojM ekj iykt ,Fkufl;l e] rhu U;k;kèkh'kk dh ihB u =koudkj flfoy ifØ;k lfgrk d ikoèkkuk dk fufn"V fd;k Fkk] tk fl0 i0 l0 d vkn'k 47] fu;e 1 d le:i Fkk rFkk lEijhf{kr fd;k Fkk% (AIR i"B 538] ijk 32)

^^32. ....blij tkj nuk vuko';d g fd iufoykdu d fy, fdlh vkonu dk dk;{k= fdlh vihy d dk;{k= dh ryuk e dkQh vfèkd lhfer gkrk gA =koudkj flfoy ifØ;k lfgrk e fo|eku ikoèkkuk d vrxr] tk gekjh flfoy ifØ;k lfgrk] 1908 d vkn'k 47] fu;e 1 d fucèkuk e le:i g] iufoykdu dh U;k;ky; d ikl mle i;Dr Hkk"kk }kjk fuèkkfjr fu"pk;h lhekvk }kjk ifjc) ,d lhfer vfèkdkfjrk gh gkrh gA

;g rhu fofufn"V vkèkkjk ij iufoykdu dh vuefr n ldrk g] vFkkr]

(i) u; rFkk egRoi.k ekey ;k lk{; dk iyk pyu ij tk lE;d rRijrk cjru d ckn vkond dh tkudkjh e ugh Fkk ;k mld }kjk ml le; i'k ugh fd;k tk ldk Fkk tc fMØh ikfjr dh x;h Fkh] (ii) vfHky[k d iVy ij idV pd ;k nk"k ij] rFkk

(iii) fdlh vU; i;kIr dkj.k lA

U;kf;d lfefr }kjk ;g fu.khr fd;k x;k g fd ^fdlh vU; i;kIr dkj.k* 'kCnk l vko';d :i l vfHkik; ^vkèkkjk ij i;kIr ,d dkj.k l g tk de l de fu;e e fofufn"V ikoèkkuk d ln'k gk*A (n[k NTt jke cuke udh) fo'k'oj irki 'kkgh cuke ikjFk ukFk e U;kf;d lfefr }kjk bl fu"d"k dk nkgjk;k x;k Fkk rFkk gfj 'kdj iky cuke vuFk ukFk feUkj] ,Q0 lh0 i"B 110&11 e gekj l?kh; U;k;ky; }kjk viuk;k x;k FkkA bl vihy d leFku e mifLFkr fo}ku vfèkoDrk iokDr ifjlhekvk dk Lohdkj djr g rFkk fuonu djr g fd mudk

ekeyk vfHky[k d iVy ij idV pd ;k nk"k d vkèkkj ;k mld ln'k fdlh vkèkkj d Hkhrj vkrk gA**

29. rxHknk bMLVht fyfeVM cuke vkèk in'k ljdkj e] ,d vU; rhu U;k;kèkh'kk dh ihB u nkgjk;k Fkk fd iufoykdu dh 'kfDr vihyh; 'kfDr d ln'k ugh g rFkk lEijhf{kr fd;k Fkk% (AIR i"B 1377] ijk 11)

^^11. ---- dkb iufoykdu fdlh Hkh idkj l fNi rkj ij ,d vihy ugh gkrk g ftld }kjk ,d nk"ki.k fu.k; dh iu% luokb dh tkrh g rFkk bl n:Lr fd;k tkrk g] cfYd doy idV nk"k d fy, gkrk gA ge ;g ugh le>r g fd ;g bl vrj l li.k :i l ;k vfèkd foLrkj l fuiVu d fy, ,d mi;Dr volj miyCèk djkrk g] ijUr gekj fy, ;g dguk i;kIr gkxk fd tgk dkb fdlh fo"kn rd d fcuk nk"k dh vkj b'kkjk dj ldrk g rFkk dg ldrk g fd ;gk fofèk dk ,d rkfRod fcUn g tk nf"Vxr djr gh fn[kkb iMrk g rFkk bld ckj e ;fDr;Dr :i l dkb nk jk; ugh j[kh tk ldrh g] vfHky[k d iVy ij idV nk"k dk ,d Li"V ekeyk cuxkA**

30. vfjce ry'oj 'kek cuke vfjce fi'kkd 'kek e] bl U;k;ky; u bl i'u dk mÙkj gk e fn;k Fkk fd mPp U;k;ky; lfoèkku d vuPNn 226 d vèkhu ikfjr fdlh vkn'k dk iufoykdu dj ldrk g ;k ugh rFkk lEijhf{kr fd;k Fkk% (SCC i"B 390 ijk 3)

^^3. .... ijUr] iufoykdu dh 'kfDr d bLreky dh fu'pk;h lhek, gA u; rFkk egRoi.k ekey ;k lk{; d irk pyu ij iufoykdu dh 'kfDr dk bLreky fd;k tk ldrk g tk iufoykdu dh bllk djuoky 0;fDr dh tkudkjh e lE;d rRijrk cjru d ckn Hkh ugh Fkk ;k ftl mld }kjk ml le; i'k ugh fd;k tk ldk Fkk tc vkn'k fd;k x;k Fkk % bldk bLreky ogk fd;k tk ldrk g tgk vfHky[k d iVy ij dN =fV ;k idV nk"k ik;k tkrk g(bldk blh ln'k vkèkkj ij Hkh bLreky fd;k tk ldrk gA ijUr] bldk bl vkèkkj ij bLreky ugh fd;k tk ldrk g fd fu.k; x.kkox.kk ij nk"ki.k FkkA ;g fdlh vihyh; U;k;ky; dk vfèkdkj {k= gkxkA iufoykdu dh 'kfDr dk Hkeo'k vihyh; 'kfDr;k tlk ugh le>k tkuk g tk vèkhuLFk U;k;ky; }kjk dkfjr lHkh idkj dh =fV;k dk n:Lr dju e vihyh; U;k;ky; dk l{ke cuk ldrh gA**

32. ijfl;k noh cuke leh=h noh e] U;k;ky; u lEijhf{kr fd;k Fkk% (SCC i"B 719 ijk 9)

“9. -------- dkb ,lk nk"k tk LoLi"V ugh g rFkk ftldk rd forD dh ifØ;k }kjk irk yxk;k tkuk gkrk g] flO iO lO d vkn'k 47] fu;e 1 d vèkhu iufoykdu dh vuefr 'kfDr dk bLreky djuk U;k;ky; d fy, vkfpR;i.k cukr g, vfHky[k d iVy ij ,d idV nk"k dnkfpr gh dgk tk ldrk gA ---- ;g vko';d :i l Lej.k j[kk tkuk g fd ,d iufoykdu ;kfpdk dk lhfer mi'; gkrk g rFkk bl iPNUur% ,d vihy gku ugh nh tk ldrhA**

33. fyyh Fkkel cuke Hkkjr l?k e] U;k;efr vkj0 ih0 lBh] tk U;k;efr ,l0 lcht vgen l lger Fk] u fuEukfdr 'kCnk e iufoykdu dh 'kfDr dh xtkb'k dk lkjNr fd;k Fkk% (SCC i"B 251] ijk 56)

^^56. ..... 'kfDr d bLreky l lcfèkr lfofèk dh lhekvk d Hkhrj ,lh 'kfDr;k dk bLreky fd;k tk ldrk gA iufoykdu d lkFk iPNUur% ,d vihy d leku 0;ogkj ugh fd;k tk ldrk gA fo"k; ij nk nf"Vdk.kk dh lHkkouk ek= iufoykdu dk ,d vkèkkj ugh gA ,d ckj iufoykdu ;kfpdk [kkfjt dj fn; tku ij] iufoykdu d fy, dkb vkj ;kfpdk xg.k ugh dh tk ldrh gA ogUkj ihBk d cke;dj Lo:i dh ifjikVh dk vulj.k dju rFkk leku lkeF; dh lgorh vfèkdkfjrk dh ihBk }kjk iLrr fHkUu nf"Vdk.kk dk u yu dh fofèk d fu;e dk vulj.k fd;k tkuk g rFkk 0;ogkj e yk;k tkuk gA**

34. gfjnkl cuke Å"kk jkuh ckfud e U;k;ky; u lEijhf{kr fd;k Fkk% (SCC i"B 82 ijk 13)

^13. ...... **fl0 i0 l0 d vkn'k 47 e ekin.M fofgr fd, x, g rFkk bl edne d i;ktukFk] ifrokn dk fdlh Hky ;k vfHky[k d iVy ij idV fdlh nk"k d dkj.k ;k fdlh vU; i;klr dkj.k l iu% luokb djku gr tkj nu dh vuefr nr gA** fu;e dk iFke Hkkx vkond l lcfèkr fd, tku ;kX; fdlh ifjfLFkfr l lcfèkr g] rFkk ckn okyk ,d U;kf;d ÑR; l tk idVr% nk"ki.k g ;k ftlij nk fu"d"k lEHko ugh gA **mue l dkb Hkh fookn dh iu% luokb vfHkdfYir ugh djrk g D;kfd fdlh i{kdkj u ekey d bu lkj igyvk dk mtkxj ugh fd;k Fkk ;k dnkfpr muij vfèkd icy :i l ftjg dj ldrk Fkk rFkk@;k U;k;ky; d fy, ckè;dj mnkgj.k m)r dj ldrk Fkk ,o rn}kjk ,d vudy fu.k; iklr dj ldrk FkkA****

35. if'pe cxky jkT; cuke dey lu xlrk e] bl U;k;ky; u bl i'u ij fopkj fd;k Fkk fd D;k i'kklfud vfèkdj.k vfèkfu;e] 1985 d vèkhu LFkkfir dkb vfèkdj.k viu fu.k; dk iufoykdu dj ldrk g] rFkk bl vfèkfu;e dh èkkjk 22(3)] dN U;kf;d ioknkgj.kk dk fufn"V fd;k Fkk ,o lEijhf{kr fd;k FkkA (SCC i"B 633] ijk, 21&22)

"21. bl pj.k ij ,lk lEijhf{kr djuk lehphu g fd tgk u; ekey ;k lk{; d irk pyu d vkèkkj ij fdlh iufoykdu dh bllk dh x;h g] ,lk ekeyk ;k lk{; vko';d :i l llxr gkuk g rFkk vko';d :i l ,l Lo:i dk gkuk g fd vxj bl iLrr fd;k x;k gkrk] ;g fu.k; dk ifjofrr dj ldrk FkkA vU; 'kCnk e] u; ;k egRoi.k ekey ;k lk{; dk irk yxuk ek= U;k;kulkj iufoykdu d fy, i;klr vkèkkj ugh gA bruk gh ugh] iufoykdu dh bllk djuoky i{kdkj dk ;g Hkh n'kkuk g fd ,lk vfrfjDr ekeyk ;k lk{; mldh tkudkjh d Hkhrj ugh Fkk ,o lE;d rRijrk cjru d ckn Hkh] bl igy U;k;ky; d le{k i'k ugh fd;k tk ldk FkkA

22. ^idV pd ;k nk"k* in viu vfHkik; l gh ,d ,l nk"k dk fpfUgr djrk g tk ekey d vfHky[k l gh idV g rFkk ble rF;k ;k oèkkfud fLFkfr e l fdlh dh foLrr ijh{kk] lohØk e fo"knhdj.k dh vko';drk ugh gA vxj dkb nk"k LoidV ugh g rFkk mldk irk yxku d fy, ych cgl ,o rd ford dh ifØ;k dh vko';drk g] fl0 i0 l0 d vkn'k 47] fu;e 1 ;k vfèkfu;e dh èkkjk 22(3)(f) d i;ktukFk bl vfHky[k d iVy ij idV ,d =fV ugh ekuk tk ldrk gA **bl fHkUu :i l j[kr g, fdlh vkn'k ;k fu.k; ;k Qly dk ek= bl dkj.k n:Lr ugh fd;k tk ldrk g fd ;g fofèk e nk"ki.k g ;k fdl vkèkkj ij fd rF; ;k fofèk d fcUn ij U;k;ky;@vfèkdj.k }kjk ,d fHkUu nf"Vdk.k fy;k tk ldrk FkkA fdlh Hkh n'kk e] iufoykdu dh 'kfDr dk bLreky djr le;] lc) U;k;ky;@vfèkdj.k viu fu.k;@Qly ij vihy e ugh cB ldrk gA****

(cy inku fd;k x;k)

16. पूर्वोक्त तथ्यों, तर्कों तथा न्यायिक निर्णयों की दृष्टि में, इस सिविल पुनर्विलोकन आवेदन को एतद्द्वारा खारिज किया जाता है, क्योंकि गुणावगुणों पर हम एल० पी० ए० संख्या 408 वर्ष 2009 की खारिजी के आदेश पर कोई और आदेश पारित करने के लिए उन्मुख नहीं हैं, जिसे दिनांक 22 मई, 2010 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था, अन्यथा यह सिविल पुलर्विलोकन आवेदन एक अपील के समान होगा, जिसकी अनुमति नहीं है। अभिलेख के पटल पर प्रकट कोई दोष नहीं है। प्रश्न यह उठता है कि अभिलेख के पटल पर प्रकट दोष क्या है तथा जवाब यह है कि अगर लम्बे तर्कों द्वारा दोष का पता लगाना है, तब इसे अभिलेख के पटल पर प्रकट एक दोष के रूप में नहीं माना जा सकता है। अगर

निर्णय में किसी दोष का पता लगाने के लिए सिविल पुनर्विलोकन आवेदन में लम्बे तर्कों को रखे जाने की आवश्यकता है, जो निर्णय में किसी दोष को विस्तार से खोजने के स्वरूप का होगा, इन परिस्थितियों में यह अभिलेख के पटल पर प्रकट एक दोष नहीं है। एक बार सी॰ एम॰ पी॰ संख्या 147 वर्ष 2007 में दिनांक 3 अगस्त, 2009 के आदेश के तहत विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विलम्ब की माफी के लिए आवेदन के खारिज कर दिये जाने पर, पुनः गुणावगुणों पर एल॰ पी॰ ए॰ के भी खारिज कर दिये जाने पर, माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णयों के आलोक में विशेष रूप से सिविल पुनर्विलोकन आवेदन की सीमित परिधि को देखते हुए हम इस आवेदक के पास बेहतर कारणों के उपलब्ध रहते हुए भी इस सिविल पुनर्विलोकन आवेदन को ग्रहण करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। खर्च के भुगतान के लिए तैयार होना कदाचित ही सिविल पुनर्विलोकन का एक आधार हो सकता है। अतएव, सिविल पुनर्विलोकन आवेदन में कोई दम नहीं है तथा इस कारण इसे खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

अलामुनि हँसदा

cuke

झारखण्ड राज्य एवं अन्य

W.P.(C) No. 3164 of 2005. Decided on 19th August, 2016.

संथाल परगना अभिधृति (संपूरक प्रावधान) अधिनियम, 1949—धारा 5—प्रधान की नियुक्ति—प्रधान के पद के आनुवांशिक होने के कारण, अगले वारिस जो सक्षम हो, को प्रधान होना चाहिए—किसी व्यक्ति को उत्तराधिकार से वंचित किया जा सकता है अगर उसे पद के लिए अनुपयुक्त समझा जाता है—अनुसूची-V के अनुसार आनुवंशिक अधिकार के आधार पर एक पुरुष वारिस तथा महिला वारिस दोनों पर विचार किया जा सकता है—तथापि, खण्डपीठ द्वारा प्रदत्त दृष्टिकोण में भिन्नता की दृष्टि में रिट याचिका खण्डपीठ को निर्दिष्ट। (पैराएँ 5 से 7)

निर्णयज विधि.—2012 (2) JCR 1 (Jhr); 1980 BLJR 448; 1995 BBCJ 131; 2003 (3) JLJR 724—Referred.

अधिवक्तागण.—M/s Jay Prakash Jha, Shree Prakash Jha, Aishwarya Prakash, For the Petitioner; M/s Binod Singh, Achinto Sen, For the Resp. Nos. 1 to 4; M/s Birendra Jha, Anand Kr. Sinha, Brija Nandan Kumar, For the Resp. No.5.

आदेश

मौजा के 16 आना रैयतों द्वारा दाखिल राजस्व प्रकीर्ण पुनरीक्षण सं॰-137/1998-99 तथा इसमें निजी प्रत्यर्थी सं॰ 5 द्वारा दाखिल राजस्व प्रकीर्ण पुनरीक्षण सं॰ 370/2000-01 में पारित दिनांक 5 अप्रैल, 2005 के आक्षेपित आदेश द्वारा प्रमण्डल आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका ने अनुमंडल पदाधिकारी, जामतारा द्वारा पारित तथा उपायुक्त, दुमका द्वारा बरकरार रखे गए आदेशों को अपास्त कर दिया है एवं जिनसे ग्राम सहरबेरिया, पुलिस थाना बिन्दापारा, अनुमंडल जामतारा, जिला दुमका के प्रधान के रूप में इसमें याची को नियुक्त किया है।

2. याची स्वीकार्यतः भूतपूर्व प्रधान, अर्थात् मारल हंसदा की विवाहित पुत्री है तथा उसकी दूसरी पत्नी याची की माता होपनी किस्कू है तथा इसे भी मारल हंसदा की मृत्यु के उपरांत प्रधान के तौर पर घोषित किया गया था। प्रमण्डल आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल ने निर्णीत किया है कि मौजा के रैयतों

द्वारा प्रधान की नियुक्ति के बारे में गंभीर विवाद होने की दृष्टि में, अनुसूची-V खण्ड-I में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार प्रधान की नियुक्ति गाँव की परम्परा के अनुसार की जानी चाहिए तथा किसी नियुक्ति की अभिपुष्टि के पहले उपायुक्त को स्वयं को समाधान कराना होगा कि उम्मीदवार सामान्यत: रैयतों को स्वीकार्य है। अतएव, प्रधान के तौर पर याची की नियुक्ति विधि के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। उन्होंने तद्नुसार खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति की प्रक्रिया के अनुसार संथाल परगना अभिधृति अधिनियम 1949 की धारा 5 के अधीन एक पृथक कार्यवाही के प्रारम्भ किए जाने का निर्देश दिया है, ताकि जनतांत्रिक संस्थाओं को अच्छी तरह कायम रखा जा सके तथा रैयत अपने अगले ग्राम प्रधान का फैसला कर सकें।

3. आक्षेपित आदेश को दी गई चुनौती में यहाँ उठाया गया मुद्दा दो स्तरों में है:–

(1) D;k ;kph dk ey erd ejy gInk dh efgyk okfjl gku d ukr mDr xke d çèkku d :i e fu;Dr fd, tku dk vuokf'kd vfèkdkj g

(2) (2012)2 JCR 1 (>kj[kM) e fjikV fd, x, Ikxu ee cuke >kj[k.M jkT; ,o vU; d ekey e bl U;k;ky; dh fo}ku [k.MihB }kjk fn, x, fu.k; dh nf"V e D;k ,Ih ifjfLFkfr;k e xke çèkku d in dk vkuof'kd fuèkkfjr fd;k tk Idrk g ;k ugh

4. दोनों प्रतिपादनाओं पर याची के विद्वान अधिवक्ता ने **1980 BLJR 448** में रिपोर्ट किए गए **ठाकुर हेम्ब्रम बनाम बिहार राज्य एवं अन्य** के मामले में तथा **1995 BBCJ 131** में रिपोर्ट किए गए **वैशाखी हरिजन एवं घनश्याम मण्डल** के मामले में पटना उच्च न्यायालय की विद्वान खण्डपीठ के दो निर्णयों को प्रस्तुत किया है जो अधिकथित करते है कि संथाल परगना अभिधृति अधिनियम के अधीन योजना यह है कि या तो चुनाव के आधार पर अनुवांशिक अधिकार पर ग्राम प्रधान की एक प्रधान के तौर पर नियुक्ति की जानी चाहिए। उस दशा में भी जहाँ दो आवेदन हैं, अर्थात् एक अनुवांशिक अधिकार के आधार पर तथा दूसरा चुनाव के आधार पर, अनुमण्डल पदाधिकारी या उपायुक्त को यथास्थिति, पहले उस व्यक्ति के मामले पर विचार करना है जो अनुवांशिक अधिकार के आधार पर दावा करता है। अगर उसका आवेदन इस आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है कि ऐसा व्यक्ति उपयुक्त नहीं है जैसा कि अनुसूची V के पैरा 3 एवं 4 में अधिकथित है, तभी निर्वाचन की प्रक्रिया का अनुशरण किया जा सकता है। अनुसूची V के अनुसार अनुवांशिक अधिकार के आधार पर एक पुरुष वारिस तथा एक महिला वारिस दोनों पर विचार किया जा सकता है।

5. 2003 (3) JLJR 724 में रिपोर्ट किए गए **श्रीमती स्वर्णलता देवी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य** के मामले में इस न्यायालय की विद्वान खण्डपीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर भी याची की ओर से भरोसा किया गया है। वहाँ भी यह निर्णीत किया गया है कि संथाल परगना अभिधृति (सम्पूरक) नियमावली की अनुसूची-V के खण्ड 3 के अधीन प्रधान का पद अनुवांशिक होने के कारण, अगला वारिस, जो सक्षम है, प्रधान होना चाहिए। किसी व्यक्ति को अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से उत्तराधिकार से वंचित किया जा सकता है अगर उसे पद के लिए अयोग्य माना जाता है। उस दशा में एक गैर खास गांव अर्थात् एक प्रधानी ग्राम में मृतक प्रधान की सबसे बड़ी पुत्री के रूप में अपीलार्थी की नियुक्ति प्रश्नाधीन थी। उसमें यह भी स्पष्टीकृत किया गया था कि नियमावली के अनुसूची-V के खण्ड 3 एवं 4 के निबंधनों में सक्षम पदाधिकारी को केवल उस पद को धारण करने से अपीलार्थी की उपयुक्तता को अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ जमाबंदी रैयतों की इच्छाओं का आकलन करने के लिए विचार

करना था तथा अपीलार्थी को पद धारण करने के लिए अनुपयुक्त पाए जाने पर ही, जमाबंदी रैयतों के कम से कम दो तिहाई की सहमति से एक उत्तराधिकारी, एक नए प्रधान की नियुक्ति का प्रश्न उद्भूत होगा।

6. अतएव, यह प्रतीत होता है कि **ठाकुर हेम्ब्रम (ऊपर), बैसाखी हरिजन (ऊपर)** के मामले तथा **श्रीमती स्वर्णलता देवी (ऊपर)** के मामले में दिए गए निर्णय के मुकाबिल **सोगेन मुर्मू (ऊपर)** के मामले में विद्वान खण्डपीठ के निर्णय द्वारा दिए गए दृष्टिकोण से भिन्नता है।

7. ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान खण्डपीठ को मामला निर्दिष्ट करना ही उपयुक्त है इसके लिए भी मुद्दे पर एक वृहत्तर पीठ द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है। तद्नुसार, रिट याचिक खण्डपीठ को निर्दिष्ट की जाती है।

8. याची के अधिवक्ता संचिका का निरीक्षण करेंगे तथा अभिलेख पर अभिवचनों के दो समूह मौजूद नहीं हैं, दो सप्ताह के भीतर इन्हें उपलब्ध कराया जाएगा।

---

ekuuh; ohjUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o Jh pn'k[kj] U;k;efr

झारखंड राज्य एवं अन्य (71 में)

कफील अहमद (3 में)

cuke

कफील अहमद एवं अन्य (71 में)

झारखंड राज्य एवं अन्य (3 में)

LPA No. 71 of 2015 with C.O. No. 3 of 2016. Decided on 20th September, 2016.

विद्यालय विधियाँ–सेवा समाप्ति–प्रत्यावर्तन–प्रत्यर्थी रिट याची, जिसके पास विषयों में से एक के तौर पर प्रधान उर्दू समेत मनोविज्ञान में स्नातक (सम्मान) की डिग्री तथा बी॰ एड॰ की भी डिग्री थी, को प्रवेशिका-प्रशिक्षित वेतनमान में तदर्थ आधार पर सहायक शिक्षक (उर्दू) के पद पर नियुक्त किया गया था–प्रत्यर्थी 1995 से मुकदमा लड़ रहा है तथा सहायक उर्दू शिक्षक के तौर पर एवं लिपिक के पद पर भी उसकी नियुक्ति स्वीकृत रिक्त पदों पर की गई थी–यह वास्तव में लोक नीति के विरुद्ध होगा अगर प्रत्यर्थी को 26 वर्षों तक बने रहने की अनुमति दी जाती है तथा इसके बाद भी राज्य उसकी सेवाओं को नियमित नहीं करता है–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा पारित आदेश रिट न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिए जाने के उपरांत प्रत्यर्थी की नियुक्ति की अभिकथित वैधता तथा वैधानिकता की जाँच करने के लिए कार्यवाही को अनिवार्यतः समाप्त हो जाना है–प्रत्यर्थी 25% पिछले पारिश्रमिक तथा अन्य सभी पारिणामिक लाभों के साथ अपने पद पर पुनर्बहाल किया जाता है जिनका वह सेवा-समाप्ति के आदेश को भी अभिखंडित किए जाने पर पात्र बन गया है। (पैराएँ 8, 10 एवं 11)

निर्णयज विधि.–(2010)9 SCC 247—Referred; (1998)4 SCC 154; (2006)4 SCC 1—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Rajesh Kumar, Abhijeet Kumar Singh. (in 71); M/s M.S. Anwar, Afaque Ahmed (in 3), For the Appellants; M/s M.S. Anwar, Afaque Ahmed (in 71); M/s Rajesh Kumar, Abhijeet Kumar Singh. (in 3), For the Respondents.

श्री चन्द्रशेखर, न्यायमूर्ति.–अपीलार्थी-झारखंड राज्य एवं प्रत्यर्थी रिट याची दोनों डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 6555 वर्ष 2012 में पारित दिनांक 19.09.2014 के आदेश से व्यथित है। एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 71 वर्ष 2015 अपीलार्थी-झारखंड राज्य द्वारा दाखिल किया गया है तथा सी॰ ओ॰ सं॰ 3 वर्ष 2016 प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल किया गया है।

2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा–सह–संयुक्त सचिव के द्वारा पारित दिनांक 24.9.2002 के आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दाखिल की गई है, जिसके द्वारा लिपिक के पद पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति को अवैधानिक निर्णीत किया गया है।

3. सुना।

4. झारखण्ड राज्य के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता जी॰ पी॰ V श्री राजेश कुमार तर्क देते हैं कि लिपिक के पद पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति एक बार अवैधानिक पाए जाने पर मामले में और जाँच–पड़ताल की आवश्यकता नहीं है तथा ऐसा होने से दिनांक 24.09.2012 के आदेश में रिट न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी, जिसे अवैधानिक रूप से नियुक्त किया गया था, को 24.09.2012 से 19.09.2014 के बीच की अवधि के लिए पिछले पारिश्रमिक के 25% का प्रदान किया जाना अवैधानिक है।

5. तत्प्रतिकूल प्रत्यर्थी जिसने सी॰ ओ॰ सं॰ 3 वर्ष 2016 भी दाखिल किया है, के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री मो॰ सोहैल अनवर निवेदन करते हैं कि सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा प्रत्यर्थी को लिपिक के स्वीकृत रिक्त पद पर नियुक्त किया गया था तथा अतएव, उसकी नियुक्ति को अधिक–से–अधिक अनियमित बताया जा सकता है तथा अवैधानिक नहीं। प्रत्यर्थी की नियुक्ति की वैधानिकता एवं वैधता के प्रश्न पर एक नए निर्णय के लिए मामला रिट न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने वाले रिट न्यायालय के निर्देश पर व्यथा उठाते हुए, विद्वान वरीय अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थी, जो 1995 से मुकदमा लड़ रहा है, को एक और जाँच का सामना करने का कष्ट नहीं दिया जा सकता है तथा दिनांक 24.09.2012 का आदेश एक बार अभिखंडित किए जाने पर, मामले पर वहीं विराम लग जाना चाहिए था। विद्वान वरीय अधिवक्ता यह भी निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थी जो निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा पारित अवैधानिक आदेश के कारण सेवा से बाहर रहा था, पूर्ण पिछले पारिश्रमिक का हकदार है।

6. वर्तमान कार्यवाही में वर्णित तथ्य प्रकट करते हैं कि प्रत्यर्थी–रिट याची, जिसके विषयों में से एक के तौर पर प्रधान उर्दू के साथ मनोविज्ञान में कला स्नातक (सम्मान) की एक डिग्री तथा बी॰ एड॰ की भी डिग्री थी को दिनांक 12.02.1983 के ज्ञाप के तहत क्षेत्रीय उप–निदेशक, शिक्षा द्वारा प्रवेशिका–प्रशिक्षित वेतनमान में तदर्थ आधार पर सहायक शिक्षक (उर्दू) के पद पर नियुक्त किया गया था। प्रत्यर्थी ने आख्यापित किया है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा 20.10.1982 को निर्गत एक निर्देश के अनुसरण में, चूँकि राजकीय विद्यालय, मोतिहारी से अवर माध्यमिक शिक्षक की रिक्ति को भरने के लिए तैयार किए गए पैनल से कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था, उसे तदर्थ आधार पर पूर्वोक्त पद पर नियुक्त किया गया था। यह प्रतीत होता है कि इसके उपरांत लगभग पाँच वर्ष बाद किसी इफ्तिखर अहमद ने राजकीय उच्च विद्यालय मोतिहारी में उर्दू शिक्षक के पद पर योगदान दिया था तथा परिणामत: प्रत्यर्थी को 14.03.1988 को उक्त पद से विरमित कर दिया गया था। बाद में, दिनांक 13.12.1988 के ज्ञाप के तहत प्रत्यर्थी द्वारा प्रदत्त 5 वर्ष की सेवा की दृष्टि में उसे राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, राँची में लिपिक के एक स्वीकृत पद पर नियुक्त किया गया था एवं पेंशन की गणना के लिए 14.03.1988 से 17.12.1988 के बीच की अवधि को तथापि वेतन के बिना, नियमित कर दिया गया था। तथापि, प्रत्यर्थी जिसने सहायक शिक्षक के पद पर कार्य किया था, ने 17.12.1988 को विरोध के अधीन लिपिक के पद पर योगदान दिया था तथा सहायक शिक्षक के पद पर अपने आमेलन के लिए 03.02.1989 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिसके जवाब में उसे शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जिन्हें उप–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को अग्रसारित कर दिया गया था। जब उसके अभ्यावेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था, प्रत्यर्थी ने 08.09.1994 को एक अन्य निवेदन प्रस्तुत किया था, तथा इसके उपरांत वह सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 730/1995 (R) में इस न्यायालय के पास आया था। उसके द्वारा दाखिल अभ्यावेदन का निपटान करने का राज्य–प्रत्यर्थी को निर्देश देते हुए 19.08.1995

को रिट याचिका का निस्तारण कर दिया गया था। एम॰ जे॰ सी॰ सं॰ 379/1996 (R) की कार्यवाही जो सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 730/1995 (R) में पारित दिनांक 19.08.1995 के आदेश के अननुपालन के कारण उसके द्वारा प्रारम्भ की गई थी, में राज्य ने पक्ष लिया था कि 12.10.1996 को रिट याची के अभ्यावेदन का निपटान कर दिया गया था। तद्नुसार, 21.10.1997 को अवमान याचिका निस्तारित कर दी गई थी। लिपिक के पद पर प्रत्यर्थी के नियुक्त किए जाने के लगभग 12 वर्ष उपरांत, उसे 22.05.2000 की एक कारण-पृच्छा नोटिस निर्गत की गई थी इस आधार पर कि लिपिक के पद पर उसकी नियुक्ति ''अनियमित तथा अवैधानिक थी। प्रत्यर्थी ने 02.06.2000 को अपना जवाब दाखिल किया था, तथापि दिनांक 04.07.2002 के आदेश के तहत, उसकी सेवा समाप्त कर दी गई थी। व्यथित होकर, प्रत्यर्थी डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 4321 वर्ष 2002 में इस न्यायालय के पास आया था, जिसे 27.06.2007 को अनुज्ञात कर दिया गया था तथा सेवा-समाप्ति के दिनांक 04.07.2002 के आदेश को निरस्त कर दिया गया था रिट न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रकट करता है कि न्यायालय के ध्यान में इसे लाया गया था कि नियुक्ति की वैधानिकता की जाँच करने के लिए एक समिति गठित की गई थी तथा प्रत्यर्थी उस समिति के समक्ष पहले ही उपस्थित हो चुका था। उक्त तथ्य पर विचार करते हुए, रिट न्यायालय ने निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार के सारे अभिलेख झारखण्ड राज्य के प्राधिकारी को भेजने का निर्देश दिया था, अगर पहले नहीं भेजे गए थे, तथा समिति को रिट याची की सुनवाई करने के उपरांत एक निर्णय लेना था तथा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड राज्य को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। प्रत्यर्थी ने समिति द्वारा निर्गत कारण-पृच्छा नोटिस का अपना जवाब 23.07.2007 तथा 25.07.2007 को प्रस्तुत किया था, तथापि यह प्रतीत होता है कि समिति 04.07.2007 को एक रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर चुकी थी तथा उसके आधार पर 25.10.2007 को प्रत्यर्थी को एक दूसरी कारण-पृच्छा नोटिस निर्गत की गई थी। यह भी प्रतीत होता है कि दिनांक 10.12.2008 के ज्ञाप के तहत विद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से निर्गत दिनांक 17.12.2008 के पत्र के माध्यम से प्रत्यर्थी को एक आरोप ज्ञापन का तामीला कराया गया था, जो प्रत्यर्थी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसरण में हुआ था, तथापि दिनांक 16.02.2010 के आदेश के तहत उक्त निर्णय को वापस ले लिया गया था तथा प्रत्यर्थी को दिनांक 07.08.2007 की द्वितीय कारण-पृच्छा नोटिस का पुनः जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा-सह-संयुक्त सचिव मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा निर्गत दिनांक 24.09.2002 का यह अन्तिम आदेश ही है, जिसके द्वारा याची को सेवामुक्त कर दिया था, जिसे डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 6555 वर्ष 2012 में रिट न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।

7. तथ्यों का उक्त वर्णन प्रकट करता है कि डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 4321 वर्ष 2002 में पारित दिनांक 27.06.2007 के आदेश के अनुपालन में दिनांक 24.09.2012 का आदेश तात्पर्यित रूप से पारित किया गया था तथा यह कहना कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने रिट न्यायालय के पूर्वोक्त आदेश का अनुपालन किया है, न्यायालय द्वारा ध्यान में लिए गए चौंकाने वाले तथ्यों को झुठलाना है। समिति, जिसे लिपिक के पद पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति की वैधानिकता की जाँच करने के लिए गठित किया गया था, 14.06.2007 को पहले ही अपनी बैठक कर चुकी थी तथा निष्कर्ष दिया था कि एक लिपिक के तौर पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति विधि-सम्मत प्रक्रिया का अनुपालन किए बगैर की गई थी। समिति ने 04.07.2007 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। स्पष्टतः, प्रत्यर्थी को निर्गत कारण-पृच्छा नोटिस के जवाब पर समिति द्वारा विचार नहीं किया गया था। दिनांक 24.09.2012 के आदेश के पठन से हम जो पाते हैं वह यह है कि यद्यपि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 4321 वर्ष 2002 में पारित दिनांक 27.06.2007 के आदेश के प्रभावी भाग को ध्यान में लिया था जिसके अधीन समिति को प्रत्यर्थी का जवाब प्राप्त होने की तिथि से छः सप्ताह के भीतर उसकी सुनवाई करने के उपरांत एक निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा-प्रत्यर्थी सं॰ 2 ने रिट न्यायालय के निर्देश की

पूर्ण अवहेलना में समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर आक्षेपित आदेश पारित करने की कार्यवाही की थी।

8. इसे दोहराने में कोई लाभ नहीं है कि प्रत्यर्थी 1995 से मुकदमा लड़ रहा है तथा सहायक उर्दू शिक्षक के रूप में तथा लिपिक के पद पर भी उसकी नियुक्ति स्वीकृत रिक्त पदों पर की गई थी। विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री सोहैल अनवर ने **(2010)9 SCC 247** में रिपोर्ट किए गए **कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम एम॰ एल॰ केसरी एवं अन्य** में हुए निर्णय को निर्दिष्ट किया है यह तर्क देने के लिए कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत रिक्त पद पर की गई नियुक्ति अवैधानिक नहीं होती है, यह संभवत: अनियमित हो सकती है। सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 730 वर्ष 1995 (R) की कार्यवाही में राज्य ने स्वीकार किया था कि 14.03.1988 को सहायक उर्दू शिक्षक के पद से प्रत्यर्थी की सेवा-मुक्ति के परिणामत: सेवा में अन्तराल को विभाग द्वारा माफ कर दिया गया था तथा पेंशन की गणना के लिए 14.03.1988 से 17.12.1988 के बीच की अवधि को नियमित कर दिया गया था। हम इस तथ्य की भी अनदेखी नहीं कर सकते हैं कि सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 730 वर्ष 1995 (R) में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत व्यथा सहायक उर्दू शिक्षक के पद पर ''नियमितीकरण तथा आमेलन'' के लिए थी एवं लिपिक के पद पर नहीं जिसमें उसने 17.12.1988 को योगदान दिया था, तथापि लगभग 12 वर्षों तक किसी भी समय राज्य ने लिपिक के पद पर नियुक्ति को अवैधानिक बताकर इसे चुनौती नहीं दिया था। अपीलार्थी राज्य द्वारा अभिवाक् किया गया मामला यह नहीं है कि लिपिक के पद पर नियुक्ति के समय प्रत्यर्थी के पास अपेक्षित अर्हता नहीं थी, न ही इससे इनकार किया गया है कि उसकी नियुक्ति निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा की गई थी, जो सक्षम प्राधिकारी हैं। हमारी सुविचारित राय में, प्रत्यर्थी की नियुक्ति मात्र ''अनियमित'' थी।

9. प्रत्यर्थी के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री सोहैल अनवर द्वारा आक्षेपित आदेश को दी गई विनिर्दिष्ट चुनौती है, क्या विभागीय कार्यवाही के कष्ट को भोगने के लिए प्रत्यर्थी को पुन: उसी स्थिति में भेजना न्याय के हित में है?

10. इस चरण में हम **(1998)4 SCC 154** में रिपोर्ट किए गए **आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाम एन॰ राधाकृष्णन** ने उच्चतम न्यायालय के सम्परीक्षण को लाभपूर्ण रूप से ध्यान में ले सकते हैं ''विलम्ब आरोपित पदाधिकारी को हानि कारित करता है जबतक कि यह नहीं दर्शाया जाता है कि विलम्ब कराने में उसका दोष है या जब अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन में हुए विलम्ब का उपयुक्त स्पष्टीकरण दिया हुआ है। अन्तत: इन दो भिन्न कारकों के बीच संतुलन स्थापित करना न्यायालय का कार्य है। डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 4321 वर्ष 2002 में पारित दिनांक 27.6.2007 का अनुपालन करने में लगभग 5 वर्ष के विलम्ब के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है, तथा वस्तुत: यह तो उक्त आदेश का एक पूर्ण-अननुपालन है। दिनांक 22.5.2000 की कारण-पृच्छा नोटिस निर्गत करने में 12 वर्षों के विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं है इस तात्पर्यित अभिकथन पर कि प्रत्यर्थी की नियुक्ति ''अनियमित एवं अवैधानिक'' थी। दिनांक 22.05.2000 की कारण-पृच्छा नोटिस प्रत्यर्थी को निर्गत करने के कम-से-कम पाँच वर्ष पहले अपीलार्थी राज्य को प्रत्यर्थी की अभिकथित अवैधानिक नियुक्ति की जानकारी थी, जब उसने सहायक उर्दू शिक्षक के पद पर अपने आमेलन तथा नियमितीकरण के लिए सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 730 वर्ष 1995 (R) दाखिल किया था। समिति द्वारा अभिलिखित यह निष्कर्ष कि प्रत्यर्थी की नियुक्ति अवैधानिक थी, पूर्वोक्त तथ्यों को ध्यान में लिए बिना दिया गया था जिस निष्कर्ष को प्रत्यर्थी-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा पारित दिनांक 24.09.2012 के आदेश में दोहराया गया है। स्वीकृत तथ्यों पर लिपिक के पद पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति अनियमित मात्र थी, तथा हमारी राय में, लगभग 26 वर्षों (अब 28 वर्षों) तक

उक्त पद पर उसके बने रहने पर अपीलार्थी–राज्य द्वारा उठाए जाने के लिए इप्सित विवाद का अन्त करने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विचार किया जाना चाहिए था। **(2006)4 SCC 1** में रिपोर्ट किए गए **''सचिव, कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी (3)"** के पैरा सं॰ 53 में निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय के कई निर्णय तथा अन्य, पश्चातवर्ती निर्णय स्पष्टत: प्रत्यर्थी के बचाव में आते हैं। यह वास्तव में लोक नीति के विरुद्ध होगा, अगर प्रत्यर्थी को 26 वर्षों तक बने रहने की अनुमति दी जाती है तथा फिर भी, राज्य उसकी सेवाओं को नियमित नहीं करता है। राज्य ने प्रत्यर्थी की नियुक्ति को स्वीकारने के स्थान पर जो मात्र अनियमित है, एक जाँच कराने की कार्यवाही किया था जो अन्तत: वर्ष 2012 में पूरी हुई थी, तथा अब रिट न्यायालय के आदेश के कारण यह पुन: आरम्भ हो जाएगी। अपीलार्थी–राज्य द्वारा कारित भूल के कारण, प्रत्यर्थी को उसे पहली बार निर्गत कारण–पृच्छा नोटिस निर्गत किए जाने के समय से लम्बे चले मुकदमे के कारण 16 वर्षों तक कष्ट भुगतना पड़ा है। वह पहले ही मानसिक संताप से होकर गुजर चुका है तथा उसकी नियुक्ति की वैधानिकता की जाँच करने के लिए और कार्यवाही का जारी रखना केवल उसके कष्ट को बढ़ाएगा।

11. पूर्वोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में, हमारी सुपरिचित राय है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा पारित दिनांक 24.09.2012 के आदेश के रिट न्यायालय द्वारा अभिखंडित किए जाने के उपरांत प्रत्यर्थी की नियुक्ति की अभिकथित वैधता एवं वैधानिकता की जाँच करने के लिए कार्यवाही का अनिवार्यत: अन्त होना है। प्रत्यर्थी को 25% पिछले पारिश्रमिक तथा सभी अन्य पारिणामिक लाभों के साथ उसके पद पर पुनर्बहाल किया जाता है जिन लाभों का वह सेवा–समाप्ति के पूर्वोक्त आदेश के अभिखंडन पर हकदार बना है। स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए, यह आदेश किया जाता है कि प्रत्यर्थी की नियुक्ति की वैधानिकता की जाँच करने के बहाने पर और कार्यवाही/जाँच नहीं कराई जाएगी। सी॰ ओ॰ सं॰ 3 वर्ष 2016 के तहत प्रति–अपील अनुज्ञात की जाती है तथा पूर्वोक्त निबंधनों में एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 71 वर्ष 2015 खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; ohjUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o Jh pn'k[kj] U;k;efr

झारखण्ड राज्य

cuke

अमृत राम

Acquittal Appeal No. 30 of 2003. Decided on 11th August, 2016.

जी॰ आर॰ सं॰ 1454 वर्ष 1994 (टी॰ आर॰ सं॰ 610 वर्ष 2002) के तत्सम सदर पुलिस थाना केस सं॰ 379 वर्ष 1994 में श्री मिथिलेश प्रसाद, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, डालटेनगंज द्वारा पारित दिनांक 18.11.2002 के दोषमुक्ति के निर्णय तथा आदेश के विरुद्ध।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860—धाराएं 420/467/468/471–दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 378 (3)–छल एवं कूटरचना–दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील–अन्वेषण पदाधिकारी अभियोजन के मामले में सुधार नहीं कर सकता है–अपीलीय न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश के साथ तभी हस्तक्षेप करेगा जब अवर न्यायालय महत्वपूर्ण परिस्थितियों एवं सिद्ध तथ्यों की उपेक्षा या अनदेखी करता है या उनसे आगे बढ़ जाने का प्रयास करता है–विचारण न्यायालय ने किसी बिन्दु पर कोई दोष कारित नहीं किया है–अपील खारिज। (पैराएँ 4, 6 एवं 7)

अधिवक्तागण.–Mr. Ravi Prakash, For the App.-State; Dr. H. Waris, For the Accused-Resp..

वीरेन्दर सिंह, न्यायमूर्ति.–विद्वान अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, डालटेनगंज के दिनांक 18.11.2002 के आक्षेपित निर्णय के तहत भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 420/467/468/471 के अधीन

दंडनीय अपराधों के लिए प्रत्यर्थी–अभियुक्त अमृत राम (इसमें इसके पश्चात 'अभियुक्त' के रूप में निर्दिष्ट) द्वारा अर्जित दोषमुक्ति से व्यथित होकर राज्य ने प्रस्तुत अपील दाखिल किया है। जो दिनांक 16.12.2003 के आदेश के तहत ग्रहण की गई थी तथा अब इसे उसके अन्तिम विचारण के लिए रखा जा रहा है।

2. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अवर न्यायालय के अभिलेख पर उपलब्ध समूचे अभियोजन साक्ष्य पर पुन: विचार किया।

3. यद्यपि, हम प्रस्तुत अपील के ग्रहण किए जाने के पहले इसमें अनुमति प्रदान किए जाने के लिए दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 378 (3) के अधीन औपचारिक आवेदन दाखिल न करने में राज्य द्वारा कुछ अनियमितता का कारित किया जाना पाते हैं, परन्तु हम इस चरण में पूर्वोक्त अनियमितता की उपेक्षा करते हैं क्योंकि अपील पहले ही ग्रहण की जा चुकी है।

4. अभियोजन मामले का सार यह है कि दिनांक 20.10.1982 के पत्र सं॰ 1308 के साथ अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रवेशिका परीक्षा (संपूरक) के अंक–पत्र के आधार पर उसे लिपिक के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई थी। जब अ॰ सा॰ 3 द्वारा हिन्दी विद्यापीठ, देवघर से उस अंक–पत्र का सत्यापन किया गया था, पत्र सं॰ 122 दिनांक 07.07.1994 तथा पत्र सं॰ 123 दिनांक 08.07.1994 प्राप्त हुए थे यह सृजित करते हुए कि अभियुक्त 1978 में आयोजित संपूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहा था तथा पूर्वोक्त पत्र सं॰ 1308 दिनांक 20.10.1982 एक कूटरचित दस्तावेज था। इन अभिकथनों पर अभियुक्त के विरुद्ध पूर्वोक्त आरोप विरचित किए गए थे जिनमें उसने विचारण का सामना किया था। कुल मिलाकर अभियोजन ने चार गवाहों को परीक्षित किया है, जिनमें से अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 2 ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया था तथा उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था। किसी भी दशा में वर्तमान मामले का अन्वेषण पदाधिकारी अभियोजन के मामले में सुधार नहीं कर सकता है तथा हमारी सुविचारित राय में, समूचा अभियोजन मामला अ॰ सा॰ 3 (तत्कालीन डी॰ एफ॰ ओ॰) के बयान पर निर्भर है। उसके साक्ष्य को पुन: खंगालने पर भी हम पाते हैं कि अभियोजन के मामले में कतिपय अन्तर्निहित दोष है क्योंकि पत्र सं॰ 1308 दिनांक 20.10.1982 जो लिपिक के पद पर अभियुक्त की प्रोन्नति का आधार है, को अभियोजन द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है तथा यह कि उक्त पत्र की प्रतिलिपि अभिलेख पर रखी गई थी तथा प्रदर्श X/1 के तौर पर अंकित की गई थी। इतना ही नहीं, एक अन्य घोर अनियमितता जो मामले की जड़ तक जाती है, यह है कि वो सारे पूर्वोक्त दस्तावेज, जिन पर अभियोजन का मामला आधृत है, कभी भी अभियुक्त के समक्ष नहीं रखे गए थे जब दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन उसकी परीक्षा की गई थी। जो मौलिक दोष अभिलेख पर प्रकट है वो यह है कि पूर्वोक्त दोनों पत्रों (पत्र सं॰ 122 एवं पत्र सं॰ 123) की अन्तर्वस्तुओं को भी सिद्ध नहीं किया गया था। हमने अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत बचाव पक्ष के गवाहों के साक्ष्य का भी मूल्यांकन किया है।

5. अभियुक्त की दोषमुक्ति करते समय विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष को प्रत्युत्पादित करना उपयुक्त होगा। यह पठित है:–

> *^^Åij dh xb ifjppkvk rFkk çLrr lk{;] pkg ekf[kd gk ;k nLrkotk d vkèkkj ij] Hkh bl Li"V fu"d"k ij igpk g fd vfHk;ktu vdkV; llxr fo'okl ;kX;] Hkjkslen ,o v[k.Muh; lk{; }kjk rFkk lHkh ;fDrlxr lngk l ij viu ekey dk LFkkfir ,o fl) dju e cjh rjg foQy jgk gA bl çdkj e ikrk g rFkk fu.khr djrk g fd vfHk;Dr ver jke mld fo#) yxk, x, vkjkik dk nk"kh ugh gA ifj.kker% vfHk;Dr ver jke dk HkkO nO lO dh èkkjkvk 420, 467, 468, 471 d vèkhu vkjkik l nk"keDr fd;k tkrk gA ml mld tekur cUèk&i=kk dh ckè;rk l Hkh mUekfpr fd;k tkrk gA***

6. यह सुस्थापित है कि अपीलीय न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश में तभी हस्तक्षेप करेगा जब अवर न्यायालय महत्वपूर्ण परिस्थितियों तथा सिद्ध तथ्यों की उपेक्षा एवं अनदेखी करता है या उनसे होकर आगे

बढ़ जाने का प्रयास करता है। प्रस्तुत मामले में, हम पाते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय ने किसी बिन्दु पर कोई दोष कारित नहीं किया है। प्रस्तुत मामले में स्थिति ऐसी होने से, हमारी सुविचारित राय में दोषमुक्ति के आक्षेपित आदेश में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता ही नहीं है।

7. इस प्रकार प्रस्तुत अपील खारिजी के योग्य है। तद्नुसार आदेश किया गया।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

कान्ति महंती रोहिणी एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 5204 of 2014. Decided on 24th August, 2016.

भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता तथा उचित मुआवजा का अधिकार अधिनियम, 2013–धारा 24(2)–भूमि अधिग्रहण कार्यवाही का व्यपगत होना–सरकार के कोषागार में प्रतिकर की राशि के जमा किये जाने को भू-स्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों को प्रतिकर के भुगतान के समतुल्य नहीं माना जा सकता है–अधिनिर्णीत प्रतिकर न्यायालय में जमा नहीं कराया गया था, बल्कि 7.8.1985 से कोषागार में रखा हुआ था–भूमि का अधिग्रहण व्यपगत–याचिका अनुज्ञात। (पैराएँ 12 एवं 17)

निर्णयज विधि.–2014 (1) JLJ 234 (SC) : (2014) 3 SCC 183; (2015)3 SCC 206; (2015) 8 SCC 594; 2015 SCC on Line SC 1287; 2016 SCC online SCC 503—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Jitendra Singh, Sumeet Gadodia, Akshay Kr. Mahato, For the Petitioner; M/s Himanshu Kr. Mehta, Manjusri Patra, Shrestha Mehta, H.K. Mehta, For the State.

आदेश

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

2. याची सं॰ 1 स्वर्गीय कान्ति महन्ति कुमार स्वामी की पत्नी है। याची सं॰ 1 का पति स्वर्गीय कान्ति महन्ति कुमार स्वामी अभिलिखित रैयत कान्ति महन्ति अप्पा राव का पुत्र था जिसके नाम से खाता सं॰ 31, मौजा असनबाणी, थाना सं॰ 325, पुलिस थाना चाण्डिल, जिला सरायकेला खरसांवा में प्लौट सं॰ 574, 575 एवं 576 में अन्तर्विष्ट 1.16 एकड़ क्षेत्रफल वाली जमीनें अभिलिखित थी। खाता सं॰ 169, मौजा असनबाणी, थाना सं॰ 325, पुलिस थाना चाण्डिल, जिला सरायकेला खरसावां में प्लॉट सं॰ 571, 572 एवं 573 में अन्तर्विष्ट 1.99 एकड़ क्षेत्रफल वाली जमीन याची सं॰ 1 के पति के दादा, अर्थात् पालकी रामाराव के नाम अभिलिखित थी। स्वर्णरेखा बहुद्देश्यीय परियोजना के प्रयोजनार्थ भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अधीन अधिग्रहण कार्यवाही सं॰ 70/1980-81 में जमीन के इन टुकड़ों का अधिग्रहण किया गया था। याची सं॰ 2 याची सं॰ 1 का क्रेता है जिसे दिनांक 18 जून, 2007 के निबंधित विक्रय विलेख के माध्यम से पूर्वोक्त जमीनें बेची गई थी। ये दोनों याचीगण वर्तमान कार्यवाहियों में सम्मिलित हो गए हैं ऐसी घोषणा की इप्सा करते हुए कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनःस्थापन उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) की दृष्टि में जमीनों के पूर्वोक्त टुकड़ों के सम्बन्ध में समूची भूमि अधिग्रहण कार्यवाही व्यपगत हो गई है इन आधारों पर कि भूमि खोने वालों/अधिनिर्णीत लोगों को प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया है, बल्कि स्वीकार्यतः सरकारी कोषागार

में जमा करा दिया गया था तथा न्यायालय में नहीं, यद्यपि प्रत्यर्थीगण के प्रतिशपथ पत्र में उनके पक्ष के अनुसार उसे अभिकथित रूप से कब्जा में ले लिया गया था।

3. उन दोनों रिट याचीगण पहले W.P. (C) सं० 5106 वर्ष 2010 में इस न्यायालय के पास आए थे इस आधार पर अपने पक्ष में प्रश्नाधीन जमीन के छोड़े जाने की ईप्सा करते हुए कि इसका न तो स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के लिए अधिग्रहण किया गया था, न ही राज्य सरकार को इसकी आवश्यकता थी। उन्होंने सूचना के अधिकार के अधीन प्राप्त दिनांक 13 सितम्बर, 2007 के पत्र पर भरोसा किया था जिसके अनुसार जमीन छोड़े जाने के लिए एक प्रस्ताव रखा गया था। उक्त रिट याचिका के लम्बित रहने के दौरान एक समुचित रिट या घोषणा के निर्गमन के लिए एक नए आग्रह के जोड़े जाने की ईप्सा करते हुए आई० ए० सं० 4766 वर्ष 2014 दाखिल किया गया था कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) की दृष्टि में उक्त मामले में अन्तर्ग्रस्त जमीन के सम्बन्ध में समूची भूमि अधिग्रहण कार्यवाही व्यपगत हो गई थी तथा वही अभिवचन लिया गया था कि प्रतिकर की राशि स्वीकार्यत: राजकीय कोषागार में जमा कराई गई थी तथा न्यायालय में नहीं। दिनांक 12 सितम्बर, 2014 के आदेश (परिशिष्ट-8) द्वारा इस न्यायालय की सहवर्ती पीठ ने उक्त रिट याचिका में नए आग्रह को जोड़े जाने से इनकार कर दिया था ऐसा निर्णीत करते हुए कि इसमें याचीगण के लिए रिट याचिका में अभिवाकों से पूर्ण रूप से तथ्यों के भिन्न समूह का अभिवाक करना तथा उसे सिद्ध करना आवश्यक हो जाएगा तथा परिणामस्वरुप इसे अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह उक्त रिट याचिका के स्वरूप को ही परिवर्तित कर देगा। तथापि, यह सम्परीक्षित किया गया था कि याचीगण द्वारा जिस आग्रह को जोड़े जाने की ईप्सा की गई है, वह एक पृथक रिट याचिका का विषय वस्तु हो सकता है। उक्त रिट याचिका को अन्तत: 7 नवम्बर, 2014 के निर्णय (प्रत्युत्तर प्रतिशपथ पत्र का परिशिष्ट-9) द्वारा खारिज कर दिया गया था। याचीगण ने डब्ल्यू० पी० (सी०) सं० 5106 वर्ष 2010 में पारित निर्णय के विरुद्ध लेटर्स पेटेन्ट अपील दाखिल किया था परन्तु इसे बाद में वापस ले लिया था क्योंकि वो पहले ही एक पृथक रिट याचिका, अर्थात्, वर्तमान मामला दाखिल कर चुके थे। एल० पी० ए० सं० 531 वर्ष 2014 में दिनांक 7 फरवरी, 2015 के रूप में खारिज कर दिया गया था।

4. जिस अतिरिक्त तथ्य को ध्यान में लिया गया है, वो यह है कि प्रत्यर्थी-राज्य ने सरायकेला के सिविल न्यायाधीश, वरीय डिविजन के न्यायालय के समक्ष दिनांक 18 जून, 2007 के विक्रय विलेख को रद्द करने के लिए एक अभिधान वाद-अभिधान वाद सं० 25/2011 संस्थित किया है। उक्त विक्रय-विलेख द्वारा याची सं० 1 ने याची सं० 2 के पक्ष में प्रश्नाधीन जमीन अंतरित कर दी थी।

5. इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में, याची सं० 2 के पास प्रस्तुत अनुतोष की ईप्सा करने के लिए एक वाद हेतुक का होना निर्णीत नहीं किया जा सकता है एक ऐसी घोषणा के स्वरुप में कि 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के प्रावधानों की दृष्टि में जमीनों के पूर्वोक्त टुकड़ों से सम्बन्धित समूची भूमि अधिग्रहण कार्यवाही व्यपगत हो चुकी है क्योंकि उसके अधिकार सक्षम न्यायालय के समक्ष लम्बित वाद की विषय वस्तु है। अतएव, याची सं० 1 द्वारा दाखिल रिट याचिका पर केवल गुणावगुणों पर विचार किया जा रहा है।

6. 2013 के अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों को जो यहाँ उठाए गए मुद्दों के लिए सुसंगत हैं, यहाँ नीचे उत्कथित किया गया है:-

> *"24.* ***vfèkfu;e lO 1 o"k 1894 d vèkhu Hkfe vtu ifØ;k dfri; ekeyk e0;ixr le>h tk;xh-****&(1) bl vfèkfu;e e vrfo"V fdlh pht d ckotn] Hkfe vtu vfèkfu;e] 1894 (1 o"k 1894) d vèkhu vkjHk fd, x, Hkfe vtu dk;okgh d fdlh ekey e&*

(a) tgk mDr Hkfe vtu vfèkfu;e dh èkkjk 11 d vèkhu vfèkfu.k; ikfjr ugh fd;k x;k g] rc evkotk d fofu'p;dj.k l lcfèkr bl vfèkfu;e d leLr çkoèkku ykx gkx] vFkok

(b) tgk mDr èkkjk 11 d vèkhu vfèkfu.k; ikfjr fd;k x;k g] rc mDr Hkfe vtu vfèkfu;e d çkoèkkuk d vèkhu ,lh dk;okgh tkjh jgxh ekuk mDr vfèkfu;e fujflr ugh fd;k x;k gA

(2) mièkkjk (1) e vrfo"V fdlh pht d ckotn] Hkfe vtu vfèkfu;e] 1894 d vèkhu vkjHk dh x;h Hkfe vtu dk;okgh d ekey e tgk bl vfèkfu;e d vkjHk gku d ikp o"kk vFkok vfèkd igy mDr èkkjk 11 d vèkhu vfèkfu.k; ikfjr fd;k x;k g fdr Hkfe dk Hkkfrd dCtk ugh fy;k x;k g vFkok evkotk dk Hkxrku ugh fd;k x;k g] mDr dk;okgh dk chrk gvk le>k tk,xk vkj lefpr ljdkj] ;fn ;g ,lk purh g] bl vfèkfu;e d çkoèkkuk d vu#i ,l Hkfe vtu d fy, dk;okgh u, flj l vkjHk djxhA

*ijUr ;g fd tgk vfèkfu.k; ikfjr fd;k x;k g vkj Hkèkfr d vfèkdk'k Hkkx d lcèk e evkotk ykHkkfFk;k d [kkrk e tek ugh fd;k x;k g] rc mDr Hkfe vtu vfèkfu;e dh èkkjk 4 d vèkhu vtu d fy, vfèklpuk e fofufn"V leLr ykHkkFkh bl vfèkfu;e d çkoèkku d vu#i evkotk d gdnkj gkxA***

7. 2014 के संशोधित अध्यादेश द्वारा लाया गया दूसरा परन्तुक भी यहाँ नीचे उत्कथित किया गया है:–

*^^ijUr ;g Hkh fd bl mi&èkkjk e fufn"V vofèk dh x.kuk dju e] ,lh vofèk ,o vofèk;k ftud nkjku fdlh U;k;ky; }kjk fuxr fdlh LFkxu ;k 0;kn'k d dkj.k Hkfe vfèkxg.k dh dk;okfg;k jkd nh xb Fkh ;k dCtk yu d fy, fdlh vfèkdj.k d fu.k; e fofufn"V vofèk ;k ,lh vofèk] tgk dCtk fy;k x;k g ijUr evkotk U;k;ky; e ;k bl mí'; d fy, pyk, tk jg fdlh [kkr e tek iMk gvk g] vioftr dh tk,xhA***

8. याचीगण ने तर्क दिया है कि धारा 24 की उपधारा (2) के निबंधनों में, कार्यवाहियां व्यपगत हो गई हैं क्योंकि प्रति शपथ पत्र के पृष्ठ 28 पर विद्यमान 1894 के अधिनियम के अधीन धारा 12 (2) के नोटिस में निर्दिष्ट अधिनिर्णय दिनांक 27 मार्च, 1984 का है, अर्थात् इन परिस्थितियों में धारा 24 (2) के अधीन व्यपगत कराने वाले प्रावधानों के लागू होने के लिए निर्धारित पाँच वर्ष की अवधि से काफी अधिक बाद का है कि भूमि खोने वालों को प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया है, न ही इसे न्यायालय में जमा कराया गया है जहाँ संदर्भ किए गए हैं। यह निवेदन किया गया है कि भूमि के प्रस्तुत टुकड़ों के अधिग्रहण से सम्बन्धित विषय पर परिशिष्ट 6, जो उपसचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार को विशेष भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी सं॰ 1, स्वर्णरेखा परियोजना, मांगो द्वारा भेजा गया दिनांक 20 अप्रील, 2010 का पत्र सं॰ 95 है, स्पष्ट रूप से इन टिप्पणियों से अंतर्विष्ट है कि याची सं॰ 1 के ससुर तथा दादा ससुर के नाम खाता सं॰ 31 तथा खाता सं॰ 169 दोनों में वर्णित भूखण्डों पर किए गए अधिग्रहण के सम्बन्ध में 7 अगस्त, 1985 को कोषागार में प्रतिकर की राशि जमा कराई गई थी। यह निवेदन किया गया है कि प्रशासक, स्वर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर द्वारा सचिव, जल संसाधन विभाग को संबोधित दिनांक 23 जून, 2014 का पत्र सं॰ 687, परिशिष्ट 7 भी इसका साक्ष्य देता है कि प्रश्नाधीन भूखण्ड पर विद्यमान संरचनाएं वर्तमान में इस्तेमाल के लिए अनुपयुक्त होते हुए जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है जब तक की मरम्मत के कार्य नहीं किए जाते हैं।

9. प्रतिशपथ पत्र के पैरा 12 एवं 13 में किए गए कथनों पर भी भरोसा किया गया है, जहाँ याची सं॰ 1 के ससुर के सम्बन्ध में खाता सं॰ 31 के अधीन 1.10 एकड़ क्षेत्रफल तथा याची सं॰ 1 के पति के दादा के नाम खाता सं॰ 169 के सम्बन्ध में 1.99 एकड़ क्षेत्रफल की अधिग्रहित भूमि के लिए प्रत्यर्थीगण अधिग्रहण के समय किए गए प्रतिकर के अभिनिर्धारण को इंगित करते हैं। प्रतिशपथ पत्र के पैरा 16 में किए गए प्रकथनों पर भरोसा किया गया है, जहाँ प्रत्यर्थीगण ने कथित किया है कि भूमि अधिग्रहण कार्यवाही पूरी की गई थी तथा अधिग्रहित भूमि का कब्जा लेने के उपरान्त, कार्यालय भवनों तथा गोदाम का निर्माण किया गया था, परन्तु मुआवजे को स्वीकार न किए जाने पर, इसे राजस्व शीर्ष के अधीन कोषागार धारा 24 (2) में समाविष्ट शर्तें वर्तमान मामले के तथ्यों में संदेह से परे पूरी की गई है। अतएव, **(2014)3 SCC 183 [: 2014 (1) JLJ 234 (SC)]** में रिपोर्ट किए गए **पुणे नगर निगम एवं एक अन्य बनाम हरकचन्द मिश्रीमल सोलंकी एवं एक अन्य** के मामले में उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के पीठ द्वारा अधिकथित विधि की दृष्टि में अधिग्रहण को व्यपगत के तौर पर घोषित किया जाना चाहिए जिसका **(2015)3 SCC 206** में रिपोर्ट किए गए **करनैल कौर एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य** के मामले में तथा **(2015)8 SCC 594** में रिपोर्ट किए गए **रेडियन्स फिनकैप प्रा॰ लि॰ एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य** के मामले में दिए गए पश्चात निर्णय में तथा **(2015) SCC Online SC 1287** में रिपोर्ट किए गए **रतन सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य** के मामले में तथा **2016 SCC On line SCC 503** में रिपोर्ट किए गए **विजय लटका एवं एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य** के मामले में दिए गए हाल ही के दो निर्णयों में भी अनुसरण किया गया है। अतएव, याचीगण आग्रह किए गए अनुतोषों के हकदार हैं।

10. प्रत्यर्थी–राज्य के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि 1894 के अधिनियम के प्रावधानों के निबंधनों में अधिग्रहण की कार्यवाहियाँ सम्पन्न की गई थी तथा प्रश्नाधीन सम्पत्ति के लिए मुआवजा भी अधिनिर्णीत किया गया था। 1894 के अधिनियम की धारा 31 के प्रावधानों को प्रस्तुत करने के उपरात, यह निवेदन किया गया है कि अगर याचीगण या भूमि खोने वाले मूल व्यक्ति परिशिष्ट–A दिनांक 31 जनवरी, 1985 में यथा अन्तर्विष्ट तथा धारा 12 (2) के अधीन निर्गत दिनांक 22 मई 1984 के नोटिस के बावजूद प्रतिकर स्वीकार करने के लिए नहीं आए थे, प्रत्यर्थी प्राधिकारीगण विधि में प्रतिकर की राशि कोषागार में जमा कराने के लिए बाध्य थे। याचीगण अधिग्रहण के लगभग 29 वर्ष बाद इस न्यायालय के पास आकर बुद्धिमान बन गए हैं इस घोषणा के लिए कि 2013 के अधिनियम के प्रावधानों की दृष्टि में अधिहरण की कार्यवाहियां व्यपगत हो गई हैं। यह भी निवेदन किया गया है कि धारा 24 (2) का दूसरा परन्तुक 1 जनवरी, 2015 के प्रभाव से अन्त: स्थापित किया गया है तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा **करनैल कौर (ऊपर)** के मामले में दिए गए निर्णय के पैरा 24 को भी ध्यान में लिया गया है। दूसरा परन्तुक प्रभावी रूप में धारा 24 की उपधारा (2) में अनुबद्ध 5 वर्ष की कार्यवाही को अल्पीकृत कर देगा क्योंकि प्रश्नाधीन प्रतिकर की राशि इस उद्देश्य के लिए कोषागार में संधारित खाते में 7 अगस्त, 1985 से जमा पड़ी रही है। अतएव, याची के आग्रह को इस चरण में अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए।

11. मैंने कुछ विस्तार से पक्षकारों के निवेदनों पर विचार किया है तथा उनके द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों समेत अभिवाक की गई सुसंगत सामग्रियों का अवलोकन किया है। इसमें उपर उल्लिखित सुसंगत तात्विक आधार तत्व तथ्यों की एक निर्विवादित अवस्था वास्तव में प्रस्तुत करता है कि प्रश्नाधीन जमीनों के पूर्वोक्त टुकड़ों के लिए वर्ष 1984 में भूमि अधिग्रहण केस सं॰ 70/1980-1981 में अधिग्रहण

किए जाने पर, **पुणे नगर निगम (ऊपर)** के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयाधार के निबंधनों में याचीगण को अधिनिर्णीत मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया था, बल्कि इसे 7.8.1985 को कोषागार में जमा करा दिया गया था तथ्यों की ऐसी निर्विवाद स्थिति पर, 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के अधीन अधिहरण के कार्यवाहियों के व्यपगत होने से सम्बन्धित तात्विक मुद्दे पर अब **पुणे नगर निगम (ऊपर)** के मामले में रिपोर्ट के पैरा सं॰ 14 से 19 में अन्तर्विष्ट उन्हें यहाँ नीचे प्रत्युत्पादित किया जा रहा है क्योंकि वह विषय पर विधि अधिकथित करते हैं:-

"14. 1894 vfèkfu;e dh èkkjk 31 (1) lekgrk dk èkkjk 11 d vèkhu vfèkfu.k; ikfjr dju ij vfèkfu.k; d vulkj mld gdnkj fgrc) 0;fDr;k dk evkotk dk Hkxrku dju dh vkKk nrh gA ;g vkx lekgrk dk mudk evkotk dk Hkxrku dju dh vkKk nrh g tc rd bl mièkkjk (2) e vuè;kr vkdfLedrkvk e l fdlh ,d }kjk jkdk ugh x;k gA èkkjk 31 (2) e vuè;kr vkdfLedrk, gh (i) evkotk d gdnkj fgrc) 0;fDr bldk çkIr dju dh vuefr ugh nr g((ii) Hkfe vU; lØkr dju d fy, l{ke 0;fDr ugh g] vkj (iii) evkotk vFkok bld çHkktu dk çkIr dju d fy, gd d çfr fookn gA ;fn èkkjk 31 (2) e vuè;kr vkdfLedrkvk e l fdlh d dkj.k lekgrk dk fgrc) 0;fDr;k] tk evkotk d gdnkj g] dk evkotk dk Hkxrku dju l jkdk tkrk g] rc lekgrk dk U;k;ky; e evkotk tek dju dh vko';drk g ft ld çfr èkkjk 18 d vèkhu fun'k fd;k tk ldrk gA

15. ljy :i l dgu ij] 1894 vfèkfu;e dh èkkjk 31 evkotk d Hkxrku d fy, vFkok bl U;k;ky; e tek dju d fy, çkoèkku cukrh gA ;g çkoèkku vko';d cukrk g fd lekgrk dk fgrc) 0;fDr;k] tk evkotk d gdnkj g] dk mld }kjk vfèkfu.khr evkotk dk Hkxrku djuk pkfg,A ;fn èkkjk 31(2) e vuè;kr fdlh vkdfLedrk d dkj.k evkotk dk Hkxrku ugh fd;k x;k g] rc lekgÙkk dk U;k;ky; e evkotk dh jkf'k tek djuk pkfg, ft ld çfr èkkjk 18 d vèkhu fun'k fd;k tk ldrk gA

16. U;k;ky; e evkotk tek dju d lcèk e èkkjk 31 (2) e çkoèkku dh vkKkid çÑfr dk èkkjkvk 32, 33 vkj 34 e vrfo"V çkoèkkuk }kjk vkx ln< cuk;k x;k gA oLrr%] èkkjk 33 U;k;ky; dk fgrc) 0;fDr vFkok ,l èku e fgr dk nkok dju oky 0;fDr }kjk vkonu ij bl çdkj tek dh x;h jkf'k dk ,lh ljdkjh vFkok vU; vuekfnr çfrHkfr;k e fuo'k dju d fy, vkn'k ikfjr dju dh 'kfDr nrh g vkj U;k;ky; ,l fdlh fuo'k d C;kt vFkok vU; vkxe dk tek dju dk vkj bl rjhd l tlk ;g lefpr le>rk g bldk Hkxrku dju dk fun'k n ldrk g rkfd mle fgrc) i{kx.k dk mldk ykHk fey ld tk mUg ml Hkfe l fey ldrk Fkk ft ld lcèk e ,lk èku vFkok bld ;Fkk lHko fudV èku tek fd;k x;k FkkA

*17. èkkjk 24 (2) vfèkfu;fer djr g, lln u fu'p; gh 1894 vfèkfu;e dh èkkjk 31 dk viuh nf"V e j[kk FkkA mll ,d pht Li"V g fd blu 'kCn ^^Hkxrku fd;k x;k** dk ^^çLrkfor fd;k x;k** vFkok ^^fn;k x;k** d lerY; cuku dk vk'k; ugh j[kk FkkA fdr blh le; ij ge ugh lkpr g fd 'kCn ^^Hkxrku fd;k x;k** }kjk lln u HkLokfe;k@fgrc) 0;fDr;k }kjk evkotk dh*

*çkfIr dk vk'k; j[kk FkkA gekj nf"Vdk.k e] bl mièkkjk (èkkjk 24 dh mièkkjk (2) e ç;Dr vfHk0;fDr** Hkxrku fd;k x;k** dk 'kkfCnd vFkkZo;u djuk lefpr ugh gA ;fn 'kkfCnd vFkkZo;u fd;k tkrk g] rc ;g mle vuè;kr vkdfLedrkvk e l fdlh d ?kVu dh fLFkfr e] tk lekgÙkk dk evkotk dk okLrfod Hkxrku dju l jkd ldrk g] 1894 vfèkfu;e dh èkkjk 31 (2) e çkoèkkfur tek dju dh çfØ;k] <x ,o rjhd dk vun[kk dju d rY; gkxkA vr%] gekjk nf"Vdk.k g fd èkkjk 24 (2) d ç;ktu l evkotk dk ^^Hkxrku fd;k x;k** ekuk tk,xk ;fn fgrc) 0;fDr dk evkotk dk çLrko fn;k x;k g vkj ,l evkotk U;k;ky; e tek dj fn;k x;k g tgk 1894 vfèkfu;e d vèkhu vuè;kr vkdfLedrkvk e l fdlh d gku ij èkkjk 18 d vèkhu fun'k fd;k tk ldrk gA nlj 'kCnk e] evkotk dk èkkjk 24 (2) d vFk d vrxr ^^Hkxrku fd;k x;k** dgk tk ldrk g tgk lekgrk (vFkok Hkfe vtu vfèkdkjh) u viuh ckè;rk dk fuogu fd;k vkj U;k;ky; e evkotk jkf'k tek fd;k g vkj fgrc) 0;fDr dk jkf'k miyCèk djk;k g ftl ij fopkj fd;k tkuk g tl k èkkjkvk 32 ,o 33 e çkoèkkfur fd;k x;k gA*

18. LoRogj.kdkjh foèkku gku d ukr 1894 vfèkfu;e dk dBkjrkiod vulj.k djuk gkxkA evkotk d Hkxrku dh çfØ;k] <x ,o rjhdk 1894 vfèkfu;e d Hkkx v (èkkjkvk 31-34) e fofgr fd;k x;k gA evkotk d Hkxrku d lcèk e lekgrk doy bl çdkj çkoèkkfur rjhd l ÑR; dj ldrk gA ;g fofèk dh lfuf'pr çfriknuk gA (ukftj vgen e ykM jk'k dk mRÑ"V dFku) fd tgk fuf'pr rjhd l fuf'pr pht dju dh 'kfDr nh x;h g] pht mlh rjhd l fd;k tkuk pkfg, vFkok fcYdy ugh fd;k tkuk pkfg,A ikyu dh vU; i)fr;k dk vko';dr% euk fd;k x;k gA

*19. vc] ;g LohÑr voLFkk g fd fnukd 31.1.2008 dk vfèkfu.k; ikfjr fd;k x;k FkkA evkotk çkIr dju d fy, HkLokfe;k dk ukfVl tkjh fd;k x;k Fkk vkj pfd mUgku evkotk çkIr ugh fd;k Fkk] jkf'k (27 djkM #i;k) ljdkjh [ktkuk e tek dj nh x;h FkhA D;k ;g dgk tk ldrk g fd ljdkjh [ktkuk e evkotk jkf'k tek fd;k tkuk HkLokfe;k@fgrc) 0;fDr;k dk Hkxrku dh x;h jkf'k d lerY; g\ ge ,l ugh lkpr gA ,d gky d fu.k; e] bl U;k;ky; u ,Xuyk lkfrekuk QukfMl e çeukFk dij e fn, x, io fu.k; ij fo'okl djr g, vfHkfuèkkfjr fd;k g fd jkT; d jktLo [kkr e evkotk jkf'k tek fd;k tkuk fdlh ykHk dk ugh g vkj U;k;ky; e jkf'k tek fd, tku rd C;kt dk Hkxrku djuk jkT; dk nkf;Ro cuk jgrk gA**

12. उच्चतम न्यायालय के अभिमत, विशेष रूप से इसमें ऊपर उत्कथित पैरा 14 के अभिमत का परिशीलन संदेह के लिए कोई और गुंजाइश नहीं छोड़ता है कि अगर समाहर्त्ता धारा 31(2) में अनुध्यात आकस्मिकताओं में से किसी के कारण हितबद्ध व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान नहीं कर पाता है जो मुआवजे के हकदार हैं, तब समाहर्त्ता के लिए न्यायालय में मुआवजे को जमा करना आवश्यक है जिसे धारा 18 के अधीन निर्दिष्ट किया जा सकता है। अतएव, यह स्पष्ट है कि संदर्भ न्यायालय के समक्ष किसी संदर्भ का अस्तित्व में होना आवश्यक नहीं हो सकता है। प्रश्नाधीन अधिनिर्णय के संबंध में अभ्यापत्ति करने के लिए किसी के आगे न आने की दशा में, समाहर्त्ता प्रतिकर की राशि न्यायालय में जमा कराने की बाध्यता के अधीन होता है। यह निर्णीत किया गया है कि सरकार के कोषागार में प्रतिकर की राशि जमा किये जाने को भू-स्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों को प्रतिकर के भुगतान के तुल्य नहीं माना जा सकता है (ऊपर उत्कथित पैरा 19)। प्रश्नाधीन वर्तमान भूमि अधिग्रहण कार्यवाही में इस शर्त्त का अनुपालन नहीं किया गया है।

13. अब हम दूसरे परंतुक के अंत:स्थापन द्वारा अधिनियम की धारा 24(2) के संशोधन के प्रभाव पर राज्य के अधिवक्ता के निवेदन को निर्दिष्ट करते हैं।

14. 1 जनवरी, 2015 के प्रभाव से भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता तथा उचित मुआवजा का अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2014 द्वारा अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (2) का दूसरा परंतुक अंत:स्थापित किया गया था। अतएव, यह प्रस्तुत संशोधन के प्रभाव में आने के पहले 25 सितम्बर, 2014 को संस्थित प्रस्तुत रिट याचिका में उठाये गये याचीगण के वाद हेतुक को बाहर करने के लिए भूतलक्षी रूप से कार्य नहीं कर सकता है। संशोधन अधिनियम की परिधि तथा कार्यक्षेत्र पर पूर्व उदाहरण को निर्दिष्ट करने के उपरान्त **करनैल कौर (ऊपर)** के मामले में पैरा 24 में तथा **रेडियंस फिनकैप प्राईवेट लिमिटेड (ऊपर)** के मामले में रिपोर्ट के पैरा 4 में भी उच्चतम न्यायालय ने निर्णीत किया है कि संशोधन अधिनियम, जो तात्विक अधिकारों को प्रभावित करता है, को परिचालन में भविष्यलक्षी माना जा सकता है जबतक कि उसे अभिव्यक्त रूप से या आवश्यक विवक्षा द्वारा भूतलक्षी न बनाया जाय।

15. रेडियंस फिनकैप प्राईवेट लिमिटेड (ऊपर) के मामले में पैरा संख्याओं 2 से 4 में यथा अंतर्विष्ट उच्चतम न्यायालय की राय यहां नीचे प्रत्युत्पादित की गयी है:–

^^2. .... vr,o] iR;Fkhx.k dh vkj ls vkxg fd;k x;k ;g rd fd Hkfe vfèkxg.k] iuokl ,o iu0;oLFkkiu e ikjnf'krk rFkk mfpr evkot k dk vfèkdkj (l'kkèku) e vè;kn'k] 2014 d 31.12.2014 dk i[;kiu dh nf"V e] vfèkfu;e dh èkkjk 24 dh mi&èkkjk (2) e ijrd vr%LFkkfir djd] ikp o"k dh vofèk dh x.kuk dju d fy, U;kf;d dk;okfg;k e iklr LFkxu dh vofèk ckgj dj nh tk;xh ,lk fu.khr dju d fy, fd vfèkxg.k dh dk;okfg;k 0;ixr gk x;h g rFkk] vr,o] mDr ikoèkku vkondk dk ykHk ugh igpkrk g] xjhdifr fojk;k cuke ,u0 lc;;k pkèkjh e bl U;k;ky; }kjk vfèkdfFkr fofèk dh nf"V e gekj }kjk oèkkfud :i l Lohdkj ugh fd;k tk ldrk gA ijk 23 ;gk uhp iR;Rikfnr fd;k x;k g tk llxr g((AIR i"B 559)

^^23. Åij m)r fu.k;k l] fuEukfdr fl)kr Li"Vr% mnHkr gkr g%

(i) fd fdlh mipkj] okn] vihy ,o nljh vihy dk oèkkfud vulj.k okLro e dN vkj ugh cfYd dk;okfg;k dh ,d J[kyk e dne g tk lHkh ,d vrfufgr ,drk l tM g, g rFkk mUg ,d gh oèkkfud dk;okgh ekuk tkuk gA

(ii) vihy dk vfèkdkj ifØ;k dk ,d ekeyk ek= ugh g cfYd ,d rkfRod vfèkdkj gA

(iii) okn dk lfLFkr fd;k tkuk viu lkFk bl foo{kk dk fy; jgrk g fd rRle; ioÙk vihy d lkj vfèkdkj okn dk vkx y tku rd i{kdkjk d fy, ifjjf{kr jgr gA

(iv) vihy dk vfèkdkj ,d fufgr vfèkdkj g rFkk ednek ikjHk gku dh frfFk dk ,o ml frfFk l mPprj U;k;ky; e tku dk ,lk vfèkdkj oknh dk iknHkr gk tkrk g rFkk ;|fi bl okLro e rc bLreky fd;k tk ldrk g tc ifrdy fu.k; luk;k tkrk g] fQj Hkh ,lk vfèkdkj okn ;k dk;okgh lfLFkr fd; tku d fnu ipfyr fofèk }kjk lpkfyr gkuk g rFkk ml fofèk }kjk ugh tk bld fu.k; d fnu ;k vihy d nkf[ky d fnu iHkkoh gA

*(v) vihy dk ;g fufgr vfèkdkj fdlh i'pkrh vfèkfu;eu }kjk gh Nhuk tk ldrk g] vxj ;g Li"Vr% ;k vko';d vk'k; }kjk ,lk micfèkr dj rFkk vU;Fkk ughA***

3. ';ke lUnj cuke jke dekj e bl U;k;ky; dh loèkkfud ihB }kjk Hkh iokDr ekeyk (xfjdkifr dk ekeyk) vuekfnr fd;k x;k gA fu.k; d ijk 24] 26] 27 ,o 28] tk llxr g] ;gk uhp iR;Rikfnr fd; x; g% (SCC i"B 41&43)

^^24. xfjdkifr fojk;k cuke ,u0 lc;;k pkèkjh e bl U;k;ky; u bl idkj lEijhf{kr fd;k Fkk% (AIR i"B 533] ijk 25)

*^^25. ---- vFkko;u dk Lof.ke fu;e ;g g fd vfèkfu;eu e ,lk n'kku d fy, dN u gku d vHkko e fd bldk Hkry{kh iHkko gkuk g] bldk vfèkfu;e d ikfjr fd; tku d le; okn e fdlh nko ij i;kT; fofèk dk ifjofrr dju dk iHkko j[kuoky vfèkfu;e d rkj ij vFkko;u ugh fd;k tk ldrk gA***

26. fgrUn fo".k Bkdj cuke egkjk"V jkT; e] bl U;k;ky; u l'kkèkudkjh vfèkfu;e dh ifjfèk rFkk dk;{k= ,o bld Hkry{kh ifjpkyu dk fuEuor vfèkdfFkr fd;k Fkk% (SCC i"B 633] ijk 26)

^^(i) tk lofèk rkfRod vfèkdkjk dk iHkkfor djrh g] ml iHkko e Hkfo";y{kh mièkkfjr fd;k tkrk g tcrd fd vfHk0;Dr :i l ;k vko';d vk'k; }kjk Hkry{kh u cuk;h tk;] tcfd ,lh lofèk tk doy ifØ;k dk iHkkfor djrh g] tcrd fd ikB d iBu l ,lk vFkko;u vlHko u gk] viuh i;kT;rk e Hkry{kh ekuh tkrh g] ml ,d foLrkfjr vFk inku ugh fd;k tkuk pkfg, rFkk bl dBkjrkiod viuh Li"V :i l ifjHkkf"kr lhekvk d Hkhrj jguk gA

(ii) ep rFkk ifjlhek l lcfèkr fofèk ifØ;kRed gkrh g] tcfd dkjokb d vfèkdkj rFkk vihy d vfèkdkj l lcfèkr fofèk] mipkjkRed gkr g, Hkh] rkfRod iÑfr dh gkrh gA

(iii) rkfRod fofèk e iR;d okn dk ,d fufgr vfèkdkj gkrk g ijUr ifØ;kRed fofèk e ,lk dkb vfèkdkj fo|eku ugh gkrk gA

(iv) lkekU; :i l dfFkr djr g,] fdlh ifØ;kRed lofèk dk Hkry{kh :i l ykx ugh fd;k tkuk pkfg, tgk ifj.kke ub fu;kX;rkvk ;k ckè;rkvk dk l tu djuk gkxk ;k igy gh ij fd; x; l0;ogkjk d lcèk e u; nkf;Rok dk vfèkjkfir djuk gkxkA

*(v) dkb lofèk tk u doy ifØ;k ifjofrr djrh g cfYd u; vfèkdkjk ,o nkf;rkvk dk Hkh l tu djrh g] dk iHkko e Hkfo";y{kh gku dk vFkko;u fd;k tk;xk] tcrd fd vfHk0;Dr :i l ;k vko';d foo{kk }kjk vU;Fkk micfèkr u fd;k tk;A***

27. d0 ,l0 ifjijeu cuke djy jkT; (SCC i"B 636 ij) e bl U;k;ky; u yfcr dk;okfg;k e Hkfe vfèkxg.k vfèkfu;e d l'kkèku d iHkko ij fopkj djr le; fuEuor fu.khr fd;k Fkk% (SCC ijk 67)

^^67. iLrr ekey e ge mu vfèkxg.k dk;okfg;k ij l'kkèku vfèkfu;e }kjk ;Fkk ij%LFkkfir èkkjk 23 dh mi&èkkjk (1-A) d ikoèkkuk d i;kT;rk ij fopkj djuk g tk l'kkèku vfèkfu;e d ikjHk gku d fnu yfcr FkhA yfcr dk;okfg;k d lcèk e] bXyM e U;k;ky;k dk jo;k ;g g fd ; fofèk e g, ifjoruk l viHkkfor jgrh g tgk rd og rkfRod vfèkdkjk d vfHkfuèkkj.k l lcfèkr g rFkk fdlh l'kkèku vfèkfu;eu e ,d rRifrdy vk'k; d fdlh Li"V ldr d vHkko

*e] fdlh dkjokb d i{kdkjk d rkfRod vfèkdkjk dk ml fofèk }kjk vfHkfuèkkj.k fd;k tkuk g ftl fLFkfr e ;g fo|eku Fkh tc dk;okgh ikjHk dh x;h Fkh rFkk , lk gkuk g pkg ekey dh igyh ckj luokb gku d igy fofèk ifjofrr dh tkrh g ;k tc dkb vihy yfcr gA (n[k gYlcjht ykt vkQ bxyM] prFk lLdj.k] vd 44] ijk 922)***

*28. iokDr fu.k;k l tk oèkkfud fLFkfr mnHkr gkrh g og ;g g fd tc fdlh vfèkfu;eu d fujlu d ckn dkb u;k foèkku vkrk g] , lk foèkku okn ;k okn d fu.k; d frfFk dk i{kdkjk d rkfRod vfèkdkjk dk iHkkfor ugh djrk g tcrd fd , lk foèkku Hkry{kh u gk rFkk dkb vihyh; U;k;ky; og fu.k;] ftll vihy gb Fkh luk; tku d mijkUr vfLrRo e yk; x; u;h fofèk dk fopkj e ugh y ldrk g D;kfd fdlh vihy e i{kdkjk d vfèkdkjk dk okn d fnu iHkkoh fofèk d vèkhu vfHkfuèkkj.k fd;k tkrk gA rFkkfi] ifØ;kRed fofèk l lcfèkr ekeyk e fofèk e fLFkfr fHkUu gkxh ijUr tgk rd i{kdkjk d rkfRod vfèkdkjk dk lcèk g] og vfèkfu;eu e l'kkèku }kjk viHkkfor jgr gA vr,o] gekjh jk; g fd tc fdlh vfèkfu;eu d ikoèkkuk d fujlu d ckn fdlh l'kkèku vfèkfu;e }kjk u;k foèkku vkrk g] , lk foèkku iHkko e Hkfo";y{kh gkrk g rFkk i{kdkjk d rkfRod ;k fufgr vfèkdkjk dk iHkkfor ugh djrk g tcrd fd vfHk0;Drr% ;k vko';d vk'k; }kjk bl Hkry{kh u cuk;k tk;A gekjk ;g Hkh nf"Vdk.k g fd fdlh lfofèk d Hkry{kh ifjpkyu d fo:) , d mièkkj.kk gkrh g rFkk bld vfrfjDr fdlh lfofèk dk mll vfèkd Hkry{kh ifjpkyu gku d fy, vFkko;u ugh fd;k tk ldrk g ftruk dh bldh Hkk"kk vko';d cukrh g] ijUr fdlh l'kkèku vfèkfu;e] tk ifØ;k dk iHkkfor djrh g] dk Hkry{kh mièkkfjr fd;k tkrk g] tcrd fd l'kkèku vfèkfu;e vU;Fkk micfèkr u djA***

*4. vfèkfu;e dh èkkjk 24(2) d vèkhu vfèkxfgr Hkfe d Hk&èkkjdk@Lokfe;k dk inÙk vfèkdkj , d lkfofèkd vfèkdkj g rFkk] vr,o] mDr mièkkjk e ijrd vr%LFkkfir djd fdlh l'kkèku }kjk bl Hkry{kh iHkko inku fd; fcuk mDr vfèkdkj ugh Nhuk tk ldrk gA bl rF; dk fopkj e yr g, fd geu Hkfe vfèkxg.k lekgÙkk }kjk vfèkxfgr Hkfe dk Hkkfrd dCtk yu d lcèk e bl U;k;ky; d fiNy fu.k;k dk vulj.k djd eXue ikekVl ikboV fyfeVM cuke Hkkjr l?k e rFkk vU; vihyk e Hkh le:i ekeyk dk vuKkr fd;k g] ftUg mDr fu.k; e foLrkjiod fufn"V fd;k x;k g] Hkfe vtu] iuokl ,o iu0;oLFkkiu e ikjnf'krk rFkk mfpr evkotk dk vfèkdkj ¼l'kkèku½ vè;kn'k 2014 dk i[;kiu 31.12.2014 dk fd;k x;k Fkk] tk Hkfo";y{kh Lo:i dk g rFkk] vr,o] bl vU; ekeyk ij ykx ugh fd;k tk ldrk gA***

16. उच्चतम न्यायालय ने पहले ही राय दिया है कि 2014 के अध्यादेश के अधीन प्रस्तुत संशोधन भविष्यलक्षी स्वरूप का है तथा पहले ही उठाये गये वाद हेतुक को निष्फल नहीं करेगा।

17. पूर्वोक्त परिचर्चाओं, अभिलिखित कारणों के परिणाम के रूप में तथा इस स्वीकृत तथ्य की दृष्टि में कि 27.3.1984 को अधिनिर्णय के घोषणा के उपरान्त अधिनिर्णीत मुआवजा न्यायालय में जमा नहीं कराया गया था, बल्कि 7.8.1985 से कोषागार में रखा गया था, 2013 के अधिनियम की धारा 24(2) की कठोरताएं वर्तमान अधिग्रहण पर लागू होंगी। तद्नुसार, खाता सं॰ 31 में प्लॉट संख्याओं 574, 575 एवं 576 से संबंधित 1.16 एकड़ क्षेत्रफल वाले तथा खाता संख्या 169 में प्लॉट संख्याओं 571,

572 एवं 573 से संबद्ध 1.99 एकड़ क्षेत्रफल वाले जमीन के पूर्वोक्त टुकड़ों, जो दोनों मौजा असनवानी, थाना सं॰ 325, पुलिस थाना चांडिल, जिला सरायकेला खरसाबां के अधीन हैं, का अधिग्रहण कार्रवाई संख्या 70/1980-81 में अधिग्रहण को व्यपगत घोषित किया जाता है।

तद्नुसार, रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

त्रिवेणी इंजीनियरिंग एवं इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

cuke

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

W.P. (C) No. 4261 of 2015. Decided on 14th September, 2016.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 13, नियम 1 एवं 3—अभिलेख का पुनः अर्थान्वयन आक्षेपित आदेश में ऐसा कहीं पर भी नहीं आया है कि आदेश 13 नियम 1 की दृष्टि में सम्बद्ध न्यायालय ने वाद के किसी चरण में किसी दस्तावेज को अस्वीकार किया था जिसे असंगत या अन्यथा अग्राह्य माना गया था तथा दस्तावेज वादी को लौटा दिया था—अवर न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा मुद्दे का उपयुक्त रूप से मूल्यांकन तथा निर्णयन नहीं किया है तथा इन दस्तावेजों का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किए किए बिना आग्रह अस्वीकार कर दिया है—आक्षेपित आदेश अपास्त एवं मामला पुनर्विचार के लिए प्रतिप्रेषित। (पैराएँ 5 से 11)

अधिवक्तागण.—M/s Raj Nandan Sahay, Yashvardhan, Allan Andrew, For the Petitioner; Mr. Anoop Kumar Mehta, For the Respondent.

आदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन इस न्यायालय की असाधारण अधिकारिता का अवलम्ब लेते हुए, वादी-याची ने अभिधान वाद सं॰ 10 वर्ष 1996 में विद्वान अपर सिविल न्यायाधीश (कनीय डिवीजन), धनबाद द्वारा पारित दिनांक 14.7.2015 के आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की है जिसके द्वारा अवर न्यायालय ने अभिधान वाद सं॰ 10 वर्ष 1996 में वर्तमान वादी द्वारा दाखिल दस्तावेजों का पता लगाने का प्रभारी न्यायाधीश-सह-सिविल न्यायालय के रजिस्ट्रार को निर्देश देने के लिए 21.3.2014 को वादी द्वारा दाखिल याचिका अस्वीकार कर दिया है या वैकल्पिक रूप से पक्षकार को अभिलेख का पुनर्निर्माण करने का निर्देश देने की प्रार्थना की है ताकि याची उन दस्तावेजों को सिविल न्यायाधीश (वरीय डिवीजन), धनबाद के न्यायालय में लम्बित पश्चातवर्ती अभिधान वाद सं॰ 34 वर्ष 1999 में साक्ष्य के तौर पर प्रयोग कर सके।

2. अनावश्यक विवरणों से रहित रहते हुए, वो तथ्य, जो इस रिट आवेदन में अंतर्ग्रस्त मुद्दे के उपयुक्त निर्णयन के लिए सुसंगत हैं, संक्षेप में ये हैं कि याची, जो एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है, ने कोई अभिधान वाद सं॰ 10 वर्ष 1996 दाखिल किया था इस घोषणा के लिए कि प्रतिवादी सं॰ 1 क्रमशः प्रतिवादी सं॰ 2 एवं 3 द्वारा निर्गत 9,20,000/- तथा 35,58,300/- रुपए की बैंक गारंटियों का अवलम्ब लेने का हकदार नहीं है तथा प्रतिवादी सं॰ 1, उसके कर्मचारियों या अभिकर्ताओं को भी प्रतिवादी सं॰ 2 एवं 3 द्वारा निर्गत तीनों बैंक गारंटियों का अवलम्ब लेने से रोकने के लिए तथा बैंक गारंटियों के अधीन प्रतिवादी सं॰ 1 को कोई भुगतान करने से प्रतिवादी सं॰ 2 एवं 3 को रोकने के लिए भी यह वाद दाखिल किया था। उक्त वाद के लम्बित रहने के दौरान, अस्थायी व्यादेश का एक आदेश प्रदान किया गया था, परन्तु बाद में उक्त आदेश का प्रतिसंहरण कर दिया गया था तथा वर्तमान प्रत्यर्थी-बी॰ सी॰ एल॰ ने

बैंक गारंटियों को भुना लिया था जिसने 1,88,69,894.93/- रुपए की राशि की वसूली के लिए एक अन्य अभिधान वाद सं॰ 34 वर्ष 1999 का दाखिल किया जाना आवश्यक बना दिया था। पश्चातवर्ती वाद में प्रत्यर्थी की हाजिरी के उपरांत, उन्होंने लिखित कथन दाखिल किया था तथा साक्ष्य प्रस्तुत करते समय, वादी–याची द्वारा कुछ दस्तावेजों का दाखिला अपेक्षित किया गया था जिन्हें पिछले अभिधान वाद सं॰ 10 वर्ष 1996 में दाखिल किया गया था। याची ने दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियों को उपलब्ध कराने के लिए लिखित में न्यायालय की रजिस्ट्री से आग्रह किया था जिन्हें पिछले वाद में दाखिल किया गया था। उक्त आग्रह पत्र के साथ दस्तावेजों की एक सूची भी संलग्न की गई थी परन्तु रजिस्ट्री ने याची को लिखित में सूचित किया था कि सूची में विद्यमान इन दस्तावेजों का पता नहीं चल रहा है। तत्पश्चात, रजिस्ट्री को दस्तावेजों का पता लगाने का निर्देश देने के लिए या वैकल्पिक रूप से पक्षकारों से संचिका का पुनर्निर्माण करने की अनुमति देने के लिए याची ने 24.03.2014 को संबंधित न्यायालय में एक याचिका दाखिल किया था ताकि याची न्यायालय में इन दस्तावेजों को दाखिल करने की स्थिति में हो सके तथा प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत कर सके।

3. प्रतिवादी–प्रत्यर्थीगण ने उक्त याचिका का एक प्रत्युत्तर दाखिल किया था ऐसा अभिकथित करते हुए कि उक्त याचिका भ्रामक है तथा विधि के अनुसार नहीं है एवं वस्तुत: याची ने पिछले वाद में दस्तावेजों की जिरॉक्स प्रतिलिपि दाखिल किया था जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है तथा इन दस्तावेजों में से कोई भी मूल दस्तावेज नहीं था तथा यह कि न्यायालयों एवं इसके पदाधिकारियों को दस्तावेजों के इधर–उधर हो जाने के लिए दोष नहीं दिया जा सकता है।

उक्त आवेदन अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 11.05.2015 के आदेश से खारिज कर दिया गया था जिसे डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 2286 वर्ष 2015 में वर्तमान याची द्वारा चुनौती दी गई थी तथा दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत इस न्यायालय की एक पीठ ने दिनांक 22.7.2015 के आदेश से अवर न्यायालय के दिनांक 11.05.2015 का आदेश अपास्त कर दिया था तथा दिनांक 24.03.2014 के आवेदन का फिर से निर्णय करने के लिए मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया था।

4. अवर न्यायालय ने दोनों पक्षकारों की सुनवाई करने के बाद दिनांक 14.7.2015 के वर्तमान आक्षेपित आदेश द्वारा याची द्वारा दाखिल याचिका पुन: खारिज कर दिया था ऐसा निर्णीत करते हुए कि अभिकथित दस्तावेज कुछ आधिकारिक पत्रों की प्रतिलिपियां तथा कुछ आदेशों की कार्बन प्रतियां थे तथा इन्हें संबद्ध कार्यालयों या प्राधिकारियों से प्राप्त किया जा सकता था। न्यायालय ने यह भी निर्णीत किया था कि विधि का प्रावधान किसी पक्षकार के दस्तावेजों के पुन: निर्माण का प्रावधान नहीं करता है बल्कि यह पहले ही अभिलेख पर लिये गये साक्ष्यों के पुनर्निर्माण के लिए है। आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर, वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

5. यहां यह उल्लिखित करना सुसंगत है कि इस रिट के साथ उपलब्ध अभिलेख से, यह प्रतीत होता है कि जब पिछले वाद में वादपत्र दाखिल किया गया था, वादी ने संहिता के आदेश XIII, नियम 1 में यथा समाविष्ट आज्ञापक प्रावधान की दृष्टि में दो खंडों में कई दस्तावेज संलग्न कर दिये थे। संबद्ध न्यायालय ने दिनांक 31.1.1996 के अपने आदेश में अभिलिखित किया है कि वादपत्र के साथ दस्तावेज दो खंडों में दाखिल किये गये थे। उक्त आदेश का सुसंगत अंश यहां नीचे उत्कथित किया गया है:–

> *^^oknh fucèku jlhn d lkFk gkftjh nkf[ky djrk gA ifroknh lO 1 dk fuxr ukfVl ,o leu mi;Dr rkehyk d mijkr ikIr fd; x; ijUr mlu vkt dkbZ dne ugh mBk;k FkkA ifroknh l[;kvk 2 ,o 3 dk fuxr ukfVlk rFkk lEeuk dh rkehyk fjikV ikIr ugh gbA ekeyk idkjk x;k Fkk ,o 0;kn'k ;kfpdk ij luokbZ d fy;k x;k FkkA ifroknh lO 1 dh vkj l dkbZ gkftj ugh gvkA*
>
> *oknh dh vkj l vkf'kd :i l rdk dk lukA vkx dh luokbZ d fy, 1.2.96 dk iLrr fd;k tk;A oknh dh vkj l nk [kMk e nLrkot nkf[ky fd; x; gA bUg vfHky[k d lkFk j[kk tk;A*

अवर न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में इसपर भी चर्चा किया है कि वादी ने वादपत्र के साथ सूची समेत कुछ दस्तावेज दाखिल किये थे परन्तु लम्बे समय से यह दस्तावेज गायब हैं।

6. आक्षेपित आदेश को विधि में दोषपूर्ण बताकर इसकी आलोचना करते हुए याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने गंभीरतापूर्वक तर्क दिया कि जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वादपत्र के साथ दो खंडों में दस्तावेज दाखिल किये गये थे, रजिस्ट्री को इन दस्तावेजों का पता लगाने के लिए निर्देश देना न्यायालय का दायित्व था भले ही ये दस्तावेज साक्ष्य में ग्रहण नहीं किये गये थे तथा प्रदर्श के रूप में अंकित नहीं किये गये थे। यह भी निवेदन किया गया था कि अवर न्यायालय द्वारा मुद्दों के निपटान के लिए यह दस्तावेज आवश्यक हैं तथा आदेश XIII के नियम 1 का उप-नियम (2) वाद के पक्षकारों को प्रस्तुत दस्तावेजों को प्राप्त करने का दायित्व न्यायालय पर अधिरोपित करता है तथा संबद्ध न्यायालय के पदाधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा वादीगण को इन दस्तावेजों के सौंपे जाने का कोई साक्ष्य या कोई पृष्ठांकन ही नहीं है तथा इसके अभाव में पुनर्निर्माण द्वारा या दस्तावेजों का पता लगाने के लिए रजिस्ट्री को निर्देश देकर इन दस्तावेजों को अभिलेख पर लाने का भार न्यायालय पर है।

7. पूर्वोक्त निवेदनों के प्रतिकूल प्रत्यर्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के लिए उपस्थित श्री अनुप कुमार मेहता में गंभीरतापूर्वक तर्क दिया कि अवर न्यायालय ने उचित परिप्रेक्ष्य में मामलों का मूल्यांकन करने के उपरान्त वादी-याची का आग्रह अस्वीकार कर दिया है तथा अभिलेख के पुनर्निर्मान का कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि दस्तावेज कभी भी साक्ष्य में ग्रहण नहीं किये गये थे तथा इन दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति भी निर्गत नहीं की जा सकती है।

8. नि:संदेह, वादपत्र के साथ, वादी-याची द्वारा दो खंडों में दस्तावेज दाखिल किये गये थे एवं न्यायालय ने कार्यालय को इन दस्तावेजों को अभिलेख के साथ रखने का निर्देश दिया था। आक्षेपित आदेश के परिशीलन पर, यह प्रतीत होता है कि न्यायालय की रजिस्ट्री को या उक्त न्यायालय के कर्मचारीगण को, जहां अभिधान वाद सं॰ 10 वर्ष 1996 लंबित था, संबद्ध न्यायालय द्वारा ऐसे दस्तावेजों का पता लगाने के लिए ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया था तथा अवर न्यायालय ने रजिस्ट्री के पिछले जवाब पर भरोसा किया है कि सूची में विद्यमान दस्तावेजों का पता नहीं चल रहा है। उन दस्तावेजों की एक सूची, जिसे दो खंडों में अवर न्यायालय में दाखिल किया गया था, परिशिष्ट 6 के रूप में इस रिट आवेदन के साथ संलग्न है तथा यह प्रतीत होता है कि कुछ आधिकारिक पत्रों के अलावा, प्रतिवादी तथा वादी के बीच संपन्न समझौता, अग्रिम बैंक गारंटियां, अवधि विस्तार पत्र तथा कई अन्य पत्र, जो महत्वपूर्ण थे, भी दाखिल किये गये थे। आक्षेपित आदेश में ऐसा कहीं पर भी नहीं आया है कि आदेश XIII, नियम 3 की दृष्टि में संबद्ध न्यायालय ने वाद के किसी भी चरण में ऐसे किसी दस्तावेज को अस्वीकार कर दिया था जिसे सुसंगत या अन्यथा ग्राह्य नहीं माना गया था तथा दस्तावेज वादी को वापस कर दिया था।

9. ऊपर की गयी परिचर्चाओं की दृष्टि में, मेरी राय में अवर न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा मुद्दे का उपयुक्त रूप से मूल्यांकन तथा निर्णयन नहीं किया है एवं इन दस्तावेजों का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किये बिना आग्रह अस्वीकार कर दिया है।

10. अभिधान वाद सं॰ 10 वर्ष 1996 में विद्वान अवर सिविल न्यायाधीश (कनीय डीविजन), धनबाद द्वारा पारित दिनांक 14.7.2015 का आक्षेपित आदेश एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है तथा वादी द्वारा दाखिल आवेदन पर पुनर्विचार करने के लिए एवं रजिस्ट्री तथा संबद्ध पदाधिकारियों को उन दस्तावेजों का पता लगाने हेतु निर्देश देने के लिए मामला संबंधित न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है तथा अगर न्यायालय को कोई कठिनाई अनुभव होती है, वह आवश्यक कार्यवाही हेतु संबद्ध जिला के प्रधान जिला न्यायाधीश से आग्रह कर सकते हैं।

11. इस सम्परीक्षण के साथ, यह रिट आवेदन एतद्द्वारा अनुज्ञात किया जाता है।

ekuuh; Mh- ,u- iVy] U;k;efr

सुशील कुमार मंडल

cuke

भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य

Civil Review No. 23 of 2014. Decided on 8th September, 2016.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 47, नियम 1—पुनर्विलोकन–मापदण्ड–जिन दोषों को लम्बे चलने वाले तर्कों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, उनका पुनर्विलोकन में उपचार नहीं हो सकता है–रिट में या पिछले कार्यवाही में छूटे हुए तर्कों के लिए किसी मामले में एक बार पुनः जिरह करने के लिए कोई पुनर्विलोकन नहीं हो सकता है–पुनर्विलोकन केवल प्रकट त्रुटि के लिए होता है–पुनर्विलोकन की शक्ति का इस्तेमाल नए एवं महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य के प्रकट होने पर किया जा सकता है–किसी पुनर्विलोकन याचिका का एक सीमित प्रयोजन होता है तथा इसे प्रच्छन्न रूप में एक अपील नहीं होने दिया जा सकता है। (पैराएँ 10 एवं 11)

निर्णयज विधि.–(1979)4 SCC 389; (1995) 1 SCC 170; (1997) 8 SCC 715; (2006) 4 SCC 78; (2012) 7 SCC 200—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Ravi Kumar Singh, For the Petitioner; M/s Rajesh Kumar, For the Opp. Parties.

डी॰ एन॰ पटेल, न्यायमूर्ति.–दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनकर तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों का अवलोकन करने पर, यह प्रतीत होता है कि जब 16 नवम्बर, 2011 को डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 5092 वर्ष 2006 की सुनवाई प्रारम्भ की गई थी, मूल याची के अधिवक्ता ने निवेदन किया था कि रिट याचिका के निपटान के लिए यह पर्याप्त होगा अगर प्रत्यर्थीगण द्वारा लायी गई नीति, जो प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट-A पर है, के अनुसार प्रत्यर्थीगण को आनुग्रहिक राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है तथा अतएव तद्नुसार एक आदेश पारित किया गया था। अब, आवेदक के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वे प्रत्यर्थीगण द्वारा लायी गई दिनांक 16 अगस्त, 2005 की नीति के अनुसार आनुग्रहिक राशि नहीं बल्कि अनुकम्पा पर नियुक्ति चाहते हैं जबकि याची के पिता की मृत्यु 27 सितम्बर, 2003 को हुई थी, तथा नीति इसके बाद लाई गई थी।

2. स्थिति चाहे जो भी हो, यह तथ्य शेष रह जाता है कि डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 5092 वर्ष 2006 में इस न्यायालय के समक्ष पूर्वोक्त बिन्दु पर कभी भी जिरह नहीं की गई थी। रिट याचिका के निपटारे के लिए अति सीमित तर्क रखा गया था। डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 5092 वर्ष 2006 में भी, प्रत्यर्थीगण द्वारा लाई गई दिनांक 16 अक्टूबर 2005 की नीति कभी भी चुनौती के अधीन नहीं थी। उक्त नीति के पैरा 3 के अनुसार, जो सिविल पुनर्विलोकन आवेदन के साथ संलग्न है, इसे विद्यमान अनुकम्पा पर नियुक्ति से प्रतिस्थापित किया गया है।

3. यह प्रतीत होता है कि यह सिविल पुनर्विलोकन आवेदन लेटर पेटेन्ट अपील के भेष में दाखिल किया गया है। प्रत्यर्थीगण की इस नीति को ही चुनौती देते हुए इस न्यायालय के समक्ष इन बिन्दुओं पर कभी भी जिरह नहीं किया गया था, एवं अतएव, विधि की दृष्टि में सिविल पुनर्विलोकन आवेदन में कोई दम नहीं है।

4. (1979)4 SCC 389] में रिपोर्ट किए गए **अरिबम तुलेश्वर शर्मा बनाम अईबम पिशाक शर्मा** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैरा सं॰ 3 में निम्नवत् निर्णित किया गया है:–

> *^^3. U;kf;d vk;Dr u viu iokfèkdkjh d vkn'k dk iufoykdu dju d fy, nk dkj.k fn; FkA igyk ;g Fkk fd mud iokfèkdkjh u nk egRoi.k nLrkotk*

in'kk A1 rFkk A3 dh vun[kh dj nh Fkh tk n'kkr Fk fd o"k 1948&49 e Hkh iR;Fkhx.k dk dk; LFkyk ij dCtk Fkk rFkk ;g fd vunku ml le; rd gh inku dj fn; x; gkxA nlj k ;g Fkk fd ,dy fjV ;kfpdk e fofHkUu iR;Fkhx.k d i{k e fd; x; cUnkcLr ij i'u mBku dh vihykFkh dk vuefr nu e ,d idV voèkkfudrk FkhA ge lng g fd fo}ku U;kf;d vk;Dr }kjk mfYyf[kr dkj.kk e l dkb Hkh iufoykdu d fy, dkb vkèkkj cukrk gA tlk fd f'kono flg cuke itkc jkT; e bl U;k;ky; }kjk lEijhf{kr fd;k x;k g] ;g lgh g fd lfoèkku d vuPNn 226 e iufoykdu dh 'kfDr dk bLreky dju l mPp U;k;ky; dk jkdu d fy, dN Hkh ugh g tk U;k; dk guu jkdu d fy, ;k mld }kjk dkfjr xHkhj ,o Li"V nk"kk dk nj dju d fy, vfre vfèkdkfjrk d iR;d U;k;ky; e fufgr gkrh gA ijUr iufoykdu dh 'kfDr d bLreky dh fu'pk;h lhek, gA u; rFkk egRoi.k ekey ;k lk{; d irk pyu ij iufoykdu dh 'kfDr dk bLreky fd;k tk ldrk g tk iufoykdu dh bllk djuoky 0;fDr dh tkudkjh e lE;d rRijrk cjru d ckn Hkh ugh Fkk ;k ftl mld }kjk ml le; i'k ugh fd;k tk ldk Fkk tc vkn'k fd;k x;k Fkk % bldk bLreky fd;k tk ldrk g tgk vfHkky[k d iVy ij dN =fV ;k idV nk"k ik;k tkrk g(bldk blh ln'k vkèkkj ij Hkh bLreky fd;k tk ldrk gA ijUr] bldk bl vkèkkj ij bLreky ugh fd;k tk ldrk g fd fu.k; x.kkox.kk ij nk"ki.k FkkA ;g fdlh vihyh; U;k;ky; dk vfèkdkj {k= gkxkA iufoykdu dh 'kfDr dk Hkeo'k vihyh; 'kfDr;k tlk ugh le>k tkuk g tk vèkhuLFk U;k;ky; }kjk dkfjr lHkh idkj dh =fV;k dk n:Lr dju e vihyh; U;k;ky; dk l{ke cuk ldrh gA** (cy inku fd;k x;k)

5. (1995)1 SCC 170 में रिपोर्ट किए गए **मीरा भांजा बनाम निर्मला कुमारी चौधरी** के मामले में, विशेषकर पैरा सं॰ 8, 9 एवं 15 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निम्नवत निर्णित किया गया है:–

"8. ;g lLFkkfir g fd iufoykdu dh dk;okfg;k ,d vihy d :i e ugh gkrh g rFkk bUg dBkjrkiod flO iO lO d vkn'k 47] fu;e 1 dh ifjfèk ,o dk;{k= rd lhfer jguk gkrk gA vkn'k 47] fu;e 1 d vèkhu U;k;ky; dh 'kfDr;k d ifjlhek d lcèk e] Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 226 d vèkhu vkn'kk dk iufoykdu dju dh bllk djr le; mPp U;k;ky; dk miyCèk le:i vfèkdkfjrk ij fopkj djr g,] U;k;efr fpulik jMMh d ekè;e l ckyr g, bl U;k;ky; u vfjce ry'oj 'kek cuke vfjce fi'kkd 'kek d ekey e fuEukfdr lehphu ijh{k.k fd; g% (SCC i"B 390] ijk 3)

^^tlk fd f'kono flg cuke itkc jkT; e bl U;k;ky; }kjk lEijhf{kr fd;k x;k g] ;g lgh g fd lfoèkku d vuPNn 226 e iufoykdu dh 'kfDr dk bLreky dju l mPp U;k;ky; dk jkdu d fy, dN Hkh ugh g tk U;k; dk guu jkdu d fy, ;k mld }kjk dkfjr xHkhj ,o Li"V nk"kk dk nj dju d fy, vfre vfèkdkfjrk d iR;d U;k;ky; e fufgr gkrh gA ijUr iufoykdu dh 'kfDr d bLreky dh fu'pk;h lhek, gA u; rFkk egRoi.k ekey ;k lk{; d irk pyu ij iufoykdu dh 'kfDr dk bLreky fd;k tk ldrk g tk iufoykdu dh bllk djuoky 0;fDr dh tkudkjh e lE;d rRijrk cjru d ckn Hkh ugh Fkk ;k ftl mld }kjk ml le; i'k ugh fd;k tk ldk Fkk tc vkn'k fd;k x;k Fkk % bldk bLreky fd;k tk ldrk g tgk vfHkky[k d iVy ij dN =fV ;k idV nk"k ik;k tkrk g(bldk blh ln'k vkèkkj ij Hkh bLreky fd;k tk ldrk gA ijUr] bldk bl vkèkkj ij bLreky ugh fd;k tk ldrk g fd fu.k; x.kkox.kk ij nk"ki.k FkkA ;g fdlh vihyh; U;k;ky; dk vfèkdkj {k= gkxkA iufoykdu dh 'kfDr dk Hkeo'k vihyh; 'kfDr;k tlk ugh le>k

tkuk g tk vèkhuLFk U;k;ky; }kjk dkfjr lHkh idkj dh =fV;k dk n:Lr dju e vihyh; U;k;ky; dk l{ke cuk ldrh gA**

9. vc bl Hkh nf"Vxr j[kk tkuk g fd vk{kfir fu.k; e] mPp U;k;ky; dh [kMihB u Li"Vr% lEijhf{kr fd;k g fd o vfHky[k d iVy ij idV nk"k d vkèkkj ij gh iufoykdu ;kfpdk xg.k dj jg Fk rFkk fdlh vU; vkèkkj ij ughA tgk rd bl igy dk lcèk g] bl è;ku e j[kk tkuk g fd vfHky[k d iVy ij idV dkb nk"k vfuok;r% ,Ik nk"k gkuk g tk vfHky[k ij n[ku ek= l gh fdlh dk irk py tk; rFkk ftle mu fcUnvk ij rd ford dh fdlh ych ifØ;k dh vko';drk ugh gk tgk nk er èkkj.k fd; tk ldr gA ge lR;ukjk;.k y{ehukjk;.k gxM cuke efYydktu Hkkoulik rh:ey d ekey e bl U;k;ky; d lEijh{k.kk dk mi;kxh :i l fufn"V dj ldr gftle U;k;ky; d fy, ckyr g, U;k;efr dO lhO nkl xlrk u vfHky[k d iVy ij idV nk"k d lcèk e fuEukfdr lEijh{k.k fd; g%&

fdlh ,l nk"k dk dfBukb l gh vfHky[k d iVy ij idV ,d nk"k dgk tk ldrk g ftl rd ford dh ,d yEch ifØ;k }kjk fl) fd;k tkuk g mu fcUnvk ij ftuij nk er èkkj.k fd; tk ldr gA tgk ,d vfHkdfFkr nk"k LoLi"V gku l dkQh nj g rFkk vxj bl fl) fd;k tk ldrk g] bl yEc rFkk tfVy rdk }kjk fl) fd;k tkuk g] ,Ik fjV fuxr dju d fy, mPprj U;k;ky; dh 'kfDr;k dk lpkfyr djuoky fu;e d vulkj ,l nk"k dk mRi"k.k d fjV }kjk mipkj ugh fd;k tk ldrk gA

15. gekjh jk; e] iufoykdu dk;okfg;k ij fopkj djr g, [kMihB dk iokDr jo;k Li"Vr% n'kkrk g fd ;g idV nk"k l ;Fkk xLr fiNyh [kMihB }kjk viuk; x; rd dk ek= <x cnydj fO iO lO d vkn'k 47] fu;e 1 d vèkhu viuh vfèkdkfjrk l vkx pyh x;h gA gekj }kjk io e bfxr LFkkfir fofèk dh fLFkfr dh nf"V e ;g ,d idV nk"k ;k idV =fV ugh cu tk;xhA rkfRod :i l] iufoykdu ihB u lep lk{; dk iuey;kdu fd;k g] yxHkx ,d vihyh; U;k;ky; d :i e cBd fd;k g rFkk fiNyh [kMihB }kjk ikIr fu"d"kk dk myV fn;k gA vxj lhO ,lO lykV l[;k 74 l lcfèkr [kMihB d fiNy fu"d"k nk"ki.k Hkh ik; x; Fk] ;g mud iufoykdu d fy, dkb vkèkkj ugh gkxk D;kfd ;g fdlh vihyh; U;k;ky; dk idk; gkxkA iR;Fkh d fo}ku vfèkoDrk bl fufn"V dju dh fLFkfr e ugh Fk fd fO iO lO vkn'k 47] fu;e 1 dh ldh.k ,o lhfer ifjfèk d Hkhrj iufoykdu ihB }kjk viuk; x; rd rFkk ikIr fu"d"k dk fdl idkj leFku fd;k tk ldrk gA lgh Fkk ;k xyr] fiNyh [kMihB dk fu.k; vfre cu pdk Fkk tgk rd mPp U;k;ky; dk lcèk FkkA iufoykdu dh 'kfDr;k dk voyc yu dk U;k;lxr Bgjku d fy, vfHkdfFkr idV nk"k dk irk yxku dk è;ku e j[kdj lep lk{; ij iufopkj djd bldk iufoykdu ugh fd;k tk ldrk FkkA vr,o] doy bl NkV vkèkkj ij gh bl vihy dk vuKkr fd; tku dh vko';drk gA tgk rd lhO ,lO lykV l[;k 74 dk lcèk g] vihyh; fMØh l[;k 569 o"k 1973 l gkuokyh vihy dk [kkfjt djuoky [kMihB d fnukd 8.7.1986 d vfre fu.k; rFkk bl Hkh&[kM] vFkkr] lhO ,lO lykV l[;k 74 d lcèk e fnukd 5.9.1984 d iufoykdu fu.k; vkLr fd; tkr g rFkk okn lykV l[;k 74 l lcfèkr nljh vihy dk vuKkr djuokyk mPp U;k;ky; dk fnukd 3.8.1978 dk fiNyk fu.k; iucgky fd;k tkrk gA rnulkj] vihy vuKkr dh tkrh gA ekey d rF;k rFkk ifjfLFkfr;k e] 0;;k dk ydj dkb vkn'k ugh gkxkA**

(cy inku fd;k x;k)

6. वर्तमान मामले के तथ्यों में, नई नीति को ही पुनर्विलोकन में चुनौती दी जा रही है। इस पर कभी भी तर्क वितर्क नहीं किया गया था जब याचिका पर जिरह किया गया था। इस प्रकार, उस समय कोई दोष नहीं था जब रिट का निर्णय किया गया था। अभिलेख के पहल पर कोई दोष प्रकट नहीं है, न ही यह सब स्पष्ट है।

7. वस्तुतः छुटे हुए तर्कों पर जिरह करने के लिए, पुनर्विलोकन नहीं हो सकता है।

8. (1997)8 SCC 715 में रिपोर्ट किए गए **पर्शियों देवी बनाम सुमित्री देवी** के मामले में, विशेषकर पैरा संख्या 7 से 9 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निम्नवत निर्णित किया गया है:–

"7. ;g lLFkkfir g fd iufoZykdu dk;okfg;k dk fl0 i0 l0 vkn'k 47] fu;e 1 d ifjfèk ,o dk;{k= d Hkhrj dBkjrkiod lhfer jguk gkrk gA rxHknk bMLVht fyfeVM cuke vkèk in'k jkT; (SCR i"B 186 ij) e bl U;k;ky; u jk; fn;k Fkk%

^^rFkkfi] vc ge ftl ll erycg g og ;g g fd D;k flrEcj] 1959 d vkn'k e ;g dFku fd ekey e fofèk dk dkb rkfRod i'u vrxLr ugh Fkk] vfHky[k d iVy ij ,d idV nk"k gA ;g rF; fd fiNy volj ij U;k;ky; u rF;k dh ,d ln'k fLFkfr ij fu.khr fd;k Fkk fd mnHkr gkuokyk fofèk dk dkb rkfRod i'u viu vki e fu'pk;h ugh gkxk] D;kfd fiNyk vkn'k gh nk"ki.k gk ldrk gA blh idkj] vxj ;g dFku nk"ki.k Hkh Fkk] bl l ;g lkeu ugh vk;xk fd ;g vfHky[k d iVy ij idV ,d nk"k Fkk D;kfd ,d vrj g tk okLrfod g] ;]fi ,d nk"ki.k fu.k; ek= rFkk ,d ,l fu.k;] ftl idV nk"k }kjk nf"kr ,d fu.k; d :i e fpfUgr fd;k tk ldrk gk] d chp vrj djuk lno lHko ugh gk ldrk gA ,d iufoZykdu fdlh Hkh idkj l iPNUu :i l ,d vihy ugh g ftld }kjk ,d nk"ki.k fu.k; dh iu% luokb dh tkrh g rFkk bl n:Lr fd;k tkrk g] cfYd ;g doy idV nk"k d fy, gkrk gA**

8. iu%] ehjk Hkktk cuke fueyk dekjh pkèkjh e vfjce ry'oj 'kek cuke vfjce fi'kkd 'kek l ,d vorj.k dk lgefr l mRdfFkr djr g, bl U;k;ky; u iu% fu.khr fd;k Fkk fd iufoZykdu dh dk;okfg;k ,d vihy d rkj ij ugh gkrh g rFkk bUg dBkjrkiod fl0 i0 l0 d vkn'k 47] fu;e 1 dh ifjfèk rFkk dk;{k= d Hkhrj lhfer jguk gkrk gA

9. fl0 i0 l0 d vkn'k 47] fu;e 1 d vèkhu dkb fu.k; vU; d lkFk&lkFk iufoZykdu d fy, [kyk gk ldrk g vxj vfHky[k d iVy ij ,d =fV ;k nk"k idV gA dkb ,lk nk"k tk LoLi"V ugh g rFkk ftldk rdford dh ifØ;k }kjk irk yxk;k tkuk gkrk g] fl0 i0 l0 d vkn'k 47] fu;e 1 d vèkhu iufoZykdu dh viuh 'kfDr dk bLreky dju d fy, U;k;ky; d fy, vkfpR;i.k cukr g, vfHky[k d iVy ij ,d idV nk"k dnkfpr gh dgk tk ldrk gA fl0 i0 l0 d vkn'k 47] fu;e 1 d vèkhu vfèkdkfjrk d bLreky e] fdlh nk"ki.k fu.k; dh iu% luokb fd;k tkuk rFkk bl n:Lr fd;k tkuk vuK; ugh gA bl vko';d :i l Lej.k j[kuk g fd ,d iufoZykdu ;kfpdk dk lhfer mí'; gkrk g rFkk bl iPNUu :i l ,d vihy gku ugh fn;k tk ldrk gA** (cy inku fd;k x;k)

9. (2006)4 SCC 78 में रिपोर्ट किए गए **हरिदास दास बनाम उषा रानी बनिक** के मामले में, विशेषकर पैरा संख्या 13 से 18 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी निम्नवत निर्णित किया गया है:–

"13. fdlh iufoZykdu dh xtkb'k dk le>u d fy,] fl0 i0 l0 dh èkkjk 114 dk ifBr fd;k tkuk gkxk ijUr ;g èkkjk U;k;ky; l vif{kr gLr{ki dh ifjfèk dk Hkh dFkr ugh djrh g D;kfd ;g ek= ,lk dFku djrh g fd ;g mlij ,lk vkn'k dj ldrk g ftl og mi;Dr le>A fl0 i0 l0 d vkn'k 47 e

ekin.M fofgr fd, x, g rFkk bl edne d i;ktukFk] ifroknh dk fdlh Hky ;k vfHky[k d iVy ij idV fdlh nk"k d dkj.k ;k fdlh vU; i;klr dkj.k d fy, iu% luokb djku gr tkj nu dh vuefr nr gA fu;e dk iFke Hkkx vkond l lçfèkr fd, tku ;kX; fdlh ifjfLFkfr l lcfèkr g] rFkk ckn okyk ,d U;kf;d ÑR; l tk idVr% nk"ki.k g ;k ftlij nk fu"d"k lEHko ugh gA mue l dkb Hkh fookn dh iu%] **luokb vfHkdfYir ugh djrk g D;kfd fdlh i{kdkj u ekey d bu lkj igyvk dk mtkxj ugh fd;k Fkk ;k dnkfpr muij vfèkd icy :i l ftjg dj ldrk Fkk rFkk@;k U;k;ky; d fy, ckè;dj mnkgj.k m)r dj ldrk Fkk ,o rn}kjk ,d vudy fu.k; iklr dj ldrk FkkA** ;g vkn'k 47 d fu;e 1 d Li"Vhdj.k l i;klr :i l Li"V g tk dfFkr djrk g fd ;g rF; fd fofèk d fdlh i'u ij fu.k;] ftl ij U;k;ky; dk fu.k; vkèkkfjr g] fdlh vU; ekey e mPprj U;k;ky; d i'pkrh fu.k; }kjk iR;kofrr ;k mikUrfjr fd;k x;k g] ,l fu.k; d iufoykdu d fy, ,d vkèkkj ugh gkxkA **tgk i'ukèkhu vkn'k vihy ;kX; g] 0;fFkr i{k d ikl i;klr rFkk iHkkoh mipkj g] rFkk U;k;ky; dk viu vkn'k dk iufoykdu dju d fy, 'kfDr dk bLreky vR;Ur l;e l djuk pkfg,A** rxHknk bMLVht fyfeVM cuke vkèk in'k ljdkj e bl U;k;ky; u fuEuor fu.khr fd;k Fkk((SCR i"B 186)

^^;gk ek= ,d nk"ki.k fu.k; rFkk ,d ,l fu.k;] ftl idV =fV }kjk ;Fkk nf'kr fu.k; d :i e fpfUgr fd;k tk ldrk g] d chp ,d vUrj g tk okLrfod g ;|fi ;g lno idV fd, tku ;kX; ugh gk ldrk gA **dkb iufoykdu fdlh Hkh idkj l iPNUur% ,d vihy ugh gkrk g ftld }kjk ,d nk"ki.k fu.k; dh iu% luokb dh tkrh g rFkk ml n:Lr fd;k tkrk g] cfYd doy idV nk"k d fy, gkrk gA** -------- tgk fdlh fo'kn rd d fcuk dkb nk"k dk fufn"V dj ldrk g rFkk dg ldrk g fd ;gk fofèk dk ,d rkfRod fcUn g tk fdlh dk lkQ fn[kkb iM jgk g] rFkk bld ckj e ;fDr;Dr :i l dkb nk jk; ugh j[kh tk ldrh g] vfHky[k d iVy ij ,d idV nk"k dk ,d Li"V ekeyk cuxkA**

14. ehjk Hkktk cuke fueyk dekjh pkèkjh e] ;g fuEuor fu.khr fd;k x;k Fkk fd%&

8. **;g lLFkkfir g fd iufoykdu dh dk;okfg;k ,d vihy d :i e ugh gkrh g rFkk bUg dBkjrkiod flO iO lO d vkn'k 47] fu;e 1 dh ifjfèk ,o dk;{k= rd lhfer jguk gkrk gA vkn'k 47] fu;e 1 d vèkhu U;k;ky; dh 'kfDr;k d ifjlhek d lcèk e] Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 226 d vèkhu vkn'kk dk iufoykdu dju dh blI djr le; mPp U;k;ky; dk miyCèk le:i vfèkdkfjrk ij fopkj djr g,] U;k;efr fpulik jMMh d ekè;e l ckyr g, bl U;k;ky; u vfjce ry'oj 'kek cuke vfjce fi'kkd 'kek d ekey e fuEukfdr lehphu ijh{k.k fd; g%**

^;g lgh g fd lfoèkku d vuPNn 226 e iufoykdu dh 'kfDr dk bLreky dju l mPp U;k;ky; dk jkdu d fy, dN Hkh ugh g tk U;k; dk guu jkdu d fy, ;k mld }kjk dkfjr xHkhj ,o Li"V nk"kk dk nj dju d fy, vfre vfèkdkfjrk d iR;d U;k;ky; e fufgr gkrh gA ijUr iufoykdu dh 'kfDr d bLreky dh fu'pk;h lhek, gA u; rFkk egRoi.k ekey ;k lk{; d irk pyu ij iufoykdu dh 'kfDr dk bLreky fd;k tk ldrk g tk iufoykdu dh blI djuoky 0;fDr dh tkudkjh e lE;d rRijrk cjru d ckn Hkh ugh Fkk ;k ftl mld }kjk ml le; i'k ugh fd;k tk ldk Fkk tc vkn'k fd;k x;k Fkk % bldk bLreky fd;k tk ldrk g tgk vfHky[k d iVy ij dN =fV ;k idV nk"k ik;k tkrk g(bldk blh ln'k vkèkkj ij Hkh bLreky fd;k tk ldrk gA ijUr] bldk bl vkèkkj ij bLreky ugh

fd;k tk ldrk g fd fu.k; x.kkox.kk ij nk"ki.k FkkA ;g fdlh vihyh; U;k;ky; dk vfèkdkj {k= gkxkA iufoykdu dh 'kfDr dk Hkeo'k vihyh; 'kfDr;k tlk ugh le>k tkuk g tk vèkhuLFk U;k;ky; }kjk dkfjr lHkh idkj dh =fV;k dk n:Lr dju e vihyh; U;k;ky; dk l{ke cuk ldrh gA *(SCC i"B 172&73, ijk 8)*

15. vkn'k 47 fu;e 1 dk ifj'khyu n'kkrk g fd fdlh fu.k; ;k vkn'k d iufoykdu dh bllk dh tk ldrh g% (a) u, rFkk egRoi.k ekeyk ;k lk{; dk irk yxku l tk lE;d rRijrk cjr tku d ckn vkond d tkudkjh e ugh Fkk((b) , l egRoi.k ekey ;k lk{; dk vkond }kjk ml le; iLrr ugh fd;k tk ldrk Fkk tc fMØh ikfjr dh x;h Fkh ;k vkn'k fd;k x;k Fkk(,o (c) vfHky[k d iVy ij idV fdlh pd ;k nk"k d dkj.k ;k fdlh vU; i;klr dkj.k lA

16. ***vfjce ry'oj 'kek cuke vfjce fi'kkd 'kek e bl U;k;ky; u fu.khr fd;k Fkk fd iufoykdu dh 'kfDr d bLreky dh fu'pk;h lhek, gA*** *ml ekey e] lfgrk d vkn'k 47] fu;e 1 lg&ifBr èkkjk 151 d vèkhu ,d vkonu nkf[ky fd;k x;k Fkk ftl vuKkr dj fn;k x;k Fkk rFkk U;kf;d vk;Dr }kjk ikfjr vkn'k vikLr dj fn;k x;k Fkk ,o fjV ;kfpdk [kkfjt dj nh x;h FkhA bl U;k;ky; e ,d vihy gku ij fuEuor fu.khr fd;k x;k Fkk((SCC i"B 390] ijk 3)*

*^^tlk fd f'kono flg cuke iztkc jkT; e bl U;k;ky; }kjk lEijhf{kr fd;k x;k g] ;g lgh g fd lfoèkku d vuPNn 226 e iufoykdu dh 'kfDr dk bLreky dju l mPp U;k;ky; dk jkdu d fy, dN Hkh ugh g tk U;k; dk guu jkdu d fy, ;k mld }kjk dkfjr xHkhj ,o Li"V nk"kk dk nj dju d fy, vfre vfèkdkfjrk d iR;d U;k;ky; e fufgr gkrh gA ijUr iufoykdu dh 'kfDr d bLreky dh fu'pk;h lhek, gA u; rFkk egRoi.k ekey ;k lk{; d irk pyu ij iufoykdu dh 'kfDr dk bLreky fd;k tk ldrk g tk iufoykdu dh bllk djuoky 0;fDr dh tkudkjh e lE;d rRijrk cjru d ckn Hkh ugh Fkk ;k ftl mld }kjk ml le; i'k ugh fd;k tk ldk Fkk tc vkn'k fd;k x;k Fkk% bldk bLreky fd;k tk ldrk g tgk vfHky[k d iVy ij dN =fV ;k idV nk"k ik;k tkrk g(bldk bLreky fd;k tk ldrk gA ijUr] bldk bl vkèkkj ij bLreky ugh fd;k tk ldrk g fd fu.k; x.kkox.kk ij nk"ki.k FkkA ;g fdlh vihyh; U;k;ky; dk vfèkdkj {k= gkxkA*** ***iufoykdu dh 'kfDr dk Hkeo'k vihyh; 'kfDr;k tlk ugh le>k tkuk g tk vèkhuLFk U;k;ky; }kjk dkfjr lHkh idkj dh =fV;k dk n:Lr dju e vihyh; U;k;ky; dk l{ke cuk ldrh gA****

17. ehjk Hkkjtk e vfjce ekey dk vu'kj.k fd;k x;k gA ml ekey e bl nkgjk;k x;k g fd iufoykdu dh vfèkdkfjrk vftr dju d fy, vfHky[k d iVy ij idV =fV vko';d :i l ,lh =kfV gkuh g tk vfHky[k ij n[ku ek= l fdlh d è;ku e vk tk, rFkk ble rd ford dh pyu okyh yEch ifØ;k dh vko';drk u gkA lR;ukjk;.k y{ehukjk;.k gxM cuke feYyhdktu Hkkoulik fr:ey e vfHky[k d iVy ij idV nk"k d lcèk e fuEukfdr lEijh{k.kk dk Hkh mfYyf[kr fd;k x;k Fkk% (AIR i"B 137)

^^fdlh ,l nk"k dk dfBukb l gh vfHky[k d iVy ij idV ,d nk"k dgk tk ldrk g ftl rd ford dh ,d yEch ifØ;k }kjk fl) fd;k tkuk g mu fcUnvk ij ftuij nk er èkkj.k fd; tk ldr gA tgk ,d vfHkdfFkr nk"k LoLi"V gku l dkQh nj g rFkk vxj bl fl) fd;k tk ldrk g] bl yEc rFkk

*tfVy rdk }kjk fl) fd;k tkuk g] , lk fjV fuxr dju d fy, mPp rj U;k;ky; dh 'kfDr;k dk lpkfyr djuoky fu;e d vulkj , l nk"k dk mRi"k.k d fjV }kjk mipkj ugh fd;k tk ldrk gA** (SCR i"B 901&02)*

18. ijfl;k noh cuke lfe=h noh e bl U;k;ky; d lEijh{k.kk dk mfYyf[kr djuk Hkh lehphu gA vfjce rFkk ehjk Hkkk tk e g, fu.k;k ij Hkjklk djr g, fuEuor lEijhf{kr fd;k x;k FkkA (SCC i"B 719] ijk 9)

"9. flO iO lO d vkn'k 47] fu;e 1 d vèkhu dkb fu.k; vU; d lkFk&lkFk iufoyksdu d fy, [kyk gk ldrk g vxj vfHky[k d iVy ij ,d =fV ;k nk"k idV gA dkb , lk nk"k tk LoLi"V ugh g rFkk ftldk rd foord dh ifØ;k }kjk irk yxk;k tkuk gkrk g] flO iO lO d vkn'k 47] fu;e 1 d vèkhu iufoyksdu dh viuh 'kfDr dk bLreky dju d fy, U;k;ky; d fy, vkfpR;i.k cukr g, vfHky[k d iVy ij ,d idV nk"k dnkfpr gh dgk tk ldrk gA ***flO iO lO d vkn'k 47] fu;e 1 d vèkhu vfèkdkfjrk d bLreky e] fdlh nk"ki.k fu.k; dh iuKk lquokb fd;k tkuk rFkk bl n:Lr fd;k tkuk vuK; ugh gA bl vko';d :i l Lej.k j[kuk g fd ,d iufoyksdu ;kfpdk dk lhfer mí'; gkrk g rFkk bl iPNUu :i l ,d vihy gku ugh fn;k tk ldrk gA**"* *(cy inku fd;k x;k)*

10. (2012)7 SCC 200 में रिपोर्ट किए गए **हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड बनाम मवासी** के मामले में हाल ही में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से पैरा सं० 26 से 30 तथा 32 से 35 में निम्नवत् निर्णित किया है:-

"26. ***bl pj.k e ,lk lEijhf{kr djuk lehphu gkxk fd iufoyksdu dh 'kfDr lfofèk dh mRifÙk g rFkk dkb U;k;ky; ;k v)U;kf;d fudk; ;k i'kklfud ikfèkdkj viu fu.k; ;k vkn'k ;k Qly dk iufoyksdu dj ldrk g tcrd fd ;g ,lk dju e oèkkfud :i l l'kDr u gkA*** *vuPNn 137 bl U;k;ky; dk lln }kjk cuk; x; fdlh fofèk d ikoèkkuk ;k lfoèkku d vuPNn 145 d vèkhu cuk; x; fu;ek d vè;èkhu viu fu.k;k dk iufoyksdu dju e l'kDr cukrk gA ml vuPNn d vèkhu bl U;k;ky; }kjk fojfpr fu;e vfèkdFkr djr g fd flfoy ekeyk e] doy flfoy ifØ;k lfgrk] 1908 d vkn'k 47] fu;e 1 e fofufn"V vkèkkjk e l fdlh ij iufoyksdu gkrk g] tk fuEuor ifBr g%&*

vkn'k 47 fu;e 1%

"1. ***fu.k; d iufoyksdu d fy, vkonu&*** *(1) tk dkb O;fDr&*

(a) fdlh ,l fMØh ;k vkn'k l ftldh vihy vuKkr g fdUr ftldh dkb vihy ugh dh xb g]

(b) fdlh ,lh fMØh ;k vkn'k l] ftldh vihy vuKkr ugh g] vFkok

(c) y?kokn U;k;ky; }kjk fd, x, fun'k ij fofu'p; l] viu dk O;fFkr le>rk g vkj tk ,lh ub vkj egRoi.k ckr ;k lk{; d irk pyu l tk lE;d rRijrk d i;kx d i'pkr ml le; tc fMØh ikfjr dh x;h Fkh ;k vkn'k fd;k x;k Fkk] mld Kku e ugh Fkk ;k mld }kjk i'k ugh fd;k tk ldrk Fkk] ;k fdlh ey ;k xyrh d dkj.k tk vfHky[k d n[ku l idV gkrh gk ;k fdlh vU; i;klr dkj.k l og pkgrk g mld fo:) ikfjr fMØh ;k fd, x, vkn'k dk iufoyksdu fd;k tk,] og ml U;k;ky; l fu.k; d iufoyksdu d fy, vkonu dj ldxk ftlu og fMØh ikfjr dh Fkh ;k og vkn'k fd;k FkkA

(2) og i{kdkj tk fMØh ;k vkn'k dh vihy ugh dj jgk g] fu.k; d iufoyksdu d fy, vkonu bl ckr d gkr g, Hkh fd fdlh vU; i{kdkj }kjk dh xb vihy yfcr g ogk d flok; dj ldxk tgk ,lh vihy dk vkèkkj vkond vkj vihykFkh nkuk d chp lkekU; g ;k tgk iR;Fkh gkr g, og vihy

U;k;ky; e viuk ekeyk mifLFkr dj ldrk g ft ld vkèkkj ij og iufoykdu d fy, vkonu djrk gA

Li"Vhdj.k-&;g rF; fd fdlh fofèk&i'u dk fofu'p; ftl ij U;k;ky; dk fu.k; vkèkkfjr g] fdlh vU; ekey e ofj"B U;k;ky; d i'pkrorh fofu'p; }kjk myV fn;k x;k g ;k mikUrfjr dj fn;k x;k g] ml fu.k; d iufoykdu d fy, vkèkkj ugh gkxkA**

27. iokDr ikoèkkuk dh db ekeyk e 0;k[;k dh x;h gA ge mue l dN dk è;ku e yxA , l0 ukxjkt cuke dukVd jkT; e] bl U;k;ky; u jktk iFoh pn yky pkèkjh cuke l[kjkt jk; rFkk jktUn ukjk;.k jk; cuke fct ; xkfoUn flg e g, fu.k;k dk fufn"V fd;k Fkk rFkk lEijhf{kr fd;k Fkk¼, l0 ukxjkt dk ekeyk] SCC i"B 619–20] ijk 19)

^^19. **iufoykdu dk 'kkfCnd :i l ,o U;kf;d :i l Hkh vFk iuijh{kk ;k iufopkj gkrk gA** ekuoh; ncyrk dk lkoHkkfed Lohdj.k ble vrfufgr cfu;knh n'ku gA fQj Hkh fofèk d {k= e U;k;ky;k rFkk lfofèk;k dk Hkh icy :i l ol fu.k; dh vfrerk d i{k e >dko g tk oèkkfud rFkk mi;Dr :i l fd; x; gA n?kVuko'k gb pdk ;k U;k; d guu dk n:Lr dju d fy, lkfofèkd rFkk U;kf;d nkuk idkj l viokn cuk; x; gA tgk , lk dkb loèkkfud ikoèkku ugh Hkh Fkk rFkk mPpre U;k;ky; }kjk , l dkb fu;e fojfpr ugh fd; x; Fk mu ifjfLFkfr;k dk bfxr djr g, ftue og viu vkn'k dk n:Lr dj ldrk Fkk] vknf'kdk d n:i;kx ;k U;k; d guu dk jkdu d fy, U;k;ky;k u , lh 'kfDr ikIr dj yh FkhA **jktk iFoh pUn yky pkèkjh cuke l[kjkt jk; e U;k;ky; u lEijhf{kr fd;k Fkk fd ;fi mPpre U;k;ky; dk viu vkn'k dk iufoykdu dju dh vuefr nr g, dkb fu;e fojfpr ugh fd; x; Fk fQj Hkh ;g fioh dkmfUly rFkk vkml vkQ ykMl }kjk r;kj fd; x; lhfer ,o ldh.k vkèkkj ij miyCèk FkkA U;k;ky; u jktUn ukjk;.k jk; cuke fct ; xkfoUn flg e fioh dkmfUly }kjk vfèkdfFkr fl)kr dk vuekfnr fd;k Fkk fd U;k;ky; }kjk fd;k x;k vkn'k vfre g rFkk ifjofrr ugh fd;k tk ldrk gA** (jktUn ukjk;.k jk; dk ekeyk] MIA i"B 216)

^^----fQj Hkh] vxj fu.k;k dk lekfo"V dju e 0;frØe l nk"k vk x; g] ;g U;k;ky; lekU; fofèk }kjk ogh 'kfDr viu ikl j[kr g tk mu nk"kk] tk vk x; g] dk n:Lr dju e vfHky[k d U;k;ky;k rFkk lfofèk;k d ikl gkrh gA ---- gkÅl vkQ ykMl viu gh fu.k;k dk r;kj dju e gb pdk dk n:Lr dju dh le:i 'kfDr dk bLreky djrk g] rFkk bl U;k;ky; d ikl vko';d :i l ;gh ikfèkdkj gkuk gA rFkkfi] U;k;kèkh'kx.k fMØh dk iofrr djku e l{ke cuku d fy, ,d dne vkj vkx py x; g] rFkk fu.k;k d fooj.kk e vuoèkkurk l vk x;h pdk dk n:Lr fd;k g(;k idV nk"kk dk lkeu j[kk g] ;k Li"Vhdj.k dju oky ekey dk tkMk g] ;k vlxrrkvk dk lek;kftr fd;k gA**

bl 'kfDr d bLreky d fy, vkèkkj ml h fu.k; e fuEuor dfFkr fd;k x;k Fkk¼

^blij lng djuk vlHko g fd vfre vkJ; d fdlh U;k;ky; }kjk fd; x; vuipkj.kh; vU;k; dk jkdu d fy, fo|eku LokHkkfod bPNk d dkj.k ièkkur¼ , l ekeyk e NV inku dh x;h g] tgk fdlh n?kVuko'k fdlh nk"k d fcuk i{kdkj dk ugh luk x;k g rFkk ,d vkn'k vuoèkkurk l dj fn;k x;k g tl fd i{kdkj dk luk x;k FkkA**

bl idkj] fdlh vkn'k dh ifj'kf) bl ekfyd fl)kr l mRiUu gkrh g fd U;k; lokifj gA nk"k dk nj dju d fy, bldk bLreky fd;k tkrk g rFkk vfrerk d lkFk NMNkM dju d fy, ugha tc lfoèkku fojfpr fd;k x;k Fkk bl U;k;ky; }kjk ikfjr vkn'k dk n:Lr dju ;k okil yu dh rkfRod 'kfDr lfoèkku d vuPNn 137 }kjk fofufn"Vr% micfèkr dh x;h FkhA gekj lfoèkku fuekrkvk u] ftud ikl ,l ikoèkku dh iHkkfork dk n[ku dh 0;ogkfjd cf)eÙkk Fkh] lfoèkku d vuPNn 137 }kjk fd;h fu.k; ;k vkn'k dh iufoykdu dju dh rkfRod 'kfDr Li"Vr% inku fd;k FkkA rFkk vuPNn 145 d [kM (c) u bl U;k;ky; dk fu;e fojfpr dju dh 'kfDr nh Fkh mu 'kÙkk d lcèk e ftud vè;èkhu fdlh fu.k; ;k vkn'k dk iufoykdu fd;k tk ldrk gA bl 'kfDr d bLreky e flfoy ifØ;k lfgrk d vkn'k 47] fu;e 1 d ln'k vkèkkjk ij flfoy dk;okfg;k e fdlh vkn'k dk iufoykdu dju e bl U;k;ky; dk l'kDr cukr g, vkn'k 40 fojfpr fd;k x;k FkkA [kM e ^fdlh vU; i;klr dkj.k l vfHk0;fDr dk ,d foLrkfjr vFk inku fd;k x;k g rFkk fLFkfr;k dh okLrfod voLFkk dh nk"ki.k le> d vèkhu ikfjr fdlh fMØh ;k vkn'k dk bl 'kfDr dk bLreky dju d fy, i;klr vkèkkj fu.khr fd;k x;k gA mPpre U;k;ky; dh fu;ekoyh d vkn'k 40] fu;e 1 d vykok] bl U;k;ky; d ikl ,l vkn'kk dk dju dh vrfufgr 'kfDr g tk U;k; d fgr e ;k U;k;ky; dh vknf'kdk d n:i;kx dk jkdu e vko';d gk ldr gA bl idkj] ;g U;k;ky; viu gh vkn'k dk okil yu ;k mldk iufoykdu dju l ckfèkr ugh g vxj bl lekèkku g fd U;k; dh [kkfrj ,lk djuk vko';d gA***

28. ekju ekj clfy;kl dFkkfydkt cuke ekLV fojojM ekj iykt ,Fkufl;l e] rhu U;k;kèkh'kk dh ihB u =koudkj flfoy ifØ;k lfgrk d ikoèkkuk dk fufn"V fd;k Fkk] tk fl0 i0 l0 d vkn'k 47] fu;e 1 d le:i Fkk rFkk lEijhf{kr fd;k Fkk% (AIR i"B 538] ijk 32)

^^32. ....blij tkj nuk vuko';d g fd iufoykdu d fy, fdlh vkonu dk dk;{k= fdlh vihy d dk;{k= dh ryuk e dkQh vfèkd lhfer gkrk gA =koudkj flfoy ifØ;k lfgrk e fo|eku ikoèkkuk d vrxr] tk gekjh flfoy ifØ;k lfgrk] 1908 d vkn'k 47] fu;e 1 d fucèkuk e le:i g] iufoykdu dh U;k;ky; d ikl mle i;Dr Hkk"kk }kjk fuèkkfjr fu"pk;h lhekvk }kjk ifjc) ,d lhfer vfèkdkfjrk gh gkrh gA

;g rhu fofufn"V vkèkkjk ij iufoykdu dh vuefr n ldrk g] vFkkr]

(i) u; rFkk egRoi.k ekey ;k lk{; dk iyk pyu ij tk lE;d rRijrk cjru d ckn vkond dh tkudkjh e ugh Fkk ;k mld }kjk ml le; i'k ugh fd;k tk ldk Fkk tc fMØh ikfjr dh x;h Fkh]

(ii) vfHky[k d iVy ij idV pd ;k nk"k ij] rFkk

(iii) fdlh vU; i;klr dkj.k lA

U;kf;d lfefr }kjk ;g fu.khr fd;k x;k g fd ^fdlh vU; i;klr dkj.k 'kCnk l vko';d :i l vfHkik; ^vkèkkjk ij i;klr ,d dkj.k l g tk de l de fu;e e fofufn"V ikoèkkuk d ln'k gk*A (n[k NTt jke cuke udh) fo'k'oj irki 'kkgh cuke ikjFk ukFk e U;kf;d lfefr }kjk bl fu"d"k dk nkgjk;k x;k Fkk rFkk gfj 'kdj iky cuke vuFk ukFk feÙkj] ,Q0 lh0 i"B 110&11 e gekj l?kh; U;k;ky; }kjk viuk;k x;k FkkA bl vihy d leFku e mifLFkr fo}ku vfèkoDrk iokDr ifjlhekvk dk Lohdkj djr g rFkk fuonu djr g fd mudk ekeyk vfHky[k d iVy ij idV pd ;k nk"k d vkèkkj ;k mld ln'k fdlh vkèkkj d Hkhrj vkrk gA***

29. rxHknk bMLVh t fyfeVM cuke vkèk in'k ljdkj e] ,d vU; rhu U;k;kèkh'kk dh ihB u nkgjk;k Fkk fd iufoykdu dh 'kfDr vihyh; 'kfDr d ln'k ugh g rFkk lEijhf{kr fd;k Fkk% (AIR i"B 1377] ijk 11)

*^^11. ---- **dkbZ iufoykdu fdlh Hkh idkj l fNi rkj ij ,d vihy ugh gkrk g ftld }kjk ,d nk"ki.k fu.k; dh iu% luokbZ dh tkrh g rFkk bl n:Lr fd;k tkrk g] cfYd doy idV nk"k d fy, gkrk gA** ge ;g ugh le>r g fd ;g bl vrj l li.k :i l ;k vfèkd foLrkj l fuiVu d fy, ,d mi;Dr volj miyCèk djkrk g] ijUr gekj fy, ;g dguk i;kIr gkxk fd tgk dkbZ fdlh fo"kn rd d fcuk nk"k dh vkj b'kkjk dj ldrk g rFkk dg ldrk g fd ;gk fofèk dk ,d rkfRod fcUn g tk nf"Vikr djr gh fn[kkbZ iMrk g rFkk bld ckj e ;fDr;Dr :i l dkbZ nk jk; ugh j[kh tk ldrh g] vfHky[k d iVy ij idV nk"k dk ,d Li"V ekeyk cuxkA**

30. vfjce ry'oj 'kek cuke vfjce fi'kkd 'kek e] bl U;k;ky; u bl i'u dk mUkj gk e fn;k Fkk fd mPp U;k;ky; lfoèkku d vuPNn 226 d vèkhu ikfjr fdlh vkn'k dk iufoykdu dj ldrk g ;k ugh rFkk lEijhf{kr fd;k Fkk% (SCC i"B 390 ijk 3)

^^3. .... ijUr] iufoykdu dh 'kfDr d bLreky dh fu'pk;h lhek, gA ***u; rFkk egRoi.k ekey ;k lk{; d irk pyu ij iufoykdu dh 'kfDr dk bLreky fd;k tk ldrk g tk iufoykdu dh bllk djuoky 0;fDr dh tkudkjh e lE;d rRijrk cjru d ckn Hkh ugh Fkk ;k ftl mld }kjk ml le; i'k ugh fd;k tk ldk Fkk tc vkn'k fd;k x;k Fkk % bldk bLreky ogk fd;k tk ldrk g tgk vfHky[k d iVy ij dN =fV ;k idV nk"k ik;k tkrk g(bldk blh ln'k vkèkkj ij Hkh bLreky fd;k tk ldrk gA ijUr] bldk bl vkèkkj ij bLreky ugh fd;k tk ldrk g fd fu.k; x.kkox.kk ij nk"ki.k FkkA ;g fdlh vihyh; U;k;ky; dk vfèkdkj {k= gkxkA iufoykdu dh 'kfDr dk Hkeo'k vihyh; 'kfDr;k tlk ugh le>k tkuk g tk vèkhuLFk U;k;ky; }kjk dkfjr lHkh idkj dh =fV;k dk n:Lr dju e vihyh; U;k;ky; dk l{ke cuk ldrh gA****

32. ijfl;k noh cuke leh=h noh e] U;k;ky; u lEijhf{kr fd;k Fkk% (SCC i"B 719 ijk 9)

"9. -------- dkbZ ,lk nk"k tk LoLi"V ugh g rFkk ftldk rd ford dh ifØ;k }kjk irk yxk;k tkuk gkrk g] fl0 i0 l0 d vkn'k 47] fu;e 1 d vèkhu iufoykdu dh vuh 'kfDr dk bLreky djuk U;k;ky; d fy, vkfpR;i.k cukr g, vfHky[k d iVy ij ,d idV nk"k dnkfpr gh dgk tk ldrk gA --------- ***;g vko';d :i l Lej.k j[kk tkuk g fd ,d iufoykdu ;kfpdk dk lhfer mí';; gkrk g rFkk bl iPNUur% ,d vihy gku ugh nh tk ldrh gA****

33. fyyh Fkkel cuke Hkkjr l?k e] U;k;efr vkj0 ih0 lBh] tk U;k;efr ,l0 lxhj vgen l lger Fk] u fuEukfdr 'kCnk e iufoykdu dh 'kfDr dh xtkb'k dk lkjkr fd;k Fkk% (SCC i"B 251] ijk 56)

^^56. ..... ***'kfDr d bLreky l lcfèkr lfofèk dh lhekvk d Hkhrj ,lh 'kfDr;k dk bLreky fd;k tk ldrk gA iufoykdu d lkFk iPNUur% ,d vihy d leku 0;ogkj ugh fd;k tk ldrk gA fo"k; ij nk nf"Vdk.k dh lHkkouk ek= iufoykdu dk ,d vkèkkj ugh gA*** *,d ckj iufoykdu ;kfpdk [kkfjt dj fn; tku ij] iufoykdu d fy, dkbZ vkj ;kfpdk xg.k ugh dh tk ldrh gA ogUkj ihBk d ckè;dj Lo:i dh ifjikVh dk vulj.k dju rFkk leku lkeF; dh lgorh vfèkdkfjrk dh ihBk }kjk iLrr fHkUu nf"Vdk.k dk u yu dh fofèk d fu;e dk vulj.k fd;k tkuk g rFkk 0;ogkj e yk;k tkuk gA**

34. gfjnkl nkl cuke Å"kk jkuh ckfud e U;k;ky; u lEijhf{kr fd;k Fkk% (SCC i"B 82 ijk 13)

*^^13. ..... **fl0 i0 l0 d vkn'k 47 e ekin.M fofgr fd, x, g rFkk bl edne d i;ktukFk] ifroknh dk fdlh Hkh ;k vfHky[k d iVy ij idV fdlh nk"k d dkj.k ;k fdlh vU; i;kIr dkj.k l iuh luokb djku gr tkj nu dh vuefr nr gA** fu;e dk iFke Hkkx vkond l lcfèkr fd, tku ;kX; fdlh ifjfLFkfr l lcfèkr g] rFkk ckn okyk ,d U;kf;d ÑR; l tk idVr% nk"ki.k g ;k ft lij nk fu"d"k lEHko ugh gA **mue l dkb Hkh fookn dh iuh luokb vfHkdfYir ugh djrk g D;kfd fdlh i{kdkj u ekey d bu lkj igyvk dk mtkxj ugh fd;k Fkk ;k dnkfpr muij vfèkd icy :i l ftjg dj ldrk Fkk rFkk@;k U;k;ky; d fy, ckè;dj mnkgj.k m)r dj ldrk Fkk ,o rn}kjk ,d vudy fu.k; ikIr dj ldrk FkkA***

35. if'pe cxky jkT; cuke dey lu xlrk e] bl U;k;ky; u bl i'u ij fopkj fd;k Fkk fd D;k i'kkIfud vfèkdj.k vfèkfu;e] 1985 d vèkhu LFkkfir dkb vfèkdj.k viu fu.k; dk iufoykdu dj ldrk g] rFkk bl vfèkfu;e dh èkkjk 22(3)] dN U;kf;d iokrnkgj.kk dk fufn"V fd;k Fkk ,o lEijhf{kr fd;k FkkA (SCC i"B 633] ijk, 21&22)

"21. bl pj.k ij ,lk lEijhf{kr djuk lehphu g fd tgk u; ekey ;k lk{; d irk pyu d vkèkkj ij fdlh iufoykdu dh bIlk dh x;h g] ,lk ekeyk ;k lk{; vko';d :i l llxr gkuk g rFkk vko';d :i l ,l Lo:i dk gkuk g fd vxj bl iLrr fd;k x;k gkrk] ;g fu.k; dk ifjofrr dj ldrk FkkA vU; 'kCnk e] u; ;k egRoi.k ekey ;k lk{; dk irk yxuk ek= U;k;kulkj iufoykdu d fy, i;kIr vkèkkj ugh gA bruk gh ugh] iufoykdu dh bIlk djuoky i{kdkj dk ;g Hkh n'kkuk g fd ,lk vfrfjDr ekeyk ;k lk{; mldh tkudkjh d Hkhrj ugh Fkk ,o lE;d rRijrk cjru d ckn Hkh] bl igy U;k;ky; d le{k i'k ugh fd;k tk ldk FkkA

22. ^idV pd ;k nk"k in viu vfHkik; l gh ,d ,l nk"k dk fpfUgr djrk g tk ekey d vfHky[k l gh idV g rFkk ble rF;k ;k oèkkfud fLFkfr e l fdlh dh foLrr ijh{kk] loh{kk e fo"knhdj.k dh vko';drk ugh gA vxj dkb nk"k LoidV ugh g rFkk mldk irk yxku d fy, ych cgl ,o rd ford dh ifØ;k dh vko';drk g] fl0 i0 l0 d vkn'k 47] fu;e 1 ;k vfèkfu;e dh èkkjk 22(3)(f) d i;ktukFk bl vfHky[k d iVy ij idV ,d =fV ugh ekuk tk ldrk gA **bl fHkUu :i l j[kr g, fdlh vkn'k ;k fu.k; ;k Qly dk ek= bl dkj.k n:Lr ugh fd;k tk ldrk g fd ;g fofèk e nk"ki.k g ;k fdl vkèkkj ij fd rF; ;k fofèk d fcUn ij U;k;ky;@vfèkdj.k }kjk ,d fHkUu nf"Vdk.k fy;k tk ldrk FkkA fdlh Hkh n'kk e] iufoykdu dh 'kfDr dk bLreky djr le;] lc) U;k;ky;@vfèkdj.k viu fu.k;@Qly ij vihy e ugh cB ldrk gA****

(cy inku fd;k x;k)

11. पूर्वोक्त तथ्यों, कारणों एवं न्यायिक निर्णय की दृष्टि में, इस सिविल पूर्वविलोकन आवेदन में कोई दम नहीं है क्योंकि अभिलेख के पटल पर कोई दोष नहीं है, न ही दोष स्वत: स्पष्ट है। जिस दोष को लम्बे चलने वाले तर्कों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, इसका पुनर्विलोकन में उपचार नहीं किया जा सकता है। रिट में या पिछले कार्यवाहियों में छूटे हुए तर्कों के लिए एक बार पुन: किसी मामले में जिरह करने हेतु कोई पुनर्विलोकन नहीं हो सकता है।

12. अतएव, सिविल पुनर्विलोकन आवेदन खारिज किया जाता है।

ekuuh; ,p lhñ feJk ,o Mkñ ,l ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

बीरेन्द्र कुमार साह एवं अन्य (50 में)

रंजीत कुमार साह (86 में)

cuke

बिहार राज्य (अब झारखंड) (दोनों में)

Criminal Appeal (D.B.) Nos. 50 with 86 of 1992(P). Decided on 10th November, 2016.

सत्र केस सं॰ 64 वर्ष 1990 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, गोड्डा द्वारा पारित दिनांक 16.3.1992 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 23.3.1992 के दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 302, 324, 147 एवं 148–हत्या एवं गंभीर उपहति–दंगा करना–दोषसिद्धि एवं दंडादेश–अभियोजन साक्षीगण घटना के स्वाभाविक चश्मदीद गवाह हैं–अभियोजन साक्षियों का चक्षुदर्शी साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा पूर्णतः सम्पोषित–अपीलार्थीगण विधि विरूद्ध जमाव का सम्मिलित आशय साझा किये हुए था तथा पिस्तौलों एवं बमों से लैस होकर उन्होंने सूचनादाता के पक्ष पर प्रहार कर दिया था–यह तथ्य कि गवाह निकट संबंधी हैं, इन गवाहों की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करेगा–घटना के समय अपीलार्थीगण की शिनाख्त पर संदेह नहीं किया जा सकता है–दोषसिद्धि एवं दंडादेश अभिपुष्ट–अपीलें खारिज। (पैराएँ 17 से 22)

निर्णयज विधि.–(2002) 8 SCC 381; AIR 2011 SC 581—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Kailash Prasad Deo, Gaurav, Jay Prakash Pandey, For the Appellants; Mr. Ram Prakash Singh, For the State; None, For the Informant.

एच॰ सी॰ मिश्रा, न्यायमूर्ति.–चूँकि ये दोनों अपीलें एक ही मामले से उद्‌भूत हैं, हमने इन अपीलों की एक साथ सुनवाई की है तथा इस सम्मिलित निर्णय द्वारा उनका निस्तारण किया जा रहा है।

2. इन दोनों अपीलों में अपीलार्थीगण विद्वान सत्र न्यायाधीश, गोड्डा द्वारा पारित दिनांक 16.3.1992 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 23.3.1992 के दंडादेश से व्यथित हैं, जिसके द्वारा अपीलार्थी रंजीत कुमार साह को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 148, 302 तथा 324 के अधीन अपराध का दोषी पाया गया था एवं इसके लिए दोषसिद्ध किया गया था, जबकि अन्य अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147 एवं 302 सह-पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अधीन अपराध का दोषी पाया गया है तथा उनकी भी इसके लिए दोषसिद्धि की गयी थी। दंडादेश के बिन्दु पर सुनवाई करके, अपीलार्थी रंजीत कुमार साह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश सुनाया गया था, उसे भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 324 के अधीन अपराध के लिए तीन वर्षों का सश्रम कारावास तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अधीन अपराध के लिए दो वर्षों का सश्रम कारावास भुगतने का भी दंडादेश सुनाया गया था। अन्य अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सह-पठित धारा 149 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास तथा भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 147 के अधीन अपराध के लिए दो वर्षों का सश्रम कारावास भुगतने का दंडादेश सुनाया गया था तथा ये सारे दंडादेशों के साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया था। यह कथित किया जाता है कि अपीलार्थीगण के साथ किसी जनार्धन पाल की भी अवर विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि एवं दंडादेश किया गया था, परन्तु उसकी दांडिक अपील सं॰ 50 वर्ष 1992 (पी॰) के लंबित रहने के दौरान, उसकी मृत्यु हो गयी

थी तथा तद्नुसार, इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1.9.2016 के आदेश द्वारा उक्त अपीलार्थी के संबंध में अपील का उपशमन हो गया था।

3. दांडिक अपील सं॰ 86 वर्ष 1992 में एकमात्र अपीलार्थी ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 148, 302 तथा 324 के अधीन तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 के अधीन अपराध के लिए विचारण का सामना किया था, जबकि दांडिक अपील सं॰ 50 वर्ष 1992 में अपीलार्थीगण ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147 तथा 302 सह-पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अधीन अपराध के लिए विचारण का सामना किया था।

4. इन अपीलों को उद्भूत करनेवाला अभियोजन मामला यह है कि 30.5.1989 को लगभग संध्या में 7 बजे अपराह्न में, झगड़े का कुछ शोर हुआ था, जिसपर सूचनादाता दिलीप प्रसाद साह घटना स्थल तक गया तथा देखा था कि मानस कुमार दत्ता एवं असीत कुमार दत्ता को अभियुक्त व्यक्तियों रंजीत साह, बीरेन्द्र साह, शरत चन्द्र दत्ता, जनार्दन पाल (जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है), नन्द कुमार भगत, उत्तम कुमार दत्ता तथा विपीन कुमार जायसवाल द्वारा घेर रखा गया था तथा उन्हें झगड़ा न करने के लिए कहते हुए सूचनादाता का पिता उन्हें समझाने का प्रयास कर रहा था। सूचनादाता ने अभियुक्त व्यक्तियों से अपने बीच झगड़ा न करने का आग्रह भी किया था तथा कथित किया था कि वह अपने पिता को अपने घर ले जा रहा है, जिसपर सभी पूर्वोक्त अभियुक्त व्यक्ति उन सभी को मार डालने के लिए चीखे थे तथा अभियुक्त रंजीत साह ने बम द्वारा सूचनादाता के पिता पर प्रहार किया था जिससे उसकी छाती पर उपहतियां हुई थी जिनके कारण उसका पिता नीचे गिर पड़ा था एवं घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी थी। सूचनादाता दिलीप प्रसाद साह, मानस कुमार दत्ता एवं असित कुमार दत्ता को भी बम के टुकड़ों से उपहतियां आई थी। तत्पश्चात्, अभियुक्त व्यक्ति भाग गये थे तथा किसी गणेश के घर में प्रवेश कर गये थे, आगे का दरवाजा बंद कर दिया था एवं पिछले दरवाजे से होकर भाग गये थे। पूर्वोक्त प्रभाव का फर्दबयान उसी रात्रि लगभग 11 बजे अपराह्न में दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर जी॰ आर॰ संख्या 417 वर्ष 1989 के तत्सम बोआरीजोर (लमटिया) पुलिस थाना केस सं॰ 49 वर्ष 1989 संस्थित किया गया था तथा अन्वेषण प्रारंभ किया गया था। अन्वेषण के उपरान्त, पुलिस ने पूर्वोल्लिखित अभियुक्त व्यक्तियों के अलावा तीन और अभियुक्त व्यक्तियों, अर्थात्, आनंदी दत्ता, बीरबल साह एवं शिव कुमार डे के विरूद्ध भी अभियोग पत्र दाखिल किया था। मामला सत्र न्यायालय भेजे जाने के उपरान्त, अभियुक्त व्यक्तियों के विरूद्ध यथा पूर्वोक्त आरोप विरचित किये गये थे। अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा आरोपों से इनकार किये जाने पर, उन्हें विचारण पर रखा गया था।

5. विचारण के अनुक्रम में, सूचनादाता, घायलों, घायलों की जांच करने वाले तथा मृतक की पोस्टमार्टम परीक्षा करने वाले चिकित्सकों, तथा अन्वेषण पदाधिकारियों समेत भी अभियोजन की ओर से 14 गवाहों को परीक्षित किया गया था। बचाव पक्ष ने भी मामले में दो गवाहों को परीक्षित किया है। विचारण पर, यथा पूर्वोक्त अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि एवं दंडादेश करते हुए विद्वान सत्र न्यायाधीश, गोड्डा द्वारा दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय तथा दंडादेश पारित किया गया था, परन्तु अभियुक्तों आनंदी दत्ता, बीरबल साह तथा शिव कुमार डे के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में उन्हें आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था।

6. दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के प्रतिद्वंद्वी तर्कों में प्रवेश करने के पहले, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का एक संक्षिप्त वर्णन आवश्यक है। अ॰ सा॰ 1 दिलीप प्रसाद साह जो सूचनादाता एवं घायल है, अ॰ सा॰ 2 मानस कुमार दत्ता, अ॰ सा॰ 3 असित कुमार दत्ता, घटना में ये भी घायल हुऐ थे, ने अभियोजन मामले का समर्थन किया है। इन गवाहों के साक्ष्य से, यह प्रकट है कि दोनों पक्षकार निकट संबंधी हैं क्योंकि अभियुक्त रंजीत साह सूचनादाता दिलीप कुमार साह का गोत्र भाई है तथा अभियुक्त

शरत चन्द्र दत्ता भी अ॰ सा॰ 3 असित कुमार दत्ता का भाई है। इन अभियोजन साक्षियों ने अभियोजन मामले का समर्थन किया है ऐसा कथित करते हुए कि घटना के दिन, स्थान तथा समय पर, एक झगड़ा हुआ था जिसमें मानस कुमार दत्ता तथा असित कुमार दत्ता को गांव की सड़क पर अभियुक्त व्यक्तियों रंजीत साह, बीरेन्द्र कुमार साह, शरत चन्द्र दत्ता, नन्द किशोर भगत, उत्तम कुमार दत्ता, विपीन कुमार जायसवाल तथा जनार्दन पाल (जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है) द्वारा घेर लिया गया था तथा वे झगड़ा कर रहे थे। अभियुक्त व्यक्ति पिस्तौलों तथा बमों से लैस थे। मृतक, जो सूचनादाता का पिता था, ने झगड़े में बीच बचाव किया था तथा वह उन्हें समझाने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान, अ॰ सा॰ 1, सूचनादाता दिलीप प्रसाद साह वहां आया था एवं उनसे झगड़ा न करने का आग्रह किया था तथा उसने कहा था कि वह अपने पिता को ले जा रहा है, जिसपर सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने एक ही स्वर में उन्हें मार डालने के लिए चित्कार की थी तथा रंजीत साह ने सूचनादाता के पिता की छाती पर उपहतियां कारित करते हुए उसपर बम से हमला किया था जिनके कारण उसकी घटना स्थल पर मृत्यु हो गयी थी। घटना के अनुक्रम में, इन गवाहों को भी बम के टुकड़ों की उपहतियां आई थी तथा वह घटना के स्वाभाविक चश्मदीद गवाह हैं। अ॰ सा॰ 1 ने भी फर्दबयान की शिनाख्त की है जिसे प्रदर्श 1 के तौर पर अंकित किया गया था। बचाव पक्ष द्वारा इन गवाहों की विस्तार से प्रतिपरीक्षा की गयी थी, परन्तु उनके परिसाक्ष्य को खंडित करने के लिए कुछ भी सामने नहीं लाया जा सका था। अपनी प्रतिपरीक्षा में अ॰ सा॰ 1 ने यह भी कथित किया था कि घटना के समय, चांदनी रात थी। अ॰ सा॰ 2 मानस कुमार दत्ता, जो घटना में घायल भी हुआ था, ने भी कथित किया है कि घटना के दिन वह असित कुमार दत्ता के साथ मोहनपुर चौक से एक मोटरसाईकिल पर वापस आया था तथा घर में मोटरसाईकिल रखने के उपरान्त, वह गांव की सड़क पर जा रहे थे जब उन्हें पूर्वोक्त अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा रास्ते में घेर लिया गया था, जो पिस्तौलों एवं बमों से लैस थे एवं उनके बीच झगड़ा हुआ था जिसके अनुक्रम में घटना घटित हुई थी। अपनी प्रतिपरीक्षा में, उसने कथित किया है कि घटना के दिन वह तथा असित कुमार दत्ता मोहनपुर में अपने कार के चालक को छोड़ने के उपरान्त मोहनपुर चौक से लौटे थे। इसी प्रकार, असित कुमार दत्ता ने भी पूर्वोक्त तथ्यों का समर्थन किया है। अपनी प्रतिपरीक्षा में, उसने कथित किया है कि उसे स्वर्गीय हरि किनकर दत्ता द्वारा गोद में लिया गया था एवं अभियुक्त शरत चन्द्र दत्ता इसके जैविक माता पिता का पुत्र है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि शरत चन्द्र दत्ता उसके दत्तक पिता की संपत्ति में हिस्से की मांग कर रहा था तथा अन्य सह-अभियुक्त व्यक्ति उनका समर्थन कर रहे थे। यह गवाह उक्त संपत्ति में कोई हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं था जिसके कारण झगड़ा हुआ था। अ॰ सा॰ 5 ओम प्रकाश साह मृतक का एक अन्य पुत्र है जिसने भी चश्मदीद गवाह के रूप में अभियोजन मामले का समर्थन किया है, ऐसा कथित करते हुए कि वह भी घटना स्थल पर अपने पिता के साथ गया था, यद्यपि इस तथ्य को न तो प्राथमिकी में और न ही अ॰ सा॰ 1 दिलीप कुमार साह, जो उसका सगा भाई है, द्वारा प्रधान परीक्षा में कथित किया गया है। किंतु अपनी प्रतिपरीक्षा में, अ॰ सा॰ 1 दिलीप कुमार साह ने कथित किया है कि यह गवाह भी अपने पिता के साथ घटना स्थल तक गया था। अ॰ सा॰ 5 ने भी यथा पूर्वोक्त अभियोजन मामले का समर्थन किया है तथा अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने भी कथित किया है कि घटना के समय चांदनी रात थी।

7. अ॰ सा॰ 13 डॉ॰ ब्रह्मदेव प्रसाद सिन्हा ने मानस कुमार दत्ता, दिलीप प्रसाद साह, असित कुमार साह तथा श्याम कुमार गुप्ता की उपहतियों की जांच की थी तथा उसने प्रदर्श 5 श्रृंखला के रूप में उपहति रिपोर्टों को भी सिद्ध किया है ऐसा दर्शाते हुए कि इन गवाहों को विस्फोटक सामग्री से कारित साधारण उपहतियां आई थी। अ॰ सा॰ 14 डॉ॰ अजय कुमार झा ने मृतक का पोस्टमार्टम परीक्षण किया था एवं

कथित किया है कि पोस्टमार्टम परीक्षा में उन्हें छाती के ऊपरी हिस्से के सामने गर्दन के नीचे तीसरे हिस्से तक लगभग आकार में 6" x 6" x 5" का एक गटर जैसा घाव मिला था। उस क्षेत्र की छाती भित्ती गायब थी। घाव के घेरे में भारी मात्रा में रक्त था। इसके अतिरिक्त, उन्हें मृतक की शरीर पर खरोंचे भी मिली थी। विच्छेदन पर, उन्हें मृतक की गर्दन का निचला तिहाई हिस्सा अति विदीर्ण मिला था। श्वास नली टूटी हुई थी तथा भोजन नलिका फटा हुआ था। गर्दन की मांसपेशियां अत्यधिक विदीर्ण थीं तथा इसी प्रकार नलिकाएं भी थीं। फेंफड़ों को विदीर्ण पाया गया था महाधमनी तथा वृहत धमनियों के वक्र भी विदीर्ण पाये गये थे। थोरैसिक घेरा रक्त से भरा हुआ पाया गया था। घाव के अंदर लोहे की सामग्रियां तथा सुतली जैसे बाहरी पदार्थ थे। उन्होंने कथित किया है कि मृतक पर पायी गयी उपहतियां मृत्युपूर्व प्रकृति की थी, जो मृत्यु का कारण था तथा विस्फोटक सामग्री द्वारा उपहतियां कारित हुई थी। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की शिनाख्त की है, जिसे प्रदर्श 6 के रूप में अंकित किया गया था।

8. अ॰ सा॰ 7 जगलेश प्रसाद साह तथा अ॰ सा॰ 11 मोतीलाल मिश्रा मामले में अन्वेषण पदाधिकारी हैं, जिन्होंने अन्वेषण तथा अभियोगपत्र दाखिल किये जाने के बारे में कथित किया है। अ॰ सा॰ 11 मोतीलाल मिश्रा ने औपचारिक प्राथमिकी को प्रदर्श 3 के रूप में, शव की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट को प्रदर्श 4 के रूप में सिद्ध किया है तथा अभिग्रहण सूची की भी शिनाख्त की है, जिसे अ॰ सा॰ 4 मो॰ मनीर उद्दीन द्वारा सिद्ध किया गया था ऐसा कथित करते हुए कि अभिग्रहण सूची उसकी मौजूदगी में तैयार की गयी थी जिसमें अन्वेषण पदाधिकारी ने घटना स्थल से रक्त रंजित मिट्टी तथा बम के टुकड़ों (लोहे की कीलों) को जब्त किया था, जिसपर, उसने अपना हस्ताक्षर भी किया था।

9. अ॰ सा॰ श्याम कुमार गुप्ता ने कथित किया है कि वह भी घटना में बम के टुकड़ों से घायल हो गया था, परन्तु यह गवाह पक्षद्रोही हो गया है तथा यद्यपि उसने कथित किया है कि झगड़ा हुआ था, परन्तु उसने यह कथित नहीं किया है कि मृतक पर किसने प्रहार किया था। अ॰ सा॰ 12 आनंद कुमार दत्ता भी पक्षद्रोही हो गया है। अ॰ सा॰ 6 बबलू हंसदा तथा अ॰ सा॰ 8 जय प्रकाश चौधरी घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं। अ॰ सा॰ 10 आधार चन्द्र दत्ता को केवल अभियोजन द्वारा बुलाया गया था।

10. बचाव पक्ष ने दो गवाहों, अर्थात्, ब॰ सा॰ 1 मो॰ शमीम तथा ब॰ सा॰ 2 पूरण भगत की परीक्षा की है। ब॰ सा॰ 1 मो॰ शमीम अ॰ सा॰ 2 का चालक है जिसने कथित किया है कि घटना के दिन वह सूचनादाता के गांव नहीं गया था।

11. दांडिक अपील सं॰ 50 वर्ष 1992 में अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इन अपीलार्थीयों के विरूद्ध किसी प्रहार का कोई अभिकथन नहीं है तथा इन अपीलार्थीयों को केवल भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 149 की सहायता से अपराध का दोषी पाया गया है तथा दंडादेश सुनाया गया है। यह निवेदन किया गया है कि अ॰ सा॰ 3 असित कुमार दत्ता ने स्वीकार किया है कि अभियुक्त शरत चन्द्र दत्ता उसका भाई है जो संपत्ति में हिस्से की मांग कर रहा था तथा इस प्रकार उनके बीच संपत्ति विवाद था। यह निवेदन किया गया है कि अन्य अपीलार्थीयों को संपत्ति से कुछ लेना देना नहीं था तथा तद्नुसार, यह संपत्ति विवाद के कारण अपीलार्थीगण को झूठमूठ फंसाये जाने का एक मामला है। यह निवेदन किया गया है कि दांडिक अपील सं॰ 50 वर्ष 1992 में अपीलार्थीगण के विरूद्ध आपराधिक मनोभाव होने का पूर्ण रूप से अभाव है तथा अपराध कारित करने का कोई हेतु नहीं था। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि यद्यपि गवाह अ॰ सा॰ 1 दिलीप प्रसाद साह तथा अ॰ सा॰ 5 ओम प्रकाश साह, जो मृतक के पुत्र हैं, ने कथित किया है कि घटना के समय चांदनी रात थी, परन्तु आक्षेपित निर्णय में हुई परिचर्चाओं से यह प्रकट है कि उस दिन का पंचांग दर्शाता था कि रात्रि में लगभग 2 बजे पूर्वाह्न में आकाश में चांद उगा था, जो स्पष्टत: दर्शाता है कि गवाह विश्वास योग्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन

किया कि घटना के समय रात्रि में 7 बजे पूर्वाह्न होने से, प्रकाश का कोई स्रोत नहीं था तथा तद्नुसार, अभियुक्त व्यक्तियों की शिनाख्त बिल्कुल संदिग्ध है, एवं इस प्रकार, दांडिक अपील सं॰ 50 वर्ष 1992 के अपीलार्थीगण संदेह के लाभ के हकदार हैं।

12. दांडिक अपील सं॰ 86 वर्ष 1992 में एकमात्र अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि किसी भी दशा में यह अपीलार्थी घटना के समय 16 वर्ष से कम आयु का होने के कारण एक किशोर था। यह निवेदन किया गया है कि विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि किशोरावस्था का अभिवचन किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है तथा इस तथ्य की दृष्टि में कि अपीलार्थी 16 वर्ष से कम आयु का था, उसका अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ विचारण नहीं किया जा सकता था एवं तद्नुसार, अपीलार्थी का विचारण ही पूर्ण रूप से अवैधानिक तथा दूषित है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि घटना का समय रात्रि के 7 बजे अपराह्न होने से प्रकाश का कोई स्रोत नहीं था तथा तद्नुसार, अभियुक्त की शिनाख्त अतिसंदिग्ध है। इस कारण इसका लाभ इस अपीलार्थी को भी मिलना चाहिए।

13. राज्य के विद्वान अधिवक्ता तथा सूचनादाता, जो दांडिक अपील सं॰ 50 वर्ष 1992 में अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर हुआ है, के विद्वान अधिवक्ता ने भी निवेदन किया है कि गवाहों ने पूर्ण रूप से अभियोजन मामले का समर्थन किया है तथा गवाहों के परिसाक्ष्य को खंडित करने के लिए उनसे कुछ भी बाहर नहीं लाया जा सका था। गवाहों के साक्ष्य पूर्ण रूप से अ॰ सा॰ 14 डॉ॰ अजय कुमार झा के चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं, जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सिद्ध किया है ऐसा दर्शाते हुए कि मृतक की मृत्यु विस्फोटक सामग्री से हुई उपहतियों के कारण हुई थी, तथा अ॰ सा॰ 13 डॉ॰ ब्रह्मदेव प्रसाद द्वारा समर्थित हैं, जिन्होंने घायलों के उपहतियों की जांच की थी जो दर्शाती थी कि उपहतियां विस्फोटक सामग्री द्वारा कारित की गयी थी। अ॰ सा॰ 11 मोती लाल मिश्रा, अन्वेषण पदाधिकारी ने भी मामले का समर्थन किया है कि उसे घटना स्थल पर मृतक का शव रक्त से लथपथ पड़ा हुआ मिला था। उन्होंने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया था जिसे विचारण के दौरान प्रदर्श 4 के रूप में अंकित भी किया गया था, तथा उसने घटना स्थल से रक्त रंजित मिट्टी तथा बम के टुकड़े एकत्रित किये थे एवं अभिग्रहण सूची, प्रदर्श 2 तैयार किया था। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि सूचनादाता तथा घायल गवाहों ने कथित किया है कि झगड़े के अनुक्रम में सूचनादाता का पिता भी झगड़नेवाले पक्षकारों को समझाने के लिए वहां गया था एवं शोर सुनकर सूचनादाता भी वहां गया था एवं उसने उन्हें समझाने का प्रयास किया था ऐसा कथित करते हुए कि वह अपने पिता को वापस ले जा रहा है, जिसपर सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने एक स्वर में उन्हें मार डालने के लिए चित्कार किया था तथा अपीलार्थी रंजित साह ने घटना स्थल पर मृतक की मृत्यु कारित करते हुए उसपर बम से प्रहार किया था। राज्य के विद्वान अधिवक्ताओं तथा सूचनादाता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि यद्यपि दांडिक अपील सं॰ 50 वर्ष 1992 के अपीलार्थीयों के विरूद्ध प्रहार का कोई अभिकथन नहीं है, परन्तु सभी गवाहों ने स्पष्ट रूप से कथित किया है कि क्षण के आवेश में, उन्होंने उन्हें मार डालने के अपने आशय को भी प्रकट किया था, जिसपर अपीलार्थी रंजित साह ने बम से मृतक पर प्रहार किया था। यह निवेदन किया गया है कि यह स्पष्टत: दर्शाता है कि ये अपीलार्थीगण अपराध कारित करने के एक ही आशय को भी साझा किये हुए थे तथा, तद्नुसार, उनकी उचित रूप से भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 149 की सहायता से अपराध के लिए दोषसिद्धि की गयी है। घटना स्थल पर मृतक की मृत्यु कारित करते हुए अपीलार्थी रंजीत साह के विरूद्ध प्रहार का प्रत्यक्ष अभिकथन होने से, जिस अभिकथन को अभियोजन साक्षियों द्वारा पूर्ण रूप से सिद्ध किया गया है, अवर विचारण न्यायालय द्वारा उसकी उचित रूप से दोषसिद्धि एवं दंडादेश किया गया है।

14. सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने **AIR 2011 SC 3581** में रिपोर्ट किये गये **रामचन्द्रण**

एवं अन्य इत्यादि बनाम केरल राज्य में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें विधि निम्नवत् अधिकथित की गयी है:–

> *^^14. rFkkfi] **,d ckj ;g fl) gk tku ij fd fofèk fo:) teko dk lfEefyr mí'; Fkk] ;g vko';d ugh g fd fofèk fo:) teko xfBr djuoky lHkh 0;fDr;k dk vko';d :i l mlh idV dk; dk dkfjr djr g, n'kk;k tk;A** ikoèkku d vèkhu ifrufèkd nkf;rk gku d i;ktukFk] ?kVuk d tkjh jgu d nkjku dkfjr vijkèk d fy, fofèk fo:) teko d vU; lnL;k dh nkf;rk bl rF; ij vkfJr g fd vU; lnL; igy l ;g tkur Fk ;k ugh fd okLro e dkfjr fd; x; vijkèk d lk>k mí'; d vulj.k e dkfjr fd; tku dh lHkkouk Fkh ;k ughA** (cy inku fd;k x;k)*

15. अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने **(2002 SCC) 8 SCC 381** में रिपोर्ट किये गये **गंगाधर बरेरा एवं अन्य बनाम उड़ीसा राज्य** में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया था, जिसमें विधि निम्नवत् अधिकथित की गयी है:–

> *"22. vfHkfuèkkfjr dju d fy, fu.kk;d i'u ;g g fd teko e ikp ;k ikp l vfèkd 0;fDr Fk ;k ugh rFkk D;k mDr 0;fDr u èkkjk 141 e ;Fkk fofufn"V ,d ;k ,d l vfèkd lkekU; mí'; lk>k fd; g, Fk ;k ughA **fofèk dh ,d lkekU; ifriknuk d rkj ij ;g ugh dgk tk ldrk g fd tcrd fd fdlh 0;fDr] tk vfHkdfFkr :i l fdlh fofèk fo:) teko dk ,d lnL; g] d fo:) ,d idV dk; fl) ugh fd;k tkrk g] ;g ugh dgk tk ldrk g fd og teko dk ,d lnL; gA** tk ,dek= ckr vko';d g og ;g g fd ml le>uk pkfg, Fkk fd teko fofèk fo:) Fkk rFkk mu dk;k e l ,lk dkb dk; dkfjr fd; tku dh lHkkouk Fkh tk èkkjk 141 dh ifjfèk d Hkhrj vkrk gA ^^mí';** 'kCn l vfHkik; i;ktu ;k ;ktuk g rFkk] bl ^^lfEefyr** cuku d fy,] bldk lHkh d }kjk lk>k fd;k tkuk vko';d gA ------ bl teko d lHkh ;k dN lnL;k }kjk fdlh Hkh pj.k e xfBr fd;k tk ldrk g rFkk vU; lnL; doy lfEefyr gk ldr g rFkk bl viuk ldr gA -----***

> *23. ^^lkekU; mí';** ^^lkekU; vk'k;** l fHkUu g D;kfd bl gey d igy ,d io lgefr rFkk fopkjk dk lk> :i l feyu dh vko';drk ugh gkrh gA ;g i;kIr g vxj iR;d d eu e ,d gh mí'; g rFkk mudh l[;k ikp ;k bll vfèkd g rFkk o ml mí'; dk ikIr dju d fy, ,d teko d :i e dk; djr gA fdlh teko dk xfBr djuoky lnL;k d dk;k ,o Hkk"kk l rFkk lHkh lyXu ifjfLFkfr;k ij fopkj djd fdlh teko d ^^lkekU; mí';** dk vfHkfuf'pr fd;k tkuk gkrk gA bl teko d lnL;k }kjk viuk; x; vkpj.k d vuØe l le>k tk ldrk gA **?kVuk d fdlh fof'k"V pj.k e fofèk fo:) teko dk lkekU; mí'; D;k g] ;g teko d Lo:i] lnL;k }kjk j[k x; gfFk;kjk rFkk ?kVuk d ifjn'; ij ;k mld fudV lnL;k d 0;ogkjk dk è;ku e j[kr g, vfHkfuèkkfjr fd; tkuokyk eyrh rF; dk ,d i'u gA** fofèk d vèkhu ;g vko';d ugh g fd ,d fofèk fo:) lkekU; mí'; d lkFk fofèk fo:) teko d lHkh ekeyk e] bl vko';d :i l dkjokb e ifj.kr gkuk g ;k lQy gkuk gA èkkjk 141 d Li"Vhdj.k d vèkhu] dkb teko tk fofèk fo:) ugh Fkk tc ;g ,df=r gvk Fkk] ckn e fofèk fo:) cu ldrk gA -----*

> *24. Hkk0 n0 l0 dh èkkjk 149 d nk Hkkx gA èkkjk d igy Hkkx dk vfHkik; ;g g fd lkekU; mí'; d vulj.k e dkfjr fd;k tkuokyk vijkèk vko';d :i l og vijkèk gkuk g ftl lkekU; mí'; dk ijk dju dk è;ku e j[kdj dkfjr fd;k tkrk gA bld fy, fd vijkèk igy Hkkx d Hkhrj vk;] vijkèk*

*vko';d :i l rRdky ml fofèk fo:) teko d lkekU; mí'; l lcfèkr gkuk g ftldk vfHk;Dr lnL; FkkA ----- **;|fi mu ifjfLFkfr;k d vèkhu ftul lkekU; mí'; dk fu"d"k fudkyk tk ldrk g] dkb dBkj fu;e vfèkdfFkr ugh fd;k tk ldrk gA bldk ;fDrlxr :i l teko d Lo:i] bld }kjk ogu fd; tk jg gfFk;kjk rFkk ?kVuk d ifjn'; ij ;k bld igy ;k bld ckn bld 0;ogkj l fu"d"k fudkyk tk ldrk gA**** (cy inku fd;k x;k)*

16. इन निर्णयों पर भरोसा करते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य स्पष्टत: दर्शाते हैं कि सभी अभियुक्त व्यक्ति पिस्तौल एवं बम जैसे भिन्न भिन्न हथियारों से लैस थे तथा जब मृतक ने उन्हें शांत करने के लिए झगड़े में बीच बचाव किया था, उन सभी ने उन सभी को मार डालने के लिए चित्कार किया था एवं अपीलार्थी रंजीत साह ने मृतक की घटना स्थल पर मृत्यु कारित करते हुए उसपर बम से प्रहार किया था। यह स्पष्टत: दर्शाता है कि दांडिक अपील सं॰ 50 वर्ष 1992 के अपीलार्थीगण का भी अपराध कारित करने का सामान्य उद्देश्य था तथा उन्हें उचित रूप से भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 149 की सहायता से दोषसिद्ध किया गया है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अवर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई अवैधानिकता नहीं है।

17. दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनकर तथा अभिलेख का अवलोकन करने पर, हम पाते हैं कि इस मामले में साक्षियों अ॰ सा॰ 1 दिलीप प्रसाद साह, अ॰ सा॰ 2 मानस कुमार दत्ता, अ॰ सा॰ असित कुमार दत्ता एवं अ॰ सा॰ 5 ओम प्रकाश साह ने इस अभियोजन पक्ष का पूर्णत: समर्थन किया है कि सभी अभियुक्त व्यक्ति पिस्तौलों एवं बमों जैसे विभिन्न हथियारों से लैस होकर एक विधि विरूद्ध जमाव बना रहे थे, तथा उस विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में, एक ही स्वर में उन्होंने सूचनादाता के पक्ष को मार डालने के लिए चित्कार किया था, जिसपर अपीलार्थी रंजीत साह ने घटना स्थल पर मृतक की मृत्यु कारित करते हुए उसपर प्रहार किया था तथा बमों के टुकड़ों द्वारा अभियोजन साक्षीगण को घायल कर दिया था। अ॰ सा॰ 1, 2 एवं 3 भी घटना में घायल हो गये थे तथा इस प्रकार, वे घटना के स्वाभाविक चश्मदीद गवाह हैं। यद्यपि घटना के ढंग पर बचाव पक्ष द्वारा उनकी विस्तार से प्रतिपरीक्षा की गयी थी, परन्तु उनके परिसाक्ष्य को खंडित करने के लिए कुछ भी सामने नहीं लाया जा सका था। इन गवाहों का चक्षुदर्शी साक्ष्य अ॰ सा॰ 13 डॉक्टर ब्रह्मदेव प्रसाद के चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा पूर्णत: सम्पोषित है जिन्होंने उपहतियों को विस्फोटक सामग्री से कारित दर्शाते हुए प्रदर्श 5 श्रृंखला के रूप में इन गवाहों की उपहति रिपोर्टों को सिद्ध किया है तथा अ॰ सा॰ 15 डॉ॰ अजय कुमार झा के चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा, जिन्होंने मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श 6 के तौर पर सिद्ध किया है स्पष्टत: यह दर्शाते हुए कि विस्फोटक पदार्थ से कारित उपहतियों से मृतक की मृत्यु हुई थी। हम पाते हैं कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य स्पष्टत: दर्शाता है कि दांडिक अपील सं॰ 50 वर्ष 1992 में अपीलार्थीगण अपराध कारित करने का सामान्य उद्देश्य रखे हुए थे तथा वे विभिन्न हथियारों से लैस होकर विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य थे एवं इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सभी अपीलार्थीयों का अपराध कारित करने का सामान्य उद्देश्य था। यह तथ्य कि गवाह निकट संबंधी हैं, अपने आप में इन गवाहों की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि इन गवाहों द्वारा रखा गया पक्ष अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा पूर्णत: सम्पोषित है।

18. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं का यह निवेदन है कि घटना का समय रात्रि के 7 बजे अपराह्न होने से तथा उस दिन के पंचांग द्वारा यह दर्शाये जाने से कि चंद्रमा का उदय रात्रि के दो बजे पूर्वाह्न में हुआ था तथा इस प्रकार घटना स्थल पर प्रकाश का कोई स्रोत नहीं हो सकता था, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अपील में निर्णय स्पष्टत: दर्शाता है कि उस दिन, अर्थात्, 30.5.1989 का पंचांग स्पष्टत: दर्शाता था कि उस दिन सूर्यास्त 6.44 बजे अपराह्न में हुआ था तथा घटना इसके बाद 7 बजे अपराह्न में घटित हुई थी। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपने निर्णय में इस प्रश्न पर विचार किया है ऐसा

कथित करते हुए कि मात्र इस कारण कि गवाहों में से कुछ ने कथित किया था कि 7 बजे अपराह्न में चंद्रमा का प्रकाश था, उनके परिसाक्ष्य को मात्र इसी आधार पर खंडित नहीं किया जा सकता है। इस तथ्य की दृष्टि में कि सूर्यास्त 6.44 बजे अपराह्न में हुआ था, 7 बजे अपराह्न में पर्याप्त प्रकाश रहा होगा क्योंकि सूर्यास्त के बाद पूर्ण अंधेरा होने में पर्याप्त समय लगता है। घटना सूर्यास्त होने के लगभग तुरंत बाद ही घटित हुई थी। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी प्रकट है कि घटना स्थल गांव की सड़क है तथा सड़क के किनारे, गांव के घर थे तथा इस प्रकार यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि घटना के स्थान पर तथा समय प्रकाश का कोई स्रोत नहीं होगा। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य स्पष्टतः दर्शाता है कि दोनों पक्षकार निकट संबंधी हैं तथा तद्नुसार, वह घटना के समय आवश्यक रूप से अच्छी तरह पहचाने गये होंगे जब उनके बीच झगड़ा चल रहा था। अभिलेख पर उपलब्ध इन सामग्रियों की दृष्टि में, हमारी सुविचारित राय है कि घटना के समय अपीलार्थीगण के शिनाख्त पर संदेह नहीं किया जा सकता है।

19. हम यह भी पाते हैं कि दांडिक अपील सं॰ 86 वर्ष 1992 में एकमात्र अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के इस निवेदन में कोई आधार नहीं है कि घटना के समय अपीलार्थी किशोर था। स्वीकार्यतः, चूँकि 30.5.1989 को घटना घटित हुई थी, अपीलार्थी किशोर न्याय अधिनियम, 1986 द्वारा निर्देशित होगा जिसके अनुसार 16 वर्ष से कम आयु के लड़के को किशोर के रूप में माना जायेगा। अवर न्यायालय के अभिलेख दर्शाते हैं कि कुछ गवाहों की परीक्षा के उपरान्त विचारण के अनुक्रम में अपीलार्थी रंजीत कुमार साह द्वारा किशोरावस्था का अभिवचन लिया गया था। अपीलार्थी की किशोरावस्था के बारे में विचारण न्यायालय द्वारा सम्यक् जांच पड़ताल की गयी थी तथा दिनांक 19.8.1991 के आदेश द्वारा, जांच में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह पाया गया था कि अपीलार्थी रंजीत कुमार साह घटना के दिन 16 वर्ष से अधिक आयु का था। इस आदेश को किसी उच्चतर न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा कभी भी चुनौती नहीं दी गयी थी तथा, तद्नुसार, आदेश अपनी अंतिमता प्राप्त कर चुका था। अब इस चरण में इस अभिवचन को ग्रहण नहीं किया जा सकता है।

20. पूर्वोल्लिखित परिचर्चाओं की दृष्टि में, हम भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 148, 302 तथा 324 के अधीन अपराधों के लिए अपीलार्थी रंजीत कुमार साह की दोषसिद्धि करते हुए तथा इसके लिए यथा पूर्वोक्त उसे दंडादेश सुनाते हुए अवर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई अवैधानिकता नहीं पाते हैं। इस अपीलार्थी की उचित रूप से समुचित सरकार द्वारा किसी स्वीकृति के अभाव में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्धि नहीं की गयी है। हम यह भी पाते हैं कि शेष अपीलार्थीगण की भी भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147 तथा 302 सह-पठित धारा 149 के अधीन अपराधों के लिए उचित रूप से दोषसिद्धि एवं दंडादेश किया गया है तथा इनके लिए उचित रूप से दंडादेश सुनाया गया है।

21. इस प्रकार, सत्र केस सं॰ 64 वर्ष 1990 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, गोड्डा द्वारा पारित दिनांक 16.3.1992 के दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय तथा दिनांक 23.3.1992 के दंडादेश एतद्द्वारा अभिपुष्ट किये जाते हैं। परिणामस्वरूप, अपीलार्थीगण के जमानत बंध पत्र एतद्द्वारा रद्द किये जाते हैं तथा अवर विचारण न्यायालय को दंडादेश भुगतने के लिए अपीलार्थीगण के आत्मसमर्पण/प्रस्तुतिकरण को बाध्यकर बनानेवाली आदेशिकाओं को निर्गत करने का निर्देश दिया जाता है।

22. तद्नुसार, ये दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं। अवर न्यायालय के अभिलेखों को आवश्यक कार्रवाई के लिए इस निर्णय के प्रतिलिपि के साथ तत्काल वापस भेजा जाय।

डॉ॰ एस॰ एन॰ पाठक, न्यायमूर्ति.–मैं सहमत हूँ।

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

प्रदीप मलिक

cuke

देब कुमार बनर्जी एवं अन्य

W.P. (C) No. 3989 of 2012. Decided on 16th August, 2016.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 21 नियम 29—निष्पादन का स्थगन–जो न्यायालय आदेश 21 नियम 29 के अधीन शक्ति का इस्तेमाल करने में सशक्त है, वह न्यायालय है जहाँ वाद तथा निष्पादन कार्यवाहियाँ दोनों लंबित है–उक्त प्रावधान के अधीन दाखिल आवेदन कोई अन्य न्यायालय ग्रहण नहीं कर सकता है–न्यायालय के पास स्थगन प्रदान करने का विशेषाधिकार है–स्थगन एक अधिकार के तौर पर प्रदान नहीं किया जा सकता है। (पैरा 6)

निर्णयज विधि.–AIR 1982 SC 686—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Bibhash Sinha, For the Petitioner; M/s S.K. Ughal, S.K. Samanta, Rama Kant tiwari, Shilendra Kumar Singh & Debarsi Mondal, For the Respondents.

न्यायालय द्वारा.–भारत के संविधान के अनुच्छेद 277 के अधीन इस न्यायालय की असाधारण अधिकारिता का अवलम्ब लेते हुए, डिक्री धारकों में से एक ने निष्पादन केस सं॰ 01 वर्ष 2001 में सिविल न्यायाधीश (कनीय डिविजन) (मुंसिफ), गिरीडीह द्वारा पारित दिनांक 05.04.2012 के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय का आश्रय लिया है, जिस आदेश द्वारा तथा जिसके अधीन सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में ''संहिता'') के आदेश XXI नियम 29 सह–पठित धारा 151 के अधीन डिक्री धारक याची में से एक द्वारा दाखिल याचिका अस्वीकार कर दी गई है।

2. इस रिट आवेदन के दाखिले को सामने लाने वाले सुसंगत तत्व संक्षेप में ये हैं कि याची की माता तथा वर्तमान प्रत्यर्थी सं॰ 1 एवं 2 ने सह–अंशधारी होने के नाते वर्तमान प्रत्यर्थी सं॰ 3 एवं 5 के विरुद्ध निष्कासन वाद सं॰ 52 वर्ष 1990 दाखिल किया था परन्तु दिनांक 24.5.1999 के निर्णय तथा डिक्री के तहत इसे खारिज कर दिया गया था। तत्पश्चात, उन्होंने जिला न्यायाधीश एक गिरिडीह के समक्ष एवं निष्कासन अपील निष्कासन अपील सं॰ 02 वर्ष 1999 दाखिल किया था तथा इसे दिनांक 24 मई, 1999 के निर्णय एवं डिक्री द्वारा अनुज्ञात कर दिया गया था एवं मुंसिफ के न्यायालय का निर्णय अपास्त कर दिया गया था। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर, वर्तमान प्रत्यर्थी सं॰ 3 से 5 ने इस न्यायालय के समक्ष एक द्वितीय अपील दाखिल किया था तथा इसके खारिज किए जाने के उपरांत, माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एस॰ एल॰ पी॰ (सिविल) सं॰ 20286 वर्ष 2004 दाखिल किया गया था, इसे भी दिनांक 25.04.2008 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था। तत्पश्चात, वर्तमान प्रत्यर्थी सं॰ 3 से 5 के विरुद्ध याची की माता तथा प्रत्यर्थी सं॰ 1 एवं 2 द्वारा द्वितीय अपर मुंसिफ, गिरीडीह के न्यायालय में निष्कासन केस सं॰ 01 वर्ष 2001 दाखिल किया गया था। यहाँ यह उल्लिखित करना समीचीन है कि याची की माता ने अपने जीवन–काल के दौरान यह आशंका करते हुए कि अन्य डिक्री–धारक जो उसके भाई हैं, संयुक्त संपत्ति हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, अपने हिस्से के बंटवारे के लिए अधीनस्थ न्यायाधीश, गिरीडीह के न्यायालय मे एक विभाजन वाद विभाजन–वाद सं॰ 61 वर्ष 2009–दाखिल किया था परन्तु चूँकि मामलों के लम्बित रहने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी इस याची तथा उसकी दो बहनों को निष्पादन मामले में तथा विभाजन मामले में भी प्रतिस्थापित किया गया था तथा तत्पश्चात विभाजन वाद सं॰ 61 वर्ष 2009 के लम्बित रहने की दृष्टि में निष्पादन मामले की आगे की कार्यवाही को स्थगित करने के आग्रह के साथ इस याची ने निष्पादन केस सं॰ 01 वर्ष 2001 में संहिता की धारा 151 के साथ पठित आदेश 21 नियम 29 के अधीन एक आवेदन दाखिल किया था तथा विभाजन वाद के निपटाए जाने तक

निष्पादन मामले को सुसुप्तावस्था को रखने का याचिका में आग्रह करते हुए 04.05.2012 को एक अन्य याचिका भी दाखिल किया गया था परन्तु अवर न्यायालय ने दोनों पक्षकारों की सुनवाई करने के उपरांत स्थगन के उसके आग्रह को अस्वीकार कर दिया था जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है। अतएव, यह रिट हुआ है।

3. याची के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्हा ने आक्षेपित आदेश को विधि में दोषपूर्ण बताकर इसकी आलोचना करते हुए गंभीरता से तर्क दिया कि अवर न्यायालय ने निष्पादन मामले के स्थगन के लिए याची द्वारा दाखिल याचिका अस्वीकार करने में त्रुटि कारित किया था इसका मूल्यांकन किए बिना कि अन्य डिक्री-धारकों द्वारा विवादित संपत्ति के निपटाए जाने की पूरी आशंका थी। यह भी निवेदन किया गया था कि संहिता के नियम आदेश XXI के नियम 29 के अधीन शक्ति वैवेकिक है तथा न्यायालय को ऐसे अधिकार का इस्तेमाल न्यायसंगत रूप से एवं न्याय के हित में करना चाहिए परन्तु अवर न्यायालय ने इस पर विचार न करने में त्रुटि कारित किया था कि किसी पक्षकार को जिसने विधिपूर्ण डिक्री हासिल किया है, डिक्री के लाभों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

4. तत्प्रतिकूल प्रत्यर्थी सं॰ 1 एवं 2 के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने गंभीरतापूर्वक तर्क दिया कि याची, जो डिक्री-धारकों में से भी एक हैं, वर्तमान प्रत्यर्थी सं॰ 3 से 5 के साथ मिली-भगत करके विभाजन वाद की आड़ में निष्पादन मामले की कार्यवाही को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जो 2001 से लम्बित है। यह भी तर्क दिया गया कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय तक गया था तथा अब केवल एकमात्र आशय डिक्री-धारकों को डिक्री के लाभों से वंचित करना है।

5. इस रिट आवेदन में अंतर्ग्रस्त प्रश्न के उपयुक्त निर्णय के लिए संहिता के आदेश XXI नियम 29 को निर्दिष्ट करना आवश्यक है, जो निम्नवत पठित है:-

> *^^vkn'k XXI fu;e 29.* ***fMØhnkj vkj fu.khr&_.kh d chp okn yfEcr jgu rd fu"iknu dk jkdk tkuk-*** *&tgk ml 0;fDr dh vkj l] ftld fo#) fMØh ikfjr dh xbZ Fkh] dkbZ okn ,sl U;k;ky; dh fMØh d èkkjd d :i ,lh fMØh d tk ,l U;k;ky; }kjk fu"ikfnr dh tk jgh g èkkjd d fo#) fdlh U;k;ky; e yfEcr g ogk U;k;ky; çfrHkfr d ckj e ;k vU;Fkk ,l fucUèkuk ij] tk og Bhd le>] fMØh d fu"iknu dk rc rd d fy, jkd ldxk tc rd yfEcr okn dk fofu'p; u gk tk,%*
>
> *ijUr ;fn fMØh èku d lnk; d fy, g rk U;k;ky; ml n'kk e ftle og çfrHkfr vif{kr fd, fcuk mldk jkduk etj djrk g] ,lk dju d viu dkj.kk dk y[kc) djxkA**

6. पूर्वोक्त प्रावधान के कोरे परिशीलन से, यह प्रतीत होगा कि जो न्यायालय संहिता के आदेश XXI, नियम 29 के अधीन शक्ति का इस्तेमाल करने में सशक्त है, वे वह न्यायालय हैं जहां वाद तथा निष्पादन कार्यवाहियां दोनों लंबित हैं एवं पूर्वोक्त प्रावधान के अधीन दाखिल आवेदन को कोई भी न्यायालय ग्रहण नहीं कर सकता है। प्रकटतः, निष्पादन मामला सिविल न्यायाधीश (कनीय डिवीजन) (मुंसिफ) गिरिडीह के न्यायालय में लंबित है जबकि विभाजन वाद सिविल न्यायाधीश (वरीय डिवीजन) (अधीनस्थ न्यायाधीश), गिरिडीह के न्यायालय में लंबित है। द्वितीयतः, पूर्वोक्त प्रावधान स्थगन प्रदान करने के लिए न्यायालय में विवेकाधिकार निहित करता है परन्तु स्थगन एक अधिकार के तौर पर प्रदान नहीं किया जा सकता है। **कृष्ण सिंह बनाम मथुरा अहिर एवं अन्य; AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट 686** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णीत किया था कि अधिकारिता का अत्यंत सावधानी से तथा केवल विशेष मामलों में ही इस्तेमाल किया जाना है। यह चौंकाने वाला है कि प्रस्तुत मामले में डिक्री धारकों में से एक ने निष्पादन मामले के स्थगन के लिए याचिका दाखिल की है, यद्यपि अन्य दो डिक्रीधारक उक्त

याचिका के पक्षकार नहीं हैं। अन्य डिक्रीधारकों ने अवर न्यायालय में उक्त याचिका के विरूद्ध दाखिल अपनी अभ्यापत्ति में एक अभिवचन लिया है कि सभी डिक्रीधारकों ने समूची डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन किया था। यद्यपि याची की माता ने अन्य डिक्रीधारकों द्वारा वाद संपत्ति के निपटाये जाने की आशंका करते हुए विभाजित संपत्तियों में अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए एक विभाजन वाद दाखिल किया था, परन्तु इस आशंका के समर्थन में अभिलेख पर दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं है तथा याची का एकमात्र आशय उस समूचे निष्पादन मामले को बाधित कर देने का प्रतीत होता है जो 2001 से लंबित है।

7. मैंने आक्षेपित आदेश तथा अवर न्यायालय में याची द्वारा दाखिल याचिका का अवलोकन किया है एवं मैं पाता हूँ कि अवर न्यायालय ने मामले पर विचार करके तथा इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि मामला माननीय उच्चतम न्यायालय तक गया था तथा, तत्पश्चात्, सभी डिक्रीधारकों द्वारा निष्पादन मामला दाखिल किया गया था, उचित रूप से याची का आग्रह अस्वीकार कर दिया था। याची के लिए उपस्थित होनेवाले विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए किसी तर्कसंगत आधार को निर्दिष्ट नहीं किया है।

8. ऊपर की गयी परिचर्चाओं की दृष्टि में, इस रिट आवेदन को किसी गुणावगुणों से रहित होने के कारण खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; ohjUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o Jh pn'k[kj] U;k;efr

एच॰ एन॰ पारीक एंड कंपनी

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

L.P.A. Nos. 311 of 2016 with I.A. Nos. 4783, 4784 with 5418 of 2016. Decided on 22nd August, 2016.

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948–धारा 45-A–ई॰ एस॰ आई॰ बकायों की दायिता–नोटिस–याची को नोटिस की तामीला पर रिट न्यायालय द्वारा अभिलिखित प्रथम दृष्टया समाधान रिट न्यायालय द्वारा की गयी सीमित पूछताछ के अनुसरण में है–याची ने पांच से अधिक वर्षों तक कोई विवरणी दाखिल नहीं किया था–अधिनियम की धारा 87 के अधीन आवेदन का लंबित रहना मात्र याची को अधिनियम के अधीन उपबंधित वैकल्पिक उपचार की अनदेखी करने के अधिकार से युक्त नहीं कर देगा–आक्षेपित आदेश में उपांतरण के साथ अपील निस्तारित। (पैराएँ 5 से 8)

निर्णयज विधि.–(2016) 4 SCC 521—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s V.P. Singh, Amit Kumar Das, Rashmi Kumari, For the Appellant; Mr. Ashok Kumar Sinha, For the Resp.-State; Mr. Ashutosh Anand, For the Resp.-ESIC; Mrs. Shruti Shresth, For the Intervenor.

श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति.–

आई॰ ए॰ संख्या 4783 वर्ष 2016

प्रस्तुत आवेदन जोर न दिये गये आवेदन के रूप में खारिज किया जाता है।

आई॰ ए॰ संख्या 4784 वर्ष 2016

अपीलार्थी–कंपनी के भोजनालय में कार्यरत एक कर्मचारी किसी सतावन कामत द्वारा यह आवेदन दाखिल किया गया है। वह अपने आप को भोजनालय में कार्यरत कर्मकारों का प्रतिनिधि होना बताता है,

तथापि, मध्यक्षेप के लिए आवेदन के साथ अन्य कर्मकारों की ओर से कोई अधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। कर्मकार रिट न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे तथा रिट याची द्वारा उठाये गये विवाद की दृष्टि में, उनकी मौजूदगी आवश्यक ही नहीं थी, तथा अतएव, वर्तमान आवेदन खारिज किया जाता है।

आई॰ ए॰ संख्या 5418 वर्ष 2016

प्रस्तुत आवेदन अनुज्ञात किया जाता है, जैसा कि आग्रह किया गया था।

संलग्न दस्तावेजों को अभिलेख पर लिया जाता है तथा वह अपील के ज्ञापन के भाग का गठन करेंगे।

एल॰ पी॰ ए॰ संख्या 311 वर्ष 2016

रिट न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी-रिट याची (इसमें इसके पश्चात् 'याची' के रूप में निर्दिष्ट) की व्यथा दिनांक 31.5.2016 के आदेश के संबंध में थी जो जुलाई, 2010 से मई, 2015, अर्थात्, 24.5.2016 तक की अवधि के लिए ब्याज के साथ ई॰ एस॰ आई॰ बकायों के रूप में 1,64,46,460/- रुपये के बराबर याची के दायित्व को प्रकट करता है। वसूली पदाधिकारी को दिनांक 31.5.2016 की संसूचना दिये जाने पर, महाप्रबंधक (ई॰ आर॰, डब्ल्यू॰ एंड सी॰ एस॰ आर॰), मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड, जमशेदपुर को पूर्वोक्त ई॰ एस॰ आई॰ बकायों को चुकता करने के लिए याची-कंपनी के खाते से 1,64,69,615/- रुपया प्रेषित करने का आदेश देते हुए दिनांक 14.6.2016 का आदेश पारित किया गया था। कर निर्धारण का आदेश 17.8.2015 को पारित किया गया था।

2. याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री वी॰ पी॰ सिंह रिट न्यायालय के समक्ष लिये गये पक्ष को दोहराते हुए निवेदन करते हैं कि याची-कंपनी की सुनवाई किये बिना कर्मचारी राज्य बीमा निगम, 1948 की धारा 45-A के अधीन प्रत्यर्थी-निगम द्वारा आदेश पारित किया गया है। यह निवेदन किया गया है कि उस अंशदान, जिसका याची-कंपनी को दायी बनाया गया है, का अंतिम अभिनिर्धारण करने के पहले निगम के पदाधिकारी द्वारा कोई नोटिस निर्गत नहीं किया गया था। WP(C) संख्या 6970 वर्ष 2006 तथा WP (C) संख्या 122 वर्ष 2010 में पारित आदेशों को निर्दिष्ट करते हुए, विद्वान वरीय अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि 1948 के अधिनियम की धारा 87 के अधीन दाखिल याची के आवेदन का निर्णय किये जाने के पहले, धारा 45-A के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। तत्प्रतिकूल, प्रत्यर्थी-कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विद्वान अधिवक्ता श्री आशुतोष आनंद WP (C) संख्या 3358 वर्ष 2016 में पारित दिनांक 4.7.2016 के आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए निवेदन करते हैं कि डिस्पैच पंजियों इत्यादि को पेश करके निगम द्वारा याची द्वारा लिये गये ''कोई नोटिस नहीं'' के अभिवचन पर गंभीर रूप से विवाद किया गया है। यह निवेदन किया गया है कि रिट न्यायालय द्वारा प्रदत्त एक सीमित संरक्षण के बावजूद, याची कई वर्षों के खाते प्रदान करने में विफल रहा था तथा, वस्तुतः, याची द्वारा दाखिल छूट का आवेदन उस समूची अवधि को आच्छादित नहीं करता है, जिसके लिए धारा 45-A के अधीन आदेश पारित किया गया है।

3. जहां तक याची द्वारा लिये गये इस अभिवचन का संबंध है कि उसे किसी नोटिस का तामीला नहीं कराया गया था, हम पाते हैं कि प्रत्यर्थी-निगम द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत विभिन्न दस्तावेजों को ध्यान में लेते हुए, विद्वान रिट न्यायालय ने धारा 45-A के अधीन आदेश पारित किये जाने के पहले याची को नोटिस तामीला कराये जाने के संबंध में प्रथम दृष्टया समाधान अभिलिखित किया था। विद्वान रिट न्यायालय ने निम्नांकित शब्दों में इस मुद्दे पर विचार किया है:-

> *5. ^^iR;Fkh&fuxe d fo}ku vfèkoDrk viu 'kiFk i= dh vroLrvk dk fufn"V djr gA rF;k dh Øekoyh dk U;k;ky; dk voykdu djkr g,] ;g dfFkr fd;k x;k g fd ;kph u viu lEijd 'kiFk i= e ml v'knku dk Hkxrku dju dh ekx dju oky fnukd 17.6.2015 d i= dk ikIr djuk Lohdkj fd;k g] tk ml d lEijd 'kiFk i= dk ifjf'k"V 14 gA iR;Fkh&fuxe d fo}ku vfèkoDrk u*

> *fnukd 20.7.2015 d i=k] ifjf'k"V A J[kyk rFkk b0 , l0 vkb0 lh0 vfèkfu;e] 1948 dh èkkjk 45-A d vèkhu ikfjr fnukd 17.8.2015 d vkdyu d vkn'k] ifjf'k"V B J[kyk dh ;kph dk rkehyk u djk; tku l lcfèkr rd dk [kfMr dju dh bl Ik dh g fMLip i th rFkk m l l lyXu jftLVh dh j lhnk d v'kk dk fufn"V djd ftud vèkhu bUg ;kph dk Hk tk x;k FkkA ;g Hkh fufn"V fd;k x;k g fd bu i=k dk u doy ;kph dk cfYd mld vU; lk>nkjk dk Hkh Hk tk x;k FkkA vr,o] ;kph vkdyu dk;okgh l vufHkK jgu dk cgkuk ugh dj ldrk gA fnukd 25.5.2016 d i=] ifjf'k"V C dk Hkh fufn"V fd;k x;k g] tk b0 , l0 vkb0 lh0 vfèkfu;e] 1948 dh èkkjk 45-C l 45-I d vèkhu olyh dk;okgh ikjHk dju d lcèk e g tk ;kph rFkk vU; lk>nkjk dk ifrfyfi Hktr g, fuxe d lgk;d fun'kd }kjk olyh inkfèkdkjh dk lckfèkr FkkA mud vulkj] m l l lyXu if"kr i= d v'k d vulkj mDr i= ;kph dk Hkh Hk tk x;k FkkA iR;FkhZ&fuxe d fo}ku vfèkoDrk ;g Hkh fuonu djr g fd b0 , l0 vkb0 ikfèkdj.k }kjk lkfofèkd nkf;Rok d fu"iknu e dk;dyki d lkekU; vuØe e lèkkfjr bu nLrkotk dk iFke n"V;k ukfVl d rkehyk d :i e ekuk tkuk pkfg, D;kfd fu;ferrk dh mièkkj.kk vkfèkdkfjd dk;okgh l tMh gkrh g ----***

4. वर्तमान कार्यवाही में याची द्वारा प्रस्तुत सामग्रियों तथा रिट न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन करने के उपरान्त, हम विद्वान रिट न्यायालय के रवैये में याची के इस अभिवचन को अस्वीकार करते समय कोई दुर्बलता नहीं पाते हैं कि उसे किसी नोटिस का तामीला नहीं कराया गया था। याची को नोटिस तामीला कराये जाने का रिट न्यायालय द्वारा अभिलिखित प्रथम दृष्टया समाधान रिट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्रियों के आधार पर रिट न्यायालय द्वारा की गयी एक सीमित पूछताछ के अनुसरण में है।

5. याची द्वारा लिया गया यह अभिवचन भी अस्वीकार किये जाने का दायी है कि धारा 87 के अधीन उसके आवेदन के लंबित रहने के दौरान, धारा 45-A के अधीन अंतिम अभिनिर्धारण नहीं किया जा सकता था। याची द्वारा लिया गया यह अभिवचन कि प्रधान नियोक्ता, अर्थात्, मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड कर्मचारीगण को बेहतर सुविधायें उपलब्ध करा रहा है तथा अतएव, यह कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन दायी नहीं है, ये ऐसे मुद्दे हैं जो धारा 45A के अधीन आदेश पारित करने में निगम की शक्ति अल्पीकृत नहीं करते हैं। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याची ने पांच से अधिक वर्षों तक विवरणी दाखिल नहीं किया था। प्रत्यर्थी–निगम ने ऐसा अभिवचन लिया है कि छूट का आवेदन प्रत्येक वर्ष दाखिल किया जाना आवश्यक होता है तथा वह भी समय रहते जिसे याची द्वारा नहीं किया गया था क्योंकि 2007 से 2012 तक की अवधि के लिए छूट का आवेदन वर्ष 2012 में दाखिल किया गया था तथा पश्चाती अवधि के लिए भी इसे समय के अंदर दाखिल नहीं किया गया है तथा अतएव, धारा 87 के अधीन इसके आवेदन का मात्र लंबित होना धारा 45A के अधीन अभिनिर्धारण पर कोई वर्जन नहीं था।

6. इस चरण में, हम धारा 87 के अधीन याची द्वारा दाखिल आवेदन के गुणावगुणों पर टिप्पणी करने से दूर रहते हैं, तथापि, हमारी राय है कि पूर्वोक्त आवेदन का मात्र लंबित रहना याची को अधिनियम के अधीन उपबंधित वैकल्पिक उपचार की अनदेखी करने के अधिकार से युक्त नहीं कर देगा। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उद्देश्य पर विचार करते हुए जिसे **रोयाल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लिमिटेड बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं अन्य, (2016) 4 SCC 521** में उच्चतम न्यायालय

द्वारा पुनः दोहराया गया है; ''यह अधिनियम एक कल्याणकारी विधान है तथा इसके इस प्रकार व्याख्या किये जाने की आवश्यकता है जिससे कि कर्मचारीगण को लाभों का प्रदान किया जाना सुनिश्चित हो सके तथा उन्हें इनसे वंचित नहीं किया जाय जो अधिनियम के अधीन उपलब्ध हैं'', याची को आवश्यक रूप से अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित वैकल्पिक उपचार का इस्तेमाल करना चाहिए।

7. याची को वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने के आधार पर मुख्यतः रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था। हमारी राय है कि अपीलीय प्राधिकार के समक्ष, याची और भी ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है यह दर्शाने के लिए कि वस्तुतः धारा 45A के अधीन एक आदेश पारित किये जाने के पहले उसे कोई प्रभावी अवसर प्रदान नहीं किया गया था। दिनांक 4.7.2016 के आक्षेपित आदेश से, यह प्रतीत होता है कि याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता के आग्रह पर, रिट न्यायालय ने याची को 4.7.2016 से दो सप्ताह की अवधि के भीतर अपील दाखिल करने की अनुमति दी थी तथा दो सप्ताह की ऐसी अवधि के लिए प्रत्यर्थीगण को बकायों की वसूली के लिए बाध्यकर उपाय करने से रोक दिया गया था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदन में आकलन के वर्ष उस अवधि के एक भाग को आच्छादित करते हैं जिसके लिए छूट के आवेदन दाखिल किये गये हैं, हम विद्वान रिट न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उपांतरित करने के इच्छुक हैं इस सीमा तक कि 29.8.2016 से अगले आठ सप्ताहों के लिए याची-कंपनी के विरूद्ध कोई बाध्यकर कदम नहीं उठाये जायेंगे, जब पक्षकार प्रत्यर्थी संख्या 1 के समक्ष हाजिर होंगे, तथा प्रत्यर्थी सं॰ 1 चार सप्ताह के भीतर याची-कंपनी द्वारा दाखिल आवेदन/आवेदनों पर एक अंतिम निर्णय लेंगे।

8. मामले के पूर्वोक्त पहलूओं पर विचार करके यह स्पष्ट किया जाता है कि याची द्वारा धारा 87 के अधीन दाखिल छूट के आवेदनों के परिणाम पर अपील में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया जायेगा, जिसे प्रत्यर्थी सं॰ 1 द्वारा धारा 87 के अधीन आदेश पारित किये जाने के उपरान्त चार सप्ताह के भीतर याची द्वारा दाखिल किया जायेगा। दिनांक 4.7.2016 का आक्षेपित आदेश पूर्वोक्त उपांतरण के साथ अभिपुष्ट किया जाता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

श्री सी॰ एच॰ बप्पा राव उर्फ सी॰ एच॰ बप्पा राय एवं अन्य

cuke

भारतीय स्टील एण्ड वायर प्रोडक्ट लि॰

W.P. (L) No. 1092 of 2014. Decided on 26th July, 2016.

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947—धारा 33-C (2)—पारिश्रमिक की गणना एवं भुगतान–श्रम न्यायालय, धारा 33-C (2) के अधीन अपनी शक्ति के इस्तेमाल में इस विधिक मुद्दे पर निर्णय नहीं कर सकता था कि कारखाने का बंद किया जाना अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हुआ था या नहीं–धारा 33-C (2) को एक निष्पादन कार्यवाही कहा जा सकता है–तथापि, जहाँ पक्षकारों में से कोई भी बन्दोबस्त तथा अधिनिर्णय के निबंधनों पर विवाद करता है, श्रम न्यायालय उसपर निष्कर्ष देने से बाधित नहीं है। (पैरा 11)

निर्णयज विधि.–(2005) 8 SCC 58—Relied; AIR 1964 SC 743—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s Anubha Rawat Choudhary, Girish Mohan Singh, For the Petitioners; None, For the Respondents.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. याचीगण, जिनकी संख्या 36 है, ने अपने मासिक वेतन, महंगाई भत्तों तथा दिनांक 1 अप्रील, 1998 से 19 दिसम्बर, 2003 तक की अवधि के लिए विपक्षी/नियोक्ता के यहाँ बकाया अन्य भत्तों की गणना के लिए तथा यथा प्रगणित राशि का भुगतान करने के लिए पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, जमशेदपुर के समक्ष एम॰ जे॰ मामले संस्थित किए थे।

3. पक्षकारों के प्रतिद्वंदी अभिवचनों पर विद्वान न्यायालय द्वारा चार मुद्दे विरचित किए गए थे, जो निम्नवत हैं:-

"(i) D;k vkondk u fnukd 1.4.1998 l 19.12.2003 rd dh vofèk d nkjku foi{kh d fu;ktu d vèkhu viu dk; LFky ij dk; fd;k Fkk

(ii) D;k fnukd 1.4.1998 l 19.12.2003 rd dh vofèk d nkjku dEiuh e dk; dh vLFkk;h cnh@fuyEcu gvk Fkk

*(iii) D;k vLFkk;h cnh] vxj dkbZ gk] ^^dk; ugh rk oru ugh** d fofèkd fl)krk dk ykx fd, tku ij dEiuh d cnh vofèk d fy, i.k ikfjJfed çkIr dju d vkondk dh gdnkjh e dkbZ fofèkd vMpu mRiUu djrh g*

(iv) D;k bl lk fd, x, vurk"k d fy, vk0 fo0 vfèk0 dh èkkjk 33-C (2) d vèkhu vkondk@dedkjk d vkonu ik"k.kh; g

4. आवेदकों ने केवल एक गवाह को परीक्षित किया था, जिसने सभी आवेदकों की ओर से अभिसाक्ष्य दिया था तथा अभिवचनों का समर्थन किया था ऐसा कथित करते हुए कि दिनांक 1 अप्रील, 1998 से 19 दिसंबर, 2003 तक की अवधि के दौरान नियोक्ता द्वारा उनके अपने-अपने वेतन तथा भत्तों के केवल 40% का भुगतान किया गया है। उन्होंने प्रदर्शों के रूप में कतिपय दस्तावेजों को भी प्रस्तुत किया था।

5. विपक्षी-नियोक्ता ने दो गवाहों को परीक्षित किया था, जिन्होंने अभिसाक्ष्य दिया था कि प्रश्नाधीन अवधि के दौरान कारखाना बन्द कर दिया गया था इस तथ्य के कारण कि विद्युत आपूर्ति के विपत्र के भुगतान न किए जाने से विद्युत आपूर्ति काट दी गई थी। बाद में कम्पनी को टाटा स्टील लि॰ द्वारा अंगीकृत कर लिया गया था। कम्पनी को रुग्ण घोषित कर दिया गया था तथा वह बिजली का भुगतान करने में विफल रही थी, जिसके कारण विद्युत आपूर्ति रोक दी गई थी तथा कम्पनी को दिनांक 20.12.2003 के प्रभाव से टाटा स्टील लि॰ द्वारा अंगीकृत किए जाने तक बंद कर दिया गया था। केवल JEMCO डिवीजन कार्यरत था। विद्युत आपूर्ति उपलब्ध न होने से प्रश्नाधीन अवधि के दौरान कोई विनिर्माण गतिविधि सम्भव नहीं हो सकी थी। टाटा स्टील कं॰ ने दिनांक 1.1.1999 से 31 मार्च, 1999 तक तीन महीनों की अवधि के लिए परिचालनात्मक गतिविधि का एक ट्रायल रन किया था। उस अवधि के दौरान, कर्मचारीगण को उनके पूर्ण पारिश्रमिक का भुगतान किया गया था। बंदी की अवधि के दौरान, कर्मकारों को उनके अपने-अपने पारिश्रमिक का 40 से 50% हिस्से का भुगतान किया गया था तथा भुगतान के प्रमाण में उन्हें एक पर्ची निर्गत की गई थी। किसी भविष्य निधि कोष की कटौती नहीं की गई थी। इसने अभिवचन किया था कि कार्य नहीं तो वेतन नहीं के सिद्धान्त पर कर्मकार पूर्ण पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगे नियोक्ता ने यह भी कथित किया कि अगर अस्थायी बंदी को गैर न्याय संगत घोषित किया जाता है, विपक्षी को कर्मकारों को मासिक पारिश्रमिक की शेष राशि का भुगतान करना पड़ेगा। विपक्षी-नियोक्ता द्वारा कई प्रदर्शों को भी प्रस्तुत किया गया था।

6. विद्वान श्रम न्यायालय, जमशेदपुर पक्षकारों के प्रतिद्वंदी अभिवचनों तथा साक्ष्य पर विचार करके मुद्दा संख्या (i) एवं (ii) पर इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि ISWPL में विनिर्माण गतिविधियाँ बिल्कुल बंद रही थी तथा कोई उत्पादन ही नहीं हुआ था। विपक्षी ने सफलतापूर्वक सिद्ध किया था कि विद्युत आपूर्ति

के असंयोजन के कारण, मशीनों का परिचालन नहीं किया जा सका था। अतएव, आवेदक ऐसा सिद्ध करने में विफल रहे थे कि उन्होंने 1 अप्रील, 1998 से 19 दिसंबर, 2003 तक की अवधि के लिए कार्य किया था एवं कम्पनी में विनिर्माण गतिविधियों में भाग लिया था। परिणामस्वरुप, मुद्दा सं॰ (i) एवं (ii) को कर्मकार/आवेदकों के विरुद्ध, नियोक्ता के पक्ष में निर्णीत किया गया था। मुद्दा सं॰ (iii) के सम्बन्ध में, विद्वान श्रम न्यायालय ने पाया था कि कर्मकार 'कार्य नहीं तो वेतन नहीं' के विधिक सिद्धान्त पर प्रश्नाधीन अवधि के लिए अपना वेतन पाने का हकदार नहीं थे। विद्वान श्रम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि प्रस्तुत मामले में विनिर्माण कार्य का निलंबन औ॰ वि॰ अधि॰ की धारा 2 (L) के अधीन तालाबंदी के समतुल्य अस्थायी बंदी की परिभाषा के भीतर आएगा तथा इसके भी निर्णयन की आवश्यकता थी। नियोक्ता ने कर्मकारों को कार्य प्रदान करने से इनकार नहीं किया था। विद्युत आपूर्ति के अभाव में परिचालन मशीन के कार्यरत न रहने के कारण कर्मकार कार्य का निर्वहन नहीं कर सके थे। श्रम न्यायालय ने निर्णीत किया था कि यह इस तथ्यपरक उपधारणा पर विधिक रूप से कार्यवाही नहीं कर सकता है कि अस्थायी बंदी अवैधानिक थी। अतएव, इसने निर्णीत किया था कि इसे प्रश्नाधीन अवधि के लिए कर्मकारों के आंशिक वेतन के परिकलन के लिए औ॰ वि॰ अधि॰ की धारा 33-C(2) के अधीन आवश्यक रूप से अपनी अधिकारिता का इस्तेमाल करने से दूर रहना है। इसने यह भी सम्परीक्षित किया था कि औ॰ वि॰ अधि॰ की धारा 33-C (2) के अधीन प्रावधान विद्यमान या पूर्व निर्णीत अधिकारों के निष्पादन के स्वरुप में है। यहाँ यह पाया गया था कि प्रश्नाधीन अवधि के लिए पूर्ण वेतन पाने की कर्मकारों की हकदारी प्रथम दृष्टया विधिक विवादों तथा संदेहों की श्रृंखला के आवरण के अधीन आच्छादित है, जो औ॰ वि॰ अधि॰ की धारा 33-C(2) के अधीन अधिकारिता का इस्तेमाल करने वाले न्यायालय की विधिक सक्षमता से परे है। मुद्दा सं॰ 3 भी कर्मकारों के विरुद्ध निर्णीत किया गया था।

7. विद्वान श्रम न्यायालय मुद्दा सं॰ (iv) के सम्बन्ध में इसी निष्कर्ष पर पहुँचा था कि जबतक की तालाबंदी के समतुल्य अस्थायी बंदी की वैधानिकता के ऐसे प्रश्न का सम्यक् रूप से निर्णय नहीं किया जाता है, इसे औ॰ वि॰ अधि॰ की धारा 33-C (2) के अधीन अपनी शक्ति तथा अधिकारिता का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो पूर्व विद्यमान तथा पूर्व निर्णीत अधिकारों पर निष्पादन कार्यवाहियों के स्वरुप में हैं। तद्नुसार, दिनांक 27 अप्रील, 2013 के आक्षेपित आदेश द्वारा आवेदनों को खारिज कर दिया गया था।

8. याचीगण के अधिवक्ता ने ऐसा तर्क रखने के लिए कठिन प्रयास किए हैं कि प्रश्नाधीन अवधि के लिए पारिश्रमिक की गणना हेतु आवेदन को ग्रहण करने में तथा कर्मकारों को उनका भुगतान करने का निर्देश देने में बिल्कुल अपने अधिकारिता के भीतर था क्योंकि कार्यवाही के अनुक्रम में निपटे गए विवादाधीन तथ्य अस्थायी बंदी को वैधानिक बंदी के रूप में न्यायसंगत ठहराने के लिए नियोक्ता की ओर से विधिक रूप से समर्थनीय मामला नहीं बनाया था। प्रश्नाधीन अवधि के लिए कारखाने को बंद करने की वैध अनुमति के अभाव में, कर्मकारों को जिन्होंने समूची अवधि के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, प्रश्नाधीन अवधि के पूर्ण पारिश्रमिक से वंचित नहीं किया जाएगा, यद्यपि नियोक्ता ने पारिश्रमिक के लगभग 40% का भुगतान किया था।

9. AIR 1964 SC 743 में रिपोर्ट किए गए **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम पी॰ एस॰ राजगोपालन** के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया गया है यह निवेदन करने के लिए कि पारिश्रमिक के दावे से सम्बन्धित प्रश्नों पर निर्णय करने के लिए धारा 33-C (1) तथा 33-C (2) के निबंधनों में श्रम न्यायालय की अधिकारिता अधिक व्यापक है, जो दावा सटीक रूप से किसी अधिनिर्णय या समाधान के आधार पर नहीं भी हो सकता है।

10. मैंने अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचनों के आलोक में याचीगण के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन पर विचार किया है तथा आक्षेपित आदेश का परिशीलन किया है।

11. इसमें याचीगण द्वारा संस्थित एम॰ जे॰ मामले की कार्यवाही के अनुक्रम में निपटे गए तथ्यों के सार में, यह निश्चित रूप से सामने आया है कि नियोक्ता की ओर से बिजली बिल का भुगतान करने

में विफल होने के कारण विद्युत आपूर्ति काट दिए जाने के आधार पर इकाई अस्थायी रूप से बंद रही थी। यह भी सामने आया है कि कम्पनी रुग्ण थी तथा बाद में टाटा स्टील लि॰ द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया था तथा परिचालनात्मक बनाया गया था। इन सारे आवेदकों को भी विलयित कम्पनी द्वारा अधिगृहित किया गया था एवं वे नौकरी में बने रहे थे। विनिर्माण गतिविधि के निलम्बन की समूची अवधि अर्थात्, 1 अप्रील, 1998 से 19 दिसंबर, 2003 तक के पारिश्रमिक के लिए याचीगण का दावा इस आख्यापन पर आधारित है कि उक्त अवधि के लिए कम्पनी की विनिर्माण गतिविधि बंद करने में नियोक्ता औचित्य पर नहीं था तथा यह कि कर्मकारों ने सम्यक् रूप से अपने दायित्वों को पूरा किया था एवं अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। तथापि, साक्ष्य के अनुक्रम में प्रस्तुत तथा अभिवचन किए गए तात्विक तथ्यों के समूचे ताने–बाने में जिसकी अनदेखी नहीं की जानी है वो यह है कि नियोक्ता की ओर से कम्पनी के उत्पादन को बंद किए जाने का मुद्दा ही विधिक था या नहीं, व्यथित कर्मकारों द्वारा उठाये गए किसी औद्योगिक विवाद पर औ॰ वि॰ अधि॰ के अधीन प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल में श्रम न्यायालय के समक्ष किए गए संदर्भ पर एक स्वतंत्र निर्णयन पर निर्भर है। ऐसे निर्णय के पक्षकारों के पक्ष में या अन्यथा होने पर निर्भर रहते हुए इसके परिणाम सामने आएंगे। श्रम न्यायालय धारा 33-C (2) के अधीन अपनी शक्ति के इस्तेमाल में इस वैधानिक मुद्दे का निर्णय नहीं कर सकता था कि क्या कारखाने की बंदी नियोक्ता के नियंत्रण से बाहर अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हुई थी या अन्यथा विधि में अनुज्ञेय थी। कारखाने की अस्थायी बंदी की वैधानिकता से सम्बन्धित मुख्य मुद्दे पर ऐसा निर्णय औ॰ वि॰ अधि॰, 1947 की धारा 33-C (2) के अधीन किसी कार्यवाही में नहीं लिया जा सकता था तथा विचारित नहीं किया जा सकता था। धारा 33-C (2) को उस अर्थ में एक निष्पादन कार्यवाही बिल्कुल कहा जा सकता है। तथापि, एक ऐसी स्थिति में जहाँ पक्षकारों में से कोई समाधान या अनिर्णय के निबंधनों एवं शर्त्तों पर विवाद करता है, श्रम न्यायालय उस पर निष्कर्ष प्रदान करने से बाधित नहीं है, इस मुद्दे पर विचार करने के लिए कि अपने पारिश्रमिक की गणना तथा भुगतान की ईप्सा करने वाले प्रश्नाधीन कर्मकार उसके हकदार हैं या नहीं। याची द्वारा भरोसा किया गया निर्णय उस अर्थ में धारा 33-C (2) के अधीन एक कार्यवाही में श्रम न्यायालय की शक्तियों की सीमाएं अधिकथित करता है।

12. धारा 33-C (2) की व्याख्या तथा पाश्रिमिक की गणना एवं उसके भुगतान के लिए किसी दावे पर इसकी प्रयोज्यता **(2005)8 SCC 58** में रिपोर्ट किए गए **उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य बनाम ब्रिजपाल सिंह** के मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आई थी। रिपोर्ट के पैरा सं॰ 10 एवं 12 में यथा अन्तर्विष्ट उच्चतम न्यायालय की राय निम्नवत् उत्कथित है:–

> *"10. ;g lLFkkfir g fd dkb dedkj èkkjk 33-A d vèkhu fdlh ifjokn ij ;k èkkjk 10 d vèkhu ,d lnHk ij çkfèkdj.k }kjk fu.k; fd, tkus d mijkUr gh èkkjk 33-C (2) d vèkhu dk;okgh dj ldrk g fd lok lekfIr ;k c[kkLrxh dk vkn'k U;k; lxr ugh Fkk rFkk mlus ml vkn'k dk vikLr dj fn;k gk rFkk dedkj dk iucgky dj fn;k gkA bl U;k;ky; u itkc fcojt (çk0) fy0 cuke lj'k pn d ekey e fu.khr fd;k Fkk fd èkkjk 33-C (2) d vèkhu dkb dk;okgh fu"iknu dk;okgh d Lo#i dh ,d dk;okgh gkrh g ftle Je U;k;ky; fu;kDrk l dedkjk ij cdk;k èku dh jkf'k dh x.kuk djrk g] ;k vxj dedkj ,l ykHk dk gdnkj g ftldh èku d fucèkuk e x.kuk dh tk ldrh g] èku d fucèkuk e ykHk dh x.kuk dju dh dk;okgh djrk gA vkj vkx c<r g,] bl U;k;ky; u fu.khr fd;k Fkk fd ml èku] ftldh x.kuk dh tku dh blIk dh xb g] ;k ml ykHk] ftldh x.kuk dh tku d fy, blIk dh xb g] d lEcUèk e vfèkdkj vko';d :i l fo|eku vfèkdkj gkuk g] ftldk dgu dk vFk ;g gvk fd ;g*

igy gh fu.khr ;k micfUèkr fd;k tk pdk gk rFkk vk|kfxd dedkj ,o mld fu;kDrk d chp lEcUèk d lEcUèk e rFkk mld vuØe e vko';d :i l mnHkr gkA bl U;k;ky; u fuEuor ;g Hkh fu.khr fd;k Fkk% (SCC i"B 150 ijk 4)

"èkkjk 33-C (2) d vèkhu vfèkdkfjrk dk bLreky dju oky l{ke U;k;ky; viu&vki dk fdlh vk|kfxd vfèkdj.k d çdk;k l ;Dr dju e rFkk ,l nko dk xg.k dju e l{ke ugh g tk fdlh fo|eku vfèkdkj ij vkèkkfjr ugh g ijUr ftl vfèkfu;e dh èkkjk 10 d vèkhu fdlh lnHk e mi;Dr :i l fdlh vk|kfxd fookn dh fo"k; oLr cuk;k tk ldrk gA**

12. Hkkjrh; LVV cd cuke jkepUn nc d ekey e bl fuEuor fu.khr fd;k Fkk% (SCC i"B 7778, ijk 7)

"7. tc fdlh vk|kfxd vfèkdj.k dk u doy bl lEcfUèkr ç'u dk fu.k; dju d fy, lnHk fd;k tkrk g fd fdlh dedkj dh lok lekflr U;k;lxr g ;k ugh] cfYd mi;Dr vurk"k çnku dju d fy, Hkh lnHk fd;k tkrk g] ble bl ç'u dh tkp lfEefyr gkxh fd iucgkyh i.k ;k vkf'kd fdlh fiNy ikfjJfed d lkFk gkuh pkfg, ;k fdlh Hkh ikfjJfed d cxjA vfèkdj.k d le{k i'k fd, x, lk{; ij fuHkj ,lk ç'u rF; dk ç'u gA vxj fu;ktu d lekIr gk tku d mijkUr] dedkj dgh vkj ykHkçn :i l fu;kftr g] ;g fopkj fd, tku oky dkjdk e l ,d dkjd g bl fopkj l ckgj dju e fd iucgkyh fiNy i.k ikfjJfed d lkFk ;k fu;ktu d lkrRo d lkFk gkuk pkfg, ;k ugh ,l ç'u dh ,d lnHk e gh lefpr :i l ijh{kk dh tk ldrh gA tc vfèkfu;e dh èkkjk 10 d vèkhu dkb lnHk fd;k tkrk g] mll mnHkr lkj vku"kfxd ç'uk dk vfèkdj.k }kjk vfHkfuèkkfjr fd;k tk ldrk g rFkk bl fof'k"V ekey e] dedkjk dk çnku fd, tku oky vurk"k d Lo#i d lEcUèk e vfèkdj.k dk ,d fofufn"V ç'u fufn"V fd;k x;k gA**

13. वर्तमान मामले के तथ्यों में तथा विद्वान श्रम न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों पर विचार करके, यह नहीं कहा जा सकता है कि आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में अनुचितता से ग्रस्त है या इसने धारा 33-C (2) के अधीन पारिश्रमिक के भुगतान के लिए आवेदनों में किए गए आग्रह को ठुकराते हुए इसने कोई अधिकारिता की त्रुटि कारित की है। ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान श्रम न्यायालय, जमशेदपुर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई वैधानिक दुर्बलता नहीं पाई जा सकती है। अतएव, यह न्यायालय, न्यायालय की रिट अधिकारिता के इस्तेमाल में आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई आदेश नहीं पाता है।

14. तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है। परिणामस्वरुप, आई० ए० सं० 4279 वर्ष 2016 भी निस्तारित किया जाता है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k;] U;k;efr

श्रीमती गीता देवी एवं अन्य

cuke

श्रीमती शोभा अग्रवाल एवं अन्य

Second Appeal No. 61 of 2004. Decided on 5th August, 2016.

अभिधान अपील सं० 4 वर्ष 2000 में प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा पारित एवं हस्ताक्षरित दिनांक 24.11.2003 के निर्णय एवं दिनांक 15.12.2003 के डिक्री के विरुद्ध।

(क) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882—धारा 53A—भागिक पालन—धारा 53A के अधीन अंतर्विष्ट संरक्षण तथ्यों एवं विधि के मिश्रित प्रश्न पर विचार करता है–वादीगण वाद संपत्ति पर काबिज कभी नहीं हुए–अपीलार्थियों/प्रतिवादियों का वाद संपत्ति पर कब्जा संपुष्ट किया गया–अपीलार्थीगण धारा 53A के अधीन संरक्षण के हकदार हैं। (पैराएँ 14 से 16)

(ख) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—धारा 100—द्वितीय अपील–अभिलेख पर मौजूद तथ्यों की गलत धारणा तथा अभिवचनों एवं साक्ष्य के गैर-अधिमूल्यन पर आधारित अवर न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों पर द्वितीय अपील में विचार किया जा सकता है–घोर अन्याय से बचने के लिए न्याय के हित में प्रक्रियात्मक तकनीकियों को पतला किया जाना चाहिए। (पैरा 13)

निर्णयज विधि.–(2008) 12 SCC 796; (1969) 3 SCC 120; (2004) 8 SCC 614; (2005) 12 SCC 164; AIR 2011 SC 1653; 1968 (16) BLJR 28; AIR 1917 Patna 478; AIR 2002 HP 66; (1999) 7 SCC 303; (2003) 4 SCC 705; AIR 2002 SC 960; (2009) SCCR 944—Referred; (2013) 15 SCC 161; (1987) 2 SCC 555; (2002) 3 SCC 676; (2004) 5 SCC 88—Relied; AIR 1987 Patna 5—Distinguished.

अधिवक्तागण.–Mrs. Anubha Rawat Choudhary, For the Appellant; M/s Ayush Aditya, Shashank Shekhar, For the Respondent.

डी॰ एन॰ उपाध्याय, न्यायमूर्ति.–यह द्वितीय अपील प्रतिवादियों/अपीलार्थियों द्वारा अभिधान अपील सं॰ 4 वर्ष 2000 में प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, पूर्व सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा पारित एवं हस्ताक्षरित दिनांक 24.11.2003 के निर्णय तथा दिनांक 15.12.2003 की डिक्री के विरुद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा अभिधान वाद सं॰ 56 वर्ष 1996 के संबंध में विद्वान मुंसिफ द्वारा पारित दिनांक 14.10.1999 का निर्णय एवं दिनांक 27.11.1999 को हस्ताक्षरित डिक्री अभिपुष्ट किया गया है।

2. यह अपील विधि के निम्नलिखित सारवान प्रश्नों को निरुपित करने के बाद दिनांक 12.8.2004 को ग्रहण की गयी है:–

(i) D;k voj U;k;ky;k u vfHky[k ij ektn çn'k H, çn'k 3 ,o çn'k 3/A rFkk dN vU; nLrkotk ij fo'k"kr% fopkj dju e fu"d"k ij vku e vfHky[k dh xyfr;k fd;k g

(ii) D;k okn Hkfe ij vihykfFk;k d dCtk ij lifÙk vrj.k vfèkfu;e dh èkkjk 53A d çkoèkkuk dh nf"V e fopkj ,o fofuf'pr fd;k tkuk pkfg, Fkk

3. मिलचंद अग्रवाल की पत्नी श्रीमती शोभा अग्रवाल और श्री सत्यनारायण अग्रवाल की पत्नी श्रीमती सरिता अग्रवाल (प्रत्यर्थी सं॰ 1 एवं 2) विचारण न्यायालय में वादीगण थे जबकि इस द्वितीय अपील में वर्तमान प्रोफोर्मा प्रत्यर्थी सं॰ 3 से 9 को प्रोफोर्मा प्रतिवादियों के रूप में अभियोजित किया गया है। अपीलार्थी सं॰ 1 प्रतिवादी सं॰ 1 थी और उसके पति स्वर्गीय लालधारी प्रसाद (तब वह जीवित था) को प्रतिवादी सं॰ 2 के रूप में पक्षकार बनाया गया था। चूँकि लालधारी प्रसाद (प्रतिवादी सं॰ 2) की मृत्यु हो गयी है, विधिक उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित किया गया है और वे अपीलार्थी सं॰ 2 से 6 हैं। बेहतर समझ के लिए अपीलार्थियों को प्रतिवादियों के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा जबकि प्रत्यर्थी सं॰ 1 एवं 2 को वादीगण के रूप में संबोधित किया जाएगा।

4. कि वादीगण अर्थात् श्रीमती शोभा अग्रवाल एवं श्रीमती सरिता अग्रवाल ने अपने अभिधान की घोषणा के लिए और वाद परिसर से प्रतिवादी सं॰ 1 एवं 2 को बेदखल करने के बाद वादपत्र की अनुसूची A में वर्णित वाद संपत्ति के उपर कब्जा की वापसी के लिए भी तथा दिनांक 3.11.1983 के अरजिस्टर्ड

विक्रय विलेख तथा दिनांक 11.10.1984 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख को झूठा एवं निर्मित दस्तावेज घोषित करने के लिए भी जमशेदपुर में मुंसिफ के न्यायालय में अभिधान वाद सं॰ 56/1996 दाखिल किया।

वादीगण का मामला संक्षेप में यह है कि वर्तमान सर्वे भूखंड सं॰ 151 एवं वर्तमान सर्वे खाता सं॰ 413 के तत्सम मौजा जुगसलाई में आर॰ एस॰ खाता सं॰ 401 के अधीन आर॰ एस॰ भूखंड सं॰ 1333 का भाग होने के नाते धृति सं॰ 520 पर खड़े खपड़ापोश घर के साथ कमोबेश 48' x 12' माप वाली भूमि का टुकड़ा पहले राम कुमार दास अग्रवाल का था और उसकी मृत्यु के बाद यह उसके पुत्रों सीताराम अग्रवाल, सागरमल अग्रवाल, बजरंग लाल अग्रवाल और राम अवतार अग्रवाल पर न्यागत हुआ। भूमि वर्ष 1937 की पुनरीक्षण सर्वे में रामकुमार दास अग्रवाल के नाम में दर्ज की गयी थी और वर्तमान सर्वे में उक्त भूमि पर वर्ष 1938 से कब्जा उसके चार पुत्रों के नाम में दर्ज किया गया है।

दिनांक 13.2.1979 को केवल सीताराम अग्रवाल एवं उसके भाई बजरंग लाल अग्रवाल ने अपने चार भाईयों के स्थान में वाद पत्र की अनुसूची A में वर्णित मौजा जुगसलाई के नए भूखंड सं॰ 151 पर पक्का खपड़ापोश घर एवं अन्य समस्त संरचनाओं के साथ 48' x 12' माप वाली भूमि के टुकड़ा के लिए प्रतिवादी सं॰ 1 के साथ 3500/- रुपया के प्रतिफल के लिए विक्रय करार किया जिसमें से प्रतिवादी सं॰ 1 ने उक्त विक्रय करार के दिन पर ही 2500/- रुपयों के अग्रिम का भुगतान किया। प्रतिवादी सं॰ 1 एवं प्रतिवादी सं॰ 6 तथा उसके भाई सीताराम अग्रवाल (जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है) के बीच सहमति हुई थी कि वे अनुसूची A संपत्तियों के संबंध में विक्रय विलेख अनुमति प्राप्त करने की तिथि से एक पखवारा के भीतर प्रतिवादी सं॰ 1 के पक्ष में निष्पादित एवं रजिस्टर करेंगे। आगे यह सहमति हुई थी कि विक्रय दिनांक 13.2.1979 के करार की तिथि से पाँच माह के भीतर पूरा किया जाना है। आगे यह सहमति हुई थी कि यदि अनुमति प्राप्त नहीं होती है, तब प्रतिवादी सं॰ 6 एवं उसका भाई सीताराम अग्रवाल प्रतिवादी सं॰ 1 को अग्रिम राशि वापस कर देंगे जिसमें उनके विफल होने पर प्रतिवादी सं॰ 1 न्यायालय की प्रक्रिया के माध्यम से इसे वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा। वस्तुतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि वास स्थान भूमि के लिए, नगरीय भूमि (महत्तम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम के अधीन अनुमति आवश्यक नहीं है। प्रतिवादी सं॰ 6 तथा उसके भाई सीताराम अग्रवाल द्वारा बार-बार मांग किए जाने के बावजूद प्रतिवादी सं॰ 1 ने शेष राशि का भुगतान नहीं किया था और न ही उसने अनुसूची A भूमि के संबंध में विक्रय विलेख निष्पादित करवाया। चूँकि विक्रय विलेख दिनांक 13.2.1979 के विक्रय करार की परिसीमा की अवधि के अंतर्गत निष्पादित नहीं किया गया था, प्रतिवादी सं॰ 5 से 7 तथा उनके भाई सीताराम अग्रवाल ने मौजा जुगसलाई, वर्तमान सर्वे खाता सं॰ 413 के अधीन वर्तमान सर्वे खाता सं॰ 151, 152 एवं 153 से संबंधित भूमि तथा उस पर खड़े संरचना के संबंध में गजानंद अग्रवाल (प्रतिवादी सं॰ 3) के पक्ष में 9500/- रुपयों की पूर्ण प्रतिफल राशि की प्राप्ति पर दिनांक 12.7.1984 को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख निष्पादित किया।

वादी का आगे मामला यह है कि भूखंड सं॰ 153 का कब्जा बंदोबस्ती अभिलेख में पूरनी देवी के नाम में दर्ज किया गया था। तद्नुसार, उसने भूखंड सं॰ 153 की भूमि प्रतिवादी सं॰ 3 गजानंद अग्रवाल को बेचा था और उसे इसका कब्जा दिया था। उक्त भूखंड सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 484 वर्ष 1973 का विषयवस्तु था। उक्त भूखंड दिनांक 12.7.1984 के विक्रय विलेख में सम्मिलित किया गया था और खरीदार गजानंद अग्रवाल को संपूर्ण परांतरण भूमि का कब्जा दिया गया था। दिनांक 11.10.1984 को प्रतिवादी सं॰ 2 ने अच्छी तरह जानते हुए कि प्रतिवादी सं॰ 5 से 7 तथा उसके भाई सीताराम अग्रवाल ने मौजा जुगसलाई, खाता सं॰ 413 के अधीन भूखंड सं॰ 151, 152 एवं 153 के संबंध में प्रतिवादी सं॰ 3

के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय विलेख निष्पादित किया था, कपटपूर्वक मौजा जुगसलाई, खाता सं० 413 के अधीन भूखंड सं० 151 के 0.00.52 हेक्टेयर (लगभग एक कट्ठा) क्षेत्रफल माप वाली भूमि के संबंध में 3500/- रुपयों के प्रतिफल के लिए अपनी पत्नी गीता देवी (प्रतिवादी सं० 1) के पक्ष में विक्रय विलेख उसमें मिथ्यापूर्वक यह कथन करते हुए रजिस्टर्ड करवाया कि दिनांक 13.2.1979 के करार के अनुसरण में पक्षों के बीच यथा सहमत 3500/- रुपयों के प्रतिफल का भुगतान खरीदार ने विक्रेता को दिनांक 11.10.1984 को किया और विक्रेताओं द्वारा उसकी रसीद अभिस्वीकृत की गयी है।

दिनांक 12.9.1983 को प्रतिवादी सं० 2 को वार्ड सं० 10, धृति सं० 520, B/78, कचहरी मोहल्ला, जुगसलाई, जमशेदपुर में संपत्तियों की देखभाल एवं प्रबंध करने के लिए और किसी को बेचने के लिए जैसा वह न्यायोचित एवं समुचित समझता है, सामान्य मुख्तारनामा के रजिस्टर्ड विलेख द्वारा प्रतिवादी सं० 5 से 7 तथा उनके भाई सीताराम अग्रवाल की ओर से एटॉर्नी के रूप में नियुक्त किया गया था। यह नहीं दर्शाता है कि किस संपत्ति का एटॉर्नी द्वारा प्रबंध किया जाना है। दिनांक 13.2.1979 के अभिकथित विक्रय करार के बीतने के चार वर्ष आठ माह बाद प्रतिवादी सं० 1 ने दिनांक 3.11.1983 को अपनी पत्नी गीता देवी (प्रतिवादी सं० 1) के पक्ष में अनुसूची A संपत्तियों के विरुद्ध विक्रय करार विलेख निष्पादित किया था जिसमें यह कथन किया गया है कि प्रतिवादी सं० 1 ने 3500/- रुपयों की संपूर्ण प्रतिफल राशि का भुगतान किया है और कि प्रतिवादी सं० 2 को इसका भुगतान किया गया था। उस प्रभाव का शपथ पत्र दिनांक 12.9.1983 को शपथ पर दिया गया था। दिनांक 3.11.1983 का विक्रय करार, दिनांक 12.9.1983 का शपथ पत्र और दिनांक 11.10.1984 का विक्रय विलेख कूटरचित एवं निर्मित दस्तावेज है। यह विश्वास करने का प्रत्येक कारण है कि दिनांक 12.7.1984 के विक्रय विलेख के बाद प्रतिवादी सं० 2 उक्त निर्दिष्ट दस्तावेजों को निर्मित करने में सफल हुआ है। उक्त निर्दिष्ट दस्तावेजों से यह पाया जाएगा कि करार दिनांक 3.11.1983 को निष्पादित किया गया था जबकि इस प्रभाव का शपथ पत्र दिनांक 12.9.1983 को शपथ पर दिया गया था और हास्यास्पद रूप से दिनांक 11.10.1984 को किया गया था। काबिज रहते हुए गजानंद अग्रवाल (प्रतिवादी सं० 3) ने नगरपालिका वार्ड सं० 10, नगरपालिका धृति सं० 78 एवं 79 वाले जुगसलाई मौजा में वर्तमान सर्वे खाता सं० 413 के अधीन भूखंड सं० 151, 152 एवं 153 में पूर्वोक्त भूमि गुरुमुख सिंह को दिनांक 9.10.1991 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के माध्यम से 49000/- रुपयों के भुगतान की प्राप्ति पर बेचा और इसका कब्जा दिया। इस तरह काबिज उक्त गुरुमुख सिंह ने उक्त भूमि संयुक्त रूप से वादीगण को दिनांक 31.1.1995 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के माध्यम से 50,000/- रुपयों की पूर्ण प्रतिफल राशि की प्राप्ति पर बेचा और इसका कब्जा दिया। वादीगण के नाम नामांतरित किए गए हैं और वे बिहार राज्य को किराया तथा जुगसलाई नगरपालिका को कर का भुगतान कर रहे हैं। प्रतिवादी सं० 1 गीता अग्रवाल पहले सीताराम अग्रवाल और उसके भाइयों के अधीन अनुसूची A संपत्ति के संबंध में मासिक किराएदार थी और वादीगण द्वारा बार-बार मांग किए जाने के बावजूद प्रतिवादी सं० 1 ने इसे खाली नहीं किया है और इसके विपरीत वह दिनांक 11.10.1984 के विक्रय विलेख के फलस्वरुप वाद संपत्ति पर स्वामित्व का दावा कर रही है।

5. संक्षेप में, प्रतिवादी सं० 1 एवं 2 का मामला यह है कि वाद पोषणीय नहीं है और आवश्यक पक्षों के असंयोजन के कारण दोषपूर्ण है। बिहार राज्य वाद का आवश्यक पक्ष है। वर्तमान सर्वे में, वाद भूमि अनाबाद बिहार सरकार के खाता में दर्ज की गयी है और स्वर्गीय राम कुमार दास के चार पुत्रों का अवैध दखल वर्तमान खतियान में दर्ज किया गया है। वस्तुत: ये प्रतिवादीगण और प्रतिवादी सं० 1 का पिता चंद्रकांत सिंह वर्ष 1975 से वाद भूमि पर काबिज हैं और उसके पहले यह फिरंगी महतो के कब्जा में थी। इन प्रतिवादियों ने इसे चंद्रकांत सिंह जो प्रतिवादी सं० 1 का पिता है के नाम में निष्पादित दिनांक

11.2.1975 के रजिस्टर्ड विलेख के माध्यम से फिरंगी महतो से इसे खरीदा था। अत:, खतियान में सीताराम अग्रवाल एवं अन्य का कब्जा दर्शाती प्रविष्टि गलत है। यह केवल फिरंगी महतो जिसने घर का निर्माण किया था के भोलेपन एवं अनभिज्ञता के कारण हो सकती थी। आगे निर्माण, इन प्रतिवादियों द्वारा किए गए थे। फिरंगी महतो ने तनाजा केस सं॰ 26/1970 में सीताराम एवं अन्य का अधिकार एवं अभिधान प्रतिवादित किया। फिरंगी महतो ने जुगसलाई नगरपालिका में नगरपालिका कर एवं जल प्रभार का भुगतान भी किया है। खरीद के बाद प्रतिवादी सं॰ 2 ने भी फिरंगी महतो के नाम में जल प्रभार एवं नगरपालिका कर का भुगतान किया था। मौजा जुगसलाई में एक स्थान फिरंगी चौक के रूप में ज्ञात है। प्रतिवादी सं॰ 1 ने उपायुक्त एवं विशेष अधिकारी, जुगसलाई नगरपालिका के समक्ष आवेदन दिया है। दिनांक 11.2.1975 के विक्रय विलेख के निष्पादन के चार वर्ष बाद सीताराम अग्रवाल प्रतिवादियों के पास आया और उनको बताया कि संबंधित भूमि उनकी है और इसलिए उन्हें उसके एवं उसके भाईयों के माध्यम से विक्रय विलेख निष्पादित करवाना चाहिए जिसमें विफल होने पर वह उनको संकट में डालेगा। प्रतिवादियों जो शिक्षक हैं को जानकारी हुई कि सीताराम अग्रवाल एवं उसके भाई भारी मुकदमेबाज हैं और इसलिए वे उक्त प्रस्ताव से सहमत हुए। कुछ बातचीत के बाद, दिनांक 13.2.1979 का विक्रय करार सीताराम अग्रवाल एवं बजरंग लाल खिरवाल द्वारा निष्पादित किया गया था क्योंकि अन्य दो भाई उस तिथि पर उपलब्ध नहीं थे। यह सहमति हुई थी कि सीताराम अग्रवाल और उसके भाई अनुमति प्राप्त करने की तिथि से एक पखवारा के भीतर धृति सं॰ 520, वार्ड सं॰ 10, पुराना भूखंड सं॰ 1333, नया भूखंड सं॰ 151, कचहरी मोहल्ला, जुगसलाई, जमशेदपुर में खपड़ापोश एवं अन्य संरचनाओं के साथ 48' x 12' माप वाली वासभूमि के संबंध में रजिस्टर्ड विक्रय विलेख निष्पादित करेंगे। पाँच माह की अंतरिम अवधि का उल्लेख भी किया गया था। इन प्रतिवादियों को 2500/- रुपयों का अग्रिम धन वसूल करने की स्वतंत्रता दी गयी थी यदि विक्रय विलेख अनुबंधित समय के भीतर निष्पादित नहीं किया जाता है। ये प्रतिवादीगण सर्वोच्च न्यायालय के किसी आदेश से अवगत नहीं थे। यह कहना गलत है कि प्रतिवादी सं॰ 6 एवं सीताराम अग्रवाल द्वारा मांग की गयी थी किंतु प्रतिवादी सं॰ 1 1000/- रुपयों की शेष राशि का भुगतान करने में विफल रहा और इसलिए अनुसूची A भूमि के संबंध में विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया गया था। इसके विपरीत, सीताराम अग्रवाल इन प्रतिवादियों को सदैव आश्वासन दे रहा था कि वह देर-सबेर अनुमति प्राप्त करने में सक्षम होगा। गजानंद अग्रवाल के पक्ष में निष्पादित दिनांक 12.7.1984 का विक्रय विलेख मौनानुकूल था। यह भी संभव था कि निष्पादकों की जानकारी के बिना उक्त विक्रय विलेख में 151 (भूखंड सं॰) का आँकड़ा पुर:स्थापित किया गया था और उन्होंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हुए इस पर ध्यान नहीं दिया था। व्यवहार्यत: ये प्रतिवादीगण और प्रतिवादी सं॰ 3 गजानंद अग्रवाल दिनांक 11.2.1975 तथा दिनांक 29.5.1973 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेखों के संबंध में एक ही नाव में सवार थे। दिनांक 29.5.1973 का विक्रय विलेख 7500/- रुपयों की राशि के लिए भूखंड सं॰ 153, कचहरी मोहल्ला, जुगसलाई, जमशेदपुर में खपड़ापोश पक्का मकान के साथ वास भूमि के संबंध में पूरनी देवी द्वारा निष्पादित किया गया था। उक्त विक्रय विलेख के माध्यम से बेची गयी संपत्ति विक्रेता द्वारा दी गयी थी और भूस्वामी बिहार राज्य था जहाँ खरीदार ने अपनी भूमि नामांतरित करवाएगा। इसी प्रकार से, दिनांक 11.2.1975 के विक्रय विलेख में, विक्रेता द्वारा खरीदार को कब्जा दिया गया था और खरीदार बिहार राज्य के कार्यालय में अपना नाम नामांतरित करवाएगा और इसके लिए किराया का भुगतान करेगा। प्रतिवादी सं॰ 3 को संपूर्ण पट्टांतरित भूमि का कब्जा कभी नहीं दिया गया था क्योंकि सीताराम अग्रवाल एवं उसके भाई स्वयं भूखंड सं॰ 151, धृति सं॰ 520 पर काबिज नहीं थे। वे गजानंद अग्रवाल को कब्जा नहीं दे सकते थे और उसे कब्जा नहीं दिया था। सीताराम अग्रवाल और उसके भाईयों ने दिनांक 12.9.1983 को प्रतिवादी सं॰ 3

लालधारी प्रसाद के पक्ष में सामान्य मुख्तारनामा निष्पादित किया था और धन रसीद भी जारी किया था और शपथ पर शपथ पत्र दिया जिसके द्वारा उन्होंने प्रतिफल राशि की प्राप्ति अभिस्वीकृति किया। चूँकि सीताराम अग्रवाल और उसके तीन भाईयों (प्रतिवादी सं० 5 से 7) ने घर एवं संरचना के साथ भूखंड सं० 151 के विक्रय के विरुद्ध पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त किया था, सामान्य मुख्तारनामा धारक लालधारी प्रसाद को प्रश्नगत संपत्ति किसी को जिसे वह सुयोग्य समझता हो, बेचने का अधिकार था। उक्त मुख्तारनामा की दृष्टि में, दिनांक 3.11.1983 का विक्रय करार प्रतिवादी सं० 2 द्वारा प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में निष्पादित किया गया था। उक्त करार के अनुसार, विक्रय एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाना था और पक्षों को नगरीय भूमि (महत्तम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन आवश्यक अनुमति प्राप्त करना था। प्रतिवादी सं० 1 का उक्त संपत्ति पर संपूर्ण भौतिक कब्जा था। ये सभी घटनाक्रम प्रतिवादी सं० 3- गजानंद अग्रवाल को पूरी ज्ञात थी क्योंकि वह प्रतिवादी सं० 1 एवं 2 का पड़ोसी था और उनके साथ खरीदी गयी संपत्ति की प्रगति के बारे में सदैव चर्चा करता था। दिनांक 29.5.1984 के पत्र सं० 319 द्वारा सक्षम प्राधिकारी से विक्रय की अनुमति प्राप्त की गयी थी और इसलिए दिनांक 11.10.1984 को विक्रय विलेख निष्पादित एवं रजिस्टर्ड किया गया था। दिनांक 11.10.1984 को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख, दिनांक 3.11.1983 का विक्रय करार, रजिस्टर्ड सामान्य मुख्तारनामा, धन रसीद और दिनांक 12.9.1983 का शपथ पत्र निर्मित दस्तावेज नहीं हैं बल्कि वे वास्तविक तथा वैध दस्तावेज हैं।

दूसरी ओर, दिनांक 9.10.1991 एवं दिनांक 11.1.1995 के विक्रय विलेख इन प्रतिवादियों को उनके घर से वंचित करने के लिए दुरभिसंधिपूर्ण और निर्मित दस्तावेज हैं। प्रतिवादी का आगे मामला यह है कि बिहार राज्य ने स्वर्गीय राम कुमार दास एवं उसके पुत्र सीताराम अग्रवाल की समस्त ऐसी तथाकथित भूमि के संबंध में विद्वान भू-सुधार उपसमाहर्त्ता, जमशेदपुर के न्यायालय में पुनरीक्षण मामला सं० 1/1994-95 में दिनांक 8.6.1995 का डिक्री प्राप्त किया है, अतः बिहार राज्य वाद का आवश्यक पक्ष है। इन प्रतिवादियों ने दीर्घकालिक कब्जा के फलस्वरुप और अपने दस्तावेजों के आधार पर अपने नामों की बंदोबस्ती एवं नामांतरण के लिए आवेदन दिया है जो अभी तक लंबित है। पुनरीक्षण केस सं० 1/1994-95 में पारित दिनांक 8.6.1995 के उक्त आदेश की दृष्टि में वादीगण के पक्ष में नामांतरण गलत एवं अप्रवर्तनशील है। प्रतिवादी सं० 1 अनुसूची A संपत्ति के संबंध में सीताराम अग्रवाल एवं उसके भाईयों के अधीन मासिक किराएदार नहीं था। किसी की मांग पर वाद संपत्ति खाली करने का प्रश्न नहीं था और न ही ऐसी मांग की गयी थी। इन प्रतिवादियों ने अपना अधिकार, अभिधान एवं हित वादी एवं उसके हित पूर्वाधिकारियों सहित सब किसी के विरुद्ध कम से कम 1975 से लगातार काबिज बने रह कर प्रतिकूल कब्जा द्वारा वाद भूमि के प्रति पुख्ता किया है। वादीगण का वाद भूमि पर अधिकार, अभिधान नहीं है और तद्नुसार, वे इस घोषणा के हकदार नहीं हैं कि दिनांक 3.11.1983 का विक्रय करार और दिनांक 11.10.1984 का विक्रय विलेख निर्मित दस्तावेज हैं। समस्त प्रोफॉर्मा प्रतिवादीगण एक दूसरे के साथ दुरभिसंधि में है। यह कहना गलत है कि वादीगण ने दिनांक 31.1.1995 के बाद उक्त दस्तावेजों के बारे में जानकारी हासिल किया। उन्होंने अपनी जानकारी का स्रोत प्रकट नहीं किया है और इस दशा में, वाद खारिज किए जाने का दायी है।

6. विद्वान विचारण न्यायालय अभिवचनों के आधार पर विवाद्यकों को विरचित करने के बाद विचारण हेतु अग्रसर हुआ। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य दिया और इन पर विचार करने के बाद वादीगण द्वारा दाखिल वाद डिक्री किया गया था। तब अपीलार्थियों ने अभिधान अपील सं० 4 वर्ष 2000 दाखिल किया जिसे दिनांक 24.11.2003 को विद्वान अपर जिला न्यायाधीश, पूर्वी

सिंहभूम, जमशेदपुर के न्यायालय से खारिज कर दिया गया और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री संपुष्ट किया गया है, अत: उक्त निरुपित विधि के सारवान प्रश्न को विनिश्चित करने के लिए यह द्वितीय अपील दाखिल की गयी है।

7. अपीलार्थियों के अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया था कि न्यायालय का कर्तव्य न्याय करना है और यह सुनिश्चित किया जाना है कि तथ्यों तथा विधि एवं प्रक्रिया का कुअधिमूल्यन करके गलत निष्कर्ष देकर अन्याय नहीं होना चाहिए। द्वितीय अपील में गुंजाइश सीमित है और सामान्य नियम है कि उच्च न्यायालय अवर न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा किंतु यह कठोर सिद्धांत नहीं है। कुछ सुमान्यता प्राप्त अपवादों को यहाँ नीचे प्रस्तुत किया जाता है:–

(i) voj U;k;ky;k u rkfRod lk{; vun[kk fd;k g vFkok lk{; d fcuk ÑR; fd;k g(

(ii) voj U;k;ky;k u fofèk xyr :i l ykx djd lPp rF;k l xyr fu"d"k fudkyk g(

(iii) U;k;ky;k u xyr :i l çek.k dk Hkkj Mkyk g vFkok U;k;ky;k u mu fook|dk ftUg u rk fojfpr fd;k x;k Fkk vkj u gh ml çHkko dk lk{; fn;k x;k Fkk dk fofuf'pr djd vfèkdkfjrk dk mYy?ku fd;k gA çk;% ;g n[kk x;k g fd U;k;ky; mRlkgh cu tkr g vkj vurk"k çnku djr g ftUg bfllr Hkh ugh fd;k x;k FkkA

यह निवेदन किया गया था कि यदि अवर न्यायालयों के निष्कर्ष भारी दुर्बलता, घोर अवैधता और विकृतता से पीड़ित है, उच्च न्यायालय द्वितीय अपील में अन्याय को बढ़ावा देने करने के लिए मौन नहीं बना रहेगा। वर्तमान मामले में सामने आने वाले तथ्यों एवं साक्ष्य पर अवर न्यायालयों द्वारा इसके सच्चे परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया गया था और दोनों न्यायालयों ने पक्षों द्वारा अभिलेख पर लाए गए दस्तावेजों पर विचार करने में घोर गलती किया है। यही कारण है कि विधि के पूर्वोक्त दो सारवान प्रश्नों को अपील में विनिश्चित करने के लिए विरचित किया गया है।

प्रथम प्रश्न इस बिंदु पर विरचित किया गया है कि ''किस प्रकार अवर न्यायालयों ने विशेषत: अभिलेख पर मौजूद प्रदर्श H, प्रदर्श 3 एवं प्रदर्श 3/A और कुछ अन्य दस्तावेजों पर विचार करने में निष्कर्ष पर आने में अभिलेख की गलतियाँ किया है?''

प्रदर्श 3 नयी धृति सं॰ 79 (पुरानी धृति सं॰ 520B) के अंश से संबंधित जुगसलाई नगरपालिका के निर्धारण रजिस्टर की प्रति है। अधिभोगी का नाम गजानंद अग्रवाल (प्रतिवादी सं॰ 3), मातादीन अग्रवाल का पुत्र है। नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र उपदर्शित करता है कि यह 1976-77 की अवधि के लिए धृति सं॰ 79 वार्ड सं॰ 10 का निर्धारण था। प्रदर्श 3/A पुन: धृति सं॰ नया 78, पुराना 520B, अधिभोगी का नाम गजानंद अग्रवाल, पुत्र मातादीन अग्रवाल (प्रतिवादी सं॰ 3) से संबंधित जुगसलाई नगरपालिका के निर्धारण रजिस्टर की प्रति है। प्रमाण पत्र के अनुसार, यह 1976-77 अवधि के लिए धृति सं॰ 78, वार्ड सं॰ 16, जुगसलाई नगरपालिका का निर्धारण था।

8. यह वादीगण का स्वीकृत मामला है कि गजानंद अग्रवाल ने दिनांक 12.7.1984 को सीताराम अग्रवाल और उसके तीन भाईयों (प्रतिवादी सं॰ 5 से 7) से भूखंड सं॰ 152-153 के साथ अनुसूची संपत्ति खरीदा किंतु पूर्वोक्त धृति का निर्धारण खरीद की तिथि से काफी पहले वर्ष 1976-77 के लिए गजानंद अग्रवाल के नाम में किया गया था। प्रदर्शों 3 एवं 3/A को जुगसलाई नगरपालिका के कर संग्रहक राम टहल राय (अ॰ सा॰ 4) द्वारा सिद्ध किया गया है। अपने प्रति परीक्षण में इस गवाह ने स्वीकार किया है कि पूर्वोक्त धृति गुरुमुख सिंह (प्रतिवादी सं॰ 4) के नाम में निर्धारित कभी नहीं की गयी थी। पैराग्राफ

14 में वह कहता है कि उसे जानकारी नहीं थी कि गजानंद अग्रवाल के पहले कौन धृति सं॰ 78 का अधिभोग कर रहा था। अगले वाक्य में वह कहता है कि गजानंद अग्रवाल ने धृति सं॰ 78 का अधिभोग कभी नहीं किया था क्योंकि उसका अपना पृथक निवास स्थान था। इस गवाह ने गजानंद का धृति सं॰ 131 के रूप में प्रकट किया है।

इस गवाह का आगे अभिसाक्ष्य है कि वह गीता देवी (प्रतिवादी सं॰ 1) को धृति सं॰ 78 का अधिभोग करते और उसमें निवास करते देख रहा था। यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि अपीलार्थीगण गजानंद अग्रवाल के अधीन किराएदार थे, निर्णय के पैराग्राफ 10 में विचारण न्यायालय द्वारा उन दस्तावेजों में प्रविष्ट तथ्यों द्वारा समर्थित किए गए बिना किस प्रकार इन दो दस्तावेजों को अवैध माना गया है, और कुछ नहीं बल्कि अभिलेख की गलती है और बिल्कुल गलत निष्कर्ष है। स्वीकृत रूप से, जुलाई 1984, के पहले गजानंद अग्रवाल का नयी धृति सं॰ 78 एवं 79 पर अधिकार, अभिधान, हित एवं कब्जा नहीं था किंतु यह उपदर्शित किया गया है कि धृति का स्वामी गजानंद अग्रवाल था और वह उन दो धृतियों में चार किराएदारों को रखे था। यह उल्लेख करना अनावश्यक है कि अपीलार्थियों के नाम किराएदार के रूप में प्रदर्श 3 अथवा 3/A में नहीं आ रहे हैं। विचारण न्यायालय द्वारा की गयी अवैधता प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अभिपुष्ट की गयी है और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तथ्यों का अंतिम न्यायालय होने के नाते अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों का परीक्षण करने का परवाह नहीं किया था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि किस प्रकार दोनों न्यायालयों ने प्रदर्शों 3 एवं 3/A पर विचार करने में गलती किया है।

प्रदर्श H सीताराम अग्रवाल एवं उसके तीन भाईयों (प्रतिवादी सं॰ 5 से 7) द्वारा दिनांक 12.9.1983 को लालधारी प्रसाद (मूल प्रतिवादी सं॰ 2) के पक्ष में कचहरी मुहल्ला, जुगसलाई, जमशेदपुर में धृति सं॰ 520B/78, वार्ड सं॰ 10 में संपत्ति की देखभाल करने के लिए निष्पादित रजिस्टर्ड मुख्तारनामा है। उक्त मुख्तारनामा के पैराग्राफ 3 में विक्रय विलेख, खरीद करार अथवा पूर्वोक्त संपत्तियों के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेजों को निष्पादित करने तथा विक्रय विलेख जैसा वह सुयोग्य समझता है रजिस्टर करने की शक्ति दी गयी है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में गलत रूप से विचार किया है कि संपत्ति जिसके लिए मुख्तारनामा दिया गया था, उक्त दस्तावेज H में वर्णित नहीं किया गया है। वस्तुतः मुख्तारनामा के पैराग्राफ 1 में यह अच्छी तरह से उपदर्शित किया गया है कि किस संपत्ति के संबंध में प्रतिवादी सं॰ 2 को मुख्तारनामा दिया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय के पैराग्राफ 10 में प्रदर्श H के परिवर्णन का अधिमूल्यन किए बिना अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिवादी सं॰ 2 संपत्ति का विक्रय करने के लिए प्राधिकृत नहीं था और ऐसी कोई शक्ति उसको नहीं दी गयी थी। इसने अभिनिर्धारित किया है कि ''यह दर्शाता है कि सीताराम अग्रवाल और उसके भाईयों द्वारा प्रतिवादी सं॰ 2 को दिया गया मुख्तारनामा (प्रदर्श H) प्रतिवादी सं॰ 2 को किसी व्यक्ति के पक्ष में विक्रय करार करने अथवा विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए सशक्त नहीं बनाता है।'' (पैरा 10, पृष्ठ 7)

यह निवेदन किया गया था कि किस प्रकार दोनों न्यायालयों ने उपेक्षापूर्वक एवं लापरवाही से प्रदर्शों 3, 3/A एवं H पर विचार किया जो अपीलार्थियों के प्रति घोर अन्याय की ओर ले गया और प्रतिकूलता एवं हानि कारित किया। पूर्वोक्त साक्ष्य, दस्तावेजों एवं दोनों न्यायालयों के निष्कर्षों को निर्दिष्ट करके यह निवेदन किया गया था कि दोनों अवर न्यायालयों के निष्कर्ष विकृत हैं, और, इसलिए, द्वितीय अपील में, तथ्यों एवं विधि दोनों पर इस न्यायालय को दोनों न्यायालयों के निर्णयों को देखने की आवश्यकता है।

9. इस संदर्भ में, अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने **(2008)12 SCC 796** में प्रकाशित निर्णय को निर्दिष्ट किया है जिसमें **चुनीलाल वी॰ मेहता एवं संस लि॰ बनाम सेन्चुरी स्पिनिंग एन्ड मैन्यूफैक्चरिंग कं॰ लि॰** मामले में दिए गए निर्णय को पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट किया गया है। यह निवेदन किया गया था कि विधि के प्रथम सारवान प्रश्न के अधीन, प्रदर्शों 3, 3/A एवं H दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य दस्तावेजों का अधिमूल्यन करने में की गयी गलती का उल्लेख भी किया गया है। अन्य दस्तावेज प्रदर्श E, सीताराम

अग्रवाल एवं बजरंग अग्रवाल द्वारा प्रतिवादी सं॰ 1 के पक्ष में अनुसूची संपत्ति के संबंध में निष्पादित दिनांक 13.2.1979 का विक्रय करार; प्रदर्श E/1, अनुसूची संपत्ति के संबंध में सीताराम अग्रवाल और उसके तीन भाईयों की ओर से विधिपूर्ण एटॉर्नी लालधारी प्रसाद द्वारा निष्पादित दिनांक 3.11.1983 का करार; प्रदर्श F, सीताराम अग्रवाल एवं उसके तीन भाईयों (प्रतिवादी सं॰ 5 से 7) द्वारा जारी दिनांक 12.9.1983 का 3500/- रुपयों के लिए धन रसीद; प्रदर्श G, सीताराम अग्रवाल एवं उसके तीन भाईयों (प्रतिवादी सं॰ 5 से 7) द्वारा शपथ पर दिया गया शपथ पत्र जो उसमें जुगसलाई वार्ड सं॰ 10 की धृति सं॰ 520B/78 का विक्रय श्रीमती गीता देवी (प्रतिवादी सं॰ 1) के पक्ष में घोषित करता है और उक्त संपत्ति के विक्रय के विरुद्ध प्रतिफल राशि के रूप में 3500/- रुपयों की अभिस्वीकृति रसीद हैं और गीता देवी का कब्जा भी स्वीकार किया गया है।

10. यद्यपि वादीगण ने वादपत्र में प्रकथन किया कि पूर्वोक्त दस्तावेज कूटरचित एवं निर्मित हैं किंतु उन्होंने इस प्रभाव का साक्ष्य नहीं दिया है। निष्पादक सीताराम अग्रवाल और उसके तीन भाईयों (प्रतिवादी सं॰ 5 से 7) कटघरा में कभी नहीं आए और न ही वादीगण के प्रतिवाद का समर्थन करने के लिए लिखित कथन दाखिल किया किंतु अवर न्यायालयों ने स्व प्रेरणा पर अभिनिर्धारित किया है कि पूर्वोक्त दस्तावेज प्रदर्श F, G एवं H कूटरचित और निर्मित दस्तावेज हैं। वादीगण ने पूर्वोक्त दस्तावेजों F, G एवं H को कूटरचित एवं मनगढ़ंत के रूप में और वादीगण अथवा उनके हितपूर्वाधिकारियों पर आबद्धकर न होने के रूप में घोषित किए जाने के लिए अनुतोष इप्सित नहीं किया है। दोनों अवर न्यायालयों ने स्वप्रेरणा पर मौजा जुगसलाई, थाना सं॰ 1161, पी॰ एस॰ जुगसलाई, परगना दालभूम में वर्तमान सर्वे भूखंड सं॰ 151 के तत्सम पुराने सर्वे भूखंड सं॰ 1333 का कमोबेश भाग वाले 0-1-3 कट्ठा एवं 3 धुर माप वाले वासभूमि के टुकड़े के लिए चंद्रकांत सिंह/प्रतिवादी सं॰ 1 का पिता) के पक्ष में फिरंगी महतो द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख (प्रदर्श D) को आरंभ से शून्य एवं अकृत घोषित किया।

अवर न्यायालयों ने निष्कर्षों और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्य को निर्दिष्ट करके यह निवेदन किया गया था कि ऐसी परिस्थितियों में यह अच्छी तरह से अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि दोनों न्यायालयों के निष्कर्ष विकृत हैं और न्याय के उद्देश्य के लिए और सही निष्कर्ष पर आने के लिए भी, द्वितीय अपील में भी, इस न्यायालय को तथ्य पर विचार करने की अधिकारिता है। आगे यह प्रतिवाद किया गया है विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों में द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप न्यायोचित है जहाँ तथ्य का विकृत निष्कर्ष है। **सेबस्तियों लुईस फर्नांडीस (मृत) विधिक प्रतिनिधियों एवं अन्य के माध्यम से बनाम के॰ वी॰ पी॰ शास्त्री (मृत) विधिक प्रतिनिधियों एवं माध्यम से, (2013)15 SCC 161,** मामले में निर्णय के प्रति निर्देश किया गया है।

11. विधि के द्वितीय सारवान प्रश्न के संदर्भ में, यह निवेदन किया गया था कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53A के अधीन अंतर्विष्ट प्रावधान तथ्य एवं विधि के मिश्रित प्रश्न पर विचार करते हैं। अपीलार्थियों का वाद भूमि पर कब्जा, यदि वर्ष 1975 से नहीं तो वर्ष 1979 से निश्चय ही, स्वीकार किया गया है जब सीताराम अग्रवाल और बजरंग अग्रवाल ने वाद संपत्ति के लिए प्रतिवादी सं॰ 1 के पक्ष में विक्रय करार निष्पादित किया। वादी (अ॰ सा॰ 4) द्वारा अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य ने आगे वाद परिसर पर अपीलार्थियों का कब्जा संपुष्ट किया। वादीगण द्वारा दिया गया साक्ष्य निर्णायक रूप से सुझाता है कि न तो गजानंद अग्रवाल ने और न ही उसके क्रेता गुरुमुख सिंह ने अथवा वादीगण ने वाद संपत्ति पर कब्जा कभी अर्जित किया था। अ॰ सा॰ 4 के साक्ष्य के मुताबिक, गजानंद अग्रवाल का भूखंडों 151, 152 एवं 153 के पार्श्व विभिन्न भूखंडों में पृथक वाससुविधा है। वादीगण अर्थात् श्रीमती शोभा अग्रवाल तथा श्रीमती

सरिता अग्रवाल ने समय के किसी बिंदु पर वाद संपत्ति पर कब्जा अर्जित नहीं किया। भले ही प्रतिवादी सं० 1 ने दिनांक 13.2.1979 के करार (प्रदर्श E) के विरुद्ध विनिर्दिष्ट पालन के लिए कोई वाद दाखिल नहीं किया था, भागिक पालन के रूप में वाद संपत्ति पर उसके कब्जा से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रदर्शों F एवं G को निष्पादित करके सीताराम अग्रवाल और उसके तीन भाइयों (प्रतिवादी सं० 5 से 7) ने पुनः वाद संपत्ति पर अपीलार्थियों का कब्जा संपुष्ट किया था। यह सत्य है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53A के अधीन अपीलार्थियों को उपलब्ध संरक्षण विनिर्दिष्टतः लिखित कथन में उपदर्शित नहीं किया गया है किंतु तब अभिलेख पर लाए गए तथ्य, दस्तावेज एवं साक्ष्य स्पष्टतः सुझाते हैं कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53A का संरक्षण प्रतिवादियों/अपीलार्थियों को सदैव उपलब्ध था। इस संदर्भ में विद्वान अधिवक्ता ने

***(i)* (2002)3 SCC 676;**

***(ii)* (2004)5 SCC 88;**

***(iii)* (1969)3 SCC 120;**

***(iv)* (2004)8 SCC 614;**

***(v)* (2005)12 SCC 164**

में प्रकाशित निर्णयों पर विश्वास किया है।

अपीलार्थियों ने आगे निवेदन किया है कि सीताराम अग्रवाल और उसके तीन भाईयों (प्रतिवादी सं० 5 से 7) द्वारा जुलाई, 1984 में गजानंद अग्रवाल के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख, वर्ष 1995 में वादी के पक्ष में गुरुमुख सिंह द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख, और कुछ नहीं बल्कि कागजी संव्यवहार थे और उनमें से कोई भी वाद भूमि पर कभी नहीं काबिज हुआ। अवर न्यायालयों ने इस पहलू पर उपलब्ध साक्ष्य अनदेखा करके पूर्वोक्त विक्रय विलेख में किए गए परिवर्णन पर विचार किया है। वादीगण द्वारा दिया गया साक्ष्य उपदर्शित नहीं करता है कि अपीलार्थियों अथवा उनके हित पूर्वाधिकारियों ने वाद संपत्ति पर कभी कब्जा अर्जित किया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 (स्पष्टीकरण II) को निर्दिष्ट किया है और निवेदन किया है कि वादीगण और उनके हितपूर्वाधिकारी उसी मुहल्ला के, वाद भूमि के निकट भी, के निवासी थे किंतु उन्होंने कभी यह पूछने का परवाह कभी नहीं किया कि अपीलार्थीगण किस हैसियत से अथवा किस प्राधिकार के साथ वाद संपत्ति पर अपने कब्जा का उपभोग कर रहे हैं। विद्वान अवर न्यायालयों ने इस बिंदु पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया है। विचारण न्यायालय ने और अवर अपीलीय न्यायालय ने भी प्रतिवाद कर रहे प्रत्यर्थियों (वादीगण) द्वारा सिद्ध किए गए दस्तावेजों को आगे अनदेखा किया है और गलत अर्थ लगाया है। वाद संपत्ति से संबंधित खतियान उपदर्शित करता है कि वादीगण के विक्रय विलेख में उल्लिखित संपत्ति अनाबाद बिहार सरकार है और सीताराम अग्रवाल एवं उसके भाईयों का अवैध दखल उल्लिखित किया गया है।

वादी द्वारा सिद्ध की गयी खतियान की प्रति यह सुझाने के लिए पर्याप्त है कि बिहार राज्य (अब झारखंड) आवश्यक पक्ष था और आवश्यक पक्ष को पक्षकार बनाए जाने की अनुपस्थिति में वाद खारिज किए जाने का दायी है।

12. प्रतिवाद करने वाले प्रत्यर्थियों/वादीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का जोरदार विरोध किया है। उन्होंने निवेदन किया है कि द्वितीय अपील में तीसरा विचारण नहीं होना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय की श्रृंखला में ऐसी प्रथा की निंदा की गयी है।

तर्क के क्रम में वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रदर्शों 3 एवं 3/A पर अधिक जोर नहीं दिया है और कमोबेश स्वीकार किया है कि पूर्वोक्त दो दस्तावेज निर्धारण रजिस्टर की प्रतियाँ थी जिसके द्वारा

कर संग्राहक ने धृति सं॰ 78 एवं 79 का धृति कर निर्धारित किया था। यह प्रतिवाद किया गया था कि गजानन्द अग्रवाल ने आर॰ एस॰ भूखंड सं॰ 1333 से संबंधित भूमि का भाग खरीदा था और उसके बाद, वह उन भूमि पर काबिज था और इसलिए, उसका नाम प्रदर्शों 3 एवं 3/A में स्वामी/अधिभोगी के कॉलम में आ रहा था। विद्वान अधिवक्ता ने इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि प्रदर्श D3 गजानंद अग्रवाल द्वारा पूरनी देवी से वर्ष 1973 में खरीदे गए आर॰ एस॰ भूखंड सं॰ 1333 के भाग से संबंधित है, और इसलिए, गजानंद अग्रवाल का नाम प्रदर्शों 3 एवं 3/A में आ रहा है। विचारण न्यायालय के निर्णय के पैरा 9 में पूर्वोक्त तथ्य उल्लिखित किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने निष्पक्षत: स्वीकार किया कि प्रदर्श 3 एवं 3/A वाद विनिश्चित करने के प्रयोजन से किसी भी पक्ष पर कोई अधिकार, अभिधान अथवा हित प्रदत्त नहीं करते हैं।

जहाँ तक प्रदर्श H का संबंध है, यह प्रतिवाद किया गया था कि उक्त प्रदर्श H मुख्तारनामा प्रतिवादी सं॰ 2 को विक्रय करार करने अथवा विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए सशक्त नहीं बनाता है जो अवर अपीलीय न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ–11 से प्रकट है और यह आसानी से एकत्रित किया जा सकता है कि अवर अपीलीय न्यायालय ने विचार किया है कि भले ही मुख्तारनामा अर्थात् प्रदर्श H के फलस्वरुप प्रतिवादी सं॰ 2 ने दिनांक 11.10.1984 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख (प्रदर्श D/1) द्वारा अपनी पत्नी (प्रतिवादी सं॰ 1) के पक्ष में संपत्ति बेचा है, यह अच्छा अभिधान प्रदत्त नहीं करेगा। यह इंगित किया गया था कि दिनांक 11.10.1984 के अभिकथित विक्रय विलेख के पहले मूल स्वामियों ने पहले ही प्रदर्श 2/b के तहत दिनांक 12.7.1984 को गजानंद अग्रवाल के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित एवं रजिस्टर्ड किया है। यह प्रतिवाद किया गया था कि प्रतिवादियों ने मूल मकानमालिकों सीताराम अग्रवाल तथा उसके तीन भाईयों और अंतरिती गजानन्द अग्रवाल को पक्ष बनाते हुए विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद दाखिल कभी नहीं किया है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अधीन अंतर्विष्ट प्रावधानों का सहारा लेने के बजाए प्रतिवादी सं॰ 2 ने दिनांक 11.10.1984 को अपनी पत्नी प्रतिवादी सं॰ 1 के पक्ष में विक्रय विलेख सृजित किया था।

प्रतिवादी सं॰ 2 को वर्ष 1979 में प्रतिवादी सं॰ 1 गीता देवी के पक्ष में सीताराम अग्रवाल एवं बजरंग अग्रवाल द्वारा निष्पादित किए गए अभिकथित पूर्व करार के नवीकरण के लिए प्रदर्श H के माध्यम से शक्ति नहीं दी गयी थी। यह निवेदन किया गया था कि विक्रय करार स्वत: प्रश्नगत संपत्ति पर पक्ष का कोई अधिकार, अभिधान एवं हित सृजित नहीं करता है। यह केवल करार के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद दाखिल करने का अधिकार देता है जिसे स्वीकृत रूप से प्रतिवादी सं॰ 1 एवं 2 द्वारा नहीं किया गया था। चूँकि गजानन्द अग्रवाल (वादीगण का हित पूर्वाधिकारी) के पक्ष में दिनांक 12.7.1984 को हस्तांतरण विलेख निष्पादित किया गया था, उस दस्तावेज द्वारा अंतरित अधिकार, अभिधान, हित प्रतिवादी सं॰ 2 द्वारा प्रतिवादी सं॰ 1 के पक्ष में दिनांक 11.10.1984 को निष्पादित एक अन्य विक्रय विलेख के विरुद्ध अभिभावी होगा। यह निवेदन किया गया था कि दिनांक 12.7.1984 को सीताराम अग्रवाल एवं उसके तीन भाईयों द्वारा गजानन्द अग्रवाल के पक्ष में विक्रय विलेख का निष्पादन यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त था कि सीताराम अग्रवाल एवं उसके तीन भाईयों द्वारा प्रतिवादी सं॰ 2 के पक्ष में वाद संपत्ति के लिए निष्पादित मुख्तारनामा, यदि हो, प्रतिसंहृत हो गया। प्रतिवादी सं॰ 1 के पक्ष में प्रतिवादी सं॰ 2 द्वारा विक्रय विलेख के निष्पादन की तिथि पर अर्थात् दिनांक 11.10.1984 को मुख्तारनामा के निष्पादकों के स्वामित्व एवं कब्जा वाली विवादित संपत्ति उनके कब्जा में नहीं थी क्योंकि उन्होंने गजानन्द अग्रवाल के पक्ष में हस्तांतरण विलेख निष्पादित करके अपना अधिकार, अभिधान एवं हित अंतरित कर दिया है। इस संदर्भ में, विद्वान अधिवक्ता ने **देब रतन बिश्वास एवं अन्य बनाम मोस्मात आनन्द मोयी देवी एवं अन्य, AIR 2011 SC 1653,** मामले में निर्णय पर विश्वास किया है।

विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया है कि भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 207 की दृष्टि में, यह आसानी से अभिनिश्चित किया जा सकता था कि मूल स्वामियों के आचरण द्वारा मुख्तारनामा विवक्षित रूप से प्रतिसंहृत कर दिया गया है।

वादीगण ने आगे प्रतिवाद किया है कि दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पर विचार करने के बाद अवर न्यायालयों ने विचारण न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 27 में निष्कर्ष दर्ज किया है कि प्रतिवादी सं॰ 1 एवं 2 यह सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुए थे कि वादीगण अथवा उनके हित पूर्वाधिकारी को विक्रय करार के बारे में कोई जानकारी थी या है। प्रतिवादी का स्वीकृत मामला यह है कि उन्होंने प्रतिवादी सं॰ 1 के पक्ष में इस प्रकार निष्पादित करार के विरुद्ध संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए कोई वाद दाखिल नहीं किया था, और, इसलिए, वादीगण के सद्विश्वास में और पूर्व करार, यदि हो, की किसी जानकारी के बिना वाद संपत्ति अर्जित किया है। जहाँ तक संपत्ति अंतरण अधिनियम की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण II का संबंध है, विचारण न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 27 में इस पर भी विचार किया गया है और वादीगण ने **मो॰ मुस्तफा बनाम हाजी मो॰ ईसा एवं अन्य, AIR 1987 Pat 5; केशरमल अग्रवाल बनाम राजेन्द्र प्रसाद एवं अन्य, 1968 (16) BLJR 28; हरि चरण कौर एवं अन्य बनाम कौला राय एवं अन्य, AIR 1917 Patna 478** मामलों में निर्णयों पर विश्वास किया है।

विधि के द्वितीय सारवान प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह जोरदार तर्क किया गया था कि अपीलार्थीगण संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53A के लाभों का दावा करने से अपवर्जित हैं क्योंकि उनके द्वारा लिखित कथन में ऐसा अभिवचन नहीं किया गया था और यह उनके अभिवचन में कभी नहीं आ रहा था। यह आसानी से पाया जा सकता है कि कोई अभिवचन नहीं था जहाँ तक विक्रय करार के अनुसरण में तैयार होने एवं इच्छा करने का संबंध है बल्कि प्रतिवादीगण खरीद के आधार पर अपना दावा कर रहे हैं और वह संपत्ति की स्वामिनी होने का दावा कर रही है।

श्याम लाल बनाम श्रीमती माथी, AIR 2002 HP 66 (प्रासंगिक पैराग्राफ 18 एवं 19)**; राम कुमार अग्रवाल एवं एक अन्य बनाम थावर दास (मृत) विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से, (1999)7 SCC 303** (प्रासंगिक पैरा 8) में निर्णय निर्दिष्ट करके यह निवेदन किया गया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53A का अभिवचन विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न उठाता है और, इसलिए, पहली बार द्वितीय अपील के चरण पर आग्रह किए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि यह आंशिक पालन अथवा पालन करने की इच्छा संविदा का भाग है और यह आंशिक पालन का अभिवचन किए जाने के समय लिए जाने वाले आवश्यक अवयवों में से एक आवश्यक अवयव है। लिखित कथन में ऐसे अभिवचन की अनुपस्थिति में, अपीलार्थीगण द्वितीय अपील के चरण पर संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53A के संरक्षण का लाभ लेने के हकदार नहीं हैं।

प्रतिवाद करने वाले प्रत्यर्थियों ने आगे **डी॰ एस॰ पार्वथाम्मा बनाम ए॰ श्रीनिवासन, (2003)4 SCC 705** (प्रासंगिक पैरा 6), मामले में निर्णय निर्दिष्ट किया है और निवेदन किया है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53A के आवश्यक लक्षणों में से एक यह है कि आंशिक पालन का अभिवचन प्रतिफल के लिए अंतरिती जिसे संविदा की अथवा उसके आंशिक पालन की जानकारी नहीं है के विरुद्ध उठाए जाने के लिए उपलब्ध नहीं है। वर्तमान मामले में, वादीगण अथवा उनके हित पूर्वाधिकारी को विक्रय के किसी पूर्व करार की जानकारी नहीं थी अथवा है जो विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय के पैराग्राफ 27 पर दर्ज तथ्य का निष्कर्ष है।

विद्वान अधिवक्ता ने आगे **श्रीमंत श्याम राव सूर्यवंशी एवं एक अन्य बनाम प्रह्लाद भैरोबा सूर्यवंशी (मृत) विधिक प्रतिनिधियों द्वारा एवं अन्य, AIR 2002 SC 960,** मामले में निर्णय के पैराग्राफ 14 को निर्दिष्ट किया है और निवेदन किया है कि कतिपय शर्तें हैं जिन्हें परिपूर्ण करने की आवश्यकता है यदि अंतरिती संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53A के अधीन अपने कब्जा का बचाव अथवा संरक्षण करना चाहता है। आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं:–

(i) çfrQy d fy, fdlh vpy lifÙk vrfjr dju dh lfonk gkuh gkxh (

(ii) lfonk fyf[kr e] vrjd }kjk vFkok mldh vkj lsa fdlh d }kjk gLrk{kfjr gkuh gkxh(

(iii) y[ku ,l 'kCnk e gkuk gkxk ftl ls vrj.k dk vFk yxku d fy, vko';d fucèku vfHkfuf'pr fd, tk ldr g(

(iv) vrfjrh dk lifÙk vFkok mld fdlh Hkkx dk dCts lfonk d vkf'kd ikyu e yuk gkxkA

(v) vrfjrh u lfonk vxlj dju d fy, dN ÑR; fd;k gkxk(

(vi) vrfjrh u lfonk d viu Hkkx dk ikyu fd;k gkxk vFkok ikyu dju dk bPNd gkxkA

यह निवेदन किया गया था कि खंडों 5 एवं 6 में उपदर्शित शर्तों का अपीलार्थियों/प्रतिवादियों द्वारा पालन कभी नहीं किया गया था और, इसलिए, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53A के अधीन उपलब्ध संरक्षण उनको उपलब्ध नहीं था।

विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 1976 संशोधन के बाद अत्यन्त सीमित है और यह केवल उन मामलों तक सीमित है जहाँ विधि का सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है। प्रतिवाद करने वाले प्रत्यर्थियों ने **नारायणन राजेन्द्रन एवं एक अन्य बनाम लक्ष्मी सरोजिनी एवं अन्य, (2009)SCCR 944** (प्रासंगिक पैराग्राफ 62 से 69) मामले में निर्णय पर विश्वास किया हैं। यह निवेदन किया गया था कि द्वितीय अपील में तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष चर्चा किए जाने के दायी नहीं है और यह सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 100 के कार्यक्षेत्र के परे है। केवल इस आधार पर अपीलार्थियों के अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क अस्वीकार किए जाने के दायी हैं।

13. दोनों पक्षों को सुना गया तथा मामले के अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज और निर्णयों का परिशीलन किया गया। स्वीकृत रूप से, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 ने द्वितीय अपील में अधिकारिता के प्रयोग पर निश्चित निर्बंधन पुर:स्थापित किया है जहाँ तक उच्च न्यायालय का संबंध है। यह दर्ज करना अनावश्यक है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 ने ऐसे निश्चित उद्देश्यों के लिए ऐसी वर्जना पुर:स्थापित किया किंतु जहाँ यह पाया जाता है कि अनुमानों एवं अटकलों के आधार पर गलत परीक्षा पर निष्कर्ष दूषित हो जाते हैं और परिणामस्वरुप उसमें अंतर्ग्रस्त विकृतता का तत्व है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अधीन उपलब्ध अधिकारिता घोर अन्याय से बचने के लिए विवाद्यक पर विचार करने के लिए विस्तारित की जा सकती है। तथ्य के प्रश्न पर भी द्वितीय अपील ग्रहण करने पर निषेध नहीं है परन्तु यह कि न्यायालय संतुष्ट हो कि अवर न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्ष प्रासंगिक साक्ष्य पर विचार नहीं किए जाने से अथवा मामले के प्रति गलत दृष्टिकोण दर्शाए जाने पर दूषित हो गए हैं अर्थात् तथ्य के निष्कर्ष विकृत पाए गए हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि द्वितीय अपील में न्यायालय को तथ्यों पर दिए गए अवर न्यायालय के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए किंतु यदि निष्कर्ष अन्याय में परिणत होते हुए साक्ष्य के अपपठन पर आधारित हैं अथवा गैर साक्ष्य पर आधारित हैं, उच्च न्यायालय तथ्य एवं विधि दोनों के मिश्रित प्रश्न पर विचार कर सकता है। विधि स्थिर नहीं है, इसे बदलते समय के साथ बदलना होगा और इसे गतिमान होना चाहिए क्योंकि विधि का प्रयोजन जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हैं। हाल की विधि यह है कि अति तकनीकी पेचिदगियाँ न्याय प्रदान करने वाले न्यायालय के रास्ते में नहीं आएगी। विधि की प्रक्रियात्मक तकनीकी पेचिदगियों को, घोर अन्याय से बचने के लिए न्याय के हित में पतला करना चाहिए।

तथ्यों की गलत धारणा, अभिलेख पर मौजूद अभिवचनों एवं साक्ष्य के गैर अधिमूल्यन पर आधारित अवर न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों पर द्वितीय अपील में विचार किया जा सकता है जैसा **सेबस्तियों लुइस फर्नांडीस (मृत) विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से एवं अन्य बनाम के॰ वी॰ पी॰ शास्त्री (मृत) एल॰ आर॰ द्वारा एवं अन्य, (2013)15 SCC 161,** मामले में दिए गए निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया है विरचित किए गए।

विधि के सारवान प्रश्नों तथा दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों ने इस न्यायालय को तथ्यों एवं साक्ष्य का इनके सच्चे परिप्रेक्ष्य में विचार करने के लिए आश्वस्त किया। चूँकि अवर न्यायालय ने विशेषत: प्रदर्शों H, 3, 3/A तथा अन्य दस्तावेजों पर विचार करते हुए निष्कर्ष पर आने में अभिलेख की गलती किया है। प्रदर्श 3 एवं 3/A जुगसलाई नगरपालिका के निर्धारण रजिस्टर की प्रतियाँ हैं और वह धृति सं॰ (नया) 78 एवं 79 का निर्धारण उपदर्शित करता है जो स्वीकृत रूप से वाद संपत्ति जोड़ता है। विद्वान मुंसिफ ने उन दस्तावेजों पर विश्वास करते हुए अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिवादीगण सीताराम अग्रवाल एवं प्रतिवादी सं॰ 5 से 7 के अधीन किराएदार थे। पूर्वोक्त दो दस्तावेजों के परिशीलन पर मैं नहीं पाता हूँ कि ये इन तथ्यों के उपदर्शक हैं कि प्रतिवादीगण सीताराम अग्रवाल के अधीन किराएदार थे अथवा वे वाद संपत्ति पर अनुज्ञेय कब्जा का उपभोग कर रहे थे। अवर न्यायालयों का यह निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित नहीं है क्योंकि वादीगण ने अभिलेख पर कागज का एक टुकड़ा भी यह दर्शाने के लिए नहीं लाया है कि समय के किसी बिन्दु पर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को किराएदार के रूप में प्रवेश दिया गया था अथवा वे अनुज्ञेय कब्जा रखते हुए वाद संपत्ति का उपभोग कर रहे थे। वादीगण अपने अभिधान का दावा कर रहे है जिसे उन्होंने अपने हितपूर्वाधिकारी से अर्जित किया जो सीताराम अग्रवाल एवं उनके तीन भाईयों से उत्पन्न हुआ। न तो सीताराम अग्रवाल और न ही उसके तीनों भाईयों (प्रतिवादी सं॰ 5 से 7) यह अभिसाक्ष्य देने के लिए उपस्थित हुए कि प्रतिवादियों को किराएदार के रूप में प्रवेश दिया गया था अथवा उन्हें वाद संपत्ति पर अनुज्ञेय कब्जा का उपभोग करने की अनुमति दी गयी थी। अत:, इस आधार पर दोनों न्यायालयों का निष्कर्ष जो साक्ष्य पर आधारित नहीं है विकृत है और इसे एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। वादीगण ने फिरंगी महतो द्वारा चंद्रकांत सिंह (प्रतिवादी सं॰ 1 का पिता) के पक्ष में दिनांक 11.2.1975 को निष्पादित विक्रय विलेख प्रदर्श D को अकृत एवं शून्य घोषित करने के लिए प्रार्थना नहीं किया है किंतु अवर न्यायालयों ने साक्ष्य के बिना प्रदर्श D को आरंभ से अकृत एवं शून्य घोषित कर दिया।

इसी प्रकार से, वादीगण ने सीताराम अग्रवाल एवं उसके तीन भाईयों द्वारा दिनांक 12.9.1983 को निष्पादित प्रदर्श F (धन रसीद) को चुनौती दिया है और उक्त संपत्ति के विक्रय के विरुद्ध 3500/- रुपयों की प्रतिफल राशि की रसीद अभिस्वीकृत करते हुए उनके द्वारा शपथ पर दिए गए शपथपत्र (प्रदर्श G) कूटरचित घोषित किया गया है किंतु ऐसे निष्कर्ष पर आने के लिए अभिलेख पर साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

अवर न्यायालयों ने प्रदर्श H पर चर्चा करते हुए कथन किया है कि प्रतिवादी सं॰ 2 को खरीद के लिए विक्रय विलेख अथवा करार अथवा पूर्वोक्त संपत्ति के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए निष्पादकों सीताराम अग्रवाल एवं उसके तीन भाईयों द्वारा सशक्त नहीं बनाया गया था। किंतु तब प्रदर्श H का पैरा 3 इस बिन्दु पर स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं॰ 2 को संपत्ति के विक्रय के लिए भी प्राधिकृत किया गया था और शक्ति दी गयी थी जिसके लिए उसे एटॉर्नी नियुक्त किया गया था। यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि संपत्ति की अनुसूची जिसके लिए प्रतिवादी सं॰ 2 को सामान्य मुख्तारनामा दिया गया था, प्रदर्श H में स्थान नहीं पाता है किंतु पैराग्राफों 1 एवं 2 का साथ पठन करने पर प्रकट होगा कि अनुसूची संपत्ति जिसके लिए सामान्य मुख्तारनामा दिया गया था, उपदर्शित की गयी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा जुगसलाई नगरपालिका के कर संग्राहक अ॰ सा॰ 4 का साक्ष्य निर्दिष्ट किया गया था और इसलिए मैंने सत्य सत्यापित करने के लिए निर्दिष्ट किया गया था और, इसलिए, मैंने सत्य सत्यापित करने के लिए इसका परीक्षण भी किया है। अ॰ सा॰ 4 के परिसाक्ष्य से यह स्पष्ट है कि गजानन्द अग्रवाल वाद संपत्ति पर कब्जा का उपभोग नहीं कर रहा था और उसका निवास स्थान भूखंड सं॰ 131 पर अवस्थित

है। वादीगण के अनुसार, भूखंड सं॰ 152 एवं 153 से संबंधित संपत्ति के साथ अनुसूची संपत्ति गजानन्द अग्रवाल द्वारा दिनांक 12.7.1984 को निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय विलेख (प्रदर्श 2/b) के माध्यम से खरीदी गयी थी। तत्पश्चात, इसे वर्ष 1991 में गुरुमुख सिंह (प्रतिवादी सं॰ 4) को बेचा गया था और गुरुमुख सिंह ने दिनांक 30.1.1995 को संपत्ति वादीगण को बेचा। न तो गजानन्द अग्रवाल ने और न ही गुरुमुख सिंह ने वाद परिसर के लिए अपीलार्थियों से कभी किराया वसूल किया। गजानंद अग्रवाल अथवा गुरुमुख सिंह द्वारा प्रतिवादीगण पर उनको वाद परिसर खाली करने अथवा उनके अपने कब्जा में अभिधान विलेख रखने तक किराया का भुगतान करने के लिए कहते हुए कोई नोटिस कभी तामील कभी नहीं किया गया था।

पुनः इस बिंदु पर कि वाद परिसर पर प्रतिवादीगण का कब्जा किराएदार का कब्जा था, अवर न्यायालयों का निष्कर्ष साक्ष्य अथवा दस्तावेज पर आधारित नहीं है। सीताराम अग्रवाल और उसके तीन भाईयों (प्रतिवादी सं॰ 5 से 7) ने प्रदर्शों F, G एवं H को कभी नहीं नकारा था और, इसलिए, पूर्वोक्त दस्तावेजों के विरुद्ध प्रतिकूल मत निर्मित नहीं किया जा सकता है।

उपर की गयी चर्चा की दृष्टि में, मेरा मत है कि अवर न्यायालयों ने विशेषतः प्रदर्शों H, 3, 3/A एवं अन्य दस्तावेजों पर विचार करने में और निष्कर्षों पर आने में अभिलेख की गलती किया है और इसलिए अवर न्यायालयों द्वारा दिया गया गलत निष्कर्ष संपोषित नहीं किया जा सकता है।

14. वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तर्क किया है कि प्रतिवादियों ने संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53A के अधीन प्रावधानित लाभ इप्सित करने के लिए विनिर्दिष्ट अभिवचन नहीं किया है और, इसलिए, द्वितीय अपील के चरण पर उक्त अभिवचन नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने **रामस्वरुप गुप्ता (मृत) विधिक प्रतिनिधियों द्वारा बनाम विशुन नारायण इंटर कॉलेज एवं अन्य, (1987)2 SCC 555,** प्रासंगिक पैरा 6, में विश्वास किया है जिसे यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

> *"6. fopkjkFk vk;k ç'u ;g g fd D;k çR;fFk;k u viu fyf[kr dFku e vko';d vfHkopu fd;k g fd vuKfIr vfèkfu;e dh èkkjk 60 (b) }kjk ;Fkk vuè;kr vçfrlgj.kh; Fkh vkj ;fn ,lk g] D;k ml vfHkopu dk leFku dju d fy, vfHky[k ij dkb lk{; ekt n gA ;g lfuf'pr g fd vfHkopu dh vuifLFkfr e] i{kk }kjk çLrr lk{;] ;fn gk] ij fopkj ugh fd;k tk ldrk gA ;g Hkh leku :i l lfuf'pr g fd fdlh i{k dk viu vfHkopu d ij tku dh vuefr ugh nh tk ldrh g vkj fd i{k }kjk viu }kjk LFkkfir ekey d leFku e leLr vko';d ,o rkfRod rF;k dk vfHkopu fd;k tkuk pkfg,A vfHkopu dk mí'; ,o ç;ktu fojkèkh dk ekey ft ldk lkeuk bl djuk g dk tkuu d fy, l{ke cukuk gA fu"i{k fopkj.k d fy, ;g vfuok;; g fd i{k dk vko';d rkfRod rF;k dk crkuk pkfg, rkfd nljk i{k pfdr u gk ldA fdr vfHkopuk dk mnkj vFkkUo;u fd;k tkuk pkfg,(cky dk [kky fudkyu oky rduhdh ifpnfx;k ij U;k; foQy dju d fy, ikfMR;i.k nf"Vdk.k viuk;k ugh tkuk pkfg,A dHkh&dHkkj] vfHkopu ,l 'kCnk e vfHk0;Dr fd, tkr g tk fofèk dh dBkj 0;k[;k d vu#i vfHk0;Dr :i l ekeyk ugh cuk ldr gA ,l ekey e] ç'u fofuf'pr dju d fy, vfHkopuk dk lkj vfHkfuf'pr djuk U;k;ky; dk dr0; gA :ijx ij vufpr tkj nuk okNuh; ugh g] bld ctk, vfHkopuk d lkj ij fopkj fd;k tkuk pkfg,A tc dHkh Hkh vfHkopuk dh deh d ckj e ç'u mBk;k tkrk g] vfHkopuk d Lo#i d ckj e vfèkd tkp ugh gkuk pkfg,] cfYd U;k;ky; dk irk yxkuk gkxk fd i{kx.k lkj e ekeyk ,o fook|dk dk tkur Fk ftu ij mudk fopkj.k fd;k x;kA tc ,d ckj ;g ik;k tkrk g fd vfHkopuk e dfe;k d ckotn i{kx.k ekeyk tkur Fk vkj o lk{; çLrr djd mu fook|dk ij fopkj.k d fy, vxlj g,] ml fLFkfr e] fdlh i{k*

dk vihy e vfHkopuk dh vuifLFkfr dk ç'u mBku dh NV ugh gkxhA Hkxorh çlkn cuke pnekyh e bl U;k;ky; dh loèkkfud U;k;ihB u bl ç'u ij fopkj djr g, lçf{kr fd;k%

*^^;fn dkb vfHkopu fofufn"Vr% ugh fd;k x;k g vkj fQj Hkh ;g foo{kk }kjk fook|d }kjk vkPNkfnr g vkj i{kx.k tkur Fk fd mDr vfHkopu fopkj.k e vrxLr Fkk] rc ;g rF; ek= fd vfHkopuk e vfHk0;Dr :i l og vfHkopu ugh fd;k x;k Fkk] ;g fdlh i{k dk bl ij fo'okl djul vko';dr% xjgdnkj ugh cuk,xk ;fn ;g lk{; }kjk lrk"ktud :i l fl) fd;k x;k gA fu%lng] lkekU; fu;e ;g g fd vurk"k i{kk }kjk fd, x, vfHkopuk ij vkèkkfjr gkuk pkfg,A fdrq tgk okn d nkuk i{kk d vfHkèkku l lcfèkr lkjoku ekeyk dk Nvk tkrk g] ;|fi eík ij vçR;{kr% vFkok vLi"V :i l Hkh] vkj mud ckj e lk{; fn;k x;k g] rc ;g rd fd vfHkopuk e ekeyk fo'k"k vfHk0;Dr :i l ugh dgk x;k g] 'k)r% vkipkfjd ,o rduhdh gkxk vkj ;g çR;d ekey e lQy ugh gk ldrk gA ,lh vkifÙk ij fopkj djr g, U;k;ky; dk ftl ij fopkj djuk g og ;g g fd D;k i{kx.k tkur Fk fd ç'uxr ekeyk fopkj.k e vrxLr Fkk vkj D;k mUgku bld ckj e lk{; fn;k Fkk\ ;fn ;g çrhr gkrk g fd i{kx.k ugh tkur Fk fd ekeyk fopkj.k e eík Fkk vkj mue l ,d dk bld lcèk e lk{; nu dk volj ugh feyk Fkk] og fu%lng fHkUu ekeyk gkxkA fdlh i{k dk ekeyk] ftld lcèk e nlj i{k u lk{; ugh fn;k Fkk vkj lk{; nu dk volj ugh feyk Fkk] ij fo'okl dju dh vuefr nuk çfrdyrk@iokxg dk fopkj ij%LFkkfir djxk vkj ,d i{k d lkFk U;k; dju e U;k;ky; nlj i{k d lkFk vU;k; ugh dj ldrk gA***

इस प्रकार, माननीय न्यायाधीशों द्वारा लिया गया दृष्टिकोण स्पष्टत: सुझाता है कि यदि अभिवचनों का सार अंतर्ग्रस्त विवाद्यक उपदर्शित करने के लिए पर्याप्त है और विरोधी अंतर्ग्रस्त हेतु एवं विवाद्यक जानता था और विचारण हेतु अग्रसर हुआ और दृष्टिकोण का विरोध करने के लिए साक्ष्य दिया, इसे अपील में उठाया जा सकता है।

वर्तमान मामले में, अपीलार्थियों ने संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53A के अधीन संरक्षण इप्सित किया है और, तद्नुसार, इस प्रभाव का विधि का सारवान प्रश्न भी विरचित किया गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53A के अधीन अंतर्विष्ट संरक्षण तथ्यों एवं विधि के मिश्रित प्रश्न पर विचार करता है। जहाँ तक 'तथ्य' भाग का संबंध है, अपीलार्थियों ने स्पष्टत: अभिवचन किया है कि वे वाद संपत्ति पर वर्ष 1975 से अर्थात् फिरंगी महतो द्वारा चंद्रकांत सिंह (प्रतिवादी सं॰ 1) के पक्ष में विक्रय विलेख का निष्पादन की तिथि से इसे अर्जित करने के बाद शांतिपूर्ण कब्जा का उपभोग कर रहे थे। यदि वर्ष 1975 से अपीलार्थियों का कब्जा नहीं माना जाता है, अभिलेख पर उपलब्ध स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रतिवादियों के कब्जा को सीताराम अग्रवाल एवं बजरंग अग्रवाल, दो भाईयों (दोनों राम कुमार दास अग्रवाल के पुत्र) द्वारा वर्ष 1979 से अच्छी तरह मान्यता दी गयी है। प्रतिवादियों के कब्जा को अभिस्वीकृत करते हुए, पूर्वोक्त दो भाईयों सीताराम अग्रवाल एवं बजरंग अग्रवाल द्वारा प्रतिवादी सं॰ 1 के पक्ष में दिनांक 13.2.1979 का विक्रय करार निष्पादित किया गया था, वादीगण के अधिवक्ता द्वारा यह प्रतिवाद किया गया था कि दिनांक 13.2.1979 के पूर्वोक्त करार ने अपना विधिक मूल्य खो दिया जब परिसीमा की अवधि के भीतर संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का वाद दाखिल नहीं किया गया था।

15. मैंने अवर न्यायालयों के निष्कर्षों का परिशीलन किया है और दोनों न्यायालयों ने वादीगण के पक्ष में विवाद्यक पर विचार किया है। यह सत्य है कि प्रतिवादी द्वारा दिनांक 13.2.1979 के करार को क्रियान्वित करने के लिए संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद दाखिल नहीं किया गया था किंतु तब दस्तावेज प्रमाण है कि उन्होंने संविदा के आंशिक पालन के रूप में कब्जा अर्जित किया था। इस संदर्भ

में, श्रीमंत श्याम राव सूर्यवंशी रूप में कब्जा अर्जित किया। इस संदर्भ में, **श्रीमंत श्याम राव सूर्यवंशी बनाम प्रह्लाद भैरोबा सूर्यवंशी, (2002)3 SCC 676,** मामले में निर्णय जिसका अनुसरण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **महादेव एवं अन्य बनाम तानाबाई (2004)5 SCC 88,** मामले में निर्णय में किया गया है, प्रासंगिक है और **महादेव (ऊपर)** के मामले में निर्णय के पैरा 8 को उद्धृत करना प्रासंगिक है:–

> *"8. mPp U;k;ky; dk fu.k; fu.k; fy[k tku d Øe d nkjku fojfpr ç'u ij vkèkkfjr g tk fofèk d nkuk ç'uk l gVdj e g ftu ij vihy luokb d fy, xg.k dh x;h FkhA lkjk tkj dnh; fook|dk l f'k¶V gk x;kA rc mPp U;k;ky; u fdlh fofèk ij ppk ugh fd;k g vkj nkuk voj U;k;ky;k }kjk leorh :i l fy, x, nf"Vdk.k l fHkUu nf"Vdk.k yu d fy, dkb dkj.k] lrk"ktud dkj.k dh rk ckr gh nj] ugh fn;k gA VhO ihO vfèkfu;e dh èkkjk 53A d ykHk l budkj dju d fy, mPp U;k;ky; }kjk fn;k x;k ,dek= dkj.k Jher ';ke jko l;o'kh cuke çgykn Hkjkok l;o'kh e bl U;k;ky; d fu.k; dh nf"V e Lo; e rdi.k dkj.k ugh gA bl U;k;ky; u vfHkfuèkkfjr fd;k g fd ek= blfy, fd Ørk dh çj.kk ij fofufn"V ikyu d fy, okn ifjlhek }kjk oftr gk x;k g] ;g Lo; e dkfct 0;fDr dk foØ; djkj d vkf'kd ikyu d vfHkopu d ykHk l budkj dju d fy, i;kIr ugh gA***

इस प्रकार, वाद संपत्ति पर अपीलार्थियों का कब्जा दिनांक 13.2.1979 के प्रथम करार की तिथि से स्वीकृत हुआ। अवर न्यायालयों ने प्रदर्शों F एवं G पर केवल इसलिए अविश्वास किया है कि इन्हें दिनांक 3.11.1983 के विक्रय करार की तिथि के पहले जारी किया गया था और शपथ पर दिया गया था। किंतु यह स्पष्ट है कि सीताराम अग्रवाल और उसके भाईयों ने धन रसीद जारी किया था, दिनांक 12.9.1983 को भुगतान एवं विक्रय अभिस्वीकृत करते हुए शपथ पर शपथ पत्र दिया था और तब प्रतिवादी सं॰ 2 के पक्ष में उसको अनुसूची संपत्ति के संबंध में समस्त कृत्य करने के लिए सशक्त बनाते हुए सामान्य आधार पर प्रतिवादी सं॰ 2 ने दिनांक 3.11.1983 को वाद संपत्ति के संबंध में प्रतिवादी सं॰ 1 के पक्ष में विक्रय करार निष्पादित किया था और आगे दिनांक 13.2.1979 के पूर्व करार को निर्दिष्ट किया। एटॉर्नी द्वारा निष्पादित पश्चातवर्ती विक्रय करार में पूर्व करार के प्रति निर्देश का अर्थ यह नहीं है कि पूर्व करार नवीकृत किया गया था। इसे सही मानते हुए भी कि दिनांक 3.11.1983 को प्रतिवादी सं॰ 1 के पक्ष में नया करार निष्पादित किया गया था। प्रदर्शों H, F एवं G पर अविश्वास करना अपराध में फँसाने वाली परिस्थिति नहीं है यदि इन्हें उस तिथि पर जारी किया गया था एवं शपथ पर दिया गया था जिस पर चारों भाईयों सीताराम अग्रवाल एवं प्रतिवादी सं॰ 5 से 7 ने प्रतिवादी सं॰ 2 के पक्ष में वाद संपत्ति के संबंध में मुख्तारनामा निष्पादित किया था।

16. उपर की गयी चर्चा की दृष्टि में, एक ओर, वाद संपत्ति पर अपीलार्थियों/प्रतिवादियों का कब्जा संपुष्ट हुआ जबकि गजानन्द अग्रवाल एवं पश्चातवर्ती खरीदार अर्थात् गुरुमुख सिंह एवं वादीगण वाद संपत्ति पर काबिज कभी नहीं हुए हैं और वह अ॰ सा॰ 4 ने साक्ष्य से भी प्रकट है। ऐसी परिस्थितियों के अधीन, अपीलार्थीगण संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53A के अधीन अंतर्विष्ट संरक्षण के हकदार हैं और उन्हें उससे बेदखल नहीं किया जा सकता है।

अपीलार्थियों ने आन्वयिक नोटिस का अभिवचन भी किया है जैसा संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के स्पष्टीकरण II के अधीन दिया गया है। कोई कठोर फॉर्मूला नहीं होना चाहिए कि हस्तांतरण विलेख जो समय में पूर्व था, बाद में निष्पादित हस्तांतरण विलेख पर अभिभावी होगा। न्यायालय को अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों पर यह विनिश्चित करने के लिए विचार करना होगा कि किसने

बेहतर अभिधान अर्जित किया था यदि दो अभिधान विलेख उपलब्ध हैं। अवर न्यायालयों ने विनिश्चित किया है कि दिनांक 11.10.1984 का विक्रय विलेख समय में बाद वाला है और इसलिए वादीगण के हित पूर्वाधिकारी के पक्ष में दिनांक 12.7.1984 को निष्पादित विक्रय विलेख के विरुद्ध अभिभावी नहीं होगा। अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य उपदर्शित करते हैं कि सीताराम अग्रवाल और उसके भ्रातागण, गजानन्द अग्रवाल, गुरुमुख सिंह और वादीगण भी एक ही मुहल्ला के निवासी हैं और उन सब का विवादित संपत्ति के निकट में निवास स्थान है। उन्होंने प्रतिवादियों से अपने पक्ष में किए गए संव्यवहार के पहले समय के किसी बिन्दु पर प्रतिवादियों से पूछताछ नहीं किया था कि वे किस हैसियत अथवा प्राधिकार के अधीन वाद परिसर का अधिभोग कर रहे हैं।

17. इस संबंध में वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने **AIR 1987 Patna Page 5** पर प्रकाशित निर्णय पर विश्वास किया है किंतु वर्तमान मामले के तथ्य भिन्न हैं। अपीलार्थीगण संपत्ति के छोटे भाग का अधिभोग नहीं कर रहे थे बल्कि वे भूखंड सं॰ 151 पर अधिभोग एवं कब्जा में थे। सीताराम अग्रवाल एवं उसके तीन भाईयों ने भूखंड सं॰ 151, 152 एवं 153 से संबंधित एकल विक्रय विलेख गजानन्द अग्रवाल के पक्ष में निष्पादित किया था। समस्त तीनों भूखंडों का उनका भिन्न पहचान था जो इस तथ्य से भी प्रकट होता है कि भूखंड सं॰ 153 पूरनी देवी के नाम में दर्ज किया गया था और इसलिए गजानंद अग्रवाल ने भूखंड सं॰ 153 से संबंधित विक्रय विलेख अपने पक्ष में पूरनी देवी द्वारा निष्पादित करवाया। चूँकि वादीगण ने प्राधिकार जिसके अधीन अपीलार्थीगण वाद संपत्ति पर अपने कब्जा का अधिभोग कर रहे थे के बारे में पूछताछ नहीं किया था, उन्हें सद्भावपूर्ण खरीदार नहीं माना जा सकता है। निर्देश के लिए संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 का स्पष्टीकरण II यहाँ नीचे दिया जा रहा है:–

> ***^^Li"Vhdj.k III***—*;fn fdlh 0;fDr d vfHkdrk dk fdlh rF; dh ml dkjckj d vuØe e] ftld fy, og rF; rkfRod g] mlI 0;fDr dh vkj l dk; djr g, lpuk fey tkrh g rk ;g le>k tk,xk fd ml rF; dh lpuk ml 0;fDr dk Fkh(*
>
> *ijUr ;fn vfHkdrk diViod rF; dk fNik yrk g rk tgk rd fd ml 0;fDr dk lEcU/k g] tk ml diV e i{kdkj Fkk ;k vU;Fkk mldk lKku j[krk Fkk] mldh lpuk ekfyd ij vkjkfir u dh tk,xhA*

वादीगण ने स्वयं खतियान (प्रदर्श 9, 9/A एवं 9/B) सिद्ध किया है। प्रदर्श 9 में, खाता सं॰ 413 के अधीन, भूमि अनाबाद बिहार सरकार के नाम में दर्ज की गयी है किंतु भूखंड सं॰ 151 एवं 152 के विरुद्ध सीताराम का अवैध कब्जा और भूखंड सं॰ 153 के विरुद्ध पूरनी देवी का कब्जा दर्ज किया गया है किंतु वादीगण ने बिहार राज्य को वाद का पक्ष नहीं बनाया है।

पुन: यह संप्रेक्षित किया जाता है कि संबंधित पक्षों द्वारा अभिलेख पर लाए गए दस्तावेज का समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है और दोनों न्यायालयों ने निष्कर्ष पर आने में दस्तावेजों का गलत अर्थ लगाया।

18. परिणामस्वरुप, अपीलार्थियों द्वारा किए गए निवेदनों एवं ऊपर की गयी चर्चा की दृष्टि में यह द्वितीय अपील अनुज्ञात की जाती है और अभिधान अपील सं॰ 4 वर्ष 2000 में प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, पूर्व सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा पारित एवं हस्ताक्षरित दिनांक 24.11.2003 का निर्णय, दिनांक 15.12.2003 की डिक्री और अभिधान वाद सं॰ 56 वर्ष 1996 के संबंध में विद्वान मुंसिफ द्वारा पारित एवं हस्ताक्षरित दिनांक 14.10.1999 का निर्णय एवं दिनांक 27.11.1999 की डिक्री एतद् द्वारा अपास्त की जाती है और वादीगण द्वारा लाया गया अभिधान वाद सं॰ 56 वर्ष 1996 व्यय के साथ खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; inhi dekj ekgrh] dk;dkjh e[; U;k;kèkh'k ,o vkun lu] U;k;efr

बासुदेव प्रसाद यादव

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (DB) No. 871 of 2005. Decided on 19th November, 2016.

सत्र विचारण सं॰ 10 वर्ष 2004 में श्री सुनील कुमार सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक न्यायालय सातवां, गिरीडीह द्वारा पारित दिनांक 3 मई, 2005 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दंडादेश के विरूद्ध।

(क) भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 364-A/120-B–फिरौती के लिए अपहरण तथा षडयंत्र–अभियोजन मामला केवल सूचनादाता तथा पीड़ित के बयानों पर आधारित है–सूचनादाता एक अति हितबद्ध गवाह है तथा कुछ सम्पोषण की आवश्यकता थी–स्वतंत्र गवाहों को रोके रखना अभियोजन मामले को खंडित कर देता है–अभियोजन अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप को सभी युक्तिसंगत संदेहों से परे सिद्ध करने में सक्षम नहीं रहा है–दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त। (पैराएँ 19, 20, 23 से 28)

(ख) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872–धारा 134–गवाहों की संख्या–यह गवाह की संख्या नहीं बल्कि गुणवत्ता है जो तात्विक होती है–यह देखा जाना होगा कि क्या किसी गवाह की अपरीक्षा मामले को और आगे ले जायेगी जिससे कि अन्य गवाह के साक्ष्य प्रभावित हों–अगर अभियोजन मामले को प्रकट करने के लिए किसी गवाह का साक्ष्य वास्तव में अनिवार्य नहीं है, इसपर एक तात्विक गवाह के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है। (पैरा 21)

निर्णयज विधि.–(2001)6 SCC 145—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Ram Lakhan Yadav, For the Appellant; Mr. Azimuddin, For the State.

आनंद सेन, न्यायमूर्ति.–अपीलार्थी बासुदेव प्रसाद यादव की भारतीय दंड संहिता की धाराओं 364(A)/120B के अधीन एक अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्धि की गयी थी एवं उसे आजीवन कारावास भुगतने एवं 5,000/– रुपये का जुर्माना अदा करने का भी दंडादेश सुनाया गया है। सत्र विचारण सं॰ 10 वर्ष 2004 (जी॰ आर॰ संख्या 890/03 तक तत्सम गवण पुलिस थाना केस सं॰ 26/03 से उद्भूत) में अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक न्यायालय संख्या 7वां, गिरिडीह द्वारा पारित दिनांक 3 मई, 2005 को दोषसिद्धि का पूर्वोक्त निर्णय तथा दंडादेश पारित किया गया है।

2. स्वर्गीय तोरल साव के पुत्र किसी विष्णु साव (अ॰ सा॰ 1) द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी थी उसमें यह कथित करते हुए कि 25.5.2003 को लगभग 10 बजे अपराह्न में उसका पुत्र संतोष कुमार साव (पीड़ित एवं अ॰ सा॰ 3) कई अन्य गांववालों के साथ ट्रैक्टर द्वारा यज्ञ देखने के लिए कहुबारी गांव गया था। ट्रैक्टर चालक दामोदर चौधरी (अ॰ सा॰ 4) द्वारा चलाया जा रहा था। 25/26.5.2003 की बीच की रात्रि में कहुबारी गांव से लौटते हुए लगभग 1 बजे पूर्वाह्न में जब वह घाघरा पुल के निकट पहुंचे थे, अचानक ही पिस्तौल इत्यादि से लैस 7–8 व्यक्तियों/उपद्रवियों ने सड़क जाम कर दिया था एवं उक्त ट्रैक्टर को रोक दिया था। उनमें से एक ने चालक की ओर पिस्तौल तान लिया था तथा अन्य सूचनादाता के पुत्र संतोष कुमार साव को उनके साथ दक्षिणी दिशा की ओर ले गये थे। उपद्रवियों ने तौलियों से अपने चेहरे ढक रखे थे। फर्दबयान में यह भी उल्लिखित किया गया था कि उसके पुत्र के साथ पंकज

साव एवं किसी ''चांदशी डॉक्टर'' समेत कई अन्य व्यक्ति ट्रैक्टर पर थे। सूचनादाता ने अपना संदेह व्यक्त किया था कि फिरौती के लिए उसके पुत्र का अपहरण किया गया है।

3. उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 364(A)/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अज्ञात के विरूद्ध गवन पुलिस थाना केस सं॰ 26 वर्ष 2003 दर्ज किया गया था।

4. अन्वेषण के पूरा हो जाने पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 364(A)/120B के अधीन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल किया गया था। सभी प्रावधानों का उल्लंघन करने के उपरान्त, मामला विचारण के लिए सत्र न्यायालय भेज दिया गया था। इस अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप विरचित किये गये थे तथा उसका विचारण किया गया था क्योंकि उसने आरोपों का दोषी न होने का अभिवचन किया था।

5. अपने मामले को सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने कुल मिलाकर पांच अभियोजन साक्षियों को परीक्षित किया था एवं कई दस्तावेजों को भी प्रदर्शित किया था। अ॰ सा॰ 1 विष्णु साव है जो पीड़ित संतोष कुमार साव का पिता तथा मामले का सूचनादाता है। अ॰ सा॰ 2 राजकुमार सिंह है, अ॰ सा॰ 3 संतोष कुमार साव (पीड़ित) है, अ॰ सा॰ 4 दामोदर चौधरी है जो ट्रैक्टर का चालक है तथा अ॰ सा॰ 5 रति वान सिंह मामले का अन्वेषण पदाधिकारी है।

6. अभियोजन ने निम्नांकित दस्तावेजों को भी पेश किया था, जो उसके द्वारा प्रदर्शित किये गये थे:–

in'k 1&Qnc;ku ij lpuknkrk dk gLrk{kjA

in'k 1@1&lc bLiDVj jfr oku flg d Qnc;ku ij gLry[k rFkk gLrk{kjA

in'k 1@2&jfr oku flg dh fy[kkoV rFkk gLrk{kj e Qnc;ku dk i"BkduA

in'k 2&lrk"k dekj }kjk fyf[kr fnukd 1.5.2003 dk i=A

in'k 2@1&fnukd 5.6.2004 dk i=A

in'k 2@2&fnukd 5.6.2004 dk i=A

in'k 2@3&fnukd 1.5.2004 dk i=A

in'k 2@4&vfHkxg.k lph ij fo".k lkg dk gLrk{kjA

in'k 2@5&in'k 2@2 ij lrk"k dekj dk gLrk{kjA

in'k 2@6&vfHkxg.k lph ij jfr oku flg dk gLrk{kjA

in'k 3&vkipkfjd ikFkfedh ij jfr oku flg dh fy[kkoV rFkk gLrk{kjA

7. अभियोजन के साक्ष्य के बंद हो जाने के उपरान्त, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का बयान अभिलिखित किया गया था। अभियुक्त ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया।

8. साक्ष्य का विश्लेषण करने के उपरान्त, विचारण न्यायालय ने दिनांक 3 मई, 2005 के अपने निर्णय के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 354(A)/120B के अधीन दंडनीय अपराध के लिए इस अपीलार्थी/अभियुक्त की दोषसिद्धि की थी एवं उसे 5,000/- रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश सुनाया था।

9. अपीलार्थी को अधिनिर्णीत दोषसिद्धि तथा दंडादेश के उक्त निर्णय से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील दाखिल की है।

10. हमने अपीलार्थी के लिए उपस्थित होनेवाले विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के लिए उपस्थित होनेवाले विद्वान लोक अभियोजक को सुना है।

11. अपीलार्थी के लिए उपस्थित होनेवाले विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अपीलार्थी पूर्ण रूप से निर्दोष है तथा उक्त अपराधों के लिए उसकी दोषसिद्धि करने हेतु कोई सामग्री नहीं है। वह यह भी निवेदन करते हैं कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से कल्पना के किसी भी उड़ान द्वारा इस अपीलार्थी की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती थी। वह निवेदन करते हैं कि प्रस्तुत साक्ष्य के कोरे परिशीलन से यह आसानी से समझा जा सकता है कि अभियोजन इस अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकट कृत्य को सिद्ध करने में विफल रहा है। वह यह भी निवेदन करते हैं कि सूचनादाता (अ० सा० 1), पीड़ित के पिता के बयानों में तथा अ० सा० 3, पीड़ित द्वारा दिये गये बयान में तात्विक विरोधात्मकताएं हैं, जो अभियोजन के लिए घातक हैं। यह भी निवेदन किया गया है कि घटना के तात्विक गवाहों को अभियोजन द्वारा किसी स्पष्टीकरण के बिना रोक रखा गया है जो स्पष्ट रूप से अभियोजन मामले के झूठ को इंगित करता है। वह यह भी निवेदन करते हैं कि इस प्रभाव से अभियोजन मामले का समर्थन करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह सामने नहीं आया था कि अ० सा० 1 द्वारा इस अपीलार्थी को फिरौती दी गयी थी तथा इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 364(A) के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती थी। अभियोजन द्वारा षडयंत्र में सम्मिलित होने का घटक भी सिद्ध नहीं किया गया है तथा इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 120B की कोई प्रयोज्यता नहीं हो सकती है। अंततः, वह निवेदन करते हैं कि अभियोजन सभी युक्तिसंगत संदेह से परे इस अपीलार्थी का दोष सिद्ध करने में विफल रहा है तथा इस प्रकार वह दोषमुक्त किये जाने का हकदार है।

12. दूसरी ओर, विद्वान ए० पी० पी० निवेदन करते हैं कि सभी गवाहों के साक्ष्य सुसंगत हैं। वह निवेदन करते हैं कि अ० सा० 1, पीड़ित के पिता ने स्पष्टतः कथित किया है कि उसने अपहरणकर्त्ताओं को फिरौती का भुगतान किया था तथा इस गवाह के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए अवर न्यायालय ने उचित रूप से इस अपीलार्थी की दोषसिद्धि की है। वह यह भी निवेदन करते हैं कि ट्रैक्टर के चालक, अर्थात्, अ० सा० 4 दामोदर चौधरी ने स्पष्टतः कथित किया है कि पीड़ित संतोष कुमार साव (अ० सा० 3) का उसकी मौजूदगी में अपहरण किया गया था। वह निवेदन करते हैं कि अ० सा० 1 ने अन्य के साथ इस अपीलार्थी की मौजूदगी सिद्ध की है तथा इस प्रकार, इस अपीलार्थी की दोषसिद्धि पूर्ण रूप से न्यायसंगत है तथा उसकी अपील खारिज किये जाने योग्य है।

13. हमने अभिसाक्ष्यों तथा प्रदर्शों समेत अवर न्यायालय के समूचे अभिलेख का अवलोकन किया है। यह प्रतीत होता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 364(A)/34 के अधीन अज्ञात के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी थी। अ० सा० 1 पीड़ित का पिता तथा इस मामले का सूचनादाता भी है। स्वीकार्यतः अ० सा० 1 अपहरण के घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। उसने अपने साक्ष्य में कथित किया है कि उसका पुत्र संतोष कुमार साव किसी राजकुमार सिंह, पंकज साव, चांदशी डॉक्टर तथा कई अन्य के साथ 25.5.2003 को यज्ञ देखने गया था। उसने कथित किया कि दामोदर चौधरी (अ० सा० 4) द्वारा वाहन चलाया जा रहा था। उसने कथित किया कि अगले दिन जब यह व्यक्ति लौटे थे, उन्होंने सूचित किया था कि संतोष का उपद्रवियों द्वारा अपहरण कर लिया गया है। उसने कथित किया कि वह पुलिस थाना गया था एवं अपना बयान दर्ज कराया था। उसका मौखिक कथन पुलिस पदाधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था एवं इसे सही पाते हुए उसने अपना हस्ताक्षर कर दिया था। उसका हस्ताक्षर प्रदर्श 1 के रूप में अंकित किया गया था। उसने यह भी कथित किया कि घटना के चार दिनों के बाद, उसे एक पत्र मिला था जो उसके घर के सामने पड़ा हुआ था। पुनः कोई महेन्द्र साव एक अन्य पत्र लेकर आया था जिससे उसे मालूम हुआ था कि उसे धाब जंगल में उपद्रवियों द्वारा बुलाया गया है। उसने कथित किया कि वह महेन्द्र साव तथा भीमलाल साव के साथ धाव जंगल गया था जहां 10–12 उपद्रवी आये थे एवं उससे 10 लाख रुपये की मांग की थी तथा उन्होंने उसपर प्रहार भी किया था जिसपर वह अचेत हो गया था। उसने कथित किया कि वह अपीलार्थी तथा बालेश्वर यादव को पहचान सका था जो उपद्रवियों के साथ

मौजूद थे। उसने यह भी कथित किया कि दो दिनों के बाद महेन्द्र साव एक अन्य पत्र के साथ आया था तथा उससे जंगल के क्षेत्र में जाने का आग्रह किया था। पुनः, वह (अ॰ सा॰ 1) महेन्द्र साव तथा भीमलाल साव के साथ फिरौती के धन समेत उसी स्थान तक गया था जहां अपहरणकर्त्ताओं ने धन ले लिया था एवं उसे वहां प्रतीक्षा करने के लिए छोड़ दिया गया था। लगभग 9 बजे अपराह्न में उसके पुत्र को लाया गया था तथा इसके बाद दोनों अपने घर लौट गये थे। जिन पत्रों द्वारा फिरौती की मांग की गयी थी, उन्हें उसके द्वारा सिद्ध एवं प्रदर्शित किया गया था।

अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने कथित किया था कि वह उपरोक्त नामजद दो व्यक्तियों के सिवाय उपद्रवियों में से किसी को पहचान नहीं सका था। उसने यह भी कथित किया कि जब वह फिरौती के साथ गया था, यह अपीलार्थी वहां मौजूद नहीं था तथा उसने फिरौती का धन बालेश्वर यादव के हवाले कर दिया था।

14. अ॰ सा॰ 2 राज कुमार सिंह है, जो पीड़ित के सह-यात्रियों में से एक था। उसने अभिसाक्ष्य दिया था कि उसके साथ पंकज, चंदशी डॉक्टर, परिवार के सदस्य एवं ट्रैक्टर के चालक दामोदर चौधरी थे जो सभी यज्ञ देखने के लिए गये थे। उन्होंने कथित किया कि 7-8 उपद्रवी हथियारों से लैस आये थे तथा संतोष कुमार साव (अ॰ सा॰ 3) का अपहरण कर लिया था। उसने स्पष्ट रूप से कथित किया था कि वह उन व्यक्तियों/उपद्रवियों में से किसी को पहचान नहीं सका था जिन्होंने संतोष का अपहरण किया था परन्तु बाद में उसने कथित किया था कि पंकज ने बाद में बताया था कि उपद्रवियों में से एक बालेश्वर यादव (सह-अभियुक्त) था।

15. अ॰ सा॰ 3 संतोष कुमार साव है जो पीड़ित है, उसने कथित किया था कि राज कुमार सिंह, चांदशी डॉक्टर, विनोद, पंकज एवं अन्य महिलाओं के साथ यज्ञ देखने गया था। लौटते समय, उसका अपहरण कर लिया गया था। उसने यह भी कथित किया कि उपद्रवियों द्वारा उसे जंगल में रखा गया था एवं उनके द्वारा मारा-पीटा भी गया था। उसने कथित किया कि उसे अपने पिता को पत्र लिखने के लिए बाध्य किया गया था तथा उक्त पत्र के माध्यम से फिरौती के रूप में 10 लाख रुपये की मांग की गयी थी। उसने अपने द्वारा लिखे गये पत्रों को प्रदर्शित भी किया था। उसने किसी बालेश्वर यादव, सूरज यादव, सुरेश यादव तथा महेश्वर यादव के साथ इस अपीलार्थी की उपद्रवियों के तौर पर शिनाख्त की थी। उसने कथित किया कि उसे उसके पिता से मालूम हुआ था कि फिरौती के रूप में 1,25,000/- रुपये दिये गये थे। उसने कथित किया कि उसे मनिहर जंगल में छोड़ा गया था तथा अपनी मुक्ति के बाद वह अपने घर वापस आ गया था।

16. अ॰ सा॰ 4 दामोदर चौधरी है, जो ट्रैक्टर का चालक था। उसने कथित किया था कि वह उस ट्रैक्टर को चला रहा था जो पीड़ित का था। उसने कथित किया कि 25.5.2003 को राजकुमार सिंह, पंकज, संतोष साव (पीड़ित) एवं कई अन्य महिलाएं तथा बच्चे यज्ञ देखने गये थे। लौटते समय, जब वे घाघरा नदी के निकट पहुंचे थे, ट्रैक्टर को सात-आठ व्यक्तियों/उपद्रवियों द्वारा रोक दिया गया था, जो हथियारों से लैस थे। उपद्रवी अपने साथ संतोष को ले गये थे। उसने कथित किया कि बाद में पंकज, जो उक्त ट्रैक्टर का एक यात्री भी था, ने उसके समक्ष प्रकट किया था कि वह उपद्रवियों में से एक के तौर पर बालेश्वर यादव को पहचान सका था। उसने कथित किया कि वापस लौटने के उपरान्त वह अपने नियोक्ता (अ॰ सा॰ 1) के पास गया था तथा समूची वृत्तांत सुनाया था। अपनी प्रतिपरीक्षा में, उसने कथित किया था कि पंकज ने उपद्रवियों में से एक के रूप में केवल बालेश्वर यादव का नाम प्रकट किया था।

17. अ॰ सा॰ 5 मामले का अन्वेषण पदाधिकारी है, जिसने कथित किया कि 26.5.2003 को उसने अफवाहें सुनी थी कि पिहरा गांव के एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, उसने स्टेशन डायरी में प्रविष्टि किया था एवं पिहरा गांव गया था। उसने यह भी कथित किया कि गांव में उसने सूचनादाता अ॰ सा॰ 1 का फर्दबयान दर्ज किया था तथा उसे यह मालूम हो सका था कि उसके पुत्र का अपहरण कर लिया गया है। अ॰ सा॰ 1 द्वारा प्राथमिकी प्रदर्शित की गयी है एवं प्रदर्श 1/1

के रूप में अंकित की गयी थी। उसने स्वयं मामले का अन्वेषण प्रारंभ किया था एवं सूचनादाता के पुनर्कथन समेत गवाहों के बयानों को दर्ज किया था। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि 27.5.2003 को वह गांव गया था तथा उसे यह मालूम हुआ था कि उपद्रवियों ने सूचनादाता को बुलाया है तथा पत्र लिखा है एवं फिरौती के रूप में 10 लाख रुपये की मांग की है। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसे यह मालूम हो सका था कि सूचनादाता (अ० सा० 1), अर्थात्, पीड़ित के पिता पर उपद्रवियों द्वारा प्रहार किया गया था। उसने उस पत्र को जब्त कर लिया था जिसे प्रदर्श 2/6 के रूप में अंकित किया गया था। उसने कथित किया कि वह पुनः 20.6.2003 को गांव गया था एवं यह जान सका था कि पीड़ित को अपराधियों द्वारा छोड़ दिया गया है तथा वह अपने घर वापस आ गया है।

18. दं० प्र० सं० की धारा 313 के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थी की परीक्षा की गयी थी जिसने उसके विरूद्ध लगाये गये अभिकथन से पूर्ण रूप से इनकार किया था तथा कथित किया था कि उसे इस घटना के बारे में जानकारी नहीं है तथा उसे इस मामले में झूठ मूठ आलिप्त कर दिया गया है। उसने कथित किया कि उक्त घटना के छह महीने पहले वह दिल्ली जाने के लिए गांव पहले ही छोड़ चुका था। उसने कथित किया कि पहले वह पीड़ित का चालक था तथा जब उसने अपने बकायों की मांग की थी, उसे इस मामले में झूठमूठ फंसा दिया गया है।

19. अब, इन साक्ष्यों पर, यह परीक्षित किया जाना है कि अभियोजन अपने मामले को सभी युक्तिसंगत संदेह से परे सिद्ध करने में सक्षम रहा है या नहीं। यह स्वीकार किया गया है कि प्राथमिकी अज्ञात के विरूद्ध है। अ० सा० 1, सूचनादाता चश्मदीद गवाह नहीं हैं। घटना का गवाह अ० सा० 4, ट्रैक्टर का चालक तथा पीड़ित-अ० सा० 3 है। चालक ने अपने साक्ष्य में कथित किया है कि हथियारों तथा पिस्तौल से लैस अज्ञात अपराधियों ने रात्रि में घाघरा पुल के निकट ट्रैक्टर को रोक दिया था एवं संतोष (अ० सा० 3) को ले गये थे। उसने यह भी कथित किया कि चंदसी डॉक्टर, पंकज, विनोद समेत कई अन्य व्यक्ति उक्त ट्रैक्टर में मौजूद थे। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि पंकज, जो सह-यात्रियों में से एक था, ने घटना के तुरंत बाद प्रकट किया था कि बालेश्वर यादव उपद्रवियों में से एक था। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि उनके गांव लौट जाने के उपरान्त, उसने समूचा वृत्तांत अपने नियोक्ता, अर्थात्, अ० सा० 1, सूचनादाता को सुनाया था। यह पर्याप्त रूप से चौंकाने वाला है कि यद्यपि जबकि घटना के उपरान्त अभियुक्तों में से एक बालेश्वर यादव का नाम तुरंत प्रकट कर दिया गया था, फिर भी प्राथमिकी में अभियुक्त के रूप में उसका नाम सामने नहीं आया था। यह स्वीकार किया गया है कि इस अपीलार्थी का नाम अ० सा० 4 द्वारा प्रकट नहीं किया गया था। अ० सा० 1, 2, 3 एवं 4 के साक्ष्य के अनुसार उक्त ट्रैक्टर में कई यात्रीगण थे जो पीड़ित के साथ गये थे। यह भी चौंकाने वाला है कि अभियोजन मामले का समर्थन करने के लिए गवाह के रूप में अभियोजन द्वारा इन व्यक्तियों में से किसी को भी पेश नहीं किया गया था। अभियोजन मामला पूर्ण रूप से अ० सा० 1, सूचनादाता तथा अ० सा० 3, पीड़ित के बयान पर अवलंबित है। अ० सा० 1 ने अभिसाक्ष्य दिया था कि कोई महेन्द्र साव अपहरणकर्त्ताओं से पत्र लेकर आया था जिसमें फिरौती की मांग की गयी थी। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि वह महेन्द्र साव तथा भीमलाल साव के साथ जंगल गया था एवं उपद्रवियों से मिला था परन्तु दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों, अर्थात्, महेन्द्र साव तथा भीमलाल साव को अभियोजन द्वारा पेश नहीं किया गया है। उसने कथित किया कि दो गवाहों, अर्थात्, महेन्द्र साव तथा भीमलाल साव की मौजूदगी में उपद्रवियों को 1.25 लाख रुपये का भयादोहन धन सौंपा गया था। पुनः इस सौदे को सिद्ध करने के लिए, न तो महेन्द्र साव और न ही भीमलाल साव को गवाह के रूप में पेश किया गया था। अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने स्पष्ट रूप से कथित किया है कि यह अपीलार्थी उपद्रवियों को फिरौती का धन सौंपे जाने के समय मौजूद नहीं था। उसने यह भी कथित किया कि फिरौती का धन प्राप्त करने के उपरान्त उसके पुत्र को लाया गया था तथा वह अपने पुत्र के साथ अपने घर लौट आया था। इस बिन्दु पर, अ० सा० 3, पीड़ित के अभिसाक्ष्य की ओर ध्यान आकर्षित कराना आवश्यक है। उसने कथित किया था कि उसे मनीहर जंगल में उपद्रवियों द्वारा छोड़ दिया

गया था जहां से वह अपने घर लौट आया था। उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा था कि उसे उसके पिता के पास लाया गया था तथा तत्पश्चात् वे दोनों अपने घर लौट आये थे। अ॰ सा॰ 3 के अभिसाक्ष्य से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वह भी फिरौती के भुगतान का चश्मदीद गवाह नहीं है। उसने कथित किया कि उसे अपने पिता से ही यह मालूम हुआ था कि उसकी रिहाई के लिए फिरौती के रूप में 1.25 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। फिरौती के भुगतान का एकमात्र गवाह महेन्द्र साव तथा भीमलाल साव हैं, जिन्हें विचित्र रूप से गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया था।

20. अ॰ सा॰ 5 अन्वेषण पदाधिकारी ने अपने अभिसाक्ष्य में कथित किया है कि उसने गांव में ही सूचनादाता का फर्दबयान अभिलिखित कर लिया था, जबकि सूचनादाता ने अपने अभिसाक्ष्य में कथित किया था कि वह पुलिस थाना गया था जहां उसने सूचना दिया था कि उसके पुत्र का अपहरण कर लिया गया है तथा पुलिस द्वारा उसका फर्दबयान वहीं अभिलिखित किया गया था। अन्वेषण पदाधिकारी ने यह भी कथित किया 26.5.2003 को अन्वेषण के अनुक्रम में वह गांव गया था तथा उसके बाद ही उसे मालूम हो सका था कि पीड़ित घर लौट आया है। अ॰ सा॰ 1 के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अन्वेषण पदाधिकारी को पहले फिरौती के भुगतान के बारे में सूचित नहीं किया गया था।

21. अब यह सुस्थापित है कि यह गवाह की संख्या तथा मात्रा नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता है जो महत्वपूर्ण होती है। अभिलेख पर उपलब्ध ऐसे साक्ष्य की विश्वसनीयता पर विचार करना न्यायालय का दायित्व है जो भरोसा उत्पन्न करता है तथा इसे स्वीकार किया जाना है तथा इसपर कार्रवाई की जानी है तथा ऐसी स्थिति में अन्य गवाहों की अपरीक्षा के तथ्य से कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए। यह भी देखा जाना है कि ऐसे गवाह की ऐसी अपरीक्षा मामले को आगे ले जायेगी या नहीं जिससे कि अन्य गवाहों का साक्ष्य प्रभावित हो तथा अगर किसी गवाह का साक्ष्य अभियोजन मामले को प्रकट करने के लिए वास्तव में आवश्यक नहीं है, इसे एक महत्वपूर्ण गवाह नहीं माना जा सकता है।

22. महत्वपूर्ण गवाहों की अपरीक्षा/महत्वपूर्ण गवाहों को रोक रखने के मुद्दे पर **(2001) 6 SCC 145** में रिपोर्ट किये गये **तखाजी हीराजी बनाम ठाकोर कुबेरसिंह चमनसिंह एवं अन्य** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार किया गया था। उक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने राय दिया है कि:–

> *^^;g lgh g fd vxj fdlh rkfRod xokg dk] tk ?kVuk dh mRiÙkh fcUn ;k vfHk;ktu ekey d fdlh vfuok;] i{k dk idV djxk] Hkjkl d lkFk vU;Fkk lkeu ugh yk;k tkrk g] ;k tgk vfHk;ktu ekey e dkb vrjky ;k ncyrk g ftldh fdlh xokg dh ijh{kk djd vkifr ;k {kfrifr dh tk ldrh Fkh ftl miyCèk gku ij Hkh ijhf{kr ugh fd;k x;k g] vfHk;ktu ekey dk ,d deh l xLr ekey d :i e crk;k tk ldrk g rFkk ,l egRoi.k xokg dk jkd j[ku l U;k;ky; vfHk;ktu d fo:) ,d ifrdy fu"d"k fudkyu d fy, ckè; gkxk ,lk fu.khr djd fd vxj bl xokg dh ijh{kk dh x;h gkrh] blu vfHk;ktu ekey dk leFku ugh fd;k gkrkA nljh vkj] vxj igy l gh vfriHkkoh lk{; miyCèk g rFkk vU; xokgk dh ijh{kk doy igy l iLrr lk{; dh iujkofÙk ;k udy ek= gkxh] ,l fdlh xokg dh ijh{kk egRoi.k ugh gk ldrh gA ,lh n'kk e U;k;ky; dk iLrr lk{; d egRo dh loh{kk djuh gA rF;k d U;k;ky; dk vko';d :i l viu vki l iNuk g fd D;k ekey d rF;k rFkk ifjfLFkfr;k e] ,lh vU; xokg dh ijh{kk djuk vko';d Fkk] rFkk vxj ,lk g] D;k ,lk xokg ijhf{kr fd; tku d fy, miyCèk Fkk rFkk fQj Hkh U;k;ky; l ml nj j[kk x;k Fkk\ vxj mÙkj gk e g] rHkh ,d ifrdy fu"d"k fudkyu dk i'u mnHkr gk ldrk gA vxj igy gh ijhf{kr xokg fo'oluh; g rFkk mud e[k l lkeu*

*vkuokyk ifjlk{; v[kMuh; g] U;k;ky; vU; xokgk dh vijh{kk d rF; l iHkkfor g, fcuk blij ljf{kr :i l dkjokb dj ldrk gA***

23. इस प्रकार, पूर्वोल्लिखित निर्णय से यह प्रकट है कि प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों से पृथक रूप से निपटा जाना है। प्रस्तुत मामले में, उक्त निर्णयाधार को लागू करके यह देखा जाना है कि इन दो गवाहों की परीक्षा करना आवश्यक था या नहीं तथा क्या ऐसे गवाह परीक्षित किये जाने के लिए उपलब्ध थे, फिर भी न्यायालय से उन्हें दूर रखा गया था? प्रस्तुत मामले में, अभियोजन मामले के अनुसार अ॰ सा॰ 1, अर्थात्, सूचनादाता के अलावा महेन्द्र साव एवं भीम लाल साव नामक दो अन्य व्यक्ति थे जो फिरौती के भुगतान को सिद्ध करने के लिए विश्वसनीय साक्षी थे। ये दो व्यक्ति निश्चित रूप से परीक्षित किये जाने के लिए उपलब्ध थे परन्तु फिर भी उन्हें रोक रखा गया था। चूँकि, इन दोनों गवाहों की परीक्षा नहीं की गयी थी, फिरौती के भुगतान के बिन्दु पर एकमात्र गवाह अ॰ सा॰ 1 है जो सूचनादाता है तथा पीड़ित का पिता भी है। यह गवाह एक अतिहितबद्ध गवाह है तथा कुछ सम्पोषण आवश्यक था जो इन दो गवाहों, अर्थात्, महेन्द्र साव तथा भीमलाल साव को प्रस्तुत करके आसानी से प्राप्त किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, यह गवाह पूरे तौर पर विश्वसनीय नहीं है। इस गवाह ने कभी भी अपहरणकर्त्ताओं को फिरौती का भुगतान किये जाने के बारे में पुलिस को सूचित नहीं किया था, जो अन्वेषण पदाधिकारी के साक्ष्य से प्रकट है, जिसने कथित किया था कि अन्वेषण के दौरान ही जब वह गांव गया था, उसे मालूम हो सका था कि पीड़ित को छोड़ दिया गया था। इस प्रकार, इन दो गवाहों को रोक रखने के कारण अभियोजन के विरूद्ध एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इन दो गवाहों को रोक रखने से अभियोजन मामले पर यह संदेह उत्पन्न होता है कि पीड़ित की रिहाई के लिए फिरौती का भुगतान किया गया था। इसी प्रकार, अगवा करने के बिन्दु पर भी कई अन्य स्वतंत्र गवाह, अर्थात् चंदसी डॉक्टर एवं पंकज साव थे, इन्हें भी पेश नहीं किया गया था। वाहन का चालक अ॰ सा॰ 1 (सूचनादाता) तथा अ॰ सा॰ 3, अर्थात्, पीड़ित का कर्मचारी था। चालक ने इस अपीलार्थी के मौजूद होने के बारे में संकेत तक नहीं दिया था। इस प्रकार, अभियोजन के लिए स्वतंत्र गवाहों की परीक्षा करना आवश्यक था। यहां भी अभियोजन ने महत्वपूर्ण गवाहों को रोक रखा है। इस मामले के विचित्र तथ्यों पर, यह न्यायालय अनुभव करता है कि उपरोक्त नामजद तात्विक गवाहों की परीक्षा करना आवश्यक था, जिन्हें अभियोजन द्वारा रोक रखा गया था। यह न्यायालय पाता है कि महेन्द्र साव, भीमलाल साव, पंकज साव तथा चंदसी डॉक्टर, जिन्हें अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं किया गया था, निश्चित रूप से या तो अपहरण के बिन्दु पर या फिरौती के भुगतान के बिन्दु पर घटना के महत्वपूर्ण गवाह हैं। इन व्यक्तियों के सिवाय अन्य गवाह केवल सूचनादाता, अ॰ सा॰ 1 (फिरौती के भुगतान के बिन्दु पर) है तथा उसका पुत्र, अर्थात्, पीड़ित–अ॰ सा॰ 3 (अपहरण के बिन्दु पर), है जो अतिहितबद्ध गवाह थे तथा पूर्ण रूप से भरोसेमंद नहीं थे। चूँकि, अपहरण के बिन्दु पर एवं फिरौती के भुगतान के बिन्दु पर भी जो साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वह अखंडनीय नहीं है, इस कारण इन महत्वपूर्ण गवाहों की अपरीक्षा अभियोजन मामले में दरार उत्पन्न करती है।

24. इसके अतिरिक्त, इस मामले में इस अपीलार्थी के विरूद्ध जो एकमात्र सामग्री अभियोजन लेकर आया है वह यह है कि वह जंगल में मौजूद था जब सूचनादाता (अ॰ सा॰ 1) पहली बार अपहरणकर्त्ताओं से मिलने के लिए गया था। इसी प्रकार, यह स्वीकृत तथ्य है कि यह अपीलार्थी मौजूद नहीं था जब अपराधियों को फिरौती का भुगतान किया गया था।

25. इसके अलावा, अ॰ सा॰ 3 पीड़ित कथित करता है कि इसे जंगल में छोड़ दिया गया था तथा वह अकेले अपने घर लौट आया था, जबकि अ॰ सा॰ 1 सूचनादाता कथित करता है कि वह अपने पुत्र को वन से लेकर आया था जहां अपहर्ताओं ने फिरौती प्राप्त करने के उपरान्त उसे छोड़ दिया था। यह भी एक बड़ी विरोधात्मकता है, जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है।

26. यद्यपि, इस अपीलार्थी की उपस्थिति को सिद्ध करने के लिए स्वतंत्र गवाह थे (जो अ॰ सा॰ 1 के साक्ष्य से प्रकट है, फिर भी इन दोनों गवाहों को रोक रखा जाना अभियोजन मामले को खंडित कर देता है।

27. इस प्रकार, संचयी प्रभाव पर जिसपर ऊपर चर्चा किया गया है, अभियोजन मामले की सत्यता के बारे में गंभीर संदेह है। ऊपर चर्चा किये गये समूचे साक्ष्य से, यह आसानी से निर्णीत किया जा सकता है कि अभियोजन भारतीय दंड संहिता की धारा 364(A)/120B के अधीन अपीलार्थी के विरूद्ध सभी युक्तिसंगत संदेहों से परे आरोप सिद्ध करने में सक्षम नहीं रहा है तथा चूँकि अभियोजन इस अपीलार्थी के विरूद्ध अपना मामला सभी युक्तिसंगत संदेहों से परे सिद्ध करने में विफल रहा है, अपीलार्थी आरोपों से दोषमुक्त किये जाने का हकदार हैं तथा अपीलार्थी के विरूद्ध पारित दोषसिद्धि के निर्णय तथा दंडादेश अपास्त किये जाने योग्य हैं।

28. तद्नुसार, यह अपील अनुज्ञात की जाती है तथा अपीलार्थी के विरूद्ध सत्र विचारण सं॰ 10 वर्ष 2004 में विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 3 मई, 2005 का दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय तथा दंडादेश एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी, जो हिरासत में है, को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है अगर किसी अन्य मामले में वह वांछित नहीं है।

प्रदीप कुमार मोहंती, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश.—मैं सहमत हूँ।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o Mkñ ,lñ ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

अनील कुमार सिन्हा (4019 में)

अंजय राम (4021 में)

छत्रबली साहू (4126 में)

नरेन्द्र कुमार तिवारी (4127 में)

संजय कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य (1512 में)

प्रभात अरविन्द कुमार एवं एक अन्य (1530 में)

मो॰ अनवर हुसैन एवं एक अन्य (1932 में)

कामेश्वर प्रसाद यादव एवं अन्य (2030 में)

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य (सभी में)

W.P.(S) Nos. 4019, 4021, 4126, 4127, 1512, 1530, 1932 with 2030 of 2016. Decided on 17th November, 2016.

सेवा विधि—नियमितिकरण—कट-ऑफ तिथि का निर्धारण—याचीगण को विभिन्न पदों पर दैनिक वेतन/संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया था—याचीगण ने 10.4.2016 के पहले, अर्थात्, नियमितिकरण नियमावली, 2015 में विहित कट-ऑफ तिथि से पहले 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी नहीं की थी यद्यपि वह अभी भी सेवा में बने हुए हैं—उच्चतम न्यायालय द्वारा ही कट-ऑफ तिथि पहले ही 10.4.2016 के रूप में विहित की जा चुकी है—इस प्रकार, नियमितिकरण नियमावली, 2015 में यथा विहित कट-ऑफ तिथि (10.4.2016) की वैधता या अन्यथा पर विचार करने की कोई गुंजाईश उच्च न्यायालय के लिए नहीं है—रिट आवेदन खारिज। (पैराएँ 8, 17 से 20)

निर्णयज विधि.–(2006) 4 SCC 1—Followed; (2010) 9 SCC 247—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Anil Kumar Sinha, Saurav Arun, Abhishek Sinha, Deepak Kr. Dubey, For the Petitioners; M/s Dhananjay Kr. Dubey, Neelam Tiwary, Amit Kumar, C.Prabha, Vishal Kr. Rai, For the Respondents.

एच॰ सी॰ मिश्रा, न्यायमूर्ति.–चूँकि इन सारे रिट आवेदनों में एक ही प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, उनकी एक साथ सुनवाई की गयी है तथा इस सम्मिलित आदेश द्वारा उनका निस्तारण किया जा रहा है।

2. इन सारे रिट आवेदनों में याचीगण के विद्वान वरीय अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

3. इन सारे रिट आवेदनों में याचीगण को विभिन्न पदों पर दैनिक वेतन/संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया था तथा वे अपनी सेवाओं के नियमितिकरण पर विचार न किये जाने से व्यथित हैं क्योंकि झारखंड राज्य द्वारा नियमावली, अर्थात्, ''झारखंड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितिकरण नियमावली, 2015'' (इसमें इसके पश्चात् 'नियमितिकरण नियमावली, 2015') के रूप में निर्दिष्ट) अधिसूचित करते हुए अपने कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग में निर्गत अधिसूचना में एक कट-ऑफ तिथि विहित की गयी है।

4. जैसा कि उपरोक्त नियमावली का नाम इंगित करता है, राज्य सरकार के अनियमित रूप से नियुक्त कर्मचारीगण के सेवाओं के नियमितिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा यह नियमावली विरचित की गयी है। झारखंड राज्य में अनियमित रूप से नियुक्त सरकारी कर्मचारीगण की सेवाओं के नियमितिकरण के लिए एक बार के उपाय के रूप में इस नियमावली को विरचित किया गया है।

5. (2006) 4 SCC 1 में यथा रिपोर्ट किये गये **सचिव, कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमा देवी (3) एवं अन्य** में भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय की दृष्टि में भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार द्वारा पूर्वोक्त नियमितिकरण नियमावली, 2015 विरचित की गयी है। उस मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णीत किया था कि अस्थाई, संविदात्मक, आकस्मिक, दैनिक वेतन भोगी या तदर्थ आधार के रूप में सार्वजनिक पदों पर नियुक्त/संलग्न व्यक्तियों, जब उनकी नियुक्ति/नियोजन सुसंगत नियमावली या प्रक्रियाओं द्वारा यथा मान्यकृत उपयुक्त चयन पर आधारित नहीं है, वे पद पर संपुष्ट किये जाने के लिए विधिसम्मत अपेक्षा के सिद्धांत का अवलंब नहीं ले सकते हैं। ऐसे नियोजन को सार्वजनिक नियोजन की योजना को ही निष्फल करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचने में अधिक कठिनाई नहीं हो सकती है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन या संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन कार्य करते हुए न्यायालयों के लिए सामान्यतः उनके स्थायी नियोजन में आमेलन का निर्देश देना उपयुक्त नहीं है जिन्हें संवैधानिक योजना द्वारा यथा अभिकल्पित चयन की सम्यक् प्रक्रिया का अनुपालन किये बिना नियोजित किया गया है।

6. तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय के पैरा 13 में उक्त स्थिति में एक अपवाद किया था, जो निम्नवत् पठित है:–

> *"53. ,d igy dk Li"VhÑr fd; tku dh vko';drk gA ,l ekey gk ldr g tgk lE;d LohÑr fjDr ink ij lE;d :i l ;kX; 0;fDr;k dh vfu;fer fu;fDr;k (voèkkfud fu;fDr;k ugh½ tlk fd ,l0 ch0 ukjk;ulik] vkj0 ,u0 uUnt Unlik ,o ch0 ,u0 ukxjktu e Li"VhÑr fd;k x;k g rFkk mDr ijk 15 e fufn"V fd;k x;k g] lHkor% dh x;h gk rFkk depkjhx.k U;k;ky;k d ;k vfèkdj.kk d vkn'kk d gLr{ki d fcuk 10 o"kk ;k bll vfèkd rd dk; djr*

jg gA mijkDr fufn"V ekeyk e bl U;k;ky; }kjk LFkkfir fl)kr d vkykd e rFkk bl fu.k; d vkykd e ,l depkjhx.k dh lokvk d fu;fefrdj.k d i'u ij x.kox.k ij fopkj fd;k tkuk gkxkA ***ml lnHk e] Hkkjr l?k] jkT; ljdkj rFkk mud vfHkdj.k ,l vfu;fer :i l fu;Dr 0;fDr;k dh lokvk dk fu;fer dju d fy, ,d ckj d mik; d :i e dne mBk;xh] ftUgku lE;d :i l LohÑr ink ij 10 o"kk rd ;k bll vfèkd rd dk; fd;k g ijUr U;k;ky; ;k vfèkdj.kk d vkn'kk d vkoj.k d vèkhu ugh rFkk ;g Hkh lfuf'pr djx fd bu fjDr LohÑr ink dk Hkju d fy, fu;fer HkÙkh;k dh tk; ftUg mu ekeyk e Hkj tku dh vko';drk g tgk vHkh vLFkk;h depkfj;k ;k nfud oruHkkfx;k dk fu;kftr fd;k tk jgk gA bl ifØ;k dk vkt dh frFk l Ng eghuk d Hkhrj xfreku dj nuk gA*** *ge ;g Hkh Li"V djr g fd vxj igy gh dN fu;fefrdj.k fd;k x;k g ijUr og U;k;kèkhu ugh g] bl fu.k; d vkèkkj ij ml iuh [kk;y tku dh vko';drk ugh g] ijUr loèkkfud vi{kk dh vkj vun[kh dju rFkk loèkkfud ;ktuk d vulkj fofèk lEer :i l fu;Dr ugh fd; x; 0;fDr;k dk fu;fer ;k LFkk;h cuku dk dk; ugh gkuk pkfg,A** (cy inku fd;k x;k)*

7. माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्देश की दृष्टि में, अनियमित रूप से नियुक्त कर्मचारीगण की सेवाओं को नियमित करने के लिए एक बार के उपाय के रूप में झारखंड राज्य द्वारा नियमितिकरण नियमावली, 2015 विरचित की गयी है। तथापि, उक्त नियमावली का नियम 3(क)(i) 10.4.2006 की एक कट–ऑफ तिथि विहित करता है, जो **उमा देवी (3) (ऊपर)** के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की तिथि है तथा यह उपबंधित करती है कि अनियमित रूप से नियुक्त उन्हीं कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितिकरण के लिए एक बार के ऐसे उपाय के रूप में उन पर विचार किया जा सकता है जो 10.4.2006 को नियमित सेवा के 10 वर्ष पूरे कर चुके हैं तथा सम्यक् रूप से स्वीकृत पदों के विरूद्ध अभी भी सेवा में बने हुए हैं, परन्तु जो न्यायालयों के अधिकरणों के आदेशों के आवरण के अधीन नहीं हैं।

8. स्वीकार्यत:, याचीगण ने 10.4.2006, अर्थात्, नियमितिकरण नियमावली, 2015 में विहित कट–ऑफ तिथि के पहले नियमित सेवा की 10 वर्षों की अवधि पूरी नहीं की थी, यद्यपि वह अभी भी सेवा में बने हुए हैं।

9. याचीगण नियमितिकरण नियमावली, 2015 में विहित कट–ऑफ तिथि से व्यथित हैं, तथा उनके अनुसार चूँकि अनियमित रूप से नियुक्त कर्मचारीगण की सेवा के नियमितिकरण पर विचार करने के लिए एक अवसर प्रदान करने हेतु केवल एक बार के उपाय के रूप में नियमावली विरचित की गयी है, कोई कट–ऑफ तिथि नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि उन सारे कर्मचारियों, जिन्होंने 10 वर्षों की अवधि पूरी कर ली है, की नियुक्तियों के नियमितिकरण के लिए उनपर विचार किया जाना चाहिए।

10. याचीगण का यह मामला है कि अगर कट–ऑफ तिथि बनी रहती है, इससे केवल उन्हें लाभ होगा जो भूतपूर्व बिहार राज्य में नियुक्त किये गये थे तथा बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के आधार पर 15 नवम्बर, 2000 को झारखंड राज्य के गठन के उपरान्त नियुक्त कोई भी व्यक्ति इस नियमितिकरण नियमावली, 2015 से लाभान्वित नहीं होगा।

11. याचीगण के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने प्रबल रूप से तर्क दिया है कि 10.4.2006 की कट–ऑफ तिथि, अर्थात्, **उमा देवी (3) (ऊपर)** के मामले में निर्णय की तिथि पूर्ण रूप से मनमाना है तथा नियमितिकरण नियमावली, 2015 द्वारा प्राप्त किये जानेवाले उद्देश्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि कट–ऑफ तिथि जो कि **उमा देवी (3)** के मामले में निर्णय की तिथि है, को प्राप्त किये जानेवाले उद्देश्य के साथ कोई संबंध होना दर्शाये बिना नियमावली में केवल लापरवाही भरे ढंग से ही रख दिया गया है। यह भी निवेदन किया गया है कि किसी भी दशा में, उच्चतम

न्यायालय ने अनियमित रूप से नियुक्त वैसे कर्मचारियों, जिन्होंने न्यायालय या अधिकरण के किसी अंतरिम आदेश के संरक्षण के बिना 10 वर्षों से अधिक समय तक कार्य किया था, की सेवाओं को नियमित करने के लिए एक बार के उपाय के रूप में कदम उठाने का निर्देश दिया था, तथा निर्देश दिया था कि उसके निर्णय की तिथि से छह महीनों के भीतर ऐसे एक बार के उपाय को आवश्यक रूप से गतिमान कर दिया जाना था। यह निवेदन किया गया है कि चूँकि राज्य सरकार आठ वर्षों से अधिक समय तक मामले पर सोये रही थी, तथा इसके बाद फरवरी, 2015 के महीने में ही नियमावली विरचित किया है जिसे निर्णय की तिथि से किसी भी दशा में छह महीनों के भीतर, अर्थात्, अधिक से अधिक विलम्ब करते हुए 9.10.2016 तक विरचित किया जाना था, जिन कर्मचारियों को तदर्थ, आकस्मिक, संविदात्मक, या दैनिक वेतन के आधार पर बने रहने दिया गया है, उनकी सेवा की नियमितिकरण के लिए उनपर भी विचार किया जाना चाहिए अगर उन्होंने किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी अंतरिम आदेश के संरक्षण के बिना 10 वर्षों की सेवा की अवधि पूरी की है क्योंकि **उमा देवी (3) (ऊपर)** के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई कट-ऑफ तिथि विहित नहीं की गयी है।

12. याचीगण के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि राज्य सरकार ने एक ओर नियमितिकरण नियमावली, 2015 में एक मनमानी कट-ऑफ तिथि विहित करके सेवा के नियमितिकरण पर विचार किये जाने से वंचित किया है, परन्तु दूसरी ओर कोई कट-ऑफ तिथि विहित किये बिना पृथक नियमावली बना के भी समरूप रूप से नियुक्त/नियोजित अन्य कर्मचारीगण की सेवा को नियमित कर दिया है। इस संबंध में याचीगण के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने राज्य सरकार के मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग में उसके संकल्प, जो कि संकल्प संख्या 881 दिनांक 18 जुलाई, 2009 है जो राज्य सरकार के अनियमित रूप से नियुक्त व्यक्तियों के नियमितिकरण के लिए एक योजना भी है जिसे **उमा देवी (3) (ऊपर)** में राज्य सरकार के निर्णय के अनुसरण में विरचित किया गया था, की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, परन्तु उक्त योजना में 10.4.2006 की कोई कट-ऑफ तिथि नहीं है तथा इस संकल्प के अनुसरण में, राज्य सचिवालय के विभिन्न विभागों में अनियमित रूप से ऐसे नियुक्त कर्मचारीगण की सेवायें नियमित कर दी गयी है जिन्होंने 10.4.2006 के बाद भी सेवा के 10 वर्ष पूरे किये थे। हमारा ध्यान राज्यपाल सचिवालय द्वारा निर्गत एक अन्य कार्यालय आदेश, जो कि ज्ञाप सं॰ 1892 दिनांक 19.7.2009 में अंतर्विष्ट है, की ओर आकर्षित किया गया है, जिसके द्वारा भी किसी कट-ऑफ तिथि को विचार में लिये बिना ऐसे कर्मचारियों की सेवायें नियमित कर दी गयी हैं। किसी कट-ऑफ तिथि पर विचार किये बिना संविदा के आधार पर नियुक्त चिकित्सा पदाधिकारियों एवं अर्द्ध-चिकित्सा कर्मचारीगण के सेवाओं के नियमितिकरण के लिए नियमावली विरचित करते हुए राज्य सरकार द्वारा अपने चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में निर्गत अधिसूचनाओं की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है।

13. विद्वान वरीय अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **उमा देवी (3)** के मामले में हुए निर्णय के बाद भी, इस उच्च न्यायालय के पास सहायक अभियंताओं की सेवाओं के नियमितिकरण के मामले पर विचार करने का अवसर आया था जिन्हें भूतपूर्व बिहार राज्य में ग्रामीण विकास विभाग में नियुक्त किया गया था तथा वे तीस वर्षों से लगातार कार्य कर रहे थे। माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा उनके रिट आवेदन को खारिज कर दिया गया था तथा तत्पश्चात्, उन्होंने **एल॰ पी॰ ए॰ संख्या 256 वर्ष 2011 (कमला प्रसाद एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य)** दाखिल किया था। लेटर्स पेटेंट अपील के लंबित रहने के दौरान, राज्य सरकार द्वारा उनकी सेवायें भी समाप्त कर दी गयी थीं, परन्तु इस न्यायालय के खंडपीठ ने **2012 (1) JCR 477 (झारखंड)** में यथा रिपोर्ट किये गये निर्णय द्वारा उनकी सेवा समाप्ति के आदेश को अपास्त करते हुए लेटर्स पेटेंट अपील को अनुज्ञात कर दिया था।

यह निर्दिष्ट किया गया है कि झारखंड राज्य ने उक्त आदेश के विरूद्ध एस॰ एल॰ पी॰ तथा सिविल अपीलें दाखिल की थीं, परन्तु इस न्यायालय के आदेश को अभिपुष्ट किया गया था तथा **(2014) 7 SCC 223** में यथा रिपोर्ट किये गये निर्णय द्वारा सिविल अपीलों को उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि उन निर्णयों में भी, 10.4.2006, अर्थात्, **उमा देवी (3) (ऊपर)** के मामले में निर्णय की तिथि के कट–ऑफ तिथि होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। तथापि, यह तथ्य शेष रह जाता है कि उन सहायक अभियंताओं ने 10.4.2006 तक नियमित सेवा के 10 वर्ष से काफी अधिक अवधि पहले ही पूरी की ली थी।

14. कट–ऑफ तिथि, जिसका प्राप्त किये जानेवाले उद्देश्य से कोई लेना देना नहीं है, निर्धारित किये जाने को चुनौती देते हुए विद्वान वरीय अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय के अन्य निर्णयों पर भी भरोसा किया है, जिनपर विस्तार से विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उस निर्णय, जो इस मामले में पारित किया जा रहा है, की दृष्टि में यह केवल एक रूचिकर परिचर्चा ही होने जा रही है।

15. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि **ऊमा देवी (3) (ऊपर)** के मामले में पैरा 53 में विनिर्दिष्ट निर्देश की दृष्टि में, राज्य सरकार ने नियमितिकरण नियमावली, 2015 विरचित किया है तथा 10.4.2006 की कट–ऑफ तिथि, जो उक्त मामले में निर्णय की तिथि है, को उचित रूप से उस तिथि के तौर पर विहित किया गया है जिस तिथि को कर्मचारीगण की सेवाओं के नियमितिकरण पर विचार किये जाने का हकदार बनाने के लिए उन्हें आवश्यक रूप से 10 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करनी है।

16. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सुनवाई करके, हम पाते हैं कि **सचिव, कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम ऊमा देवी (3) एवं अन्य (ऊपर)** में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद भी, और एक अन्य मामले, जो कि **(2010) 9 SCC 247** में रिपोर्ट किया गया **कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम एम॰ एल॰ केसरी एवं अन्य** का मामला है, में इस मामले पर उच्चतम न्यायालय द्वारा पूनर्विचार किया गया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने **उमा देवी (3)** में हुए निर्णय पर विचार करते हुए निम्नवत् कथित किया है:–

> ^^10. mek noh (3) e g, fu.k; dh frfFk l Ng eghuk d lekiu ij] db nfud oruHkkxh@rnFk@vkdfLed depkjhx.k d ekey vHkh Hkh U;k;ky;k d le{k yfcr FkA ifj.kkeLo:i db foHkkxk rFkk vfHkdj.kk u ,d ckj dh fu;fefrdj.k ifØ;k ikjHk ugh dh FkhA nljh vkj] dN ljdkjh foHkkxk ;k vfHkdj.kk u db depkfj;k dk fopkj.k l ckgj djr g, ,d ckj dk dk; fd;k Fkk ;k rk bl vkèkkj ij fd mud ekey U;k;ky;k e yfcr Fk ;k i.k :i l pd d dkj.kA ,l h ifjfLFkfr;k e] depkjhx.k tk mek noh (3) e fu.k; d ijk 13 d fucèkuk e fopkfjr fd; tku d gdnkj Fk] ;g fu;fefrdj.k d fy, fopkj fd; tku d viu vfèkdkj dk ugh [kk nx ek= bl dkj.k fd mud ekeyk ij fopkj fd; fcuk ,d ckj dk dk; ijk dj fy;k x;k Fkk] ;k bl dkj.k fd mek noh (3) d ijk 53 e mfYyf[kr Ng eghuk dh vofèk dk volku gk pdk gA **bl ,d ckj d dk; dk ,l lkj nfud oruHkkxh@rnFk@vkdfLed depkfj;k ij fopkj djuk pkfg, ftUgku U;k;ky;k ;k vfèkdj.kk d fdlh vrfje vkn'k d lj{k.k dk miHkkx fd; fcuk 10.4.2006 dk 10 o"k dh yxkrkj lok dj pd FkA** vxj fdlh fu;kDrk u mek noh (3) d ijk 53 d fucèkuk e ,d ckj dk dk; fd;k Fkk] ijUr ,l dN depkfj;k d ekeyk ij fopkj ugh fd;k Fkk tk mek noh (3) d ijk 53 d ykHk d gdnkj Fk] bl ,d ckj d dk; d ,d lkrRo d :i e lc) fu;kDrk dk mud ekeyk ij Hkh fopkj djuk pkfg,A ;g ,d ckj dk dk; rHkh l iUu gkxk tc ,l lkj depkfj;k ij bl idkj fopkj dj fy;k tkrk g tk mek noh (3) d ijk 53 d fucèkuk e fopkj fd; tku d gdnkj gA

11. mek noh (3) d ijk 53 e mDr fun'k d ihN dk mí'; f}Lrjh; gA igyk ;g lfuf'pr djuk g fd muij] ftUgku mek noh (3) e fu.k; luk; tku dh frfFk d igy U;k;ky;k ;k vfèkdj.kk d fdlh vrfje vkn'k d lj{k.k d fcuk 10 o"kk l vfèkd vofèk dh yxkrj lok ijh dh g] ij mudh ych lok dh nf"V e fu;fefrdj.k d fy, fopkj fd;k tk;A ***nljk ;g lfuf'pr djuk g fd foHkkx@vfHkdj.k ych vofèk;k rd nfud oru@rnFk@vkdfLed vkèkkj ij 0;fDr;k dk fu;kftr dju dh ifjikVh dk cuk; ugh j[k rFkk fQj vyx vyx vofèk ij mUg bl vkèkkj ij fu;fer djr jg fd mUgku 10 l vfèkd o"kk rd lok dh g] ftl HkUkh rFkk fu;fDr l lcfèkr loèkkfud ;k lkfofèkd micèk fu"Qy u gk tk;A bl fun'k dk okLrfod iHkko ;g g fd o lHkh 0;fDr] ftUgku vif{kr vgrk j[kr g, fdlh U;k;ky; ;k vfèkdj.k d fdlh vrfje vkn'k d lj{k.k d fcuk fjDr ink ij 10.4.2006 (mek noh (3) d fu.k; dh frfFk) dk 10 l vfèkd o"k rd dk; fd;k g] fu;fefrdj.k d fy, fopkj fd; tku d gdnkj gA*** *;g rF; fd fu;kDrk u mek noh (3) e g, fu.k; d Ng eghu d Hkhrj fu;fefrdj.k dk , lk dk; ugh fd;k g ;k ;g fd , l dk; dk doy dN lhfer 0;fDr;k d lcèk e fd;k x;k Fkk] ,d ckj d mik; d :i e mek noh (3) e mijkDr fun'kk d fucèkuk e fu;fefrdj.k d fy, fopkj fd; tku d vfèkdkj l , l depkjhx.k dk xj gdnkj ugh cuk nxkA***

(cy inku fd;k x;k)

17. ऊपर यथा उत्कथित माननीय उच्चतम न्यायालय के ऐसा अधिकथित करनेवाले विनिर्दिष्ट निर्देश की दृष्टि में कि इस निर्देश का वास्तविक प्रभाव यह है कि केवल वही व्यक्ति, जिन्होंने अपेक्षित अर्हता रखते हुए किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी अंतरिम आदेश के संरक्षण के बिना रिक्त पदों पर 10.4.2006 को 10 वर्षों से अधिक अवधि तक कार्य किया है, नियमितिकरण के लिए विचार किये जाने के हकदार हैं, इन रिट आवेदनों में हमारे द्वारा निर्णीत किये जाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता है।

18. इस प्रकार, हम पाते हैं कि नियमितिकरण नियमावली, 2015 में कट-ऑफ तिथि के विहित किये जाने की वैधता अब अनिर्णीत विषय नहीं रह गया है क्योंकि **कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम एम॰ एल॰ केसरी एवं अन्य (ऊपर)** के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा ही कट-ऑफ तिथि पहले ही विहित की जा चुकी है। इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अधिकारिता का इस्तेमाल करते हुए इस कट-ऑफ तिथि के निर्धारण के औचित्य के प्रश्न पर प्रवेश करने का विकल्प उच्च न्यायालयों के लिए अब नहीं खुला हुआ है।

19. माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय सभी पर बाध्यकर है तथा चूँकि उच्चतम न्यायालय द्वारा ही कट-ऑफ तिथि विहित की गयी है, नियमितिकरण नियमावली, 2015 में यथा विहित 10.4.2006 की कट-ऑफ तिथि की वैधता या अन्यथा पर विचार करने के लिए इस न्यायालय के पास कोई गुंजाईश नहीं है।

20. पूर्वोक्त परिचर्चाओं की दृष्टि में, हम इन सारे रिट आवेदनों में कोई गुण नहीं पाते हैं, जिन्हें तद्नुसार खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; çeFk iVuk;d] U;k;efr

मो॰ फेकारूल शेख

cuke

झारखण्ड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 4400 of 2012. Decided on 6th October, 2016.

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009—धारा 25 (1)—पारा शिक्षक के पद के लिए चयन–शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार, पैरा शिक्षकों के तौर पर चयन के लिए प्रशिक्षित शिक्षक रखना अनिवार्य बन चुका है–परिवर्तित स्थिति की दृष्टि में ऐसा कोई भी चयन जिसे किया जाना है, उसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के सुसंगत होना है–पैरा शिक्षक के रूप में याची के चयन की तिथि से नौ वर्ष गुजर चुके हैं तथा इतने विलम्ब से शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अधीन विहित न्यूनतम अर्हता पर जोर दिए बिना पैरा शिक्षकों का चयन संचालित करने का प्रत्यर्थीगण को निर्देश देना उपयुक्त नहीं होगा, बल्कि असाम्यतापूर्ण होगा–रिट आवेदन खारिज। (पैराएँ 5 से 7)

अधिवक्तागण.–Mr. Manoj Tandon, For the Petitioner; Mr. Ruchi Rampuria, For the Resp.-State.

प्रमथ पटनायक, न्यायमूर्ति.–वर्तमान रिट आवेदन में, याची ने अन्य के साथ उपायुक्त, पाकुड़ (प्रत्यर्थी सं॰ 2) द्वारा पारित दिनांक 29.06.2012 के आदेश के अभिखंडित/निरस्त करके तथा अनुमान्य वेतन/मानदेय के साथ याची को पैरा शिक्षक के तौर पर कार्य करने की अनुमति देने के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश देने का आग्रह किया है।

2. रिट आवेदन में यथा उद्भूत अति–विस्तार से रहित तथ्य ये हैं कि पाकुड़ जिला में मध्य विद्यालय अंजना के सचिव को दिनांक 26.12.2005 के सरकारी अनुदेश के अनुसार पारा–शिक्षकों का चयन करने का निर्देश दिया गया था, जिसके द्वारा कक्षा I से कक्षा V के लिए पारा शिक्षकों के तौर पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता इण्टरमीडिएट थी जैसा कि रिट आवेदन के परिशिष्ट–I से प्रकट है। परिशिष्ट–3 के तहत दिनांक 27.6.2007 के निर्देश के अनुसरण में, प्रश्नाधीन विद्यालय में पैरा शिक्षक की नियुक्ति के लिए 2.7.2007 को आम सभा आयोजित की गई थी। 13 उम्मीदवारों में से, याची का चयन किया गया था तथा दिनांक 2.7.2007 की चयनित उम्मीदवारों की सूची में याची का स्थान क्रम सं॰ 2 पर है जैसा कि रिट आवेदन के परिशिष्ट–4 से प्रकट है। याची की नियुक्ति प्रखण्ड स्तर पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई थी तथा इसके अनुसरण में याची ने 25.10.2007 को अपना योगदान सौंपा था जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया था। तत्पश्चात् याची उक्त विद्यालय में पारा शिक्षक के तौर पर कार्य करता रहा था तथा 25.10.2007 से उसे वेतन/मानदेय का भुगतान किया गया था। प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा किए गए परिवाद के आधार पर, प्रत्यर्थी सं॰ 2 जो सर्व शिक्षा अभियान का अध्यक्ष है, ने रिट आवेदन के परिशिष्ट–8 के तहत दिनांक 5.6.2008 के आदेश द्वारा याची का चयन रद्द कर दिया गया था। रिट आवेदन मे यह आख्यापित किया गया है कि प्रत्यर्थी सं॰ 4 को उत्क्रमित मध्य विद्यालय सीतेश नगर में पैरा शिक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया था जहाँ वह एक स्थायी निवासी है तथा प्रत्यर्थी सं॰ 4 ने भी रिट आवेदन के परिशिष्ट–11 के तहत 1.7.2009 को एक समझौता स्वीकार किया था तथा इस प्रकार वह वर्तमान प्रश्नाधीन विद्यालय में एक अन्य नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता है। चयन के रद्दकरण से व्यथित होकर, याची डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 4325 वर्ष 2008 में इस न्यायालय के पास आया था तथा इस न्यायालय ने दिनांक 20.3.2012 के आदेश के तहत उपायुक्त, पाकुड़ द्वारा पारित दिनांक 5.6.2008 का आक्षेपित आदेश अभिखंडित कर दिया था तथा यथा विहित न्यूनतम अर्हत्ता का अवलोकन करते हुए याची तथा प्रत्यर्थी की भी सुनवाई करने के उपरांत आदेश की प्रति की प्राप्ति से चार सप्ताह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार एक नया निर्णय लेने के लिए मामला उपायुक्त पाकुड़ को प्रति–प्रेषित कर दिया गया था। प्रत्यर्थी सं॰ 2 ने इस न्यायालय के आदेश के अनुसरण में दिनांक 29.6.2012 के आक्षेपित आदेश के अनुसरण में पैरा शिक्षक के चयन के लिए नई आम–सभा के पुनः आयोजन का निर्देश दिया

है। परिशिष्ट–14 के तहत उपायुक्त, पाकुड़ (प्रत्यर्थी सं॰ 2) द्वारा पारित दिनांक 29.6.2012 के आक्षेपित आदेश से व्यथित तथा असंतुष्ट होकर, याची कोई अन्य प्रभावी तथा वैकल्पिक उपचार के नहीं रहने पर अपनी व्यथाओं को दूर कराने के लिए इस न्यायालय के असाधारण अधिकारिता का अवलम्ब लेते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस न्यायालय के पास आया था।

3. सुनवाई के दौरान याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि नोटिस के वैध तामीला के बावजूद प्रत्यर्थी सं॰ 4 ने रिट आवेदन का प्रतिवाद नहीं किया था। इससे भी बढ़कर, प्रत्यर्थी सं॰ 4 को प्रखंड संसाधन केन्द्र महेशपुर में 11.04.2011 से एक विषय विशेषज्ञ के तौर पर नियुक्त किया गया है, अतएव, प्रत्यर्थी सं॰ 4 को पैरा शिक्षकों के रूप में योगदान देने में कोई रूचि नहीं है। मामले की उस दृष्टि में प्रश्नाधीन विद्यालय में पारा शिक्षक के नए चयन के लिए निर्देश देने का प्रत्यर्थी सं॰ 2 के लिए कोई अवसर नहीं था। याची के विद्वान अधिवक्ता यह भी निवेदन करते हैं कि जहाँ तक कक्षा–I से कक्षा–V तक की पैरा शिक्षक की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता का संबंध है, प्रत्यर्थीगण ने रिट याचिका के पैरा 5 में किए गए प्रकथनों पर विवाद नहीं किया है। इससे भी बढ़कर, याची ने प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा भी किया है, अत: याची के पास प्रश्नाधीन पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता है। याची के विद्वान अधिवक्ता यह भी निवेदन करते हैं कि जहाँ तक प्रत्यर्थी का यह तर्क है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 प्रभावी बन चुका है तथा प्रशिक्षण एवं टीईटी प्रमाण–पत्र के बिना, किसी पैरा शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि बालकों का नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 अप्रैल, 2010 में झारखंड राज्य में प्रभाव में आया था तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा 23 अगस्त, 2010 की अधिसूचना लाए जाने के उपरांत ही टीईटी की अर्हत्ता को अनिवार्य बनाया गया था तथा अतएव, ये अर्हताएं वर्तमान मामले में लागू नहीं होती हैं क्योंकि याची को वर्ष 2007 में ही नियुक्त किया गया था।

4. तत्प्रतिकूल रिट आवेदन में किए गए प्रकथनों को खंडित करते हुए, प्रत्यर्थी सं॰ 2 एवं 3 की ओर से एक प्रति शपथपत्र दाखिल किया गया है। राज्य के लिए उपस्थित होने वाले वरीय स्थायी अधिवक्ता–I के विद्वान कनीय अधिवक्ता ने प्रति–शपथपत्र में किए गए निवेदनों को दोहराया है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि माननीय न्यायालय के दिनांक 20.3.2012 के आदेश के अनुसरण में उपायुक्त, पाकुड़ ने विविध केस सं॰ 02/2012 प्रारम्भ किया था तथा याची की सुनवाई करने के उपरांत, प्रत्यर्थी सं॰ 4 एवं विभागीय पदाधिकारी ने 29.06.2012 को एक आदेश पारित किया था जिसमें प्रत्येक तथ्य पर विशुद्ध रूप से चर्चा किया गया है तथा उपायुक्त, पाकुड़ ने प्रति शपथ पत्र के परिशिष्ट–B के तहत मध्य विद्यालय, अंजना में आम सभा आयोजित करके उत्तरदाता प्रत्यर्थी को फिर से पैरा शिक्षक का चयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग ने आदेश दिया था कि धारा 23 (1) के अनुसार पारा शिक्षक के तौर पर चयन के लिए प्रशिक्षित तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है जैसा कि प्रति शपथ पत्र के परिशिष्ट–C से प्रकट है। यह भी कथित किया गया है कि विभाग के पूर्वोक्त आदेश के अनुसार, आज्ञापक निर्देश को वर्णित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, पाकुड़ ने 14.08.2012 को उपायुक्त पाकुड़ को एक पत्र लिखा था तथा परिवर्तित स्थिति की दृष्टि में एवं नवीनतम सरकारी निर्देश की दृष्टि में उपायुक्त, पाकुड़ ने मध्य विद्यालय, अंजना में पारा शिक्षक के चयन की प्रक्रिया में सरकार के दिशा–निर्देशों का पालन करने के लिए मौखिक निर्देश दिया था। यह भी निवेदन किया है कि सरकार

के आज्ञापक निर्देश की दृष्टि में पारा शिक्षक के चयन की प्रक्रिया आयोजित नहीं की जा सकती थी जिस निर्देश द्वारा पैरा शिक्षक के चयन के लिए टीईटी परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक बना दिया गया है जबकि याची के पास उक्त अर्हता नहीं है। इससे भी बढ़कर, याची पूर्वोक्त मापदंड को पूरा नहीं करता है, अतएव, मध्य विद्यालय, अंजना में पैरा शिक्षक का चयन रोक दिया गया था।

5. अलग–अलग पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के परिशीलन पर, मेरी सुविचारित राय है कि निम्नांकित तथ्यों एवं कारणों में याची हस्तक्षेप का कोई मामला बनाने में सक्षम नहीं रहा है।

(i) प्रस्तुत रिट आवेदन में, डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 4325 वर्ष 2008 में पारित दिनांक 20.03.2012 के आदेश, परिशिष्ट–12 के परिशीलन पर यह प्रकट है कि पारा शिक्षक के तौर पर याची की नियुक्ति के रद्दकरण का आदेश रद्द कर दिया गया है तथा याची तथा निजी प्रत्यर्थी की सुनवाई करने के उपरांत एवं विधि के अनुसार यथा विहित न्यूनतम अर्हत्ता का अवलोकन करके एक नया निर्णय लेने के लिए मामला उपायुक्त, पाकुड़ को प्रतिप्रेषित कर दिया गया था। डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 4325 वर्ष 2008 में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 20.03.2012 के आदेश के अनुपालन में प्रत्यर्थी सं॰ 2 ने विविध केस सं॰ 02/2012 प्रारम्भ किया था तथा तथ्यपरक पहलुओं के महीन विश्लेषण पर याची एवं निजी प्रत्यर्थीगण को अवसर प्रदान करने के उपरांत दिनांक 29.06.2012 का आदेश पारित किया था एवं मध्य विद्यालय, अंजना में आम सभा आयोजित करके पारा शिक्षक का फिर से चयन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 3 को निर्देश दिया गया था। अतः दिनांक 29.06.2012 के आक्षेपित आदेश के पारित किए जाने में कोई भी दुर्बलता अवैधानिक नहीं है।

(ii) शिक्षा के अधिकार, 2009 के प्रावधानों के अनुसार, पारा शिक्षकों के तौर पर चयन के लिए प्रशिक्षित एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य बन गया है। अतएव, परिवर्तित परिस्थिति में कोई भी चयन शिक्षा के अधिकार अधिनियम के सुसंगत प्रावधान के सुसंगत होना है। इससे भी बढ़कर, अगर शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रभावी बनने के पहले कोई चयन किया गया होता तब निश्चित रूप से पारा शिक्षक के रूप में चयन के लिए प्रत्यर्थीगण पर आवश्यक प्रशिक्षण तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में उत्तीर्ण होने पर जोर नहीं दिया गया होता, परन्तु प्रस्तुत मामले में पारा शिक्षक के तौर पर याची के चयन की तिथि से पाँच वर्ष गुजर गए हैं तथा इतने विलम्ब से शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के विहित न्यूनतम अर्हता पर बल दिए बिना पारा शिक्षकों का चयन संचालित करने के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश देना समुचित नहीं होगा, बल्कि असाम्यतापूर्ण होगा।

6. उपरोगामी पैराओं में कथित कारणों से एवं पूर्वोक्त कारणों के एक अनुचर के तौर पर रिट आवेदन के परिशिष्ट–14 के तहत उपायुक्त, पाकुड़ (प्रत्यर्थी सं॰ 2) द्वारा पारित दिनांक 29.06.2012 का आक्षेपित आदेश इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है।

7. तद्नुसार रिट आवेदन को गुणावगुणों से रहित होने के कारण खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o Jh pn'k[kj] U;k;efr

बोयला सोरेन एवं अन्य

cuke

बिहार राज्य

Cr. Appeal (D.B.) No. 187 of 1992. Decided on 11th August, 2016.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302, 307, 326, 149, 148 एवं 147—हत्या, हत्या का प्रयास एवं घोर उपहति–दोषसिद्धि–अपीलार्थी के मुकाबले अभियोजन का मामला संदेह मुक्त नहीं है–डॉक्टर द्वारा दिया गया चिकित्सीय साक्ष्य न्यायालय का विश्वास उत्पन्न नहीं करता है–शेष अभियुक्तों की अब मृत्यु हो चुकी है–अभियोजन उत्तरजीवी अपीलार्थियों के विरुद्ध किसी भी संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ है–दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय अपास्त किया गया–अपील अनुज्ञात की गयी। (पैराएँ 6 से 9)

अधिवक्तागण.–Mr. K.K. Ojha, For the Appellants; Mr. Sanjay Kumar Srivastava, For the State.

विरेन्दर सिंह, मुख्य न्यायाधीश.–कुल मिलाकर पाँच अभियुक्तों अर्थात् अपीलार्थी सं॰ 1 बोयला सोरेन पुत्र बीरसिंह सोरेन; 2. रावन सोरेन पुत्र ठाकुर सोरेन; 3. धोना मुर्मू पुत्र राम मुर्मू; 4. ठाकुर सोरेन पुत्र बीरसिंह सोरेन और 5. साहिब सोरेन पुत्र बोयला सोरेन ने भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 147, 148, 149, 326, 307 एवं 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए विचारण का सामना किया और उन्हें विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, पाकुड़ के दिनांक 28.5.1992 के आक्षेपित निर्णय के तहत भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302/149/147 एवं 148 के अधीन आरोपों के लिए दोषसिद्ध किया गया था। उससे व्यथित होकर, उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में वर्तमान अपील दाखिल किया जिसे इसके द्विभाजन पर इस न्यायालय को अंतरित किया गया था। समस्त अपीलार्थियों को दिनांक 15.6.1992 के आदेश के तहत जमानत प्रदान किया गया था।

2. जब अंतिम विचार किए जाने के लिए वर्तमान अपील आज सुनी गयी थी, नि:संदेह 24 वर्ष बाद, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने आरंभ में ही कथन किया कि पाँच अभियुक्त जो दोषसिद्ध किए गए थे में से केवल अपीलार्थी सं॰ 3 धोना मुर्मू पुत्र राम मुर्मू अभी भी जीवित है जबकि शेष चार अपीलार्थीगण अर्थात् बोयला सोरेन पुत्र बीरसिंह सोरेन, रावन सोरेन पुत्र ठाकुर सोरेन, ठाकुर सोरेन पुत्र बीरसिंह सोरेन और साहिब सोरेन पुत्र बोयला सोरेन की मृत्यु वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान हो गयी। अभिलेख पर मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रकार, वर्तमान अपील अपीलार्थी सं॰ 1, 2, 4 एवं 5 अर्थात् क्रमश: बोयला सोरेन पुत्र बीरसिंह सोरेन, रावन सोरेन पुत्र ठाकुर सोरेन, ठाकुर सोरेन पुत्र बीरसिंह सोरेन एवं साहिब सोरेन पुत्र बोयला सोरेन के प्रति शमनित हो गयी और केवल अपीलार्थी सं॰ 3 अर्थात् धोना मुर्मू पुत्र राम मुर्मू के प्रति बरकरार है।

3. अपीलार्थी अर्थात् धोना मुर्मू के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री के॰ के॰ ओझा और राज्य के लिए ए॰ पी॰ पी॰ श्री संजय कुमार श्रीवास्तव उपस्थित होते हैं।

4. हमने पुन: आक्षेपित निर्णय एवं संपूर्ण विचारण न्यायालय अभिलेख का परिशीलन किया है। इस मामले में प्रथम सूचक मृतक रामेश्वर मरांडी की पत्नी दुल्लार मुर्मू है। घटना मृतक के गाँव में प्रात: लगभग 8 बजे दिनांक 29.1.1976 की है। प्राथमिकी दिनांक 31.1.1976 को दर्ज की गयी है। समस्त अभियुक्तगण भी उसी गाँव के हैं। इस प्रकार, प्राथमिकी दर्ज करने में दो दिन का विलंब प्रतीत होता है। अपने बयान में सूचक ने अभिकथित किया कि अपीलार्थी धोना मुर्मू जो गुप्ती से लैस था ने उसके पति पर प्रहार किया जबकि लाठी से लैस शेष चार अभियुक्तों ने भी मृतक पर प्रहार किया। दिनांक 31.1.1976 को प्रात: 10.30 बजे, अ॰ सा॰ 8 डॉ॰ नवीन चंद्र मिश्रा द्वारा मृतक का परीक्षण किया गया था जिन्होंने मृतक के शरीर पर निम्नलिखित उपहतियों को ध्यान में लिया:–

(i) ck, dku d fiUuk ij 1" x 1/2" x 1" dk fonh.k t [eA

(ii) ck, dku d uhp 1/4" x 1/4" x Ropk rc xgjk fonh.k t [eA

(iii) diky d ck, Hkkx ij 3.2" x 1/2" x Ropk rd xgjk fonh.k t [eA

(iv) diky d nk, Hkkx ij 2/1/2" x 1, 1/2" [kjkpA

(v) ukd ,o dku l [ku cgukA

5. मृत्यु उसी दिन अर्थात् दिनांक 31.1.1976 को हुई। स्वीकृत रूप से, शव परीक्षण करने वाला डॉक्टर कटघरा में नहीं आया है, अत: शव परीक्षण रिपोर्ट असिद्ध है। अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है और रक्तरंजित वस्त्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे अथवा न्यायालयिक परीक्षण के लिए भेजे नहीं गए थे। यद्यपि अ॰ सा॰ 6 ने कथन किया कि पुलिस ने उसके अपने पति को अस्पताल ले जाने के पहले उसका बयान लिया किंतु उस आधार पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी थी।

6. एक अन्य तथ्य जिसे यहाँ ध्यान में लेने की आवश्यकता है यह है कि अ॰ सा॰ 2 एवं अ॰ सा॰ 6 के सिवाए समस्त गवाहों को पक्षद्रोही घोषित किया गया था अथवा वे चश्मदीद गवाह नहीं थे। विद्वान विचारण न्यायालय ने संप्रेक्षित किया है कि अन्य अभियोजन गवाहों के साक्ष्य अभियोजन की अधिक मदद नहीं करते हैं। अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्य से हम यह पाते हैं कि वर्तमान अपीलार्थी (धोना मुर्मू) पर अभ्यारोपित उपहति स्पष्ट रूप से एम॰ एल॰ आर॰ रिपोर्ट में अनुपस्थित है। गुप्ती विदीर्ण जख्म कारित नहीं कर सकती है। डॉक्टर ने मत दिया है कि मृतक के शरीर पर विदीर्ण जख्म तेज धारवाले हथियार द्वारा है; यह मत इसको देखते हुए सही नहीं है।

7. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष यह है कि चिकित्सीय साक्ष्य चाक्षुक साक्ष्य का समर्थन करता है और दोनों के बीच विरोधाभास नहीं है। इस पहलू पर विद्वान विचारण न्यायालय ने गलती किया है। अन्यथा, मृतक के शरीर पर उपहतियाँ भोथरे हथियार जैसे लाठी द्वारा कारित की जा सकती थी। व्यक्तियों, जिन्होंने अभिकथित रूप से लाठी से उपहति कारित किया, ने विचारण का सामना किया और उन्हें दोषसिद्ध किया गया, जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है।

8. चाहे जो भी हो, यदि हम अभियोजन मामले का इसके सही परिप्रेक्ष्य में अधिमूल्यन करते हैं, यह सुविधाजनक रूप से कहा जा सकता है कि वर्तमान अपीलार्थी (धोना मुर्मू) के मुकाबले अभियोजन मामला संदेह मुक्त नहीं है। अभियोजन मामले में पूर्वोक्त मूल त्रुटि पाते हुए, इस तथ्य की पृष्ठभूमि में, कि शेष अभियुक्तगण अब जीवित नहीं हैं, हम उन पर अभ्यारोपित भूमिका के मुकाबले विवरण में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं और अभिनिर्धारित करते हैं कि अभियोजन जीवित अपीलार्थी के विरुद्ध अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ है। इस प्रकार, धारा 149 की मदद से पूर्वोक्त आरोपों के लिए अपीलार्थी को दोष सिद्ध करने वाला निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है। शुद्ध परिणाम यह है कि वर्तमान अपील अनुज्ञात की जाती है।

9. अपीलार्थी सं॰ 3 अर्थात् धोना मुर्मू को आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है जिनके लिए उसे विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, पाकुड़ के दिनांक 28.5.1992 के आक्षेपित निर्णय के तहत दोषसिद्ध किया गया था। उसे दिनांक 15.6.1992 के आदेश के निबंधनानुसार वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान उसके द्वारा प्रस्तुत जमानत बंधपत्र से उन्मोचित किया जाता है।

ekuuh; çeFk iVuk;d] U;k;efr

पवन कुमार

cuke

अध्यक्ष, खान बोर्ड एवं अन्य

W.P.(S) No. 1464 of 2006. Decided on 9th September, 2016.

सेवा विधि–सेवा समाप्ति–याची वर्ष 1991 से दैनिक मजदूरी सहायक अभियन्ता के रूप में कार्यरत था जिसे बाद में कनीय अभियन्ता के मंजूर एवं रिक्त पद के विरुद्ध नियमित किया गया था–इस तथ्य की दृष्टि में कि हजारीबाग खान बोर्ड को झारखंड राज्य के अधीन विलय कर दिया गया है, मामला नए सिरे से विचार किए जाने योग्य है–आक्षेपित आदेश अभिखंडित किया गया। (पैराएँ 6 से 8)

अधिवक्तागण.–Mr. Manoj Tandon, For the Petitioner; Mr. Prashant Pallav, For the Resp. Nos. 1 & 3; Mr. Abhijeet Kumar Singh, For the Resp.-State.

प्रमथ पटनायक, न्यायमूर्ति.–वर्तमान रिट आवेदन में याची ने अन्य बातों के साथ खान बोर्ड की दिनांक 28.1.2005 की बैठक के संकल्प के अनुसरण में याची की सेवा समाप्ति से संबंधित प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा जारी दिनांक 3.4.2005 के आदेश (परिशिष्ट 13) के अभिखंडन के लिए और प्रत्यर्थियों को डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 867 वर्ष 2004, जिसे लंबित कथन किया गया है, में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 17.2.2004 के स्थगन आदेश की दृष्टि में दिनांक 3.4.2005 के प्रभाव से प्रभारी कार्यपालक अभियन्ता के उसके पद पर बने रहने की अनुमति याची को देने के निर्देश के लिए और दिनांक 12.4.2005 के पत्र (परिशिष्ट 14) जिसमें यह गलत रूप से उल्लिखित किया गया है कि याची को दिनांक 2.11.1991 को दैनिक मजदूरी पर सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्त किया गया था के अभिखंडन के लिए और प्रत्यर्थियों को याची के वेतन का भुगतान करने का निर्देश देने के लिए प्रार्थना किया है।

2. रिट आवेदन में प्रकट किए गए तथ्य संक्षेप में ये हैं कि आरंभ में याची वर्ष 1991 से दैनिक मजदूरी पर सहायक अभियन्ता के रूप में कार्यरत था जिसे बाद में प्रत्यर्थी सं॰ 1 द्वारा दिनांक 5.10.1993 के मेमो द्वारा कनीय अभियन्ता के मंजूर एवं रिक्त पद के विरुद्ध कनीय अभियन्ता के पद पर दिनांक 5.10.1993 के प्रभाव से नियमित किया गया था जैसा रिट आवेदन के परिशिष्ट 1 से स्पष्ट है। जब सहायक अभियन्ता का पद रिक्त हुआ, याची सहायक अभियन्ता के पद पर काम करने लगा और तत्पश्चात, उसे दिनांक 1.1.2000 के प्रभाव से सहायक अभियन्ता के अधिष्ठायी पद पर नियमित किया गया था। वरीयता के कारण याची को दिनांक 30.11.2001 के प्रभाव से कार्यपालक अभियन्ता का प्रभार दिया गया था। प्रत्यर्थी सं॰ 2 ने याची को हजारीबाग खान बोर्ड में प्रभारी कार्यपालक अभियन्ता के पद पर बने रहने का निर्देश दिनांक 10.4.2002 के मेमो के तहत दिया जो रिट आवेदन के परिशिष्ट 5 से स्पष्ट है। तत्पश्चात, याची प्रभारी कार्यपालक अभियन्ता के पद पर काम करता रहा किंतु प्रत्यर्थियों द्वारा तैयार किए गए अनुपस्थिति (एबसेन्टी) बयान में याची को अक्टूबर, 1996 से फरवरी, 2001 तक दैनिक मजदूरी पर सहायक अभियन्ता के रूप में दर्शाया गया है यद्यपि परिशिष्ट 1 के मुताबिक याची की सेवा नियमित की गयी थी। प्रभारी कार्यपालक अभियन्ता के रूप में उसके पद पर बने रहने के दौरान याची ने हजारीबाग खान बोर्ड में अनेक अनियमितताओं के बारे में शिकायत किया जिसके लिए लेखा परीक्षा संचालित की गयी थी और उक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट ने सरचार्ज के रूप में हजारीबाग खान के अन्य

अधिकारियों से महत्वपूर्ण राशि वसूल करने का अनुशंसा किया। लेखा परीक्षा रिपोर्ट से व्यथित होकर एक अन्य व्यक्ति अर्थात् राम कुमार सिंह जो प्रभारी कार्यपालक अभियन्ता, हजारीबाग खान बोर्ड, के रूप में याची के स्थान पर पदस्थापित था, जिसे याची द्वारा डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 867 वर्ष 2004 द्वारा चुनौती दी गयी थी और दिनांक 17.2.2004 के आदेश के तहत उक्त राम कुमार सिंह का पदस्थापना आदेश स्थगित किया गया था और उक्त रिट याचिका इस न्यायालय के समक्ष लंबित बतायी जाती है। याची को वेतन के गैर-भुगतान के कारण, याची ने सहायक अभियन्ता के रूप में भुगतान नहीं किए गए वेतन के भुगतान के लिए रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 4059 वर्ष 2014 दाखिल किया और इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 30.8.2004 के आदेश के तहत, रिट याचिका के परिशिष्ट 11 के मुताबिक, प्रत्यर्थियों को वेतन निर्मुक्त करने का निर्देश दिया गया था। किंतु, पूर्वोक्त आदेश के बावजूद याची को वेतन का भुगतान नहीं किया गया था जबकि अन्य नियमित भरती किए गए व्यक्तियों को, जैसा उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमिटी द्वारा संचालित दिनांक 13.3.2005 की जाँच रिपोर्ट से निर्दिष्ट किया गया है, उनको भुगतान किया गया है। तत्पश्चात, रिट याचिका के परिशिष्ट 13 के तहत दिनांक 3.4.2005 के कार्यालय आदेश द्वारा याची की सेवा समाप्त की गयी थी। दिनांक 12.4.2005 के आदेश के तहत यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक 28.1.2005 की बोर्ड की बैठक में हजारीबाग खान बोर्ड अधिनियम, 1936 और हजारीबाग खान बोर्ड नियमावली के मुताबिक याची की सेवा समाप्ति का निर्णय लिया गया था, बोर्ड दिनांक मार्च 2003 के प्रभाव से अस्तित्व में नहीं था। आक्षेपित आदेशों से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर, किसी प्रभावकारी एवं वैकल्पिक उपचार के बिना, याची अपनी शिकायत दूर करवाने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस न्यायालय के पास आया है।

3. दिनांक 23.1.2008 का पूरक शपथ पत्र उपदर्शित करता है कि अध्यक्ष, खान बोर्ड, हजारीबाग ने याची की बर्खास्तगी आदेश के बारे में जाँच करने के लिए दिनांक 10.5.2006 को निर्देश दिया और खान बोर्ड, हजारीबाग के सदस्यों में से एक अर्थात् श्री संजय उपाध्याय ने विस्तृत जाँच किया और दिनांक 21.6.2006 को अध्यक्ष, खान बोर्ड, हजारीबाग को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया जो पूरक शपथ पत्र के परिशिष्ट 16 से स्पष्ट है। दिनांक 21.6.2006 की जाँच रिपोर्ट के परिशीलन से यह पाया गया है कि याची की सेवा समाप्ति के लिए खान बोर्ड, हजारीबाग द्वारा दिनांक 28.1.2005 का निर्णय/संकल्प, जैसा सचिव, खान बोर्ड, हजारीबाग द्वारा जारी दिनांक 12.4.2005 एवं दिनांक 3.4.2005 के पत्र में अंतर्विष्ट है, बिल्कुल गलत है और वस्तुतः उसकी सेवा समाप्त नहीं की गयी है। आगे यह कथन किया गया है कि तत्कालीन सचिव ने कर्मचारी की सेवा समाप्त किया था और दिनांक 10.1.2005 को जो अनुपस्थित थे जैसा परिशिष्ट-ख में अंतर्विष्ट है जिसमें याची का नाम नहीं था किंतु दिनांक 28.1.2005 की पश्चातवर्ती बैठक में कर्मचारी जो उस सूची में अनेक वर्षों से अनुपस्थित थे की सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया गया था और कुछ षड्यन्त्र के कारण याची का नाम सम्मिलित किया गया था।

4. रिट आवेदन में किए गए प्रकथनों का खंडन करते हुए प्रत्यर्थी सं॰ 1 एवं 3 की ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है। यह निवेदन किया गया है कि दिनांक 5.10.1993 का मेमो कनीय अभियन्ता के पद पर था को नियमित करते हुए हजारीबाग खान बोर्ड ने अध्यक्ष के हस्ताक्षर के अधीन जारी किया गया था। किंतु उक्त पत्र तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा जारी किया गया था किंतु इसे खान बोर्ड द्वारा जारी नहीं किया गया था जैसा खान बोर्ड अधिनियम के अधीन आवश्यक है। हजारीबाग खान बोर्ड के अधीन नियुक्तियों की शक्ति हजारीबाग खान बोर्ड अधिनियम, 1936 की धारा 11 के अधीन अनुध्यात की गयी है। धारा 11 आज्ञा देती है कि बोर्ड स्थापन में सदस्य की नियुक्ति कर सकता है और उसका वेतन अथवा पारिश्रमिक नियत कर सकता है।

5. रिट आवेदन लंबित रहने के दौरान आई॰ ए॰ सं॰ 3900 वर्ष 2015 दाखिल किया गया है जिसमें निवेदन किया गया है कि रिट आवेदन के लंबित रहने के दौरान कैबिनेट ने याची सहित 56 कर्मचारियों के आमेलन के लिए नगर विकास विभाग का प्रस्ताव अनुमोदित किया है।

6. उक्त अंतर्वर्ती आवेदन के प्रति प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है जिसमें यह कथन किया गया है कि कैबिनेट से फाइल प्राप्त करने के बाद, नगर विकास एवं आवास विभाग ने हजारीबाग खान बोर्ड के कर्मचारियों के आमेलन के प्रस्ताव में कुछ अनियमितता पाया है।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुनने के बाद और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों के परिशीलन पर, इस तथ्य की दृष्टि में कि हजारीबाग खान बोर्ड का विलय झारखंड राज्य के अधीन कर दिया गया है और झारखंड राज्य, नगर विकास विभाग को याची सहित कर्मचारियों के आमेलन के संबंध में निर्णय लेना है, मामला नए सिरे से विचार किए जाने योग्य है।

8. यहाँ उपर कथित तथ्यों की दृष्टि में, हजारीबाग खान बोर्ड के कर्मचारियों के आमेलन का प्रस्ताव, जिसे पहले ही कैबिनेट द्वारा दिनांक 15.4.2015 के अपने निर्णय के तहत अनुमोदित किया गया है, सेवा समाप्ति से संबंधित दिनांक 3.4.2005 के आक्षेपित आदेश (परिशिष्ट 13) और दिनांक 12.4.2005 का पत्र (परिशिष्ट 14) को शून्य करना योग्य होगा ताकि याचियों के मामलों पर नए सिरे से विचार किया जा सके। अत: परिशिष्टों 13 एवं 14 के अधीन आक्षेपित आदेशों को अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है और याची के आमेलन के लिए कैबिनेट के दिनांक 15.4.2015 के निर्णय की दृष्टि में शीघ्रातिशीघ्र निर्णय के लिए मामला प्रत्यर्थियों के पास वापस भेजा जाता है।

9. पूर्वोक्त निर्देश के साथ रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

कृष्ण मुरारी

cuke

झारखंड राज्य, निगरानी के माध्यम से

Criminal Revision No. 1180 of 2015. Decided on 2nd September, 2016.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 420, 467, 468, 471, 120B एवं 201—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988—धारा 13 (2) सहपठित धारा 13 (1) (d)—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धाराएँ 227 एवं 239—छल, कूटरचना एवं षड्यन्त्र–दांडिक मामले से उन्मोचन इप्सित करने वाले आवेदन का अस्वीकरण–अन्वेषण के दौरान परीक्षण किए गए समस्त गवाहों ने अभियोजन मामले का समर्थन किया है–यह उपधारित करने के लिए गंभीर एवं मजबूत संदेह है कि अभियुक्तों के बीच मतैक्य था–भले ही अभियुक्त कुछ संदेह दर्शाने में सफल रहा है, इस चरण पर विचारण के पहले अभियुक्त को उन्मोचित करना अननुज्ञेय होगा–पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया गया। (पैराएँ 7, 9 एवं 10)

निर्णयज विधि.–2015 (1) East Cr.C. 450 (SC); (2013) 3 SCC 330—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s P.C. Tripathi, Nitish Krishna & Manish Krishna, For the Petitioner; Mr. Shailesh, For the Vigilance.

आदेश

दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता') की धाराओं 397 एवं 401 के अधीन इस न्यायालय की अधिकारिता का अवलंब लेते हुए याची ने पटना निगरानी केस सं॰ 11 वर्ष 2000 से उद्भूत होने वाले–विशेष केस सं॰ 2 (A) वर्ष 2000 में विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त–सह–विशेष न्यायाधीश, निगरानी, राँची द्वारा पारित दिनांक 22.7.2015 के आदेश की वैधता को चुनौती दिया है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन याची द्वारा अपने उन्मोचन के लिए संहिता की धारा 239 के अधीन दाखिल याचिका अस्वीकार कर दी गयी है।

2. आरक्षी अधीक्षक की प्रेरणा पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420, 467, 468, 471, 120B एवं 201 के अधीन और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) सहपठित धारा 13 (1) (d) के अधीन भी दर्ज प्राथमिकी में ताथ्यिक आधार प्रकट करता है कि लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग में वर्ग III एवं वर्ग IV पदों की नियुक्ति में वर्ष 1975 एवं 1976 के बीच अनियमितताएँ की गयी थीं और माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के बाद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। जहाँ तक याची का संबंध है, प्राथमिकी के पैराग्राफ 4 में उल्लिखित अभिकथन यह है कि उसने तत्कालीन प्रभाग अधिकारी सुरेन्द्र यादव द्वारा अनुशंसित मंगरु ओराँव, दीनानाथ सिंह, गुप्तेश्वर प्रसाद के आवेदनों तथा तत्कालीन कनीय अभियन्ता आलोक कुमार घोष द्वारा अनुशंसित जग्गू महाली, लॉरेन्स टुसलुगन शंकर महाली के आवेदनों को उक्त विभाग में चतुर्थ ग्रेड में उनकी नियुक्ति के लिए अग्रसर किया और उक्त अनुशंसाओं के अनुसरण में उक्त विभाग के तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता श्री राघव चौबे द्वारा मंगरु ओराँव एवं जग्गू महाली को माली के रूप में, दीनानाथ एवं गुप्तेश्वर प्रसाद को दूरभाष परिचारक के रूप में, लॉरेन्स तुसलुगन को चौकीदार–सह–कीमैन के रूप में और शंकर महाली को द्वितीय ग्रेड प्लम्बर के रूप में नियुक्त किया गया था। उस समय, याची लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, स्वर्ण रेखा हेड वर्क्स डिविजन, राँची में सब–डिविजनल अधिकारी के रूप में पदस्थापित था। उक्त नियुक्तियाँ वर्ग IV कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए विहित प्रक्रिया के उल्लंघन में और इसका अनुसरण किए बिना की गयी थीं।

3. अन्वेषण के बाद, अन्वेषण अधिकारी ने आरोप–पत्र दाखिल किया। तद्नुसार, संज्ञान लिया गया था और आरोप विरचित करने के लिए मामला नियत किया गया था किंतु याची ने अपने उन्मोचन के लिए याचिका दाखिल किया। विद्वान विशेष न्यायाधीश, निगरानी, राँची ने पक्षों को सुनने तथा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य एवं सामग्री का परीक्षण करने के बाद इस याची के विरुद्ध आरोप विरचित करने के लिए अभिलेख पर उपलब्ध गवाहों के बयान सहित सामग्रियों की पर्याप्तता अभिनिर्धारित करते हुए आक्षेपित आदेश द्वारा याची के उन्मोचन के लिए प्रार्थना अस्वीकार कर दिया। अतः, यह पुनरीक्षण दाखिल किया गया है।

4. याची के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री पी॰ सी॰ त्रिपाठी ने आक्षेपित आदेश का विकृत एवं विधि में दोषपूर्ण के रूप में विरोध करते हुए गंभीरतापूर्वक प्रतिवाद किया कि अवर न्यायालय ने अन्वेषण के दौरान संग्रहित साक्ष्य का सही परिप्रेक्ष्य में अधिमूल्यन किए बिना उन्मोचन के लिए प्रार्थना यांत्रिक तरीके से अस्वीकार कर दिया और अगर अभियोजन मामला इसके अंकित मूल्य पर स्वीकार भी किया जाता है, अभियोजन द्वारा अभिलेख पर लायी गयी सामग्री के आधार पर उसके विरुद्ध मामला नहीं बनता है जिसमें संज्ञान लिया गया है क्योंकि इस याची ने सब–डिविजनल अधिकारी होने के नाते केवल उच्चतर प्राधिकारियों को उनकी नियुक्ति के लिए कुछ व्यक्तियों का नाम अग्रसारित किया था और उसके

अतिरिक्त अभिकथित अपराध में इस याची की आपराधिता दर्शाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है। यह प्रतिवाद भी किया गया था कि साढ़े ग्यारह वर्षों के लंबे विलंब के बाद आरोप–पत्र दाखिल किया गया है और याची जो तकनीकी सलाहकार के पद से दिनांक 30.6.1996 को सेवा निवृत्त हुआ को इस मामले में गलत रूप से आलिप्त किया गया है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने प्रतिशपथ पत्र के उत्तर के परिशिष्ट 6 के रूप में संलग्न दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 481 वर्ष 2015 में पारित इस न्यायालय के दिनांक 21.1.2016 के आदेश पर आगे विश्वास करते हुए निवेदन किया कि इस न्यायालय ने समस्थित सह अभियुक्त राम सुन्दर दसौन्धी जिसने भी किसी राम प्रवेश साहू का आवेदन अग्रसारित किया था के मामले पर विचार करने के बाद उन्मोचन प्रार्थना अस्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय का आदेश अपास्त कर दिया और उक्त याची राम सुन्दर दसौन्धी को मामले से उन्मोचित किया गया था और वर्तमान अभियुक्त–याची का वर्तमान मामला उस मामले के बिल्कुल समरूप है।

5. पूर्वोक्त निवेदनों के विपरीत, निगरानी का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता ने प्रति शपथपत्र के विभिन्न पैराग्राफों पर विश्वास करते हुए आक्षेपित आदेश का समर्थन किया और प्रतिवाद किया कि विचारण के इस चरण पर न्यायालय को साक्ष्यों की सत्यता एवं प्रभाव का परीक्षण नहीं करना है और न ही विस्तारपूर्ण परीक्षण की आवश्यकता है और केवल मजबूत प्रथम दृष्टया मामला, जैसा आक्षेपित आदेश में अवर न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, याची के विरुद्ध आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त है। इस दशा में, इस पुनरीक्षण आवेदन में गुणागुण नहीं है।

6. इस तथ्य के प्रति पूर्णत: जागरुक होने के कारण कि विचारण अभी आरंभ में ही होगा और कि इस आवेदन में यह न्यायालय याची को आरोपित अथवा उन्मोचित करने के सीमित पहलू पर विचार कर रहा है, मैं संहिता की धारा 239 के विस्तार का परीक्षण करना चाहूँगा जो संहिता की धारा 227 के समरुप है और एकमात्र अंतर यह है कि संहिता की धारा 227 के अधीन उन्मोचन याचिका सत्र न्यायालय के समक्ष है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **राज्य, पुलिस इंस्पेक्टर के माध्यम से बनाम ए॰ अरुण कुमार एवं एक अन्य, 2015 (1) East Cr. C. 450 (SC)**, मामले में संहिता की धारा 227 के विस्तार का परीक्षण करने के बाद संपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत दिया है जिन्हें यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

(i) U;k;kèkh'k dk nO çO lO dh èkkjk 227 d vèkhu vkjki fojfpr dju d ç'u ij fopkj djr g, ;g irk yxku d lhfer ç;ktu l lk{; dh Nkuchu dju ,o eY;kdu dju dh fufookfnr 'kfDr g fd D;k vfHk;Dr d fo#) çFke n"V;k ekeyk curk g ;k ugh A çFke n"V;k ekeyk fofuf'pr dju dh ijh{kk çR;d ekey d rF;k ij fuHkj djxhA

(ii) tgk U;k;ky; d le{k çLrr lkexh vfHk;Dr d fo#) xHkhj lng çdV djrh g ftldk lefpr :i l Li"V ugh fd;k x;k g] U;k;ky; vkjki fojfpr dju e vkj fopkj.k gr vxlj gku e i.kr% U;k;kfpr gkxkA

(iii) U;k;ky; ek= Mkd[kkuk vFkok vfHk;ktu d e[ki= d :i e ÑR; ugh dj ldrk g cfYd bl ekey dh O;kid vfèklHkkO;rkvk] fdlh ey ncyrk] U;k;ky; d le{k çLrr lk{; ,o nLrkotk d dy çHkko bR;kfn ij fopkj djuk gkxkA fdr] bl pj.k ij ekey d i{k&foi{k e vfrxkeh tkp ugh gk ldrh g vkj lk{; dk rkyk ugh tk ldrk g ekuk og fopkj.k lpkfyr dj jg gA

(iv) ;fn vfHky[k ij ektn lkexh d vkèkkj ij U;k;ky; er fufer dj ldrk Fkk fd vfHk;Dr vijkèk dj ldrk Fkk] ;g vkjki fojfpr dj ldrk g] ;|fi nk"kflf) d fy, fu"d"k dk ;fDr;Dr lng d ij fl) dju dh vko';drk g fd vfHk;Dr u vijkèk fd;k gA

(v) vkjki fojfpr fd, tku d le; ij] vfHky[k ij ektn lkexh d ifjoh{kd eY; ij fopkj ugh fd;k tk ldrk g fdr vkjki fojfpr dju d igy U;k;ky; dk vfHky[k ij ektn lkexh ij viu U;kf;d food dk bLreky djuk gkxk vkj lr"V gkuk gkxk fd vfHk;Dr }kjk vijkèk dh dkfjrk lHko FkhA

(vi) èkkjkvk 227 ,o 228 d pj.k ij] U;k;ky; dk ;g irk yxku fd D;k mll lkeu vku oky rF; mud vfdr eY; ij fy, tku ij vfHkdfFkr vijkèk xfBr dju oky leLr vo;ok dk vfLrRo çdV djr g] dh nf"V l vfHky[k ij ektn lkefx;k ,o nLrkotk dk eY;kdu dju dh vko';drk gA bl lhfer ç;ktu l lk{; dh Nkuchu djuk D;kfd ml vkjfHkd pj.k ij ;g Lohdkj dju dh mEehn ugh dh tk ldrh g fd vfHk;ktu tk Hkh dgrk g] og i.k lR; g Hky gh ;g lkekU; ckèk vFkok ekey dh 0;kid vfèklHkkO;rkvk d fo#) gA

*(vii) ;fn nk nf"Vdk.k lHko g vkj mue l ,d doy lng] tk xHkhj lng l lfHkUu g] dk mnHkr djrk g] fopkj.k U;k;kèkh'k vfHk;Dr dk mUekfpr dju d fy, l'kDr gkxk vkj ml pj.k ij ml ;g ugh n[kuk g fd fopkj.k dk lekiu nk"kefDr vFkok nk"kfl f) e gkxkA**

7. उक्त मामले में विनिश्चित निर्णयाधार से यह आसानी से उपधारित किया जा सकता है कि आरंभिक चरण पर यदि यह उपधारित करने के लिए मजबूत एवं गंभीर संदेह है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, उस स्थिति में, न्यायालय को यह कहने की छूट नहीं है कि अभियुक्त के विरुद्ध अग्रसर होने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। किंतु वर्तमान मामले में, याची के विरुद्ध अभिकथन यह है कि उसने कुछ आवेदकों का आवेदन उनकी नियुक्ति के लिए अग्रसारित किया था। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य एवं सामग्री के परिशीलन पर, यह स्पष्ट होगा कि उन व्यक्तियों को उसी दिन तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा वर्ग IV कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुसरण किए बिना आवेदन अनुशंसित एवं अग्रसारित करने के बाद नियुक्त किया गया था। इस चरण पर साक्ष्य को उसी तरह तौला एवं अधिमूल्यित नहीं किया जाना है जैसा विचारण में किया जाता है और मामले के पक्ष-विपक्ष में कोई अतिगामी जाँच करना भी संभव नहीं है, बल्कि इसे देखते ही यह प्रकट है कि संपूर्ण नियुक्तियाँ उसी दिन नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुसरण किए बिना जल्दबाजी में की गयी थी। अन्वेषण के दौरान परीक्षण किए गए समस्त गवाहों ने अभियोजन मामले का समर्थन किया है जैसा आक्षेपित आदेश से प्रतीत होता है। अत: यह उपधारित करने के लिए मजबूत एवं गंभीर संदेह है कि अभियुक्तों के बीच मतैक्य है और यह संपूर्ण नियुक्ति पर संदेह सृजित करता है।

8. राजीव थापर एवं अन्य बनाम मदनलाल कपूर, (2013)3 SCC 330, मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्मोचन के विवाद्यक पर विचार करते हुए पैराग्राफ 28 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

^^28. ;g vfHk;Dr d fo#) vfHk;ktu@ifjoknh }kjk fd, x, vfHkdFkuk dh lR;rk vFkok vU;Fkk dk eY;kdu dju dk pj.k ugh gA blh çdkj] ;g fofuf'pr dju dk pj.k ugh g fd vfHk;Dr dh vkj l fd;k x;k cpko fdruk otunkj gA Hky gh vfHk;Dr vfHk;ktu@ifjoknh }kjk fd, x, vfHkdFkuk e dN lng n'kku e lQy gkrk g] fopkj.k d igy vfHk;Dr dk mUekfpr djuk vuuK; gkxkA ,lk blfy, g D;kfd bldk ifj.kke vfHk;ktu vFkok ifjoknh dk bl fl) dju d fy, lk{; nu dh vuefr fn, fcuk vfHk;ktu@ifjoknh }kjk fd, x, vfHkdFkuk dk vfrerk nu e gkxkA fdr] bldk foijhr lR; ugh g D;kfd Hky gh fopkj.k gr vxlj gvk tkrk g(vfHk;Dr dk fdlh vlèkk;

*ifj.kkek d vè;èkhu ugh fd;k x;k gA vfHk;Dr vHkh Hkh fofèk d vu#i lk{; çLrr djd viuk cpko LFkkfir dju e lQy gku dh voLFkk e gkxkA fofèkd voLFkk dh ?kk"k.kk djr g, bl U;k;ky; }kjk fn, x, fu.k;k dh vrghu lph g fd ,l ekey e tgk vfHk;ktu@ifjoknh u yxk, x, vkjkik d leLr vo;ok dk ykr g, vfHkdFku fd;k g vkj fd, x, vfHkdFkuk dh lR;i.krk çFke n"V;k lkf{;r djr g, U;k;ky; d le{k lkexh çLrr fd;k g] fopkj.k djuk gh gkxkA**

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित प्राधिकारपूर्ण उद्घोषणाओं एवं सिद्धांतों की दृष्टि में इस न्यायालय को केवल मामले की व्यापक अधिसंभाव्यताओं, मजबूत एवं गंभीर संदेह और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर संहिता की धारा 173 के अधीन आरोप पत्र पर विचार करना है। भले ही अभियुक्त अभियोजन द्वारा किए गए अभिकथन में कुछ संदेह दर्शाने में सफल होता है, इस चरण पर विचारण के पहले अभियुक्त को उन्मोचित करना अननुज्ञेय होगा।

10. पूर्वोक्त कारणों से, मैं आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं पाता हूँ। इस प्रकार, यह पुनरीक्षण आवेदन गुणागुणरहित होने के कारण खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ iVy] U;k;efr

अखिलेश्वर सिंह

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

Cont. Case (Civil) No. 18 of 2015. Decided on 8th September, 2016.

सेवा विधि–प्रोन्नति–इनकार–अवमान याचिका–जब कभी भी किसी कर्मचारी को प्रोन्नति प्रदान नहीं की जाती है, उसे सदैव एश्योर्ड करिअर प्रोग्रेशन स्कीम का लाभ दिया जाता है जो सदैव प्रोन्नति के बदले होता है–इसके अतिरिक्त, प्रोन्नति अधिकार का मामला बिल्कुल नहीं है–कर्मचारी में निहित उच्चतम अधिकार पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है और उसके परे कुछ भी नहीं–प्रोन्नति पद सदैव फीडर कैडर की तुलना में संख्या में कम हैं–अवमान आवेदन खारिज किया गया। (पैराएँ 3, 5, 6 एवं 10)

अधिवक्तागण.–M/s Naresh Pd. Singh, For the Petitioner; M/s H.K. Mehta, M. Patra, For the Opp. Parties.

डी॰ एन॰ पटेल, न्यायमूर्ति.–आवेदक ने रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 2631 वर्ष 2005 दाखिल किया था जिसे दिनांक 18 जुलाई, 2014 के आदेश द्वारा निपटाया गया था। जिसमें आवेदन के अधिवक्ता द्वारा यह प्रचारित किया गया है कि इस आवेदक को 'संगणक' के रूप में नियुक्त किया गया था और वह निरंतर प्रोन्नति की तलाश में था। रिट याचिका में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा काफी तर्क किया गया है कि प्रत्यर्थी राज्य द्वारा विरचित तथाकथित नियमावली अर्थात् झारखंड राज्य लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक एवं अन्य लिपिकीय सेवा कैडर (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2010 इस आवेदक पर प्रयोज्य नहीं है और प्रोन्नति का रास्ता खोलते हुए प्रत्यर्थी राज्य द्वारा कुछ नए नियम प्रारुपित किए गए है।

2. आवेदक के अधिवक्ता ने विस्तारपूर्वक यह बिंदु पुन: उठाया है किंतु डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 2631 वर्ष 2005 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 18 जुलाई, 2014 के आदेश के तहत

यह संप्रेक्षित किया गया है कि राज्य को इस आवेदक के मामले को नए सिरे से विनिश्चित करना होगा और आवेदक पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए।

3. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पूर्वोक्त आदेश पारित किए जाने के बाद अब प्रत्यर्थियों ने दिनांक 18 फरवरी, 2016 के विस्तारपूर्ण सकारण आदेश, जिसे विरोधी पक्षकारों द्वारा दाखिल पूरक प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट–A के रूप में संलग्न किया गया है, द्वारा निर्णय किया गया है जिसमें संप्रेक्षित किया गया है कि पूर्वोक्त नियमावली के मुताबिक आवेदक प्रोन्नति का हकदार नहीं है। जब कभी भी किसी कर्मचारी को प्रोन्नति प्रदान नहीं किया जाता है, उन्हें सदैव एश्योर्ड करिअर प्रोग्रेशन स्कीम का लाभ दिया जाता है जो सदैव वास्तविक प्रोन्नति के बदले होता है।

4. प्रत्यर्थी राज्य द्वारा पारित दिनांक 18 फरवरी, 2016 के आदेश को देखते हुए, जो विरोधी पक्षकारों द्वारा दाखिल पूरक शपथ पत्र के परिशिष्ट–A के रूप में संलग्न है, प्रत्यर्थियों द्वारा डब्ल्यू० पी० (एस०) सं० 2631 वर्ष 2005 में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 18 जुलाई, 2014 के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा नहीं है।

5. यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्रोन्नति अधिकार का मामला बिल्कुल नहीं है। कर्मचारी में निहित उच्चतम अधिकार पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है और उसके परे कुछ भी नहीं।

6. इस देश में विकसित सेवा विधिशास्त्र के मुताबिक सबों को प्रोन्नत नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रोन्नति का रास्ता पिरामिड जैसा है। प्रोन्नति पद सदैव फीडर कैडर की तुलना में संख्या में कम हैं। सेवा के तल पर अनेक पद उपलब्ध हैं। ज्योंही कोई अधिक्रम में उपर जाता है, प्रोन्नति पद फीडर कैडर की तुलना में कम हो जाता है। द्वितीय प्रोन्नति में, उपलब्ध पदों की संख्या फीडर कैडर की तुलना में काफी कम हैं। अंत में, उच्चतम पद एक होगा और, इसलिए, सेवा विधिशास्त्र में यह विकसित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो किसी भी कारण से प्रोन्नति पाने का हकदार नहीं है, सदैव अपनी अदक्षता के कारण नहीं बल्कि प्रोन्नति पदों की गैर–उपलब्धता के कारण, अथवा, कभी–कभार, प्रोन्नति पद एवन्यू बिल्कुल नहीं है, जैसा वर्तमान मामले में है, कर्मचारियों के ऐसे वर्ग प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एश्योर्ड करिअर प्रोग्रेशन स्कीम के लाभों के हकदार हैं जो उच्चतम वेतनमान के हैं।

7. इस प्रकार, वर्तमान कर्मचारी ने उच्चतर वेतनमान पाया है, किंतु प्रोन्नति नहीं।

8. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रोन्नति के बारे में काफी तर्क किया गया है, किंतु यह इस आवेदक की सहायता नहीं करता है, क्योंकि–

(a) çkUufr vfèkdkj ekeyk ugh g(

(b) çR;d depkjh dk çkUufr ugh nh tk ldrh g Hky gh og vfgr g(

(c) o tk mu ij ç;kT; fu;ekoyh d erkfcd çkUufr iku e v{ke g] rc o lno ,';kM dfjvj çkx'ku Ldhe dk ykHk iku d gdnkj g vkj bl vkond dk dy rhu ,';kM dfjvj çkx'ku Ldhe dk ykHk fn, x, gA

9. यह पर्याप्त है। कम से कम इस अवमान याचिका में इस न्यायालय द्वारा विनिश्चित किए जाने के लिए कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। यदि याची आगे प्रत्यर्थियों द्वारा पारित दिनांक 17 फरवरी, 2016 के आदेश से व्यथित है, वह समुचित फोरम के समक्ष विधि के अनुरुप इसे चुनौती देने के लिए सदैव स्वतंत्र है।

10. पूर्वोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारणों की दृष्टि में इस अवमान आवेदन में सार नहीं है, क्योंकि प्रत्यर्थियों द्वारा डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 2631 वर्ष 2005 में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 18 जुलाई, 2014 के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा नहीं की गयी है। अत: इस अवमान आवेदन को एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk] U;k;efr

कृष्णा नन्द त्रिपाठी

cuke

आलोक चौरसिया

E.P. No. 11 of 2015. Decided on 19th August, 2016.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 18 नियम 3A—जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950—धारा 87—पक्ष का परीक्षण–सी॰ पी॰ सी॰ का आदेश 22 नियम 3A बाद के चरण पर वाद के किसी पक्ष का परीक्षण करने के लिए संपूर्ण वर्जना नहीं है–बाद के चरण पर किसी पक्ष का परीक्षण करने की अनुमति देना सदैव न्यायालय के स्वविवेक में है–चुनाव याचिका का विचारण करते हुए सी॰ पी॰ सी॰ के प्रावधानों के कठोर पालन की आवश्यकता नहीं है। (पैरा 6)

अधिवक्तागण.–M/s R.N. Sahay, Mahesh Tewari, Abhishek Dubey, Yashvardhan Sahay, For the Petitioner; M/s V.P. Singh, Rashmi Kumar, Arun Kumar, For the Opp. Party.

आदेश

आई॰ ए॰ संख्या 3778 वर्ष 2016

वर्तमान अंतर्वर्ती आवेदन चुनाव याची को बाद के चरण पर अपना साक्ष्य देने की अनुमति देने के लिए दाखिल किया गया है। इस आवेदन को दाखिल करने की आवश्यकता इस तथ्य के कारण उद्भूत हुई है कि चुनाव याची की ओर से दो गवाहों का पहले ही दिनांक 29.4.2016 को परीक्षण किया जा चुका है। तत्पश्चात, दिनांक 23.6.2016 को वर्तमान अंतर्वर्ती आवेदन दाखिल किया गया है।

2. इस अंतर्वर्ती आवेदन का प्रति प्रतिशपथ पत्र एकमात्र प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल किया गया है जिसमें यह कथन किया गया है कि दो गवाहों का परीक्षण दिनांक 29.4.2016 को किया गया था जिस तिथि पर चुनाव याची भी न्यायालय में उपस्थित था। किंतु चुनाव याची अपना साक्ष्य दर्ज करवाने में विफल रहा जैसा सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XVIII नियम 3A के अधीन आवश्यक है और इस दशा में अब उसका साक्ष्य दर्ज नहीं किया जाना चाहिए।

3. चुनाव याची के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 87 की ओर आकृष्ट किया है जो कहती है कि प्रत्येक चुनाव याचिका का विचारण, जहाँ तक हो सके वादों के विचारण हेतु, सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रयोज्य प्रक्रिया के अनुरुप उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि बाद के चरण पर वादी का परीक्षण करने के लिए सी॰ पी॰ सी॰ में वर्जना नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि उसकी ओर से दो गवाहों के परीक्षण के बाद चुनाव याची का परीक्षण करने में अवैधता नहीं है।

4. एकमात्र प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दूसरी ओर प्रार्थना का विरोध किया है और सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XVIII नियम 3A पर विश्वास किया है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

"3A. ***i{kdkj dk vU; lkf{k;k l igy mifLFkr gkuk-*** *&tgk dkb i{kdkj Lo; dkb lk{kh d :i e mifLFkr gkuk pkgrk g ogk og mldh vkj l fdlh vU; lk{kh dh ijh{kk fd, tku d igy mifLFkr gkxk] fdUr ;fn U;k;ky; ,l dkj.kk l] tk y[kc) fd, tk,x] ml i'pkrorh çØe e Lo; viu lk{kh d :i e mifLFkr gku d fy, vuKkr dj rk og okn e mifLFkr gk ldxkA***

5. एकमात्र प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि चूँकि चुनाव याची की उपस्थिति में दो गवाहों का परीक्षण पहले ही किया जा चुका है, स्वयं चुनाव याची का परीक्षण अब गवाह के रूप में नहीं किया जा सकता है। यह निवेदन किया गया है कि यदि चुनाव याची ने बाद के चरण पर परीक्षण किए जाने की इच्छा व्यक्त किया था, उसे उसी तिथि पर इसके लिए आवेदन दाखिल करना चाहिए था, किंतु उसने बाद के चरण पर अपने परीक्षण के लिए न्यायालय का अनुमति इप्सित नहीं किया था और अपनी उपस्थिति में अन्य गवाहों का परीक्षण किए जाने की अनुमति दिया। वैकल्पिक रूप से, एकमात्र प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया था कि किसी भी स्थिति में, समस्त गवाहों के परीक्षण के बाद चुनाव याची का परीक्षण किया जाना चाहिए।

6. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर मेरा सुविचारित मत है कि सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश XVIII नियम 3A बाद के चरण पर वाद के पक्ष का परीक्षण करने के लिए संपूर्ण वर्जना नहीं है। बाद के चरण पर पक्ष का परीक्षण किए जाने की अनुमति देना सदैव न्यायालय के स्वविवेक में है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 87 भी केवल यह कथन करती है कि चुनाव याचिका का विचारण करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा, जितना निकट हो सकता है, वादों के विचारण के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रयोज्य प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना होगा। चुनाव याचिका का विचारण करते हुए सी॰ पी॰ सी॰ के प्रावधानों के कठोर अनुपालन की आवश्यकता नहीं है।

7. पूर्वोक्त चर्चा की दृष्टि में, यह निर्देश दिया जाता है कि अगली तिथि पर चुनाव याची का परीक्षण गवाह के रूप में किया जाएगा। पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर, चुनाव याची के परीक्षण के लिए इस मामले को दिनांक 26.8.2016 को अपराह्न 2.15 बजे रखा जाए।

तद्नुसार, यह अंतर्वर्ती आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

<u>आई॰ ए॰ सं॰ 351 वर्ष 2016, 2624 वर्ष 2016 एवं 3041 वर्ष 2016</u>

8. ये अंतर्वर्ती आवेदन गवाहों अर्थात् (i) प्रधानाध्यापक, गिरीवार उच्च विद्यालय, डाल्टेनगंज, पलामू; (ii) प्राचार्य, जी॰ एल॰ ए॰ कॉलेज, मेदिनीनगर, पलामू; (iii) सचिव, झारखंड अकादमी परिषद्, राँची; (iv) लोक सूचना अधिकारी-सह-निर्वाचन उप अधिकारी, पलामू और (v) उप अधीक्षक, सदर अस्पताल, पलामू को समन जारी करने के लिए और उनके द्वारा सिद्ध किए जाने वाले दस्तावेजों जिन्हें मंगाया नहीं जा सकता है, उल्लिखित करने के लिए दाखिल किए गए हैं।

9. एकमात्र प्रत्यर्थी की ओर से आई॰ ए॰ सं॰ 3041 वर्ष 2016 के प्रति आपत्ति दाखिल की गयी है जिसमें यह कथन किया गया है कि गवाहों, जैसा आई॰ ए॰ सं॰ 3041 वर्ष 2016 में विवरण दिया गया है, को दस्तावेजों जिन्हें चुनाव याचिका में संलग्न नहीं किया गया है, के साथ उपस्थित होने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

10. वर्तमान मामले में, निर्वाचित उम्मीदवार की जन्मतिथि विवादित है। चुनाव याचिका में निर्वाचित उम्मीदवार के शैक्षणिक प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेजों की छाया प्रतिलिपियाँ यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर लायी गयी हैं कि निर्वाचित उम्मीदवार की जन्मतिथि दिनांक 15.2.1995 है और तद्नुसार, वह वर्ष 2014 में 25 वर्ष की आयु का नहीं था जब चुनाव हुआ था। चुनाव याचिका के लिखित कथन में एकमात्र प्रत्यर्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि उसने उन दस्तावेजों को सही नहीं करवाया था।

11. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि निर्वाचित उम्मीदवार की ओर से दाखिल लिखित कथन की दृष्टि में, कि याची द्वारा विश्वास किए गए दस्तावेजों को निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा सही करवाया गया था, आवश्यक सूचना, जिसे आर॰ टी॰ आई॰ अधिनियम के अधीन इप्सित किया गया है, को न्याय के उद्देश्य के लिए सिद्ध किए जाने की आवश्यकता है। आगे यह निवेदन किया गया है कि इन गवाहों का परीक्षण किए जाने एवं दस्तावेजों को सिद्ध करने की आवश्यकता है क्योंकि इन दस्तावेजों को चुनाव याची द्वारा बाद में प्राप्त किया गया था जब लिखित कथन में पहली बार यह प्रकट किया गया था कि चुनाव याचिका में विश्वास किए गए दस्तावेजों को निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा बाद में सही करवाया गया था। यह निवेदन किया गया है कि इन दस्तावेजों को आपत्ति के साथ भी साक्ष्य में लिया जा सकता है जिसकी ग्राह्यता बाद में विनिश्चित की जा सकती है।

12. दूसरी ओर, एकमात्र प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस पर आपत्ति किया है और निवेदन किया है कि दस्तावेजों जिन्हें आई॰ ए॰ सं॰ 3041 वर्ष 2016 के माध्यम से सिद्ध किया जाना इप्सित किया जा रहा है के संबंध में चुनाव याचिका में अभिवचन नहीं है और इस दशा में उन्हें साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जा सकता है।

13. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर मैं पाता हूँ कि वर्तमान मामले में निर्वाचित उम्मीदवार की जन्मतिथि से संबंधित प्रमाण पत्र को एकमात्र प्रत्यर्थी अर्थात् निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा एकमात्र आधार पर विवादित किया गया है कि बाद में उन दस्तावेजों को सही करवाया गया था। यह तथ्य पहली बार चुनाव याची की जानकारी में लिखित कथन दाखिल किए जाने के बाद आया, जिसने चुनाव याची के लिए आर॰ टी॰ आई॰ अधिनियम के अधीन आवश्यक सूचना पाना आवश्यक बनाया। तद्नुसार, आई॰ ए॰ सं॰ 3041 वर्ष 2016 कुछ दस्तावेजों जिन्हें चुनाव याची लिखित कथन में दिए गए बयान की दृष्टि में सिद्ध करने का आशय रखता है का विवरण देते हुए दाखिल की गयी थी। इस दशा में, वे प्रथम दृष्टया प्रासंगिक तथ्य प्रतीत होते हैं और एकमात्र प्रत्यर्थी उन दस्तावेजों को साक्ष्य में लिए जाने के समय पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाने के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसे साक्ष्य की ग्राह्यता अंतिम तर्क के समय पर विनिश्चित की जाएगी।

14. गवाहों अर्थात् (i) प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक, गिरीवार उच्च विद्यालय, डाल्टेनगंज, पलामू; (ii) प्रभारी प्रोफेसर/प्राचार्य जी॰ एल॰ ए॰ कॉलेज, मेदिनीनगर, पलामू, (iii) सचिव, झारखंड अकादमी परिषद्, राँची के परीक्षण के लिए, गवाहों के व्यय जमा किये जाने पर, यदि प्रयोज्य हो, चुनाव याचिका के गवाहों के रूप में उनके परीक्षण के लिए दिनांक 2.9.2016 को अपराह्न 2.15 बजे उनकी उपस्थिति के लिए चुनाव याची को दस्ती समन दिया जाए।

15. दस्ती समन में, दस्तावेजों जैसा आई॰ ए॰ सं॰ 3041 वर्ष 2016 में विवरण दिया गया है जिन्हें मंगाने एवं परस्पर गवाहों द्वारा सिद्ध किए जाने की आवश्यकता है, को भी संबंधित गवाहों को उन दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के लिए कहते हुए उल्लिखित करना होगा।

16. लोक सूचना अधिकारी-सह-निर्वाचन उप अधिकारी, पलामू और उप अधीक्षक, सदर अस्पताल, पलामू को समन जारी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विवादित तथ्य अथवा प्रासंगिक तथ्य सिद्ध करने के लिए उनका परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है।

17. आई॰ ए॰ सं॰ 351 वर्ष 2016 में उल्लिखित अन्य गवाहों को याची द्वारा बाद के चरण पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

18. तद्नुसार, पूर्वोक्त तीनों अंतर्वर्ती आवेदनों को निपटाया जाता है।